UNITED BANK OF INDIA
Head Office
11, Hemanta Basu Sarani
Kolkata - 700001

SH & IG CELL/AGM Notice / 18 /2019 June 4, 2019

Corporate Relations Cell	**Listing Department**
Bombay Stock Exchange Ltd. P.J. Tower, Dalal Street, Fort Mumbai - 400001	National Stock Exchange of India Ltd. Exchange Plaza, Plot - C/1, Block - G Bandra Kurla Complex, Bandra (E) Mumbai - 400051
Scrip Code: UNITEDBNK (533171)	Scrip Code: UNITEDBNK

Dear Madam / Sir,

Sub: Notice of the Annual General Meeting and Annual Report FY 2018-19

It is hereby informed that the 10th Annual General Meeting (AGM) of the Bank has been scheduled to be held on Thursday, June 27, 2019 at 10:00 a.m. at Bhasha Bhawan Auditorium, National Library, Belvedere Road, Alipore, Kolkata-700027 to transact the following businesses:

1. To discuss, approve and adopt the Balance Sheet, Profit & Loss Account of the Bank as at and for the year ended 31st March, 2019, the Reports of the Board of Directors on the workings and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditor's Report on the Balance Sheet and Accounts.

2. To create, offer, issue and allot equity shares of the face value of Rs.10/- each at such price including premium as may be decided in accordance with Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018, as amended and/or SEBI circular no(s).CIR/CFD/CMD/14/2015 dated 30.11.2015 and SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/43/2018 dated 22.02.2018, not exceeding Rs.1500 crore, in one or more tranches.

In this connection, please find enclosed herewith the Notice of the 10th Annual General Meeting along with Annual Report for FY 2018-19. The same are also available on Bank's website i.e., www.unitedbankofindia.com.

The aforesaid may be taken on record and considered as compliance under the applicable provision(s) of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Thanking You,
For **United Bank of India**

Sushmita Mazumder 04/06/19
Sushmita Mazumder
Company Secretary & Compliance Officer

Encl: As above

10वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना
Notice for
10th Annual General Meeting

गुरुवार, 27 जून, 2019 पूर्वाह्न 10.00 बजे
Thursday, June 27, 2019, 10.00 A.M.

सभास्थल / at

भाषा भवन सभागार, राष्ट्रीय पुस्तकालय, बेलवेडियर रोड
अलीपुर, कोलकाता - 700 027

Bhasha Bhawan Auditorium, National Library, Belvedere Road,
Alipore, Kolkata - 700 027

युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया

प्रधान कार्यालयः युनाइटेड टॉवर
11, हेमंत बसु सरणी, कोलकाता - 700 001

UNITED BANK OF INDIA

Head Office: United Tower
11, Hemanta Basu Sarani, Kolkata - 700001

सामग्री

सूचना 1
टिप्पणियाँ 4
व्याख्यात्मक विवरण 9

CONTENTS

Notice 1
Notes 4
Explanatory Statement 9

सूचना

एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया (शेयर और बैठक) विनियम, 2010 के अनुसरण में, युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया के शेयरधारकों की 10वीं वार्षिक आम बैठक गुरुवार, 27 जून, 2019 को पूर्वाहन 10.00 बजे भाषा भवन सभागार, राष्ट्रीय पुस्तकालय, वेलविडियर रोड, कोलकाता-700027 में निम्नलिखित व्यवसाय चलाने हेतु आयोजित की जाएगी:

सामान्य व्यवसाय:

मद सं. 1: 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए बैंक के तुलन पत्र, लाभ एवं हानि खाते का अनुमोदन और अंगीकार करना, खाते और तुलनपत्र पर लेखापरीक्षा रिपोर्ट और खाते में शामिल उक्त अवधि के लिए निदेशक मंडल द्वारा प्रस्तुत बैंक के कार्य और क्रियाकलाप पर रिपोर्ट की चर्चा करना।

विशेष व्यवसाय:

मद सं. 2: इक्विटी पूंजी जुटाना

निम्नलिखित संकल्प को एक विशेष संकल्प के रूप में, अगर उचित समझा जाए, तो विचार करना और पारित करना:

"संकल्प किया गया कि, बैंकिग कंपनी अधिनियम (उपक्रमों का अर्जन एंव अंतरण) अधिनियम, 1970 (अधिनियम), राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970, (योजना) बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949, (बैंकिग विनियम अधिनियम) युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया (शेयर और बैठक) विनियम, 2010, (बैंक विनियम), जैसा संशोधित भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (जारी पूंजी और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2018, (सेबी आईसीडीआर विनियम), विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम, 1999 (फेमा), विदेशी विनिमय प्रबंधन (भारत के बाहर निवासी व्यक्ति द्वारा अंतरण अथवा जारी प्रतिभूति) विनियम, 2017, (इसके संबंध में फिलहाल के लिए प्रयोज्य किसी प्रकार के सांविधिक संशोधन अथवा आशोधन अथवा पुर्नप्रवर्तन समेत) और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीकरण आवश्यकताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015, (सेबी सूचीकरण विनियम) तथा न्यूनतम सार्वजनिक शेयरधारण को प्राप्त करने के संबंध में सेबी परिपत्र सं. सीआईआर/सीएफडी/सीएमडी/14/2015 दिनांक 30.11.2015, एवं एसईबीआई/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/सीआईआर/पी/43/2018 दिनांक 22.02.2018 के आलोक में 13 मई, 2019 को आयोजित निदेशक मंडल की बैठक में दिए गए अनुमोदन और भारत सरकार (जीओआई) के अनुमोदन के शर्ताधीन, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी), भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई), स्टॉक एक्सचेंज जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं, और अन्य सभी समुचित सांविधिक, सरकारी, और अन्य प्राधिकारियों तथा इसके संबंध में प्रयोज्य विभागों और ऐसे अन्य अनुमोदन, सहमति, अनुमति और मंजूरी, जैसा आवश्यक है, उक्त अनुमोदन, सहमति, अनुमति तथा मंजूरी स्वीकृत करते समय निर्धारित अथवा लागू शर्तें और संशोधन और जिस पर बैंक के निदेशक मंडल (इसके आगे इसे बोर्ड के रूप में संदर्भित किया गया जिसमें बोर्ड द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करने हेतु एक प्राधिकृत समिति अथवा कार्यपालक भी शामिल) सहमत हो, क्वालिफाइड इंस्टिट्यूशनल प्लेसमेंट (क्यूआईपी) के तहत क्वालिफाइड इंस्टिट्यूशनल बायर्स (क्यूआईबीएस) के अंतर्गत क्वालिफाइड इंस्टिट्यूशनल बायर्स (क्यूआईबीएस) को एक अथवा अधिक हिस्सो में रु1500 करोड़ तक कुल राशि के प्रत्येक रु10/- के अंकित मूल्य के इक्विटी शेयर के सृजन, प्रस्ताव, निर्गत और आवंटन, सेबी आईसीडीआर विनियम के अध्याय VI के प्रावधानों के अनुसरण में अथवा पब्लिक इश्यु के माध्यम से, सेबी आईसीडीआर विनियम के अनुसरण में राइट्स इश्यु अथवा सेबी परिपत्र सं. सीआईआर/सीएफडी/सीएमडी/14/2015 दिनांक 30.11.2015 और एसईबीआई/एचओ/सीएफडी/सीएमडी/सीआईआर/पी 43/2018 दिनांक 22.02.2018 के तहत उल्लिखित पूंजी निर्गम के किसी अन्य रुपों में, प्लेसमेंट दस्तावेज समेत या बगैर और/अथवा निर्धारित किसी अन्य दस्तावेज/लेख/परिपत्र/ज्ञापन, बोर्ड द्वारा निर्धारित ऐसे शर्तों और प्रीमियम समेत मूल्य में, समूचित समय पर नियुक्त और/अथवा उक्त निर्गम के संबंध में बैंक द्वारा नियुक्त किए जानेवाले मर्चेंट बैंकर/परामर्शदाता/मध्यस्थ के परामर्श से और बोर्ड/समिति द्वारा निर्धारित शर्तों और बोर्ड/समिति द्वारा अपने विवेकाधिकार के अन्तर्गत सभी विषयों में निर्णय लेने के लिए शेयरधारकों की सहमति ली गई।"

"**पुन: संकल्प किया गया कि**, निदेशक मंडल एतद् द्वारा जहां आवश्यक हो मर्चेंट बैंकरों और/अथवा हामीदारों और/अथवा अन्य सलाहकारों

अथवा अन्य से परामर्श करके, अद्यतन नियामक दिशानिर्देशों के अनुसार एवं ऐसे में जैसा उचित समझा जाए, निर्गम की शर्तें, जैसा कि बोर्ड अपने पूर्ण विवेक के अनुसार उक्त कानून, नियम, विनियम, सेवी आईसीडीआर विनियम समेत, दिशा निर्देश, अधिसूचना, और प्रयोज्य निर्देशों से परामर्श करके एक अथवा अधिक पूंजी निर्गम का मूल्य निर्धारित करने के लिए प्राधिकृत है।"

"**पुन: संकल्प किया गया कि,** सेबी आईसीडीआर विनियम के अध्याय VI के अनुसरण में क्वालिफाइड इंस्टिट्यूशनल प्लेसमेंट के मामले में -

क. सेबी आईसीडीआर विनियम के अध्याय VI के अनुसरण में क्वालिफाइड इंस्टिट्यूशनल बायर्स को प्रतिभूतियों का आवंटन होगा, उक्त प्रतिभूतियां पूर्ण रूप से प्रदत्त होगी और उक्त प्रतिभूतियों का आवंटन इस संकल्प की तारीख से 365 दिनों के भीतर पूरा किया जाएगा।

ख. उक्त सेबी आईसीडीआर विनियम के विनियम 176(1) के प्रावधान के अनुसरण में शेयरों को सेबी आईसीडीआर विनियम के अनुसार उपर्युक्त न्यूनतम मूल्य पर पांच प्रतिशत तक बट्टे में प्रस्ताव करने के लिए बैंक प्राधिकृत है।

ग. प्रतिभूतियों का न्यूनतम मूल्य निर्धारण के लिए सगंत तारीख सेबी आईसीडीआर विनियम के अनुसार किया जाएगा।"

"**पुन: संकल्प किया गया कि**, निदेशक मंडल/समिति एवं बैंक द्वारा प्रदत्त अन्य कंपनी लाभ, यदि कोई हो, जो शेयरधारकों को उपलब्ध कराया गया है एतद् द्वारा किसी प्रस्ताव में किसी प्रकार के संशोधन को स्वीकार करने के लिए जैसे कि भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक/भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड /स्टॉक एक्सचेंज, अथवा ऐसे समुचित प्राधिकारी अपने अनुमोदन, सहमति, अनुमति और उक्त निर्गत के लिए स्वीकृति, आवंटन और सूचीकरण के लिए और बोर्ड की सहमति से प्राधिकृत होगा।"

"**पुन: संकल्प किया गया कि**, एनआरआई, एफआईआई और/अथवा अन्य योग्य विदेशी निवेशकों, जैसे प्रयोज्य, फेमा के तहत आरबीआई के अनुमोदन के शर्ताधीन और उक्त अधिनियम के अंतर्गत समग्र सीमा के भीतर नए इक्विटी शेयरों/प्रतिभूतियां, यदि हो, का निर्गम और आवंटन होगा।"

"**पुन: संकल्प किया गया कि**, जारी किए जाने वाले नए इक्विटी शेयर संशोधित युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया (शेयर और बैठक) विनियम, 2010 के शर्ताधीन होगा और बैंक के मौजूदा इक्विटी शेयरों के साथ लाभांश समेत सभी संबंध में समरूप के लिए योग्य होगा जो कि उक्त घोषणा के समय प्रयोज्य सांविधिक दिशानिर्देश के अनुसार होगा।"

"**पुन: संकल्प किया गया कि**, बोर्ड को एतद् द्वारा मर्चेंट बैंकरों, बैंकर्स, हामीदारों, डिपाजिटॉरी, और सभी एजेंसियों/मध्यस्थों समेत जो उक्त इक्विटी शेयरों/ प्रतिभूतियों के प्रस्ताव में शामिल हैं, सभी व्यवस्था, करार, ज्ञापन, दस्तावेज आदि करने और उक्त सभी संस्थानों और एजेंसियों को कमीशन, ब्रोक्ररेज, शुल्क अथवा अन्य के द्वारा पारिश्रमिक देने के लिए प्राधिकृत किया गया है।"

"**पुन: संकल्प किया गया कि**, इस संकल्प को लागू करने के लिए बोर्ड अपने पूर्ण विवेक से मर्चेंट बैंकरों, हामीदारों, सलाहकारों और/अथवा बैंक द्वारा नियुक्त अन्य व्यक्तियों/मध्यस्थों से परामर्श करके अथवा बिना परामर्श से, निर्गम की शर्तें, निवेशक वर्ग समेत जिन्हें शेयर/प्रतिभूतियां जिसे प्रत्येक चरण में आवंटित किया जाना है, निर्गम मूल्य (प्रीमियम समेत, अगर है, तो) अंकित मूल्य, निर्गम/रुपांतरण/वारंट का प्रयोग/प्रतिभूतियों का विमोचन, ब्याज दर, विमोचन अवधि, इक्विटी शेयरों/अधिमान्य शेयरों/परिवर्तनीय प्रतिभूतियां की संख्या अथवा रुपांतरण अथवा विमोचन अथवा प्रतिभूतियों के रद्द करने, मूल्य, निर्गम पर कटौती अथवा प्रीमियम/प्रतिभूतियों का रुपांतरण, ब्याज दर, रुपांतरण की अवधि, रिकार्ड तारीख का निर्धारण अथवा खाता बंदी और संबंधित अथवा अनुषंगी विषय, भारत में और/अथवा विदेश में एक से अधिक स्टॉक एक्सचेंजों के साथ सूचीबद्ध अथवा किसी निर्गम के प्रयोज्य कानून, नियम एवं विनियम के तहत अनुमत असूचीबद्ध शेयरों/प्रतिभूतियों का निपटान करने के लिए बोर्ड जो उचित समझेगा, उसके लिए प्राधिकार होगा।"

"**पुन: संकल्प किया गया कि**, इक्विटी शेयरों/प्रतिभूतियों के आवंटन अथवा किसी निर्गम को प्रभावी करने के उद्देश्य से बोर्ड को एतद् द्वारा अपने पूर्णविवेक से सार्वजनिक प्रस्ताव समेत निवेशक वर्ग जिन्हें प्रतिभूतियां आवंटित किया जाना है, प्रत्येक चरण में आवंटित किए जानेवाले शेयरों/प्रतिभूतियों की संख्या, निर्गम मूल्य, प्रिमीयम राशि और उक्त सभी कार्य को करने के लिए ऐसे विलेख, दस्तावेज और करार, बोर्ड अपने पूर्णविवेक से, जैसा उचित, सटीक और उपयुक्त समझे और किसी प्रश्न के उत्तर के लिए निदेश अथवा अनुदेश देने, सार्वजनिक प्रस्ताव के संबंध में किसी प्रकार की असुविधा और संदेह उत्पन्न होने के मामले में, निर्गम, निर्गम प्राप्तियों के प्रयोग एवं आवंटन, उक्त संशोधन को प्रभावी बनाने एवं स्वीकार करने, शर्तों के संबंध में परिवर्तन, संशोधन, जोड़ने घटाने, बोर्ड अपने पूर्णविवेक से जैसा उचित और सटीक समझे, बैंक के पूर्ण

हित में, सदस्यों के पुनः अनुमोदन अथवा प्राधिकार के बगैर, कि शेयरधारकों द्वारा उक्त संबंध में दिए गए अनुमोदन और संकल्प के प्राधिकार के अनुसार, और बैंक को दी गई किसी प्रकार की शक्ति का प्रयोग करते हुए निदेशक मंडल द्वारा उक्त संकल्प के संदर्भ में प्राधिकृत किया गया है।"

"पुनः संकल्प किया गया कि, बोर्ड को एतद् द्वारा प्रबंध निदेशक एवं सीईओ और/अथवा कार्यपालक निदेशक (कों) उपर्युक्त संकल्प को प्रभावी बनाने के लिए सौंपी गई किसी प्रकार अथवा सभी प्रकार की शक्ति का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत किया गया।"

कृते **युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया**
निदेशक मंडल के आदेशानुसार

ह/-
सुष्मिता मजुमदार
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

दिनांकः 13 मई, 2019
स्थानः कोलकाता

टिप्पणियां:

1. **बैठक में मद सं. 2 पर व्यवसाय से संबंधित सभी तथ्यों का समाधान करने हेतु व्याख्यात्मक विवरण इसके साथ संग्लग्न है।**

2. **प्रतिनिधि की नियुक्ति**

 बैंक विनियम के विनियमन 60(iii) के अनुसार एक शेयरधारक जो बैठक में उपस्थित होने एवं वोट देने का हकदार है एवं अपने बदले उपस्थित होने एवं मत देने के लिए प्रतिनिधि नियुक्त करने का भी उसे हक है तथा ऐसे प्रतिनिधि को बैंक का शेयरधारक होने की आवश्यकता नहीं है।

 बैंक विनियम के विनियमन 62(ii) के अनुसार प्रतिनिधि फार्म को प्रभावी रखने के लिए वह बैंक के **शेयर विभाग एवं निवेशक शिकायत कक्ष**, चौथा तल, प्रधान कार्यालय, हेमन्त बसु सरणी, कोलकाता-700001 में बैठक की तारीख से कम से कम चार कार्य दिवस पहले अर्थात् **गुरुवार, 20 जून, 2019** को कारोबार समय की समाप्ति से पहले तक अवश्य प्राप्त होना चाहिए।

 इस प्रकार से नियुक्त प्रतिनिधि को बैठक में बोलने का अधिकार नहीं होगा।

 बैंक के पास जमा किया गया प्रतिनिधि प्रपत्र अपरिवर्तनीय एवं अंतिम होगा।

 यदि प्रतिनिधि प्रपत्र वैकल्पिक रूप से दो अनुदानग्राहियों के पक्ष में मंजूर किया जाता है तो इसके लिए एक ही फार्म निष्पादित किया जाएगा।

 बैंक विनियम के विनियमन 62(vi) के अनुसार प्रतिनिधि के लिखत के अनुदानदाता को बैठक में व्यक्तिगत रूप में वोट देने का हक नहीं होगा।

 बैंक का कोई अधिकारी/कर्मचारी प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नहीं होगा।

3. **प्राधिकृत प्रतिनिधियों की नियुक्ति**

 बैंक विनियम के विनियम 61(i) के अनुसार यथास्थिति केन्द्रीय सरकार अथवा कंपनी शेयरधारक संकल्प द्वारा अपने किसी प्राधिकारी को अथवा किसी व्यक्ति को बैठक में अपना प्रतिनिधि प्राधिकृत करता है तो वह प्राधिकृत व्यक्ति उस केन्द्रीय सरकार या कंपनी की ओर से उस अधिकार का प्रयोग करने का हकदार होगा जिसका वह प्रतिनिधि है, मानो यदि वह बैंक का वैयक्तिक शेयरधारक हो।

 उक्त प्रकार से दिया गया प्राधिकार वैकल्पिक रूप में दो व्यक्तियों के पक्ष में हो सकता है तथा उस स्थिति में उनमें से कोई एक व्यक्ति केन्द्रीय सरकार अथवा कंपनी के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर सकता है ।

 बैंक विनियम के विनियमन 61(ii) के अनुसार कोई भी व्यक्ति किसी भी बैठक में कंपनी के विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में तब तक भाग नहीं लेगा अथवा वोट नहीं देगा जबतक कि उसे विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त करने के संकल्प की एक सत्य प्रतिलिपि उस बैठक, जिसमें वह पारित किया गया था, के अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रमाणित करके बैंक के **शेयर विभाग एवं निवेशक शिकायत कक्ष**, प्रधान कार्यालय, चौथा तल, 11 हेमन्त बसु सरणी, कोलकाता-700001 में बैठक की तारीख से कम से कम चार कार्यदिवस पहले अर्थात् **गुरुवार, 20 जून, 2019** को कारोबार समय की समाप्ति से पहले जमा न की गई हो।

 बैंक का कोई अधिकारी अथवा कर्मचारी प्राधिकृत प्रतिनिधि के रूप में नियुक्त नहीं होगा।

4. **उपस्थिति पर्ची सह प्रवेश पत्र**

 शेयरधारकों की सुविधा हेतु वार्षिक रिपोर्ट में उपस्थित पर्ची सह प्रवेश पत्र संलग्न है। शेयर धारकों/प्रतिनिधि धारक/प्राधिकृत प्रतिनिधियों से अनुरोध किया जाता है कि इसे भरें तथा हस्ताक्षर हेतु दिए गए स्थान पर अपना हस्ताक्षर करके बैठक के स्थान पर इसे सौंप दें। शेयरधारकों के प्रतिनिधि/प्राधिकृत प्रतिनिधियों को अपने उपस्थिति सह प्रवेश पत्र पर प्रतिनिधि अथवा प्राधिकृत प्रतिनिधि जो भी स्थिति हो, का उल्लेख करना है।

5. **शेयरधारकों के रजिस्टर को बंद करना**

 बैंक विनियम के विनियम 12 के प्रावधान के अनुसार बैंक की वार्षिक आम बैठक के संबंध में **शुक्रवार, 21 जून, 2019** से **गुरुवार, 27 जून, 2019** तक **(दोनों दिवस समेत)** शेयरधारकों के रजिस्टर और बैंक का अंतरण बही बंद रखा जाएगा।

6. शेयरधारकों से अनुरोध

6.1 तुलन पत्र की प्रतियां

शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे अपनी वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां अपने साथ लाएं, जो उनके पंजीकृत पते पर भेजी गई है। वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियां बैठक स्थल पर वितरित नहीं की जाएंगी।

6.2 शेयरों का अमूर्तीकरण

जिन शेयरधारकों ने अपने शेयरों को प्रत्यक्ष रुप से धारित किया है, उनसे शेयरों के अमूर्तीकरण के लिए अनुरोध किया जाता है।

6.3 खातों की सूचना

खातों के संबंध में सूचना/स्पष्टीकरण मांगने वाले शेयरधारकों से अनुरोध है कि वे वार्षिक आम बैठक से कम से कम 4 दिन पहले बैंक को लिखें ताकि बैंक उनकी सूचनाओं को तैयार रख सके।

6.4 फोलियों का समेकन

जिन शेयरधारकों के नामों के समान क्रम में एक जैसे नामों या संयुक्त नामों में बहुफोलियो में प्रत्यक्ष रुप में शेयरों को धारित किया है उनसे अनुरोध है कि अपने शेयर प्रमाणपत्रों को बैंक के शेयर अंतरण एजेंट, मेसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्रा. लि. को एक फोलियो में समेकन हेतु भेजें।

6.5 पता परिवर्तन को अधिसूचित करना

शेयरधारकों से अनुरोध किया जाता है कि वे अपने पता या बैंक खाते के विवरण में हुए कोई परिवर्तन को अधिसूचित करें

क. इलेक्ट्रानिक रूप में धारित किए गए शेयरों के संबंध में संबंधित डिपॉजिटरी सहभागियों को;

ख. प्रत्यक्ष रूप में धारित किए गए शेयरों के संबंध में रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट को निम्नलिखित पते पर -

मेसर्स लिंक इनटाइम इंडिया (प्रा.) लिमिटेड
(इकाई - युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया)
59 सी, चौरंगी रोड, 3रा तल,
कोलकाता-700020

6.6 स्थिति परिवर्तन की रिकार्डिंग

गैर निवासी शेयरधारकों से अनुरोध है कि निम्नलिखित में परिवर्तन होने पर रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट, मेसर्स लिंक इनटाइम इंडिया (प्रा.) लि. को तत्काल सूचित करें

क. भारत वापस आने पर उनकी आवासीय स्थिति।

ख. बैंक का पूरा नाम, बैंक शाखा, खाता का प्रकार, खाता सं. एमआईसीआर कोड, आईएफएस कोड, पिन सहित बैंक का पता समेत भारत में बैंक खाता का विवरण प्रस्तुत करें, यदि पहले प्रस्तुत नहीं किया गया हो।

6.7 दावारहित लाभांश, यदि कोई हो

बैंकिंग कंपनी (अधिग्रहण एवं उपक्रमों का अंतरण) अधिनियम, 1970 की धारा 10बी के अनुसार यदि लाभांश की राशि सात वर्ष की अवधि तक अप्रदत्त या दावारहित है तो कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 125 के तहत उसे केंद्रीय सरकार द्वारा स्थापित इन्वेस्टर एडुकेशन एंड प्रोटेक्सन फंड (आईईपीएफ) में अंतरित करना अपेक्षित है। तदनुसार बैंक ने वित्तीय वर्ष 2010-11 से संबंधित दावारहित एवं अप्रदत्त लाभांश राशि को 01 अक्टूबर, 2018 को इन्वेस्टर एडुकेशन एंड प्रोटेक्सन फंड (आईईपीएफ) में अंतरित किया था। युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया वित्तीय वर्ष 2011-12 से संबंधित अप्रदत्त लाभांश खाता में वित्तीय वर्ष 2011-12 से संबंधित दावारहित/ अप्रदत्त लाभांश को बैंक 4 अगस्त, 2019 को या पहले अर्थात निधि में जमा करने की अवधि के 30 दिन के अंतर्गत इन्वेस्टर एडुकेशन एंड प्रोटेक्सन निधि में अंतरित करेगा। जिन शेयरधारकों ने अभी तक अप्रदत्त/दावारहित लाभांश खाता में पड़े हुए लाभांश हेतु दावा नहीं किया है तो उनसे अनुरोध है कि वे तत्काल रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट से संपर्क करें।

7. अदावी शेयर

01.04.18 को	वर्ष के दौरान अंतरित शेयर	31.03.2019 को उचंत खाते में शेष राशि
4762	शून्य	4762

अदावी/बकाया शेयरों के संबंध में मतदान अधिकार कानूनी हकदारों द्वारा दावा किये जाने तक अवरुद्ध रहेगा।
बैंक ने शेयरधारकों के सुलभ संदर्भ हेतु अदावी शेयरों का ब्यौरा वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है।

8. अमूर्तीकृत (डीमैट) रूप में बैंक के शेयरों का अनिवार्य व्यापार

बैंक के शेयरों का आवंटन और कारोबार (विक्रय) अनिवार्यतः शेयर बाजार में केवल अमूर्तीकृत रूप में ही किया जाएगा।

बैंक ने अपने शेयरों के अमूर्तीकरण के लिए जारीकर्ता कंपनी के रूप में नेशनल सिक्यूरिटीज डिपॉजिटरी लि.(एनएसडीएल) और सेन्ट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लि. (सीएसडीएल) के साथ एक करार किया है।

अमूर्तीकरण के लिए अनुरोध संबंधित डिपॉजिटरी सहभागियों के जरिए हमारे रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट अर्थात् **मेसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्रा. लि.** को भेजा जा सकता है।

9. लाभांश

बैंक को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई के तहत रखा गया है, वित्तीय वर्ष के लिए बैंक द्वारा रिपोर्ट की गई शुद्ध हानि, और बैंक की लाभांश वितरण नीति के अनुसार, बैंक के निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए लाभांश की सिफारिश नहीं की है।

10. शेयरधारकों की पूछताछ

यह सराहनीय होगा यदि शेयरधारक अपने किसी भी प्रश्न, यदि कोई हो तो, उसे पर्याप्त समय रहते भेज दें, ताकि बैंक को इसका प्रभावी उत्तर देने में सुविधा होगी। पूछताछ निम्नलिखित पते पर की जा सकती है।

शेयर विभाग व निवेशक शिकायत कक्ष,

युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया,
प्रधान कार्यालय, चौथा तल
11 हेमन्त बसु सरणी,
कोलकाता-700001
अथवा ईमेल - **investors@unitedbank.co.in**

11. मताधिकार

बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम 1970 की धारा 3(2ई) के प्रावधानों के अनुसरण में केंद्र सरकार को छोड़कर कोई शेयरधारक, बैंक के समस्त शेयरधारकों के कुल मताधिकार के 10% से अधिक के अपने/उसके किसी भी शेयर के संबंध में मतदान करने का हकदार नहीं होगा।

बैंक विनियम के विनियम 10 के अनुसार, यदि कोई शेयर दो या अधिक व्यक्तियों के नाम से जारी हो तो मतदान के संबंध में पंजीकृत किए गए पहले व्यक्ति को एकमात्र धारक के रूप में माना जाएगा। इस प्रकार यदि शेयरों को संयुक्तधारकों के नाम से जारी किया गया हो तो केवल पहला व्यक्ति ही बैठक और कार्यसूची मद पर या तो दूरस्थ ईवोटिंग के माध्यम से या बैठक में मतदान करने का हकदार होगा।

12. ई-मतदान

बैंक सेंट्रल डिपॉजिटॉरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के माध्यम से सेबी सूचीकरण विनियम 44 के अनुसार सभी शेयरधारकों के लिए रिमोट ई मतदान की सुविधा प्रदान करेगी ताकि गुरुवार, 27 जून, 2019 आयोजित होने वाली 10वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना में उल्लिखित कार्यसूची मदों के अनुसार इलेक्ट्रानिक रूप से मतदान करने हेतु सक्षम किया जा सके।

रिमोट ई मतदान वैकल्पिक है। रिमोट ईमतदान के अतिरिक्त शेयरधारकों को बैठक के स्थान पर मतदान करने का विकल्प दिया जाएगा। रिमोट ई मतदान द्वारा अपना मतदान करने वाले शेयरधारकगण बैठक में उपस्थित हो सकते हैं लेकिन वहां उन्हें अपना मतदान करने का हकदार नहीं होगा।

बैंक ने मेसर्स एस.एन. अनन्तसुब्रमनियन और कंपनी, कंपनी सचिव को बैठक की स्थान पर रिमोट ईमतदान प्रक्रिया तथा वोटिंग को निष्पक्ष और पारदर्शी रूप से संचालित करने हेतु संविक्षक के रूप में नियुक्त किया है।

शेयरधारक/लाभार्थी स्वामियों के द्वारा धारित इक्विटी शेयर मामले में रिमोट ई वोटिंग एवं बैठक में वोटिंग का वोटिंग अधिकार गुरुवार, 20 जून 2019 **(निर्धारित तिथि)** मानी जाएगी।

रिमोट ईमतदान की अवधि **सोमवार, 24 जून, 2019 को 10.00 बजे (आईएसटी)** से आरंभ होकर **बुधवार, 26 जून, 2019 को सायं 17.00 बजे (आईएसटी)** समाप्त होगी। इस अवधि के दौरान बैंक के शेयरधारकों, जिन्होंने निर्धारित तिथि तक भौतिक रूप में या अमूर्तीकृत रूप में शेयरों को धारित किया है, वे इलेक्ट्रानिक तरीके से अपना मतदान कर सकते हैं। उसके बाद मतदान के लिए सीडीएसएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉड्यूल को अक्षम कर दिया जाएगा।

इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतदान करने हेतु शेयरधारकों के लिए अनुदेश निम्नलिखित हैं

(i) ई-मतदान की वेबसाइट www.evotingindia.com

(ii) **"शेयरहोल्डर्स/मेम्बर्स"** पर क्लिक करें।

(iii) अपना यूजर आईडी दर्ज करें।
 क. सीडीसीएल के लिए - 16 अंको का बेनिफिसियरी आईडी
 ख. एनएसड़ीएल के लिए - 8 अंको के क्लाइंट आईडी के बाद 8 अक्षर डीपी आईडी
 ग. भौतिक रूप में शेयर धारक सदस्य बैंक द्वारा पंजीकृत फोलियो नं. दर्ज करें।

(iv) यथा पर्दर्शित **इमेज वेरीफिकेशन** को दर्ज करें और **"लॉगिन"** पर क्लिक करें ।

(v) यदि आप डीमैट के रूप में शेयर धारक है तथा अपने www.evotingindia.com पर लॉगिन करके हाल ही में किसी भी कंपनी/संस्था के लिए मतदान किया था, तो आपके मौजूदा पासवर्ड का उपयोग किया जा सकता है।

(vi) यदि आप प्रथम उपयोगकर्ता हैं तो निम्नलिखित निदेशों का पालन करें

निम्नलिखित विवरणों को उचित रूप से भरें

डीमैट रूप और भौतिक रूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों के लिए

पैन	आयकर विभाग द्वारा जारी किए गए अपने 10 अंको का अल्फा न्यूमेरिक पैन की प्रविष्टि करें (डीमेट शेयरधारकों के साथ भौतिक रूप में शेयरधारकों दोनों के लिए लागू) • जिन सदस्यों ने बैंक/डिपोजिटरी पार्टिसिपेन्ट के साथ अपने पैन को अद्यतन नहीं किया है, उनसे अनुरोध है कि वे **अपने नाम के पहले दो अक्षरों का उपयोग करें और पैन फिल्ड में 8 अंकों के क्रमानुसार संख्या का उपयोग करें।** • **क्रमानुसार संख्या के 8 अंकों से कम होने के मामले में 0 के लागू नम्बर को संख्या के पहले बड़े अक्षरों में नाम के पहले दो अक्षरों के बाद दर्ज करें।** अर्थात यदि आपका नाम क्रम संख्या 1 के साथ रमेश कुमार है तो पैन फिल्ड में आरए00000001 प्रविष्ट करें।
लाभांश बैंक विवरण या जन्मतिथि	लॉगिन करने के क्रम में आपके डीमैट खाते में रिकार्ड किए गए **लाभांश बैंक विवरण या जन्मतिथि** (दिन/माह/वर्ष प्रारुप) की प्रविष्टि करें। • यदि दोनों विवरण डिपाजिटरी या बैंक के साथ रिकॉर्ड नहीं किया हुआ है, तो अपनी सदस्यता आईडी/फोलियों सं. अनुदेश (iii) के अनुसार लाभांश बैंक विवरण फिल्ड में प्रविष्टि करें।

(vii) उचित रूप से इन ब्योरों को भरने के बाद **"सबमिट"** पर क्लिक करें।

(viii) भौतिक रूप से शेयर रखने वाले सदस्य सीधे कंपनी चयनित स्क्रीन पर पहुंच जाएंगे। हालांकि, डीमैट फॉर्म में शेयर रखने वाले सदस्य अब **"पासवर्ड क्रियेसन मेन्यू"** तक पहुंच जाएंगे जिसमें उन्हें अनिवार्य रूप में नये पासवर्ड क्षेत्र में अपना लॉगिन पासवर्ड प्रविष्टि

करने की आवश्यकता होगी। कृपया ध्यान दें कि इस पासवर्ड से डीमैट धारक मतदान करने के पात्र हैं, जिसपर किसी भी अन्य कंपनी का संकल्प (ओं) के लिए मतदान के लिए प्रयोग किया जाता है बशर्ते कि कंपनी/संस्था सीडीएसएल प्लेटफार्म के माध्यम से ई-मतदान के विकल्प प्रदान करता हो। यह दृढता से अनुशंसा की जाती है कि किसी अन्य व्यक्ति के साथ अपने पासवर्ड की साझेदारी नहीं करें और अपना पासवर्ड गोपनीय रखने का भरसक प्रयास करें।

(ix) भौतिक रुप से शेयर धारण करने वाले सदस्यों के लिए, विवरण का उपयोग केवल इस सूचना में शामिल संकल्पों पर ईमतदान के लिए किया जा सकता है।

(x) युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के लिए वोट करने हेतु **ईवीएसएन** पर क्लिक करें ।

(xi) मतदान पृष्ठ पर, आप **"रिजोल्यूसन विवरण"** देखेंगे और उसी के एवज में मतदान के लिए **"हाँ/नहीं"** विकल्प होगा। विकल्प हाँ या नहीं का चयन करें। विकल्प **हाँ** का तात्पर्य रिजोल्यूसन पर आप की सहमति और विकल्प **नहीं** का तात्पर्य रिजोल्यूसन पर आप की असहमति से है।

(xii) यदि आप पूरे रिजोल्यूसन ब्योरा को देखना चाहते हैं तो **"रिजोल्यूसन फ़ाइल लिंक"** पर क्लिक करें ।

(xiii) रिजोल्यूसन का चयन करने के बाद, आपने वोट करने का फैसला किया है, तो **"सबमिट"** पर क्लिक करें। एक पुष्टि बॉक्स प्रदर्शित किया जाएगा। यदि आप अपने वोट की पुष्टि करना चाहते हैं, तो **"ओके"** पर क्लिक करें और अपने वोट को बदलने के लिए, **"कैंसल"** पर क्लिक करें और तदनुसार अपने वोट को संशोधित करें।

(xiv) रिजोल्यूसन पर एक बार आप अपना वोट **"कॉनर्फम"** कर देते हैं, तो आपको अपने वोट को संशोधित करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(xv) वोटिंग पृष्ठ को **"क्लिक हियर टू प्रिंट"** विकल्प पर क्लिक करके, आप अपने द्वारा किये गये मतदान का प्रिंट आउट ले सकते हैं ।

(xvi) यदि डीमैट खाताधारक अपना पासवर्ड भूल गए हों तो वे अपना यूजर आईडी और इमेज वेरीफिकेशन कोड दर्ज करें और **"फोर्गेट पासवर्ड"** पर क्लिक करके प्रणाली द्वारा मांगी गयी विवरण दर्ज करें ।

(xvii) लॉगिन पर करेक्ट पासवर्ड का पांच असफल प्रयास ईवोटिंग वेबसाइट को अक्षम कर देगा। ऐसी स्थिति में, आपको इसे रीसेट करने के लिए वेबसाइट पर उपलब्ध फोर्गेट पासवर्ड विकल्प पर जाने की आवश्यकता होगी।

(xviii) जिसमें आप शेयरधारक है, कंपनियों/संस्थाओं द्वारा रखे गए रिज़ॉल्यूशन (एस) पर ई-वोटिंग के लिए विशेष रूप से अपका लॉगिन आईडी और मौजूदा पासवर्ड का उपयोग किया जा सकता है।

(xix) सदस्यगण सीडीएलएस के मोबाइल ऐप्प **"एमवोटिंग"** का उपयोग करके भी अपना मतदान कर सकते हैं। एमवोटिंग ऐप्प को गूगल प्ले स्टोर, ऐप्प स्टोर, एन्ड्रायेड के लिए विंडोज फोन स्टोर, आईओएस से विंडोज उपयोगकर्ताओं द्वारा क्रमशः डाउनलोड किया जा सकता है ।

(xx) **गैरव्यक्तिगत सदस्यों और संरक्षकों के लिए नोट**

- गैरव्यक्तिगत सदस्यगण (अर्थात - अन्य व्यक्तियों, एचयूएफ, एनआरआई आदि के अलावा) और संरक्षक www.evotingindia.com पर लॉगिन करके खुद को कॉर्पोरेट के रूप में पंजीकृत करेंगे।
- इकाई द्वारा अपनी मोहर और हस्ताक्षारित पंजीकरण फार्म की स्कैन की हुई प्रति को **helpdesk.evoting@cdslindia.com** पर ई-मेल किया जाना चाहिए।
- लॉगिन ब्योरा प्राप्त होने के बाद, प्रशासनिक लॉगिन और पासवर्ड का उपयोग करते हुए एक अनुपालन उपयोगकर्ता बनाया जाएगा। अनुपालन उपयोगकर्ता खाता (ओं) को लिंक करने में सक्षम होंगे, जिसपर वे वोट देना चाहते हैं।
- खातों की सूची **helpdesk.evoting@cdslindia.com** मेल की जाएगी और खातों के अनुमोदन होने पर वे अपने वोट देने में सक्षम हो जाएंगे ।
- संरक्षक के पक्ष में जारी किए गए की बोर्ड संकल्प और पॉवर अटार्नी (पीओए) की स्कैन प्रति, यदि कोई हो, तो इसे प्रणाली में सत्यापित करने के लिए पीडीएफ प्रारूप में अपलोड किया जाना चाहिए।

(xxi) यदि आपके पास कोई प्रश्न है या ई-वोटिंग से संबंधित कोई मुद्दा है तो, आप www.evotingindia.com पर हेल्प खंड के तहत उपलब्ध सामान्यतः एफएक्यू पर और ईवोटिंग मैनुअल उपयोगकर्ता का संदर्भ ले सकते हैं या आप सीडीएसएल **ई-वोटिंग हेल्पडेस्क**

18002005533 पर संपर्क या **helpdesk.evoting@cdslinda.com** पर मेल कर सकते है या सीडीएसएल के क्षेत्रीय प्रमुख **श्री मलय विश्वास** से **22 कैमक स्ट्रीट, ब्लॉक ए, प्रथम तल, कोलकाता-700016** या निवारण के लिए **9073980266** पर संपर्क करें।

13. वार्षिक आम बैठक के स्थान पर वोटिंग प्रक्रिया

बैंक द्वारा बैठक के स्थान पर मतदान प्रक्रिया का संचालन किया जाएगा। जिन शेयरधारकों ने ईमतदान के विकल्प का चयन नहीं किया है वे **गुरुवार, 20 जून, 2019** के अपनी ईक्विटी शेयरधारिता के आधार पर 27 जून, 2019 को वार्षिक आम बैठक के स्थान पर भागीदारी करने और मतदान करने के लिए हकदार होंगे। मतदान की संख्या निर्धारित तारीख तक उनके द्वारा धारित शेयरों की संख्या के बराबर होगी।

14. रिमोट ईमतदान एवं मतदान का परिणाम

बैठक की समाप्ति के 48 घंटों के भीतर रिमोट ईमतदान तथा बैठक में हुए मतदान का समेकित परिणाम घोषित किया जाएगा। इसे बैंक की वेबसाईट, सीडीएसएल में दिया जाएगा और पब्लिक डोमेन पर स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से जहां बैंक के शेयर सूचीबद्ध हैं, उसे सूचित किया जाएगा।

15. मद सं. 2 से संबंधित सभी तथ्यों का समाधान करने हेतु व्याख्यात्मक विवरण

ईश्यू की पृष्ठभूमि और उद्देश्य:

बैंक बैंकिंग और संबंधित गतिविधियों के व्यवसाय में शामिल है। वर्तमान में बैंक की अधिकृत पूंजी रू 8500 करोड़ है। बैंक की कुल प्रदत्त पूंजी में भारत सरकार की 96.83% शेयरधारिता के साथ आजतक बैंक की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी रू7427.92 करोड़ है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान केन्द्र सरकार ने दो चरणों में टीयर-1 इक्विटी पूँजी लगाया। दिसम्बर, 2018 में केन्द्र सरकार ने बैंक के इक्विटी पूँजी में रू 2159 करोड़ लगाया, जिसके एवज में बैंक ने 11 फरवरी, 2019 को केन्द्र सरकार को 1,81,73,40,067 इक्विटी शेयर आबंटित किया। उसके पश्चात फरवरी, 2019 में केन्द्र सरकार ने बैंक के इक्विटी पूँजी में रू 2839 करोड़ लगाया, जिसके एवज में बैंक ने 29 मार्च, 2019 को केन्द्र सरकार को 2,57,38,89,392 इक्विटी शेयर आबंटित किया।

उक्त वित्तीय वर्ष के दौरान बैंक ने युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया - कर्मचारी शेयर खरीद योजना, 2018 के कार्यान्वयन के माध्यम से पात्र कर्मचारियों को 2,92,02,589 इक्विटी शेयर आबंटित कर रू30.81 करोड़ की उगाही की।

पूँजी दबाव, आरबीआई द्वारा लागू पीसीए एवं केन्द्र सरकार द्वारा दिए गए सलाह को ध्यान में रखते हुए बैंक ने जोखिम धारित आस्तियां (आरडब्लूए), 31 मार्च, 2018 को रू63543 करोड़ से घटाकर 31 मार्च, 2019 को रू59432 करोड़ हो गया है। बैंक के ऋण बही में 31 मार्च, 2018 के रु68692 करोड़ की तुलना में रू73123 करोड़ रहा, जिसका असर लाभप्रदता पर पड़ा। इसके अलावा, बांड लाभ में अस्थिरता, उर्जा क्षेत्र में निरंतर दबाव, एनबीएफसी सेक्टर में दबाव, इन सभी क्षेत्रों में जहां बैंक का पर्याप्त निवेश था, दिवालियापन कूट, 2016 के अंतर्गत संकल्प के साथ-साथ मार्च, 2019 तक आईएफआरएस, माइग्रेशन एवं नये स्लीपेज हेतु एनसीएलटी खाते के संदर्भों में उच्चतर प्रावधान की आवश्यकताओं ने बैंक के संचालन को प्रभावित किया।

31 मार्च, 2019 तक जोखिम भारित आस्तियों में पूंजीगत निधि निम्नप्रकार थी:

ब्योरा (31.03.19 तक)	राशि (रू करोड़ में)	जोखिम भारित आस्तियों की पूँजी निधियों का % (बेसल-III के अंतर्गत) (%)
जोखिम भारित आस्तियां	59432	
टियर 1 पूंजी	6028	10.14
टियर 2 पूंजी	1700	2.86
कुल पूंजी	7728	13.00

व्यावसायिक आस्तियों के विस्तार के लिए बेसल-III दिशानिर्देशों के अंतर्गत न्यूनतम पूंजी और लीवरेज अनुपात की आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से बोर्ड द्वारा जैसा कि तय किया गया/तय किया जाना हो, बैंक इस संबंध में योग्य संस्थानों में प्लेसमेंट (क्यूआईपी) या भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (जारी पूंजी और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम 2018 तथा उक्त तारीख तक संशोधित और सेबी /आरबीआई के अन्य लागू विनियमों/दिशानिर्देशों के अनुसार प्राप्त की गई कोई अनुमति के जरिए सामान्य इक्विटी जुटाने का प्रस्ताव रखता है। क्यूआईपी के माध्यम से प्रतिभूतियों को जारी करने की स्थिति में यह भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (जारी पूंजी और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम 2018 के अध्याय VI के अनुसार होगा।

बैंक के निदेशक मंडल को सक्षम बनाने के उद्देश्य से उचित समय, प्रकार, प्रीमियम और अन्य शर्तों पर इक्विटी शेयर जारी करने हेतु वर्तमान संकल्प प्रस्तावित है।

विशेष प्रस्ताव के संदर्भ में इक्विटी शेयरों का प्रस्तावित इश्यूएंस सभी लागू विधि के प्रावधानों के अनुरूप होगा। आपका निदेशक सूचना में निर्धारित विशेष प्रस्तावों को सिफारिश करता है।

बैंक के कोई भी निदेशक, प्रबंधन से जुड़ा प्रमुख कार्मिक एवं उनके संबंधी बैंक में उनकी शेयरधारिता की सीमा तक ही, यदि कोई हो, उपर्युक्त संकल्प(ओं) में हितबद्ध एवं संबंधित माने जाएंगे।

कृते **युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया**
निदेशक मंडल के आदेशानुसार

ह/-
सुष्मिता मजुमदार
कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी

दिनांक: 13 मई, 2019
स्थान: कोलकाता

NOTICE

NOTICE IS HEREBY GIVEN that pursuant to Regulation 48 of the United Bank of India (Shares & Meetings) Regulation, 2010, the 10th Annual General Meeting of the Shareholders of United Bank of India ('the Bank') will be held on Thursday, June 27, 2019 at 10:00 A.M. at Bhasha Bhawan Auditorium, National Library, Belvedere Road, Alipore, Kolkata - 700027 to transact the following businesses:-

ORDINARY BUSINESS:

Item No. 1: To discuss, approve and adopt the Balance Sheet, Profit & Loss Account of the Bank as at and for the year ended 31st March, 2019, the Report of the Board of Directors on the workings and activities of the Bank for the period covered by the Accounts and the Auditor's Report on the Balance Sheet and Accounts.

SPECIAL BUSINESS:

Item No. 2: To raise Equity Capital

To consider and if thought fit, pass the following resolution(s) as a Special Resolution:

"RESOLVED THAT, pursuant to the applicable provisions of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 ("the Act"), the Nationalized Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 ("the Scheme"), the Banking Regulation Act, 1949 ("the Bank Regulation Act"), the United Bank of India (Shares & Meetings) Regulations, 2010 ("the Bank Regulations"), Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 ("SEBI ICDR Regulations") as amended, the Foreign Exchange Management Act, 1999 ("FEMA"), the Foreign Exchange Management (Transfer or Issue of Security by a Person Resident outside India) Regulations, 2017, (including any statutory amendments thereto or modifications or re-enactments thereof for the time being in force) and the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, ("SEBI Listing Regulations"), SEBI circular no(s). CIR/CFD/CMD/14/2015 dated 30.11.2015 and SEBI/HO/CFD/CMD/ CIR/P/43/2018 dated 22.02.2018 on achievement of minimum public shareholding, approval by the Bank's Board of Directors at its meeting dated May 13, 2019 and subject to the approvals of the Government of India ("GoI"), Securities and Exchange Board of India ("SEBI"), Reserve Bank of India ("RBI"), Stock Exchanges on which the Bank's shares are listed, and approvals of all other statutory, government authorities and departments as may be applicable in this regard, and such other approvals, consents, permissions and sanctions, as may be necessary, and subject to such conditions and modifications as may be prescribed or imposed by any of them while granting such approvals, consents, permissions and sanctions and which may be agreed to by the Board of Directors of the Bank (hereinafter referred to as the "Board" which term shall include a duly authorised Committee or Executive(s) for the time being exercising the powers conferred by the Board in this regard), the consent of the shareholders be and is hereby accorded to create, offer, issue and allot such number of Equity Shares of face value of Rs. 10/- each up to an aggregate amount not exceeding Rs.1500 crore in one or more tranches to Qualified Institutional Buyers ("QIBs") under the Qualified Institutions Placement ("QIP"), in terms of the provisions of Chapter VI of SEBI ICDR Regulations or by way of Public Issue, Rights Issue in terms of SEBI ICDR Regulations or such other forms of capital issue(s) as mentioned under SEBI circular no(s).CIR/CFD/CMD/14/2015 dated 30.11.2015 and SEBI/HO/CFD/CMD/CIR/P/43/2018 dated 22.02.2018, with or without a placement document and/ or such other documents/ writings/ circulars / memoranda in such manner as may be prescribed, at such price including premium and on such terms and conditions as may be determined by the Board at an appropriate time in consultations with the Merchant Banker(s)/ Consultants/ Intermediaries appointed and/or to be appointed by the Bank in relation to such issue and on such terms and conditions as may be finalized by the Board/Committee and that the Board/ Committee be and is hereby authorized to finalize all matters incidental thereto as it may in its absolute discretion think fit."

"RESOLVED FURTHER THAT, the Board be and is hereby authorised to decide the size of one or more capital issue(s), the price(s) of the issue(s) in accordance with the relevant regulatory guidelines and in such manner as it thinks fit and proper, wherever necessary in consultation with the Merchant Bankers and/or underwriters and/or other advisors or otherwise, the terms and conditions of the issue(s), as the Board/Committee may in its absolute discretion decide in accordance with such laws, rules, regulations including SEBI ICDR Regulations, guidelines, notifications, directions as may be applicable."

"RESOLVED FURTHER THAT in case of a Qualified Institutions Placement pursuant to Chapter VI of the SEBI ICDR Regulations-

a. the allotment of Securities shall only be to the Qualified Institutional Buyers within the meaning of Chapter VI of the SEBI ICDR Regulations, such securities shall be fully paid-up and the allotment of such securities shall be completed within 365 days from the date of this resolution.

b. the Bank is, pursuant to proviso to Regulation 176(1) of SEBI ICDR Regulations, authorized to offer shares at a discount of not more than five percent on the floor price determined in accordance with the SEBI ICDR Regulations.

c. the relevant date for the determination of the floor price of the securities shall be in accordance with the SEBI ICDR Regulations."

"RESOLVED FURTHER THAT, the Board/Committee be and is hereby authorised to accept any modification in the proposal as may be required or imposed by the GOI/ RBI/ SEBI/ Stock Exchanges or such other appropriate authorities at the time of granting their approvals, consents, permissions and sanctions to the issuance, allotment and listing thereof and as agreed to by the Board."

"RESOLVED FURTHER THAT, the issuance and allotment of new equity shares / securities if any, to NRIs, FIIs and/ or other eligible foreign investors be subject to the approval of the RBI under FEMA as may be applicable but within the overall limits set forth under the said Act".

"RESOLVED FURTHER THAT, the fresh equity shares to be issued be subject to the United Bank of India (Shares & Meetings) Regulations, 2010 as amended and shall rank pari passu with the existing equity shares of the Bank in all respects including dividend and other corporate benefits made available to shareholders by the Bank, if any, in accordance with the statutory guidelines that are in force at the time of such declaration."

"RESOLVED FURTHER THAT, the Board be and is hereby authorized to enter into and execute all such arrangements, agreements, memoranda, documents, etc. with all intermediaries including Merchant Banker(s), Banker(s), Underwriter(s), Depository(ies) and all such agencies/intermediaries as may be involved or concerned in such offering of equity shares/ securities and to remunerate all such institutions and agencies by way of commission, brokerage, fees or the like."

"RESOLVED FURTHER THAT, for the purpose of giving effect to the above, the Board in its absolute discretion, whether or not in consultation with the Merchant Bankers, Underwriters, Advisors and/or other persons/ intermediaries as appointed by the Bank, be and is hereby authorized to determine the form and terms of the issue(s), including the class of investors to whom the shares/ securities are to be allotted, number of shares/ securities to be allotted in each tranche, issue price (including premium, if any), face value, premium amount on issue/conversion/exercise of warrants/redemption of securities, rate of interest, redemption period, number of equity shares/ securities upon conversion or redemption or cancellation of the securities, the price, premium or discount on issue/conversion of securities, rate of interest, period of conversion, fixing of record date or book closure and related or incidental matters, listings on one or more stock exchanges in India and/or abroad, disposing off the unsubscribed shares/ securities in an issue as permissible under applicable laws, rules & regulations, as the Board may deems fit."

"RESOLVED FURTHER THAT, for the purpose of giving effect to any issue or allotment of equity shares/ securities, the Board, be and is hereby authorized to determine in its absolute discretion the terms of the public offer, including the class of investors to whom the securities are to be allotted, the number of shares/ securities to be allotted in each tranche, issue price,

premium amount and do all such acts, deeds, matters and things and execute such deeds, documents and agreements, as the Board may, in its absolute discretion, deem necessary, proper or desirable, and to settle or give instructions or directions for settling any questions, difficulties or doubts that may arise in regard to the public offer, issue, allotment and utilization of the issue proceeds, and to accept and give effect to such modifications, changes, variations, alterations, deletions, additions as regards the terms and conditions as the Board may in its absolute discretion, deem fit and proper in the best interest of the Bank, without requiring any further approval of the members or authorise to the end and intent, that the shareholders shall be deemed to have given their approval thereto expressly by the authority of the Resolution and that all or any of the powers conferred on the Bank and the Board vide this resolution be exercised by the Board of Directors."

"RESOLVED FURTHER THAT, the Board be and is hereby authorized to delegate all or any of the powers herein conferred to the Managing Director & CEO and/or the Executive Director/(s) for giving effect to the aforesaid Resolutions."

For UNITED BANK OF INDIA
By order of the Board of Directors

Sd/-
Sushmita Mazumder
Company Secretary & Compliance Officer

Date: May 13, 2019
Place: Kolkata

NOTES:

1. The Explanatory Statement setting out the material facts in respect of the business at Item No. 2 at the Meeting is annexed hereto.

2. **APPOINTMENT OF PROXY**

 Pursuant to Regulation 60(iii) of the Bank Regulations a shareholder entitled to attend and vote at the meeting, is also entitled to appoint another person as his/her proxy to attend and vote instead of himself/ herself and such a proxy need not be a shareholder of the Bank.

 In terms of Regulation 62(ii) of the Bank Regulations, the proxy form in order to be effective must be received by the Bank at its **Share Department & Investors' Grievance Cell**, Head Office, 4th Floor, 11, Hemanta Basu Sarani, Kolkata - 700001 not less than four working days before the date of the Meeting i.e. on or before the closing business hours of **Thursday, June 20, 2019**.

 The proxy so appointed shall not have any right to speak at the Meeting.

 An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.

 In case an instrument of proxy is granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.

 The grantor of an instrument of proxy under Regulation 62(vi) of the Bank Regulations shall not be entitled to vote in person at the meeting.

 No person shall be appointed a Proxy who is an officer or employee of the Bank.

3. **APPOINTMENT OF AUTHORISED REPRESENTATIVES**

 Pursuant to Regulation 61(i) of the Bank Regulations, a shareholder, being the Central Government or a Company, may by a resolution, as the case may be, authorise any of its officials or any other person to act as its representative at the Meeting and the person so authorised shall be entitled to exercise the same powers on behalf of the Central Government or the Company which he/she represents, as if he/she was an individual shareholder of the Bank.

 The authorization so granted may be in favour of two persons in the alternative and in such a case any one of such persons may act as the duly authorized representative of the Central Government or the Company.

 In terms of Regulation 61(ii) of the Bank Regulations, no person shall attend or vote at the Meeting as the duly authorised representative of the Company unless a certified to be a true copy of the resolution appointing him/her as such signed by the Chairman of the Meeting at which it was passed, is deposited to the Bank at its **Share Department & Investors' Grievance Cell**, Head Office, 4th Floor, 11, Hemanta Basu Sarani, Kolkata - 700001 not less than four working days before the date of the Meeting i.e. on or before the closing business hours of **Thursday, June 20, 2019**.

 No person shall be appointed as an authorized representative who is an officer or employee of the Bank.

4. **ATTENDANCE SLIP-CUM-ENTRY PASS**

 For the convenience of the shareholders, attendance slip-cum-entry pass is annexed to this Notice. Shareholders/Proxy holders/Authorised Representatives are requested to fill in and affix their signatures in the space provided therein and surrender the same at the venue of the Meeting. Proxy/ Authorised Representatives of shareholders should state on their Attendance Slip-cum-Entry Pass as 'Proxy' or 'Authorised Representative' as the case may be.

5. **CLOSURE OF REGISTER OF SHAREHOLDERS**

 Pursuant to the provisions of Regulation 12 of the Bank Regulations, the Register of Shareholders and the Transfer

Books of the Bank will remain closed from, **Friday, June 21, 2019** to **Thursday, June 27, 2019** (both days inclusive) in connection with the Annual General Meeting of the Bank.

6. REQUESTS TO THE SHAREHOLDERS

6.1. Copies of Balance Sheet

Shareholders are requested to carry their copies of the Annual Report which are mailed to their Registered Addresses. Copies of the Annual Report will not be distributed at the venue of the Meeting.

6.2. Dematerialization of Shares

Shareholders who are holding their shares in physical form are requested to get their shares dematerialized.

6.3. Information on Accounts

Shareholders seeking information/ clarification with regard to accounts are requested to write to the Bank at least four days prior to the Annual General Meeting so as to enable the Bank to keep the information ready.

6.4. Consolidation of Folios

Shareholders who hold shares in physical form in multiple folios in identical names or joint names in the same order of names are requested to send their share certificates to the Share Transfer Agent of the Bank, M/s. Link Intime India Pvt. Ltd., for consolidation into a single folio.

6.5. Notifying Change of Address

Shareholders are requested to notify any change in their address or bank account details to –

a. Respective Depository Participants in respect of the shares held in electronic forms;

b. The Registrar & Share Transfer Agent in respect of shares held in physical form at the following address –

M/s. Link Intime India Pvt. Ltd.
(Unit: United Bank of India),
59C, Chowringhee Road, 3rd floor,
Kolkata - 700020

6.6. Recording of Change of Status

Non Resident shareholders are requested to inform the Registrar & Share Transfer Agent, Link Intime India Pvt. Ltd. immediately upon change in –

a. their Residential Status on return to India.

b. particulars of Bank Account in India with complete bank name, bank branch, account type, account no., MICR code, IFS code, address of the Bank with PIN, if not submitted earlier.

6.7. Unclaimed Dividend, if any

As per Section 10B of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, the amount of dividend remaining unpaid or unclaimed for a period of seven years is required to be transferred to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established by the Central Govt. under Section 125 of the Companies Act, 2013. The Bank had, accordingly, transferred the unclaimed and unpaid dividend amount pertaining to FY 2010-11 on 1st October, 2018 to the Investor Education and Protection Fund. The Bank shall be transferring the unclaimed/unpaid dividend for the FY 2011-12 lying in the 'United Bank of India – Unpaid Dividend Account for the financial year 2011-12' to the Investor Education & Protection Fund within 30 days of such amount becoming due to be credited to the Fund, i.e. on or before August 4, 2019. The shareholders who have still not claimed their dividend lying in the unpaid/unclaimed dividend account are requested to contact the Registrar & Share Transfer Agent of the Bank immediately.

7. **UNCLAIMED SHARES**

As on 01.04.2018	Shares transferred during the Year	Balance in Suspense Account As on 31.03.2019
4762	Nil	4762

The voting rights in respect of the unclaimed/outstanding shares shall remain frozen till claimed by the rightful owners.

The Bank has uploaded the details of unclaimed shares on the website for ready reference of the shareholders.

8. COMPULSORY TRADING OF SHARES OF THE BANK IN DEMATERIALISED (DEMAT) FORM

Bank's shares have been allotted and are compulsorily traded on the Stock Exchanges in dematerialized form only.

The Bank has entered into an agreement with National Securities Depository Ltd. (NSDL) and Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL) as an issuer Company for dematerialization of Bank's shares.

Request for dematerialization may be sent through respective depository participants to our Registrar & Share Transfer Agent i.e., **M/s. Link Intime India Pvt. Ltd.**

9. DIVIDEND

Considering the Bank is placed under Prompt Corrective Action by the Reserve Bank of India, the net loss reported by the Bank for the Financial Year, and in line with the Dividend Distribution Policy of the Bank, the Board of Directors of the Bank has not recommended dividend for the Financial Year 2018-19.

10. SHAREHOLDERS' QUERIES

It will be appreciated if shareholders submit their queries, if any, sufficiently in advance to facilitate effective response from the Bank. Queries may be sent to the–

Share Department & Investors' Grievance Cell,
United Bank of India,
Head Office, 4th floor,
11, Hemanta Basu Sarani,
Kolkata - 700001

or emailed to **investors@unitedbank.co.in**

11. VOTING RIGHTS

Pursuant to the provisions of Section 3(2E) of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, no shareholder of the Bank other than the Central Government, shall be entitled to exercise voting rights in respect of any shares held by him/her in excess of 10% of the total voting rights of all shareholders of the Bank.

As per Regulation 10 of the Bank Regulations, if any share stands in the names of two or more persons, the person first named in the register shall, as regards voting, be deemed to be the sole holder thereof. Thus, if shares are in the name of joint holders, then first named person is only entitled to attend the Meeting and vote on the Agenda items either through remote e-voting or voting at the Meeting.

12. E-VOTING

The Bank shall provide remote e-voting facility as per Regulation 44 of the SEBI Listing Regulations through Central Depository Services (India) Limited (CDSL) to all shareholders of the Bank to enable them to cast their votes electronically on the agenda items mentioned in this Notice of the 10th Annual General Meeting to be held on Thursday, June 27, 2019.

Remote e-voting is optional. In addition to remote e-voting, the shareholders shall have the option of voting at the venue of the Meeting. Shareholders who have cast their votes by remote e-voting may attend the Meeting but shall not be entitled to cast their votes thereat.

The Bank has appointed M/s. S. N. Ananthasubramanian & Co., Company Secretaries as the Scrutinizer for conducting the remote e-voting process and voting at the venue of the Meeting in a fair and transparent manner.

The voting rights, at the remote e-voting and voting at Meeting, of the equity shares held by the shareholders/ beneficiary owners shall be reckoned in respect of the equity shares held by them as on **Thursday, June 20, 2019 (the Cut-off Date)**.

The remote e-voting period shall begin at **10.00 hrs. (IST) on Monday, June 24, 2019** and end at **17.00 hrs. (IST) on Wednesday, June 26, 2019**. During this period shareholders of the Bank, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date, may cast their vote electronically. The remote e-voting module shall be disabled by CDSL for voting thereafter.

The instructions for shareholders voting electronically are as under:

i. Log on to the e-voting website www.evotingindia.com

ii. Click on **"Shareholders/Members"**.

iii. Enter your **User ID**.

 a) For CDSL: 16 digits beneficiary ID.

 b) For NSDL: 8 Character DP ID followed by 8 Digits Client ID.

 c) Members holding shares in Physical Form should enter Folio Number registered with the Bank.

iv. Enter the **Image Verification** as displayed and Click on **"Login"**.

v. If you are holding shares in demat form and had logged on to www.evotingindia.com and voted on an earlier voting of any company/entity, then your existing password is to be used. If you are a first time user follow the steps given below-

vi. Fill up the following details in the appropriate boxes:

For Members holding shares in Demat Form and Physical Form

PAN	Enter your 10 digit alpha-numeric **PAN** issued by Income Tax Department (Applicable for both demat shareholders as well as physical shareholders) • Members who have not updated their PAN with the Bank/Depository Participant are requested to use the **first two letters of their name and the last 8 digits of the sequence number in the PAN field.** • **In case the sequence number is less than 8 digits enter the applicable number of 0's before the number after the first two characters of the name in CAPITAL letters.** Eg. If your name is Ramesh Kumar with sequence number 1 then enter RA00000001 in the PAN field
Dividend Bank Details or DOB	Enter the **Dividend Bank Details or Date of Birth** (in dd/mm/yyyy format) as recorded in your demat account or in the Bank records in order to login • If both the details are not recorded with the depository or Bank please enter the member id/ folio number in the Dividend Bank details field as mentioned in instruction (iii).

vii. After entering these details appropriately, click on **"SUBMIT"** tab.

viii. Members holding shares in physical form will then directly reach the Company selection screen. However, members holding shares in demat form will now reach 'Password Creation' menu wherein they are required to

mandatorily enter their login password in the new password field. Kindly note that this password is to be also used by the demat holders on voting for resolutions of any other company/ entity on which they are eligible to vote, provided that company/ entity opts for e-voting on the CDSL platform. It is strongly recommended not to share your password with any other person and take utmost care to keep your password confidential.

ix. For members holding shares in physical form, the details can be used only for remote e-voting on the resolutions contained in this Notice.

x. Click on the **EVSN** of United Bank of India to vote.

xi. On the voting page, you will see **"RESOLUTION DESCRIPTION"** and against the same the option **"YES/ NO"** for voting. Select the option **"YES"** or **"NO"** as desired. The option **"YES"** implies that you assent to the Resolution and option **"NO"** implies that you dissent to the Resolution.

xii. Click on the **"RESOLUTIONS FILE LINK"** if you wish to view the entire Resolution.

xiii. After selecting the resolution you have decided to vote on, click on **"SUBMIT"**. A confirmation box will be displayed. If you wish to confirm your vote, click on **"OK"**, else to change your vote, click on **"CANCEL"** and accordingly modify your vote.

xiv. Once you **"CONFIRM"** your vote on the resolution, you will not be allowed to modify your vote.

xv. You can also take out print of the voting done by you by clicking on **"Click here to print"** option on the Voting page.

xvi. If Demat account holder has forgotten the changed login password then enter the User ID and the image verification code and click on **"Forgot Password"** & enter the details as prompted by the system.

xvii. Login to e-voting website will be disabled upon five unsuccessful attempts to key-in the correct password. In such an event, you will need to go 'Forgot Password' option available on the website to reset the same.

xviii. Your Login id and existing password can be used by you exclusively for e-voting on the resolution(s) placed by the companies/entities in which you are a shareholder.

xix. Members can also cast their vote using CDSL's mobile app **"m-Voting"**. The m-Voting app can be downloaded from Google Play Store, App Store and the Windows Phone Store for Android, IOS and Windows users respectively.

xx. **Note for Non-Individual Members and Custodians**

- Non-Individual Members (i.e. other than Individuals, HUF, NRI etc.) and Custodian are required to log on to www.evotingindia.com and register themselves as Corporate.
- A scanned copy of the Registration Form bearing the stamp and sign of the entity should be emailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com.
- After receiving the login details a compliance user should be created using the admin login and password. The Compliance user would be able to link the account(s) for which they wish to vote on.
- The list of accounts should be mailed to helpdesk.evoting@cdslindia.com and on approval of the accounts they would be able to cast their vote.
- A scanned copy of the Board Resolution or Power of Attorney (POA) which they have issued in favour of the Custodian, if any, should be uploaded in PDF format in the system for the scrutinizer to verify the same.

xxi. In case of any queries/ issues regarding e-voting and for generation of Login id and password, you may refer to the FAQ and e-voting manual available in the Help Section on www.evotingindia.com or you may contact

CDSL e-voting helpdesk at **18002005533** or email at **helpdesk.evoting@cdslindia.com** or may contact **Mr. Moloy Biswas**, Regional Head at CDSL at **22 Camac Street, Block A, 1st Floor, Kolkata-700016** or on **9073980266** for redressal.

13. VOTING AT THE VENUE OF THE ANNUAL GENERAL MEETING

The Bank shall conduct voting at the venue of the Meeting. The shareholders who do not opt for remote e-voting shall be entitled to participate and vote at the venue of the Annual General Meeting on June 27, 2019 based on their equity shareholding as on **Thursday, June 20, 2019**. The number of votes shall be equivalent to the number of shares held by them on those dates.

14. RESULTS OF REMOTE E-VOTING AND VOTING

The consolidated results of remote e-voting and voting at the Meeting venue shall be announced within 48 hours of the conclusion of the Meeting by hosting the same on the website of the Bank, CDSL and by dissemination of the same in the public domain through the Stock Exchanges on which the Bank's equity shares are listed.

15. EXPLANATORY STATEMENT SETTING OUT MATERIAL FACTS W.R.T ITEM NO. 2:

Background and Object of the Issue:

The Bank is in the business of the banking and related activities. Presently, the Authorized Capital of the Bank is Rs.8500cr. The Paid-up Equity Share Capital of the Bank as on date is Rs.7427.92cr. with Government of India holding 96.83% of the total paid-up capital of the Bank.

During the Financial Year 2018-19, Central Government infused Tier-1 equity capital in two tranches. In December, 2018, the Central Government infused Rs. 2159cr. in the equity capital of the Bank against which the Bank allotted 1,81,73,40,067 equity shares to the Central Government on 11th February, 2019. Thereafter, in February, 2019, the Central Government infused Rs. 2839cr. in the equity capital of the Bank against which 2,57,38,89,392 equity shares were allotted to the Central Government on 29th March 2019.

During the said FY, the Bank has raised Rs. 30.81cr. by allotting 2,92,02,589 equity shares to its eligible employees by implementation of the United Bank of India - Employee Share Purchase Scheme, 2018.

In view of the capital constraints, imposition of PCA by the RBI, and as advised by the Central Government, the Bank maintained its Risk Weighted Assets (RWA) at a reduced level of Rs. 59432cr. as on 31.03.2019 from Rs. 63543cr. as on March 31, 2018. Bank's loan book remained at Rs. 73123cr. vis-à-vis Rs.68692cr. as on March 31, 2018 having its consequent bearing on its profitability. Moreover, volatility in the bond yields, continued stress in the power sector, stress in the NBFC sector, in all of which the Bank was having substantial exposures, the higher provisioning requirements on account of references of NPA accounts to NCLT for resolutions under the lnsolvency & Bankruptcy Code, 2016 along with migration & fresh slippages, transition to IFRS by March, 2019, also affected the operations of the Bank.

The Capital fund to Risk Weighted Assets as on March 31, 2019 was as under:

Particulars (As on 31.03.19)	Amount (₹ in cr.)	% of capital funds to risk weighted asset (under BASEL III) (%)
Risk Weighted Assets	59432	
Tier-I Capital	6028	10.14
Tier-II Capital	1700	2.86
Total Capital	7728	13.00

In order to meet the Minimum Capital and Leverage Ratio requirements under the BASEL- III guidelines for expansion of business assets, as decided/may be decided by the Board, the Bank proposes to raise common equity by way of Qualified Institutions Placement (QIP) or any other permitted mode in accordance with Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations 2018 and as amended up to date and other applicable Regulations/ Guidelines of SEBI/RBI in this regard. In the event of such issuance of securities is undertaken by way of QIP, the same will be in accordance with Chapter VI of Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations 2018.

The present resolution is proposed in order to enable the Board of Directors of the Bank to issue equity shares at an appropriate time, mode, premium and other terms.

The proposed issuance of Equity Shares in terms of the Special Resolution will be in conformity with the provisions of all applicable laws. Your Directors recommend, the Special Resolutions as set out in the Notice.

None of the Directors, Key Managerial Personnel of the Bank and their relatives may be deemed to be interested or concerned in the aforementioned Resolution(s), except to the extent of their shareholding, if any, in the Bank.

For UNITED BANK OF INDIA
By order of the Board of Directors

Sd/-
Sushmita Mazumder
Company Secretary & Compliance Officer

Date: May 13, 2019
Place: Kolkata

[वार्षिक रिपोर्ट अलग से भेजी जाएगी]

[The Annual Report is being sent separately]

सुपुर्द न होने के मामले में कृपया निम्नलिखित पते पर लौटाएं:

मेसर्स लिंक इनटाइम इंडिया प्रा. लि.

यूनिट: युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया

59सी, चौरंगी रोड, कोलकाता-700020

If undelivered please return to:

M/s. Link Intime India Pvt. Ltd.

(Unit: United Bank of India)

59C, Chowringhee Road, Kolkata-700020

florenceoffset@yahoo.co.in

युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया/ United Bank of India

प्रधान कार्यालय/Head Office :11 हेमन्त बसु सरणी, कोलकाता – 700001 / 11, Hemanta Basu Sarani, Kolkata - 700001

प्रॉक्सी फार्म (फार्म 'बी')/PROXY FORM (FORM `B')

(शेयरधारक द्वारा भरा और हस्ताक्षरित किया जाना है/ To be filled in and signed by the Shareholder)

पंजीकृत फोलियो /डीपी आईडी/क्लाइंट आईडी / Redg. Folio/ DP ID/ Client ID	
शेयरों की संख्या / Number of Shares	

मै/हम/I/Weनिवासी/resident(s) of.....
जिला/ in the district ofराज्य/ in the state ofयुनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, कोलकाता का/की/के शेयरधारक होने की हैसियत से एतद्वारा being a shareholder / shareholder(s) of United Bank of India, Kolkata hereby appoint श्री/श्रीमती/ Shri/Smt.निवासी/ resident of.....
जिला/ in the district of..... राज्य/ in the state of.....या उनके नहीं आने पर श्री/श्रीमती/ or failing him / her, Shri/ Smt.निवासी/resident of.....
जिला/ in the district of..... राज्य/in the state of.....को अपने/ हमारे प्रतिनिधि के रूप में गुरूवार, 27 जून 2019, को पूर्वाह्न 10.00 बजे, भाषा भवन सभागार, राष्ट्रीय पुस्तकालय, वेलवेडियर रोड, अलीपुर, कोलकाता-700027 में आयोजित होने वाली युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया के शेयरधारकों की 10वीं वार्षिक आम बैठक में मेरे/ हमारे बदले मतदान देने हेतु नियुक्त करता/करती हूं/करते हैं एवं किसी स्थगन की स्थिति में भी मतदान करने के लिए नियुक्त किया जाता है।/ as my/ our proxy to vote for me/ us and on my / our behalf at the 10th Annual General Meeting of the Shareholders of United Bank of India to be held on Thursday, June 27, 2019 at 10.00 a.m. at Bhasha Bhawan Auditorium, National Library, Belvedere Road, Alipore, Kolkata - 700027 and at any adjournment thereof.

दिनांक 2019 को इस पर हस्ताक्षर किया / Signed this..... day of..... 2019.

राजस्व टिकट चिपकाएं Please Affix Revenue Stamp

प्रॉक्सी का हस्ताक्षर/ Signature of Proxy

प्रथम नामित/मुख्य शेयरधारक का हस्ताक्षर
Signature of First named/Sole Shareholder

नाम/Name :
पता/Address :

प्रॉक्सी फॉर्म पर हस्ताक्षर और प्रस्तुत करने के लिए अनुदेश / INSTRUCTIONS FOR SIGNING AND LODGING THE PROXY FORM

1. कोई भी लिखत प्रॉक्सी तभी मान्य होगा जब -
 क) व्यक्तिगत शेयरधारक के मामले में उसके या उसके अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षरित / लिखित रूप से विधिवत प्राधिकृत किया गया हो,
 ख) संयुक्त धारकों के मामले में रजिस्टर में प्रथम नामित शेयरधारक या उसके अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षरित / लिखित रूप से विधिवत प्राधिकृत किया गया हो,
 ग) कॉर्पोरेट निकाय के मामले में विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि या लिखित रूप से विधिवत प्राधिकृत एक अटॉर्नी द्वारा हस्ताक्षरित किया गया हो। यह नोट किया जाए कि विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि /प्रॉक्सी नियुक्त करने के अधिकार का संकल्प, बैठक के अध्यक्ष द्वारा इसकी वास्तविक प्रति सत्यापित की गई हो उसकी प्रति संलग्न किया जाना है।

 No instrument of proxy shall be valid unless -
 a) in the case of an individual shareholder, it is signed by him/her or his/her attorney, duly authorised in writing,
 b) in the case of joint holders, it is signed by the shareholder first named in the register or his / her attorney, duly authorised in writing,
 c) in the case of a body corporate signed by the duly authorized representative or an attorney duly authorised in writing. It is to be noted that the resolution appointing him/her as a duly authorized representative/power to appoint a proxy, certified to be true copy by the chairman of the meeting is to be attached.
2. जो शेयरधारक किसी कारणवश अपना नाम लिखने में असमर्थ हो, उसके द्वारा जमा की गई लिखत प्रॉक्सी पर्याप्त रूप से हस्ताक्षरित मानी जाएगी यदि उस पर उसके अंगूठे का निशान लिया गया हो और वह न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, बीमा कंपनी के रजिस्ट्रार या उप रजिस्ट्रार या अन्य सरकारी राजपत्रित अधिकारी या युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के अधिकारी द्वारा सत्यापित किया गया हो।

 An instrument of proxy shall be sufficiently signed by any shareholder, who is, for any reason, unable to write his / her name, if his / her thumb impression is affixed thereto and attested by a Judge, Magistrate, Registrar or Sub-Registrar of Assurances or other Government Gazetted Officer or an Officer of United Bank of India.
3. प्रॉक्सी के साथ
 क) पॉवर ऑफ अटॉर्नी या अन्य प्राधिकार (यदि कोई हो) जिसके तहत यह हस्ताक्षरित किया गया है, या
 ख) नोटरी पब्लिक या मजिस्ट्रेट द्वारा सत्यापित पॉवर ऑफ अटॉर्नी या प्राधिकार की एक प्रति **शेयर विभाग एवं निवेशक शिकायत कक्ष, प्रधान कार्यालय, युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, 11 हेमंत बसु सरणी, कोलकाता – 700001, को 10वीं वार्षिक आम बैठक की तारीख से कम से कम चार दिन पहले अर्थात गुरूवार, 20 जून 2019 को बैंक के कार्यकाल की समाप्ति से पहले (शाम 05:00 बजे तक)** जमा किया जाए ।

 The proxy together with
 a) the power of attorney or other authority (if any) under which it is signed, or
 b) a copy of the power of attorney or authority, certified by a Notary Public or a Magistrate, should be deposited at the **Head Office of United Bank of India with the Share Department & Investors' Grievance Cell, 11, Hemanta Basu Sarani, Kolkata - 700001** not less than **FOUR DAYS** before the date of the 10th Annual General Meeting i.e. **on or before the closing hours of the Bank on Thursday, June 20, 2019 by 5.00 p.m.**
4. कोई लिखत प्रॉक्सी तब तक मान्य नहीं होगा जब तक कि इस पर विधिवत मुहर न लगी हो और यह विनियम के प्रपत्र'बी'में न हो।
 No instrument of Proxy shall be valid unless it is duly stamped and in Form'B'of the Regulation.
5. बैंक में जमा लिखत प्रॉक्सी अविकल्पी और अंतिम होगा।
 An instrument of proxy deposited with the Bank shall be irrevocable and final.
6. दो अनुदानग्राही वैकल्पिक के पक्ष में दी गई लिखत प्रॉक्सी के मामले में एक से अधिक फार्म निष्पादित नहीं किया जाएगा।
 In the case of an instrument of proxy granted in favour of two grantees in the alternative, not more than one form shall be executed.
7. शेयरधारक जो लिखत प्रॉक्सी को निष्पादित करते हैं वे संबंधित वार्षिक आम बैठक में मतदान करने के हकदार नहीं होगें ।
 The shareholder who has executed an instrument of proxy shall not be entitled to vote in person at the Annual General Meeting to which such instrument relates.
8. युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को विधिवत प्राधिकृत प्रतिनिधि या प्रॉक्सी के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा । No person shall be appointed as duly authorised representative or a proxy who is an officer or an employee of United Bank of India.

युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया/United Bank of India

प्रधान कार्यालय/Head Office :11 हेमन्त बसु सरणी, कोलकाता – 700001 / 11, Hemanta Basu Sarani, Kolkata - 700001

गुरुवार, 27 जून, 2019/ Thursday, June 27, 2019 समय: पूर्वाह्न 10.00 बजे/ Time: 10.00 a.m.	**10वीं वार्षिक आम बैठक / 10th Annual General Meeting**	**भाषा भवन सभागार, राष्ट्रीय पुस्तकालय, वेलवेडियर रोड, अलीपुर, कोलकाता– 700027 / Bhasha Bhawan Auditorium, National Library, Belvedere Road, Alipore, Kolkata - 700027**

उपस्थिति पर्ची /ATTENDANCE SLIP

(आयोजन स्थल में प्रवेश करते समय इसे जमा किया जाए/To be surrendered at the time of Entry to the Venue)

मै एतद्वारा गुरूवार, 27 जून 2019 को आयोजित बैंक के 10वीं वार्षिक आम बैठक में उपस्थिति दर्ज करता/ करती हूं । / I hereby record my presence at the 10th Annual General Meeting of the Bank held on Thursday, June 27, 2019.

शेयरधारक/ प्रॉक्सी/ प्रतिनिधि का हस्ताक्षर **Signature of the Shareholder/Proxy/ Representative**			
रजिस्टर्ड फोलियो सं. Regd. Folio No.		डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी /**DP ID & Client ID**	
शेयरधारक का नाम /Name of the Shareholder			
शेयरों की संख्या / Number of Shares			

ईवीएसएन/EVSN	यूजर आईडी/User ID	क्रम सं।/ Sequence No.	दिन/माह/वर्ष में डिफॉल्ट जन्म तिथि Default DOB in dd/mm/yy लाभांश बैंक ब्योरा (जहां जन्म तिथि पंजीकृत नहीं है) Dividend Bank Details (Where DOB not registered)
190521002			

ई–मतदान सोमवार, 24 जून 2019 को 10.00 बजे शुरू होगा। E-voting begins on Monday, June 24, 2019 at 10.00hrs. (IST)	**ई–मतदान बुधवार, 26 जून 2019 को शाम 17.00 बजे समाप्त होगा E-voting ends on Wednesday, June 26, 2019 at 17.00hrs (IST)**

ई–मतदान ब्योरा के लिए एजीएम नोटिस की बिन्दु सं 12 देखें/Please refer to point no. 12 in the AGM Notice for details on e-voting.

प्रवेश पत्र /ENTRY PASS

शेयरधारक/ प्रॉक्सी/ प्रतिनिधि का हस्ताक्षर **Signature of the Shareholder/Proxy/ Representative**			
रजिस्टर्ड फोलियो सं. Regd. Folio No.		डीपी आईडी और क्लाइंट आईडी /**DP ID & Client ID**	
शेयरधारक का नाम /Name of the Shareholder			
शेयरों की संख्या / Number of Shares			

शेयरधारक/ प्रॉक्सी अथवा शेयरधारकों के प्राधिकृत प्रतिनिधि से अनुरोध है कि वे इस आयोजन स्थल में प्रवेश हेतु बैंक में अभिलिखित अपने नमूना हस्ताक्षर के अनुसार हस्ताक्षरित उपर्युक्त उपस्थिति पर्ची सहित प्रवेश–पत्र प्रस्तुत करें। हालांकि, आवश्यकता पड़ने पर यह प्रवेश सत्यापन/ जांच के अधीन होगा । किसी भी परिस्थिति में उपस्थिति पर्ची की दूसरी प्रति इस बैठक में प्रवेश हेतु जारी नहीं की जाएगी।

Shareholders/ proxy or authorised representative of shareholders are requested to produce the above attendance slip, duly signed in accordance with their specimen signatures registered with the Bank, along with the entry pass, for admission to the venue. The admission will, however, be subject to verification/checks, as may be deemed necessary. Under no circumstances, any duplicate attendance slip will be issued at the entrance to the Meeting.

युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया
(भारत सरकार का उपक्रम)
आपका बैंक

United Bank of India
(A Govt. of India Undertaking)
The Bank that begins with U

www.unitedbankofindia.com

वार्षिक रिपोर्ट
ANNUAL REPORT
2018-2019

युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया
प्रधान कार्यालय
युनाइटेड टावर, 11, हेमन्त बसु सरणी, कोलकाता–700 001
www.unitedbankofindia.com

United Bank of India
Head Office
United Tower, 11, Hemanta Basu Sarani, Kolkata-700 001
www.unitedbankofindia.com

विषय-सूची

- निदेशक मंडल 2
- मुख्य सतर्कता अधिकारी एवं महाप्रबंधकगण 3-4
- बैंक का संक्षिप्त इतिहास और संकल्प 5
- कार्यनिष्पादन की एक झलक 6-7
- शेयरधारकों को संदेश 8-9
- निदेशकों की रिपोर्ट और प्रबंधन विचार-विमर्श एवं विश्लेषण 10-42
- व्यवसाय दायित्व रिपोर्ट 43-50
- कंपनी अभिशासन की रिपोर्ट 51-71
- स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट 72-75
- 31 मार्च, 2019 का तुलन-पत्र 76-88
- अनुसूची 17 - 18 89-118
- 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष का नकदी प्रवाह विवरण 119-120
- बासेल - III मानदंडों के अन्तर्गत पीलर-3 का प्रकटीकरण 121-152

CONTENTS

- Brief History & Vision Statement of the Bank 1
- Performance at a glance 2-3
- Message to Shareholders 4-5
- Director's Report & Management Discussion and Analysis 6-37
- Business Responsibility Report 38-45
- Corporate Governance Report 46-66
- Independent Auditors' Report 67-69
- Balance Sheet as on 31st March 2019 70-81
- Schedule 17 - 18 82-111
- Cash Flow Statement for the year ended 31st March 2019 112-113
- Pillar - 3 Disclosure under Basel - III Norms 114-146

निदेशक मंडल / Board of Directors



श्री अशोक कुमार प्रधान
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
Shri Ashok Kumar Pradhan
Managing Director & CEO



श्री संजय कुमार
कार्यपालक निदेशक
Shri Sanjay Kumar
Executive Director



श्री अजीत कुमार दास
कार्यपालक निदेशक
Shri Ajit Kumar Das
Executive Director



श्री समीर कुमार खरे
सरकार द्वारा नामित निदेशक
Shri Sameer Kumar Khare
Govt. of India Nominee Director



श्री दिनेश सिंह
सनदी लेखाकार श्रेणी के अंतर्गत अंशकालिक गैर-कार्यालयी निदेशक
Shri Denesh Singh
Part-time Non-Official Director under Chartered Accountant Category



श्री सिद्धार्थ प्रधान
अंशकालिक गैर-कार्यालयी निदेशक
Shri Sidhartha Pradhan
Part -time Non-Official Director



श्री एस. सूर्यनारायण
शेयरधारक निदेशक
Shri S. Suryanarayana
Shareholder Director

मुख्य सतर्कता अधिकारी / Chief Vigilance Officer



श्री अरुण कुमार वर्मा
Shri Arun Kumar Verma

महाप्रबंधक की सूची / List of General Managers



श्री उमेश कुमार राय
Shri Umesh Kumar Roy



श्री विनय गंदोत्रा
Shri Vinay Gandotra



श्री गौरी प्रसाद शर्मा
Shri Gauri Prosad Sarma



श्री राकेश चंद्र नारायण
Shri Rakesh Chandra Narayan



श्री विनोद कुमार बब्बर
Shri Vinod Kumar Babbar



श्री राजेश कुमार अरोड़ा
Shri Rajesh Kumar Arora



श्री आर इलांगो
Shri R Elango



श्री मुक्ति रंजन राय
Shri Mukti Ranjan Ray



श्री परविंदर पाल सिंह
Shri Parvinder Pal Singh



श्री अश्विनी कुमार झा
Shri Ashwini Kumar Jha



श्री नबीन कुमार दाश
Shri Nabin Kumar Dash



श्री महेंद्र दोहरे
Shri Mahendra Dohare



श्री आलोक सिन्हा
Shri Alok Sinha

कंपनी सचिव, अनुपालन अधिकारी एवं निदेशक मंडल के सचिव :

श्री बिक्रमजीत सोम

रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट :

लिंक इनटाइम प्रा. लि.
सी-101, 247 पार्क
एल बी एस मार्ग, विखरोली (पश्चिम)
मुंबई - 400 083

सांविधिक केंद्रीय लेखापरीक्षक :

मेसर्स अरुण के. अग्रवाल एंड एसोसियेट्स
मेसर्स मुखर्जी विश्वास एंड पाठक
मेसर्स दिनेश जैन एंड एसोसियेट्स
मेसर्स एसबीए एसोसियेट्स

पंजीकृत कार्यालय का पता :

युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया
युनाइटेड टॉवर
11, हेमंत बसु सरणी
कोलकाता - 700 001

वेबसाइट
www.unitedbankofindia.com
ईमेल
investors@unitedbank.co.in

बैंक का संक्षिप्त इतिहास

युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया का एक समृद्ध इतिहास है- एक छोटा सा बैंक, कोमिल्ला बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड, (1914 में स्थापित किया गया था) जिसका तीन अन्य बैंकों के साथ विलयन हुआ था अर्थात, कोमिल्ला यूनियन बैंक लिमिटेड (1922 में स्थापित), हुगली बैंक लिमिटेड (1932 में स्थापित) और बंगाल सेंट्रल बैंक लिमिटेड (1918 में स्थापित) जो 18 दिसम्बर 1950 को युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में परिणत हुआ। बैंक का मुख्यालय 4, क्लाइव घाट स्ट्रीट, (वर्तमान में एन.सी.दत्त सरणी), कोलकाता-700 001 में था, जो कि बाद में 11, हेमंत बसु सरणी, कोलकाता 700 001 के वर्तमान स्थान पर स्थानांतरित हो गया। 19 जुलाई, 1969 को अन्य 13 बैंकों के साथ इस बैंक का भी राष्ट्रीयकरण हुआ। बाद में कटक बैंक लिमिटेड, तेजपुर औद्योगिक बैंक लिमिटेड, हिन्दुस्तान मर्केंटाइल बैंक लिमिटेड और नारंग बैंक ऑफ़ इंडिया लिमिटेड को इस बैंक के साथ विलय कर दिया गया।

युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की क्षमता क्रमशः बढ़ती गई। राष्ट्रीयकरण के समय 1969 में, 174 शाखाओं का नेटवर्क और 259 करोड़ रुपये के व्यवसाय से शुरू करके, बैंक का अब 2055 शाखाओं /कार्यालयों के साथ कुल व्यवसाय ₹2.08 लाख करोड़ से अधिक है। पूर्वी पाकिस्तान में परिचालित शाखाओं को 1971 में पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध के परिणाम स्वरूप उन्हें बंद कर दिया गया, बैंक ने 2010 में ढाका, बांग्लादेश और बाद में यांगून, म्यामार में प्रतिनिधि कार्यालय स्थापित करके अपनी अंतरराष्ट्रीय उपस्थिति का विस्तार किया है। बैंक का अंतरराष्ट्रीय परिचालन, वैदेशिक बैंकों के साथ विदेशी संवाददाताओं के माध्यम से विस्तार नेटवर्क के द्वारा समर्थित है।

युनाइटेड संकल्प

हमारा संकल्प व्यवसायिकता, विश्वास एवं पारदर्शिता के वातावरण में, समष्टि अभिशासन और सामाजिक उत्तरदायत्वों के उच्चतम मानकों को अपनाकर, समस्त स्वत्वाधारियों की अपेक्षाओं और अपने कर्मचारियों की महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने और जोखिम प्रबंधन पर समुचित बल देते हुए, हमारे देश के व्यवसाय वृद्धि एवं लाभप्रदता पर केंद्रीभूत, गतिशील, प्रौद्योगिकी उन्नत, ग्राहक हितैषी, प्रगामी, आर्थिक रूप में सुदृढ़, अखिल भारतीय बैंक के रूप में उभरना है।

सारतः, सर्वोत्कृष्टता की प्राप्ति ही, हमारे बैंक का आंतरिक दर्शन और प्रेरणा स्रोत होगा।

कार्यनिष्पादन की विशेषताएं

- 31 मार्च, 2019 तक बैंक के कुल व्यवसाय में ₹208106 करोड़ की वृद्धि हुई।
- 31 मार्च, 2019 तक कुल जमा राशि में ₹5657 करोड़ की वृद्धि होकर ₹134983 करोड़ हो गई।
- 31 मार्च, 2019 तक कासा के अंश में 51.45% का सुधार हुआ, जो 31 मार्च 2018 की तुलना में 10.86% की वृद्धि है।
- खुदरा ऋण पोर्टफोलियो में 12.08% (वर्ष दर वर्ष) की वृद्धि हुई है जिसमें आवास ऋण पोर्टफोलियो में 11.87% की वृद्धि हुई और कार ऋण में 14.94% की वृद्धि हुई है।
- एमएसएमई अग्रिम में 5.65% की वृद्धि दर्ज की गई।
- शुद्ध ब्याज आय (एनआईआई) में वित्तीय वर्ष 2018 के ₹1493 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2019 में ₹1975 करोड़ की वृद्धि हुई जो वर्ष दर वर्ष आधार पर 32.28% की वृद्धि है और आभासी खाते से वसूली तथा बैंक एश्योरेंस व्यवसाय द्वारा संचालित गैर ब्याज आय में 7.67% की बढ़ोतरी हुई।
- बैंक ने सात तिमाहियों में लगातार हानि करने के बाद मार्च, 2019 तिमाही के लिए ₹95.18 करोड़ का शुद्ध लाभ दर्ज किया है।
- एनआईएम में मार्च 2018 में 1.66% की तुलना में मार्च 2019 में 2.10% का सुधार हुआ।
- बेसेल मानकों के अंतर्गत उपर्युक्त नियामक आवश्यकताओं में बैंक ने अपनी पूंजी पर्याप्तता अनुपात को बनाए रखा है। 31 मार्च, 2019 तक सीआरआर टियर-1 में 10.14% एवं सीईटी-1 अनुपात में 10.14% के साथ 13.00% पर बना हुआ है।
- दबावग्रस्त आस्ति स्थिति में काफी सुधार हुआ है। जीएनपीए और एनएनपीए दोनों में पिछले 4 तिमाहियों के दौरान सुधार हुआ है।
- जीएनपीए और एनएनपीए 31 मार्च, 2018 को क्रमशः 24.10% और 16.49% की तुलना में 31 मार्च, 2019 को क्रमशः 16.48% और 8.67% रहा।
- आय अनुपात की लागत 31 मार्च, 2018 के 72.38% की तुलना में 31 मार्च, 2019 को 67.62% तक पहुँच गया।
- प्रावधान कवरेज अनुपात में 31 मार्च, 2018 को 53.48% की तुलना में 31 मार्च, 2019 को 72.94% तक का सुधार हुआ।

कार्यनिष्पादन की एक झलक

राशि करोड़ ₹ में

मानदंड	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
शाखाओं की संख्या	2011	2053	2057	2055
कुल व्यवसाय	187813	197442	198018	208106
प्रतिशत वृद्धि	5.58	5.13	0.29	5.09
कुल जमा	116401	126939	129326	134983
प्रतिशत वृद्धि	6.97	9.05	1.88	4.37
कुल अग्रिम	71412	70503	68692	73123
प्रतिशत वृद्धि	3.39	(1.27)	(2.57)	6.45
सीडी अनुपात	61.35	55.54	53.12	54.17
निवेश	44934	53355	51201	62263
कुल आस्तियाँ	129432	141053	144749	151530
परिचालनगत लाभ	1812	1553	1024	1412
शुद्ध लाभ	(282)	220	(1454)	(2316)
पूँजी	1320	1812	3014	7428
का				
ईक्विटी शेयर पूंजी	840	1394	3000	7428
शेयर आवेदन राशि (लंबित आवंटन)	480	418	13.64	-
रिजर्व और अधिशेष	5000	5931	5662	4071
पूँजी पर्याप्तता अनुपात				
सीआरएआर %	10.08	11.14	12.62	13.00
टीयर 1%	7.93	8.94	9.87	10.14
सीईटी 1%	7.74	8.46	8.39	10.14
कुल स्टाफ	14981	14962	14814	13804
प्रति कर्मचारी व्यवसाय	12.37	13.04	13.22	14.96

शेयरधारकों को संदेश



प्रिय शेयरधारकों,

बैंक की 10वीं वार्षिक आम बैठक में आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे अति हर्ष हो रहा है।

नि:संदेह यह एक महत्वपूर्ण वर्ष रहा है और मैं उन सभी हितधारकों को धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने बैंक के सभी परिस्थितियों में भी अपना निरंतर सहयोग और अटूट विश्वास बनाए रखा।

भारत ने वैश्विक अर्थव्यवस्था का सामना करने की अपनी क्षमता को साबित किया है, मंदगति से वृद्धि इसका उदाहरण है। अंतराष्ट्रीय मुद्राकोष (आईएमएफ) का अनुमान है कि वर्ष 2019 में वैश्विक आर्थिक विकास दर 3.3% रहेगा, जो कि वर्ष 2017 के 4% और वर्ष 2018 के 3.6% से कम है। वर्तमान में वैश्विक अर्थव्यवस्था यूएस-सीनो व्यापार युद्ध, ईरान पर यूएएस के प्रतिबंधों, ब्रेज़िट जैसे प्रमुख मुद्दों का सामना कर रही है। भारत की वृद्धि इसका एक ज्वलंत उदाहरण है। इसकी अर्थव्यवस्था लगभग 7% की दर से वृद्धि कर रही है, जो दुनिया की सबसे तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। धीमे वैश्विक माँग के बावजूद, आर्थिक मौद्रिक नीति, अतिरिक्त राजकोषीय सहायता, ग्रामीण किसानों के लिए नए आय समर्थन सुधारों से आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

संरचनात्मक परिवर्तनों का सार:

बैंक, भारतीय आर्थिक व्यवस्था और सामाजिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों (पीएसबी) द्वारा निभाई जानेवाली महत्वपूर्ण भूमिका के प्रति जागरूक है और यह बैंकिंग क्षेत्र के समग्र और व्यापक सुधारों के लिए नियामक विचारों को पूरी तरह से स्वीकार करता है।

नवम्बर, 2017 के "मंथन", जिसमें छह कार्यसूची मदें अर्थात (i) ग्राहक जवाबदेही, (ii) जिम्मेदार बैंकिंग, (iii) ऋण बढ़ोतरी, (iv) उद्यमी मित्र के रूप में पीएसबी (एमएसएमई के उद्देश्य से), (v) वित्तीय समावेशन और डिजिटलीकरण को गहन बनाना और (vi) ब्रांड पीएसबी के लिए कार्मियों को विकसित करते हुए परिणाम (एचआर) सुनिश्चित करना सहित "ईएएस-ई पहुंच बढ़ाना और बेहतरीन सेवा" उद्देश्य शामिल थे, यह उत्तरदायी और जिम्मेदार पीएसबी के सुधार कार्यसूची पर की गई सिफारिशों पर आधारित है।

इस परियोजना का उद्देश्य पूर्ण या सापेक्ष आधार पर बैंक के कार्यनिष्पादन/ प्रदर्शन की संभावना का उल्लेख करते हुए मैट्रिक्स के साथ प्रमुख कार्रवाई बिंदुओं पर बैंक के कार्यनिष्पादन को उजागर करना है।

दिवाला और दिवालियापन कोड (आईबीसी) के अंतर्गत वसूली की प्रगति उम्मीदों के मुताबिक काफी कम रही है। गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) के क्षेत्र में दबाव खतरे की तरह उभर रहा है। जब तक इसे प्रमुखता से नियंत्रित नहीं किया जाता है, यह प्रणालीगत जोखिम का कारण बन सकता है।

वित्तीय वर्ष 19 में भारत सरकार द्वारा बैंकों में कुल ₹1,95,000 करोड़ का समावेशन न केवल बैंकिंग संकट के प्रभाव को दुरूस्त किया है, बल्कि पीएसबी को बेसल के अंतर्गत नियामक आवश्यकताओं को आसानी से पूरा करने में मदद की है, हालांकि पूंजी की वृद्धि एक चुनौती बनी हुई है।

बैंक के कार्यनिष्पादन की मुख्य विशेषताएं:

इन कठिन परिस्थितियों में, मैं आपका ध्यान बैंक के कार्यनिष्पादन के प्रमुख बिंदुओं की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ जो निम्नलिखित हैं -

- बैंक ने दिनांक 31.03.2019 को ₹2,08,106 करोड़ के अंतिम आंकड़े के साथ ₹2 लाख करोड़ के कुल व्यवसाय को पार किया।
- सात तिमाहियों में लगातार हानि के पश्चात चौथी तिमाही /वित्तीय वर्ष 19 में ₹95.18 करोड़ का शुद्ध लाभ अर्जित किया।
- वित्तीय वर्ष 18 में ₹1024 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 19 में 38% (वर्ष-दर-वर्ष) की महत्वपूर्ण वृद्धि के साथ ₹1412 करोड़ का कुल परिचालन लाभ दर्ज किया।
- कासा जमा मार्च, 2019 की समाप्ति पर 51.44% रहने के साथ-साथ 48.44% (मार्च, 2018 में) ने निधि लागत को कम कर राहत प्रदान करना जारी रखा।
- जमा लागत (सीओडी) निम्नतम 4.96% (मार्च, 2019 में) रहा जो 5.30% (मार्च, 2018 में) से कम रहा।
- दबावग्रस्त आस्तियों की स्थिति में काफी सुधार हुआ।
- जीएनपीए और एनएनपीए 31 मार्च 2018 को क्रमश: 24.10% और 16.49% था इसकी तुलना में 31 मार्च, 2019 को यह क्रमश: 16.48% और 8.67% रहा।
- प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) 31 मार्च, 2018 को 53.48% की तुलना में सुधार दर्ज करते हुए 31 मार्च 2019 को 72.94% रहा।
- 31 मार्च, 2019 को 10.14% टियर-1 पूंजी और 2.86% टियर-2 पूंजी के साथ सीआरएआर 13% रहा।
- वित्तीय वर्ष-19 में शुद्ध ब्याज आय (एनआईआई), वित्तीय वर्ष 18 के ₹1493 करोड़ तुलना में वर्ष-दर-वर्ष 32% से अधिक की वृद्धि दर्ज करते हुए ₹1975 करोड़ तक बढ़ गया।
- वित्तीय वर्ष-19 में आवास ऋण पोर्टफोलियो में 11.87% और ऑटो सेक्टर में 14.94% की वृद्धि के साथ खुदरा क्षेत्र में 12.82% की वृद्धि हुई।

पुरस्कार और उपलब्धियाँ :

वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान आपके बैंक को विभिन्न प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त हुए:

- **"आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर में उत्कृष्टता"** (नेटवर्क सुरक्षा परियोजना) पुरस्कार प्राप्त हुआ। बैंक ने अपने साइबर सुरक्षा को समुन्नत करने के लिए विभिन्न प्रौद्योगिकियों को अपनाया। विभिन्न इंटरनेट आधारित हमलों को रोकने के लिए आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के साथ-साथ युनाइटेड प्रीमियर शील्ड लगाई गई। यह पुरस्कार इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कंसल्टेंट्स (ईसीकाउंसिल) इंडिया द्वारा प्रदान किया गया।
- **लीडरशिप कैपिटल अवार्ड:** महत्वपूर्ण नामांकनों द्वारा एपीवाई (अटल पेंशन योजना) योजना के प्रारंभ से ही योजना को बढ़ावा देने हेतु और भारत सरकार की परिकल्पना "पेंशनभोगी समाज" के निर्माण की नींव को मजबूत करने के बैंक के प्रयासों को पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा आयोजित एक समारोह में पुरस्कार के माध्यम से रेखांकित किया गया ।

भविष्य पर नज़र:

आपका बैंक वित्तीय समर्थता हेतु चिरकालिक प्रतिबद्धता, दीर्घकालिक ग्राहक संबंध एवं सक्रिय दृष्टिकोण के लिए पहले की तरह आज भी उतना ही सजग है। आपका बैंक आगे भी "वृद्धि सहित लाभ" पर अपनी प्रतिबद्धता जारी रखेगा। बैंक एनआईएम (शुद्ध ब्याज मार्जिन), ईपीएस (प्रित शेयर कमाई) और आस्ति गुणवत्ता को बढ़ाने और विकसित करने के लिए ईमानदारी से समर्पित एवं उज्ज्वल दृष्टिकोण के साथ ऋण के मूल्यांकन तथा निगरानी के लिए प्रयास करेगा।

आपका बैंक आगामी वर्षों के दौरान (i) कोर बैंकिंग सॉल्यूशन के संस्करण .10x, (ii) ग्राहकों की प्रसन्नता के लिए स्टेट ऑफ द आर्ट कॉल सेंटर्स के निर्माण जैसे कई प्रकार की पहल प्रारंभ करने का प्रस्ताव करता है। मुझे विश्वास है कि आपका बैंक आने वाले समय में चुनौतियों का सामना कर नई ऊँचाइयाँ हासिल करेगा।

बैंक के युगांतकारी यात्रा चक्र के 69वें सोपान की नींव, वास्तव में, सन 1914 में कोमिला (संप्रति बांगलादेश में) पड़ी और बैंक के सबसे पुराने घटक कोमिला बैंकिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड का गठन हुआ। मैं आपके निरंतर विश्वास और समर्थन की कामना करता हूं ताकि हम एक साथ मिलकर बैंक को एक नई ऊँचाई पर ले जा सकें और सभी हितधारकों के लिए अधिक से अधिक मान सुनिश्चित कर सकें।

आभारपूर्ति:

मैं पूरी विनम्रता के साथ, विभिन्न मौकों और विभिन्न मुद्दों पर भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों, भारतीय रिज़र्व बैंक, पश्चिम बंगाल सरकार और स्थानीय प्रशासन द्वारा दिए गए समर्थन और मार्गदर्शन के लिए उनके प्रति आभार प्रकट करता हूँ।

सेबी (भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड), स्टॉक एक्सचेंज और इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, उनके समर्थन और समय पर सलाह प्रदान करने के लिए मैं सच्ची कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ।

मैं अपने हर एक ग्राहक और शेयरधारक को, हम पर अपना विश्वास बनाए रखने और निरंतर विसंगतियों का सामना करने के लिए हमारी जनशक्ति को ऊर्जा प्रदान कर बैंक को विकास एवं श्रीवृद्धि के अग्रगामी मार्ग पर ले जाने हेतु प्रोत्साहित करने के लिए हृदय की गहराई से धन्यवाद देता हूँ।

देवियों एवं सज्जनों, समय देने और ध्यान रखने के लिए आप सभी का धन्यवाद!

भवदीय

ह/-

अशोक कुमार प्रधान
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
डीआईएन : 07748272

13 मई, 2019, कोलकाता

निदेशक मंडल की रिपोर्ट

यह निदेशक मंडल सहर्ष बैंक की 69वीं वार्षिक रिपोर्ट और उसके साथ 31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष (वित्तीय वर्ष 2018-19) का लेखापरीक्षित तुलन-पत्र, लाभ और हानि लेखा तथा व्यवसाय और परिचालन रिपोर्ट प्रस्तुत करता है ।

प्रबंधन विवेचना और विश्लेषण:

निदेशक मंडल को बैंक का 69वां वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए हर्ष हो रहा है, जिसमें 31 मार्च, 2019 (वित्तीय वर्ष 2018-19) को समाप्त वर्ष का लेखापरीक्षित तुलन-पत्र, लाभ और हानि लेखा तथा व्यवसाय एवं परिचालन की रिपोर्ट भी समाहित है।

वैश्विक आर्थिक आउटलुक:

वैश्विक अर्थव्यवस्था में 2017 और 2018 की शुरूआत में अच्छी वृद्धि हुई। हालांकि, 2018 की दूसरी छमाही में वैश्विक आर्थिक गतिविधियों का मंद पड़ना प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित करनेवाले विभिन्न कारकों को उजागर कर रहा है। वैश्विक वृद्धि का अब 2018 के 3.6% से कम होकर 2019 में 3.3% होने का अनुमान है ।

जैसा कि वैश्विक विकास 2019 और 2020 में लगभग 3.0% तक बढ़ने की उम्मीद है, यह नकारात्मक जोखिमों में वृद्धि का कारण बनता है जो दुनिया के कई हिस्सों में विकास की चुनौतियों का संभावित खतरा हो सकता है। वैश्विक अर्थव्यवस्था जोखिमों का सामना कर रही है, जो आर्थिक गतिविधियों को गंभीर रूप से बाधित कर सकती है और दीर्घकालिक विकास संभावनाओं को महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचा सकती है। इन जोखिमों में व्यापार विवादों का बढ़ना, वैश्विक वित्तीय स्थितियों का अचानक से सख्त होना और जलवायु जोखिमों को तीव्र करना शामिल है। कई विकसित देशों में, विकास दर अपनी क्षमता के करीब बढ़ गई है, जबकि बेरोजगारी दर ऐतिहासिक गिरावट पर पहुंच गई है। विकासशील अर्थव्यवस्थाओं के बीच, पूर्वी और दक्षिण एशिया क्षेत्र मजबूत घरेलू विकास स्थितियों के बीच अपेक्षाकृत मजबूत विकास पर बने हुए हैं, जबकि वस्तुनिर्यातक देशों में आर्थिक गतिविधि, विशेष रूप से ईंधन निर्यातकों में, धीरे-धीरे ठीक हो रही है, लेकिन विकास अस्थिर वस्तु की कीमतों के लिए अतिसंवेदनशील बना हुआ है। इन अर्थव्यवस्थाओं के लिए, वैश्विक कमोडिटी की कीमतों में तेज गिरावट ने राजकोषीय और बाहरी संतुलन पर दबाव को जारी रखा है, जबकि ऋण के उच्च स्तर के चलन को बनाए रख रहा है।

2019 के लिए वैश्विक विकास दृष्टिकोण स्थिर बना हुआ है, हालांकि अंतर्निहित नकारात्मक जोखिम बढ़ गया है। वैश्विक अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता के कारण उन्नत अर्थव्यवस्थाओं (AEs) में क्रमिक मौद्रिक नीति का सामान्यीकरण भी उभरते बाजारों (EMs) पर पूंजी प्रवाह को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकता है और उभरते बाजार के ब्याज दरों और कॉर्पोरेट प्रसार पर ऊपर की ओर दबाव बढ़ा सकता है। इस बीच, कमोडिटी की कीमतों, विशेष रूप से तेल, ने अमेरिकी शेल तेल की अधिक आपूर्ति एवं चीन के मांग के बारे में अनिश्चितता और ईरान से आपूर्ति करने के विचार पर अनुमान के मुकाबले कम होकर आपूर्ति को न्यूनतम कर दिया है ।

भारत में, सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि में मामूली गिरावट आई जबकि मुद्रास्फीति बनी हुई है। जैसा कि वैश्विक वित्तीय स्थितियां प्रतिकूल हैं, ऐसे में वित्तीय समेकन का कार्य वित्तीय स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण बना रहता है। इनपुट लागत में दर्शाए जाने वाले तेल की कीमतों का प्रभाव भारत के व्यापार की संभावनाओं के लिए अनिश्चित बना हुआ है। घरेलू वित्तीय बाजारों में, ऋण मध्यस्था में संरचनात्मक बदलाव और बैंकों और गैर-बैंकों के बीच विकसित अंतर्संबंध में अधिक सतर्कता बरतने की आवश्यकता हैं ।

एमएसएमई क्षेत्र का प्रदर्शन अन्य बिचौलियों अर्थात् निजी क्षेत्र के बैंकों और गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों (एनबीएफसी) का प्रभाव है। यह दोनों अंतर्निहित के संदर्भ में है और साथ ही साथ ऋण जोखिम मूल्यांकन कौशल में सुधार की आवश्यकता को रेखांकित करता है ।

वैश्विक वित्तीय संकट (जीएफसी), ने बैंक की पूंजी पद्धित में प्रणालीगत लचीलापन को बढ़ाया है। वैश्विक वित्तीय बाजार में, एलआईबीओआर के बाद की दुनिया में कार्य प्रगति पर हुआ है। घरेलू संदर्भ में, रिजर्व बैंक ने सरकारी प्रतिभूतियों (जी-सेक) और रेपो बाजारों को मजबूत करने के लिए कई नीतिगत उपाय शुरू किए। पूंजी बाजार में, म्यूचुअल फंड में सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान (एसआईपी) के माध्यम से निवेश एक उज्ज्वल स्थान पर है।

बैंकों में अशोध्य ऋण:

सितंबर 2018 में सकल एनपीए अनुपात 10.8% से घटकर मार्च 2019 में 10.3% और सितंबर 2019 में 10.20% हो सकता है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों का अशोध्य ऋण मार्च, 2018 में उच्चतम ₹ 9.62 लाख करोड़ से ₹23000 करोड़ कम हो गया है ।

भारत सरकार ने एक अध्यादेश जारी किया है जिसके द्वारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 35ए में संशोधन किया गया है और उसमें धारा 35एए और 35एबी जोड़ दिया है। इस अध्यादेश के फलस्वरूप "भारतीय रिजर्व बैंक को यह प्राधिकार दिया गया है कि वह किसी भी बैंकिंग कंपनी या कंपनियों को यह निदेश जारी करे कि ऋण न चुका पाने की स्थिति में वह अपने किसी चूककर्ता को "इंसोल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड (आईबीसी) 2016" के तहत दिवालिया घोषित करने के संकल्प की प्रक्रिया आरंभ कर सकता है ।

यह अध्यादेश भारतीय रिजर्व बैंक को यह प्राधिकार भी देता है कि वह क्षेत्र (सेक्टर) से संबंधित निगरानी नामिका (ओवरसाइट पैनेल) बनाए जो ऋण की पुनर्व्यवस्था के मामले की जांच करनेवाली किसी एजेंसी द्वारा बैंकरों के खिलाफ परवर्ती कार्रवाई से सुरक्षा दे सके। इससे पहले सरकार ने इन्सोल्वेंसी ऐंड बैंकरप्सी कोड बनाया था ताकि कारपोरेट व्यक्तियों, साझेदारी फर्मों, और व्यतिगत तौर पर चूककर्ताओं के खिलाफ एक समयबद्ध तरीके से पुनर्गठन एवं दिवालिया घोषित किए जाने संबंधी कानूनों को मजबूत किया जा सके और उसमें संशोधन किया जा सके। इसका लक्ष्य था उद्यमशीलता को प्रोत्साहन देना, ऋण की उपलब्धता और हिताधिकारियों के हित में संतुलन बनाए रखना ताकि आस्तियों का मान अधिकतम बना रहे।

सरकार ने हाल ही में उत्तरदायी और जिम्मेदार बैंकिंग के लिए पीएसबी सुधार एजेंडा की घोषणा की है, जो समझदारी एवं स्वच्छ उधार, बेहतर ग्राहक सेवा, बढ़ी हुई क्रेडिट उपलब्धता, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों पर फोकस सुनिश्चित करने के लिए सहक्रियाशील दृष्टिकोण को समाहित करता है। सुधार एजेंडे के कार्यनिष्पादन पर बीसीजी द्वारा "डिजिटल इंटरफेस फॉर परफॉरमेंस एसेसमेंट पॉइंट्स ऑफ की-एक्शन पॉइंट्स" यानी "डीआईपीएके" नामक एक परियोजना के माध्यम से निगरानी और पर्यवेक्षण किया जा रहा है।

ये सही दिशा में उठाए गए कुछ कदम हैं जिनसे समान्यतः सभी बैंकों और विशेषकर हमारे बैंक में अनर्जक आस्तियों को कम किया जा सकेगा।

कृषि:

दक्षिण-पश्चिम और उत्तर-पूर्व में खराब मानसून का प्रभाव, पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र में जलाशय स्तर के कम हो जाने जैसे कई कारणों की वजह से सकल मूल्य वर्धित (GVA) कृषि और संबद्ध गतिविधियों में मूल कीमतों पर H2: 2018-19 हो गया है ।

कई कारणों जैसे दक्षिणी एवं उत्तर-पूर्व में खराब मानसून का प्रभाव, पूर्वी एवं पश्चिमी क्षेत्रों में जलाशय के स्तर का कम हो जाना; अधिक आपूर्ति करने के लिए खाद्य प्रबंधन नीतियों में खिंचाव की कमी और कृषि उपज के लिए अनमना भाव के वजह से पिछले वर्ष के एकड़ की तुलना में कुल रबी की फसल में (-) 3.8% की गिरावट देखी गई।

2018-19 के लिए फसल उत्पादन के एसएई, जिसने खरीफ खाद्यान्न के उत्पादन में मामूली वृद्धि, लेकिन रबी की फसल की तुलना में कम का संकेत दिया, को जारी करने के परिणामस्वरूप सीएसओ के प्रथम अग्रिम अनुमान में वर्ष के लिए कृषि जीवीए विकास को 3.8% से 2.7% तक संशोधित किया गया था।

2018-19 के दौरान बागवानी फसल का उत्पादन 315 मिलियन टन के रिकॉर्ड स्तर पर था, जो मुख्य रूप से मसाले, सुगंधित और औषधीय, फूलों और सब्जियों द्वारा संचालित था। हाल की अवधि में, संबद्ध गतिविधियों, जिसमें पशुधन, वानिकी और मछली पकड़ना शामिल है, ने इस क्षेत्र के समग्र जीवीए विकास का लगभग तीन-चौथाई योगदान दिया है।

उद्योग:

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) में संचयी वृद्धि अप्रैल 2018 से मार्च 2019 तक 3.6% की तुलना में एक साल पहले की अवधि में धीमी रही। विनिर्माण, खनन और बिजली के सूचकांक में मार्च, 2019 के दौरान क्रमशः (-) 0.4%, 0.8% और 2.2% की वृद्धि हुई थी । विनिर्माण क्षेत्र में धीमी वृद्धि मुख्य रूप से देखी गई है, जहां रिफाइनरी उत्पाद, बुनियादी धातु, रसायन और चमड़ा उत्पाद जैसे उप क्षेत्रों में कमजोरी देखी गई।

उपयोग-आधारित वर्गीकरण, प्राथमिक वस्तुओं के लिए सूचकांक, इन्फ्रास्ट्रक्चर/निर्माण सामग्री और उपभोक्ता गैर-ड्यूरेबल्स ने क्रमशः 2.5%, 6.4% और 0.3% की सकारात्मक वृद्धि दर्ज की, जबकि पूंजीगत वस्तुओं, मध्यवर्ती माल और उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं के लिए सूचकांक में मार्च, 2019 में क्रमशः (-) 8.7%, (-), 2.5% और 5.1% नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई ।

मुद्रास्फीति:

अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संयुक्त (सीपीआई-सी) मुद्रास्फीति मार्च, 2018 के 4.28% से घटकर मार्च, 2019 में 2.86% हो गया। उपभोक्ता खाद्य मूल्य सूचकांक (सीएफपीआई) पर आधारित खाद्य मुद्रास्फीति मार्च, 2018 के 2.81% से घटकर मार्च, 2019 में 0.30% हो गया।

भारत का थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई):

मार्च 2019 में थोक मूल्यआधारित मुद्रास्फीति मार्च 2018 के 2.74% की तुलना में 3.18% थी। थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) आधारित मुद्रास्फीति फरवरी, 2018 में 2.93% थी। डब्ल्यूपीआई मुद्रास्फीति में रोक महंगे खाद्य और ईंधन उत्पादों के कारण लगी है। मार्च 2019 में सब्जियों की महंगाई दर 28.13% पर पहुंच गई, जो फरवरी महीने में 6.82% थी। ईंधन और बिजली श्रेणी की मुद्रास्फीति मार्च 2019 में बढ़कर 5.41% हो गई जो फरवरी में 2.23% थी।

पूंजी बाजार:

वित्त वर्ष 2019 की तीसरी तिमाही (ति3 वित्त वर्ष 19) में भारत का चालू खाता घाटा (सीएडी) $16.9 बिलियन (या जीडीपी का 2.6%) रहा, जो पिछली तिमाही में $19.1 बिलियन (जीडीपी का 2.9%) से कम था, लेकिन पिछले वर्ष की इसी तिमाही में $13.7 बिलियन (जीडीपी का 2.1%) से अधिक था। कुल वित्त घाटा के रूप में चालू वित्त वर्ष की तीसरी तिमाही में सीएडी 1.6 अरब डॉलर से घटकर 28.1 अरब डॉलर पर आ गया। सेवा व्यापार अधिशेष में वृद्धि ने इस गिरावट में मुख्य योगदान दिया था। माल व्यापार घाटा भी कम हुआ, लेकिन कुछ हद तक।

धन और ऋण

प्रवृत्ति के अनुमानों के आधार पर, संचलन में बैंकनोट वित्त वर्ष 19 तक लगभग 20.9 ट्रिलियन (या सकल घरेलू उत्पाद का 11.1%) तक पहुंच सकता है; जनवरी 2019 के अंत में यह ₹ 20.4 ट्रिलियन था।

अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) की कुल जमा की वृद्धि

15 मार्च, 2019 तक बैंक क्रेडिट में वर्ष दर वर्ष 14.1% वृद्धि दर्ज करते हुए दोहरे अंकों में वृद्धि जारी रही। हालांकि, विकास अभी भी व्यापक रूप से आधारित नहीं था क्योंकि औद्योगिक ऋण में वृद्धि लगातार बनी रही। फरवरी 2018 तक, औद्योगिक ऋण (जिसका लेखा सकल बैंक ऋण का ~ 33% है) वर्ष-दर-वर्ष 5.6% पर बढ़ा, जबकि सेवा क्षेत्र (जो सकल बैंक ऋण का ~ 27% है) और खुदरा क्षेत्र (सकल ऋण का ~ 26%) क्रमशः 23% और ~ 17% की मजबूत वृद्धि दर्ज की गई जो मजबूत खपत की मांग और गैर-बैंकों द्वारा उच्च क्रेडिट आवश्यकता द्वारा संचालित है। 15 मार्च, 2019 तक वर्ष में जमा वृद्धि में भी ~9.5% का सुधार देखा गया।

विदेशी व्यापार

अप्रैल-मार्च 2018-19 में भारत के समग्र निर्यात (मर्चेंडाइज एंड सर्विसेज संयुक्त) में पिछले साल की इसी अवधि में 7.97% की सकारात्मक वृद्धि दर्ज करते हुए यूएसडी 535.45 बिलियन होने का अनुमान लगाया गया है।

अप्रैल-मार्च 2018-19 में कुल मिलाकर आयात 631.29 बिलियन अमरीकी डॉलर होने का अनुमान है, जो पिछले साल की समान अवधि में 8.48% की सकारात्मक वृद्धि को दर्शा रहा है।

अप्रैल-मार्च 2018-19 की अवधि के लिए निर्यात का संचयी मूल्य यूएसडी 331 बिलियन (₹2314429 करोड़) था, जिसमें अप्रैल-मार्च 2017-18 की अवधि के दौरान यूएसडी 304 बिलियन (₹1956515 करोड़) के मुकाबले, डॉलर में 9.06% (शर्तें 18.29 रुपए के संदर्भ में) की सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई ।

अप्रैल-मार्च 2018-19 की अवधि के लिए आयातों का संचयी मूल्य यूएसडी 507 बिलियन (₹3548004 करोड़) था, जबकि अप्रैल-मार्च 2017-18 की अवधि के दौरान यूएसडी 466 बिलियन (₹3001033 करोड़) के मुकाबले, डॉलर टर्म में 8.99% (रुपये में 18.23%) की सकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई ।

भविष्य की संभावनाएं:

वित्तीय वर्ष 2020 के लिए, अपेक्षाकृत कम तेल की कीमतें और अमेरिका में नीति के सामान्यीकरण की धीमी गति से रुपये के मूल्यह्रास में कमी की संभावना की जांच की जाएगी। इसलिए, हम उम्मीद करते हैं कि रुपया मार्च 2020 तक मामूली रूप से कमजोर और औसतन 72/$ रहेगा। मार्च, 2019 के लिए हमारा पूर्वानुमान 71$ का है। हालांकि, यह देखते हुए भारत को एक वर्तमान-खाता-घाटा वाला देश माना जाता है, जहां उन्नत देशों से तेल की कीमतों, टैरिफ युद्ध और चौकाने वाले मौद्रिक नीति से रुपया अस्थिरता की चपेट में है।

वित्तीय प्रदर्शन

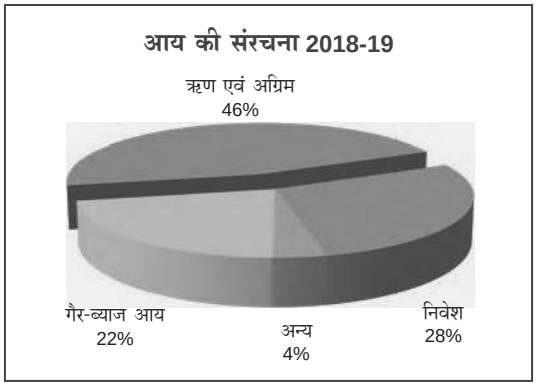
वर्ष के दौरान **बैंक के कार्यनिष्पादन** के अंतर्गत गुणवत्ता आस्ति और हानि आस्तियों की वसूली के क्षेत्र में वांछित परिणाम प्राप्त करने को प्राथमिकता दी गई। पूंजी की समस्या और भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में बैंक का अग्रिम बैंक के जोखिम भारित आस्तियों के आधार पर प्रतिबंधित था। विकास, लाभप्रदता, दक्षता, उत्पादकता, और शोधन क्षमता के मुख्य कार्यनिष्पादन संकेतक निम्नप्रकार हैं:

वित्तीय वर्ष 2017-18 में बैंक के परिचालन लाभ ₹1024 करोड़ रुपये की तुलना में वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान ₹1412 करोड़ रुपये का परिचालन लाभ दर्ज करते हुए, ₹388 करोड़ रुपये (37.89%) की वृद्धि दर्ज की गयी है। अधिक एनपीए तथा एनसीएलटी संदर्भित खातों में उच्चतम प्रावधानीकरण के कारण बैंक को मूल रुप से कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था तथा बैंक को वित्तीय वर्ष 2017-18 के ₹1454 करोड़ की निवल लाभ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2018-19 में ₹2316 करोड़ की निवल हानि का सामना करना पड़ा। प्रति कर्मचारी सकल लाभ मार्च, 2018 को ₹6.91 लाख से बढ़कर मार्च, 2019 को ₹10.23 लाख हो गया है।

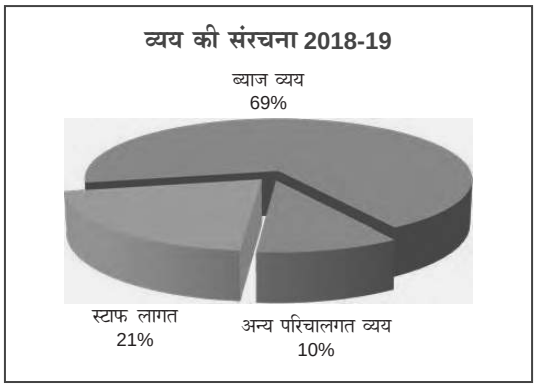
प्रमुख वित्तीय अनुपात (%)	मार्च 2018	मार्च 2019
निधियों की लागत	5.38	5.07
निधियों पर प्रतिफल	9.29	9.10
जमाराशि की लागत	5.30	4.96
अग्रिम पर प्रतिफल	7.35	7.49
निवेश पर प्रतिफल	7.62	7.66
एडब्ल्यूएफ का % के रूप में विस्तार	1.07	1.36
शुद्ध ब्याज मार्जिन (एनआईएम)	1.66	2.10
एडब्ल्यूएफ का परिचालन व्यय*	1.92	2.03
औसत आस्तियों पर लाभ (आरओएए)	(1.04)	(1.60)
इक्विटी पर लाभ	(33.06)	(49.29)
प्रति कर्मचारी व्यापार (₹ करोड़ में)	13.22	14.96
प्रति कर्मचारी लाभ (₹ लाख में)	6.91	10.23
प्रति शाखा लाभ (₹ लाख में)	49.78	68.69
प्रति शेयर बही मूल्य	14.64	6.73

*एडब्ल्यूएफ औसत कार्यशील निधि

आय और व्यय का विश्लेषण



बैंक के ब्याज आय में वित्तीय वर्ष 2017-18 के ₹8342 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2018-19 में ₹8560 करोड़ की वृद्धि हुई है। अग्रिम में ब्याज आय वृद्धि का मुख्य कार्य होने के कारण, ब्याज दर प्रभारित किया गया। बैंक ने अपने ग्राहकों को दर में कटौती का लाभ प्रदान करने के लिए वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान अपने एमसीएलआर में चार बार संशोधन किया। गैर-ब्याज आय वित्तीय वर्ष 2017-18 के ₹2215 करोड़ से वित्तीय वर्ष 2018-19 में ₹2385 करोड़ होकर उसमें ₹170 करोड़ की वृद्धि हुई है। अग्रिमों पर प्रतिफल में मार्च 2018 के 7.35% की तुलना में मार्च 2019 में 7.49% की वृद्धि हुई है ।



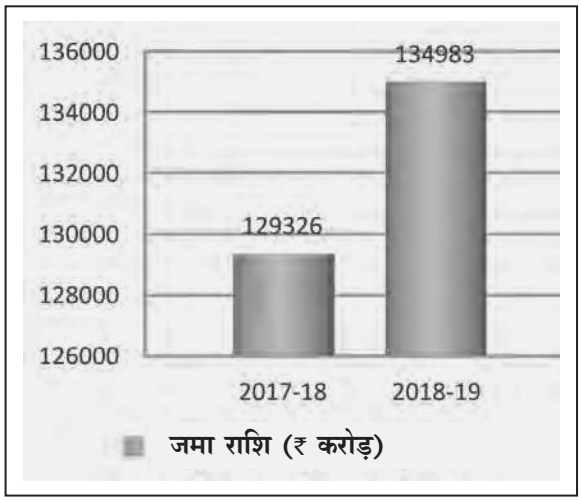
ब्याज व्यय 2017-18 में ₹6849 करोड़ की तुलना में 2018-19 में ₹ 264 करोड़ रुपये के ह्रास के साथ ₹6585 करोड़ हुआ। सभी कोष्ठकों में खुदरा मीयादी जमाराशियों पर ब्याज दर के ह्रास के साथ कम ब्याज व्यय सुनिश्चित किया गया। जमा की लागत 2017-18 में 5.30% से कम होकर 2018-19 में 4.96% हो गया। परिचालनगत लाभ में मार्च 2018 में ₹2683 करोड़ से मार्च 2019 में ₹2948 करोड़ की वृदि हुई है।

व्यापार वृद्धि:

जमाराशि:

बैंक की जमाराशि में 31 मार्च, 2019 तक 4.37% की वर्षानुवर्ष वृद्धि दर्ज करते हुए ₹134983 करोड़ तक पहुंच गई। 31 मार्च, 2019 तक बैंक की बचत जमा राशि 10.48% की वृद्धि होते हुए ₹58272 करोड़ तक पहुंच गई। कुल जमा राशि में कासा जमा का अंश 31 मार्च, 2019 तक 51.45% हुआ। बैंक की खुदरा मीयादी जमाराशि में ₹242 करोड़ (0.38%) की वर्षवार गिरावट के साथ ₹63681 करोड़ हुआ। थोक जमाराशि का शेयर आगे मार्च 2018 के 2.13% से घटकर मार्च 2019 तक 1.37% हो गया ।

बैंक का ग्राहक आधार मार्च 2019 तक ₹3.88 करोड़ तक हो गया ।



अग्रिम:

बैंक का सकल अग्रिम 31 मार्च, 2019 तक ₹4431 करोड़ (6.45%) तक बढ़कर ₹73123 करोड़ हो गया। ऋण-जमा अनुपात 31 मार्च, 2019 तक 54.17% हो गया। बैंक ने एएनबीसी द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिम के लिए निर्धारित 40% का लक्ष्य प्राप्त कर लिया है। खुदरा ऋण उत्पादों के गहन विपणन के परिणाम स्वरूप आवास ऋण में वृद्धि के साथ खुदरा अग्रिम में काफी वृद्धि हुई।

बैंक का गैर खाद्य ऋण ₹ 68111 करोड़ से बढ़कर ₹71549 करोड़ हो गया और खाद्य ऋण 31 मार्च, 2018 को ₹581 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च, 2019 के अंत तक ₹1574 करोड़ हो गया है।



कुल व्यवसाय:

चालू वित्त वर्ष 2018-19 के अंत तक बैंक का कुल कारोबार ₹208106 करोड़ तक पहुंच गया।

प्रति कर्मचारी करोबार के आधार पर उत्पादकता, 31 मार्च, 2018 को ₹13.22 करोड़ से बढ़कर 31 मार्च, 2019 तक ₹14.96 करोड़ हो गई है।



खुदरा ऋण परिचालन:

वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान अन्य क्षेत्रों में से खुदरा ऋण बैंक का एक प्रमुख क्षेत्र रहा है। बैंक ने खुदरा ऋण के अंतर्गत विकास के प्रमुख भागीदार के रूप में आवास ऋण और बंधक ऋण पर ध्यान देते हुए खुदरा ऋण की मंजूरी के लिए विशेष जोर दिया है। बैंक के कुल खुदरा ऋण पोर्टफोलियो का यह 82.99% है।

खुदरा ऋण के क्षेत्र में व्यवसाय वृद्धि करने के लिए की गई कार्रवाई:

- "युनाइटेड रीटेल लीग- महा फेस्टिवल धमाका" के नाम एवं रुप में 01.10.2018 से 31.03.2019 तक एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता के दौरान ₹778.50 करोड़ राशि के कुल 4698 आवास ऋण प्रस्तावों को स्वीकृत किया गया।
- आवास ऋण परामर्शदाताओं को ₹30 लाख और उससे अधिक के छोटे आकार के आवास ऋण का प्रचार-प्रसार करने के लिए नियुक्त किया गया।
- बैंक ने असम सरकार के कर्मचारियों के लिए "आपन घर" योजना के तहत आवास ऋण प्रदान करने के लिए असम सरकार के साथ एमओयू निष्पादित किया।
- बैंक ने "युनाइटेड होम एडवांटेज" योजना के तहत नए प्रकार के आवास ऋणों की शुरूआत की।
- बैंक ने अपने कार ऋण पोर्टफोलियो को गति प्रदान करने हेतु आवास ऋण के पात्र ग्राहकों (मौजूदा और नए दोनों) के लिए आसान ब्याज दरों, शून्य प्रसंस्करण शुल्क तथा न्यूनतम मार्जिन पर कार ऋण का लाभ उठाने के लिए 20.10.2018 को युनाइटेड कोम्बो ऋण योजना (आवास ऋण + कार ऋण) की शुरूआत की।
- "बी.एड पाठ्यक्रम में शामिल होने के लिए त्रिपुरा में अधिवासित मेधावी छात्रों द्वारा उपयोग किए गए शिक्षा ऋणों पर ब्याज सहायकी के लिए मुख्यमंत्री की बी.एड. अनुप्रेरणा योजना" के तहत एक विशेष योजना की शुरूआत की गई जहां ब्याज सहायकी त्रिपुरा सरकार द्वारा प्रदान की जाएगी।
- 12.82% की वर्षवार वृद्धि के साथ खुदरा ऋण में 31 मार्च, 2018 के 11255 करोड़ की तुलना में 31 मार्च, 2019 तक ₹12698 करोड़ होते हुए ₹1443 करोड़ की वृद्धि हुई।
- 11.87% की वर्षवार वृद्धि के साथ आवास ऋण क्षेत्र में 31.03.2018 के ₹8615 करोड़ की तुलना में 31.03.2019 को ₹9638 करोड़ होते हुए ₹1023 करोड़ की वृद्धि हुई।
- 14.94% की वर्षवार वृद्धि के साथ ऑटो क्षेत्र के तहत ऋण में 31.03.2018 के ₹783 करोड़ की तुलना में 31.03.2019 को ₹900 करोड़ होते हुए ₹117 करोड़ की वृद्धि हुई।
- 24.31% की वर्षवार वृद्धि के साथ अन्य खुदरा क्षेत्र के तहत ऋण में 31.03.2018 के ₹1440 करोड़ की तुलना में 31.03.2019 को ₹1790 करोड़ होते हुए ₹350 करोड़ की वृद्धि हुई। वृद्धि में सबसे ज्यादा सहयोग बैंक के वेतनभोगी खाता धारकों के व्यक्तिगत ऋण से मिला है।

बैंकएश्योरेंस व्यवसाय:

बैंक अपने गैर-ब्याज आय को बढ़ाने के लिए बैंकएश्योरेंस के माध्यम से जीवन और गैरजीवन बीमा कंपनियां, दोनों के कॉरपोरेट ऐजेंट के रुप में 2004 से बीमा व्यवसाय में सक्रिय है। बैंक ने 01.04.2019 से आईआरडीएआई से पंजीकरण (कंपोजिट) का प्रमाणपत्र प्राप्त किया है जो कि 31.03.2022 तक लागू रहेगा ।

इस वित्तीय वर्ष में कॉरपोरेट एजेंसी व्यवस्था के तहत बैंक ने लाइफ वर्टिकल के तहत एक नए बीमा भागीदार के रूप में भारतीय जीवन बीमा निगम के साथ-साथ और दो साझेदार बजाज एलियांज जनरल इंश्योरेंस कं. लि. और नॉन लाइफ वर्टिकल के तहत टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस कं. लि. और स्टैंडअलोन हेल्थ वर्टिकल के तहत स्टार हेल्थ एंड एलाइड इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड के अलावा पुनः एचडीएफसी लाइफ इंश्योरेंस के साथ गठजोड़ किया है।

बैंक ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान बीमा व्यवसाय से ₹15.26 करोड़ का कमीशन अर्जित किया है जिसमें से जीवन बीमा व्यवसाय से ₹6.92 करोड़ तथा गैरजीवन बीमा व्यवसाय से ₹8.34 करोड़ की राशि शामिल है।

राजकोष और अंतरराष्ट्रीय परिचालन:

बैंक का निवेश पोर्टफोलियो 21.61% की वृद्धि दर्ज करते हुए 31.03.2018 के ₹51200.67 करोड़ से बढ़कर 31.03.2019 तक ₹62263.02 करोड़ हो गया है। एसएलआर निवेश पोर्टफोलियो 31.03.2018 के ₹33899.57 करोड़ से घटकर 31.03.2019 तक ₹30569.31 करोड़ हो गया है। पोर्टफोलियो संशोधन की अवधि में पिछले वर्ष के 4.66% की तुलना में मार्च 2019 तक 4.15% तक कमी हो गई। बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस)

पोर्टफोलियों की संशोधित अवधि मार्च 2018 के 2.80 से घटकर मार्च 2019 में 1.38 हो गई है।

बैंक ने 11.83% की कमी दर्ज करते हुए वित्तीय वर्ष 2017-18 के ₹1444.14 करोड़ की तुलना में वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान राजकोष के घरेलू क्षेत्र से ₹1273.28 करोड़ का कुल व्यापार लाभ अर्जित किया है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान निवेश पर औसतन लाभ 7.39% तथा वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान निवेश प्रतिफल 7.66% था।

31.03.2019 को समाप्त वर्ष के दौरान बैंक का विदेशी मुद्रा कुल कारोबार ₹14147.27 करोड़ का हुआ, जिसमें निर्यात के तहत ₹3303.75 करोड़, आयात के तहत ₹1805.98 करोड़ और धनप्रेषण के तहत ₹9037.54 करोड़ शामिल है।

31.03.2019 तक बैंक का बकाया निर्यात ऋण ₹895.15 करोड़ रहा। बैंक ने वर्ष 2017-18 में ₹136.14 करोड़ की तुलना में 2018-19 में ₹146.47 करोड़ का विनिमय लाभ प्राप्त किया।

बैंक की वैदेशिक उपस्थिति दो देशों जैसे; म्यांमार और बांगलादेश में है। ढाका, बांगलादेश और यांगून, म्यांमार में एकएक प्रतिनिधि कार्यालय है। इंडो-बांग्लादेश एवं इंडो-म्यांमार का व्यापार आधारित भुगतान एवं एल सी (LC) व्यापार हमारे बैंक के जरिए किया जाता है। बांगलादेश के उनतीस (29) बैंकों द्वारा यूएसडी और यूरो मुद्रा में तैंतालीस (43) वोस्ट्रो खाते और म्यांमार के इक्कीस (21) बैंकों द्वारा यूएसडी, यूरो और आईएनआर मुद्रा में इकतीस (31) वोस्ट्रो खाते हमारे बैंक में परिचालित किए जा रहे हैं।

ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेड, नेपाल के यूएसडी एवं आईएनआर मुद्रा में वोस्ट्रो खाते हमारे बैंक में परिचालित किए जा रहे हैं। बैंक का अंतरराष्ट्रीय परिचालन 620 संवाददाता संबंधों के माध्यम से व्यापक नेटवर्क के जरिए समर्थित है एवं वैदेशिक बैंकों में 7 मुद्राओं में खोले गए 16 नोस्ट्रो खाते विदेशों में परिचालित हैं।

अन्य सेवाएं:

बैंक ने 11.04.2018 को कॉल ऑप्शन का प्रयोग कर ₹940.00 करोड़ राशि की एटी-1 बॉन्ड्स (सीरीज़ I से IV) को पुनः प्राप्त किया एवं 25.03.2019 का टियर-2 बॉन्ड (सीरीज IV) को ₹250.00 करोड़ राशि को पुनः प्राप्त किया।

बैंक के पास सेबी द्वारा जारी बैंकर टू एन इश्यू, डिवेंचर ट्रस्टी एवं मर्चेन्ट बैंकर पंजीकरण प्रमाण है, जिसके अंतर्गत नियामक मानदंडों के अनुसार बैंक परिभाषित कर्तव्यों एवं जिम्मेदारियों का निर्वाह करता है।

सरकारी व्यवसाय:

सरकारी लेनदेन विभाग विभिन्न प्रकार के सरकारी व्यवसाय संबंधी कार्य करता है जैसा कि नीचे दिया गया है:

- सभी शाखाओं द्वारा केन्द्र सरकार के राजस्व का संग्रहण; जैसे- प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर (सीबीडीटी), वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी), सीबीईसी (कस्टम, केंद्रीय उत्पाद शुल्क आदि) का संग्रहण ।
- विभिन्न राज्यों के राजस्व एवं करों का संग्रहण करना ।
- लघु बचत के अंतर्गत सरकारी निक्षेपों, यथा- लोक भविष्य निधि, वरिष्ठ नागरिकों की जमा योजना (एससीएसएस), सुकन्या समृद्धि खाते (एसएसए), विभिन्न प्रकार के सोवरेन गोल्ड बॉड्स, सेविंग्स बॉड्स आदि का संग्रहण ।
- सरकारी निधियों का संचालन (विभागीयकृत मंत्रालयों के खाते, विभिन्न राज्यों में परिचालित राज्य सरकार के राजकोष) ।
- केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं विभिन्न स्वायत्त संगठनों, यथा- ईएफपीओ, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन, डब्ल्यूबीएसईडीसीएल आदि के विभिन्न प्रकार के पेंशनों का संवितरण।
- नेशनल पेंशन सिस्टम (एनपीएस) को पेंशन फंड रेग्युलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (पीएफआरडीए) के साथ लेकर चलने का दायित्व निभाता है।
- समय-समय पर घोषित सरकार प्रायोजित योजनाओं का कार्यान्वयन ।
- पेंशनरों में आवश्यक सूचना के प्रसार की सुविधा के लिए बैंक में 'वेबसाइट एंड ऑनलाईन पेंशनर्स' शिकायत पोर्टल पर एवं पेंशन संवितरण करनेवाली शाखाओं में 'पेंशनर्स चार्टर' प्रदर्शित किया गया है। बैंक के बेबसाइट में पे-स्लीप को कस्टमाइज किया है। जीवन प्रमाण के रूप में पेंशनरों के लिए किया गया लाइफ सर्टिफिकेट का डिजिटाइजेशन काफी प्रयोग में है।
- इस वित्तीय वर्ष **(2018-19)** के दौरान इस तरह के व्यवसाय पर अर्जित एजेंसी कमीशन एवं बैंक द्वारा संचालित सरकारी व्यवसाय के कुल टर्न-ओवर की राशि-

(₹ करोड़ में)

व्यवसाय का प्रकार	टर्नओवर	अर्जित कमीसन
कर	6615.17	3.35
पेंशन	5678.58	22.76
राजकोष, डीएमए, अन्य	8398.38	5.14
पीपीएफ, एससीएसएस, एसएसए, बांड एवं एसडीएस	1864.96	1.13
कुल	22557.09	32.38

आस्ति गुणवत्ता और जोखिम प्रबंधन:

आस्ति गुणवत्ता:

ताजा फिसलन को रोकने और वसूली को बढ़ावा देने के लिए बैंक ने कई सुधारात्मक उपाय किए हैं। एनपीए प्रबंधन और निगरानी में सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग स्वतः पहचान और दबावग्रस्त आस्तियों के वर्गीकरण के लिए अपनाया गया ताकि ताजा फिसलन के साथ-साथ फिसल गए खातों के त्वरित उन्नयन के लिए त्वरित और अग्रसक्रिय कदम उठाए जा सकें।

क्षेत्र स्तर पर एसएमए/एनपीए श्रेणियों में दबावग्रस्त आस्तियों की प्रभावी निगरानी और वसूली तंत्र को फील्ड स्तर पर सुव्यवस्थित करने के लिए विभिन्न विभागों/अनुभागों/शाखाओं से समर्पित अधिकारी बल को पूल के माध्यम से प्रतिनियुक्त करके निगरानी और ऋण विभागों को मजबूत किया गया।

दबावग्रस्त आस्तियों की प्रभावी और बारीक अनुवर्ती कार्रवाई के लिए शीर्ष अधिकारियों/नियंत्रक महाप्रबंधकों के समक्ष दैनिक स्थिति रखी गई थी।

2018-19 में बूस्ट रिकवरी के लिए की गई प्रमुख पहल

- अलग तीन टायर वर्टिकल गठित "स्ट्रेस्ड एसेट मैनेजमेंट वर्टिकल (एसएएमवी)" और 9 स्ट्रेस्ड एसेट मैनेजमेंट शाखाएँ (एसएएमबी) खोली गईं।
- ओटीएस के माध्यम से वसूली को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई स्पेशल ओटीएस स्कीम 2018-19 (₹25 लाख तक के छोटे टिकट के लिए) और युनाइटेड स्पेशल ओटीएस स्कीम 2018-19 (टिकट का आकार ₹25 लाख से से ₹10 करोड़ तक)।
- स्वचालित ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ओटीएस प्रस्ताव का ऑनलाइन प्रसंस्करण लागू किया गया।
- वसूली में हमारे क्षेत्र के कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए पुरस्कृत योजनाओं का प्रारंभ।
- पैन इंडिया आधार पर चार्ज की गई प्रतिभूतियों की मेगा ई-नीलामी का आयोजन किया।
- वर्ष के दौरान 5 चरणों में एआरसी आदि को आस्तियों की बिक्री का संचालन किया।
- संदिग्ध-3 और शैडो खातों में एनपीए से वसूली में सुधार के लिए विशेष अभियान चलाए गए।

प्रत्येक महाप्रबंधक ने अपने नियंत्रण के तहत 2/3 क्षेत्रों के एनपीए प्रबंधन की निगरानी की थी।

फील्ड स्टाफ और उधारकर्ताओं के साथ प्रधान कार्यालय से शीर्ष प्रबंधन की नियमित बातचीत ओटीएस प्रस्ताव और स्पॉट अनुमोदन के प्रस्ताव के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई।

इन व्यवस्थित प्रयासों के परिणामस्वरूप, वित्त वर्ष 2018-19 में ताजा फिसलन पिछले वर्ष के ₹8606.26 की तुलना में घटकर ₹2870.52 करोड़ हो गया और 31.03.2019 को सकल एनपीए 31.03.2018 के ₹16552.11 करोड़ (24.10%) से घटकर 31.03.2019 को ₹12053.38 करोड़ (16.48%) हो गया।

वर्ष के दौरान एनपीए खातों से नकद वसूली की राशि पिछले वर्ष में हुई ₹501.35 करोड़ से उछलकर ₹1264.80 करोड़ पहुँच गई। वित्त वर्ष 2018-19 में, एनसीएलटी के माध्यम से तीन बड़े कंपनी एनपीए खाते, जिनकी कुल बकाया राशि ₹1223.07 करोड़ थी, निपटाए गए और 7 (सात) कंपनी ऋण (कुल बकाया राशि ₹696.97 करोड़) खाते एआरसी समूह को बेच दिए गए।

बैंक का शुद्ध एनपीए अनुपात 31.03.2018 को 16.49% से घटकर 31.03.2019 को 8.67% हो गया। निरपेक्ष शब्दों में, शुद्ध एनपीए 31.03.2019 को ₹5785.61 करोड़ रहा जबकि 31.03.2018 को ₹10316.30 करोड़ था। बैंक का प्रावधान कवरेज अनुपात 31.03.2019 को 72.94% था।

वर्ष 2018-19 के दौरान, पिछले साल में ₹99.53 करोड़ के मुकाबले तकनीकी रूप से बट्टे खाते वाले खातों में नकद वसूली बढ़कर ₹342.27 करोड़ हो गई है।

वर्तमान वित्तीय वर्ष 2018-19 में आईबीसी-2016 के तहत एनसीएलटी में कई मामलों को संदर्भित किया गया है, जहाँ कंसोर्टियम/बहु बैंकिंग व्यवस्था के तहत हमारा प्रदर्शन ₹4171.09 करोड़ है और एकल बैंकिंग व्यवस्था में ₹657.24 करोड़ है। यह उम्मीद है कि हमारे बैंक को वित्त वर्ष 2019-20 में ऐसे मामलों के समाधान से एक अच्छा-खासा हिस्सा मिलेगा।

पूंजी एवं आरक्षित निधियां

31 मार्च, 2019 को बैंक का निवल मालियत ₹4999 करोड़ निर्धारित किया गया था। बैंक की कुल चुकता पूंजी ₹7428 करोड़ थी। सरकार की बैंक में शेयरधारिता मार्च, 2019 में 96.83% रही।

(₹ करोड़ में)

विवरण	मार्च 2018	मार्च 2019
	बासेल-III मानदंड	बासेल-III मानदंड
जोखिम भारित परिसंपत्तियाँ	63543	59432
सीईटी 1 पूँजी	5331	6028
टीयर 1 पूँजी	6271	6028
टीयर 2 पूँजी	1748	1700
कुल पूँजी	8019	7728
सीईटी 1 अनुपात (%)	8.39	10.14
टियर 1 अनुपात (%)	9.87	10.14
सीआरएआर (%)	12.62	13.00

मार्च, 2019 में पूंजी पर्याप्तता अनुपात बासेल-III के मानदण्डों के तहत 13.00%, टीयर 1 के अनुपात के साथ 10.14% एवं टीयर 2 अनुपात 2.86% निर्धारित किया गया। बैंक के पास व्यवसाय वृद्धि की गति को समर्थन करने हेतु पूंजी बढ़ाने के लिए टीयर 1 और टीयर 2 विकल्पों के तहत पर्याप्त हेडरुम उपलब्ध हैं।

जोखिम प्रबंधन ढांचा:

बैंक के जोखिम सीमा के निर्धारण की समग्रत: जिम्मेदारी और प्रभावी जोखिम प्रबंधन का दायित्व बैंक के निदेशक मंडल और शीर्षस्थ प्रबंधन पर है। बैंक की जोखिम प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए बैंक ने एक बोर्ड स्तरीय समिति का गठन किया गया है जिसका नाम निदेशक मंडल की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबीओडी) है। यहां बैंक के विभिन्न जोखिम प्रबंधन कार्यों एवं गतिविधियों का पर्यवेक्षण करने के लिए शीर्ष कार्यपालकों की कुछ अन्य आंतरिक समितियां भी हैं, जैसे ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी), परिचालनगत जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) और आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एल्को)।

बैंक की आस्ति देयता प्रबंधन समिति (एल्को) ब्याज दर और चलनिधि जोखिमों की रणनीतिक प्रबंधन के लिए एक निर्णय लेने योग्य समिति है। एल्को की वर्ष के दौरान 18 बार बैठकें हुई, जिसमें विभिन्न मुद्दों की समीक्षा की गई जैसे- ब्याज दरों के परिदृश्य, जमा और अग्रिम दोनों के लिए उत्पाद मूल्य, वृद्धिशील आस्तियों एवं देयताओं के अपेक्षित परिपक्वता रुपरेखा, बैंक नीधियों की मांग, बैंक के एमसीएलआर का पुननिर्धारण, बैंक के नकद प्रवाह, लाभ योजना और समग्र तुलनपत्र प्रबंधन।

परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) पर बैंक की परिचालन जोखिम की निगरानी करने और एक स्पष्ट परिचालन जोखिम प्रबंधन प्रणाली के अभिकल्पन एवं निर्वाह द्वारा परिचालन जोखिम के निवारण हेतु मूल्यांकन एवं आवश्यक कदम उठाने का दायित्व है। यह सुनिश्चित करती है कि परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति के मानदंडो, नीतियों एवं दिशा-निर्देशों का दृढ़ता पूर्वक पालन किया जा रहा है। परिचालन जोखिम दृष्टिकोण से विभिन्न मुद्दों पर विचार-विमर्श करने के लिए ओआरएमसी की वर्ष के दौरान 11 बार बैठकें हुई ।

ऋण जोखिम प्रबंधन समिति (सीआरएमसी) बैंक के व्यापक आधार पर ऋण नीति, प्रक्रिया और विश्लेषण, प्रबंध और नियंत्रण ऋण जोखिम से संबंधित विभिन्न ऋण जोखिम के पहलुओं की निगरानी करता है। ऋण जोखिम के दृष्टिकोण से विभिन्न मुद्दों पर विचारविमर्श करने के लिए वर्ष के दौरान समिति की 12 बार बैठकें हुई ।

जोखिम प्रबंधन की नीतियां:

विभिन्न जोखिमों जैसे ऋण जोखिम, बाजार जोखिम, परिचालन जोखिम, चलनिधि जोखिम, विदेशी मुद्रा जोखिम और स्तंभ-II जोखिमों, पर चर्चा करने और ऐसे जोखिमों, जिसमें बैंक की संभावनाएं हैं, को पहचानने, प्रबंधित करने एवं उसके निवारण हेतु, बैंक ने विभिन्न जोखिम प्रबंधन नीतियां तैयार की हैं। इस प्रकार के जोखिमों से निपटने के लिए बैंक के निदेशक मंडल द्वारा ऋण नीति, आईसीएएपी पर नीति, परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति, व्यवसाय लाइन मैपिंग नीति, आस्ति देयता प्रबंधन नीति, निवेश नीति, प्रकटीकरण नीति, अस्थायी प्रावधान नीति, ऋण लेखा नीति, दबाव परीक्षण नीति और ऋण जोखिम निवारण तकनीक और संपार्श्विक प्रबंधन पर नीति आदि प्रमुख नीतियां विकसित एवं अनुमोदित की गई हैं।

ऋण जोखिम:

ऋण जोखिम से निपटने के लिए, बैंक ने एक ऋण नीति तैयार की है जिसमें ऋण जोखिम संबद्ध समस्त परिचालन क्षेत्रों को शामिल करते हुए ऋण प्रबंधन के नीतिगत दिशा-निर्देश निर्धारित हैं। यह नीति बैंक को अपने ऋण संविभाग में एक नियमित और स्वस्थ विकास के लिए नीतिगत ढांचे द्वारा निर्देशित ऋणगत निर्णयों के द्वारा जोखिम प्रबंधन क्षमताओं की वृद्धि करने के लिए सक्षम बनाती है।

बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुयोजन में व्यक्तिगत उधारकर्ताओं, समूह उधारकर्ताओं, प्रवेश स्तरीय निवेश मानदंड, पर्याप्त निवेश सीमा, बेंचमार्क वित्तीय अनुपात, उधारकर्ता मानकों, उद्योगों के लिए निवेश सीमा/अधिकतम सीमा, संवेदनशील क्षेत्रों, मूल्याकंन वर्ग आदि विभिन्न प्रकार की विवेकाधिकार सीमा का निर्धारण किया है। वर्ष के दौरान इस प्रकार की सीमाओं को बोर्ड द्वारा समीक्षित किया गया है।

वर्ष के दौरान, भारतीय रिज़र्व बैंक/बैंक के बोर्ड द्वारा तय की गई निवेश सीमा/अधिकतम सीमा के भीतर बैंक के विभिन्न निवेशों को सुनिश्चित करने के लिए छमाही आधार पर विभिन्न निवेश मानदंडों का विश्लेषण किया गया है।

बैंक ने जोखिम मूल्यांकन कार्य से स्वतंत्र अपने ऋण मूल्याकंन कार्य का निर्धारण किया है। ऋण खातों का आंतरिक जोखिम मूल्याकंन, ऋण प्रस्तावों का आकलन एवं उधारकर्ता के मूल्याकंन करने वाले एक सॉफ्टवेयर आधारित मूल्यांकन मॉडल के माध्यम से किया जाता है।

बैंक ने वर्ष के दौरान, बैंक के ऋण संविभाग पर विशेष उद्योग/क्षेत्र के प्रभाव का अध्ययन करने और ऋण संविभाग की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए रणनीतियों को अपनाने और संकेन्द्रण जोखिम के संभावित प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए, त्रैमासिक अंतराल पर ऋण संविभाग विश्लेषण का आयोजन किया ।

वर्ष के दौरान, बैंक ने भी एक वर्ष, दो वर्ष, तीन वर्ष और चार वर्षों की समय सीमा के लिए स्थिरता दर, उन्नयन दर, निम्न कोटि निर्धारण दर एवं चूक दर का विश्लेषण करने के लिए छमाही अंतराल पर अपने उधारकर्ताओं का मूल्याकंन स्थानानंतरण विश्लेषण करने का कार्य शुरू किया है एवं संविभाग की गुणवत्ता को सुरक्षित रखने के लिए उपयुक्त सुधारात्मक कार्रवाई की गई है।

बाजार जोखिम:

बाजार जोखिम के प्रबंधन के लिए, बैंक ने नकदी, ब्याज दर, विदेशी मुद्रा और बैंक की इक्विटी जोखिम को मापने, निगरानी एवं प्रबंध करने पर जोर दिया है। व्यापार बही में बाजार जोखिम की निगरनी एवं प्रबंधन उसके उपयुक्त नियत्रंण प्रणाली द्वारा की जाती है। बाजार की स्थिति, वित्त पोषण पैटर्न, अवधि, प्रतिपक्ष सीमा और विभिन्न संवेदनशील मानकों की भी नियमित आधार पर बैंक द्वारा निगरानी की जाती है। उन्नत जोखिम प्रबंधन उपकरण जैसे- जोखिम पर मूल्य (वीएआर), उपार्जन पर जोखिम (ईएआर), निवल एक दिवसीय खुली स्थिति सीमा (एलओओपीएल) और संशोधित अवधि सीमा का भी बाजार जोखिम के प्रबंधन में उपयोग किया जाता है।

बैंक नियमित आधार पर संरचनात्मक चलनिधि विवरणों और शेयर अनुपातों के माध्यम से तुलन पत्र के सभी मदों की चलनिधि जोखिम को मापती एवं निगरानी करती है। बैंक ब्याज दर संवेदनशीलता अंतराल रिपोर्टों के माध्यम से इसके ब्याज दर जोखिम की भी निगरानी करता है।

बैंक ने राजकोष कार्यों के लिए परिचालनगत दिशा-निर्देशों को लागू करने हेतु अपनी निवेश नीति का प्रतिपादन एवं समीक्षा किया है। बैंक ने चलनिधि जोखिम, ब्याज दर जोखिम आदि से निपटने के लिए एक आस्ति देयता प्रबंधन नीति को भी लागू किया है। इन नीतियों में प्रबंधन कार्य, प्रक्रिया, विवेकसम्मत जोखिम सीमा, समीक्षा व्यवस्था और रिपोर्टिंग प्रणाली आदि शामिल हैं। इन नीतियों की समय-समय पर वित्तीय एवं बाजार की स्थिति में परिवर्तन होने के क्रम में समीक्षा की जाती है।

बैंक के निवेश संविभाग के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को सुदृढ़ करने के साथ बाजार जोखिम के लिए पूंजी प्रभार के स्वचालित गणना के साथ चल रहे आधार पर अपने निवेश एवं राजकोष संविभाग की निगरानी के लिए बैंक के पास "एकीकृत राजकोष प्रबंधन प्रणाली (आईटीएमएस)" सॉफ्टवेयर है।

परिचालनगत जोखिम:

प्रभावी ढंग से एक परिचालनगत जोखिम प्रबंधन के लिए बैंक ने एक परिचालनगत जोखिम प्रबंधन नीति तैयार की है। विभिन्न उत्पादों, गतिविधियों और विभिन्न व्यवसाय श्रेणी में आय की संगणना के लिए बैंक ने व्यवसायिक ऋंखला संगणना नीति भी तैयार की है।

बैंक के परिचालनगत जोखिम की निगरानी करने का दायित्व परिचालनगत जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) का है। ओआरएमसी द्वारा बैंक द्वारा अपनायी गई प्रणाली, प्रक्रिया, नए उत्पाद तथा परिचालन जोखिम लॉस इभेन्ट डाटा की भी समीक्षा की जाती है और आंतरिक प्रणाली तथा प्रक्रिया को मजबूत बनाने के लिए सुधारात्मक/निवारक उपाय करने हेतु यह सुझाव देता है।

बासेल-III अनुपालन:

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी मार्गदर्शी की श्रृंखला में प्रभावी तिथि 31 मार्च, 2009 से बैंक ने बासेल ढांचे की सफलता के साथ ऋण जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण (एसए) परिचालनगत जोखिम के लिए मूल संकेत दृष्टिकोण (बीआईए) और पूंजी पर्याप्तता अनुपात की गणना के लिए बाजार जोखिम हेतु मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण (एसडीए) का माइग्रेट किया है ।

बैंक ने भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देश के अनुसरण में प्रभावी तिथि 01 अप्रैल, 2013 से बासेल पूंजी नियामक मानदंडों का अनुसरण किया है। बैंक द्वारा तिमाही अंतराल में बासेल-III मानदंडों के तहत, जोखिम भारित आस्ति अनुपात (सीआरएआर) में पूंजी की गणना की जाती है।

बैंक ने भारतीय रिजर्व बैंक के स्तंभ 2 दिशा-निर्देशों का अनुपालन करते हुए आंतरिक पूंजी पर्याप्तता निर्धारण प्रक्रिया (आईसीएएपी) के तहत सभी वस्तु जोखिम,जिससे बैंक प्रभावित है एवं जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया, जिसे उन जोखिमों के प्रबंधन एवं समाप्त करने के लिए लागू किया गया है तथा उन जोखिमों के अनुरूप पूँजी पर्याप्तता अनुपात के साथ मूल्यांकन हेतु एक नीति तैयार की है ।

आईसीएएपी नीति के साथ, बैंक वार्षिक आधार पर आईसीएएपी दस्तावेज तैयार करता है और बैंक के निदेशक मंडल द्वारा आंतरिक सत्यापन और अनुमोदन के बाद भारतीय रिजर्व बैंक को प्रस्तुत किया जाता है। वर्ष 2018-19 के लिए बैंक के आईसीएएपी दस्तावेज आरबीआई को प्रस्तुत किया गया है।

बैंक ने बासेल-III के मानदंडों के तहत अपनी पूंजी की आवश्यकता की समीक्षा की और अपने पूंजी आधार को मजबूत बनाने के लिए आवश्यक कदम उठाए हैं। बैंक ने आईसीएएपी के तहत इसके जोखिम संकेंद्रण पर तिमाही आधार पर बैंक की पूंजी की आवश्यकता और निगरानी के लिए समीक्षा की है ।

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निर्देशों और बैंक के तनाव परीक्षण नीति के अनुसार बैंक ने लिक्विडिटी रिस्क, ब्याज दर जोखिम, विदेशी मुद्रा जोखिम और ऋण जोखिम जैसे विभिन्न जोखिमों पर त्रैमासिक अंतराल पर तनाव परीक्षण विश्लेषण का आयोजन किया और पूंजी पर्याप्तता और मुनाफे का आकलन भी किया ।

जोखिम प्रबंधन के क्षेत्र में कौशल विकास के लिए, बैंक ने सीएएफआरएएल, एनआईबीएम, आईबीए, आईडीआरबीटी, सीएबी आदि जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों द्वारा किए गए जोखिम प्रबंधन पर विभिन्न प्रशिक्षण/सेमिनार के लिए नियमित आधार पर अपने अधिकारियों को मनोनीत किया।

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को अग्रिम

प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को 31 मार्च, 2019 तक बैंक द्वारा 40% निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध ₹35406 करोड़ ऋण दिया गया है जो कि एएनबीसी का 50.20% है। बैंक ने एमएसएमई के अंतर्गत लघु और सीमांत किसान, माइक्रो उद्यम, इसके अलावा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिमों के अन्य संभाव्य अवसरों यथा एसएचजी ऋण सहबद्धता, केसीसी, लघु चाय संवर्धक को वित्तपोषण, खाद्य एवं कृषि प्रसंस्करण इकाईयों के वित्तपोषण, दुग्ध उत्पादन की बड़ी इकाईयों को वित्तपोषण, मुर्गी पालन, नियंत्रित हालत में (पाली हाउस) सब्जी और फूल, कृषि आदि के लिए वित्तपोषण किए हैं।

कृषि ऋण:

बैंक ने वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान रु 6417 के लक्ष्य के मुकाबले ₹4040 करोड़ संवितरित कर 63% का लक्ष्य प्राप्त किया है। 31 मार्च 2019 को कृषि क्षेत्र को ऋण ₹13258 करोड़ रहा, जो एएनबीसी के निर्धारित 18% लक्ष्य के मुकाबले 18.80% है। वर्ष 2018-19 में लघु एवं सीमांत किसानों को ₹7108 करोड़ ऋण डीआईवाईएए जीएवाईएए जो एएनबीसी की निर्धारित 8% लक्ष्य के मुकाबले 10.08% है।

कमजोर वर्ग के लिए ऋण:

31 मार्च 2019 को कमजोर वर्ग का ऋण ₹10443 करोड़ हो गया है और जो 14.81% की निर्धारित एएनबीसी के लक्ष्य के मुक़ाबले में 10% है।

अल्पसंख्यक समुदाय के लिए ऋण:

31 मार्च 2019 की समाप्ति पर बैंक का अल्पसंख्यक समुदाय ऋण ₹5331 करोड़ हो गया जो शर्त के अनुरूप पीएसएल के 15.05% है।

किसान क्रेडिट कार्ड:

केसीसी के दायरे में नए किसानो को लाने हेतु बैंक ने अधिक संख्या में किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने के लिए 01.12.2018 से 30.03.2019 के दौरान अनेकों विशेष शिविरों एवं एक कृषि ऋण अभियान का आयोजन किया। वर्ष 2018-19 के दौरान बैंक ने 19995 नया केसीसी जारी किया जिसकी ऋण सीमा ₹150 करोड़ रहा। 31 मार्च 2019 को कुल बकाया केसीसी की संख्या 595828 रहा, जिसमें कुल बकाया राशि ₹3042 करोड़ रहा। सरकार के दिशा निदेशों के अनुसार सभी केसीसी धारकों को सक्षम रूपे आधारित एटीएम कार्ड जारी करने के संबंध में, बैंक ने केसीसी धारकों (एन.पी.ए.केसीसी को छोडकर) को 31.03.2019 तक ₹5.68 लाख एटीएम कार्ड जारी किया है, इस तरह सरकार द्वारा निर्धारित समयसीमा के भीतर समस्त परिचालित केसीसी को रुपे केसीसी में पूर्ण परिवर्तित करने के लक्ष्य को प्राप्त किया।

स्वयं सहायता समूह:

31 मार्च 2019, को बैंक का 121427 स्वयं सहायता समूहों के साथ क्रेडिट लिंकेज है, जिसमें कुल बकाया राशि ₹1095 करोड़ है। एसएलबीसी, पश्चिम बंगाल के निर्णय के अनुसार प्रथम ग्रेडिंग के स्वयं सहायता समूह को ₹1.50 लाख की प्रारम्भिक क्रेडिट सीमा प्रदान करते हुए बैंक ने स्वयं सहायता समूह के लिए एनआरएलएम कार्यक्रम को लागू किया है। राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (सीबीआरएम) की सहायता से बैंक ने समुदाय आधारित वसूली तंत्र (एसआरएलएम) में भाग लेना शुरू किया है, जिससे शाखाओं में बैंक सखी/बैंक मित्र को रखा गया है।

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व:

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के रूप में, बैंक ने युनाइटेड बैंक सामाजिक-आर्थिक विकास कार्यक्रम की नीव (युबीएसईडीएफ) के माध्यम से निम्नलिखित गतिविधियों में कार्य शुरू किया है:

युनाइटेड बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (युबीआरएसईटीआई):

बैंक ने अब तक 16 आरसेटी, पश्चिम बंगाल (6), असम (8) और त्रिपुरा (2) राज्यों में समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों से संभावित उद्यमियों को प्रशिक्षण देने के लिए गठित की है।

आरसेटी सक्रिय रूप से विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन करता रहा है यथा एसएचजी मोड के अंतर्गत वीसीआई, कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां, अन्य रोजगार सृजन कार्यक्रम तथा सरकारी कार्यक्रम जैसे - पीएमईजीपी, कौशल विकास आदि।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, इन संस्थानों ने 9450 उम्मीदवारों के निर्धारित लक्ष्य के एवज में 9853 ग्रामीण युवाओं/महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया है, जिनमें से 42% प्रशिक्षुओं ने आर्थिक उद्यम की स्थापना कर स्वयं को स्थापित कर लिया है। ये संस्थान प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षण के बाद उन्हें सहारा देते हुए हमारे बैंक की शाखाओं से ऋण की व्यवस्था कराते हैं ताकि वे स्वयं के उद्यम स्थापित करने में सक्षम हो सके।

एफएलसीसी:

समाज के गरीब वर्ग को वित्तीय साक्षरता और ऋण परामर्श सेवाओं का विस्तार प्रदान करने के लिए बैंक ने पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा और मणिपुर राज्यों में 38 वित्तीय साक्षरता केन्द्र (एफएलसी) का गठन किया है। वित्तीय वर्ष 2018-19 में, यह एफएलसी नियमित रूप से आउटरीच कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं, जिसमें बाहरी गतिविधियों के लिए वित्तीय साक्षरता प्रदान करना भी शामिल है।

युनाइटेड बैंक सामाजिकआर्थिक विकास फाउंडेशन (युबीएसईडीएफ):

बैंक के निदेशक मंडल के निर्णय के अनुसार सामाजिक और आर्थिक विकास की गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य तथा समाज के कमजोर और विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग को सहायता प्रदान करने के लिए, 30 मार्च 2007 को युनाइटेड बैंक सामाजिक आर्थिक विकास फाउंडेशन (युबीएसईडीएफ) को स्थापित किया गया था । बैंक ने 31.03.2019 तक अपने सीएसआर गतिविधियों के लिए 93 विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियों में ₹327.43 लाख की कुल राशि की वित्तीय सहायता प्रदान किया है। वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान हेल्थ केयर, लाईब्रेरी रूम निर्माण, ई-स्लेटों का वितरण, सामजिक गतिविधियों के लिए कंबल एवं गाडियां आपूर्ति के तहत प्रस्तावों को सहायता देने पर विशेष ध्यान दिया गया है। इस साल, बैंक ने 5 परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए संबंधित संगठनों द्वारा समाज हेतु ₹30.28 लाख संवितरित किया है ।

नीतिगत मामलें:

विभाग प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, ग्रामीण और कृषि ऋण संविभागों से संबंधित सभी नीतियों का पहल तथा कार्यान्वयन करता है और तदन्तर परिपत्र भी जारी करता है। यह आरआईडीएफ और आईबीपीसी के माध्यम से निवेश/विस्तारित किए गए धन को भी नियंत्रित करता है एवं उत्पादन ऋण के अंतर्गत उधारकर्ताओं की विभिन्न श्रेणियों के लिए ब्याज और प्रोत्साहन अनुदान योजनाओं को लागू करता है।

इसके अलावा, विभाग के पास ऋण के माध्यम से, बैंक से जुड़े कृषकों के संबंध में पीएमएफबीवाई तथा अन्य सुरक्षा योजनाओं के कार्यान्वयन की जिम्मेदारियां भी हैं।

एमएसएमई:

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान एम एस एम ई के अन्तर्गत बैंक का अग्रिम 31.03.2018 के ₹11852 करोड़ से बढकर 31.03.2019 तक ₹12522 करोड़ हो गया। समग्र रूप से 2018-19 में वर्षवार बैंक के एमएसएमई संविभाग में 5.65% वृद्धि को ध्यान में रखते हुए इसे युक्तिसंगत माना जा सकता है।

एमएसएमई, बैंक के उधार में एक प्रमुख घटक होने के कारण, बैंक के एमएसएमई संविभाग को समुन्नत करने के उद्देश्य से निम्नलिखित पहल किए गए:

- टीआरईडीएस (व्यापार प्राप्तियों के लिए इलेक्ट्रॉनिक छूट प्रणाली) प्लेटफार्म के साथ बैंक ने अपना पंजीकरण करवाया एवं बीजकों के फैक्टरिंग के माध्यम से व्यवसाय परिचालन की शुरूआत की।
- एमएसएमई आउटरीच कार्यक्रम के दौरान बैंक के सर्वोच्च कार्यपालकों की उपस्थिति में एमएसएमई व्यवसाय को बढाने हेतु देश के विभिन्न भागों में अनेक एमएसएमई ग्राहक बैठक आयोजित किए गए ।
- एमएसएमई संविभाग की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए एमएसएमई ऋण पर शाखा प्रबंधकों को प्रशिक्षण प्रदान किया गया ।
- मुद्रा श्रेणी के अंतर्गत बैंक ने ₹10.00 लाख तक के एमएसएमई क्षेत्र के अंतर्गत संपार्श्विक मुक्त ऋण के लिए एवं सीजीटीएमएसई गारंटी कवरेज के तहत ₹10.00 लाख से उपर ₹200 लाख तक के ऋण को प्रोत्साहित किया।
- बैंक ने सही मायने में लक्ष्य समूह अ.जा./अ.ज.जा एवं महिला उद्यमियों को "स्टैंड अप इंडिया" योजना को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से ऋण उपलब्ध कराया है ।
- बैंक ने एमएसएमई के जरूरतों को पूरा करने एवं इस क्षेत्र में ऋण प्रवाह को बढ़ाने हेतु एमएसएमई ऋण की मंजूरी को गति देने के लिए 10 एमएसएमई वर्टिकल की शुरुआत की। अन्य व्यवसायिक केंद्रो पर प्रभावी तिथि 07.05.2019 से 15 नए एमएसएमई वर्टिकल ने कार्य आरंभ किया है। इस तरह कुल एमएसएमई वर्टिकल 25 हो गई।
- भा.रि.बै. के दिशानिदेश के अनुसार बैंक ने प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में उधार देने के लिए एसआरईआई इक्विपमेंट फाइनैन्स लिमिटेड के साथ ऋण का सह-उत्पादन आरंभ किया है।

अग्रणी बैंक प्रभाग और स्टेट स्तरीय बैंकर्स समिति:

अग्रणी बैंक योजना की शुरुआत आरबीआई द्वारा दिसंबर 1969 में की गई थी। अग्रणी बैंक योजना की परिकल्पना आबंटित किए गए जिलों के संबंधित बैंकों, व्यक्तिगत बैंक (सार्वजनिक और निजी क्षेत्र दोनों) को अग्रणी बैंक की जिम्मेदारियाँ सौपना है। अग्रणी बैंक सदस्य बैंको के संयुक्त प्रयास के माध्यम से समावेशी ऋण वृध्दि संबंधी राष्ट्रीय लक्ष्य को बढ़ावा देने का प्रयास करेंगे।

पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा राज्य में राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) का संयोजक है। ऐसा माना जाता है कि, 43 जिलों में अग्रणी भूमिका निभा रहा है जिसमें पश्चिम बंगाल में 11 जिले, असम में 16 जिले, मणिपुर में 8 जिले और त्रिपुरा में 8 जिले शामिल हैं।

पश्चिम बंगाल एवं त्रिपुरा राज्यों का अग्रणी बैंक होने के नाते, बैंक दोनों राज्यों के लिए वार्षिक ऋण योजनाओं (एसीपी) को बनाने और अंतिम रूप देने में सक्रिय रूप से शामिल है तथा विभिन्न सामाजिक आर्थिक गतिविधियों के कार्यान्वयन, सरकारी योजनाएं आदि के लिए उपयुक्त कार्य योजना बना रहा है, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड और राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ घनिष्ठ संबंध बनाए रखने के अलावा वर्ष के दौरान दोनों राज्यों के आउटरीच कार्यक्रम एवं भारत सरकार की प्रमुख पहल अर्थात ग्राम स्वराज अभियान एवं एमएसएमई सपोर्ट के साथ भी एसएलबीसी सक्रिय रूप से शामिल थी। अग्रणी जिला प्रबंधक जिला ऋण योजनाओं की तैयारी एवं ब्लॉक स्तर पर इसे लागू करने में समान रूप से शामिल हैं।

शाखाओं की कार्यनिष्पादन समीक्षा के लिए एसएलबीसी की बैठकें नियमित रूप से त्रैमासिक आधार पर आयोजित की जाती हैं। पश्चिम बंगाल में एसएलबीसी की 144वीं बैठक दिनांक 12.03.2019 को आयोजित हुई थी जबकि त्रिपुरा में एसएलबीसी की 128वीं बैठक दिनांक 15.03.2019 में हुई। पश्चिम बंगाल के लिए एसएलबीसी की बैठक मुख्य सचिव, वित्त सहित बैंक के प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी की अध्यक्षता में की गई जबकि मुख्य सचिव के साथ प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी ने त्रिपुरा में आयोजित बैठक की अध्यक्षता की।

युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा राज्य के लिए संयोजक के रूप में वार्षिक ऋण योजना के सफल क्रियान्वयन की निगरानी के लिए जिम्मेवार है, विभिन्न प्रायोजित योजना अर्थात डीएवाई-एनआरएलएम, डीएवाई-एनयूएलएम, प्रधान मंत्री मुद्रा योजना, स्टैंड अप योजना, सामाजिक सुरक्षा योजना जैसे प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, प्रधान मंत्री सुरक्षा योजना एवं अटल पेंशन योजना। एसएचजी बैंक लिंकेज के संदर्भ में बैंक का प्रदर्शन विभिन्न मंचों पर नोट किया गया था। इसके अलावा, बैंक दोनों राज़्यों के विभिन्न बैंक शाखाओं पर आधार सीडिंग केंद्र स्थापित करने का साधन था और विभिन्न तरह के वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम के द्वारा डिजिटल बैंकिंग को प्रसारित करने में सहायता की।

आरबीआई तथा डीएफएस के दिशा निर्देशों के अनुरूप बैंक रहित ग्रामीण केन्द्रों (यू आर सी) मे बैंकिंग आउटलेट खोलने में एसएलबीसी डेस्क सहायक रही है। 2018-19 में, अग्रणी जिला प्रबंधक द्वारा सर्वेक्षण की प्रक्रिया के माध्यम से पहचाने गए 72 बैंक रहित ग्रामीण केन्द्रों में से 47 केन्द्रों पर बैंको ने बैंकिंग आउटलेट खोले हैं।

2018-19 में, बैंकों ने पश्चिम बंगाल में 72 यूआरसी में से 47 में बैंकिंग आउटलेट खोले हैं, जैसा कि लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स द्वारा सर्वेक्षण की प्रक्रिया के माध्यम से पहचाना जाता है। त्रिपुरा राज्य के लिए भी एसएलबीसी द्वारा इसी तरह के प्रयास किए गए हैं।

मौसम 2018-19 में आलू की बम्पर उत्पादन के कारण आलू को बहुत कम दामों पर बेचने को बाध्य किसानो के लिए राज्य सरकार द्वारा एक पूर्वनिर्धारित दर पर आलू की खरीद के संबंध में मंजूरी एवं तद संबन्धित व्यवस्था एसएलबीसी, पश्चिम बंगाल द्वारा लिया गया एक अभूत पूर्व निर्णय था।

इस प्रयोजन के लिए राज्य के सभी कोल्ड स्टोरों के 15% स्थान को चिन्हित करके खरीदे गए आलू को कोल्ड स्टोर में रखा गया था। इसलिए की गई कार्रवाई से उत्पादक किसानों की प्रसन्नता के लिए आलू की कीमत का स्वतः समायोजन हो गया।

वित्तीय समावेशन

डिजिटल भुगतान और मोबाइल प्रौद्योगिकी के विकास के साथ अब इस सुविधा के द्वारा बैंक सुविधा रहित आम लोगों को उन्नत उत्पाद उपलब्ध करा रहा है। फिनटेक, एक अभूतपूर्व गति से वित्तीय समावेशन का चेहरा बदल रहा है। 13381 गांवों में जहां बैंकिंग सेवा नहीं थी, ऐसे गांवों में 4252 बैंक मित्र के बड़े नेटवर्क द्वारा नवीनतम और उत्तम प्रौद्योगिकी के माध्यम से वंचित लोगों को उनके दरवाजे पर विभिन्न बुनियादी बैंकिंग सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।

2018-19 को समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान वित्तीय समावेशन और प्रधान मंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के कार्यान्वयन की उपलब्धियों की मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं।

1. बैंक मित्रों ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान ₹1365.66 करोड़ रुपये से आगे बढ़ कर ₹1856.41 करोड़ का संग्रहण किया, जिससे इस अवधि के दौरान ₹490.75 करोड़ (35.94% वृद्धि वर्ष दर वर्ष) की वृद्धि दर्ज की गई। इसी अवधि में एसबीएफआईएस खातों की संख्या ₹103.37 लाख से बढ़कर ₹113.1 लाख हो गई, जिससे 9.45% वर्ष दर वर्ष की वृद्धि दर्ज की गई।
2. एफआई आवर्ती जमा (आरडीएफआईएस) योजना ने संख्या के संदर्भ में 233.95% (31.03.2019 को 106485 खाते) और 31.03.2019 को ₹1416.39 लाख के संदर्भ में 154.78% की वृद्धि दर्ज की है।
3. युनाइटेड जेएलजी सूक्ष्म वित्तपोषण के अंतर्गत नगण्य एनपीए के साथ कुल संस्वीकृति में 31.03.2019 को ₹434.84 करोड़ (वर्ष दर वर्ष 53.61% की वृद्धि) की वृद्धि हुई।
4. बैंक ने नई आरंभ की गई "युनाइटेड समृद्धि" योजना पर ध्यान केंद्रित किया जिसके अंतर्गत 8002 व्यक्तियों को छोटे ऋण प्रदान किए गए और पोर्टफोलियो 31.03.2018 को ₹45.69 करोड़ से बढ़कर 31.03.2019 तक ₹86.33 करोड़ हो गया। बैंक ने नए भौगोलिक क्षेत्रों में विशिष्ट एमएसएमई क्लस्टर पर ध्यान केंद्रित करने के साथ-साथ "युनाइटेड समृद्धि" योजना को नए रूप में आरंभ भी किया है।
5. बैंक ने वर्ष दर वर्ष प्रमुख पीएमजेडीवाई योजना के तहत निरंतर प्रगति की, जिसमें 31.03.2019 को खातों की संख्या ₹1.30 करोड़ तक बढ़ी।
6. 31.03.2019 को प्रधान मंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) के तहत कुल पंजीकरण ₹4.48 लाख तक बढ़ गया, जबकि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (पीएमएसबीवाई) के तहत पंजीकरण 31.03.2019 तक ₹26.29 लाख हो गया। पीएमजेजेबीवाई के तहत एलआईसी के साथ बैंक द्वारा दर्ज 2273 दावों में से 2063 को 31.03.2019 को निपटाया गया था और पीएमएसबीवाई के मामले में, 314 दावों में से 116 दावे एनआईसी द्वारा निपटाए गए थे ।
7. अटल पेंशन योजना (एपीवाई) के तहत कुल पंजीकरण 31.03.2019 को 212304 पर था।
8. 31.03.2019 को ₹136.14 लाख सक्रिय कासा खातों में आधार दर्ज किया गया (31.03.2018 तक ₹132.95 लाख से ऊपर)। पुनः, 31.03.2019 को यूआईडीएआई के सीआईडीआर के माध्यम से आधार प्रमाणीकरण की संख्या ₹117.84 लाख थी, जो बैंकिंग उद्योग में अधिकतम में से एक है।
9. बैंक ने वित्तीय वर्ष के दौरान भीम (BHIM) आधार पे मर्चेंट पीओएस की भी शुरूआत की और 31.03.2019 तक 2056 टर्मिनलों की स्थापना की।
10. बैंक ने 31.03.2019 को यूआईडीएआई के रजिस्ट्रार के रूप आधार नामांकन और अद्यतन के क्षेत्र में प्रवेश किया और बैंक और आरआरबी की 297 शाखाओं में आधार नामांकन केंद्र लागू किया। बैंक ने आधार नामांकन परिचालक और पर्यवेक्षक के रूप में कार्य करने के लिए 515 से अधिक व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया है और उनका प्रमाणीकरण पूरा किया है।

संगठन एवं सहायता सेवाएं

शाखा नेटवर्क:

पेनलोंग शाखा 25.06.2018 में खोली गई थी। वर्ष 2018-19 के दौरान, बैंक ने 23.10.2018 में वेसु (सूरत) में एक रिटेल हब एवं पांच एसएएमबी (स्ट्रेस्ड एसेट मैनेजमेंट ब्रांच) खोला है।

01.04.2018 से 31.03.2019 की अवधि के दौरान खोली गई शाखाएं एवं कार्यालय

क्र. सं.	शाखा /कार्यालय का नाम	क्षेत्र	राज्य	खोलने की तिथि	शाखा/कार्यालय का प्रकार
1	पेनलोंग	उतर बंगाल	पश्चिम बंगाल	25.06.2018	सामान्य शाखा
2	एस ए एम बी, गुवाहाटी	गुवाहाटी	असम	25.07.2018	एस ए एम बी
3	एस ए एम बी, सिल्लीगुडी	उतर बंगाल	पश्चिम बंगाल	27.07.2018	एस ए एम बी
4	एस ए एम बी, रांची	झारखंड	झारखंड	27.07.2018	एस ए एम बी
5	एस ए एम बी, कटक	भुवनेश्वर	ओड़िसा	30.07.2018	एस ए एम बी
6	एस ए एम बी, चेन्नई	दक्षिण	तमिलनाडु	19092018	एस ए एम बी
7	रिटेल हब वेसु (सूरत)	अहमदाबाद	गुजरात	23.10.2018	रिटेल हब

बैंक ने वर्ष 2018-19 के दौरान कुल 250 सामान्य शाखाएँ और बैंक रहित गांवों में 39 शाखाएँ खोलने के लिए आर बी आई की पूर्व अनुमति मांगी है। हालाँकि, आर बी आई ने अभी तक पी सी ए के आधार पर नई शाखाएँ खोलने की अनुमति नहीं दी है।

दिनांक 31.03.2019 को कुल 2055 शाखाओं में से, 902 (43.89%) शाखाएं पूरे देश के 85 अल्पसंख्यक बहुल जिलों (एम सी डी) में स्थित है।

व्यावसायिक गतिविधि को सुव्यवस्थित करने एवं लागत को कम करने के लिए, बैंक ने वर्ष 2018-19 के दौरान शाखा नेटवर्क के औचित्य/समेकन की प्रक्रिया शुरू की थी और बैंक ने वर्ष के दौरान 9 शाखाओं का विलय कर दिया है।

01.04.2018 से 31.03.2019 तक की अवधि के दौरान विलय/बंद की गई शाखाएं और कार्यालय

क्र. सं.	विलय की गई शाखा	सोल आई डी	के साथ विलय	क्षेत्र	सोल आई डी	विलय की तारीख
01	शशिभूषण दे स्ट्रीट	0479	कोले मार्केट	कोलकाता दक्षिण	0075	14.04.2018
02	लोहा पट्टी	0110	पोस्ता	कोलकाता दक्षिण	0556	15.04.2018
03	सर्वे पार्क	1562	संतोषपुर	बेहाला	0146	22.04.2018
04	सयैद अमीर अली एवेन्यू	0674	पार्क सर्कस	कोलकाता दक्षिण	0066	28.04.2018
05	जे एन रोड	0668	न्यू मार्केट	कोलकाता दक्षिण	0107	29.04.2018
06	मुक्ताराम बाबू स्ट्रीट (कोलकाता उत्तर)	0672	जोरासंको	कोलकाता दक्षिण	0080	06.05.2018
07	श्यामपुकुर	0871	बाग बाजार	कोलकाता उत्तर	0090	12.05.2018.
08	सुकान्त मोड़	2105	नेताजी मार्केट	मालदा	0678	13.05.2018
09	हाइलैंड पार्क (बेहाला क्षे.का.)	2211	पियरलेस हॉस्पीटल	कोलकाता दक्षिण	1513	29.05.2018

31.03.2019 तक बैंक की कुल शाखाओं/कार्यालयों की संख्या 2055 है। बैंक के अलावा 36 क्षेत्रीय कार्यालय, 3 कर्मचारी प्रशिक्षण केंद्र, 5 एक्सटेंशन काउंटर, 3 लिंक कार्यालय एवं 02 विदेशी प्रतिनिधि कार्यालय बांग्लादेश के ढाका में और म्यांमार के यंगून में हैं।

कुल शाखा/कार्यालय नेटवर्क की जनसंख्या समूह - वार संरचना:

स्थान	शाखाओं की संख्या (कुल %)	
	31.03.2018	31.03.2019
महानगर	375 (18.23%)	372 (18.10%)
शहरी	481 (23.38 %)	481 (23.41%)
अर्ध-शहरी	424 (20.62%)	424 (20.63%)
ग्रामीण	777 (37.77%)	778 (37.86%)
कुल	**2057**	**2055**

भौगोलिक स्थान-वार शाखा नेटवर्क:

स्थान	शाखाओं की संख्या (कुल का %)	
	31.03.2018	31.03.2019
पूर्वी क्षेत्र	1182 (57.46%)	1176 (57.23%)
उत्तर पूर्वी क्षेत्र	364 (17.70%)	365 (17.76%)
पश्चिमी क्षेत्र	88 (4.28%)	90 (4.38%)
उत्तरी क्षेत्र	126 (6.13%)	126 (6.13%)
दक्षिणी क्षेत्र	139 (6.76%)	140 (6.82%)
केन्द्रीय क्षेत्र	158 (7.67%)	158 (7.69%)
कुल	**2057**	**2055**

बैंक की 246 विशेष शाखाएँ हैं, जो विशिष्ट ग्राहक श्रेणियों के लिए हैं:

विशिष्ट शाखाओं की श्रेणियाँ	31.03.2019
1. एम एस एम ई	180
2. आस्ति वसूली प्रबंधन	9
3. रिटेल हब	26
4. कॉर्पोरेट वित्त शाखा	4
5. सेवा शाखा	19
6. महिला शाखा	4
7. ट्रेजरी शाखा	1
8. केंद्रीय पेंशन प्रसंस्करण केंद्र	1
9. नकद प्रबंधन सर्विस हब	1
10. आवक चेक प्रसंस्करण केंद्र	1
कुल	**246**

सूचना प्रौद्योगिकी:

बैंक की सभी शाखाओं को कोर बैंकिंग प्रणाली के तहत शामिल किया गया है और बेहतर ग्राहक सेवा एवं प्रभावी प्रबंधन को सुविधाजनक बनाने के लिए मानव संसाधन प्रबंधन प्रणाली, सरकारी व्यवसाय मॉड्यूल, आस्ति देयता प्रबंधन, धन शोधन निवारण और लैंडिंग ऑटोमेशन प्रसंस्करण प्रणाली आदि जैसे अन्य कई अन्य अनुप्रयोगों का भी कार्यान्वयन किया गया है। बैंक की सभी शाखाओं में आरटीजीएस और एनईएफटी के माध्यम से अंतरबैंक धन प्रेषण की सुविधा उपलब्ध है। यह सुविधा हमारे इंटरनेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग मंच पर भी उपलब्ध है। बैंक स्विफ्ट नेटवर्क के माध्यम से एक ए श्रेणी की एडी शाखा और 41 'बी' श्रेणी की एडी शाखाओं द्वारा सीमापार धन प्रेषण करता है। कोर बैंकिंग प्रणाली को एसएफएमएस प्लेटफार्म के साथ एकीकृत किया गया है ताकि सीधे पूर्ण प्रसंस्करण (एसटीपी) का उपयोग करके देशी साख पत्र (एलसी) और देशी बैंक गारंटी का परिचालन किया जा सके। धोखाधड़ी की घटनाओं को रोकने के लिए, अपनी सभी शाखाओं में बॉयोमेट्रिक प्रमाणीकरण प्रणाली को कोर बैंकिंग प्रणाली तक पहुंचने के लिए कार्यान्वित किया गया है।

बैंक ने अपनी कॉर्पोरेट नेटवर्क आर्किटैक्चर को नेक्स्ट जेनेरेशन के एमपीएलएस प्रौद्योगिकी के लिए नवीनीकृत कर दिया है और उच्च उपलब्धता एवं बेहतर प्रदर्शन के लिए

नेटवर्क बैंडविड्थ का उन्नयन भी किया है। केबल कटने की स्थिति में नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए बैंक ने वीसैट को समर्पित बैंडविड्थ और हाई स्पीड डेटा कनेक्टिविटी के साथ 3 जी का उपयोग करके शाखाओं में बैकअप कनेक्टिविटी का उपयोग किया है। प्राइमरी लिंक के आउटेज के मामले में और इसके विपरीत होने की स्थिति बैंक निर्बाध ग्राहक सेवा प्रदान करने के लिए सेकेंडरी एमएलपी कनेक्टिविटी लागू करने की प्रक्रिया में है।

बैंक अपने कोर बैंकिंग और अन्य अनुप्रयोगों के साथ-साथ डेटा केंद्र के बुनियादी ढांचे के लिए भी सूचना सुरक्षा (आईएस) लेखा परीक्षा करता है। इसमें कुछ अंतराल पर बाह्य सामना करने वाले अनुप्रयोगों के लिए वीएपीटी (वल्नेरेबिलिटी एसेसमेंट एंड पेनेट्रेशन टेस्टिंग) शामिल है। बैंक अपने व्यापार निरंतरता योजना (बीसीपी) के तहत आवधिक डीआर (आपदा रिकवरी) अभ्यास का आयोजन करता है।

हमारी दूसरी तकनीक पहल के हिस्से के रूप में निम्नलिखित प्रणालियाँ स्थापित की गई हैं।

एनपीसीआई की कनेक्टिविटी एनएसीएच और एपीबीएस प्लेटफॉर्मों के माध्यम से होस्ट से होस्ट की शुरूआत कर सभी लेनदेन की प्रक्रिया के लिए केंद्रीय भुगतान केंद्र समाधान कार्यान्वित किया गया है। इस मंच में मैनडेट प्रबंधन सेवाएं भी चालू की गई हैं। भविष्य में, सभी कॉर्पोरेट उगाही और भुगतान सेवाओं और आईएमपीएस गेटवे को इस केंद्रीकृत केंद्र (हब) में एकीकृत किया जाएगा।

बैंक ने सार्वजनिक निधि प्रबंधन सेवा (पीएफएमएस) प्लैटफॉर्म का विस्तार किया है और केन्द्र और राज्य सरकार की विभिन्न प्रायोजित योजनाओं के लिए डीबीटी भुगतान का संवितरण कर रहा है। इसके अतिरिक्त, इस प्लैटफॉर्म पर दो मंत्रालयों के लिए विभागीय मंत्रालय संबंधी खातों का भी संचालन किया जा रहा है।

बैंक ने ग्रीन इनिशिएटिव के एक भाग के रूप में, पेपररहित प्रणाली से बोर्ड स्तरीय बैठक आयोजित करने के लिए बोर्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम (बीआईएस) को कार्यान्वित किया है। विभिन्न बोर्ड स्तरीय समितियों की समस्त कार्यसूची और कार्यवृत्त इस पोर्टल में अपलोड किए जाते हैं।

आवश्यक सूचना की सुलभ और त्वरित उपलब्धता के लिए एमआईएस सोल्यूशन को एक नए सोल्यूशन और आर्किटैक्चर के साथ नवीनीकृत कर दिया गया है। इस प्रणाली के माध्यम से विनियामक रिपोर्टों को भी स्वचालित किया जा रहा है ।

बैंक के पास एक इंट्रानेट पोर्टल है जिसका उपयोग बड़े पैमाने पर सूचना का आदान-प्रदान करने, ज्ञान प्रबंधन और ऑनलाइन परीक्षाओं के लिए उपयोग किया जाता है।

चयनित शाखाओं में पासबुक मुद्रण, नकद जमा और चेक जमा जैसी सेवाओं की सुविधा प्रदान करने के लिए सेल्फ सर्विस कियोस्क स्थापित किया गया है। बैंक ने ग्राहकों की सुविधा के लिए खाते में हुए लेनदेन को देखने हेतु मोबाइल एप्लिकेशन के रूप में इलेक्ट्रॉनिक पासबुक (युनाइटेड ईपासबुक) सुविधा की शुरूआत की है।

बैंक ने विभिन्न प्रकार के साइबर हमलों को रोकने के लिए नेक्स्ट जेनेरेशन के कुछ उपकरण लगाए हैं और पेशेवरएजेंसियों को एंटीफ़िशिंग, एंटीफार्मिंग, एंटीट्रोजन और एंटीमैलवेयर परिचालित सेवाएं प्रदान करने की जिम्मेदारी सौंपी है।

आईएस सुरक्षा परिचालनों के लिए केंद्रीकृत सूचना सुरक्षा स्थिति और कमांड सेंटर की केंद्रीकृत जानकारी प्राप्त करने के लिए बैंक ने सुरक्षा संचालन केंद्र (एसओसी) का कार्यान्वयन किया है ।

बैंक लगातार अपनी प्रौद्योगिकी और सूचना सुरक्षा उत्पादों को विकसित कर रहा है ताकि वह अपने बहुमूल्य ग्राहकों को बेहतर, सिमलेस और सुरक्षित बैंकिंग अनुभव मुहैया करा सके।

सूचना सुरक्षा:

बैंक लगातार अपनी प्रौद्योगिकी और सूचना सुरक्षा संबंधी उत्पादों को विकसित कर रहा है ताकि वह अपने बहुमूल्य ग्राहकों को बेहतर, सिमलेस और सुरक्षित बैंकिंग अनुभव मुहैया करा सके।

आईएस सुरक्षा परिचालनों के लिए केंद्रीकृत सूचना सुरक्षा स्थिति और कमांड सेंटर की केंद्रीकृत जानकारी प्राप्त करने के लिए बैंक ने सुरक्षा संचालन केंद्र (एसओसी) का कार्यान्वयन किया है ।

इस वित्तीय वर्ष में, बैंक ने विभिन्न प्रकार के साइबर सुरक्षा की स्थिति को मजबूत करने के लिए कई उपकरण लगाए/उन्नत किए हैं। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के साथ साथ युनाइटेड प्रीमियर शील्ड को आगे की सुरक्षा को मजबूत करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है ताकि इंटरनेट आधारित अनेक प्रकार के हमलों को रोका जा सके।

उक्त कार्य के आधार पर, बैंक ने द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कंसल्टेंट्स (ईसीकाउंसिल) इंडिया द्वारा आयोजित एक पुरस्कार कार्यक्रम में भाग लिया था। बैंक के प्रोजेक्ट को आईटी इन्फ्रास्ट्रक्चर (नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोजेक्ट) में उत्कृष्टता पर शॉर्टलिस्ट किया गया और सम्मानित किया गया। 26 मार्च, 2019 को मुंबई में आयोजित एक समारोह में बैंक द्वारा पुरस्कार प्राप्त किया गया।

युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया हमेशा अपने ग्राहकों को सुरक्षित बैंकिंग सेवाएँ मुहैया करने के लिए वचनबद्ध है।

केंद्रीयकृत भुगतान केंद्र:

बैंक ने सुरक्षित और विश्वसनीय तरीके से ई-लेनदेन की भारी मात्रा को संभालने के लिए प्रधान कार्यालय मे एक केंद्रीयकृत भुगतान हब (सीपीएच) स्थापित किया है। केंद्रीयकृत भुगतान हब ने 03.11.2014 से अपना परिचालन आरंभ किया है।

एनएसीएच सेवाएं:

यह विभाग निम्नलिखित सेवाएं दे रहा है:

क) एनएसीएच डेबिट

ख) एनएसीएच क्रेडिट

ग) एपीबीएस (आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम)

घ) डेस्टिनेशन बैंक के रूप में एनपीसीआई का मैनडेट मैनेजमेंट सिस्टम

ड.) प्रायोजक बैंक के रूप में एनपीसीआई का मैनडेट मैनेजमेंट सिस्टम

च) डीबीटीएल (एलपीजी ग्राहकों को प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण)

छ) डेस्टिनेशन बैंक के रूप में ईसीएस डेबिट।

ज) डिजिधन भुगतान।

झ) सभी निपटान खातों का समाधान, आर बी आई खाता, 4 आरआरबी खातें, सर्विस शाखा खाते, भुगतान गेटवे सिस्टम पूल खाते आदि एनएसीएच से संबंधित आवक एवं जावक लेन देन।

ट) भीम प्रोत्साहन भुगतान।

ठ) जीएसटी के लिए लेखांकन के बाद पी/एल खातों में आय और व्यय को प्रभावित करना।

ड) विभिन्न बैंकों के एनएसीएच के सभी उत्पादों से संबंधित जेनरेशन एवं इनवायस की प्रस्तुति।

सीएमएस सेवाएं

i) सीएमएस भुगतान सेवाएँ।
 क) कॉर्पोरेट थोक भुगतान।

ii) सीएमएस संग्रह सेवाएँ।
 क) कॉर्पोरेट अधिदेश आधारित (अधिदेश) डायरेक्ट डेबिट सेवा।
 ख) कॉर्पोरेट नकद संग्रह सेवाएं।

iii) एएसबी (अवरुद्ध राशि समर्थित एप्लीकेशन)
 क) कोर एएसबीए
 ख) सिंडिकेट एएसबीए
 ग) ई-एएसबीए (ई-बैंकिंग/नेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म द्वारा)

iv) इंडो नेपाल रेमिटेंस सर्विस

मानव संसाधन विवरण:

कर्मचारियों की कुल संख्या में अधिकारी 52%, लिपिक 28% और अधीनस्थ कर्मचारी 20% हैं। महिला कर्मचारियों की संख्या 3283 है और यह बैंक की कुल कर्मचारियों की संख्या का 23% है।

प्रशिक्षण/मानव संसाधन विकास (एचआरडी)

बैंकिंग क्षेत्र में उभरती चुनौतियों का सामना करने के लिए, सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के कौशल उन्नयन के महत्व को महसूस किया गया और इसकी अगली कड़ी के रूप में बैंक ने वर्ष 2018-19 के दौरान विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन हेतु निम्नलिखित कदम उठाए:

i) **आंतरिक प्रशिक्षण:** कर्मचारी प्रशिक्षण महाविद्यालय, कोलकाता और अन्य चार प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा आयोजित प्रशिक्षण पाठ्यक्रमों में 4317 कर्मचारियों को आंतरिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

ii) **बाह्य प्रशिक्षण:** समीक्षाधीन अवधि के दौरान बैंक ने बाह्य पेशेवर प्रशिक्षण संस्थानों में जाकर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों और कार्यशाला में कुल 422 कर्मचारियों को प्रशिक्षित कराया है।

ग्राहक उन्मुखीकरण

बैंक ने त्वरित सेवा प्रदान कर, विविधतापूर्ण प्रौद्योगिकी समर्थित उत्पाद/सेवाएँ उपलब्ध करवाते हुए, ग्राहकों की पूछताछ/सुझावों पर शीघ्र कार्रवाई करके तथा ग्राहकों की शिकायतों का निवारण कर, ग्राहकों के प्रति मैत्रीभाव बनाए रखने के लिए कई कदम उठाए हैं। बीसीएसबीआई द्वारा जारी ग्राहकों के प्रति प्रतिबद्धता कोड बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध करवाया गया है तथा देश भर के सभी शाखाओं एवं क्षेत्रीय कार्यालयों को भी भेजा गया है। ग्राहक सेवा की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए ग्राहक सेवा विभाग में एक टॉल-फ्री संपर्क सुविधा प्रदान की गई है ताकि ग्राहक अपनी शिकायतों/सुझावों को दर्ज करा सकें। टॉल-फ्री सुविधा सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक उपलब्ध रहती है। एटीएम संबंधी मामलों में ग्राहकों की आसानी के लिए प्रधान कार्यालय में अलग से टॉल-फ्री संपर्क सुविधा प्रदान की गई है, जो 24*7 उपलब्ध रहती है। बैंक ने अपने वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित की है, जहां ग्राहक अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं और स्थिति का पता लगा सकते हैं।

शिकायतों के शीघ्र और निष्पक्ष निपटान के लिए उपयोगी प्रौद्योगिकी द्वारा बैंक ने एक पोर्टल की शुरूआत की है जिसे व्यापक शिकायत प्रबंधन प्रणाली [सीसीएमएस] नाम दिया गया है। इस प्रणाली के तहत शाखाओं, क्षेत्रीय कार्यालयों, प्रधान कार्यालय के विभागों द्वारा प्राप्त शिकायतों की पावती तत्काल आधार पर दी जाती है और अंतिम निवारण होने तक पोर्टल पर भी निपटारा/निपटान की स्थिति अपलोड की जाती है। ग्राहक सीधे सीसीएमएस पोर्टल पर शिकायतें दर्ज कर सकता है, जो सीसीएमएस के आउट स्टैंडिंग डाटाबेस में प्रणाली से स्वतः जोड़ लिया जाता है।

व्यापक शिकायत प्रबंधन प्रणाली [सीसीएमएस] से प्रत्येक शिकायत की स्थिति की खोजखबर रखने तथा एक विशेष अवधि में बैंक द्वारा प्राप्त कुल शिकायतों पर व्यापक दृष्टि रखने में सहायता मिलती है। शिकायतों के शीघ्र निपटान हेतु संबंधित शाखा/क्षेत्रीय कार्यालय/प्रधान कार्यालय के विभाग के साथ तुरंत आवश्यक अनुवर्ती उपाय किए जाते हैं। इस प्रणाली से ग्राहक सेवा विभाग के प्राधिकारियों को शिकायत की प्रकृति का वर्गीकरण करने में तथा यह जानने में सहायता मिलती है कि शिकायत किन उत्पादों और सेवाओं से संबंधित है। डेटा विश्लेषण का उद्देश्य है सेवा के जिस क्षेत्र में कोई कमी पाई जाती है, उसमें सुधार हेतु उचित कार्रवाई करने के लिए बैंक प्रबंधन की सहायता करना।

विभिन्न स्रोतों, जैसे - मेल एवं डाक द्वारा प्राप्त शिकायतों को सीसीएमएस पोर्टल पर दर्ज करना होता है। सीसीएमएस पोर्टल पर सभी स्रोतों से प्राप्त शिकायतों का समेकन

करने से प्रबंधन को शिकायतों का विश्लेषण करने, उनके प्रकार और क्षेत्र की पहचान करने तथा उनके निवारण में लगने वाले समय के बारे में पता चलता है। इस तरह के विश्लेषणात्मक अध्ययन का लक्ष्य है, ग्राहक सेवा के स्तर में सुधार करना तथा उन क्षेत्रों की पहचान करना जिसमें कर्मचारी सदस्यों को प्रशिक्षित किया जाना है तथा उत्पादों और सेवाओं में संशोधन अपेक्षित है और प्रणाली को मजबूत करने के लिए उपचारात्मक कार्रवाई की जानी है।

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा गठित दामोदरन समिति की सिफारिश के अनुसार हमारे बैंक ने आंतरिक लोकपाल की नियुक्ति 07/12/2015 को ग्राहकों के विश्वास स्तर को बढ़ाने के लिए की है।

कोलकाता स्थित शाखाओं में ग्राहक सेवा की गुणवत्ता का प्रत्यक्ष अनुभव करने के उद्देश्य से प्रधान कार्यालय के प्राधिकारियों ने गुप्त दौरे किए जिसमें अतिरिक्त रूप से सजावट सफाई, अनुशासन, समय की पाबंदी तथा बैंक और ग्राहकों के पारस्परिक हितरक्षा हेतु निवारक सतर्कता से संबंधित मामले भी शामिल किए गए।

बैंक के उत्पादों और सेवाओं से भलीभाँति अवगत कराने तथा शीघ्र एवं उत्कृष्ट ग्राहक सेवाएं प्रदान करने के संबंध में बैंक के युवा अधिकारियों को शिक्षित करने के अलावा जून 2015 में एक क्वेस्ट नामक एप्लिकेशन की शुरूआत की गई है। 'क्वेस्ट' एक ऐसा एप्लिकेशन है जिसके द्वारा बैंक के सभी पंचाट कर्मचारी और अधिकारी परिचालन बैंकिंग से संबंधित संदेह समाशोधन कर सकते हैं। उस पूछताछ का उत्तर प्रधान कार्यालय के चयनित प्राधिकारियों द्वारा 24 घंटे के अंदर दिए जाते हैं। प्रश्न और उत्तर की प्रक्रिया शुरूसे ही नियमित रूप से चल रही है और क्वेस्ट पर प्राधिकारियों की अनुक्रिया उत्साहजनक और अत्यंत सकारात्मक रही है।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में ग्राहक शिकायत निवारण का प्रतिशत 99% रहा। वर्ष के अंत में 1274 शिकायतों का निपटान बाकी था जिनमें से 10 शिकायत एक माह से अधिक की थी।

एडीसी से संबंधित शिकायतों का निपटान निर्धारित अवधि के अंदर कर लिया गया है। वित्तीय वर्ष मार्च 2019 के अंत तक भारत सरकार के पोर्टल (सीपीजीआरएएम) पर 1058 दर्ज शिकायतों में से 1034 शिकायतों का निपटान कर दिया गया है और 31.03.2019 को 24 शिकायतें निवारण के लिए लंबित रहीं।

आंतरिक नियंत्रण

बैंक की आंतरिक लेखा नियंत्रण तंत्र की प्रभावशीलता सुनिश्चित करने और बैंक द्वारा नियामक अनुपालन सहित जोखिम प्रबंधन और आंतरिक नियंत्रण को प्रभावी बनाने के साथ प्रबंधन को उच्च गुणवत्ता वाले परामर्श प्रदान करने के लिए बैंक द्वारा सभी परिचालन इकाइयों का सतत आधार पर आंतरिक निरीक्षण किया जाता है। बैंक जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा (आरबीआईए) करता है जिसमें आरबीआईए के दायरे में बैंक की आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता और प्रभावशीलता की परीक्षा और मूल्यांकन शामिल होगा।

लेखापरीक्षा और निरीक्षण विभाग की संगठन संरचना में बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति (एसीबी), कार्यपालकों की लेखा समिति (एसीई), लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण विभाग (सात क्षेत्रीय निरीक्षण इकाइयों सहित (आरआईयू) के साथ लेखा परीक्षा और निरीक्षण विभाग, प्रधान कार्यालय और कार्यपालकों की क्षेत्रीय लेखा परीक्षा समिति की रिपोर्टिंग शामिल है। आंतरिक निरीक्षकों/बाहरी लेखा परीक्षकों (सीए फर्म) की टीम बोर्ड अनुमोदित लेखापरीक्षा और निरीक्षण नीति के अनुसार फील्ड स्तर पर बैंक की शाखाओं/कार्यालयों का लगातार निरीक्षण कर रही है, विभिन्न कार्यात्मक क्षेत्रों में शामिल जोखिम की पहचान, माप और शमन के लिए निर्धारित प्रक्रियाओं और मानदंडों के कार्यान्वयन और अनुपालन के स्तर का मूल्यांकन कर रही है। बैंकिंग प्रणाली और गतिशील वैश्विक आर्थिक माहौल के बदलते परिदृश्य के साथ पंक्तिबद्ध होने के लिए, निरीक्षण प्रक्रिया अद्यतन की जाती है और समय-समय पर बैंकिंग प्रणाली में बदलते परिदृश्य के साथ तालमेल बनाकर चलने के उद्देश्य से समय-समय पर बैंक की निरीक्षण एवं लेखा परीक्षा नीति को अद्यतन किया जाता है और उसमें आवश्यक परिवर्तन को भी शामिल किया जाता है। उक्त उद्देश्य को पूरा करने के लिए विभिन्न प्रकार की लेखा परीक्षाएं जैसे - जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा समवर्ती लेखा परीक्षा, सूचना प्रणाली लेखा परीक्षा, स्नैप ऑडिट, राजस्व लेखा परीक्षा, क्षेत्रीय कार्यालयों और प्रधान कार्यालय के विभिन्न विभागों का निरीक्षण और क्षेत्रीय कार्यालयों के प्रबंधन लेखा परीक्षा की जाती है।

शाखाओं का जोखिम आधारित आंतरिक लेखापरीक्षा (आरबीआईए) प्रभावी जोखिम प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए की जाती है एवं संभावित जोखिम जैसे क्षेत्रों का आंतरिक नियंत्रण बैंक को विभिन्न जोखिमों से बचाने के लिए की जाती है। 01 नवंबर, 2016 से प्रणाली आधारित ऑनलाइन आर बी आई ए की शुरुआत की जा चुकी है। वर्ष 2018-19 के दौरान 1645 शाखाओं के लक्ष्य के एवज में 1662 शाखाओं का जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा की गई। बैंक के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए शाखा के सभी वित्तीय लेन देन की प्रणालीगत परीक्षण के रूप में सटीकता, प्रामाणिकता और आंतरिक प्रणालियों का समुचित अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए समवर्ती लेखा-परीक्षा का प्रारूप सामने आया। वर्ष 2018-19 के दौरान कुल जमाराशि का 50.09%, कुल अग्रिम का 79.72% और कुल व्यवसाय का 60.36% को शामिल करते हुए 31.03.2019 तक बैंक की 548 शाखाओं की समवर्ती लेखा परीक्षा पूरी कर ली गई है।

शाखाओं में ऋण वितरण प्रक्रिया में अंतर को चयन करते हुए ऋण लेखा परीक्षा को एक प्रभावी निगरानी संयत्र के रूप में अपनाया गया है तथा अनुपालन की निगरानी के लिए अंतर को पूरा करने के लिए उपाय सुझाए गए हैं । वर्ष 2018-19 के दौरान बैंक के 31 मार्च, 2019 तक ऋण लेखा परीक्षा द्वारा कुल ऋण संविभाग का 60% पूरा किया गया।

प्रौद्योगिकी ने महत्वपूर्ण नेटवर्किंग और विभिन्न सुपुर्दगी माध्यमों की विस्तृत विविधता के माध्यम से बैंकिंग के दायरे, पहुंच और कवरेज को बढ़ाया है। बैंकों द्वारा उन्नत प्रौद्योगिकी अपनाने से, आईटी वातावरण के भीतर जटिलताओं ने काफी तकनीकी संबंधित जोखिमों को जन्म दिया है। इन तकनीकी जोखिमों को कम करने और प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने के लिए बैंक के आईटी बुनियादी ढांचे की सूचना प्रणाली लेखा परीक्षा की जा रही है।

धनशोधन निवारक/अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी)

बैंक सभी ग्राहकों के मामले में केवाईसी मानदंडों के कड़े अनुपालन के लिए उचित उपाय करता है और एएमएल (धन शोधन निवारण) मानकों के कार्यान्वयन हेतु लेनदेन की कड़ी निगरानी करता है।

केवाईसी/एएमएल दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं:

- बैंक ने उचित प्रक्रियाएं स्थापित करके एक प्रभावी एएमएल कार्यक्रम तैयार किया है और इसका सख्त कार्यान्वयन सुनिश्चित करता है।
- नकदी लेनदेन रिपोर्ट (सीटीआर), संदिग्ध लेनदेन रिपोर्ट (एसटीआर), गैर-लाभ संगठन लेनदेन रिपोर्ट (एनटीआर), क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर रिपोर्ट (सीडब्ल्यूटीआर) और नकली मुद्रा नोट रिपोर्ट (सीसीआर) समय सीमा के अंतर्गत निर्धारित प्रारूप में एफआईयूआईएनडी के साथ फाइल की जाती हैं।

- हमारे आंतरिक वेब-आधारित एप्लिकेशन के माध्यम से ऑफ़साइट निगरानी के लिए दैनिक अलर्ट की शुरुआत की गई है और हमारे एएमएल प्रकोष्ठ द्वारा उसकी निगरानी की जाती है। वर्तमान में, 13 प्रकार के अलर्ट पैरामीटर पर दैनिक अलर्ट उत्पन्न किए जाते हैं।
- निरंतर आधार पर अनेक एसटीआर और एफआईयू-आईएनडी, वित्त मंत्रालय द्वारा विमुद्रीकरण के दौरान यथा अपेक्षित विभिन्न रिपोर्टों के विषय में एएमएल सेल द्वारा पूरी तरह से ध्यान रखा गया।
- सभी ग्राहकों से पहचान और पते के प्रमाण के लिए आधिकारिक तौर पर वैध दस्तावेज (ओवीडी) प्राप्त किए जा रहे हैं। इन दस्तावेजों को सीबीएस प्रणाली में रखा जा रहा है।
- सभी ग्राहकों के जोखिम वर्गीकरण और उनके प्रोफाइल अद्यतन का कार्य सिस्टम के माध्यम से किया जा रहा है।
- बैंक ने पैन, पासपोर्ट और आधार संख्या के आधार पर सभी अलग-अलग ग्राहकों के लिए यूनिक ग्राहक पहचान कोड (यूसीआईसी) के आवंटन की प्रक्रिया पूरी कर ली है।
- हमारे बैंक का समग्र केवाईसी अनुपालन 99% से अधिक है।
- सीकेवाईसीआर पोर्टल में केवाईसी डेटा अपलोड करना शुरू कर दिया गया है।

सुरक्षा व्यवस्था:

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा-निर्देश के अनुरूप समय-समय पर सुरक्षा उपकरणों को स्थापित करते हुए शाखाओं में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से बैंक ने आवश्यक कदम उठाया है। इसके अलावा, समय बीतने के साथ ही शाखाओं में सुरक्षा व्यवस्थाओं को आधुनिक इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान कर मजबूत करने की आवश्यकता है। हलांकि, समय की आवश्यकता को समझते हुए हमारे बैंक द्वारा शाखाओं को उपलब्ध कराई गई अतिरिक्त सुरक्षा उपकरण/सेवा निम्नांकित हैः

(क) **सीसीटीवी की स्थापना -** सीसीटीवी निगरानी प्रणाली को चरणबद्ध तरीके से स्थापित कर शाखाओं की सुरक्षा को मजबूत किया जा रहा है। सभी करेंसी चेस्ट शाखाओं को पहले से ही सीसीटीवी प्रणाली से लैस किया जा चुका है। 2009 से 2012 तक करेंसी चेस्ट सहित कुल 835 शाखाएं सीसीटीवी निगरानी प्रणाली से लैस थीं। 1143 गैर-सीसी शाखाओं में सीसीटीवी प्रणाली की स्थापना की प्रक्रिया जारी है। परियोजना के पूरी तरह से 1978 सीसी और गैर-सीसी शाखाओं के चौबीस घंटे निगरानी के लिए सीसीटीवी से लैस किया जाएगा।

(i) युनाइटेड टॉवर में प्रधान कार्यालय का भूतल + 16 तल और भूतल सहित एक ऊंची इमारत है। सभी शीर्ष अधिकारियों के कार्यालयों की संवेदनशील प्रकृति यथा इस भवन में प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी, कार्यपालक निदेशक और महाप्रबंधक के बैंक डेटा सेंटर सहित कार्यालय स्थित हैं। इसके अलावा, विभिन्न स्केल और श्रेणियों के लगभग 650 कर्मचारी कार्यालय में तैनात हैं। अतः कार्यालयों की संवेदनशील प्रकृति, डेटा सेंटर, कर्मचारियों की उच्च संख्या बल और प्रधान कार्यालय भवन में आनेवाले सैकड़ों आगंतुकों की प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए प्रधान कार्यालय भवन की सुरक्षा अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। इसलिए, उचित नियंत्रण और निगरानी सुनिश्चित करने के लिए हाल ही में 113 कैमरों को लगाने के साथ भूतल सहित सभी मंजिलों को सीसीटीवी प्रणाली से कवर किया गया है।

(ii) शेष शाखाओं और कार्यालयों को भी समय के साथ निश्चित रूप से सीसीटीवी निगरानी प्रणाली से लैस किया जाएगा।

(iii) अतिरिक्त सुरक्षा उपाय के रूप में कोलकाता पुलिस के अधिकार क्षेत्र में स्थित सभी करेंसी चेस्ट शाखाओं को एकीकृत सुरक्षा समाधान (आईएसएस) के तहत लाया गया है, जिसे संकट के समय नियंत्रण निगरानी और करेंसी चेस्ट के अंदर की गतिविधियों को सीधे लालबाजार पुलिस नियंत्रण कक्ष (कोलकाता) से चौबीसों घंटे देखा जा सकता है।

(ख) **स्वच्छ नोट नीति का कार्यान्वयन -** भारतीय रिजर्व बैंक के स्वच्छ नोट पॉलिसी को गैर-सीसी शाखाओं में लागू करने के क्रम में शाखाओं के काउंटर पर ही जाली भारतीय करेंसी नोटों (एफआईसीएन) की पहचान करने के लिए शाखा में (1+1) पॉकेट डेस्क टॉप प्रमाणक सह सॉर्टर से लैस किया गया है। यह शाखाओं को जारी करने योग्य नोट एवं नहीं जारी करने योग्य करेंसी नोटों को छांट कर स्वयं काउटर एवं एटीएम के माध्यम से भी ग्राहकों और जनता के बीच पुनर्वितरण करने में मदद करता है।

हमारी 1153 गैर-सीसी शाखाएं पहले से ही (1+1) पॉकेट डेस्क टॉप ऑथेंटिकेटर सह सॉर्टर से लैस किए गए हैं। शेष 839 गैर सी सी शाखाओं को भी समय के साथ निश्चित रूप से चरणबद्ध तरीके से (1+1) पॉकेट डेस्क टॉप ऑथेंटिकेटर सह सॉर्टर से लैस किया जाएगा।

(i) सभी करेंसी चेस्ट शाखाएं पहले से ही हेवी ड्यूटी नोट सॉर्टिंग मशीनों से लैस हैं।

(ii) भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में शाखाओं से संबंधित क्रियाकलाप, एफआईसीएन डिटेक्शन के वास्तविक समय की रिपोर्टिंग, गंदे/कटे-फटे नोटों का न्याय निर्णयन, सिक्कों एवं नये नोटों का वितरण हेतु बैंक ने अपना सॉफ्टवेयर, एसडीएमएस (सुरक्षा डेटा प्रबंधन प्रणाली) विकसित किया है।

(ग) **शाखाओं का नकद प्रबंधन -** अतिरिक्त नकद प्रबंधन से संबंधित नियमित (एमआईएस) के साथ शाखाओं के दिन-प्रतिदिन के नकद धारिता की बारीक निगरानी के लिए बैंक ने अपना सॉफ्टवेयर विकसित किया है। इस प्रणाली के माध्यम से प्रत्येक दिन शाखाओं का अतिरिक्त नकद धारिता रिपोर्ट स्वतः निकलती है और प्रत्येक शाखा के अतिरिक्त नकद की स्थिति को बारीकी से निगरानी करने के लिए क्षेत्रीय कार्यालय की सुविधा हेतु अतिरिक्त नकद धारिता का विवरण प्रत्येक क्षेत्रीय प्रमुख को स्वतः ई-मेल द्वारा भेजी जाती है।

(घ) शाखाओं से अतिरिक्त नकदी उठाने और जरूरतमंद शाखाओं को नकद उपलब्ध कराने के उद्देश्य से निजी सुरक्षा एजेंसी (पीएसए) की विप्रेषण टीम जिसमें ड्राइवर सहित 1 कैश वैन, 2 आर्म गार्ड और 1 नकद का संरक्षक मौजूद होते हैं, किराए पर लिए जाते हैं। 27 सीसी शाखाओं में पीएसए की रेमिटेंस टीमों की कार्यनिष्पादन की स्वीकृति प्राप्त की गई। अब तक 24 सीसी शाखाओं में 25 नकद विप्रेषण टीम (पीएसए) उपलब्ध करायी गई है। बाकी पीएसए नकद विप्रेषण टीमों को करेंसी चेस्ट शाखाओं में लगाने संबंधी आवश्यकताओं और वित्तीय व्यवहार्यता पर विचार करना प्रक्रियाधीन है।

(च) बैंक के प्रधान कार्यालय में आगंतुकों को व्यवस्थित करने और उनकी निगरानी करने के लिए एक कम्प्यूटरीकृत आगंतुक प्रबंधन प्रणाली प्रधान कार्यालय के मुख्य प्रवेश द्वार पर स्थापित की गई है।

परिसर:

- बैंक के उपयोग के लिए पट्टा/किराये के आधार पर परिसरों का अधिग्रहण चाहे वह खरीद के माध्यम से हो और आमतौर पर पट्टा धारित भूमि पर नए निर्माण के आधार पर हो, विभाग द्वारा की जाती है।
- बैंक के पूर्ण स्वामित्व वाले/दीर्घावधि पट्टाधारित परिसरों पर निर्माण।
- बैंक के पट्टा धारित/किराए के परिसर को सुसज्जित करना का कार्य विभाग द्वारा किया जाता है।
- करेंसी चेस्ट का निर्माण/प्रतिष्ठापन और उसके बाद समय-समय पर फिटनेस प्रमाण पत्र जारी करना का कार्य विभाग द्वारा किया जाता है।
- पंपों, वाटर प्यूरीफायर, वाटर ट्रीटमेंट संयंत्र, एयरकंडीशनर, जेनरेटर, ट्रांसफॉर्मर, सेंट्रल एयरकंडीशनिंग संयंत्र, लिफ्ट, सोलर संयंत्र आदि का मरम्मत, सामान्य रखरखाव और वार्षिक रखरखाव का कार्य विभाग द्वारा किया जाता है।
- प्रधान कार्यालय में कार्यालय फर्नीचर,लैन कनेक्शन, टेलीफोन कनेक्शन, विद्युत कनेक्शन आदि का स्थानांतरण/पुनर्निर्माण का कार्य विभाग द्वारा किया जाता है।
- अतिरिक्त स्थानों का स्थानांतरण एवं अधिग्रहण तथा बैंक के किराए के परिसरों से संबंधित अभ्यर्पण, पट्टे का नवीकरण, किराए में संशोधन आदि तथा बैंक के किराए के परिसर की वस्तुसूची का रखरखाव, पट्टे के नवीकरण के लिए मकान मालिक को सूचना जारी करना एवं चूककर्ता शाखाओं से किराए की वसूली के संबंध में अनुवर्तन तथा समय पर सूचना देने का कार्य विभाग द्वारा किया जाता है।
- प्रधान कार्यालय एवं प्रधान कार्यालय के प्रत्यक्ष नियंत्रणधीन बैंक के अपने परिसरों में फर्नीचर और फिक्स्चर आदि की उपलब्धता।
- गैरबैंकिंग आस्तियों के रखरखाव और निपटान से संबंधित मामले।
- परिसर से संबंधित पूंजी और राजस्व व्यय की वार्षिक बजट से संबंधित योजना।
- क्रमशः प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा कार्यपालक निदेशक के विवेकाधीन वित्तीय शिक्त के तहत पूंजी और राजस्व व्यय की अनुशंसा हेतु व्यय समिति एवं की बैठकों का आयोजन एवं समन्वयन।
- आर्किटेक्ट्स/परामर्शदाता/ठेकेदारों/विकेताओं/आपूर्तिकर्ताओं को सूचीबद्ध करना।
- पुनर्पूंजीकरण के लिए बैंक की अपनी/पूर्ण स्वामित्व/दीर्घावधि पट्टे वाली संपत्ति (भूमि और भवन) का पुनर्मूल्यन।
- कोलकाता में बैंक के अपने/पूर्ण स्वामित्व/दीर्घावधि पट्टे के परिसर के लिए दरों/करों का भुगतान।
- कंपनी लेखा विभाग की सहायता से बैंक के/पूर्ण स्वामित्व/पट्टे वाले परिसर, स्थापन, उपकरण, फर्नीचर और अन्य सभी अचल संपत्तियों के संबंध में बीमा दावों का निपटान विभाग द्वारा किया जाता है।
- परिसर से संबंधित पूँजी/राजस्व व्यय हेतु पिछले महीने मुख्य क्षेत्रीय प्रबंधकों द्वारा विवेकाधीन शिक्त के प्रयोग की संवीक्षा एवं नोटिंग विभाग द्वारा की जाती है।
- बैंक के भवनों, फर्नीचर, कार्यालय उपकरणो, विद्युत प्रतिष्ठापन, एयर कंडीशनर आदि बैंक के दीर्घकालिक पट्टा धारित परिसरों/अपने परिसरों की वस्तु सूची बही एवं मूल्यह्रासों की प्रक्रिया विभाग द्वारा की जाती है।
- यु.बी.आई. हाउस के लॉन गार्डेन एवं प्रधान कार्यालय के टैरेस गार्डन का रखरखाव और संचालन विभाग द्वारा किया जाता है।
- समय-समय पर पट्टे पर आवास/किराए के आधार पर अधिग्रहण के लिए परिसर नीति की समीक्षा और तैयारी विभाग द्वारा किया जाता है।
- समय-समय पर बैंक के लिए माल एवं सेवाओं की खरीद हेतु नीति एवं प्रक्रियाओं से संबंधित मैनुअल को तैयार करना एवं उसकी समीक्षा करना ।
- शाखाओं में सेफ डिपॉजिट लॉकरों के लिए स्ट्रॉंग रू मों का निर्माण विभाग द्वारा किया जाता है।
- चरणबद्ध रूप में ऊर्जा का कार्यान्वयन एवं इलेक्ट्रिकल लेखा परीक्षा विभाग द्वारा किया जाता है।
- प्रधान कार्यालय में कॉरपोरेट मोबाइल कनेक्शन एवं लैंडलाइन टेलीफोन का बिलिंग एवं समन्वयन, टेलीफोन लाइनों का शिफ्टिंग, डछळठ का प्रतिष्ठापन, टेलीफोनों की मरम्मत का अनुवर्तन एवं संचार प्रणाली तथा एएमसी से संबंधित मामले, क्रय, रखरखाव तथा फोटोकॉपियर मशीन सेटों की देखभाल विभाग द्वारा किया जाता है।
- प्रधान कार्यालय में पदस्थापित अधिकारियों की माँग पर आवासीय व्यवस्थाओं के संबंध में किराए पर लेना/पुनर्नवीकरण/समीक्षा विभाग द्वारा की जाती है।

राजभाषा का कार्यान्वयन:

- सरकार के राजभाषा नीति के क्रियान्वयन को ध्यान में रखते हुए, प्रधान कार्यालय/क्षेत्र में प्रवीण और प्राज्ञ के नियमित हिंदी पाठ्यक्रम के प्रशिक्षण में 74 अधिकारियों/कर्मचारियों की प्रशिक्षण प्रदान किया गया। कर्मचारी प्रशिक्षण महाविद्यालय, कोलकाता में प्रत्येक तिमाही में बैंक के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के लिए हिन्दी कार्यशाला और यूनिकोड आधारित कंप्यूटर प्रशिक्षण आयोजित किया गया। प्रधान कार्यालय की राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठकें प्रबंध निदेशक एवं सीईओ और कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता में आयोजित की गई। वर्ष के दौरान बैंक की हिन्दी गृह पत्रिका "युनाइटेड दर्पण" के विभिन्न अंकों का विमोचन किया गया। बैंक के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों और प्रधान कार्यालय के विभागों का राजभाषा के कार्यान्वयन से संबंधी निरीक्षण किया गया।
- हमारे बैंक ने नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की नियमित बैठकें संचालित की जैसे कृष्णनगर, पुर्सलिया, कटिहार एवं श्रीरामपुर जिसे भारत सरकार, गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग द्वारा हमें सौंपा गया था ।
- बैंक के प्रधान कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालयों और शाखाओं द्वारा 14 सितंबर, 2018 को हिंदी दिवस मनाया गया। हमारे प्रधान कार्यालय ने 14 सितंबर, 2018 से 20 सितंबर 2018 तक हिंदी सप्ताह मनाया और सप्ताह के दौरान विभिन्न हिंदी प्रतियोगिताओं और संगोष्ठियों का आयोजन किया गया।
- राजभाषा पर संसदीय समिति की तीसरी उपसमिति ने हमारे रायपुर क्षेत्र के तहत इंदौर शाखा एवं मुंबई क्षेत्र के तहत मड़गाँव शाखा का क्रमशः अगस्त, 2018 और मार्च, 2019 के महीने में दौरा किया। हमारे बेहतर प्रदर्शन के लिए समिति द्वारा बैंक की प्रशंसा की गई।
- भारत सरकार, वित्तीय सेवाएं विभाग द्वारा नई दिल्ली क्षेत्र के अंतर्गत हमारी नई दिल्ली क्षेत्रीय कार्यालय और गुड़गांव महरौली रोड शाखा का निरीक्षण किया गया।

- हमारे प्रधान कार्यालय को राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में बेहतर प्रदर्शन के लिए नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (बैंक), कोलकाता की ओर से तीसरा पुरस्कार प्राप्त हुआ है। इसके अलावा, विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालय जैसे मेरठ एवं नई दिल्ली, और कानपुर, फैजाबाद, हरिद्वार, देहरादून, आगरा और बरेली जैसी शाखाओं ने भी राजभाषा नीति के अपने उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए संबंधित नराकासों से पुरस्कार प्राप्त किए।
- पहली बार हमारे बैंक को हिंदी गृह पत्रिका "युनाइटेड दर्पण" के प्रकाशन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से पुरस्कार प्राप्त हुआ है।

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी)

- बैंक के 4 प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं - पश्चिम बंगाल में बंगीय ग्रामीण विकास बैंक (बीजीवीबी), असम में असम ग्रामीण विकास बैंक (एजीवीबी), त्रिपुरा में त्रिपुरा ग्रामीण बैंक(टीजीबी), और मणिपुर में मणिपुर ग्रामीण बैंक (एमआरबी) हैं । दिनांक 31.03.2019 तक बैंक की शाखाओं का कुल नेटवर्क 1174 है ।
- दिनांक 31.03.2019 को कुल जमा ₹31725.91 करोड़ एवं कुल अग्रिम ₹12679.99 करोड़ सहित चार आरआरबी का संयुक्त कुल व्यवसाय ₹44405.90 करोड़ था। संयुक्त सकल एनपीए 26.30% एवं पिछले वित्त वर्ष में संयुक्त शुद्ध/निवल लाभ ₹82.46 करोड़ थे। बीजीवीबी और टीजीबी ने क्रमशः ₹9.10 करोड़ एवं ₹125.05 करोड़ का निवल लाभ दर्ज किया तथा एजीवीबी और एमआरबी ने वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान क्रमशः ₹49.85 करोड़ एवं ₹1.84 करोड़ का निवल हानि दर्ज किया। **(उपर्युक्त स्थिति गैर लेखा परीक्षित आंकड़ों पर आधारित है।)**
- समस्त चार आरआरबी सीबीएस प्लेटफार्म पर काम कर रहे हैं और सभी एनईएफटी, आरटी जीएस, पीएफएमएस, एईपीएस के लिए सक्षम हैं। आरआरबी विभिन्न **प्रौद्योगिकी संचालित उत्पाद और सेवाएं जैसे रुपे कार्ड/एटीएम/पीओएस मशीन, सीटीएस आधारित समाशोधन आदि उपलब्ध कराती है।**
- यहाँ यह उल्लेख किया जा सकता है कि भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रायोजित लैंगपी देहांगी ग्रामीण बैंक (एलडीआरबी) को असम ग्रामीण विकास बैंक (एजीवीबी) के साथ प्रभावी तिथि 01 अप्रैल 2019 से हमारे बैंक के प्रायोजन के तहत समामेलित किया जाना था, दिनांक 22 फरवरी 2019 को जारी भारत सरकार के राजपत्र अधिसूचना के आधार पर 01 अप्रैल 2019 में इसका समामेलन किया गया।

एलडीआरबी का नेटवर्क 59 शाखाओं का था तथा दिनांक 31.03.2019 को एलडीआरबी की कुल व्यवसायिक स्थिति, गैर लेखा परीक्षित आंकड़ों के आधार पर कुल व्यवसाय ₹1378.95 करोड़, कुल जमा ₹889.76 करोड़, कुल अग्रिम ₹489.19 करोड़, सकल एनपीए 2.28% तथा वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान निवल लाभ ₹15.31 करोड़ था।

युनाइटेड डीमैट:

"युनाइटेड डीमैट" के अंतर्गत सीडीएसएल और एनएसडीएल प्लैटफॉर्म पर बैंक के ग्राहकों को डिपॉजिटरी सेवाएं प्रदान की जाती हैं, जिसका उद्देश्य डिपॉजिटरी वातावरण के अंतर्गत परेशानी मुक्त, त्वरित और सटीक लेनदेन प्रदान करना है। इसके कुछ लाभ निम्नलिखित हैं:

- प्रतिभूतियों को रखने का आसान और सुविधाजनक तरीका
- अंतरण के समय बिना किसी स्टैंप ड्यूटी के प्रतिभूतियों का तत्काल अंतरण
- कागजी के शेयरों की तुलना में सुरक्षित (दोषयुक्त सुपुर्दगी, नकली प्रतिभूतियों, देरी, चोरी आदि की कोई भी संभावना नहीं)
- प्रतिभूतियों के अंतरण में कम से कम कागजी कार्यवाही।
- डीमैट खाते में स्वतः जमा
- कॉर्पोरेट कार्यों और कॉर्पोरेट लाभों के वितरण से उत्पन्न प्रतिभूतियों और निधि का शीघ्र जमा होना;
- सबसे आसान माध्यम से ऑनलाइन
- धारिता और लेनदेन का आवधिक विवरण
- ग्राहक खाता विवरण बदलने की सुविधा के साथ-साथ नामांकन, यथा आवश्यक परेशानी मुक्त प्रेषण शामिल है।
- डीमैट खाते में आइपीओ आवंटित किए गए शेयरों का सीधा जमा होना और संबद्ध बैंक खाते में लाभांश का जमा होना।
- एक ही डीमैट खाते के माध्यम से इक्विटी और ऋण लिखत दोनों में ही निवेश किया जा सकता है। यहां तक कि म्यूचुअल फ़ंड यूनिट्स, सार्वभौमिक गोल्ड बॉन्ड, बीमा पॉलिसी आदि को डीमैट फॉर्म में उसी डीमैट खाते में रखा जा सकता है।

शेयर लेनदेन के सभी पहलुओं पर डीमैट सेवाएं उपलब्ध हैं, जैसे:

- डीमैट खाता खोलना
- प्रतिभूतियों की खरीद एवं बिक्री
- अमूर्तिकरण और पुनःमूर्तिकरण
- म्यूचुअल फंड यूनिट का डिस्टेटमेंटाइजेशन एंड रिस्टेटमेंटाइजेशन/मोचन
- गिरवी/गैर-गिरवी/दृष्टिबंधक/जब्ती
- फ्रीज और अनफ़्रीज़ करना
- अंतरण, ट्रांसमिशन और ट्रांस्पोजीशन

यू-कनेक्ट - बैंक की शेयर ट्रेडिंग सेवाएं

युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया अपने ग्राहकों के लिए "यू-कनेक्ट ट्रायो" उत्पाद के माध्यम से कोटक सिक्योरिटीज लिमिटेड (केएसएल) के साथ ट्रेडिंग की सुविधा प्रदान करता है। इन उत्पादों में एएसबीए में आईपीओ एप्लीकेशन के माध्यम से निवेश, व्यापार, एक्सपोज़र, मार्जिन ट्रेडिंग, फंडिंग, एएसबीए के माध्यम से आईपीओ आवेदन की विशेष सुविधा है। यह सभी सुविधाएं एक अत्यंत प्रतिस्पर्धी मूल्य पर उपलब्ध करायी गयी हैं। निवेशकों को मोबाइल ऐप के उपयोग द्वारा एवं डीलर के माध्यम से अपने ट्रेडों को

ऑनलाइन, ऑफ़लाइन उपयोग करने की सुविधा है। इक्विटी के अलावा निवेशक हमारे उत्पादों के माध्यम से बॉन्ड, ईटीएफ और एमएफ में भी व्यापार कर सकते हैं। निवेशकों को पुरस्कार विजेता अनुसंधान दल से अनुसंधान रिपोर्ट और ट्रेडिंग टिप्स भी मिलेगी।

डिजिटल बैंकिंग:

मोबाइल बैंकिंग नई सेवाएं:

बैंकिंग सेवा को बेहतर बनाने और ग्राहक अनुभव को बढ़ाने के लिए, मोबाइल बैंकिंग एप्लिकेशन को चालू किया गया है। उन्नत मोबाइल बैंकिंग ऐप में स्व-ऑन-बोर्डिंग सुविधा है जो अधिक ग्राहकों को आकर्षित करती है और चैनल के विकास में मदद करती है। धन हस्तांतरण, बिल भुगतान, आईएमपीएस, मोबाइल रिचार्ज, चेक बुक अनुरोध आदि जैसी नियमित सेवाओं के अलावा, निम्नलिखित अतिरिक्त सुविधाओं को जोड़ा गया है:

क) **स्व-ऑन बोर्डिंग:** स्व ऑन बोर्डिंग प्रक्रिया में डेबिट कार्ड और पिन या ई-बैंकिंग उपयोगकर्ता-आईडी और पासवर्ड के माध्यम से प्रमाणीकरण की आवश्यकता होती है। यदि ग्राहक डेबिट कार्ड प्लेटफॉर्म कोरबैंकिंग प्रणाली पर पंजीकृत नहीं है, तो ग्राहक शाखा में मैन्युअल रूप से पंजीकृत हो सकता है।

ख) **बायोमेट्रिक एप्लीकेशन लॉगिन:** उपयोगकर्ता के पास आवेदन पिन या पंजीकृत फिंगर बायोमेट्रिक के माध्यम से आवेदन में लॉगइन करने का विकल्प होगा।

ग) **भारत क्यू आर:** ग्राहक लिंक किए गए डेबिट कार्ड के माध्यम से अपने खाते से डेबिट करके भारत क्यूआर प्रदर्शित करने वाले किसी भी ऑनलाइन/ऑफ़लाइन व्यापारी को भुगतान कर सकते हैं।

घ) **कार्ड सेवा:** ग्राहक को दैनिक निकासी सीमा निर्धारित करने, अंतर्राष्ट्रीय लेनदेन को सक्षम/अक्षम करने और डेबिट कार्ड के अस्थायी/स्थायी अवरोधन की अनुमति देता है।

ङ) **खाता विवरण:** ग्राहक एक तिथि सीमा (अधिकतम छह महीने), पूर्व निर्धारित अवधि या अंतिम लेनदेन की वांछित संख्या के लिए विवरण देख सकते हैं। इसे ग्राहकों के पंजीकृत ईमेल आईडी के अंतर्गत भी लाया जा सकता है।

च) **भारत बिल पे:** ग्राहक भारत बिल पे प्रणाली पर उपलब्ध सभी व्यापारियों को बिल का भुगतान कर सकते हैं।

छ) **क्रेडिट कार्ड पेमेंट:** यह सेवा ग्राहक को विभिन्न बैंकों के क्रेडिट कार्ड बिलों का भुगतान करने में सक्षम बनाएगी।

ज) **डेबिट कार्ड पिन सृजन:** ग्राहक डेबिट कार्ड पिन को सेट/रीसेट कर सकते हैं जो आगे ओटीपी द्वारा प्रमाणित होगी।

झ) **लॉकर की उपलब्धता:** ग्राहक मोबाइल बैंकिंग का उपयोग करके किसी भी शाखा में लॉकर की उपलब्धता की जांच कर सकता है और उसके लिए आवेदन भी कर सकता है।

ञ) **नई क्षेत्रीय भाषा का परिचय:** ओडिया और मलयालम भाषा की शुरुआत के साथ, मोबाइल बैंकिंग अब 6 भाषाओं में उपलब्ध है, अर्थात् अंग्रेजी, हिंदी, बंगला, ओडिया, तमिल और मलयालम।

ट) **युनाइटेड वॉयस एसिस्ट (यूवीए):** यूवीए मोबाइल बैंकिंग में एक अभिनव विशेषता है जहां ग्राहक केवल आवाज आधारित कमांड का उपयोग करके बैंकिंग सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं। वर्तमान में बैलेंस इंक्वायरी, मिनी स्टेटमेंट, अंतिम अंतरण विवरण और चेक बुक अनुरोध उपलब्ध हैं और अधिक सेवाएं अभी लागू होनी है। यूवीए सेवा को शुरू में केवल एनड्रॉयड उपकरणों के लिए विस्तारित किया गया है।

ठ) **म्यूचुअल फंड की सुविधा:** ग्राहक ऐप के माध्यम से विभिन्न म्यूचुअल फंड साइट पर जा सकते हैं और म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं।

ड) **डीमैट खाते का अनुरोध:** ग्राहक डीमैट खाता खोलने के लिए अनुरोध कर सकता है।

नए डेबिट कार्ड आरंभ किए गए:

बैंक ने मास्टर और वीज़ा नेटवर्क के तहत डेबिट कार्ड का अतिरिक्त संस्करण आरंभ किया है। ये कार्ड एनएफसी (नियर फील्ड कम्यूनिकेशन) हैं, जिससे ग्राहक मर्चेंट आउटलेट्स पर कार्ड को स्वाइप मशीन के पास रखकर खरीद सकते हैं।

डेबिट कार्ड का ऑनलाइन आवेदन:

ग्राहक अब बिना किसी अतिरिक्त लागत के डेबिट कार्ड के किसी भी संस्करण के लिए ऑनलाइन आवेदन करने में सक्षम हैं।

हमारे मर्चेंट आउटलेट्स पर नकदी (@) पीओएस का परिचय:

बैंक ने मर्चेंट एक्वायरिंग व्यवसाय में प्रवेश किया है और उसने आज तक लगभग 5400 पॉइंट ऑफ़ सेल टर्मिनल लगाए गए हैं। डिजिटल लेनदेन के विकास को बेहतर बनाने और मूल्यवर्धित सेवाएं प्रदान करने के हमारे प्रयास के तहत, बैंक ने नकदी (@) पीओएस सेवाओं की शुरुआत की है। इस सुविधा के तहत, हमारे बैंक के पी ओ एस/ टर्मिनल वाले व्यापारी रुपे, वीजा और मास्टर कार्ड नेटवर्क के तहत किसी भी बैंक द्वारा जारी किए गए कार्ड को स्वाइप करके कार्डधारकों को नकद प्रदान करने की अतिरिक्त सेवा दे सकते हैं।

मर्चेंट आउटलेट्स पर भारत क्यूआर का परिचय:

बैंक ने विशेष रूप से निचले वर्ग के व्यापारियों के विभिन्न वर्ग का अधिग्रहण करने के लिए जो पीओएस के लिए उच्च मासिक किराए का भुगतान नहीं कर सकते, क्विक रेस्पॉन्स (क्यूआर) आधारित सॉफ्ट टर्मिनल जैसे भारत क्यूआर और बीएचआईएम क्यूआर की शुरुआत की है। यह ग्राहकों को स्थिर क्यूआर कोड को स्कैन करके भुगतान करने में सक्षम करेगा। भारत क्यूआर में क्रेडिट/डेबिट कार्ड या वीपीए (यूपीआई) के किसी भी प्रकार को डेबिट करने का विकल्प है, बशर्ते वह ग्राहक के खाते से जुड़ा हो जबकि बीएचआईएम क्यूआर ग्राहकों को केवल लिंक किए गए वीपीए (यूपीआई) खाते के माध्यम से भुगतान करने में सक्षम करेगा।

युनाइटेड गिफ्ट कार्ड (रुपे) का परिचय:

बैंक ने जन्मदिन, शादी, त्योहार, वर्षगाँठ, विदाई आदि जैसे किसी भी अवसर पर उपहार देने के उद्देश्य से रुपे नेटवर्क के तहत युनाइटेड गिफ्ट कार्ड की शुरुआत की है। यह प्रायोगिक आधार पर सीमित शाखाओं को जारी किया गया था और सभी शाखाओं में इसे धीरे-धीरे विस्तारित किया जाएगा। गिफ्ट कार्ड धारक खुदरा स्टोर और ऑनलाइन शॉपिंग पर खरीदारी के लिए कार्ड पर लोड की गई राशि खर्च कर सकते हैं। गिफ्ट कार्डधारकों को पोर्टल पर स्वयं सेवा प्राप्त करने का भी लाभ है।

चिप आधारित कार्ड की जगह मैगनेटिक स्ट्रिप कार्ड का प्रतिस्थापन:

अधिक सुरक्षित कार्ड आधारित लेनदेन सुनिश्चित करने के लिए तथा भारतीय रिजर्व बैंक के निदेशो का पालन करने के लिए, बैंक ने अपने सभी सक्रिय 35 लाख मैगस्ट्रिप आधारित कार्ड ईएमवी कार्ड से बदल दिए थे।

इंटरनेट बैंकिंग में नई पहल/सेवाएं:

1. **नामांकन विवरणों को ऑनलाइन भरना:**

 इंटरनेट बैंकिंग उपयोगकर्ता स्वयं संचालित खातों के लिए नामांकित व्यक्ति का विवरण जोड़/संशोधित कर सकते हैं।

2. **ऑनलाइन लॉकर अनुरोध का कार्यान्वयन:**
 इंटरनेट बैंकिंग उपयोगकर्ता अब अपनी पसंदीदा/सुविधानुसार शाखा में लॉकर की उपलब्धता खोज सकते हैं तथा लॉकर के लिए अनुरोध ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। बाद में, शाखा को नेतृत्व करने का अवसर मिलेगा और आवश्यक दस्तावेज तथा औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए वह ग्राहक से संपर्क करेगा।

 वर्तमान में बैंक के पास कुल 2017 एटीएम नेटवर्क और 5400 पीओएस आउटलेट्स हैं। सभी डिजिटल बैंकिंग चैनल जैसेः एटीएम, डेबिट कार्ड, इंटरनेट/मोबिल बैंकिंग, यूपीआई आदि हमारे ग्राहकों के सभी वर्गों द्वारा अच्छी तरह से स्वीकार किए गए हैं तथा आज की तारीख में बैंकिंग लेनदेन का कुल 71% बैंकिंग डिजिटल चैनलों के माध्यम से किए जा रहे हैं।

अनुपलान:

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा निदेशों और उसकी सुदृढ़ नीतियों के अनुपालन के लिए बैंक ने अनुपालन विभाग का गठन किया है। अनुपालन के मुद्दों को पहचान करने के लिए समन्वय करना, उनका आकलन करना और अनुपालन जोखिम का निवारण करना, भारतीय रिजर्व बैंक के जोखिम आधारित पर्यवेक्षी प्रक्रिया द्वारा निर्धारित जोखिम न्यूनीकरण योजना का अनुपालन सुनिश्चित करना उक्त विभाग का मुख्य कार्य है।

बोर्ड ने बैंक के लिए अनुपालन नीति तैयार की है। उक्त नीति के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्र अर्थात जमा एवं सेवाओं, अग्रिम, केवाईसी एएमएल, बीसीएसबीआई कोड और अनुपालन मुद्दो की पहचान की जाती है और उसके उपचारात्मक उपाय किए जाते हैं। अनुपालन कार्यों से संबंधित ज़िम्मेदारी की भूमिका को बैंक के प्रत्येक विभागों के लिए परिभाषित किया गया है। निम्नलिखित तंत्र के माध्यम से नियामक एवं सांविधिक मामलों को सुनिश्चित करने की शुरुआत की गई है:

- स्व प्रमाणन।
- अनुपालन विभाग, प्रधान कार्यालय के अधिकारियों द्वारा शाखाओं की रैंडम अनुपालन जांच।
- क्षेत्रीय कार्यालयों के पदनामित अनुपालन अधिकारियों द्वारा शाखाओं की अनुपालन जांच।
- प्रधान कार्यालय के कार्यपरक विभागों से भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक/आईबीए द्वारा जारी निदेशों का अनुपालन।
- महत्वपूर्ण क्षेत्रों को शामिल करते हुए अनुपालन नियमों के विवरणों के साथ शाखाओं और क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा ऑनलाइन अनुपालन प्रणाली के माध्यम से तिमाही रिपोर्टिंग।

 कॉर्पोरेट गवर्नेस के अंतर्गत भारत सरकार/भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी निदेशों की अनुपालन स्थिति एवं अन्य कानून, नियमों तथा दिशानिदेशों की समीक्षा बोर्ड स्तरीय समितियों द्वारा आवधिक रूप से की जाती है।

पुरस्कार/सम्मान:

भारतीय रिजर्व बैंक ने युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया की हिंदी गृह पत्रिका "युनाइटेड दर्पण" को इसकी उत्कृष्टता के लिए सम्मानित किया

वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया के हिंदी गृह पत्रिका "युनाइटेड दर्पण" को इसकी उत्कृष्टता हेतु शील्ड एवं प्रशंसा प्रमाण पत्र के साथ सम्मानित किया। दिनांक 26.06.2018 को भारतीय रिजर्व बैंक के प्रधान कार्यालय में पुरस्कार दिया गया ।

युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया ने आई टी इंफ्रास्ट्रकचर (नेटवर्क सिक्योरिटी परियोजना) में उत्कृष्टता पुरस्कार जीता

युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया ने आई टी इंफ्रास्ट्रकचर (नेटवर्क सिक्योरिटी परियोजना) में उत्कृष्टता पुरस्कार जीता है। बैंक ने साइबर सुरक्षा स्थिति को सुदृढ़ बनाने के लिए विभिन्न तकनीकों को लागू किया है। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के साथ, विभिन्न इंटरनेट आधारित हमलों को रोकने के लिए युनाइटेड पेरिमीटर शील्ड लगाया गया है।

उल्लिखित कार्य के आधार पर, बैंक ने इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स कन्सलटेन्ट्स ऑफ इंटरनेशनल काउंसिल (ई-सीकाउंसिल) इंडिया द्वारा संचालित पुरस्कार कार्यक्रम में प्रतिभागिता किया। जिसमें बैंक की परियोजना को चुना गया एवं आई टी इंफ्रास्ट्रकचर (नेटवर्क सिक्योरिटी परियोजना) में उत्कृष्टता के लिए पुरस्कृत किया गया। 26 मार्च, 2019 को पुरस्कार प्राप्त हुआ।

की गई धोखाधड़ी का विवरण:

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, बैंक के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा किए गए ₹19.09 लाख तक की धोखाधड़ी को संबंधित नियामक प्राधिकरण को विधिवत रिपोर्ट की गई है।

कॉर्पोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी:

बैंक ट्रस्ट के माध्यम से सीएसआर के तहत गतिविधियां करता है जैसे युनाइटेड बैंक सामाजिकआर्थिक विकास फाउंडेशन (यूबीएसईडीएफ)। यूबीएसईडीएफ की स्थापना 30 मार्च, 2007 को सामाजिक और आर्थिक विकास गतिविधियों को बढ़ावा देने और प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से की गई थी और इसका उद्देश्य ट्रस्ट बोर्ड द्वारा लिए गए निर्णय के संदर्भ में समाज के कमजोर और वंचीत वर्ग के लोगों को सहायता प्रदान करना है।

यूबीएसईडीएफ के न्यासी बोर्ड में 31 मार्च, 2019 तक निम्नलिखित सदस्य शामिल हैं

1. श्री अशोक कुमार प्रधान, प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी
2. श्री संजय कुमार, कार्यपालक निदेशक
3. श्री अजीत कुमार दास, कार्यपालक निदेशक
4. श्री विनय गंदोत्रा, महाप्रबंधक (मानव संसाधन और एफआई)
5. श्री मुक्ति रंजन रे, महाप्रबंधक (प्राथिमकताप्राप्त क्षेत्र और एलबीडी)

31 मार्च, 2019 तक, बैंक ने 93 विभिन्न कल्याणकारी गतिविधियों को वित्तीय सहायता दी है, जिसकी कुल राशि ₹327.43 लाख है। स्वास्थ्य संबंधी, शिक्षा, गो-ग्रीन परियोजना, भूमि संरक्षण, समाज कल्याण गतिविधियों के तहत क्रियाकलापों को सहायता प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। समीक्षाधीन वर्ष में, बैंक ने समाज के हित के लिए संबंधित संगठनों द्वारा 5 परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए ₹30.28 लाख संवितरण किया है।

लाभांश:

नुकसान को देखते हुए, निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए किसी भी लाभांश की सिफारिश नहीं की है।

लाभांश वितरण नीति:

सेबी के विनियमन 43ए (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं), 2015 के संदर्भ में, बैंक ने अपने शेयरधारकों को लाभांश के वितरण को अभिशासित करनेवाली लाभांश वितरण नीति मानदंड, मात्रा और परिस्थितियां तैयार की हैं। नीति परिशिष्ट के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का एक हिस्सा है और यह बैंक की वेबसाइट http://www.unitedbankofindia.com/uploads/Dividend_Distribution_Policy.pdf पर उपलब्ध है।

निदेशक का उत्तरदायित्व कथन

कंपनी अधिनियम, 2013 (लागू सीमा तक) की धारा 134 (3) (सी) के संदर्भ में, आपके निदेशक इसकी पुष्टि करते हैं -

(क) 31 मार्च, 2019 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक खातों की तैयारी में, लागू लेखांकन मानकों का पालन किया गया है और कोई सामग्री को अपसरण नहीं किया है;

(ख) निदेशकों को ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन करना एवं उन्हें लगातार लागू करना और निर्णय देना है जो 31 मार्च, 2019 तक बैंक के मामलों की स्थिति एवं उस तिथि पर समाप्त वर्ष के लिए सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देने के लिए उचित और विवेकपूर्ण हैं।

(ग) निदेशकों ने बैंक की आस्ति की सुरक्षा के लिए एवं धोखाधड़ी का पता लगाने और अनियमितताओं रोकने तथा पता करने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार संपूर्ण लेखांकन रिकॉर्ड बनाए रखने में उचित एवं यथेष्ट ध्यान रखा है।

(घ) वार्षिक खाते "वर्तमान प्रचलन" के आधार पर तैयार किए गए हैं;

(ङ) निदेशकों ने बैंक द्वारा पालन किए जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को निर्धारित किया है और हम इस तरह के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को पर्याप्त और प्रभावी रूप से परिचालित मानते हैं; तथा

(च) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की है और हम इस तरह की प्रणालियों को पर्याप्त और प्रभावी रूप से परिचालित मानते हैं।

साचिवीक मानकों का अनुपालन

बैंक, कॉरपोरेट इकाई के संदर्भ में बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 को राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 के साथ पढ़ा जाए, जिसमें लागू कंपनी सचिवों के संस्थान द्वारा जारी सचिवीक मानकों का अनुपालन किया गया है।

साचिवीक लेखापरीक्षा

सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) के 24ए विनियम, 2015 (किसी भी संशोधन या इसके संशोधन सहित) के विनियमन के लिए, बैंक ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए बैंक के साचिवीक लेखापरीक्षा के लिए पेशेवर कंपनी सचिव मैसर्स टी. चटर्जी और एसोसिएट्स को नियुक्त किया है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए साचिवीक लेखा परीक्षा रिपोर्ट अनुबंध-II के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट के अंश के रूप में। साचिवीक लेखापरीक्षा रिपोर्ट में कोई शर्त, संदेह, प्रतिकूल टिप्पणी या अस्वीकरण शामिल नहीं है।

कर्मचारी शेयर क्रय योजना

संभावित और क्रियाशील कर्मचारियों को प्रेरित करने और पुरस्कृत करने और अनुभवी व्यक्तियों को सम्मानित करने साथ ही बैंक की शेयर पूंजी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, 27 फरवरी, 2018 को आयोजित असाधारण आम बैठक में शेयरधारकों की मंजूरी के साथ बैंक ने सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014 के अनुसार इसके किसी संशोधन या उसके परिवर्तन (सेबी एसबीईबी विनियम) सहित एक योजना बनाई है अर्थात युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया कर्मचारी शेयर क्रय योजना, 2018 (यूबीआई-ईएसपीएस 2018/योजना)। युबीआई-ईएसपीएस 2018 ने बैंक को अधिकार दिया है कि वह एक या अधिक हिस्सों में बैंक के पात्र कर्मचारियों के लिए अधिकतम

5,00,00,000 इक्विटी शेयर मंजूरी करें। सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के साथ बैंक ने सेबी एसबीईबी विनियम के विनियमन 22(2) के अनुसार योजना के तहत आवंटित शेयरों की लॉकइन आवश्यकताओं को संशोधित किया।

दिनांक 30 जुलाई, 2018 से 31 अगस्त, 2018 तक पात्र कर्मचारियों द्वारा सदस्यता के लिए निर्गम खुला था। योजना के तहत शेयरों की कीमत साप्ताहिक उच्च और निम्न के औसत पर 5% की छूट पर निर्धारित की गई थी। स्टॉक एक्सचेंजों के हवाले से बैंक के इक्विटी शेयरों के बंद भाव 30 जुलाई, 2018 से 31 अगस्त, 2018 तक पात्र कर्मचारियों द्वारा सदस्यता के लिए निर्गम खुला था। योजना के तहत शेयरों की कीमत साप्ताहिक उच्च और निम्न के औसत पर 5% की छूट पर निर्धारित की गई थी। बैंक के इक्विटी शेयरों की कीमतों में वृद्धि के रूप में स्टॉक एक्सचेंजों के प्रस्ताव पहले दो सप्ताह के दौरान बैंक के शेयरों में उच्च मात्रा में रिकॉर्डिंग, यानि 30 जुलाई, 2018 को निकटतम 5 पैसे के निकटतम दौर तक पहुंच गया। बैंक ने 13 सितंबर, 2018 को उक्त योजना के तहत बैंक के योग्य कर्मचारियों को प्रति शेयर ₹10/- के इश्यू मूल्य के 2,92,02,589 इक्विटी शेयर जारी किए और प्रत्येक को ₹10.55/- के इश्यू मूल्य पर जारी और आवंटित किए।

सेबी एसईबीआई विनियमों के तहत निर्धारित से संबंधित खुलासे 16 जून, 2015 को सेबी परिपत्र के साथ पढ़े गए हैं, जो कि उक्त मुद्दे से संबंधित है, इस रिपोर्ट को अनुबंध-III के रूप में प्रदान किया गया है। यूबीआई-ईएसपीएस 2018 के तहत जारी किए गए 2,92,02,589 इक्विटी शेयरों की पोस्ट अलॉटमेंट और लिस्टिंग, शेष इक्विटी शेयर (यानि 2,07,97,411 इक्विटी शेयर) स्कीम स्टैंड के तहत/सब्सक्राइब नहीं किए गए और यूबीआईईएसपीएस 2018 समाप्त होता है।

सेबी एसबीईबी विनियम के अनुसरण में मुखर्जी विश्वास, पाठक एवं अरुण कुमार अग्रवाल एंड एशोसिएट्स, एसबीए एसोसिएट्स तथा दिनेश जैन एंड एसोसिएट्स बैंक के सांविधिक केन्द्रीय लेखापरीक्षकों ने सेबी एसबीईबी विनियम एवं इस संबंध में (इस रिपोर्ट के परिशिष्ट फ में प्रमाणपत्र संलग्न) शेयरधारकों द्वारा पारित संकल्पों को कार्यान्वित किया गया है, इस आशय को सत्यापित किया है।

कंपनी अभिशासन:

कंपनी अभिशासन पर रिपोर्ट वार्षिक रिपोर्ट के एक अलग खंड (पृष्ठ 51) में अन्तर्निहित है।

इस रिपोर्ट का परिशिष्ट हिस्सा बनाना:

इस रिपोर्ट में संदर्भित परिशिष्ट एवं अन्य सूचनाएं जिनको उद्घाटित करने की आवश्यकता है इसके साथ संलग्न है और इस रिपोर्ट के अंश के रूप में है।

परिशिष्ट	विवरण
I	लाभांश संवितरण नीति
II	साचिवीक लेखापरीक्षा
III	यूबीआई-ईएसपीएस 2018 का विवरण
IV	यूबीआई-ईएसपीएस 2018 पर लेखापरीक्षक प्रमाणपत्र

अनुबंध *I*

लाभांश वितरण नीति

1. प्रस्तावना

युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया की लाभांश वितरण नीति (इसके बाद बैंक के रूप में संदर्भित) को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की अधिसूचना संख्या SEBI/LAD-NRO/GN/2016-17/008 दिनांक 8 जुलाई, 2016 के अनुसार तैयार किया जा रहा है। बाजार पूंजीकरण के आधार पर शीर्ष 500 सूचीबद्ध संस्थाओं में शामिल बैंक के लिए नीति तैयार करना आवश्यक है।

2. नाम

नीति को युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया लाभांश वितरण नीति के रूप में नामित किया जा सकता है जो बैंक के निदेशक मंडल द्वारा उसे अपनाने की तिथि से प्रभावी होगी।

3. उद्देश्य

बैंक, इस नीति के माध्यम से, लाभांश भुगतान योजनाओं के लिए एक सुसंगत दृष्टिकोण बनाए रखने और व्यवसाय में भुगतान किए गए लाभांश की मात्रा और लाभ की राशि के बीच संतुलन बनाए रखने का प्रयास करेगा ।

4. मूल दस्तावेज

क. बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949

ख. बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण) अधिनियम, 1970

ग. आरबीआई परिपत्र सं. RBI/2004-05/451 DBOD.NO.BP.BC. 88/21.02.067/2004-05 दिनांक 04.05.2005

घ. दिनांक 01 जुलाई, 2015 के आरबीआई का मास्टर परिपत्र

ङ. वित्त मंत्रालय का पत्रांक F.No.10/3/2010-BOA दिनांक अप्रैल 13, 2010

च. वित्त मंत्रालय का पत्रांक F.No.10/3/2010-BOA दिनांक जनवरी 18, 2013

छ. सेबी (सूचीबद्ध करार और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमन 2015

ज. युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया (शेयर एवं बैठकें) विनियमन 2010

झ. लाभांश पर कंपनी सचिवालय संस्थान द्वारा जारी - 3 सचीविय मानक

5. पृष्ठभूमि

क. लाभांश वे भुगतान हैं जिन्हें संगठन अपने शेयरधारकों को उनके निवेश की एवज में लौटाता है। यह कंपनियों के लिए वित्तीय स्थिति और शेयरधारक मूल्य को संप्रेषित करने के सबसे सरल तरीकों में से एक है। भविष्य की संभावनाओं और संगठन के प्रदर्शन के संबंध में लाभांश स्पष्ट और यथोचित संदेश देते हैं।

ख. आम तौर पर स्वीकृत परिभाषा के अनुसार, "लाभांश" का मतलब एक संगठन के लाभ से है, जो व्यवसाय में बनाए नहीं रखा जाता है और अपने शेयरधारकों के बीच उनके द्वारा रखे गए शेयरों पर भुगतान की गई राशि के अनुपात में वितरित किया जाता है। लाभांश में कोई अंतरिम लाभांश भी शामिल होता है।

6. लाभांश के संबंध में बैंक की सामान्य नीति

क. भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) और भारत सरकार (जीओआई) द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार बैंक द्वारा लाभांश की घोषणा की जाती है। निदेशक मंडल (इसके बाद 'बोर्ड' रुप में संदर्भित) अपने विवेकाधिकार से, प्रत्येक वित्तीय वर्ष में वार्षिक लेखों का अनुमोदन करते समय, फ्री नकदी प्रवाह की स्थिति, वर्ष के दौरान अर्जित लाभ, कैपेक्स की आवश्यकता एवं लागू करों को ध्यान में रखते हुए शेयरधारकों के अनुमोदन के लिए लाभांश की सिफारिश कर सकते हैं।

ख. लाभांश, बैंक द्वारा जारी किए गए संचयी अधिमानी शेयरों पर लाभांश के अलावा, यदि कोई हो, किसी वित्तीय वर्ष में घोषित नहीं किया गया है तो बाद के वित्तीय वर्ष में भुगतान के लिए जमा नहीं किया जाएगा।

ग. वार्षिक आम बैठकों के दौरान अंतरिम लाभांश की घोषणा करने के लिए बोर्ड के पास पूर्ण विवेक होगा, बर्शते कि भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) के दिशा-निर्देशों और वित्त मंत्रालय (एमओएफ) द्वारा इस संबंध में कोई अधिसूचना/निर्देश यदि दिया गया हो।

7. लाभांश की घोषणा के लिए पात्रता मानदंड

क. दिनांक 01 जुलाई, 2015 के मास्टर परिपत्र के साथ पठित आरबीआई के परिपत्र सं. RBI/2004-05/451 DBOD.NO.BP.BC. 88/21.02.067/2004-05 दिनांक 04.05.2005 के अनुसार बैंक लाभांश घोषित करने की पात्रता के लिए निम्नलिखित न्यूनतम विवेकपूर्ण आवश्यकताओं का पालन करेगा:

ख. सीईटी -1 अनुपात 6.125% से कम नहीं होना चाहिए।

ग. बैंक के पास लाभांश घोषित करने के प्रस्ताव के लिए पिछले दो पूर्ण वर्षों के लिए कम से कम 10% तथा लेखांकन वर्ष के लिए कम से कम 10.25% जोखिम भारित आस्तियों के अनुपात के लिए पूंजी (सीआरएआर) होना चाहिए।

घ. लाभांश का वितरण करने से पूर्व बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के खंड 15 (लाभांश के भुगतान के रूप में प्रतिबंध) तथा खंड 17 (अंतरण योग आरक्षित निधि के लिए लाभ के 20% से कम नहीं होगा) के प्रावधानों का बैंक को अनुपालन करना होगा।

ङ. बैंक को आरबीआई द्वारा जारी प्रचलित नियमों/दिशा-निर्देशों समेत संपत्ति की हानि के लिए पर्याप्त प्रावधान बनाने और कर्मचारी के सेवानिवृत्ति लाभ, सांविधिक आरक्षित के लाभ का अंतरण आदि का अनुपालन करना होगा।

च. प्रस्तावित लाभांश चालू वर्ष के लाभ में से भुगतान किया जाएगा।

छ. लाभांश की घोषणा के लिए बैंक पर आरबीआई द्वारा स्पष्ट प्रतिबंध नहीं लगाए जाएंगे।

8. देय लाभांश की मात्रा

क. यदि पात्रता मानदंड पूरे किए जाते हैं, तो बैंक निम्नलिखित सीमा के तहत लाभांश की घोषणा और भुगतान कर सकता है -

चालू वर्ष की प्रतिधारित कमाई को शामिल करने के बाद सीईटी-1	न्यूनतम पूंजी संरक्षण अनुपात	लाभांश/ बोनस के माध्यम से भुगतान
5.5% - 6.125%	100%	शून्य
6.125% - 6.75%	80%	20%
6.75% - 7.375%	60%	40%
7.375% - 8.0%	40%	60%
>8.0%	0%	100%

ख. यदि प्रासंगिक अवधि के लिए लाभ में कोई अतिरिक्तसाधारण लाभ/आय शामिल है, तो प्रूडेंशियल पेआउट अनुपात के अनुपालन की गणना के लिए इस तरह के अतिरिक्त साधारण वस्तुओं को बाहर करने के बाद पेआउट अनुपात की गणना की जाएगी।

ग. वित्तीय वर्ष से संबंधित वित्तीय विवरण, जिसके लिए बैंक लाभांश की घोषणा कर रहा है, उसे सांविधिक लेखा परीक्षकों की किन्हीं भी शर्तों से मुक्त होना चाहिए, जिसका उस वर्ष के दौरान लाभ पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उसके प्रभाव स्वरुप किसी भी शर्त के मामले में, लाभांश भुगतान अनुपात की गणना करते समय शुद्ध लाभ को उपयुक्त रूप से समायोजित किया जाना चाहिए।

घ. वित्त मंत्रालय की अधिसूचना सं. F. No. 10/3/2010 – BOA, के अनुसार, बैंक भुगतान की गई पूंजी के 20% या कर-पश्चात लाभ के 20% का न्यूनतम लाभांश, जो भी एक वित्तीय वर्ष के लिए अधिक हो, का भुगतान करेगा। यदि बैंक ऊपर दिए गए न्यूनतम लाभांश का भुगतान करने में सक्षम नहीं है, जैसा कि ऊपर कहा गया है, बैंक निर्धारित दर से कम दर पर लाभांश का भुगतान नहीं करने या लाभांश का भुगतान करने के लिए केंद्र सरकार से विशेष अनुमति की मांग करेगा।

9. लाभांश की घोषणा करने के लिए निर्धारित कारक

लाभांश पेआउट के संबंध में निर्णय एक महत्वपूर्ण निर्णय है क्योंकि यह शेयरधारकों के बीच वितरित की जाने वाली राशि और लाभ की राशि को व्यवसाय में बनाए रखने के लिए निर्धारित करता है। संगठन और उसके सभी हितधारकों के हितों को ध्यान में रखते हुए, निम्नलिखित आंतरिक और बाह्य कारकों का अनुसरण करते हुए, लाभांश घोषित करने पर प्रस्ताव पर विचार और निर्णय लिया जाएगा:

क. **बाह्य कारक**

i. अर्थव्यवस्था की स्थिति - आर्थिक और व्यावसायिक परिस्थितियों के अनिश्चित या मंदी के मामले में, बोर्ड भविष्य के जोखिम को कम करने के लिए आरक्षित करने हेतु मुनाफे के बड़े हिस्से को बनाए रखने का प्रयास करेगा ।

ii. पूंजी बाजार - जब बाजार अनुकूल होते हैं, तो लाभांश भुगतान सहज ही हो सकता है। हालांकि, प्रतिकूल बाजार स्थितियों के मामले में, बोर्ड नकदी प्रवाह के संरक्षण के लिए एक रूढ़िवादी लाभांश पेआउट दृष्टिकोण का सहारा ले सकता है।

iii. सांविधिक प्रतिबंध - लाभांश के भुगतान पर निर्णय नियामक प्रतिबंधों के अनुसार होगा, यदि कोई हो।

ख. **आंतरिक कारक**

i. वर्ष के दौरान अर्जित लाभ

ii. अंतरिम लाभांश का भुगतान, यदि कोई हो

iii. भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा आस्ति की गुणवत्ता में सुधार या प्रावधान आदि के संबंध में वार्षिक वित्तीय निरीक्षण का जाँच - परिणाम

iv. लेखा विवरण से संबंधित लेखापरीक्षकों की शर्तें

v. बेसल-III पूंजी आवश्यकताएं

vi. 5 वर्षों के लिए बैंक की व्यावसायिक विकास योजनाएँ

vii. पूंजीगत आस्तियों की प्रतिस्थापन आवश्यकताएं

viii. बैंक के सहायक/सहयोगियों में नवीनतम निवेश या अतिरिक्त निवेश

ix. किसी अन्य कारक जो बोर्ड द्वारा उपयुक्त समझा जा सकता है।

10. शेयर के विभिन्न वर्गों के लिए मापदंड

क. शेयरों के विभिन्न वर्गों के लिए लाभांश की घोषणा हेतु कारक एवं मापदंड ऊपर के खंड 9 के अनुसार यथा उल्लिखित होंगे। लाभांश का भुगतान यथा लागू दिशा-निर्देशों एवं उन्हें जारी करने के शर्तानुसार शेयरों के प्रत्येक वर्ग के साथ संबंद्ध संबंधित अधिकारों के आधार पर किया जाएगा।

ख. इक्विटी शेयरों पर लाभांश का भुगतान केवल चालू वर्ष के लाभ से किया जाएगा। सभी कानूनी और संविदात्मक दायित्वों को पूरा करने के बाद ही लाभांश का भुगतान किया जाता है और पुराने पूंजीगत लिखतों पर भुगतान किया गया है। इसका आशय है कि उच्चतम गुणवत्ता वाले पूंजी के रूप में वर्गीकृत अन्य तत्वों समेत वहां कोई अधिमानी वितरण नहीं है।

11. लाभांश विवेकाधिकार

क. एक बार घोषित होने के बाद लाभांश बैंक के लिए ऋण बन जाता है ।

ख. वितरण/भुगतान को रद्द करने के लिए बैंक के पास हर समय पूर्ण विवेक होगा।

ग. विवेकाधिकार भुगतानों को रद्द करना चूक की स्थिति नहीं होनी चाहिए ।

घ. बैंक के पास अदायगी का पालनीय होने के कारण अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए भुगतान को रद्द करने की पूरी क्षमता होगी ।

ङ. शेयरधारकों को वितरण करने करने के मामले को छोड़कर संवितरण/भुगतान को रद्द करने के लिए बैंक पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा ।

च. लिखत में कोई क्रेडिट संवेदनशील कूपन सुविधा नहीं हो सकती है, अर्थात् लाभांश जो समय-समय पर पूरे या आंशिक रूप से बैंक के क्रेडिट के आधार पर निर्धारित किया जाता है ।

12. लाभांश के भुगतान के तरीके

क. शेयरों के अंकित मूल्य के प्रतिशत के रूप में लाभांश को शेयर के आधार पर घोषित किया जाएगा।

ख. निदेशक मंडल की बैठक, जिसमें अंतिम लाभांश की सिफारश पर विचार किया जाएगा, उसके कम से कम 2 कार्य दिवस से पहले स्टॉक एक्सचेंजों को सूचित किया जाएगा और लाभांश की सिफारशों की सूचना बोर्ड की बैठक के निष्कर्षों के बाद 30 मिनट के भीतर दी जाएगी।

ग. निदेशक मंडल अपनी बैठक में लाभांश की सिफारिश करना, बही बंदी/रिकार्ड तारीख को तय करना, बैंक खातों को खोलने के लिए प्राधिकृत करना, खातों के परिचालन/लाभांश वारंटों को जारी करने के लिए हस्ताक्षरकर्ता को पदनामित करना और लाभांश की घोषणा और भुगतान के संबंध में यथाआवश्यक ऐसे मध्यस्थों को नियुक्त करने का कार्य करेंगे।

घ. सदस्यों के रजिस्टर, शेयर अंतरण रजिस्टर या रिकार्ड को बंद करने की तारीख और रिकार्ड की तारीख जैसा भी मामला हो उससे स्टॉक एक्सचेंज को सदस्यों के रजिस्टर और शेयर अंतरण बही के बंद होने के कम से कम 7 दिनों से पहले सूचित करेंगे और उसे राष्ट्रीय स्तर पर परिचालित एक अंग्रेजी समाचार पत्र और एक बंगला समाचार पत्र में प्रकाशित करेंगे।

ङ. सदस्यों के रजिस्टर को बंद करने/रिकार्ड की तारीख से पहले प्राप्त सभी प्रकार के शेयर अंतरण अनुरोधों पर रजिस्ट्रार एवं शेयर अंतरण एजेंट द्वारा कार्रवाई की जाएगी और बोर्ड/बोर्ड की समिति द्वारा अनुमोदित किया जाएगा ।

च. लाभांश की घोषणा एक साधारण व्यवसाय ऐजेंडा के रुप में वार्षिक आम बैठकों में प्रस्तुत की जाएगी और उसे साधारण बहुमत (साधारण संकल्प) द्वारा अनुमोदित किया जाएगा ।

छ. शेयरधारकों द्वारा बोर्ड द्वारा सिफारिश किए गए दर से उच्च दर पर अंतिम लाभांश की घोषणा नहीं की जा सकती है, हालांकि, वे बोर्ड द्वारा सिफारिश किए गए दर से कम दर पर अंतिम लाभांश की घोषणा कर सकते हैं ।

ज. किसी वित्तीय वर्ष के संबंध में वार्षिक आम बैठक में एक बार लाभांश की घोषण हो जाने पर, बैंक उसी वित्तीय वर्ष के संबंध में एक असाधारण आम बैठक में अगले लाभांश की घोषणा नहीं कर सकता है ।

झ. प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए घोषित लाभांश पृथक बैंक खातों में अंतरित किया जाएगा और बैंक यह सुनिश्चित करेगा कि लाभांश की समग्र राशि का भुगतान लाभांश की घोषणा के बाद 5 दिनों के भीतर निर्दिष्ट खाता में लाभांश वितरण कर के भुगतान के अंतरित होने के बाद किया जाएगा ।

ञ. बैंक इलेक्ट्रानिक माध्यमों से शेयरधारकों को लाभांश राशि अंतरित करने तथा लाभांश घोषित होने के 30 दिनों के भीतर लाभांश वारंटों का प्रेषण सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक व्यवस्था करेगा ।

ट. अप्रदत्त या अदावी राशि 30 दिनों की अवधि की समाप्ति के 7 दिनों के भीतर उसी वित्तीय वर्ष के अप्रदत्त लाभांश खाता में अंतरित कर दी जाएगी ।

ठ . बैंक अप्रदत्त लाभांश का शेयरधारक वार विवरण तैयार करेगा और उसे बैंक की वेबसाइट पर अप्रदत्त लाभांश खाता में अंतरित करने के 90 दिनों के भीतर अपलोड करेगा।

13. अंतरिम लाभांश के भुगतान के लिए अतिरिक्त आवश्यकताएं:

क. अंतरिम लाभांश घोषित करने के लिए बोर्ड की बैठक में खुद को संतुष्ट करना होगा कि बैंक की वित्तीय स्थिति ऐसे भुगतान को सही ठहराती है। अंतरिम लाभांश का लाभ और हानि खाते के अधिशेष से भुगतान किया जाएगा तथा यह उस वित्तीय वर्ष के लाभ से भुगतान किया जाएगा जिसमें अंतरिम लाभांश घोषित किया जाना प्रस्तावित है। अंतरिम लाभांश का भुगतान बैंक के आरक्षित निधि से नहीं किया जाएगा।

ख. अंतरिम लाभांश घोषित करने की तारीख से पहले तिमाही के अंत तक बैंक को चालू वित्तीय वर्ष के दौरान शुद्ध घाटा होने की स्थिति में अंतरिम लाभांश घोषित नहीं किया जाएगा।

ग. अंतरिम लाभांश बैंक द्वारा घोषित पूर्ववर्ती 3 वर्षों के दौरान लाभांश की औसत दर से अधिक की दर से घोषित नहीं किया जाएगा।

घ. निदेशक मंडल अपनी बैठक में अंतरिम लाभांश की घोषणा करेगा, बुक क्लोजर/रिकॉर्ड तिथि को अंतिम रूप देगा, बैंक खातों को खोलने के लिए, खातों के परिचालन के लिए हस्ताक्षरकर्ता अधिकृत करेगा/लाभांश वारंट जारी करके ऐसे मध्यस्थों को बहाल करेगा जैसा कि घोषणा और लाभांश भुगतान के लिए आवश्यक होगा। बैंक घोषणा के पांच दिनों के भीतर अंतरिम लाभांश की राशि जमा करेगा।

च. घोषित अंतरिम लाभांश की पुष्टि अगले वार्षिक आम बैठक में की जाएगी।

14. अधिमानी लाभांश:

क. यदि अधिमानी शेयरों को भुनाया नहीं गया है तो किसी भी लाभांश को तब तक घोषित नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि इस तरह के अधिमानी शेयरों पर लाभांश का भुगतान नहीं किया जाता है या अधिमानी शेयरों को भुनाया नहीं जाता है।

ख. बैंक के इक्विटी शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान करने से पहले अधिमानी शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान किया जाना चाहिए।

ग. पर्पिचुअल नन-कम्युलेटिव शेयरों (पीएनसीपीएस) पर देय लाभांश का भुगतान वर्तमान वर्ष के लाभ से किया जाएगा।

घ. अंतरिम लाभांश के मामले में, जबकि इक्विटी शेयरधारकों को अंतरिम लाभांश का भुगतान करने से पहले अधिमानी शेयरधारकों को आवश्यक रूप से लाभांश का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है, बोर्ड उस राशि को अलग रखेगा जो तय दर पर अधिमानी शेयरधारकों को लाभांश का भुगतान करने के लिए आवश्यक होगा।

च. जारी किए गए निर्गत कम्युलेटिव अधिमानी शेयरों के बकाया लाभांश का भुगतान किसी भी अन्य लाभांश के भुगतान से पहले किया जाना चाहिए।

15. निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि को अभुक्त लाभांश का अंतरण:

क. बैंक द्वारा, अंतरण तिथि से 7 वर्षों तक अभुक्त/बेदावा रहने वाले ऐसे लाभांश की राशि को ब्याज सहित, यदि कुछ हो, को भारत सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा निधि (आईईएफपी) को अंतरित किया जाएगा।

ख. बैंक कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) को प्रति वर्ष बेदावा/अभुक्त लाभांश का ब्योरा भेजेगा और आईईएफपी को स्थानान्तरित अभुक्त/बेदावा लाभांश की राशि तथा उसका ब्योरा अपने पास रखेगा।

16. अभुक्त लाभांश खाता से दावा:

क. अभुक्त लाभांश खाते से लाभांश का दावा करने के लिए आवेदन पत्र निर्धारित राशि के मुताबिक क्षतिपूर्ति बांड के साथ किया जाएगा, जहां लाभांश की राशि ₹10000/ से अधिक है; इसके साथ पहचान का प्रमाण, निवास का प्रमाण, लाभांश वारंट/पत्र, उत्तराधिकार प्रमाणपत्र/प्रोबेट/लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन (मृत व्यक्ति के मामले में) जमा करना होगा, जबकि क्षतिपूर्ति बॉन्ड की आवश्यकता को राज्य/केंद्र सरकार, सरकारी कंपनी, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम या सार्वजनिक वित्तीय संस्थान के मामले में छूट प्राप्त होगी।

ख. आईईएफपी को भेजा गया लाभांश का दावा आईईएफपी प्राधिकरण को एक आवेदन भेजकर किया जाएगा।

17. रिपोर्टिंग प्रणाली:

क. बैंक द्वारा अपने इक्विटी शेयरों और अधिमानी शेयरों पर भुगतान किए गए सभी लाभांश की जानकारी शेयरधारकों को निदेशकों की रिपोर्ट द्वारा दी जाएगी।

ख. लेखा वर्ष के दौरान घोषित लाभांश का विवरण आरबीआई को अनुबंध 2 में सूचित किया जाएगा जैसा कि भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र RBI/2004-05/451 DBOD.NO.BP.BC.88/ 21.02.067/2004-05, दिनांक 04.05.2005 में दिया गया है। लाभांश घोषित होने के बाद एक पखवाड़े के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी।

ग. लाभांश के भुगतान न करने के सभी उदाहरण जारीकर्ता बैंकों को बैंकिंग विनियमन विभाग और बैंकिंग पर्यवेक्षण विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, मुंबई के प्रभारी मुख्य महाप्रबंधकों द्वारा अधिसूचित किए जाएंगे।

18. रोकी गई आय की उपयोग विधि:

बोर्ड के पास बैंक की आय को रखने का अधिकार होगा जैसा कि व्यापार विस्तार के लिए आवश्यक बोर्ड की राय में हो सकता है, पूंजी पर्याप्तता में सुधार, विविधीकरण या इस तरह के अन्य उद्देश्यों के रूप में बोर्ड द्वारा उपलब्ध संसाधनों के अधिकतम उपयोग और शेयरधारक मूल्य में वृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए, जैसा उचित होगा।

19. विचलन स्वीकृति का प्राधिकार:

क. यदि इस नीति का कोई विशिष्ट प्रावधान किसी निदेश, अधिसूचना, केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा-निर्देशों के साथ मतभेद की स्थिति में है तो उक्त निदेश, अधिसूचना, दिशा-निर्देश कायम रहेंगे।

ख. बैंक का निदेशक मंडल लाभांश से संबंधित मामले में इस नीति से किसी भी विचलन की अनुमति देने के लिए सक्षम प्राधिकारी होगा।

20. कार्यान्वयन:

यह नीति बोर्ड द्वारा अपनाए जाने की तिथि से प्रभावी हो जाएगी और तब तक लागू रहेगी जब तक कि बोर्ड द्वारा संशोधित या समाप्त नहीं किया जाता है, या आरबीआई, भारत सरकार, सेबी और अन्य विनियामकों के संबद्ध प्रावधानों में संशोधन, कोई होता है।

21. खुलासा

यह नीति बैंक की वेबसाइट www.unitedbankofindia.com पर अपलोड की जाएगी और वार्षिक रिपोर्ट में एक वेब लिंक प्रदान किया जाएगा। जब भी इस नीति में कोई परिवर्तन किया जाएगा, बैंक अपनी वेबसाइट पर इसको अद्यतन करेगा।

अनुबंध *II*

साचिविक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

[भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड द्वारा जारी परिपत्र सं. CIR/CFD/CMD1/27/2019 दिनांक 08-02-2019 को सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) (संशोधन) विनियम, 2018 के विनियमन 24ए के साथ पढ़ें]

सेवा में,
सदस्यगण
युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
"युनाइटेड टॉवर"
11, हेमंत बसु सरणी
कोलकाता-700001

हमने 1 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019 तक की अवधि के दौरान साचिविक लेखापरीक्षा के लिए लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (इसके बाद बैंक कहा जाएगा) द्वारा कंपनी पद्धतियों के पालन का लेखापरीक्षा किया। साचिविक लेखापरीक्षा इस तरीके से संचालित किया गया, जिससे हमें कॉर्पोरेट आचरण /सांविधिक अनुपालन का मूल्यांकन और उसके संदर्भ में अपनी राय व्यक्त करने के लिए एक उचित आधार प्रदान किया।

इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म पर मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज (ओं) के पास दाखिल किए गए बही, कागजात, कार्यवृत्त बही, प्रपत्रों और रिपोर्टों, विवरण, दस्तावेजों और बैंक द्वारा अनुरक्षित अन्य रिकॉर्ड और साचिविक लेखापरीक्षा के संचालन के दौरान बैंक, इसके अधिकारियों, रजिस्ट्रार और बैंक के शेयर अंतरण एजेंट द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं के हमारे सत्यापन के आधार पर, जिसे हम अपनी राय में एतदद्वारा रिपोर्ट करते हैं, बैंक ने 1 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019 (लेखापरीक्षा अवधि) तक की लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, एतदधीन सूचीबद्ध सांविधिक प्रावधानों का अनुपालन किया है और यह भी कि बैंक के पास उचित बोर्ड प्रक्रिया और मौजूदा लागू अनुपालन क्रियाविधि हैं, इसी रुप में विषय की रिपोर्टिंग इसके पश्चात की गई है।

हमने इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफ़ॉर्म पर मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज (ओं) के पास दाखिल किए गए बही, कागजात, कार्यवृत्त बही, प्रपत्रों और रिपोर्ट, विवरण, दस्तावेजों और प्रावधान के अनुसार लेखापरीक्षा अवधि के लिए बैंक द्वारा अनुरक्षित अन्य अभिलेखों की जाँच की है:

(i) विशेष रूप से बैंक के लिए लागू बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949;
(ii) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी परिपत्रों, अधिसूचनाओं का अनुपालन;
(iii) बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970
(iv) राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970
(v) युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया (शेयर और बैठक) विनियम, 2010;
(vi) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 (एससीआरए) और इसके तहत बनाए गए नियम;
(vii) निपेक्षागार, अधिनियम 1996 और विनियम और इसके तहत ढाँचागत बनाए गए कानून;
(viii) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी अधिनियम) के तहत निर्धारित निम्नलिखित विनियम और दिशा-निर्देश बैंक के लिए लागू सीमा तक:-
 क. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, (शेयरों का वास्तविक अधिग्रहण एवं अधीनीकरण) विनियम, 2011;
 ख. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इनसाइडर ट्रेडिंग का निषेध) विनियम, 1992;
 ग. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी और प्रकटीकरण आवश्यकताओं का निर्गम) विनियम, 2009;
 घ. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (निर्गम रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट्स) विनियम, 1993
 ड़. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियमन, 2014;
 च. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015;

हमने बैंक द्वारा स्टॉक एक्सचेंजों के साथ दाखिल किए गए सूचीबद्ध करार के लिए लागू शर्तों के अनुपालन की भी जांच की है। हम रिपोर्ट करते हैं कि बैंक ने भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम, 2015 के लागू शर्तों का अनुपालन किया है, इसके साथ-साथ विनियमन में जैसा कि कंपनी अभिशासन के प्रावधान 17, 17ए, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24ए, 25, 26, 27 और उप नियम (बी) से (आई) उप विनियमन (2) के विनियमन 46 और अनुसूची V का पैरा सी, डी एवं ई का विस्तारित प्रावधान उस सीमा तक बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन एवं विविध प्रावधान) योजना, 1970, युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया (शेयर एवं बैठक) विनियम, 2010 और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी अधिसूचनाओं, परिपत्रों का उल्लंघन नहीं करता है।

लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, बैंक ने उपर्युक्त उल्लिखित अधिनियमों, नियमों, विनियम, दिशा-निर्देशों, मानकों, सूचीबद्ध करार आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है, समयबद्ध कार्यान्वयन और स्विफ्ट परिचालन के सुदृढ़ीकरण पर भारतीय रिज़र्व बैंक के विभिन्न निदेशों का गैर अनुपालन करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने रुपए तीन करोड़ का जुर्माना लगाया है।

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि:

बैंक के निदेशक मंडल का विधिवत गठन कार्यकारी निदेशकों, गैरकार्यकारी निदेशकों और स्वतंत्र निदेशकों के समुचित संतुलन के साथ किया गया है। लेखा परीक्षा अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में किए गए बदलाव बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949, राष्ट्रीयकृत बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 और या भारत सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा जारी अधिसूचना /परिपत्र प्रावधानों के अनुपालन में किए गए।

सभी निदेशकों को निर्धारित बोर्ड की बैठकों की कार्यसूची और कार्यसूची पर विस्तृत नोट की समुचित सूचना कम से कम सात दिन पहले भेजी जाती हैं और बैठक से पहले कार्यसूची की मदों पर स्पष्टीकरण एवं आगे की जानकारी प्राप्त करने और मांग करने तथा बैठक में अर्थपूर्ण प्रतिभागिता के लिए एक प्रणाली मौजूद है।

निर्णय बहुमत के माध्यम से लिया जाता है, जबकि असंतुष्ट सदस्यों के विचारों को कार्यवृत्त के हिस्से के रूप में अधिकृत और रिकॉर्ड किया जाता है।

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि लागू विधि, नियमों, विनियम और दिशानिदेशों की निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बैंक के आकार और परिचालन के अनुरुप बैंक के पास पर्याप्त प्रणाली और प्रक्रियाएं हैं।

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि लेखापरीक्षा अवधि के दौरान, बैंक के निम्नलिखित निर्धारित कार्यक्रम हैं:

(i) केंद्र सरकार द्वारा राजपत्र अधिसूचना संख्या S.O 585, दिनांक 16-04-2018 के माध्यम से प्राधिकृत शेयर पूजी को बढ़ाकर ₹ 3000/ करोड़ से ₹ 5000/ करोड़ एवं राजपत्र अधिसूचना सं. S.O. 053 दिनांक 07-01-2019 के माध्यम से ₹5000/ करोड़ से ₹8500/ करोड़ बढ़ाना।

(ii) कर्मचारी शेयर क्रय योजना के तहत सूचीबद्ध इकाई ने कर्मचारियों (निदेशकों सहित) को 29202589 इक्विटी शेयर जारी किए हैं।

(iii) केंद्र सरकार के आदेश के संदर्भ में सूचीबद्ध इकाई ने अधिमान्य आवंटन के आधार पर भारत के राष्ट्रपति को दो अवसरों पर 1817340067 और 2573889392 शेयर जारी किए हैं।

(iv) बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (16-10-2006 को प्रविष्टि की गई) की धारा 10बी के प्रावधान और भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशों के संदर्भ में, वित्त मंत्रालय के द्वारा जारी पत्र सं. F.No..7/93/2013-BOA दिनांक 21-05-2014, वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए सूचीबद्ध इकाई के ₹621278 राशि की अदत्त और अदावी लाभांश भारत सरकार द्वारा स्थापित निवेश शिक्षा और संरक्षण निधि (आईईपीएफ) को स्थानांतरित कर दिया गया है। हालाँकि, केंद्र सरकार की ओर से किसी विशिष्ट निदेश के अभाव में, ऐसे अदत्त /अदावी लाभांश के संबंध में शेयरों को आईईपीएफ को हस्तांतरित नहीं किए गए।

हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि:

(i) बैंक और उसके निदेशकों और अधिकारियों के खिलाफ लेखापरीक्षा अवधि के दौरान सेबी अधिनियम, एससीआरए, निपेक्षागार, अधिनियम, सूचीबद्ध करार, नियमों, विनियम और दिशा-निर्देशों के तहत कोई अभियोजन की शुरुआत नहीं की गई और न ही अर्थदंड या जुर्माना लगाया गया।

(ii) निदेशकों ने अपने नियुक्ति की पात्रता, अपने स्वतंत्र होने और निदेशक और प्रबंधन कार्मिकों के लिए व्यावसायिक आचरण और आचार संहिता के अनुपालन के संबंध में प्रकटीकरण अपेक्षाओं का अनुपालन किया है।

(iii) कोई भी निदेशक बैंकिंग विनियम अधिनियम, 1949 और या राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 और या भारत सरकार और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी अधिसूचना / परिपत्र के तहत निदेशक होने के लिए अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि प्राप्त सूचनाओं और अभिलेखों के आधार पर बैंक में लागू विधि, नियमों, विनियम और दिशा-निर्देशों के निगरानी और अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बैंक के आकार और परिचालन के अनुरुप बैंक के पास पर्याप्त प्रणालियाँ और प्रक्रियाएं हैं।

कृते टी. चटर्जी एंड एसोसिएट्स
एफआरएन सं. - P2007WB067100

ह./-
बिनीता पांडे
भागीदार
सदस्यता संख्या: 41594
सीओपी सं.: 19730

दिनांक : 13 मई, 2019, कोलकाता

(इस रिपोर्ट को हमारे समतिथि के पत्र के साथ पढ़ा जाना है जो अनुलग्नक ए के रूप में संलग्न है और इस रिपोर्ट का एक अभिन्न हिस्सा है।)

साचिविक लेखा परीक्षा रिपोर्ट का अनुलग्नक ए

सेवा में,
सदस्यगण
युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
"युनाइटेड टॉवर"
11 हेमंत बसु सरणी
कोलकाता-700001

सम-तिथि की हमारी रिपोर्ट को इस पत्र के साथ पढ़ा जाए।

1. साचिविक अभिलेखों का रखरखाव बैंक प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी यह है कि हमारी लेखापरीक्षा के आधार पर इन साचिविक अभिलेखों पर राय व्यक्त करना।

2. हमने लेखापरीक्षा पद्धितयों और प्रक्रियाओं का पालन किया है, जो साचिविक अभिलेखों की सामग्री की सटीकता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थे। साचिविक अभिलेखों में परिलक्षित सटिक तथ्यों को सुनिश्चित करने हेतु सत्यापन, जाँच के आधार पर किया गया था। हम मानते हैं कि हमारे द्वारा अनुसरण किए गए प्रक्रियाओं और पद्धितयों ने हमारी राय के लिए एक उचित आधार प्रदान किया।

3. जहां कहीं आवश्यक था, हमने विधि, नियमों और विनियम के अनुपालन और घटनाओं आदि के संबंध में प्रबंधन प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।

4. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 ("सेबी अधिनियम") और विनियम, परिपत्रों, दिशानिदेश के तहत जारी किए गए प्रावधानों के अनुपालन; और प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 ("एससीआरए"), के तहत बनाए गए नियम और भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड ("सेबी") द्वारा जारी किए गए विनियम, परिपत्रों, दिशानिदेश; प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारा परीक्षण जाँच क्रियाविधि के आधार पर सत्यापन तक सीमित था।

5. साचिविक लेखापरीक्षा न तो बैंक की भविष्य की व्यवहार्यता के लिए एक आश्वासन है और न ही उस प्रभावकारिता या प्रभावशीलता के साथ, जिसके लिए प्रबंधन ने बैंक के मामलों का संचालन किया है।

कृते टी. चटर्जी एंड एसोसिएट्स
एफआरएन सं. - P2007WB067100

ह./-
बिनीता पांडे
भागीदार
सदस्यता संख्याः 41594
सीओपी सं.: 19730

दिनांक : 13 मई, 2019, कोलकाता

अनुबंध *III*

युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया - कर्मचारी शेयर खरीद योजना, 2018 से संबंधित विवरण

क) **आईसीएआई द्वारा जारी कर्मचारी शेयरआधारित भुगतानों के लिए लेखांकन पर दिशा-निर्देश नोट या समय-समय पर निर्धारित कोई अन्य प्रासंगिक लेखांकन मानकों के अनुसार प्रासंगिक प्रकटीकरण -**

i) युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया - कर्मचारी शेयर खरीद योजना, 2018 (युबीआई-ईएसपीएस 2018) और 27 फरवरी, 2018 को बैंक के शेयरधारकों द्वारा दी गई अनुमोदन के संदर्भ में इस योजना के तहत निर्गम मूल्य ₹10.55/- को बैंक की इक्विटी शेयरों की अंतिम मूल्य के साप्ताहिक उच्च और निम्न मूल्य के औसत पर 5% की छूट पर निर्धारित किया गया था, जो 5 पैसे के गुणक में पूर्णांकित करने हेतु पेशकश की तारीख (जिस तारीख से यह निर्गम पात्र कर्मचारियों के लिए उपलब्ध कराया गया) से पूर्व दो सप्ताह के दौरान बैंक के शेयरों में ट्रेडिंग की उच्चत्तर मात्रा स्टॉक एक्सचेंज में उल्लिखित है।

ii) बैंक ने युबीआई-ईएसपीएस 2018 के तहत प्रीमियम सहित ₹10.55/- प्रति शेयर के मूल्य पर प्रत्येक ₹10/- के अंकित मूल्य की 2,92,02,589 इक्विटी शेयरों को आबंटित किया है। निर्गम के तहत इक्विटी शेयरों को बैंक की इक्विटी शेयरों की अंतिम मूल्य के साप्ताहिक उच्च और निम्न मूल्य के औसत पर 5% अर्थात प्रति शेयर ₹0.54/- की छूट पर जारी किया गया था, जो 5 पैसे के गुणक में पूर्णांकित करने हेतु पेशकश की तारीख अर्थात 30 जुलाई, 2018 से पूर्व दो सप्ताह के दौरान बैंक के शेयरों में ट्रेडिंग की उच्चत्तर मात्रा स्टॉक एक्सचेंज में उल्लिखित है।

iii) युबीआई-ईपीएस 2018 के तहत आवंटित इक्विटी शेयरों के लिए छूट (₹ 0.54/- प्रति इक्विटी शेयर) के माध्यम से कर्मचारियों को दी जानेवाली रियायत के आधार पर बैंक के लाभ और हानि खाते से कुल ₹1,57,69,398.06/- नामे किया गया है।

ख) **विनियम के तहत कवर की गई सभी योजनाओं के अनुसार शेयरों की निर्गम पर डायल्यूटेड ईपीएस को आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक 20 - अर्जन प्रति शेयर या समय-समय पर निर्धारित कोई अन्य प्रासंगिक लेखांकन मानकों के अनुसार प्रकट की जाएगी।**

31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए लेखापरीक्षित वित्तीय विवरणों का डायल्यूटेड ईपीएस के अंश के रूप में प्रतीत होनेवाले आंकड़े।

ग) ईएसपीएस से संबंधित विवरण

i) प्रत्येक ईएसपीएस का विवरण जिसके तहत वर्ष 2018-2019 के दौरान आवंटन किए गए -

क्र.सं.	ब्यौरा	विवरण
(क)	शेयरधारकों के अनुमोदन की तारीख	फरवरी 27, 2018
(ख)	जारी शेयरों की संख्या	प्रत्येक ₹10/- का 2,92,02,589 इक्विटी शेयर
(ग)	वह मूल्य जिस पर ऐसे शेयरों को जारी किया गया	प्रति इक्विटी शेयर ₹10.55/-
(घ)	लॉक इन अवधि	आवंटन की तारीख (13.09.2018) से अधिकतम एक वर्ष की अवधि। युबीआई-ईएसपीएस 2018 के तहत आवंटित इक्विटी शेयरों का लॉक्ड इन 12 सितम्बर, 2019 तक है।

ii) वर्ष की समाप्ति तक प्रत्येक ईएसपीएस के तहत आवंटन का विवरण:

क्र.सं.	ब्यौरा	विवरण
(क)	ईएसपीएस के तहत जारी शेयरों का विवरण	प्रत्येक ₹10/- का 2,92,02,589 इक्विटी शेयर*
(ख)	वह मूल्य जिस पर ऐसे शेयरों को जारी किया गया	प्रति इक्विटी शेयर ₹10.55/-
(ग)	निम्नलिखित को जारी किए गए शेयरों का कर्मचारीवार विवरण – (i) वरिष्ठ प्रबंधकीय कार्मिक;; (ii) कोई अन्य कर्मचारी जिसे उस वर्ष के दौरान 5% या उससे अधिक के शेयर किसी भी एक वर्ष में जारी किया गया; (iii) चिह्नित कर्मचारी जिन्हें शेयर जारी करते समय बैंक की जारी पूंजी के समतुल्य या 1% से अधिक शेयर किसी भी एक वर्ष के दौरान जारी किया गया;	वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों की सूची, जिनके पास योजना के तहत शेयर जारी किए गए हैं, यहां संलग्न हैं; शून्य शून्य
(घ)	यदि बैंक द्वारा सीधे योजना को लागू किया जाता है, तो शेयर जारी करने के विरुद्ध विचार किया जाता है	₹30,80,87,313.95/- (₹29,20,25,890.00/- शेयर पूंजी खाता में जमा किया गया और ₹1,60,61,423.95/- शेयर प्रीमियम खाता में जमा किया गया)
(च)	ट्रस्ट द्वारा वर्ष के दौरान प्राप्त उपयोग मूल्य से चुकाया गया ऋण	लागू नहीं

*यूबीआई-ईएसपीएस 2018 के तहत जारी किए गए 2,92,02,589 इक्विटी शेयरों की आवंटन पश्चात, और सूचीकरण, शेष इक्विटी शेयर (यानी 2,07,97,411 इक्विटी शेयर) की पेशकश नहीं की गई/योजना के तहत सदस्यता रद्द कर दी गई है और यूबीआई-ईएसपीएस 2018 समाप्त हो गया है।

युबीआई-ईएसपीएस 2018 के तहत वरिष्ठ प्रबंधकीय कार्मिक को जारी किए गए शेयरों का कर्मचारीवार विवरण:

नाम	पदनाम	आवंटित शेयरों की संख्या
श्री नरेश कुमार कपूर***	महाप्रबंधक	10,000
श्री संजय कुमार**	महाप्रबंधक	10,000
श्री मानष धर***	महाप्रबंधक	10,000
मोहम्मद अब्दुल वाहिद***	महाप्रबंधक	10,000
श्री उमेश कुमार रॉय	महाप्रबंधक	10,000
श्रीमती सुनंदा बसु***	महाप्रबंधक	10,000
श्री बाला राजू कुंतिला***	महाप्रबंधक	10,000
श्री विनय गंदोत्रा	महाप्रबंधक	10,000
श्री गौरी प्रसाद शर्मा	महाप्रबंधक	10,000
श्री सुभाशीष विश्वास***	महाप्रबंधक	10,000
श्री वी सुंदरेसन^	महाप्रबंधक	10,000
श्री दिलीप कुमार दुर्लभराम नायक	उप महाप्रबंधक	10,000
श्री मनीष अग्रवाल	उप महाप्रबंधक	10,000
श्री बिक्रमजीत सोम	उप महाप्रबंधक	10,000

** बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में दिनांक 20 सितंबर, 2019 से नियुक्त।
*** 31.03.2019 को या उससे पहले सेवानिवृत्त हुए महाप्रबंधक की सूची शामिल है।
^ यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में मुख्य सतर्कता अधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्ति पर।

टिप्पणियां:

1. 'वरिष्ठ प्रबंधन' में टीईजी-स्केल VII में शीर्ष कार्यपालकगण और स्केल VI में स्वतंत्र प्रभार और कंपनी सचिव के लिए बैंक के आचार संहिता के साथ निदेशक और शीर्ष कार्यपालकगण शामिल हैं।
2. www.unitedbankofindia.com के वेबलिंक पर बैंक की वेबसाइट पर आवश्यक प्रकटीकरणों को अपलोड किया गया है।
3. अन्य प्रकटीकरण जो बैंक पर लागू नहीं होते हैं, उन पर अलग से टिप्पणी नहीं की गई है।

अनुबंध *IV*

युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया-कर्मचारी शेयर खरीद योजना, 2018 के लिए लेखापरीक्षकों का प्रमाण पत्र

सेवा में

युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के सदस्यगण

यह प्रमाण पत्र भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014 (इसके अतिरिक्त कोई संशोधन या आशोधन सहित) के विनियमन 13 के अनुसार जारी किया गया है और इसे सेबी परिपत्र सं. CIR/CFD/POLICY CELL/2/2015 दिनांक 16 जून, 2015 के साथ पढ़ा जाए।

हम, मुखर्जी बिश्वास एण्ड पाठक, अरुण के. अग्रवाल एंड एसोसिएट्स, एसबीए एसोसिएट्स और दिनेश जैन एंड एसोसिएट्स, युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया ("बैंक") के केंद्रीय सांविधिक के केंद्रीय लेखा परीक्षकों, 31 मार्च, 2019 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए बैंक द्वारा सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014 के अनुपालन की जांच की है।

हमारी जाँच बैंक द्वारा उक्त विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया-कर्मचारी शेयर खरीद योजना, 2018 (इसके बाद "युबीआई-ईएसपीएस 2018" के रूप में संदर्भित किया गया) के कार्यान्वयन तक सीमित थी।

हमारे अभिमत में तथा प्राप्त सूचना और हमें दी गई स्पष्टीकरण के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि युबीआई ईएसपीएस 2018 सेबी (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014 और 27 फरवरी, 2018 को आयोजित असाधारण आम बैठक में बैंक के शेयरधारकों द्वारा पारित संकल्प के अनुसार लागू किया गया है।

कृते अरुण के. अग्रवाल एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन 003917 एन
ह/-
सीए अरुण कुमार अग्रवाल
भागीदार
एम.सं.: 082899

कृते मुखर्जी बिश्वास एंड पाठक
सनदी लेखाकार
एफआरएन 301138ई
ह/-
सीए शंकर प्रसन्न मुखर्जी
भागीदार
एम.सं.: 010807

कृते दिनेश जैन एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन 004885एन
ह/-
सीए नेहा जैन
भागीदार
एम.सं.: 514725

कृते एसबीए एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन 308136ई
ह/-
सीए नीलंजना सेन
भागीदार
एम.सं.: 061768

दिनांक : 13 मई, 2019
स्थान : कोलकाता

व्यवसाय दायित्व रिपोर्ट 2018-19

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) (सूचीकरण बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियम 2015 के विनियमन 34(2)(एफ) के अनुसार इस बैंक के निदेशक वित्तीय वर्ष 2018-19 का व्यवसाय दायित्व रिपोर्ट प्रस्तुत करते है।

खंड क: इस बैंक के बारे में सामान्य जानकारी

युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया(युबीआई) एक सार्वजनिक क्षेत्र का व्यवसायिक बैंक है जो बड़े और मध्यम कॉर्पोरेट्स तथा खुदरा एवं कृषक समुदाय के ग्राहकों-दोनों ही वर्ग को विभिन्न प्रकार के अतिलघु, लघु एवं मध्यम उद्यम(एमएसएमई) हेतु बैंकिंग एवं वित्तीय उत्पादों की सेवा प्रदान करता है। यह बैंक अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के ग्राहकों एवं कंपनियों को अपने उत्पाद और सेवाएं प्रदान करता है। बैंक का व्यवसाय मुख्य रूप से खुदरा बैंकिंग, कृषि बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग, अन्तर्राष्ट्रीय बैंकिंग, एमएसएमई बैंकिंग, प्राथमिकता प्राप्त ऋण, ट्रेजरी परिचालन और अन्य वित्तीय सेवाओं जैसे डीमैट/ट्रेडिंग सर्विसेज, मर्चेंट बैंकिंग सेवा, डिवेंचर ट्रस्टी, तृतीय पक्ष के उत्पादों का वितरण जैसे बीमा, म्यूचल फंड उत्पाद, मनी ट्रांसफर सर्विसेज, मर्चेंट एक्वायरिंग सेवा, पेंशन और कर संग्रहण सेवा आदि क्षेत्रों में बटा हुआ है।

यह बैंक उन 14 बड़े बैंको में शामिल है जिनका राष्ट्रीयकरण 19 जुलाई, 1969 को हुआ था। इस बैंक का पूर्वाधिकारी युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया लिमिटेड था जिसका गठन 1950 में निम्नलिखित चार बैंको के समामेलन से हुआ था - कुमिल्ला बैंकिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड (1914), बंगाल सेंट्रल बैंक लिमिटेड (1918), कुमिल्ला यूनियन बैंक लिमिटेड (1922) और हुगली बैंक लिमिटेड (1932) (इन चारो बैंको की स्थापना इनके नाम के पास कोष्ठक में दिए गए वर्ष में हुई थी) इस तरह इस बैंक की उत्पति का इतिहास 1914 से आरम्भ होता है।

राष्ट्रीयकरण के बाद इस बैंक ने अपनी शाखाओं का विस्तार व्यापक रूप से किया और विकासात्मक कार्यकलापों में सक्रिय रूप से भाग लिया। विशेष रूप से इसने राष्ट्रीयकरण के उद्देश्यों के मद्देनजर विकासात्मक कार्यो में अपनी सक्रियता ग्रामीण और अर्धशहरी क्षेत्रों में दिखाई। इस बैंक की इसी भूमिका को मान्यता देते हुए इसे विभिन्न जिलों में अग्रणी बैंक होने का सम्मान मिला और फिलहाल यह बैंक पश्चिम बंगाल, असम, मणिपुर और त्रिपुरा के 43 जिलों में अग्रणी बैंक है। यह बैंक पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा के राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति का संयोजक भी है।

इस बैंक ने बैंकिंग सेवाओं के विस्तार को देश के विभिन्न भागों विशेषकर पूर्व और पूर्वोत्तर भारत में बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और अबतक 04 क्षेत्रीय ग्रमीण बैंको को प्रायोजित किया है। इनमें एक पश्चिम बंगाल में, एक असम में, एक मणिपुर में और एक त्रिपुरा में है। इन चार क्षेत्रीय ग्रमीण बैंकों की कुल 1174 से अधिक शाखाएं हैं। इस बैंक को लोग चाय बैंक के रूप में भी जानते हैं। क्योंकि यह बैंक बहुत पहले से ही चाय बगानों को वित्त प्रदान करता रहा है। यह बैंक चाय उद्योग का सबसे बड़ा ऋणदाता है।

हमारे बैंक का लक्ष्य है एक गतिशील, प्रौद्योगिकी उन्नत, ग्राहक हितैषी, प्रगतिशील और वित्तीय रूप से मजबूत अखिल भारतीय बैंक के रूप में अपनी पहचान बनाना और व्यवसायिक परिवेश में विश्वास और पारदर्शिता के साथ जोखिम प्रबंधन पर समुचित बल देते हुए अपने व्यवसाय के विकास और लाभप्रदता पर अपना ध्यान केन्द्रित करना।

बैंक संबंधी अन्य विवरण:

कंपनी पहचान सं.	**युटीबीआई**
संगठन का नाम	**युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया**
पंजीकृत पता	**युनाइटेड टावर** 11, हेमन्त बसु सरणी, कोलकाता -700001
वेबसाइट	www.unitedbankofindia.com
ई-मेल पता	co.sec@unitedbank.co.in
वित्तीय वर्ष रिपोर्ट	1 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2019
संबंधित क्षेत्र जिनमें बैंक कार्यरत है (औद्योगिक क्रियाकलाप कोड के अनुरूप)	विभाग - के - वित्तीय एवं बीमा कार्यकलाप. राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण (समस्त आर्थिक कार्यकलाप) 2008. समूह : 641 वर्ग : 6419 विवरण : मौद्रिक मध्यस्थता अन्य मौद्रिक मध्यस्थता
तुलन पत्र के अनुसार तीन मुख्य उत्पादों/सेवाओं की सूची जो यह बैंक देता है	1. थोक बैंकिंग 2. खुदरा बैंकिंग 3. ट्रेजरी परिचालन
अवस्थानों की कुल संख्या जहाँ से यह बैंक अपना व्यवसायिक क्रिया-कलाप चलाता है। अन्तरराष्ट्रीय अवस्थान की संख्या राष्ट्रीय अवस्थान की संख्या	 दो (2) बांगलादेश एवं म्यांमार 2055 शाखाएं
बैंक सेवा बाजार	घरेलू : 2055 शाखाएं अखिल भारतीय स्तर पर अन्तरराष्ट्रीय : बांगलादेश एवं म्यांमार में प्रतिनिधि कार्यालय

खंड ख: बैंक का वित्तीय ब्यौरा

1.	चुकता पूँजी	₹7427.92 करोड़
2.	कुल आय	₹10944.46 करोड़
3.	कर पश्चात् कुल लाभ	(₹2315.93 करोड़
4.	कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व (सीएसआर) पर कुल व्यय कर के पश्चात् मुनाफा (%)	अप्रयोज्य (वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान बैंक को हानि हुआ)
5.	कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व पर हुए खर्च की क्रियाकलापवार सूची	बैंक ने युनाइटेड बैंक सामाजिक आर्थिक विकास न्यास (युबीएसईडीएफ) के जरिए 5 (पांच) सामाजिक कल्याण परियोजना पर कुल 30.28 लाख रूपए खर्च किए।

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व के तहत किए गए कार्य

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व या क्रिया-कलाप की पहचान	परियोजना का क्षेत्र	परियोजना या कार्यक्रम पर खर्च की गई राशि	खर्च राशि: सीधे या कार्यान्वयन एजेंसी के माध्यम से
लैंगिक समानता को बढ़ावा देना, महिलाओं का सशक्तिकरण और सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग की असमानता को कम करना।	महिला सशक्तिकरण एवं समाजिक उत्थान	₹3.41 लाख	युनाइटेड बैंक सामाजिक आर्थिक विकास न्यास के जरिए
शिक्षा, अनुसंधान एवं अध्ययन को बढ़ावा देना जिसमें विशेष रूप से बच्चों, महिलाओं, बुजर्गों और दिव्यांगों को विशेष शिक्षा एवं रोजगार देना, उनकी व्यवसायिक क्षमता को बढ़ाना।	शिक्षा, समाजिक सहायता और विकास	₹19.87 लाख	
अन्य पहल जैसे प्रतिरोधात्मक स्वास्थ्य सेवा, सफाई, शुद्ध पेय जल की व्यवस्था, आधारभूत विकास, ग्रामीण विकास, अच्छे अस्पताल की सुविधा उपलब्ध कराना आदि जैसे कामों को बढ़ावा देना।	स्वास्थ्य एवं सफाई, पेयजल आदि।	₹7.00 लाख	
कुल खर्च		₹30.28 लाख	

खंड ग: अन्य ब्यौरे

बैंक की अपनी कोई समनुषंगी इकाई नहीं है। इस बैंक ने चार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंको को प्रायोजित किया है और यह प्रायोजन केन्द्र सरकार तथा पश्चिम बंगाल, असम, मणिपुर और त्रिपुरा सरकार के सहयोग से हुआ है जिन्होंने बैंक के व्यवसायिक दायित्व की पहल में सहभागिता की है। 31 मार्च, 2019 को चार बैंकों का कुल व्यवसाय ₹44405.90 करोड़ था। बैंक अपने आपूर्तिकर्ताओं, वितरकों, सेवाप्रदाताओं और अन्य हितधारकों को जिम्मेदार तरीके से व्यवसाय करने को प्रोत्साहित करता है।

खंड घ: व्यवसाय दायित्व जानकारी

1. निदेशकों से संबंधित विवरण जिनपर व्यवसाय का दायित्व है

(क)	निदेशकों से संबंधित विवरण जिनपर व्यवसाय दायित्व नीति/नीतियों के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी है डीआईएन सं. : 07748272 नाम : अशोक कुमार प्रधान पदनाम : प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
(ख)	व्यवसाय दायित्व के प्रधान का विवरण नाम : राकेश चन्द्र नारायण पदनाम : महाप्रबंधक, योजना एवं विकास टेलीफोन सं.: 033 22624014 ई-मेल आईडी : gmpd@unitedbank.co.in

2. सिद्धांतवार (एनवीजी के अनुसार) बीआर नीति/नीतियां:

कॉर्पोरेट मामला मंत्रालय द्वारा व्यवसाय की सामाजिक, पर्यावरण संबंधी और आर्थिक जिम्मेदारी पर जारी राष्ट्रीय स्वेच्छा मार्गनिर्देश (एनवीजी) के अनुसार बैंक ने निम्नलिखित नौ व्यवसायिक दायित्व को अपनाया है, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

पी 1	व्यवसाय को नैतिक, पारदर्शी और दायित्वशील तरीके से चलाया जाना चाहिए।
पी 2	व्यवसाय को ऐसी वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध करानी चाहिए जो सुरक्षित हो और आजीवन अपना योगदान देता रहे।
पी 3	व्यवसाय को अपने कर्मचारियों की भलाई को बढ़ावा देने वाला होना चाहिए।
पी 4	व्यवसाय को ऐसा होना चाहिए जो अपने हितधारकों खासकर सुविधाविहीन, अत्यंत कमजोर और हाशिए पर पड़े हितधारकों के हित का सम्मान करें और उनके प्रति जिम्मेदार हो।
पी 5	व्यवसाय को मानवाधिकार को सम्मान देना वाला और बढ़ावा देने वाला होना चाहिए।
पी 6	व्यवसाय को पर्यावरण का सम्मान करने वाला, उसकी संरक्षा देने वाला और उसे सुरक्षित रखने वाला होना चाहिए
पी 7	जनता को और नियामक नीति को प्रभावित करते समय व्यवसाय को जिम्मेदाराना तरीके से किया जाना चाहिए।
पी 8	व्यवसाय को समावेशी वृद्धि और समान विकास का समर्थक होना चाहिए।
पी 9	व्यवसाय को अपने ग्राहको और उपभोक्ताओं के साथ जिम्मेदाराना तरीके से पेश आना चाहिए और उनको सम्मान दिया जाना चाहिए।

(क) अनुपालन का ब्योरा (हां/नहीं में जवाब दें)

सं.	प्रश्न	पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9
1$$	क्या आपके पास नीति/नीतियां हैं (एनबीजी में बताए गए प्रत्येक सिद्धांत)	हां*	हां^	हां	हां	हां	हां	नहीं	हां	हां
2	क्या संबंधित हितधारकों के साथ परामर्श करके नीति तैयार की जा रही है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं	हां	हां
3	क्या नीति किसी भी राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है? यदि हां, तो निर्दिष्ट करें? (50 शब्द)	हां, पी-7 को छोड़कर सभी के लिए। बैंक द्वारा अनुपालन की जाने वाली सभी नीतियां विभिन्न नियामकों और अन्य सांविधिक निकायों जैसे भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय, सेबी, भारत के संविधान और प्रयोज्य अन्य कानूनी अथवा सांविधिक अपेक्षाओं द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप हैं। इसलिए, ये राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है।								
4	क्या नीति को बोर्ड द्वारा अनुमोदित किया गया है? यदि हां, क्या यह एमडी/मालिक/सीईओ/उपयुक्त बोर्ड निदेशक द्वारा हस्ताक्षरित किया गया है?	हां, पी-1 एवं पी-7 को छोड़कर सभी के लिए। सक्षम प्राधिकारी द्वारा नीतियों पर हस्ताक्षर किया जा रहा है।								
5	क्या नीति के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए बैंक की एक विशिष्ट समिति/ निदेशक/आधिकारिक समिति है?	हां, पी-7 को छोड़कर सभी के लिए (विभिन्न नीतियों के अंतर्गत इसे आवधिक रूप में समीक्षा की जाती है)								
6	नीति को ऑनलाइन देखने के लिए लिंक का बताइए।	Link: http://www.unitedbankofindia.com**								
7	क्या नीति औपचारिक रूप से सभी प्रासंगिक आंतरिक और बाह्य हितधारकों को भेजी गई है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं	हां	हां
8	क्या नीति/नीतियों को लागू करने के लिए बैंक की आंतरिक संरचना है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं	हां	हां
9	क्या नीति/नीतियों से संबंधित हितधारकों की शिकायतों को दूर करने के लिए नीति/नीतियों से संबंधित बैंक की शिकायत निवारण व्यवस्था है?	हां, पी-7 को छोड़कर सभी के लिए।								
10	क्या बैंक ने आंतरिक या बाहरी एजेंसी द्वारा इस नीति के काम की स्वतंत्र लेखा परीक्षा/मूल्यांकन किया है?	हां	हां	हां	हां	हां	हां	नहीं	हां	नहीं

$$. बैंक द्वारा कई तरह की नीतियां औपचारिक रूप से बनाई गई हैं। उक्त नीतियों द्वारा बैंक के विभिन्न कार्यों को नियंत्रित किया जाता है और इससे व्यापार के संचालन में नैतिकता और पारदर्शिता का समर्थन और उसे बढ़ावा मिलता है। यह कार्यस्थल पर कर्मचारियों के साथ-साथ हितधारकों के मानवाधिकारों को सुरक्षित रखता है। यह कर्मचारियों का कल्याण सुनिश्चित करता है, दुर्भावनापूर्ण, कमजोर और हाशिए पर ध्यान दिया जाता है। इससे समाज में हित की चिंता के साथ समसामयिक विकास का समर्थन किया जाता है और ग्राहकों को एक जिम्मेदार तरीके से गुरूत्व प्रदान किया जाता है।

*सिद्धांत 1 के अनुसार बैंक द्वारा प्रारंभिक रूप में केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जारी सतर्कता मैनुअल में सीबीसी दिशानिर्देशों का अनुपालन किया जाता है। (लिंकः http:/?cvc.nic.in/man04.pdf)।

^ सिद्धांत 2 के अंतर्गत विभिन्न कार्यकलापों को बैंक की आंतरिक ऋण नीति द्वारा परिचालित किया जाता है। यह आंतरिक उपयोग के लिए है। इसे ऑन लाइन देखा नहीं जा सकता।

** सिद्धांत 3 के अंतर्गत विभिन्न कार्यकलाप (कर्मचारी-कल्याण) आंतरिक उपयोग के लिए हैं। इसे ऑनलाइन देखा नहीं जा सकता।

पी 7 के लिए नीति न होने का कारण

हालांकि, सिद्धांत 7 के लिए कोई लिखित नीति नहीं है, यह बैंक देश के सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में से एक होने के कारण यह बैंक आम जनता के हित, सुशासन, प्रशासन, आर्थिक, समावेशी विकास नीतियां, खासकर बैंकिंग क्षेत्र के सुधारों के संबंध में नीति निर्माताओं और नियामकों के साथ जुड़ा हुआ है ।

(ख) यदि प्रश्न क्रम संख्या 1 के एवज में किसी भी सिद्धांत का उत्तर नहीं है तो कृपया बताएं कि क्यों:
(2 विकल्पों तक टिक करें)

सं.	प्रश्न	पी 1	पी 2	पी 3	पी 4	पी 5	पी 6	पी 7	पी 8	पी 9
1	बैंक ने सिद्धांतों को नहीं समझा है	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य
2	बैंक एक ऐसे चरण पर नहीं है जहां विशिष्ट सिद्धांतों पर नीतियों को तैयार और कार्यान्वित करने की स्थिति में वह खुद को पाता है	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य
3	उक्त कार्य के लिए बैंक के वित्तीय या जनशक्ति संसाधन उपलब्ध नहीं हैं	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य
4	यह अगले 6 महीनों के भीतर किए जाने की योजना है	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य
5	यह अगले 1 साल के भीतर किए जाने की योजना है	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य
6	कोई अन्य कारण (कृपया स्पष्ट करें)	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य	अप्रयोज्य

3. बीआर से संबंधित अभिशासन

क.	बैंक के निदेशक मंडल, बोर्ड की समिति या सीईओ कितने बार बीआर का मूल्यांकन करते हैं, स्पष्ट करें।	वार्षिक।
ख.	क्या बैंक द्वारा बीआर या एक स्थिरता रिपोर्ट प्रकाशित किया जाता है? इस रिपोर्ट को देखने के लिए हाइपर-लिंक क्या है? इसे कितनी बार प्रकाशित किया जाता है?	बीआर रिपोर्ट वार्षिक आधार पर एवं वेबलिंक के माध्यम से बैंक के वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाता है। http://www.unitedbankofindia.com/english/Annual-Report.aspx

अनुभाग ड. : सिद्धांतवार कार्यनिष्पादन

सिद्धांत 1: नैतिकता, पारदर्शिता और जवाबदेही

1. क्या नैतिकता, रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार से संबंधित नीति केवल बैंक को कवर करती है? हां/नहीं। क्या समूह/संयुक्त उपक्रम/ गैरसरकारी संगठन/ठेकेदार/ आपूर्तिकर्ता/और अन्य के लिए लागू है?

 हां, यह सिर्फ बैंक को कवर करता है।

 भ्रष्टाचार, कदाचार, ग़डबड़ी और निधि के दुरुपयोग को रोकने के लिए बैंक की अलग व्यवस्था है।

2. पिछले वित्तीय वर्ष में कितने शेयरधारकों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं और प्रबंधन द्वारा उनमें से कितने प्रतिशत शिकायतों को संतोषपूर्वक हल किया गया है? यदि हां, तो इसके बारे में लगभग 50 शब्दों में विवरण प्रदान करें।

	ब्योरे	संख्या
	ग्राहक	
क	वर्ष के प्रारंभ में लंबित पड़ी शिकायतें	721
ख	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतें	169711
ग	वर्ष के दौरान हल की गई शिकायतें	169158
घ	वर्ष के अंत तक लंबित शिकायतें	1274

	ब्योरे	संख्या
	शेयर धारक	
क	वर्ष की शुरुआत में लंबित शिकायतें	0
ख	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतें	27
ग	वर्ष के दौरान निवारण की शिकायतें	27
घ	वर्ष के अंत में लंबित शिकायतें	0

सिद्धांत-2 उत्पादों एवं सेवाओं की स्थिरता

अपने 3 उत्पादों या सेवाओं की सूची दें, जिनके उद्देश्य में सामाजिक या परिवेश से संबंधित समस्याओं, जोखिमों और/या अवसरों को शामिल किया है ।

क. स्वयं सहायता समूह (एसएचजी)

बैंक ने निर्धन व्यक्तियों को सशक्त बनाने के लिए एसएचजी को एक प्रभावी माध्यम के रूप में इस्तेमाल किया है। उन्हें बचत की आदतों के साथ-साथ अपनी जीविका निर्वाह करने के लिए प्रोत्साहित करते हुए बैंक द्वारा ऋण प्रदान किया है। बैंक द्वारा एसएलबीसी, पश्चिम बंगाल के निर्णय के अनुसार एसएचजी के प्रथम श्रेणीकरण पर ₹1.50 लाख की ऋण सीमा प्रदान करके एसएचजी को एन आर एल एम कार्यक्रम में कार्यान्वित किया जा रहा है।

ख. युबीआरसेटी (युनाइटेड बैंक ग्रामीण स्वयं रोजगार प्रशिक्षण संस्थान)

बैंक ने अब तक पश्चिम बंगाल, असम और त्रिपुरा राज्यों 16 आरसेटी स्थापित किए हैं ताकि समाज के दलित समुदाय से संभावित उद्यमियों को प्रशिक्षण दिया जा सके।

ग. एफएलसी (वित्तीय साक्षरता केंद्र)

बैंक ने पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा और मणिपुर राज्यों में वित्तीय साक्षरता और ऋण परामर्श सेवाएं देने के लिए एचएससी की स्थापना की है, जो कि समाज के गरीब वर्ग के लिए है।

2. प्रत्येक ऐसे उत्पाद के लिए उपयोग संशाधन, (एनर्जी, जल, कच्चा माल आदि) के बारे में निम्नलिखित ब्योरा प्रदान करें। प्रति यूनिट उत्पाद (यह विकल्प है) की जानकारी दें।
 (क) मूल्य श्रृंखला में पिछले वर्ष से प्राप्त सोर्सिंग/उत्पादन/वितरण के दौरान कटौती?
 - लागू नहीं।
 (ख) पिछले साल से उपभोक्ताओं (ऊर्जा, पानी) द्वारा उपयोग के दौरान कमी की गई है?
 - लागू नहीं।
3. क्या बैंक की स्थायी सोर्सिंग (परिवहन सहित) के लिए प्रक्रियाएं हैं?
 (क) यदि हां, तो आपके इनपुट का प्रतिशत कितनी मात्रा में लाया गया था? इसके अलावा, इसके बारे में विवरण प्रदान करें, लगभग 50 शब्दों में।
 - लागू नहीं।
4. बैंक ने स्थानीय और छोटे उत्पादकों से वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए कोई कदम उठाया है, जिसमें उनके काम के आस-पास के समुदायों को शामिल किया गया है?
 (क) यदि हां, तो स्थानीय और छोटे विक्रेताओं की क्षमता में सुधार करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?
 - लागू नहीं।
5. क्या बैंक के उत्पादों और अपशिष्ट को पुनः उपयोग करने के लिए एक तंत्र है? यदि हां, उत्पाद और कचरे के रीसाइक्लिंग का प्रतिशत क्या है (अलग से <5%, 5-10%, >10%)। इसके अलावा, इसके बारे में लगभग 50 शब्दों में विवरण प्रदान करें।
 - लागू नहीं।

सिद्धांत-3: कर्मचारियों की भलाई

1. कृपया कर्मचारियों की कुल संख्या दर्शाएं : 31.03.19 को 14296
2. कृपया अस्थायी/अनुबंध/आकस्मिक आधार पर काम पर रखे गए कर्मचारियों की कुल संख्या दर्शाएं : शून्य
3. कृपया स्थायी महिला कर्मचारियों की संख्या दर्शाएं : 3283
4. कृपया विकलांग स्थायी कर्मचारियों की संख्या दर्शाएं : 230
5. क्या आपके पास कर्मचारी संघ है जो प्रबंधन द्वारा मान्यता प्राप्त है? हाँ
6. इस मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ में, आपके स्थायी कर्मचारियों का प्रतिशत क्या हैं : 96.74%
7. वित्तीय वर्ष के अंत में बाल मजदूर, मजबूर मजदूर, अनैच्छिक मजदूर, यौन उत्पीड़न से संबंधित शिकायतों एवं लंबित शिकायतों की संख्या बताएं।

स.	श्रेणी	वित्तीय वर्ष के दौरान दर्ज शिकायतों की संख्या	वित्तीय वर्ष के अंत तक लंबित शिकायतों की संख्या
1	बाल मजदूर, मजबूर मजदूर, अनैच्छिक मजदूर	लागू नहीं	लागू नहीं
2	यौन उत्पीड़न	2	1
3	भेदभावपूर्ण रोजगार	शून्य	शून्य

8. अपने निम्नांकित कर्मचारियों में से कितने प्रतिशत को पिछले वर्ष, सुरक्षा और कौशल उन्नयन में प्रशिक्षण दिया गया ?
 (क) स्थायी कर्मचारी: 5.03%
 (ख) स्थायी महिला कर्मचारी: 5.02% (स्थायी महिला कर्मचारियों में से)
 (ग) आकस्मिक/अस्थायी/ठेका कर्मचारी: लागू नहीं
 (घ) विकलांग कर्मचारी: 5.34% (विकलांग व्यक्तियों में से)

सिद्धांत-4: हितधारक की नियुक्ति

1. क्या बैंक ने अपने आंतरिक और बाह्य हितधारकों को चिह्नित किया है? हाँ
2. उपरोक्त में से, बैंक ने वंचित, कमजोर और हाशिए वाले हितधारकों की पहचान की है। हाँ
3. क्या वंचित, कमजोर और हाशिए वाले हितधारकों के साथ वचनबद्धता के लिए बैंक द्वारा कोई विशेष कदम उठाए गए हैं? यदि हां, तो इसके बारे में करीब 50 शब्दों में ब्योरा प्रदान करें।

जाति, पंथ और धर्म के किसी भी भेदभाव और पूर्वाग्रह के बिना बैंक सभी कर्मचारियों से समान व्यवहार की नीतियों का पालन करता है। बैंक ने आंतरिक वंचित, कमजोर और हाशिए वाले हितधारकों जैसे नो फ्रिल खाते, किसान क्रेडिट कार्ड, स्वयं सहायता समूहों को ऋण, प्रत्यक्ष लाभ अंतरण, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, महिला उद्यिमयों को ऋण आदि के लाभ और विस्तार करने के लिए कई एक पहल की है।

I. कर्मचारी शिकायत निवारण तंत्र

स्टाफ सदस्यों से संबंधी शिकायतों की जांच के लिए दो स्तरीय शिकायत निवारण समिति कार्य कर रही है।

II. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी का कल्याण:

विशिष्ट आरक्षित श्रेणियों के पदोन्नति में जोन ऑफ़ कंसिडरेशन/रोजगार में आरक्षण के लिए सरकार के दिशानिर्देशों का बैंक सावधानीपूर्वक पालन कर रहा है।

सिद्धांत-5: मानवाधिकार का सम्मान करना

1. क्या मानव अधिकार संबंधी बैंक की नीति केवल बैंक को कवर करती है या इसकी पहुंच समूह/संयुक्त उपक्रम/आपूर्तिकर्ता/ठेकेदारों/गैरसरकारी संगठनों/अन्य लोगों तक भी है?

 मानव अधिकारों की रक्षा करने वाली बैंक की विभिन्न नीतियां सीधे या परोक्ष रूप से बैंक के केवल परिचालन को हीं कवर करती हैं और इसकी पहुंच बाहरी पार्टी तक नहीं है।

 बैंक इस तथ्य के प्रति सचेत है कि सभी इंसान स्वतंत्र और समान हैं और व्यक्तियों के मूल मानवाधिकारों का सम्मान किया जाना चाहिए।

 बैंक कार्यस्थल पर कर्मचारियों के मानवाधिकारों को अच्छी तरह समझता है। बैंक संघों की स्वतंत्रता और सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार का सम्मान करता है।

 यौन उत्पीड़न की रोकथाम

 कार्यस्थल पर बैंक द्वारा यौन उत्पीड़न पर रोक लगाई गई है, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न की रोकथाम के लिए विशेष धाराएं हैं। तदनुसार, कार्यस्थलों पर विशेष रूप से महिला कर्मचारियों से संबंधित मुद्दे को संबोधित करने के लिए, बैंक के पास पर्याप्त व्यवस्था है। इन मामलों को देखने के लिए बैंक ने आंतरिक शिकायत समिति बनाया है।

 बैंक की वेबसाइट के माध्यम से जनता के बीच सूचना का प्रसार

 बैंक अपने उत्पाद/सेवाओं/जनता के लिए उपलब्ध सुविधाएं/अन्य कोई सूचना की अद्यतित जानकारी उपलब्ध रखता है, जिसे सार्वजनिक डोमेन में बताया जा सकता है। एक सूचीबद्ध कंपनी होने के नाते, बैंक जनता की जानकारी के लिए वित्तीय परिणामों को प्रदर्शित करता है।

 युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 में एक जन प्राधिकरण है और इस प्रकार जनता के सदस्यों को जानकारी प्रदान करने के लिए बाध्य है।

 शिकायत का निवारण

 शिकायतों के जल्द और निष्पक्ष गैर भेदभावपूर्ण निवारण के लिए, बैंक ने तकनीक की सहायता से "व्यापक शिकायत प्रबंधन प्रणाली" (सीसीएमएस) की शुरूआत की है। इस प्रणाली के अंतर्गत शाखाओं, क्षेत्रीय कार्यालयों और प्रधान कार्यालयों के विभागों द्वारा प्राप्त शिकायतों को संबंधित शाखा/क्षेत्रीय कार्यालय/प्रधान कार्यालय के विभागों द्वारा "ऑन लाइन शिकायत निवारण" पोर्टल पर अपलोड/दर्ज करेगा, जो इंट्रानेट लिंक में उपलब्ध है और निपटारा/निपटान की स्थिति रियल टाइम आधार पर भी अपलोड किया जायेगा। सीसीएमएस के बकाया डेटा बेस में ग्राहक द्वारा ऑनलाइन की गई शिकायत को प्रणाली द्वारा जोड़ा जाएगा।

 व्यापक शिकायत प्रबंधन प्रणाली हमें प्रत्येक शिकायत की स्थिति का पता लगाने और अवधि के दौरान बैंक द्वारा प्राप्त कुल शिकायतों के संबंध में व्यापक देखरेख करने में सहायता करेगा। शिकवा और शिकायतों के शीघ्र निपटान के लिए तत्काल आवश्यक अनुवर्ती उपाय किए जाएंगे। प्रणाली शिकायतों की प्रकृति को उन उत्पादों और सेवाओं के साथ वर्गीकृत करने में सक्षम है जिनसे शिकायत संबंधित हैं। डेटा का विश्लेषण बैंक प्रबंधन को फ्रंट लाइन सेवा को सीधे सुधारने में मदद करेगा, जिसमें ग्राहक सेवा मानक को अद्यतन करना, संचार में सुधार करना, उत्पाद और सेवाओं संबंधी कर्मचारियों को अतिरिक्त प्रशिक्षण प्रदान करना, प्रणालीगत मुद्दों आदि के लिए उपचारात्मक कार्रवाई करना शामिल है।

2. पिछले वित्तीय वर्ष में कितने हितधारक से शिकायतें प्राप्त हुई हैं और कितने प्रतिशत को प्रबंधन द्वारा संतोषपूर्वक हल किया गया है?

 वर्ष के दौरान, बैंक को ग्राहकों से 169711 शिकायतें मिली हैं और वर्ष की शुरुआत में 721 शिकायत लंबित थीं। कुल 169158 शिकायतों में से वर्ष के दौरान 99.25% शिकायतों को प्रबंधन द्वारा संतोषजनक ढंग से निवारण किया गया।

 वर्ष के दौरान, बैंक को विभिन्न हितधारकों से 27 शिकायतें मिली हैं और वर्ष की शुरुआत में कोई शिकायत लंबित नहीं थी। कुल 27 शिकायतों में से वर्ष के दौरान 100% शिकायतों को प्रबंधन द्वारा संतोषजनक ढंग से निवारण किया गया।

सिद्धांत-6: पर्यावरण की देखभाल

1. क्या सिद्धांत 6 से संबंधित नीति केवल बैंक को कवर करती है या समूह/संयुक्त उपक्रम/आपूर्तिकर्ता/ठेकेदारों/गैरसरकारी संगठनों/अन्य लोगों को भी कवर करती है?

नीति केवल बैंक को कवर करती है।

2. जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग आदि जैसे वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दों को संबोधित करने के लिए क्या बैंक के पास रणनीतियाँ/पहलें हैं? हां/नहीं। यदि हां, तो कृपया वेबपृष्ठ आदि के लिए हाइपरलिंक दें।

 - हाँ

 क) बैंक की ऋण नीति के अनुसार, बैंक पर्यावरणीय रूप से खतरनाक उद्योगों जैसे ओजोन को समाप्त करने वाले तत्व सीएफसी को वित्त प्रदान नहीं कर रहा है।

 ख) जहरीले प्रदूषक उत्सर्जन करने वाले विनिर्माण इकाइयों के मामले में, बैंक सुनिश्चित करता है कि उधारकर्ता को प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से आवश्यक एनओसी प्राप्त हो।

3. क्या बैंक संभावित पर्यावरणीय जोखिमों की पहचान और आकलन करता है?

 हाँ, टीईवी (टेक्नो आर्थिक व्यवहार्यता) अध्ययन में, संभावित पर्यावरणीय खतरों और परियोजना मूल्यांकन में इसका मिटीगेशन भाग है।

4. क्या बैंक के पास स्वच्छ विकास तंत्र से संबंधित कोई परियोजना है? यदि हां, तो इसके बारे में विवरण प्रदान करें, लगभग 50 शब्दों में या तो इसके अलावा, यदि हां, तो क्या कोई पर्यावरण अनुपालन रिपोर्ट दायर की जाती है?

 बैंक ने पेपरलेस बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न तकनीकें अपनाई हैं जैसे इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस, आंतरिक और बाहरी संचार के लिए ईमेल, जो कागज के न्यूनतम उपयोग को सक्षम बनाती हैं और पेट्रोल/डीजल आदि को बचाने के लिए यात्रा को कम कर कार्बन फूटिंप्रट को कम करता है।

5. क्या बैंक ने स्वच्छ प्रौद्योगिकी, ऊर्जा दक्षता, नवीकरणीय ऊर्जा आदि पर कोई अन्य पहल की है। हां/नहीं, यदि हां तो कृपया वेब पेज आदि के हाइपरलिंक दें।

 गैरमहत्वपूर्ण अनुप्रयोगों के लिए कुछ भौतिक सर्वरों को वर्चुअल वातावरण में मजबूत करके बैंक ने ग्रीन पहल की है। वर्चुअल सेवाओं को सक्षम करके, बैंक ने बिजली की खपत, कार्बन फूटप्रिंट को कम किया है और इस तरह से डेटा सेंटर में बेहतर सर्वर प्रबंधन को सक्षम किया है।

6. क्या रिपोर्ट की गई वित्तीय वर्ष में, बैंक द्वारा उत्पन्न उत्सर्जन/अपशिष्ट सीपीसीबी/एसपीसीबी द्वारा अनुमत सीमा के भीतर है?

 लागू नहीं

7. वित्तीय वर्ष के अंत में सीपीसीबी/एसपीसीबी से प्राप्त लंबित (अर्थात संतोषजनक हल नहीं किया गया) कारण बताओ/कानूनी नोटिसों की संख्या।

 लागू नहीं

सिद्धांत-7: दायित्वपूर्ण वक्तव्य

1. क्या आपका बैंक किसी व्यापार एवं चैम्बर अथवा संगठन का सदस्य है? यदि हां तो केवल उनमें से प्रमुख का नाम बताइए जिनके साथ आपका व्यवसाय होता हैः हां।
 - भारतीय बैंक संघ (आई बी ए)
 - फेडरेशन ऑफ इंडियन चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री (एफआईसीसीआई)
 - भारत चेम्बर्स ऑफ कॉमर्स (बीसीसी)
 - बंगाल नेशनल चेम्बर ऑफ कॉमर्स एण्ड इंडस्ट्री (बीएनसीसीआई)
 - बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान
 - द क्लियरिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (सी सी आइ एल)
 - नेशनल पेमेंट कार्पोरेशन ऑफ इंडिया (आईएनपीसी)
 - इंडियन इंस्टिच्यूट्स ऑफ बैंकिंग एण्ड फाइनेंश
 - नेश्नल इंस्टिच्यूट्स ऑफ बैंक मैनेजमेंट

2. क्या जनहित में वृद्धि अथवा सुधार के लिए उपर्युक्त संगठनों के माध्यम से आपने अपनी बात रखी है/पैरवी की है ? हां/ना; यदि हां तो इसके बारे में स्पष्ट करें। (ड्राप बॉक्स : अधिशासन एवं प्रशासन, आर्थिक सुधार, समावेशी विकास नीतियां, ऊर्जा सुरक्षा, जल, खाद्य सुरक्षा, सतत व्यवसाय सिद्धान्त, अन्य)

 हां, व्यवसाय में सामान्य सुधार के लिए आई.बी.ए में बैंक ने लगातार अपनी बात रखी ।

सिद्धांत-8: समावेशी वृद्धि एवं साम्यिक विकास के लिए सक्षम बनाना

1. क्या बैंक ने सिद्धान्त 8 से संबंधित नीति के अनुसरण में कार्यक्रमों /पहलों/ योजनाओं को निर्दिष्ट किया?

 बैंक ने समाज के समावेशी एवं साम्यिक विकास की दृष्टि से अनेक कार्यक्रम/पहल/योजना बनाई है।

 वित्तीय समावेशन:

 बैंक रहित ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण लोगों को कम कीमत पर बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराने तथा समावेशी विकास के लिए उन्हें मुख्य आर्थिक धारा में लाने के लिए बैंक ने वित्तीय समावेशन परियोजना लागू की है। बैंक ने बैंकिंग सेवा से वंचित लोगों को 4252 बैंक मित्रों के माध्यम से मूलभूत सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु 13381 बैंक रहित ग्रामों को कवर किया है।

2. क्या अपनी आंतरिक टीम/अपने फाउंडेशन/बाहरी एनजीओ/सरकारी संरचनाओं/कोई अन्य संगठनों के माध्यम से कार्यक्रमों/परियोजनाओं को चलाया जाता है?

 वित्तीय समावेशन परियोजना बैंक के आंतरिक टीम द्वारा चलाई जाती है ।इस प्रयोजन के लिए महाप्रबंधक के नेतृत्व में एक अलग विभाग स्थापित किया गया है ।

3. क्या आपने अपनी पहलों के प्रभाव का मूल्यांकन किया है?

 - हां।

4. समुदाय विकास परियोजनाओं के संबंध में आपके बैंक का प्रत्यक्ष योगदान क्या है - राशि, भारतीय रुपयों में तथा चलाई जा रही परियोजनाओं के ब्योंरे।

 बैंक ने 31.03.2019 तक सीएसआर क्रियाकलापों के लिए कुल ₹30.28 लाख के माध्यम से 93 विभिन्न कल्याणकारी क्रियाकलापों को वित्तीय सहायता प्रदान की है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान बैंक की गतिविधियां हेल्थ केयर, लाईब्रेरी रूम निर्माण, ईस्लेटों का वितरण, कंबल एवं सामाजिक कार्यकलापों के अंतर्गत सहायता प्रदान करने पर केन्द्रित था। इस वर्ष बैंक ने सामाजिक गतिविधियों में लगे संबंधित संगठनों के माध्यम से 5 परियोजनों के लिए ₹30.28 संवितरित किया।

5. क्या आपने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई कदम उठाया है कि समुदाय विकास संबंधी इस पहल को समुदाय ने सफलता पूर्वक ग्रहण किया है? कृपया लगभग 50 शब्दों में बताएं।

 बैंक ने समुदाय विकास कार्यक्रम आरंभ किया है जैसे 16 यु.बी.आर.एस.इ.टी.आई (युनाइटेड बैंक ग्रामीण स्व रोजगार प्रशिक्षण संस्थान) और 38 एफ.एल.सी (वित्तीय साक्षरता केन्द्र)। इन संस्थानों केन्द्रों की गतिविधियों की निगरानी प्रधान कार्यालय द्वारा की जाती है। यु.बी.आर.एस.इ.टी.आई योजना के अंतर्गत ग्रामीण युवाओं/महिलाओं को प्रशिक्षण दिया गया। कुल 75% प्रशिक्षुओं ने अपने आर्थिक उद्यमों द्वारा स्वरोजगार स्थापित किया है। वित्तीय साक्षरता केन्द्र (एफ.एल.सी) पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा और मणिपुर राज्यों में समाज के गरीब वर्गों के बीच वित्तीय साक्षरता को बढावा दे रहे हैं और उन्हें ऋण परामर्श सेवा प्रदान कर रहें हैं।

सिद्धांत-9: उपभोक्ता मूल्य प्रदान करना

1. वित्तीय वर्ष के अंत में कितने प्रतिशत ग्राहक शिकायतें/उपभोक्ता मामले लंबित है।

 बैंक को वर्ष के दौरान 169711 ग्राहक शिकायतें प्राप्त हुई और वर्ष की शुरुआत में 1274 शिकायत लंबित थीं। कुल 169198 शिकायतों में से वर्ष के दौरान 99.25% का निपटान किया गया।

 वर्ष के दौरान 27 शेयर धारकों की शिकायतें प्राप्त हुई और वर्ष की शुरुआत में कोई शिकायत लंबित नहीं थी। कुल 27 शिकायतों में से वर्ष के दौरान 100% का निपटान किया गया।

2. क्या स्थानीय कानूनों के मुताबिक अनिवार्य रूप से उत्पाद लेबल पर उत्पाद सूचना प्रदर्शित की जाती है?

 - हां/नहीं/अप्रयोज्य/टिप्पणी (अतिरिक्त जानकारी)।

 - अप्रयोज्य।

3. क्या बैंक के खिलाफ किसी भी हितधारक ने पिछले पांच वर्षों के दौरान अनुचित व्यापार पद्धतियों, गैरजिम्मेदार विज्ञापन और /या प्रतिस्पर्धात्मक विरोधी व्यवहार के संबंध में कोई मामला दायर किया है और क्या वह वित्तीय वर्ष के अंत तक लंबित है। यदि हां, तो इसके बारे में लगभग 50 शब्दों में विवरण प्रदान करें।

 - शून्य

4. क्या आपके बैंक ने कोई उपभोक्ता सर्वेक्षण किया है/उपभोक्ता संतुष्टि प्रवृति का पालन किया है?

 - नहीं।

ह/-

अशोक कुमार प्रधान

प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

डीआईएन : 07748272

कंपनी अभिशासन पर युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया के निदेशक मंडल की रिपोर्ट: 2018-2019

1. परिचय :

यह बैंक कंपनी अभिशासन के सर्वोच्च स्तर पर पहुंचने के लिए प्रयासरत है और अपने सभी पणधारियों (स्टेक होल्डर्स) सहित अपने ग्राहकों, शेयरधारकों, कर्मचारियों, सामान्य लोगों, समाज, संरक्षकों, भारत सरकार और नियामकों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए प्रतिबद्ध है। बैंक ने प्रकटीकरण, पारदर्शिता, व्यवसाय नीतिपरायणता संबंधी सर्वश्रेष्ठ चलन को अपनाया है जिसका लक्ष्य है इस संस्थान के पणधारियों के अंतर्निहित मान की श्रीवृद्धि करना।

2. अभिशासन संहिता पर बैंक का नजरिया :

इस बैंक में कंपनी अभिशासन का आधारभूत नजरिया बैंक द्वारा अपने दायित्वों के निर्वहन से निर्देशित होना और प्रभावी प्रबंधन एवं नियंत्रण द्वारा मूल्यसृजन करना है। बैंक की नीतियों और उन नीतियों पर अमल करना केवल सांविधिक जरूरत ही नहीं बल्कि इस संस्था को परवर्ती स्तर पर ले जाने के लिए अपनी प्रतिबद्धताओं का मान रखना भी है। बेहतर अभिशासन प्रथाओं ने व्यवसायिक परिचालनों के बदलते स्वरूप के लिए उपयुक्त अधिक प्रभावी आंतरिक नियंत्रणों को लागू करने, कार्यनिष्पादन में सुधार लाने और इसके व्यवहार, गतिविधियों और नीतियों में पारदर्शिता को बढ़ाने में बैंक को सक्षम बनाया है।

इस बैंक ने कंपनी अभिशासन को एक वैसी क्रमबद्ध प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया है जिसकी बदौलत कोई संगठन एक सुपरिभाषित नैतिक स्तर बरकरार रखने के लिए निर्देशित और नियंत्रित होता है और साथ ही अपनी धन उत्सर्जन क्षमता भी बढ़ाता है। बोर्ड समग्र रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेवार है कि कंपनी अभिशासन शर्तों का अनुपालन करते समय बैंक की कार्रवाई, आस्तियां और संसाधन को प्राप्त करने के लिए कंपनी अभिशासन की प्रक्रिया की संरचना की गई है। बैंक एक ओर शेयरधारकों के मूल्यों के प्रति अत्यंत सचेष्ट है और दूसरी ओर अर्थव्यवस्था, राष्ट्रीय प्राथमिकताओं और कॉर्पोरेट विकास की जरूरतों के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भी समझता है। यह गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्टता प्राप्त करने में नैतिक मूल्यों, वित्तीय अनुशासन और अखंडता के उच्च मानकों को पहचानता है। बैंक निम्नलिखित के माध्यम से कॉर्पोरेट उत्कृष्टता की घोषणा करना चाहता है

- स्थापित सिद्धांतों की सीमा में राष्ट्र के कानूनी ढांचे के भीतर शेयरधारकों के महत्व की मर्यादा को बनाए रखना;
- बोर्ड की प्रक्रिया तथा कार्यपालक प्रबंधन के साथ बोर्ड के संपर्क के संबंध में स्पष्ट विवरणी।
- पारदर्शी कंपनी रणनीति की संरचना, प्रभावी नीति, दक्ष प्रक्रिया, कठोर नैतिक मानकों, सटीक विधिक जिम्मेदारियां तथा समग्र पेशेवर दृष्टिकोण को बढ़ावा देना।
- ग्राहकों को सर्वश्रेष्ठ सुविधाएं और सेवाएं प्रदान करना।
- वृहत्तर रूप में कर्मचारियों, ग्राहकों और समाज के लिए एक अनुकूल परिवेश की उदघोषणा करना,
- पूर्वाग्रहमुक्त सक्रिय प्रबंधन को सुनिश्चित करना।

बैंक स्वयं को पणधारकों का न्यासी समझता है और उनके प्रति न्यासी स्वरूप अपनी जिम्मेदारियों को स्वीकार करता है। यह अभिस्वीकृति उसके धन का सृजन करके और उसकी अभिरक्षता करते हुए देता है। सुरक्षा, हिफाजत, सम्मान, उत्कृष्टता और टीम वर्क स्थायी कार्यनिष्पादन के मौलिक कारक हैं।

3. निदेशक मंडल

बैंक के निदेशक मंडल का गठन बैंकिंग कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (इसके आगे 'अधिनियम' के रूप में कहा गया) और राष्ट्रीय बैंक (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 (इसके आगे 'योजना' कहा गया) के अनुसरण में किया गया है।

3.1. 31 मार्च, 2019 तक निदेशक मंडल की संरचना :

बैंक के निदेशक मंडल में 31 मार्च, 2019 को 3 कार्यपालक और 4 गैरकार्यपालक निदेशक थे। कार्यपालक निदेशकों की नियुक्ति अधिकतम 5 वर्षों के लिए अथवा उनके सेवानिवृत्त होने तक होती है। केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के नामांकितों को छोड़कर गैरकार्यपालक निदेशक 3 वर्षों के लिए नियुक्त होते हैं। केंद्र सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक के नामांकित भारत सरकार की संतुष्टि तक कार्यालय से जुड़े रहते हैं। शेयरधारक निदेशकों को छोड़कर अन्य सभी निदेशक केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं। शेयरधारक निदेशकों का चयन केंद्र सरकार के शेयरधारकों को छोड़कर अन्य शेयरधारकों के बहुमत के आधार पर किया जाता है। केंद्र सरकार द्वारा बोर्ड के गठन को जरूरत पड़ने पर परिवर्तित किया जा सकता है।

नाम	वर्ग	डीआईएन	बोर्ड की बैठक		पिछली एजीएम में उपस्थित	इस बैंक समेत अन्य निदेशकत्व	इस बैंक समेत समिति की सदस्यता	इस बैंक समेत समिति अध्यक्षता
			अवधि के दौरान आयोजित	उपस्थित				
श्री अशोक कुमार प्रधान	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	07748272	5	5	अप्रयोज्य	1	0	0
श्री संजय कुमार	कार्यपालक निदेशक	06741352	5	5	अप्रयोज्य	1	1	0
श्री अजीत कुमार दास	कार्यपालक निदेशक	अप्रयोज्य*	5	5	अप्रयोज्य	1	1	0
श्री समीर कुमार खरे	सरकार द्वारा नामित निदेशक	07103204	10	10	नहीं	2	1	0
श्री दिनेश सिंह	गैरकार्यालयी निदेशक (सीए श्रेणी)	08038875	10	10	हाँ	1	2	1
श्री सिद्धार्थ प्रधान	गैरकार्यालयी निदेशक	06938830	10	10	हाँ	3	1	0
श्री एस.सूर्यनारायण**	शेयरधारक निदेशक	00739992	9	9	अप्रयोज्य	1	1	1

*नोटः बैंक, बैंकिंग (कंपनी अधिग्रहण एवं उपक्रमों का अंतरण) अधिनियम, 1970 के अन्तर्गत गठित एक निकाय कॉरपोरेट है। कॉरपोरेट मामले मंत्रालय द्वारा डीआईआर-3 के रुप में किए गए तात्कालिक परिवर्तनों के मद्देनजर, डीआईएन को हमारे कार्यपालक निदेशक को आवंटित नहीं किया जा सकता है।

**शेयरधारक निदेशक के रुप में श्री एस. सूर्यनारायण, निदेशक का कार्यकाल 10 जून, 2018 को पूरा हो गया और 03 अगस्त, 2018 को शेयरधारक निदेशक के रुप में उनका पुनःचयन किया गया। बोर्ड की बैठकों से संबंधित विवरण में उनकी नियुक्ति के दोनों कार्यकाल में सम्पन्न हुई बैठकों और उसमें उनकी उपस्थिति की संख्या दोनों उल्लिखित है।

- निदेशकत्व /समिति की सदस्यता बैंक द्वारा प्राप्त नवीनतम प्रकटीकरण पर आधारित है। अन्य निदेशकत्व में सभी सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों, चाहे वह सूचीबद्ध हो या नहीं, में निदेशकत्व शामिल है और सभी अन्य कंपनियों जैसे, प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों, विदेशी कंपनियों और कंपनी अधिनियम, 2013 के खंड 8 के तहत कंपनियों को उसमें शामिल नहीं किया गया है। समिति में सदस्यता में लेखापरीक्षा समिति की सदस्यता और केवल सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों में शेयरधारक संबंधी समिति की सदस्यता शामिल है।
- निदेशकों में से, श्री सिद्धार्थ प्रधान, गैरसरकारी निदेशक, पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड नामक बैंक से भिन्न एक सूचीबद्ध इकाई, में एक स्वतंत्र निदेशक हैं।
- बोर्ड के सदस्यों में से कोई भी 10 से अधिक समितियों में सदस्य नहीं है या सेबी के विनियमन 26 (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 (यथा संशोधित) के संदर्भ में 5 से अधिक समितियों के अध्यक्ष नहीं हैं (इसके पश्चात "सूचीकरण विनियम" के रूप में संदर्भित)।
- कोई भी निदेशक एक-दूसरे से संबंधित नहीं है।
- गैर कार्यपालक निदेशकों में से, श्री एस. सूर्यनारायण बैंक के 200 इक्विटी शेयरधारक हैं। बैंक ने समीक्षाधीन वित्तीय वर्ष के दौरान अपने किसी भी गैरकार्यपालक निदेशकों को कोई भी परिवर्तनीय लिखत जारी नहीं किया है।
- वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान बोर्ड की 10 (दस) बैठकें 11.05.2018, 28.05.2018, 25.07.2018, 09.08.2018, 17.09.2018, 31.10.2018, 13.11.2018, 14.12.2018, 15.01.2019 और 05.02.2019 को आयोजित हुई।
- निदेशकों की सुविधा हेतु वेबलिंक- http://www.unitedbankofindia.com
- स्वतंत्रता के मानदंडों के आधार पर, केवल शेयरधारक निदेशक को बैंक के बोर्ड के स्वतंत्र निदेशक के रूप में माना जा सकता है। श्री एस. सूर्यनारायण, शेयरधारक निदेशक द्वारा प्रस्तुत उद्घोषणा के क्रम में निदेशक मंडल द्वारा इसकी पुष्टि की गई है कि शेयरधारक निदेशक सूचीबद्ध विनियमन (लागू होने की सीमा तक) में दिए गए स्वतंत्रता की शर्तों को पूरा करते हैं और बैंक के प्रबंधन में स्वतंत्र हैं;
- समग्र रुप में बैंकिंग व्यवसाय और उद्योग के लिए यथाअपेक्षित बोर्ड द्वारा पहचान किए गए और उपलब्ध निदेशक मंडल के कौशल/ विशेषज्ञता/ क्षमता में से मैट्रिक्स सेटिंग-

क्र.सं.	क्षमता क्षेत्र (कौशल / क्षमता / विशेषज्ञता)
1.	**व्यक्तिगत** (इसमें ईमानदारी, अखंडता और साउंड वैल्यु सिस्टम जैसी विशेषताएं शामिल हैं)
2.	**बोर्ड का अनुभव** (बोर्ड स्तर पर पूर्व अनुभव, कॉर्पोरेट प्रशासन की समझ, हितों के बचाव से संबंधित मुद्दों से निपटना शामिल है।)
3.	**वित्त और बैंकिंग** (इसके सभी पहलुओं में वित्त की समझ, बैंकिंग परिचालन, विवेकपूर्ण वित्तीय निर्णय लेने में अनुभव, लेखा अभ्यास शामिल है।)

क्र.सं.	क्षमता क्षेत्र (कौशल / क्षमता / विशेषज्ञता)
4.	**प्रबंधन** (कॉर्पोरेट रणनीति प्रक्रियाओं, विश्लेषण, हितधारक प्रबंधन, परिष्कृत जोखिम प्रबंधन मॉडल और विधि, मानव संसाधन प्रबंधन और प्रतिभा विकास, निर्णय लेने में मार्गदर्शन करने के लिए विश्लेषणात्मक क्षमता, नेतृत्व क्षमता और प्रबंधन को समर्थन और रचनात्मक आलोचना देने की क्षमता शामिल है।)
5.	**वित्त पोषण और पूंजी संरचना** (पूंजी योजना का ज्ञान, ऋण और इक्विटी पूंजी के मिश्रण के माध्यम से पूंजी जुटाना, नियामक ढांचा, प्रासंगिक विधायी मुद्दों का ज्ञान शामिल है।)
6.	**पेशेवर और उद्योग** (इसमें बैंकिंग उत्पादों और प्रौद्योगिकी से संबंधित ज्ञान, बैंकिंग उद्योग और विभिन्न बाजारों, जिसमें बैंक परिचालन करता है, उसकी जानकारी शामिल है ।)
7.	**सूचान प्रौद्योगिकी** (बैंकिंग क्षेत्र में आईटी प्रणाली और व्यावसायिक प्रक्रियाओं को लागू करने का ज्ञान, "नई डिजिटल" दुनिया को आमतौर पर डिजिटल बैंकिंग कहे जाने की समझ शामिल है।)

3.2. वर्ष के दौरान निदेशकत्व में हुए परिवर्तन का ब्यौरा (कालक्रम के अनुसार):

परिवर्तन	निदेशक का नाम	पदनाम	कार्यालय में कार्यग्रहण/ कार्यालय छोड़ने की तारीख	बोर्ड की बैठकें	
				अवधि के दौरान आयोजित	उपस्थित
कार्यग्रहण	श्री एस.सूर्यनारायण	शेयरधारक निदेशक	03.08.2018	7	7
	श्री संजय कुमार	कार्यपालक निदेशक	20.09.2018	5	5
	श्री अशोक कुमार प्रधान	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	01.10.2018	5	5
	श्री अजीत कुमार दास	कार्यपालक निदेशक	01.10.2018	5	5
कार्यमुक्त	श्री एस.सूर्यनारायण	शेयरधारक निदेशक	10.06.2018	2	2
	श्री अर्णव राय	आरबीआई द्वारा नामित निदेशक	30.06.2018	2	1
	श्री पवन कुमार बजाज	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ	30.09.2018	5	5
	श्री अशोक कुमार प्रधान	कार्यपालक निदेशक	30.09.2018	5	5

3.3. वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान नियुक्त/ पुन: नियुक्त किए गए निदेशकों का प्रोफाइल

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान बैंक के निदेशक मंडल में नियुक्त/ पुन: नियुक्त/ नामित और कार्यग्रहण करने वाले निदेशकों का प्रोफाइल निम्नप्रकार है:

- **श्री अशोक कुमार प्रधान, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी**

 श्री अशोक कुमार प्रधान ने 01 अक्टूबर, 2018 को बैंक के प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण किया। इस बैंक में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व वे 18 फरवरी, 2017 से युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया के कार्यपालक निदेशक थे। श्री प्रधान, एम. कॉम और सीएआईआईबी ने जुलाई 1985 में एक परीविक्षाधीन अधिकारी के रूप में स्टेट बैंक ऑफ़ बीकानेर एवं जयपुर में कार्यभार ग्रहण किया था। 32 वर्षों से अधिक के कैरियर में उन्होंने बैंकिंग के लगभग सभी क्षेत्रों में विशेष रूप से ऋण एवं एसबीआई के 04 सहयोगी बैंकों स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर और स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर में शाखा बैंकिंग में कार्य किया है। बैंक में कार्यपालक निदेशक का कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व वे स्टेट बैंक त्रावणकोर में मुख्य महाप्रबंधक थे। श्री प्रधान के पास युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया कर्मचारी शेयर खरीद योजना, 2018 के तहत आवंटित किए गए 20,000 इक्विटी शेयर हैं।

- **श्री संजय कुमार, कार्यपालक निदेशक**

 श्री संजय कुमार ने 20 सितंबर, 2018 को बैंक के कार्यपालक निदेशक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। श्री कुमार ने एम.एससी और सीएआईआईबी किया है। वे 1985 में युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में नियुक्त हुए। 32 वर्षों से अधिक के कैरियर में उन्होंने बैंकिंग के लगभग सभी क्षेत्रों में विशेष रूप से राजकोष, कंपनी लेखा, ऋण, वसूली एवं ऋण निगरानी और शाखा बैंकिंग में काम किया है। कंपनी लेखा के प्रभारी महाप्रबंधक के रूप में उन्हें बैंक के मुख्य वित्तीय अधिकारी के रूप में नामित किया गया था। कार्यभार संभालने से पूर्व वह बैंक के महाप्रबंधक तथा वसूली एवं ऋण निगरानी के प्रभारी थे। श्री कुमार के पास बैंक का 10,300 इक्विटी शेयर है जिसमें से 10000 इक्विटी शेयर युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया - कर्मचारी शेयर खरीद योजना, 2018 के तहत आवंटित किए गए हैं।

- **श्री अजीत कुमार दास, कार्यपालक निदेशक**

 श्री अजीत कुमार दास, बी.एलआईबी.एससी., बी.एससी. और सीएआईआईबी, का कैरियर एक बैंकर का रहा है और उन्होंने नवम्बर, 1986 में एक परिवीक्षाधीन अधिकारी के रूप में केनरा बैंक में कार्यभार ग्रहण किया था। 31 वर्षों के कैरियर में उन्होंने विशेष रूप से ऋण और वित्तीय समावेशन समेत बैंकिंग के लगभग सभी क्षेत्रों में कार्य किया है। इस बैंक के कार्यपालक निदेशक का कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व वे केनरा बैंक के महाप्रबंधक थे। श्री दास का बैंक में किसी भी प्रकार की इक्विटी शेयरधारिता नहीं है।

- **श्री एस. सूर्यनारायण, शेयरधारक निदेशक**

 श्री एस सूर्यनारायण एक कैरियर बैंकर रहे हैं और उन्होंने 1976 से 2012 के बीच आंध्र बैंक में विभिन्न पदों में काम किया है, जहां से वे मुख्य महाप्रबंधक के रूप में सेवानिवृत्त हुए थे। बैंकिंग के सभी क्षेत्रों जैसे ऋण, जोखिम प्रबंधन, सूचना प्रौद्योगिकी, शाखा बैंकिंग, मानव संसाधन, आंतरिक लेखापरीक्षा, निवेश संबंध आदि सभी क्षेत्रों में उनका अनुभव रहा है। उन्होंने भारत और विदेश में विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रतिभागिता की है जिनमें से केलॉग बिजनेस स्कूल, यूएसए और बैंकिंग समर स्कूल, लक्जमबर्ग में कुछ प्रशिक्षण उल्लेखनीय हैं। सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने ईआरपी, एचआर पर एक बड़ी कंपनी के सलाहकार के रूप में 1 वर्ष का काम पूरा कर लिया है। उन्होंने 2014 एवं 2015 में आईबीपीएस के साक्षात्कार पैनलों की अध्यक्षता भी की है। श्री एस. सूर्यनारायण 3 अगस्त, 2018 से प्रभावी तीन वर्षों के लिए दूसरी बार बैंक के निदेशक मंडल में शेयरधारक निदेशक के रूप में चयनित हुए। इसके पहले श्री सूर्यनारायण बैंक की बोर्ड में 11.06.2015 से 10.06.2018 तक एक शेयरधारक निदेशक के रूप में कार्यरत थे। श्री सूर्यनारायण के पास बैंक का 200 इक्विटी शेयर धारित है।

3.4. बोर्ड बैठक की प्रक्रिया:

बोर्ड बैठक की सूचना बहुत पहले दी जाती है। आम तौर पर बोर्ड की बैठक प्रधान कार्यालय, कोलकाता में आयोजित की जाती है। इसके एजेंडा और अन्य कागजात पहले भेज दिए जाते हैं ताकि प्रभावी चर्चा हो सके और निर्णय लिए जा सके। बोर्ड की बैठक में निदेशकगण चर्चा करने और निर्णय लेने में समुचित समय लेते हैं।

बोर्ड के सचिव के रूप में कंपनी सचिव कार्य करते हैं और बोर्ड तथा समिति की बैठक के संचालन, रिपोर्ट के समेकन, प्रस्तुति और एजेंडा के वितरण के लिए वे जिम्मेदार होते हैं। बोर्ड तथा बोर्ड समिति की सभी बैठकों में कंपनी सचिव उपस्थित रहते हैं और कंपनी अभिशासन सिद्धांत का अनुपालन में मदद करते हैं तथा कार्यवृत्त की रेकॉर्डिंग सुनिश्चित करते हैं।

औपचारिक बोर्ड की बैठक के अलावा, बोर्ड की बैठक के बाहर भी प्रबंध निदेशक एवं सीईओ तथा अन्य गैरकार्यपालक निदेशकों के बीच पारस्परिक चर्चा होती है।

3.5. निदेशक अधिष्ठापन प्रक्रिया:

निदेशकों को अपेक्षित ब्रोशर, दस्तावेज, रिपोर्ट, आंतरिक नीतियां, अन्य पठन सामग्रियां उपलब्ध कराई जाती है ताकि वे बैंक के काम के माहौल और परिचालन पद्धित तथा अभ्यास से परिचित हो सके। विभिन्न कार्यक्षेत्र में बैंक के कार्यनिष्पादन को अद्यतन बनाने के लिए बोर्ड को आवधिक रूप से प्रस्तुति की जाती है। सीएएफआरएएल, एनआईबीएम आदि विभिन्न संगठनों द्वारा परिचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में निदेशकों को नामित किया जाता है।

वर्ष के दौरान बोर्ड की विभिन्न बैठकों में, बोर्ड के सामने बैंक के परिचालन और कार्यक्षेत्र तथा बैंक की नीतियों, बैंक के लिए प्रयोज्य नियामक परिवेश और संबंधित मामलों के संबंध में प्रस्तुति की जाती है।

3.6. बोर्ड मूल्यांकन प्रक्रिया:

बैंक के बोर्ड में केवल एक स्वतंत्र निदेशक को देखते हुए, स्वतंत्र निदेशकों की एक अलग बैठक आयोजित करने की आवश्यकता बैंक के लिए गैरकार्यान्वयन योग्य हो जाती है। हालांकि, शासन के मानकों में निरंतर सुधार करने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 19 में निदेशक मंडल ने आंतरिक मूल्यांकन के माध्यम से बोर्ड मूल्यांकन (समितियों और व्यक्तिगत निदेशकों सहित) की प्रक्रिया को लागू करने और अपनाने के लिए मंजूरी दी है। सूचीकरण विनियमों के प्रावधानों के अनुसार बोर्ड ने अपने कार्यनिष्पादन और अपनी समितियों के कार्यनिष्पादन के साथ-साथ व्यक्तिगत रूप से निदेशकों के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन किया है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए मूल्यांकन के सभी पहलुओं की जानकारी, अनुभव, कार्य, संरचना, इसकी समितियों का गठन, बैठकें, संस्कृति, शासन, निष्पादन, कार्यनिष्पादन, सांविधिक कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन और संभावना को कवर करते हुए संरचित प्रश्नावली के माध्यम से किया गया। प्रत्येक निदेशक को बोर्ड के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन करने के लिए श्रेणीगत विषयों सहित विस्तृत प्रश्नावली प्रदान की गई। मूल्यांकन और समग्र मूल्यांकन प्रक्रिया के मापदंडों को 5 जनवरी, 2017 के बोर्ड मूल्यांकन पर सूचीकरण विनियम और सेबी मार्गदर्शन नोट के प्रावधानों के साथ सरेखित किया गया। सभी निदेशकों द्वारा प्रश्नावली का उत्तर दिया गया। निदेशकों से प्राप्त उत्तरों को संकलित किया गया और इसके रिपोर्ट को विचार-विमर्श के लिए बोर्ड को प्रस्तुत की गई। बोर्ड ने रिपोर्ट पर चर्चा की और प्रभावशीलता के साथ बोर्ड में सुधार लाने के लिए कार्रवाई पर सहमति व्यक्त की।

4. सूचीकरण विनियमन के अंतर्गत बोर्ड की समितियाँ

विभिन्न सांविधिक और विनियामक दिशानिर्देशों के तहत बोर्ड समितियों का गठन, बोर्ड द्वारा परिभाषित भूमिकाओं को पूरा करने के लिए किया जाता है और इसके तहत अभिशासन प्रथा के एक भाग के रूप में बोर्ड प्रतिनिधित्व करता है। बोर्ड के सदस्यों के बीच बैठक के कार्यवृत्त को परिचालित किया जाता है और नोटिंग करने के लिए बोर्ड की बैठक में उसे प्रस्तुत किया जाता है।

4.1. बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक के निदेशक मंडल की लेखा परीक्षा समिति का गठन किया जाता है और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा लेखा परीक्षा समिति की भूमिका और जिम्मेदारी निर्धारित की जाती है। बैंक ने मूल रूप से 26 जून, 1995 को अपनी एसीबी का गठन किया है, जो समय-समय पर पुनर्गठित किया गया है।

भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार निर्धारित लेखा परीक्षा समिति की बैठक आमतौर पर एक तिमाही में कम से कम एक बार होनी चाहिए और एक साल में कम से कम छह बार आयोजित की जानी चाहिए। लेखा परीक्षा समिति की संरचना और वर्ष 2018-19 के दौरान बैठकों में सदस्यों की उपस्थिति इस प्रकार है-

नाम	पदनाम	दिनांक से/ तक सदस्य	आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री दिनेश सिंह	गैरकार्यालयी निदेशक (समिति का अध्यक्ष)	पूरे वर्ष	7	7
श्री अशोक कुमार प्रधान	कार्यपालक निदेशक	30.09.2018 तक	4	4
श्री अजीत कुमार दास	कार्यपालक निदेशक	04.10.2018 से	3	3
श्री अर्णव राय	आरबीआई द्वारा नामित निदेशक	30.06.2018 तक	1	1
श्री समीर कुमार खरे	सरकारा द्वारा नामित निदेशक	पूरे वर्ष	7	7

- वर्ष 2018-19 के दौरान लेखा परीक्षा समिति की 7 (सात) बैठकें दिनांक 28.05.2018, 25.07.2018, 09.08.2018, 17.09.2018, 13.11.2018, 05.02.2019 और 01.03.2019 को आयोजित की गई।
- श्री संजय कुमार, कार्यपालक निदेशक ने 04.10.2018 से आमंत्रित सदस्य के रूप में लेखा परीक्षा समिति की बैठक में उपस्थित रहे।
- लेखा परीक्षा समितियों की बैठकों में मुख्य वित्तीय अधिकारी, मुख्य अनुपालन अधिकारी, लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण विभाग के प्रमुख तथा कंपनी सचिव उपस्थित रहे।
- शेयरधारकों के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बैंक की विगत वार्षिक आम बैठक में लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष उपस्थित थे।

4.1.1. लेखा परीक्षा समिति के कार्यों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया का पर्यवेक्षण करना, वित्तीय परिणामों का प्रकटीकरण; एवं वित्तीय सूचनाओं का सही, पर्याप्त एवं विश्वसनीय प्रेषण सुनिश्चित करना।
- प्रबंधन के साथ आवधिक और वित्तीय विवरणियों की समीक्षा तथा अनुमोदन के लिए बोर्ड के समक्ष प्रस्तुति करने से पूर्व लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट की समीक्षा करना।
- आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की प्रभावोत्पादकता तथा आंतरिक लेखा परीक्षा और निरीक्षण कार्य की समीक्षा करना।
- संदिग्ध जालसाजी अथवा अनियमितता के मामले में संगामी लेखा परीक्षकों, राजस्व लेखा परीक्षकों, आंतरिक निरीक्षकों के निष्कर्षों की समीक्षा करना अथवा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की असफलता दिखने/ होने पर नियंत्रणतंत्र को मजबूत करने हेतु अर्थोपाय सुझाव देना।
- लेखा परीक्षा रिपोर्ट और लेखा परीक्षा अर्हताओं यदि कोई हो, एलएफएआर आदि पर विचार करके लेखांकन नीतियों एवं पद्धितयों में हुए परिवर्तनों को केन्द्र में रखकर, आवधिक खातों और रिपोर्टों के अंतिम रूप दिए जाने से पहले सांविधिक केन्द्रीय लेखा परीक्षकों के साथ बैंक के कार्यनिष्पादन पर विचार-विमर्श एवं विश्लेषण करना।
- लेखा परीक्षकों की स्वतंत्रता और कार्यनिष्पादन की निगरानी करना।
- भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा संचालित जोखिम आधारित पर्यवेक्षण (आरबीएस), भारतीय रिज़र्व बैंक या उनके द्वारा समनुदेशित अन्य एजेंसी द्वारा संचालित विशेष लेखा परीक्षा, यदि कोई हो, के परिणामों का विस्तृत विश्लेषण करना।
- विभिन्न लेखा परीक्षा और निरीक्षण रिपोर्टों की समीक्षा करना।
- जमाकर्ताओं, शेयर धारकों, डिबेंचर धारकों एवं ऋणदाताओं को भुगतान करने के संबंध में अधिक चूक होने के कारणों का पता लगाना।
- प्रबंधन के साथ सांविधिक लेखा परीक्षकों, संगामी एवं राजस्व लेखा परीक्षकों के कार्य निष्पादन तथा आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता की समीक्षा करना, आंतरिक लेखा परीक्षकों के साथ महत्वपूर्ण निष्कर्षों पर चर्चा करना तथा उस पर अनुवर्तन करना।
- समिति मुख्यतः निम्नलिखित मदों के अनुवर्तन पर ध्यान देती है:

 क) अंतर शाखा समायोजन लेखा

 ख) अंतर शाखा खातों एवं नोस्ट्रो खातों में असमायोजित पुरानी प्रविष्टियाँ

 ग) विभिन्न शाखाओं में बहीसंतुलन संबंधी बकाया कार्य

 घ) जालसाजी एवं

 ङ) हाउसकीपिंग के प्रमुख क्षेत्र

4.2. नामांकन समिति:

4.2.1. बैंक के नामांकन समिति का गठन पूरी तरह से अधिनियम की धारा 9(3)(i) के अंतर्गत निदेशकत्व के चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवारों के नामांकन भरने की उपयुक्त एवं अनुकूल स्थिति निर्धारित करने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार किया गया है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान इस समिति की 1 (एक) बैठक आयोजित की गई। श्री एस सूर्यनारायण, जो बोर्ड में शेयरधारक निदेशक के एकमात्र पद के लिए चुनाव लड़नेवाले एकमात्र उम्मीदवार थे, उनकी उपयुक्त एवं अनुकूल स्थिति की जांच करने हेतु इस समिति की 1 (एक) बैठक 02.08.2018 को आयोजित की गई थी। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान आयोजित बैठक में नामांकन समिति का गठन और सदस्यों की उपस्थिति निम्नलिखित हैं –

नाम	पदनाम	दिनांक से/ तक सदस्य	आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री समीर कुमार खरे	सरकारा द्वारा नामित निदेशक (समिति का अध्यक्ष)	पूरे वर्ष	1	1
श्री दिनेश सिंह	गैर कार्यालयी निदेशक	पूरे वर्ष	1	1
श्री सिद्धार्थ प्रधान	गैर कार्यालयी निदेशक	पूरे वर्ष	1	1

4.3. पारिश्रमिक समिति:

4.3.1. वित्त मंत्रालय से जारी अधिसूचना सं. एफ नं. 20/1/2005 बीओ-आई दिनांक 9 मार्च 2007 के मार्फत प्राप्त निदेशों के अनुरूप बैंक की पारिश्रमिक समिति का गठन किया गया है। यह समिति सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के पूर्ण कालिक निदेशकों के कार्यनिष्पादन से जुड़े प्रोत्साहन पर विचार करती है। यह प्रोत्साहन कार्यनिष्पादन आधार के लिए निश्चित किए गए विस्तृत गुणात्मक मानदंडो के अधीन है मुख्य कार्य निष्पादित संकेतकों, गुणात्मक मानदंडो एवं न्यूनतम मानदंडों पर निर्भर करता है जिनका आधार पूर्ववर्ती वर्ष का अनुपालन रिपोर्ट है। पारिश्रमिक समिति के कार्यों में पिछले वर्ष के संबंध में निष्पादन से जुड़े प्रोत्साहन के लिए पूर्णकालिक निदेशकों की योग्यता निर्धारित करने के लिए व्यापक मात्रात्मक और गुणात्मक मानकों के संबंध में बैंक के पूर्णकालिक निदेशकों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना शामिल है। बोर्ड ने युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया - कर्मचारी शेयर खरीद योजना, 2018 के प्रशासन और देखरेख की जिम्मेदारी समिति को सौंपा है। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, समिति की 1 (एक) बैठक 11.05.2018 को आयोजित की गई थी।

4.3.2. वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान आयोजित बैठकों में पारिश्रमिक समिति के सदस्यों की संरचना एवं उपस्थिति निम्नलिखित हैं: –

नाम	पदनाम	दिनांक से/तक सदस्य	आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री समीर कुमार खरे	सरकारा द्वारा नामित निदेशक (समिति का अध्यक्ष)	पूरे वर्ष	1	1
श्री अर्णव राय	आरबीआई द्वारा नामित निदेशक	30.06.2018 तक	1	0
श्री सिद्धार्थ प्रधान	गैर कार्यालयी निदेशक	पूरे वर्ष	1	1
श्री एस.सूर्यनारायण	शेयरधारक निदेशक	10.06.2018 तक	1	1

4.3.3. वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए किसी भी पूर्णकालिक निदेशक को निष्पादन संपर्कित प्रोत्साहन नहीं दिया गया।

4.4. निदेशकों के लिए पारिश्रमिक:

4.4.1. बैंक का अपने गैर कार्यालयीन निदेशकों के साथ बोर्ड की बैठक और समिति की बैठकों में उपस्थित रहने से संबंधित बैठक शुल्क और खर्च की गई व्यय की प्रतिपूर्ति के भुगतान के अलावा किसी प्रकार के आर्थिक लेनदेन का संबंध नहीं है। गैर कार्यालयी निदेशक केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर बैठक शुल्क पाने के हकदार हैं। वर्तमान में, बैठक शुल्क ₹40,000/- प्रति बोर्ड बैठक में उपस्थिति और ₹20,000/- प्रति बोर्ड समिति में उपस्थिति की दर है। बोर्ड और बोर्ड समिति की बैठक में सभागिता के लिए क्रमशः ₹10,000/- और ₹5000/- प्रति बैठक की अतिरिक्त राशि का भुगतान किया जाता है।

4.4.2. पूर्णकालिक निदेशकों को केन्द्र सरकार और बैंक के मौजूदा नियम और विनियमों के अनुसार भारत सरकार के वेतनमान के अनुसरण में वेतन तथा अतिरिक्त सुविधाओं का भुगतान किया जाता है।

4.4.3. दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए निदेशकों को भुगतान की गई/ देय पारिश्रमिक / बैठक शुल्क का विवरण और उनके शेयरधारण उक्त तिथि को निम्नलिखित हैं:

निदेशक का नाम	वेतन (₹)	अतिरिक्त सुविधाएं (₹)	सेवानिवृत्ति लाभ (₹)	पीएलआई (₹)	बैठक शुल्क (₹)	कुल (₹)	शेयरधारण (इक्विटी) (सं.)
श्री पवन कुमार बजाज (30.09.18 तक)	1404465	17883	4375110	–	–	5797458	20,000
श्री अशोक कुमार प्रधान (30.09.18 तक कार्यपालक निदेशक के रूप में और 01.10.18 से एमडी एण्ड सीईओ के रूप में)	2552736	35129	–	–	–	2587865	20,000
श्री संजय कुमार (20.09.18 से प्रभावी)	1242845	16290	–	–	–	1259135	10,300
श्री अजीत कुमार दास (01.10.18 से प्रभावी))	1172184	13889	–	–	–	1186073	शून्य
श्री दिनेश सिंह	–	–	–	–	452700	452700	शून्य
श्री सिद्धार्थ प्रधान	–	–	–	–	530400	530400	शून्य
श्री एस.सूर्यनारायण (10.06.18 तक और 03.08.18 से प्रभावी)	–	–	–	–	520400	520400	200

टिप्पणी :

I. पीएलआई का अर्थ कार्य-निष्पादित प्रोत्साहन

II. सेवा अनुबंध, सूचना की अवधि और वियोजन शुल्क अधिनियम / राष्ट्रीयकृत बैंकों (प्रबंधन और विविध प्रावधान) योजना, 1970 में प्रासंगिक प्रावधानों द्वारा नियंत्रित होते हैं।

III. गैर कार्यपालक निदेशकों में, पदधारियों अर्थात सरकार और बोर्ड में आरबीआई द्वारा नामित बैठक शुल्क पाने के हकदार नहीं हैं।

IV. युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के अंतर्गत इक्विटी शेयर - कर्मचारी शेयर खरीद योजना, 2018 को 31 दिसंबर, 2017 को बैंक के पात्र कर्मचारियों और पूर्णकालिक निदेशकों को ₹ 0.54/ प्रति इक्विटी शेयर की प्रभावी छूट पर आवंटित किया गया था।

4.5. हितधारकों की संपर्क समिति:

4.5.1. प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव के बाद कंपनी अभिशासन के सिद्धांतों को कायम रखने और बैंक के सभी शेयरधारकों के विविध पहलुओं के हितों की रक्षा के लिए सूचीकरण विनियम 20 के अंतर्गत निर्धारित हितधारकों की संपर्क समिति का गठन किया गया। हितधारक संपर्क समिति के कार्यों में अंतरण के त्वरित निपटान समेत, उपविभाजन, पुनर्मूतीकरण और शेयरों के समेकन और वारंटों के पुनर्मूल्यांकन, निवेशक शिकायत तंत्र की निगरानी और समयबद्ध तरीके से निवारण सुनिश्चित करना शामिल हैं।

4.5.2. वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान इस समिति के 5 (पाँच) बैठकें दिनांक 11.05.2018, 25.07.2018, 27.09.2018, 31.10.2018 और 05.02.2019 को आयोजित की गई। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान आयोजित बैठक में समिति का गठन और हितधारकों की संपर्क समिति के सदस्यों की उपस्थिति निम्नवत हैं –

नाम	पदनाम	दिनांक से/तक सदस्य	आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री एस.सूर्यनारायण	शेयरधारक निदेशक (समिति का अध्यक्ष)	10.06.2018 तक एवं 03.08.2018 से	4	4
श्री अशोक कुमार प्रधान	कार्यपालक निदेशक	30.09.2018 तक	3	3
श्री संजय कुमार	कार्यपालक निदेशक	04.10.2018 से	2	2
श्री दिनेश सिंह*	गैर-कार्यालयी निदेशक	13.09.2018 से	4	4
श्री सिद्धार्थ प्रधान^	गैर-कार्यालयी निदेशक	12.09.2018 तक	2	2

* श्री दिनेश सिंह, गैर-कार्यालयी निदेशक को दिनांक 28.05.2018 से 03.08.2018 तक समिति के सदस्य के रूप में नियुक्त किए गए और इसके पश्चात दिनांक 13.09.2018 से सदस्य के रूप में पुनः नियुक्त किए गए।

^श्री सिद्धार्थ प्रधान ने दिनांक 25.07.2018 को आयोजित बैठक के लिए अध्यक्ष के रूप में कार्य किया।

*4.5.3. अधिकारी निदेशक मंडल के हितधारकों की संपर्क समिति में श्री बिक्रमजीत सोम, कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी, सचिव के रूप में कार्य करते हैं।

4.5.4. वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, बैंक और/या बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट को शेयरधारकों/निवेशकों से 27 शिकायतें प्राप्त हुई और शेयरधारकों की संतुष्टि के अनुसार उनका निवारण किया गया। निवेशक के शिकायतों को सेंट्रालाइज वेब आधारित शिकायत निवारण प्रणाली, जिसे सेबी शिकायत निवारण प्रणाली (स्कोर्स) कहा जाता है, पर भी संसाधित किया गया है। 31 मार्च, 2019 तक एक भी निवेशक की शिकायत अनसुलझी नहीं थी।

4.6. जोखिम प्रबंधन समिति:

4.6.1. जोखिम प्रबंधन नीति और प्रक्रियाओं को विकसित करने और एकीकृत जोखिम प्रबंधन परिवेश को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से आरबीआई के निर्देशों के अनुसार जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया गया था।

4.6.2. वर्ष 2018-19 के दौरान समिति की 3 (तीन) बैठकें दिनांक 25.07.2018, 31.10.2018 और 15.01.2019 को आयोजित की गईं। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान आयोजित बैठक में समिति का गठन और जोखिम प्रबंधन समिति के सदस्यों की उपस्थिति निम्नवत हैं –

नाम	पदनाम	दिनांक से/ तक सदस्य	आयोजित बैठकें	बैठकों में उपस्थिति
श्री पवन कुमार बजाज	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ (समिति का अध्यक्ष)	30.09.2018 तक	1	1
श्री अशोक कुमार प्रधान	प्रबंध निदेशक एवं सीईओ (समिति का अध्यक्ष)	01.10.2018 से	2	2
श्री अशोक कुमार प्रधान	कार्यपालक निदेशक	30.09.2018 तक	1	1
श्री संजय कुमार	कार्यपालक निदेशक	04.10.2018 से	2	2
श्री अजीत कुमार दास	कार्यपालक निदेशक	04.10.2018 से	2	2
श्री समीर कुमार खरे	सरकारा द्वारा नामित निदेशक	पूरे वर्ष	3	3
श्री सिद्धार्थ प्रधान	गैर-कार्यालयी निदेशक	03.08.2018 तक	1	1
श्री एस.सूर्यनारायण	शेयरधारक निदेशक	03.08.2018 से	2	2

5. आचरण संहिता:

5.1.1. सूचीकरण विनियमों के तहत बैंक तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित आचार संहिता के अंतर्गत सभी बोर्ड सदस्य नियंत्रित होते हैं। सूचीकरण विनियमों के तहत बैंक के सभी स्वतंत्र प्रभारवाले स्केल VII, स्केल VI पद के सभी अधिकारी तथा कंपनी सचिव भी सूचीकरण विनियम के अंतर्गत बनाई गई बैंक की आचार संहिता द्वारा नियंत्रित होते हैं। उक्त आचार संहिता बैंक के वेबसाइट – www.unitedbankofindia.com. पर उपलब्ध है।

5.1.2. बैंक के सभी निदेशक और स्वतंत्र प्रभारवाले स्केल VII, स्केल VI पद के सभी अधिकारी तथा कंपनी सचिव ने वित्तीय वर्ष 2018-19 में प्रयोज्य आचार संहिता का अनुपालन किया है। इस संदर्भ में प्रबंध निदेशक एवं सीईओ द्वारा हस्ताक्षरित घोषणापत्र इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

5.2. प्रतिज्ञान और प्रकटीकरण:

5.2.1. बैंकिंग व्यवसाय के सामान्य स्थिति के अलावा, बैंक अपने प्रवर्तकों, निदेशकों या प्रबंधन आदि के साथ किसी भी तरह के प्रत्यक्ष महत्वपूर्ण वित्तीय या वाणिज्यिक लेनदेन में सम्मिलित नहीं है, जिसमें बड़े पैमाने पर बैंक के हितों के साथ संभावित टकराव हो सकता है।

5.2.2. वित्तीय और वाणिज्यिक लेनदेन से संबंधित सभी विवरण जहां किसी भी बोर्ड के सदस्य का आर्थिक हित हो सकता है, उसे बोर्ड में प्रस्तुत किया गया और संबंधित निदेशक उसकी विवेचना और निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं।

6. साधारण सभा:

6.1. विगत तीन वार्षिक आम सभा का ब्यौरा (एजीएम) और एजीएम में विशेष संकल्प पारित किया गया है:

वित्तीय वर्ष	स्थान	तारीख एवं समय	विशेष संकल्प
2017-18	भाषा भवन सभागार, राष्ट्रीय पुस्तकालय, बेलवेडियर रोड, अलिपुर, कोलकाता 700027	06.07.2018 पूर्वाह्न 10:00 बजे	1. सेबी-इश्यू ऑफ़ कैपिटल एंड डिसल्कोजर रिक्वायरमेंट विनियम, 2009 (सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन) के अंतर्गत क्यूआईपी या पब्लिक इश्यू, राइट इश्यू, पूंजी मुद्दे के इस तरह के अन्य रूप के माध्यम से एक या अधिक चरणों में 1500 करोड़ रुपये तक की पूंजी जुटाना। **वोटिंग पैटर्न:** पक्ष में : 2896375992 विपक्ष में : 5079 2. मार्च, 2018 तक राजस्व आरक्षित खाता (पोस्ट ऑडिट) में नकारात्मक शेष को बट्टे खाते में डालने के लिए शेयर प्रीमियम खाते में शेष राशि के एक हिस्से का उपयोग। **वोटिंग पैटर्न:** पक्ष में : 2896375411 विपक्ष में : 5660
2016-17	भाषा भवन सभागार, राष्ट्रीय पुस्तकालय, बेलवेडियर रोड, अलिपुर, कोलकाता 700027	29.06.2017 पूर्वाह्न 10:00 बजे	सेबी-इश्यू ऑफ़ कैपिटल एंड डिसल्कोजर रिक्वायरमेंट विनियम, 2009 (सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन) के अंतर्गत क्यूआईपी या पब्लिक इश्यू, राइट इश्यू, पूंजी मुद्दे के इस तरह के अन्य रूप के माध्यम से एक या अधिक चरणों में 1000 करोड़ रुपये तक की पूंजी जुटाना। **वोटिंग पैटर्न:** पक्ष में : 1290165823 विपक्ष में : 76959
2015-16	भाषा भवन सभागार, राष्ट्रीय पुस्तकालय, बेलवेडियर रोड, अलिपुर, कोलकाता 700027	28.06.2016 पूर्वाह्न 10:00 बजे	सेबी-इश्यू ऑफ़ कैपिटल एंड डिसल्कोजर रिक्वायरमेंट विनियम, 2009 (सेबी आईसीडीआर रेगुलेशन) के अंतर्गत क्यूआईपी या पब्लिक इश्यू, राइट इश्यू, पूंजी मुद्दे के इस तरह के अन्य रूप के माध्यम से एक या अधिक चरणों में 1000 करोड़ रुपये तक की पूंजी जुटाना। **वोटिंग पैटर्न:** पक्ष में : 1022701933 विपक्ष में : 5877

6.2. पोस्टल बैलट के माध्यम से पिछले वर्ष पारित विशेष संकल्प का ब्यौरा :

वित्तीय वर्ष	नोटिस की तारीख एवं नोटिस युक्तिका	पोस्टल बैलट / ई-वोट	विशेष संकल्प
2018-19	पोस्टल बैलट नोटिस दिनांक 27.12.2018 नोटिस युक्तिका दिनांक 04.01.2019	07.01.2019 को 10:00 बजे (आईएसटी) से 05.02.2019 को 17:00 बजे (आईएसटी) तक	10/ रुपये प्रति के हिसाब से इक्विटी शेयरों का सृजन, पेशकश, जारी और आवंटन, जैसा आवश्यक हो, ऐसी कीमत सेबी (जारी पूंजी और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2018 (सेबी आईसीडीआर विनियम) के अध्याय V के तहत विनियमन 164 के अनुसार निर्धारित किया जा सकता है, तरजी आधार पर भारत सरकार की ओर से कार्रवाई भारत के राष्ट्रपति, सेबी आईसीडीआर विनियमों के अध्याय V के अनुसार पूंजी अंशदान के एवज में नकद के रूप में कुल ₹2159/ करोड़, पोस्टल बैलट नोटिस के युक्तिका के अनुसार, जारी मूल्य ₹11.88/ प्रति इक्विटी शेयर पर (₹1.88/ प्रति शेयर प्रीमियम सहित) कुल 1,81,73,40,067 इक्विटी शेयर आवंटित किया जाना प्रस्ताव था।

वोटिंग पैटर्न का ब्यौरा:

विवरण	वैध संख्या			निहित वैध वोटों की संख्या			प्रतिशत (%)
	ई-वोटर्स	पोस्टल बैलट फॉर्म	कुल	ई-वोटर्स	पोस्टल बैलट फॉर्म	कुल	
स्वीकृत	158	263	421	7,70,27,760	280,16,08,921	287,86,36,681	99.99
अस्वीकृत	25	20	45	16,489	3,260	19,749	0.01
कुल	**183**	**283**	**466**	**7,70,44,249**	**280,16,12,181**	**287,86,56,430**	**100.00**

उक्त संकल्प अपेक्षित बहुमत से पारित किया गया।

2018-19	पोस्टल बैलट नोटिस दिनांक 25.02.2019 नोटिस युक्तिका दिनांक 26.02.2019	27.02.2019 को 10:00 बजे (आईएसटी) से 28.03.2019 को 17:00 बजे, (आईएसटी)	10/ रुपये प्रति के हिसाब से इक्विटी शेयरों का सृजन, पेशकश, जारी और आवंटन, जैसा आवश्यक हो, ऐसी कीमत सेबी (जारी पूंजी और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2018 (सेबी आईसीडीआर विनियम) के अध्याय V के तहत विनियमन 164 के अनुसार निर्धारित किया जा सकता है, तरजी आधार पर भारत सरकार की ओर से कार्रवाई भारत के राष्ट्रपति, सेबी आईसीडीआर विनियमों के अध्याय V के अनुसार पूंजी अंशदान के एवज में नकद के रूप में कुल ₹2839/ करोड़, पोस्टल बैलट नोटिस के युक्तिका के अनुसार, जारी मूल्य ₹11.03/ प्रति इक्विटी शेयर पर (₹1.03/ प्रति शेयर प्रीमियम सहित) कुल 2,57,38,89,392 इक्विटी शेयर आवंटित किया जाना प्रस्ताव था।

वोटिंग पैटर्न का ब्यौरा:

विवरण	वैध संख्या			निहित वैध वोटों की संख्या			प्रतिशत (%)
	ई-वोटर्स	पोस्टल बैलट फॉर्म	कुल	ई-वोटर्स	पोस्टल बैलट फॉर्म	कुल	
स्वीकृत	170	200	370	9,50,14,817	461,89,30,579	471,39,45,396	99.99
अस्वीकृत	13	14	27	5,873	4,309	10,182	0.01
कुल	**183**	**214**	**397**	**9,50,20,690**	**461,89,34,888**	**471,39,55,578**	**100.00**

उक्त संकल्प अपेक्षित बहुमत से पारित किया गया।

6.3. आम बैठक में मेसर्स एस.एन. अनंतसुब्रमण्यन एंड कंपनी, कंपनी सचिव संवीक्षक द्वारा वोटिंग की संवीक्षा किया गया था। बैठक सभास्थल पर वोटिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए शेयरधारकों के एक प्रतिनिधि भी संवीक्षक के रूप में उपस्थित थे।

6.4. मेसर्स एस.एन. अनंतसुब्रमण्यन एंड कंपनी, कंपनी सचिव संवीक्षक को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से प्रक्रिया का संचालन करने के लिए पोस्टल बैलेट के दोनों

अवसरों पर संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया था। प्रत्येक मामले में बैंक ने अपने शेयरधारकों को रिमोट ईवोटिंग सुविधा प्रदान करने के लिए एजेंसी के रूप में सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लि. (सीडीएसएल) को शामिल किया था।

6.5. पोस्टल बैलेट के माध्यम से कोई संकल्प पारित करने के लिए कोई तत्काल प्रस्ताव नहीं है। बैंक द्वारा प्रदान की जाने वाली ई वोटिंग सुविधाओं के मद्देनजर, जारी होनेवाले एजीएम में लेनदेन किए जानेवाले प्रस्तावित कोई व्यवसाय को पोस्टल बैलेट के माध्यम से संकल्प पारित करने की आवश्यकता नहीं है।

6.6. बैंक ने समय-समय पर (जहाँ तक लागू) संशोधित कंपनी (प्रबंधन और प्रशासन) नियम, 2014 के प्रावधानों के अनुसार पोस्टल बैलेट का आयोजन किया। पोस्टल बैलेट फॉर्म के साथ क्रमशः पोस्टल बैलेट दिनांक 27 दिसंबर, 2018 और 25 फरवरी, 2019 के सूचनाएं शेयरधारकों को पोस्टल बैलट /ईवोटिंग के माध्यम से वोटिंग द्वारा संबंधित विशेष व्यवसाय (ओं) से सहमति प्राप्त करने हेतु ईमेल द्वारा भेजा गया था जिनके ईमेल पते बैंक /आरटीए / डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत थे और अन्य सभी शेयरधारकों को एक स्वसंबोधित व्यावसायिक उत्तर लिफाफे के साथ उनके पंजीकृत पत्राचार पते पर प्रत्यक्ष रूप से कूरियर द्वारा भेजा गया था। केवल उन शेयरधारकों जिनके नाम निर्धारित तिथि (यों) अर्थात क्रमशः 28 दिसंबर, 2018 और 22 फरवरी, 2019 तक सदस्यों / लाभार्थी मालिकों के रजिस्टर में उल्लिखित थे, वे पोस्टल बैलट /ई वोटिंग के माध्यम से वोट देने के हकदार थे। बैंक ने इस इश्यू के अंतर्गत पेश की गई शेयरों की मात्रा और मूल्य प्रति शेयर के मामले में पोस्टल बैलट सूचना की युक्तिका सहित अभिशासित नियमों के तहत अनिवार्य रूप से प्रेषण और अन्य आवश्यक विवरणों को पूरा करने की घोषणा करते हुए समाचार पत्र/पत्रों में भी प्रकाशित किया। सूचीकरण विनियमों के विनियमन 44 के अनुपालन में बैंक ने अपने सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक रूप से वोट देने के लिए सक्षम बनाने हेतु ईवोटिंग सुविधा की पेशकश की थी। पोस्टल बैलट के लिए वोटिंग को क्रमशः 07.01.2019 को 10:00 बजे से 05.02.2019 को 17:00 बजे (आईएसटी) तक और 27.02.2019 को 10:00 बजे (आईएसटी) से 28.03.2019 को 17:00 बजे (आईएसटी) तक खुला रखा गया था। बैंक को संवीक्षक द्वारा सौंपी गई प्रत्येक रिपोर्ट के मामले में निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से ईवोटिंग के माध्यम से डाले गए पोस्टल बैलेट फॉर्म और वोटों की जांच पूरी करना और बैंक द्वारा क्रमशः 6 फरवरी, 2019 और 29 मार्च, 2019 को पोस्टल बैलट के परिणाम घोषित किया गया। वोटिंग परिणामों को स्टॉक एक्सचेंजों को भेजा गया और बैंक के वेबसाइट www.unitedbankofindia.com और सीडीएसएल के वेबसाइट www.evotingindia.com पर भी उपलब्ध कराया गया।

7. संचार माध्यम

7.1. 7.2बैंक ने एक अंग्रेजी, एक बंगाली और एक हिंदी अखबार में तिमाही और वार्षिक परिणामों के सार प्रकाशित किया और परिणामों का पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंजों को उनके संबंधित इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से दर्ज किया गया और स्टॉक एक्सचेंज वेबसाइटों और बैंक की वेबसाइट पर उपलब्ध है।

7.2. वर्ष के दौरान समीक्षाधीन, बैंक के वित्तीय परिणाम निम्नलिखित समाचार पत्रों में प्रकाशित किए गए थे:

विवरण	अंग्रेजी	बंगला	हिंदी	प्रकाशन की तिथि
मार्च, 2018 को समाप्त तिमाही /वित्तीय वर्ष	फाइनेंशियल एक्सप्रेस	ईसमय	जनसत्ता	29.05.2018
जून, 2018 को समाप्त तिमाही				10.08.2018
सितम्बर, 2018 को समाप्त तिमाही / अर्धवार्षिक	बिजनेस स्टैंडर्ड (ई)	अजकल	बिजनेस स्टैंडर्ड (एच)	14.11.2018
दिसम्बर, 2018 को समाप्त तिमाही	फाइनेंशियल एक्सप्रेस		जनसत्ता	06.02.2019

- 31 मार्च, 2019 को समाप्त तिमाही/वर्ष के लिए लेखा परीक्षित वित्तीय परिणाम सूचीकरण विनियम के अनुसार प्रकाशित किया जाएगा।
- "ग्रीन इनिशिएटिव" को बढ़ावा देने के लिए बैंक द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए वार्षिक रिपोर्ट को शेयरधारक के ईमेल पर भेजी जाएगी, जिनका ईमेल पता जमाकर्ता प्रतिभागियों (डीपी) या बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंट के साथ पंजीकृत है, बशर्ते उन्होंने प्रत्यक्ष प्रति के लिए विकल्प नहीं दिया हो। प्रत्यक्ष प्रतियां अन्य शेयरधारकों को भेजी जाएंगी।

7.3. निम्नलिखित वेबसाइटों में परिणाम अपलोड किए गए:

www.unitedbankofindia.com	www.nseindia.com	www.bseindia.com

7.4. समय-समय पर वित्तीय परिणाम की प्रस्तुति विश्लेषकों/संस्थागत निवेशकों, निधि प्रबंधकों और अन्य लोगों के बीच भी की गई है, उक्त प्रस्तुतियों को बैंक की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है।

8. सामान्य शेयरधारकों की सूचना

8.1. आगामी वार्षिक आम बैठक:

गुरुवार 27 जून, 2019	पूर्वाह्न 10:00 बजे	भाषा भवन सभागार, राष्ट्रीय पुस्तकालय, बेलवेडियर रोड, अलिपुर, कोलकाता 700027

बुक क्लोजरः शुक्रवार 21 जून 2019 से गुरुवार 27 जून 2019 तक (दोनों दिन सहित)

8.2. वित्तीय वर्षः निम्नलिखित वर्ष के 1 अप्रैल से 31 मार्च तक।

अनुमानित वित्तीय कैलेण्डरः वित्तीय वर्ष 2019-20:

तिमाही 1	अगस्त, 2019	तिमाही 2	नवम्बर, 2019	तिमाही 3	फरवरी, 2020	तिमाही 4	मई, 2020

8.3. लाभांशः बैंक की लाभांश वितरण नीति और प्रासंगिक नियामक दिशानिर्देशों और परिपत्रों के अनुरूप, निदेशक मंडल ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए किसी प्रकार के लाभांश की सिफारिश नहीं की है।

8.4. सूचीकरण ब्यौरा और स्टॉक कोडः

नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ़ इंडिया लि. (एनएसई) एक्सचेंज प्लाजा, प्लॉट सी/1, ब्लॉक जी बांद्रा कुर्ला कम्पलेक्स, बांद्रा (ई) मुंबई-400051	बीएसई लि. (बीएसई) फिरोज जीजीभोय टॉवर्स दलाल स्ट्रीट, फोर्ट, मुंबई-400001
स्टॉक कोड : UNITEDBNK	**स्टॉक कोड : 533171**
ISIN: INE695A01019 (इक्विटी शेयर)	
बैंक के ऋण संसाधनों को बीएसई लिमिटेड (बीएसई) और /या नैशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड (एनएसई) के ऋण खंड पर सूचीबद्ध किया हैं।	

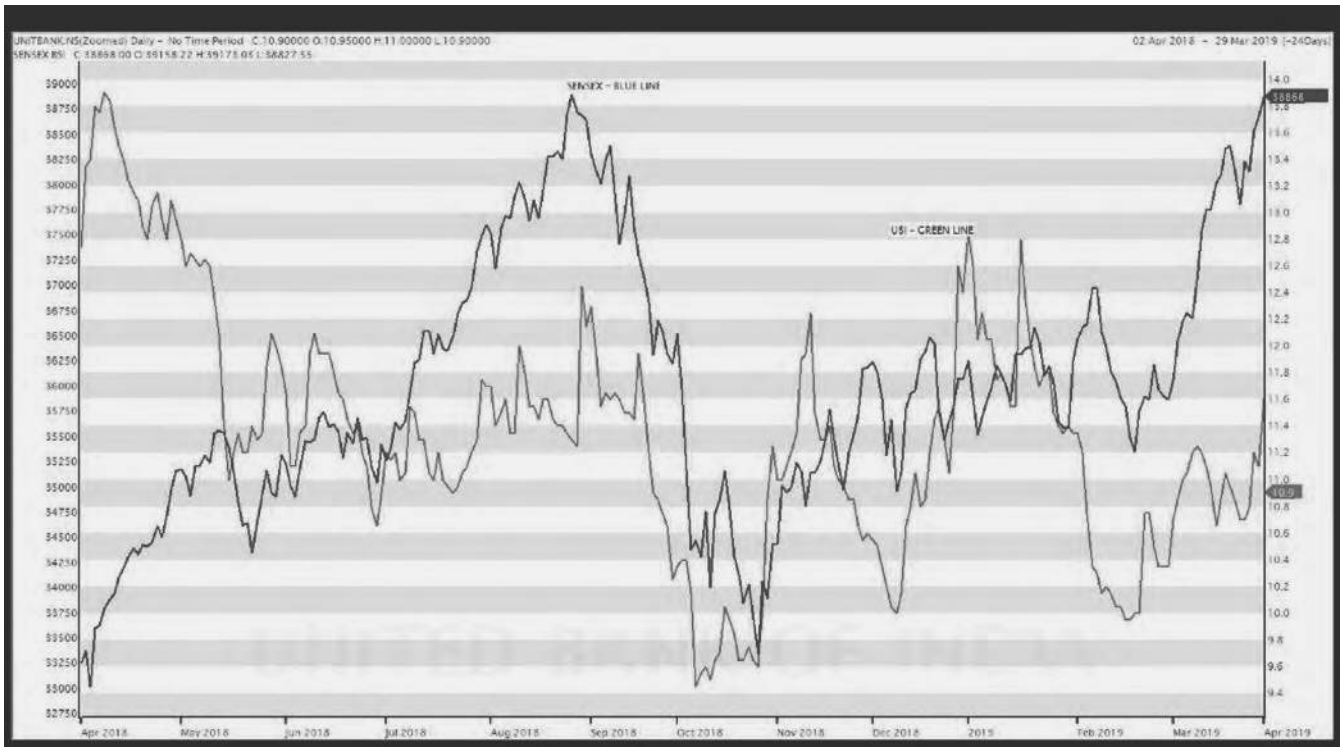
वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए बैंक की प्रतिभूतियों से संबंधित वार्षिक सूचीकरण शुल्क का भुगतान बीएसई और एनएसई दोनों को देय तिथि के भीतर किया गया है।

8.5. बाज़ार मूल्य डाटा :

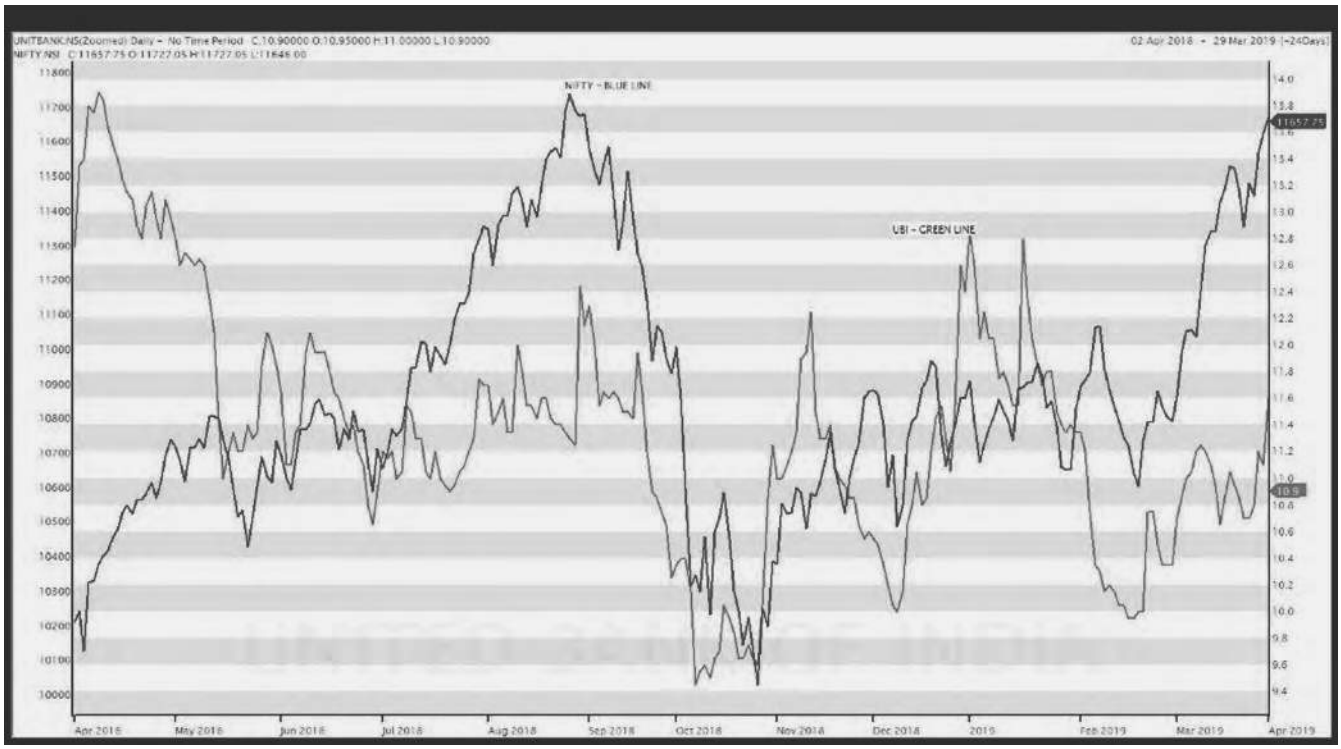
वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान बीएसई और एनएसई में बैंक के इक्विटी शेयर का मासिक उच्च और निम्न बाजार मूल्य-

क्र.सं	बीएसई				एनएसई			
	उच्च		निम्न		उच्च		निम्न	
1.	6-अप्रैल-18	14.80	23-अप्रैल-18	12.55	10-अप्रैल-18	14.05	23-अप्रैल-18	12.40
2.	2-मई-18	13.45	16-मई-18	10.50	2-मई-18	13.15	16-मई-18 17-मई-18	10.85
3.	13-जून-18	12.30	27-जून -18	10.59	13-जून-18	12.40	27-जून-18 28-जून-18	10.65
4.	9-जुलाई-18	12.00	23-जुलाई-18	10.80	9-जुलाई-18	11.95	5-जुलाई-18	10.50
5.	30-अगस्त-18	12.79	2-अगस्त-18 29-अगस्त-18	11.25	30-अगस्त-18	12.80	2-अगस्त-18	11.00
6.	18-सितम्बर-18	12.83	28-सितम्बर-18	10.21	18-सितम्बर-18	12.90	28-सितम्बर-18	10.10
7.	31-अक्टूबर-18	11.50	8-अक्टूबर-18	09.05	31-अक्टूबर-18	11.70	8-अक्टूबर-18	08.90
8.	13-नवम्बर-18	12.80	30-नवम्बर-18	10.44	13-नवम्बर-18	13.30	29-नवम्बर-18 30-नवम्बर-18	10.45
9.	28-दिसम्बर-18	12.85	11-दिसम्बर-18	09.72	28-दिसम्बर-18	13.20	10-दिसम्बर-18	09.55
10.	1-जनवरी-19	13.25	28-जनवरी-19	11.00	16-जनवरी-19	13.20	29-जनवरी-19	11.20
11.	1-फरवरी-19	11.74	18-फरवरी-19	09.81	1-फरवरी-19	11.75	18-फरवरी-19	09.80
12.	12-मार्च-19	11.49	1-मार्च-19	10.35	12-मार्च-19	11.50	1-मार्च-19	10.30

8.6. बीएसई सेनसेक्स और एनएसई निफ्टी की तुलना में स्टॉक निष्पादनः



सेनसेक्स के साथ



निफ्टी के साथ

8.7. रजिस्ट्रार और शेयर ट्रांसफर एजेंटः

मेसर्स. लिंक इनटाइम इंडिया (प्रा.) लि	
कॉरपोरेट कार्यालयः	**स्थानीय कार्यालयः**
सी 101, 247 पार्क, एलबीएस मार्ग,	59 सी, चौरंगी रोड, 3रा तल
विक्रोली वेस्ट, मुंबई 400 083	कोलकाता 700020
दूरभाष : (022) 4918 6000	दूरभाषः (033) 2289 0540
फैक्स : (022) 4918 6060	फैक्सः (033) 2289 0539
ईमेलः mumbai@linkintime.co.in	ई मेलः kolkata@linkintime.co.in

8.8. **शेयर अंतरण प्रणाली :**

शेयर अंतरण, हस्तांतरण, अमूर्तीकरण और पुर्नमूर्तीकरण के संबंध में सभी अनुरोधों पर प्रत्यायोजित प्राधिकार के अनुसार 15 दिनों के निर्धारित समय सीमा के भीतर बैंक के रजिस्ट्रार और शेयर अंतरण एजेंट द्वारा कार्रवाई की जाती है। उक्त सभी अंतरण, हस्तांतरण, अमूर्तीकरण और पुर्नमूर्तीकरण के संबंध में बोर्ड/हितधारक संपर्क समिति को रिपोर्ट की जाती है।

8.9. 31 मार्च, 2019 को शेयरधारण का वितरण :

शेयरधारकों के शेयर		शेयरधारकों की संख्या	शेयरधारकों का %	शेयर	शेयर पूँजी का %
से	**तक**				
1	500	73827	71.3553	11673035	0.1572
501	1000	10737	10.3775	9276242	0.1249
1001	2000	6560	6.3404	10580123	0.1424
2001	3000	2402	2.3216	6223853	0.0838
3001	4000	3513	3.3954	13644708	0.1837
4001	5000	2860	2.7642	13959264	0.1879
5001	10000	2372	2.2926	17164024	0.2311
10001	इससे अधिक	1193	1.1530	7345398435	98.8890
	कुल	**103464**	**100.0000**	**7427919684**	**100.0000**

8.9.1. स्वामित्व का वितरण :

	श्रेणी	धारित शेयरों की संख्या	शेयरधारण का प्रतिशत
क.	**प्रमोटर की धारिता**		
	प्रमोटर (भारत सरकार)	7,19,27,25,543	96.83
	उपयोग	**7,19,27,25,543**	**96.83**
ख.	**गैर-प्रमोटरों की धारिता**		
	संस्थागत निवेशक		
	क) म्यूचुअल फंड एवं यूटीआई	118	0.00
	ख) वेंचर पूंजी निधि	1,07,66,581	0.15
	घ) बैंकों/वित्तीय संस्थानों	74,49,217	0.10
	ड.) बीमा कंपनियों	9,47,78,585	1.28
	उपयोग	**11,29,94,501**	**1.53**

	श्रेणी	धारित शेयरों की संख्या	शेयरधारण का प्रतिशत
ग.	**अन्य**		
	क) आरबीआई के पास पंजीकृत एनबीएफसी	51,811	0.00
	ख) भारतीय जनता / एचयूएफ	7,96,17,498	1.07
	ग) कॉरपोरेट निकाय	77,13,230	0.10
	घ) समाशोधन सदस्य	19,17,881	0.03
	ङ) एनआरआई	32,19,119	0.04
	च) ट्रस्टी	47,161	0.00
	छ) कर्मचारी	2,96,32,940	0.40
	उपयोग	**12,21,99,640**	**1.64**
	कुल योग (क)+(ख)+(ग)	**7,42,79,19,684**	**100.00**

8.9.2. वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान पूंजी संरचना में परिवर्तन :

- 15 मई, 2018 को बैंक ने वित्तीय वर्ष 2017-18 में केंद्र सरकार द्वारा ₹2634 करोड़ की इक्विटी पूंजी जुटाने के उद्देश्य से भारत के राष्ट्रपति, कृते भारत सरकार को आवंटित करने के लिए प्रस्तावित कुल 1,44,56,64,105 इक्विटी शेयरों में से 74,87,637 इक्विटी शेयरों को आवंटित किया, जो प्राधिकृत पूंजी में हेडरूम की अपर्याप्तता के कारण आवंटित नहीं की जा सकी थी। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बैंक की प्राधिकृत पूंजी को ₹3000 करोड़ से बढ़ाकर ₹5000 करोड़ कर दिया गया।
- 13 सितंबर, 2018 को बैंक ने युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया कर्मचारी शेयर खरीद योजना, 2018 ("युबीआई-ईएसपीएस 2018") के तहत बैंक के पात्र कर्मचारियों को 2,92,02,589 इक्विटी शेयर आवंटित किया।
- 11 फरवरी, 2019 को बैंक ने केंद्र सरकार से ₹2159 करोड़ की इक्विटी पूंजी जुटाने के उद्देश्य से भारत के राष्ट्रपति, कृते भारत सरकार को 1,81,73,40,067 इक्विटी शेयर आवंटित किया।
- 29 मार्च, 2019 को बैंक ने केंद्र सरकार से ₹2839 करोड़ की इक्विटी पूंजी जुटाने के उद्देश्य से भारत के राष्ट्रपति, कृते भारत सरकार को 2,57,38,89,392 इक्विटी शेयर आवंटित किया, जो 31 मार्च, 2019 तक भारत के राष्ट्रपति के डीमैट खाते में क्रेडिट हेतु लंबित थे।

 अधिनियम की धारा 3(2ए) के तहत बैंक के आवेदन (नों) के अनुसरण में, बैंक की प्राधिकृत पूंजी को अधिसूचना द्वारा आधिकारिक राजपत्र में क्रमशः ₹3000 करोड़ से बढ़ाकर ₹5000 करोड़ और इसके पश्चात ₹5000 करोड़ से बढ़ाकर ₹8500 करोड़ कर दिया गया।

8.10. शेयर एवं चलनिधि का अमूर्तीकरण:

बैंक के इक्विटी शेयरों को केवल अमूर्त (डीमैट) रूप में कारोबार करने की अनुमति है और भारत में निक्षेपागार नैशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) और सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज (इंडिया) लिमिटेड (सीडीएसएल) के तहत डीमैट के लिए उपलब्ध हैं। बैंक के सभी प्रमोटर की शेयरधारिता अमूर्त (डीमैट) रूप में है। युबीआई-ईएसपीएस 2018 के तहत जारी इक्विटी शेयर केवल अमूर्त (डीमैट) रूप में आवंटित किए गए थे।

31 मार्च, 2019 तक कुल इक्विटी शेयर पूंजी के लगभग 99.99% का प्रतिनिधित्व करने वाले बैंक के कुल 7,42,78,96,238 इक्विटी शेयरों को अमूर्त (डीमैट) रूप में रखा गया था। 31 मार्च, 2019 तक शेयरधारकों द्वारा धारित प्रत्यक्ष और डीमैट रूप में शेयरों का विवरण निम्नानुसार हैं:

विवरण	शेयरों की सं.	शेयरधारण %
सीडीएसएल*	7255064461	97.67
एनएसडीएल	172831777	2.33
प्रत्यक्ष	23446	0.00
कुल	**7427919684**	**100.00**

*2,57,38,89,392 इक्विटी शेयर 29 मार्च 2019 को अमूर्त (डीमैट) रूप में भारत के राष्ट्रपति को आवंटित किया गया, जो 31 मार्च, 2019 तक आवंटितकर्ता के डीमैट खाते केडिट के लिए लंबित था।

8.11. बकाया जीडीआर /एडीआर /वारंट /परिवर्तनीय उपकरणों, रूपांतरण की तारीख और संभावित प्रभाव:

बैंक ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कोई जीडीआर /एडीआर/वारंट या परिवर्तनीय उपकरणों को जारी नहीं किया है।

8.12. बैंक वस्तु के साथ सौदा नहीं करता इसलिए वस्तुओं के मूल्य जोखिम से संबंधित प्रकटीकरण और वस्तु की बचाव व्यवस्था कार्यकलाप की आवश्यकता नहीं है। सामान्य व्यवसाय के दौरान विदेशी विनिमय निवेश को बैक के द्वारा बचाव किया गया है। वृद्धिशील प्रावधान बनाया गया है तथा अरक्षित विदेशी विनिमय निवेश के लिए दिनांक 31.03.2019 तक पूंजी उपलब्ध करायी गयी है।

8.13. संयन्त्र स्थानः

बैंक एक विनिर्माण संस्था नहीं है, इसलिए यह किसी भी संयन्त्र का संचालन नहीं करता है।

8.14. बैंक के साथ पत्राचार हेतु पताः

कंपनी सचिव एवं अनुपालन अधिकारी
युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
युनाइटेड टावर, 11 हेमंत बसु सरणी,
कोलकाता 700001
ईमेल : investors@unitedbank.co.in

8.15. इसके अलावा संशोधन सहित बैंक द्वारा प्राप्त क्रेडिट रेटिंग की सूची:

क्र. सं.	बॉण्ड का विवरण	जारी राशि (₹/करोड़)	तक रेटिंग 01.04.2018	वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान केडिट रेटिंग में परिवर्तन, यदि कोई हो	तक रेटिंग 31.03.2019	टिप्पणी
1.	9.30% लॉवर टियर-II (सीरिज-VI) बेसल I	250.00	केयर द्वारा ए + एवं इक्रा द्वारा ए +	--	अप्रयोज्य	25.03.2019 को परिपक्व
2.	9.20% लॉवर टियर-II (सीरिज-VII) बेसल II	200.00	केयर द्वारा ए + एवं क्रिसिल द्वारा एए -	रेटिंग को क्रिसिल एए से क्रिसिल ए+/स्थायी डाउनग्रेड करना, दिनांक 26.02.2019	केयर द्वारा ए + एवं इक्रा द्वारा ए +	--
3.	9.27% आईपीडीआए-टियर I (सीरिज-I) बेसल II	300.00	केयर द्वारा ए - एवं क्रिसिल द्वारा ए	रेटिंग को क्रिसिल ए से क्रिसिल ए-/स्थायी डाउनग्रेड करना, दिनांक 26.02.2019	केयर द्वारा ए - एवं क्रिसिल द्वारा ए -	--
4.	8.75% लॉवर टियर-II (सीरिज-VIII) बेसल III	500.00	ब्रिकवर्क द्वारा ए + एवं क्रिसिल द्वारा ए एए -	रेटिंग को क्रिसिल एए- से क्रिसिल ए+/स्थायी डाउनग्रेड करना, दिनांक 26.02.2019	ब्रिकवर्क द्वारा ए + एवं क्रिसिल द्वारा ए +	--
5.	11.95% एटी-1 (सीरिज-I) बेसल III	150.00	इंडिया रेटिंग द्वारा बीबीबी	--	अप्रयोज्य	11.04.2018 को अपील
6.	12.00% एटी-1 (सीरिज-II) बेसल III	200.00	ब्रिकवर्क द्वारा ए-	--	अप्रयोज्य	11.04.2018 को अपील
7.	9.00% लॉवर टियर-II (सीरिज-IX) बेसल III	500.00	ब्रिकवर्क द्वारा ए + एवं क्रिसिल द्वारा एए -	रेटिंग को क्रिसिल एए- से क्रिसिल ए+/स्थायी डाउनग्रेड करना, दिनांक 26.02.2019	ब्रिकवर्क द्वारा ए + एवं क्रिसिल द्वारा ए +	--
8.	10.50% लॉवर टियर-II (सीरिज-X) बेसल III	150.00	क्रिसिल द्वारा एए -	रेटिंग को क्रिसिल एए- से क्रिसिल ए+/स्थायी डाउनग्रेड करना, दिनांक 26.02.2019	क्रिसिल द्वारा ए +	--
9.	9.05% लॉवर टियर-II (सीरिज-XI) बेसल III	340.00	क्रिसिल द्वारा एए -	रेटिंग को क्रिसिल एए- से क्रिसिल ए+/स्थायी डाउनग्रेड करना, दिनांक 26.02.2019	क्रिसिल द्वारा ए +	--

क्र. सं.	बॉण्ड का विवरण	जारी राशि (₹/करोड़)	01.04.2018 तक रेटिंग	वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान केडिट रेटिंग में परिवर्तन, यदि कोई हो	31.03.2019 तक रेटिंग	टिप्पणी
10.	10.95% एटी-1 (सीरिज-III) बेसल III	490.00	क्रिसिल द्वारा बीबीबी +	--	अप्रयोज्य	11.04.2018 को अपील
11.	11.00% एटी-1 (सीरिज-IV) बेसल III	100.00	क्रिसिल द्वारा बीबीबी +	--	अप्रयोज्य	11.04.2018 को अपील
12.	दीर्घकालिक जारीकर्ता की रेटिंग	--	इंडिया रेटिंग एवं रिसर्च द्वारा एए -	इंडिया रेटिंग एवं रिसर्च द्वारा एए, दिनांक 07.12.2018	इंडिया रेटिंग एवं रिसर्च द्वारा एए-	--

9. अन्य प्रकटीकरण:

9.1. संभावित विवाद के साथ वास्तव में महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी लेन देन का प्रकटीकरण:

किसी भी महत्वपूर्ण संबंधित पार्टी लेन देन में संभावित विवाद नहीं हुआ है। बैंक में संबंधित पार्टी लेन देन भारतीय रिजर्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसरण में नियंत्रित किया जाता है। सूचीकरण विनियमन के अनुसार बैंक ने संबंधित पक्ष के लेन देन के बारे में नीति बनायी है जो समुचित रिपोर्टिंग, उक्त लेन देन के अनुमोदन एवं प्रकटीकरण को भी सुनिश्चित करेगा।

9.2. लंबित मामलों का प्रकटीकरण/गैर- अनुपालन की घटनाएं:

धारा 47(ए)(1)(सी) के तहत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 46(4)(i) के साथ पढ़ी जाए, भारतीय रिज़र्व बैंक ने गैर-अनुपालन और नियत समय पर कार्यान्वयन एवं स्विफ्ट संबंधित परिचालन नियंत्रणों को मजबूत करने हेतु दिनांक 20 फरवरी, 2018 के आरबीआई के परिपत्र में निहित निर्देशों का उल्लघंन के लिए बैंक को कुल ₹30 मिलियन का जुर्माना लगाया है।

उपर्युक्त के अलावा, पिछले तीन (3) वर्षों के दौरान पूंजी बाजार से संबंधित किसी मामले पर किसी स्टॉक एक्सचेंज या सेबी या किसी सांविधिक या नियामक प्राधिकरण द्वारा बैंक पर कोई जुर्माना या रोक नहीं लगाई।

9.3. सतर्कता तंत्र/ व्हिसल ब्लोअर नीति का विवरण:

बैंक की एक उत्कृष्ट व्हिसेल ब्लोअर नीति है और इस संबंध में सभी कर्मचारियों को व्हिसेल ब्लोइंग द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है। बैंक के कर्मचारियों को लेखा परीक्षा समिति के अध्यक्ष से मिलने के लिए यथोचित पहुँच है।

9.4. अनिवार्य /गैर-अनिवार्य (विवेकाधीन) अपेक्षाओं का अनुपालन:

बैंक ने सूचीकरण विनियम में प्रदत्त सभी लागू अनिवार्य अपेक्षाओं का अनुपालन किया है। इस रिपोर्ट के खंड 11 के अंतर्गत विवेकाधीन अपेक्षाओं के कार्यान्वयन की सीमा प्रदान की गई है।

9.5. वेब लिंक:

9.5.1. बैंक की कोई सहायक कंपनी नहीं है इसलिए इस संबंध में किसी भी नीति निर्माण की आवश्यकता नहीं है।

9.5.2. संबंधित पक्ष लेन-देन नीति के लिए वेब लिंक है –

http://www.unitedbankofindia.com/uploads/Related_Party_Transactions_Policy.pdf

9.6. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान जुटायी गई निधि के सदुपयोग का ब्यौरा:

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान बैंक ने ₹5028.81 करोड़ की इक्विटी पूंजी जुटाया है जिसमें अर्थात कर्मचारी शेयर खरीद योजना द्वारा ₹30.81 करोड़ और तरजी आधारित आवंटन के माध्यम से ₹2159 करोड़ और ₹2839 करोड़ है। फंडों को बेसल व्यवस्था के तहत बैंक की पूंजी स्थिति को बढ़ाने और इसके दीर्घकालिक कारोबार योजनाओं के अनुरूप व्यवसाय विस्तार के लिए जुटाया गया। उसका उपयोग उस उद्देश्य के लिए किया गया जिसके लिए वह जुटाया गया था।

9.7. समीक्षाधीन वर्ष के दौरान ऐसा कोई घटना रिपोर्ट नहीं की गई है जहां बोर्ड ने बोर्ड की मंजूरी के लिए प्रस्तुत की गई किसी बोर्ड समिति की कोई सिफारिश को स्वीकार नहीं किया है।

9.8. मेसर्स टी चटर्जी एंड एसोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेकेटरीज़ ने पुष्टि की है कि बोर्ड /कॉरपोरेट मामले मंत्रालय या किसी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा बैंक के निदेशक के रूप में नियुक्त या जारी रखने के लिए बैंक के निदेशक मंडल के किसी निदेशक को विमुक्त या अयोग्य घोषित नहीं किया है।

9.9. वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान प्रदत्त सभी सेवाओं के लिए सांविधिक लेखा परीक्षकों (सांविधिक शाखा लेखा परीक्षकों सहित) को भुगतान की गई कुल शुल्क /देय की कुल राशि ₹12.31 करोड़ होगी।

9.10. आंतरिक शिकायत समिति के माध्यम से बैंक ने यौन उत्पीड़न के खिलाफ शिकायतों के निवारण के लिए एक उपयुक्त तंत्र स्थापित किया है। बैंक ने कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के तहत आंतरिक शिकायत समिति के गठन से संबंधित प्रावधानों का अनुपालन किया है। ऐसी समिति बैंक के सभी क्षेत्रीय कार्यालयों और प्रधान कार्यालय में कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के कार्यान्वयन की देखरेख करती हैं। वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान इन समिति द्वारा प्राप्त शिकायतों की स्थिति निम्नलिखित हैं:

क्र.सं.	विवरण	स्थिति
(क)	वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान दर्ज की गई शिकायतों की संख्या	2
(ख)	वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान निपटान की गई शिकायतों की संख्या	1
(ग)	वित्तीय वर्ष 2018-19 के समाप्ति पर लंबित शिकायतों की संख्या	1

*वित्तीय वर्ष 2018-19 के समाप्ति पर लंबित एक शिकायत 31 मार्च, 2019 तक प्रक्रियाधीन था।

9.11. सूचीकरण विनियम की अनुसूची V के भाग ग के उप पैरा (2) से (10) तक कंपनी अभिशासन रिपोर्ट के लिए किसी आवश्यकता का गैर-अनुपालन नहीं हुआ है।

9.12. बैंक एक निगमित निकाय होने के नाते सेबी के सूचीकरण विनियम 46 में विनिर्दिष्ट उप विनियमन (2) के विनियमन के 15 (2) (बी), और खंड (बी) से (i) उप विनियमन (2) को 1727 के संबंध में कंपनी अभिशासन आवश्यकताओं का पालन किया है।

10. डिमैट उचंत खाता/ अदावी उचंत खाते के तहत धारित शेयर

वर्ष के प्रारंभ में शेयरधारकों की सं.	वर्ष के प्रारंभ में शेयरों की सं.	अंतरण के लिए प्रस्ताव देने वाले शेयरधारकों की सं.	शेयर अंतरित किए गए धारकों की सं	वर्ष के अंत में शेयर धारकों की सं	वर्ष के अंत में शेयरों की सं.
39	4762	0	0	39	4762

10.1. उचंत खाते के शेयर के संबंध में वोट डालने के अधिकार को अवरोधित किया गया है।

11. गैर-जरूरी आवश्यकताएं:

11.1. बोर्ड:

सरकार द्वारा गैर कार्यपालक अध्यक्ष की नियुक्ति बाकी है। बोर्ड के बैठकों की अध्यक्षता प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा की जाती है।

11.2. शेयरधारकों का अधिकार:

तिमाही और वार्षिक परिणाम समाचारपत्रों में प्रकाशित की गयी है, बैंक की वेबसाइट और स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गयी है।

11.3. लेखा परीक्षा रिपोर्ट में संशोधन विकल्प:

वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए लेखा परीक्षा रिपोर्ट में संशोधन विकल्प निहित नहीं है।

11.4. आंतरिक लेखा परीक्षक की रिपोर्टिंग:

बैंक के पास आंतरिक लेखा परीक्षा कार्य को चलाने, देखरेख और निगरानी करने के लिए एक स्वतंत्र लेखा परीक्षा एवं निरीक्षण विभाग है। बैंक अपने आंतरिक निरीक्षकों, समवर्ती और राजस्व लेखा परीक्षकों के माध्यम से वर्ष के दौरान आंतरिक लेखा परीक्षा करता है। आंतरिक लेखा परीक्षा और निरीक्षण संबंधी सभी प्रमुख निष्कर्ष बोर्ड की लेखा परीक्षा समिति को सूचित किया जाता है।

कृते निदेशक मंडल

ह/

अशोक कुमार प्रधान
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
डीआईएन: 07748272

दिनांक: 13 मई, 2019, कोलकाता

युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया
प्रधान कार्यालय
11, हेमंत बसु सरणी
कोलकाता - 700 001

आचार संहिता की घोषणा

यह पुष्टि की जाती है कि बैंक ने बोर्ड के सदस्यों तथा स्केल VII, स्केल VI जिनके पास स्वतंत्र प्रभार है एवं कंपनी सचिव रैंक के वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों के लिए आचार संहिता अपनाई है और यह बैंक के वेबसाइट पर उपलब्ध है।

निदेशक मंडल और उपर्युक्त रैंक के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि उनके द्वारा उक्त संहिता का अनुपालन किया जाता है। एतदद्वारा यह घोषित किया जाता है कि बैंक ने बोर्ड के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों से पुष्टि प्राप्त की है कि उन्होंने वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए उक्त संहिता का अनुपालन किया है।

ह/-
अशोक कुमार प्रधान
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
डीआईएन: 07748272

दिनांक : 13 मई, 2019, कोलकाता

निदेशकों की गैर-अयोग्यता प्रमाण-पत्र

[सेबी के (सूचीकरण दायित्व और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 34 (3) और अनुसूची V के अनुच्छेद सी के खंड (10) (i) के अनुसरण में]

सेवा में
सदस्यगण, **युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया**

हमने युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया जिसका प्रधान कार्यालय **"युनाइटेड टावर्स" 11 हेमंत बसु सरणी, कोलकाता 700001 में है एवं बीएसई लिमिटेड., स्क्रिप कोड: 533171 एवं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड स्क्रिप कोड: UNITEDBNK** (इसके बाद "बैंक" के रूप में संदर्भित), निदेशकों द्वारा दिए गए अद्यतन कार्यवृत्तों, बहियों, अभिलेखों, उद्घोषणाओं एवं प्रकटीकरण का परीक्षण किया है। जिसे बैंक द्वारा हमारे समक्ष **भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सूची निर्धारण और प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 (समय-समय पर संशोधित)** नियमन 34 (3) के साथ पठित अनुसूची V अनुच्छेद-सी उप खंड 10 (i) के अनुसार प्रमाण पत्र जारी करने के उद्देश्य से प्रस्तुत किया गया है।

हमारी राय में और धारणाओं, सूचनाओं तथा सत्यापन के अनुसार निदेशकों की पहचान संख्या (डीआईएन सहित) www.mca.gov.in पर संबंधित निदेशकों की) स्थिति यथावश्यक, लिखित प्रकटीकरण एवं घोषणा संबंधित निदेशकों द्वारा दिए गए घोषणा के अनुसार, हम इस बात को प्रमाणित करते हैं कि भारतीय कॉरपोरेट मामलों का मंत्रालय, या कोई अन्य वैधानिक प्राधिकरण के अनुसार प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा 31 मार्च, 2019 को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष के लिए बैंक के निदेशक मंडल में से कोई भी बैंक के निदेशकों के रूप में नियुक्त होने या जारी रखने से वंचित या अयोग्य घोषित नहीं किया गया है।

बोर्ड में निदेशक के रूप में नियुक्ति / निरंतरता के लिए पात्रता सुनिश्चित करना बैंक के प्रबंधन का दायित्व है। हमारा दायित्व संबंधित निदेशकों द्वारा किए गए हमारे सत्यापन और प्रकटीकरण के आधार पर एक राय व्यक्त करना है।

कृते टी. चट्टर्जी एण्ड एसोसिएट्स
एफआरएन सं. - P2007WB067100

ह/-
बिनीता पांडे
भागीदार
सदस्यता सं: 41594
सीओपी सं. 19730

दिनांक : 13 मई, 2019, कोलकाता

निदेशक मंडल
युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया
प्रधान कार्यालय
11, हेमन्त बसु सरणी
कोलकाता - 700001

सीईओ-सीएफओ का प्रमाण पत्र

हम प्रमाणित करते हैं कि –

क. हमने अपनी अन्यतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों एवं नकदी प्रवाह विवरणी की समीक्षा कर ली है:

1. इन विवरणों में किसी तरह की गलत बयानी या असत्य तथ्यात्मक विवरण नहीं दिए गए हैं, न ही कोई तथ्यात्मक विवरण छोड़ा गया है और न ही कोई ऐसा विवरण दिया गया है जो गुमराह करने वाला हो।
2. इन विवरणों में बैंक के कार्यकलापों को सही एवं साफ सुथरे रूप में प्रस्तुत किया गया है तथा इसमें मौजूदा लेखा मानकों, लागू कानूनों तथा विनियमों का अनुपालन किया गया है।

ख. हमारी अन्यतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार पूरे वर्ष के दौरान बैंक ने ऐसा कोई लेनदेन नहीं किया जो कपटपूर्ण हो, गैर कानूनी हो या जिसमें बैंक की आचार संहिता का उल्लंघन किया गया हो।

ग. हम बैंक की वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु आंतरिक नियंत्रणों को स्थापित एवं रखरखाव करने और उसकी प्रभावकारिता का मूल्यांकन करने की जवाबदेही स्वीकार करते हैं और आंतरिक नियंत्रण के अभिकलन और परिचालन की कमियां, अगर कोई है, जिससे हम अवगत हैं और उन कमियों को सुधारने हेतु हमारे द्वारा उठाए या प्रस्तावित किए गए कदम को लेखा परीक्षकों और लेखा परीक्षा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया है।

घ. हम अपने अन्यतम मूल्यांकन, जहां कहीं लागू हो, के आधार पर इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि:

1. इस वर्ष वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक नियंत्रण में कोई महत्तवपूर्ण परिवर्तन नहीं किया गया है।

2. इस वर्ष लेखा नीतियों में कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन नहीं किया गया है।

ङ. हम पुनः पुष्टि करते हैं कि हमारे समक्ष आए हुए उल्लेखनीय धोखाधड़ी के मामले को हमने लेखा परीक्षकों और लेखा परीक्षा समिति के ध्यान में लाया है। वर्ष के दौरान धोखाधड़ी का कोई मामला नहीं हुआ जिसमें वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले प्रबंधन या कोई कर्मचारी शामिल हो।

ह/-

अश्विनी कुमार झा
मुख्य वित्तीय अधिकारी

ह/-

अशोक कुमार प्रधान
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी
डीआईएन : 07748272

दिनांक : 13 मई, 2019, कोलकाता

कंपनी अभिशासन पर लेखापरीक्षकों का प्रमाण पत्र

सेवा में,

युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया के सदस्यगण

हमने 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया द्वारा सेबी (सूचीकरण बाध्यताएं और प्रकटीकरण अपेक्षाएं) विनियमन, 2015 के विनियमन 17 से 27, विनियमन 46(2) का खण्ड (बी) से (आई) और अध्याय V के पैराग्राफ सी, डी एवं ई में निर्धारित कंपनी अभिशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच उस सीमा तक कर ली है, जिसमें यह बैंकिंग विनियमन अधिनियम, बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं स्थानांतरण) अधिनियम, 1970 एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशानिर्देशों /निदेशों की अवहेलना नहीं करता है।

कंपनी अभिशासन की शर्तों का अनुपालन का उत्तरदायित्व प्रबंधन का है। हमारी जांच, कंपनी अभिशासन की शर्तों, जैसा कि उक्त विनियमन और दिशा-निर्देशों में निर्धारित है, का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए बैंक द्वारा अपनाई गई प्रक्रियाओं और कार्यान्वयन तक सीमित था। यह न तो कोई लेखा परीक्षा है और न ही बैंक की वित्तीय विवरणों पर हमारी राय की अभिव्यक्ति है।

हमने भारतीय सनदी लेखाकार संस्था द्वारा जारी प्रतिवेदन पर मार्गदर्शी टिप्पण या विशेष उद्देश्य हेतु प्रमाण पत्र के अनुसार बैंक के प्रासंगिक अभिलेखों का परीक्षण किया है। हमारे अभिमत में तथा प्राप्त सूचना एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, हम प्रमाणित करते हैं कि बैंक ने कंपनी अभिशासन की शर्तों का सेबी सूचीकरण विनियमों की सीमा तक अनुपालन किया है, जो बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, बैंकिंग कंपनियाँ (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं स्थानांतरण) अधिनियम 1970, एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी मार्ग-निदेशों एवं निदेशों की अवहेलना नहीं करता है।
हम इस तथ्य का भी उल्लेख करते हैं कि यह अनुपालन न तो बैंक की भावी संभाव्यता का आश्वासन और न ही इसकी दक्षता या प्रभावशीलता का, जिसकी बदौलत प्रबंधन ने बैंक के काम-काज का संचालन किया है।

कृते टी. चट्टर्जी एण्ड एसोसिएट्स
एफआरएन सं. - P2007WB067100

ह/-
बिनीत पांडे
भागीदार
सदस्यता सं: 41594
सीओपी सं. 19730

दिनांक : 13 मई, 2019, कोलकाता

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में,

भारत के माननीय राष्ट्रपति/युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया के सदस्यगण

वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा पर रिपोर्ट

अभिमत

1. हमने युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया (बैंक) के वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2019 को समाप्त तुलन पत्र, लाभ और हानि का विवरण और समाप्त वर्ष के नकदी प्रवाह विवरण के साथ-साथ महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी के सारांश को समाहित करते हुए वित्तीय विवरणों की टिप्पणियों को शामिल किया गया है, जिसमें हमारे द्वारा लेखापरीक्षा किए गए 20 शाखाओं और ट्रेजरी परिचालन तथा सांविधिक शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षित 942 शाखाएं / खुदरा केन्द्रों जिसमें 1 केन्द्रीय भुगतान हब, 1 केन्द्रीय पेंशन प्रसंस्करण केन्द्र और 1 आवक समाशोधन प्रसंस्करण केन्द्र की उसी तारीख को समाप्त वर्ष की विवरणियां भी शामिल हैं। हमारे द्वारा और दूसरे लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा किए गए शाखाओं का चयन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक को दिए गए दिशानिर्देशों के अनुरुप किया गया है। 36 क्षेत्रीय कार्यालयों, 1087 शाखाओं, 3 कर्मचारी प्रशिक्षण महाविद्यालयों, 1 सीएमएस और प्रधान कार्यालय के 1 डाटा सेंटर, जिनके लिए लेखापरीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है, उनसे प्राप्त लाभ और हानि के विवरण और नकदी प्रवाह के विवरण को भी तुलन पत्र में शामिल किया गया है। इन गैर-लेखापरीक्षित शाखाओं में सकल अग्रिम का 9.97%, जमाराशि का 29.81%, ब्याज आय का 5.69% और ब्याज व्यय का 30.26% निहित है।

2. हमारे अभिमत में और हमारी पूरी जानकारी तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुरूप, उपर्युक्त वित्तीय विवरणियां बैंक के लिए यथा आवश्यक और आमतौर पर भारत में स्वीकार किए जाने वाले लेखांकन सिद्धांतों और अनुरूपता के तौर पर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 द्वारा अपेक्षित सूचना प्रदान करती हैं और निम्नलिखित तथ्य को उजागर कराती हैं:

 क. 31 मार्च, 2019 तक बैंक के मामलों की स्थिति के तुलन पत्र के संदर्भ में वास्तविक एवं निष्पक्ष दृष्टिकोण;

 ख. उसी तारीख को समाप्त वर्ष के लाभ और हानि लेखा के मामले में हानि का सटीक संतुलन; और

 ग. उसी तारीख को समाप्त वर्ष के नकदी प्रवाह विवरण के मामले में सटीक और निष्पक्ष दृष्टिकोण।

अभिमत का आधार

3. हमने हमारी लेखापरीक्षा आईसीएआई द्वारा लेखापरीक्षा के संबंध में जारी मानकों (एसएएस) के अनुरुप पूरी की है। उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियां हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरणों की लेखापरीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियां खंड में आगे उल्लिखित की गई हैं। भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा वित्तीय विवरणियों के संबंध में हमारी लेखापरीक्षा से संबंधित नैतिक आवश्यकताओं से साथ जारी किए गए आचार संहिता के अनुसार हम बैंक में स्वतंत्र हैं और हमने इन आवश्यकताओं तथा आचार संहिता के अनुरूप अपने अन्य नैतिक जिम्मेवारियों को पूरा किया है। हमें विश्वास है कि लेखापरीक्षा के संबंध में हमें प्राप्त हुए साक्ष्य हमारा आधारभूत अभिमत प्रस्तुत करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

प्रमुख लेखा परीक्षा मामले

4. प्रमुख लेखापरीक्षा मामले वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों के हमारे लेखा परीक्षा में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को समग्र रूप से वित्तीय विवरणों के हमारे लेखापरीक्षा और उसके बाद हमारा अभिमत निर्धारित करने के संदर्भ में संबोधित किया गया था, और हम इन मामलों में कोई पृथक अभिमत प्रस्तुत नहीं करते हैं। हमने अपनी रिपोर्ट में प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमुख लेखापरीक्षा के निम्नलिखित मामलों को निर्धारित किया है।

प्रमुख लेखापरीक्षा मामले	लेखापरीक्षकों की प्रतिक्रिया
अग्रिमों के संबंध में आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण अग्रिमों में बैंक की संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा शामिल है और चूंकि प्रबंधन परिसंपत्ति वर्गीकरण और प्रावधान में महत्वपूर्ण निर्णय लेता है, इसलिए इसे हमारे द्वारा एक महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा मामले के रूप में माना जाता है। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अग्रिमों से संबंधित आय निर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण पर जारी किए गए विवेकपूर्ण मानदंडों द्वारा बैंकों का परिचालन होता है।	मुख्य नियंत्रणों का प्रभावी परिचालन सुनिश्चित करने और इस संबंध में आरबीआई के दिशानिर्देशों का अनुपालन करने की दिशा में, हमने सत्यापित किया है कि क्या सीबीएस प्रणाली और प्रबंधन दोनों के द्वारा, क. समय पर प्राथमिक और संपार्श्विक प्रतिभूति दोनों के मूल्य में कमी को मान्यता दी गई; ख. आस्ति वर्गीकरण की समय-समय पर निगरानी और पहचान के आधार पर पर्याप्त प्रावधान किए गए।

प्रमुख लेखा परीक्षा मामले	लेखापरीक्षकों की प्रतिक्रिया
बैंक में ऐसे अनर्जक अग्रिमों की पहचान वर्तमान में लागू विभिन्न नियंत्रणों एवं उसमें निहित तर्क वाले फिनैकल नामक कोर बैंकिंग सॉफ्टवेयर (सीबीएस) द्वारा प्रणालीगत पहचान के आधार पर की जाती है। प्रबंधन भी आईआरएसी मानदंडों के पालन में महत्वपूर्ण निर्णय लेता है और आवश्यक मामलों में पर्याप्त प्रावधान करता है।	हमने निम्न प्रक्रियाओं पर भी भरोसा किया है और उसका निष्पादन किया है: क. सांविधिक शाखा लेखापरीक्षकों की स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के साथ-साथ हमारे द्वारा शाखाओं एवं प्रधान कार्यालय की मंजूर की गई सभी एमओसी की समीक्षा तथा उस पर भरोसा किया है। ख. आयनिर्धारण, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण के संबंध में सांविधिक शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा सुझाए गए उन परिवर्तनों को उपयुक्त तरीके से निपटान सुनिश्चित किया है।

वित्तीय विवरण और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

5. बैंक का निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं के लिए जिम्मेवार है। अन्य सूचनाओं में वार्षिक रिपोर्ट में शामिल सूचना का उल्लेख रहता है, लेकिन वित्तीय विवरणियां और उस पर हमारी लेखापरीक्षा की रिपोर्ट निहित नहीं होती हैं। हमें वार्षिक रिपोर्ट संभावित तौर पर इस लेखापरीक्षा की रिपोर्ट की तारीख के बाद प्राप्त होती है।

 वित्तीय विवरणियों पर दिए गए हमारे अभिमत में अन्य सूचनाएं शामिल नहीं होती हैं और हम उस पर किसी भी प्रकार का आश्वासन या निष्कर्ष प्रदान नहीं करेंगे।

 वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा के संबंध में हमारी जिम्मेवारी ऊपर दर्शाये गए अन्य सूचनाओं, जब भी उन्हें उपलब्ध कराया जाए, उसे पढ़ना है और ऐसा करते समय, यह विचार करना है कि क्या अन्य सूचनाएं वित्तीय विवरणियों या लेखापरीक्षा में प्राप्त हमारी जानकारी के साथ वास्तविक रूप से असंगत है या नहीं और अन्यथा रुप से गलत प्रतीत होती है या नहीं।

 वार्षिक रिपोर्ट को पढ़ते समय, यदि हमें लगता है कि इसमें कोई सामग्री गलत है तो, इस मामले की जानकारी इससे संबंधितों को देना तथा भारतीय रिज़र्व बैंक तथा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) को इसकी सूचना देना हमारे लिए अपेक्षित हो जाता है।

वित्तीय विवरणियों से संबद्ध प्रबंधन तथा अभिशासन के साथ प्रभारितों की जिम्मेवारियां

6. बैंक का निदेशक मंडल इन वित्तीय विवरणियों को तैयार करने के लिए जिम्मेवार होता है, जो आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानकों, और बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के खंड 29 के प्रावधानों और समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) द्वारा जारी परिपत्रों एवं दिशानिर्देशों समेत भारत में सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखांकन मानकों के अनुरूप बैंक की वित्तीय स्थिति, वित्तीय कार्यनिष्पादन तथा नकदी प्रवाह की वास्तविक एवं निष्पक्ष झांकी प्रस्तुत करते हैं। इस जिम्मेवारी में बैंक में आस्तियों की सुरक्षा और साथ ही धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं से बचने और उसकी पहचान करने; उपयुक्त लेखांकन नीतियों का चयन और लागू करने; निर्णय लेने और उचित और विवेकपूर्ण का आंकलन करने और गठन कार्यान्वयन और पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का रखरखाव करने, वित्तीय विवरणियों को तैयार करने और उसकी प्रस्तुति के लिए प्रभावी रुप से परिचालित प्रांसगिक लेखांकन रिकार्डों की परिशुद्धता और पूर्णता की सुनिश्चित करके एक वास्तविक और निष्पक्ष झांकी प्रस्तुत करने और धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण किसी भी प्रकार की गलत सामग्री से मुक्त रहने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकार्डों का रखरखाव भी शामिल होता है।

 वित्तीय विवरणियों को तैयार करते समय, प्रबंधन की जिम्मेवारी एक निरंतर संस्था के रुप में बने रहने के लिए बैंक की क्षमता का आंकलन करने, जहां लागू हो इससे संबंधित मामलों को उजागर करने और लेखांकन के मूल आधार का उपयोग करने की होती है, जब तक कि प्रबंधन या तो बैंक को बंद करने या संचालन को बंद करने का इरादा रखता है, या ऐसा करने के लिए उसके पास कोई वास्तविक विकल्प नहीं है।

वित्तीय विवरणियों की लेखापरीक्षा के लिए लेखापरीक्षक की जिम्मेवारियां

7. हमारा उद्देश्य वित्तीय विवरणियों के संबंध में यह उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या यह समग्र रुप से, धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण गलत सामग्री से मुक्त है, और एक लेखापरीक्षा की रिपोर्ट जारी करना जिसमें हमारा अभिमत भी शामिल है। उचित आश्वासन एक उच्च स्तरीय आश्वासन है, लेकिन यह इस बात की गारंटी नहीं है कि एसएएस के अनुसार की गई लेखापरीक्षा मौजूद रहने पर किसी भी सामग्री के गलत होने का अनुमान लगाएगा। गलत विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि की वजह से हो सकता है और यह तब सामग्री मानी जाती है जब व्यक्ति या समूह रुप से इन वित्तीय विवरणियों के आधार पर लिए गए उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की उचित अपेक्षा की जा सकती है।

 लेखापरीक्षा के एक हिस्से के रुप में एसएएस के अनुसार, हम पेशेवर निर्णय का उपयोग करते हैं और पूरे लेखापरीक्षा के दौरान पेशेवर संशयात्मकता का निर्वाह करते हैं। हम यह भी:

 - वित्तीय विवरणियों की गलत सामग्री के जोखिम की पहचान और मूल्यांकन करना, फिर चाहे वो धोखाधड़ी के या त्रुटि के कारण हुई हो, उन जोखिमों के प्रति उत्तरदायी लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं को तैयार करना और उन्हें निष्पादित करना, और लेखापरीक्षा का साक्ष्य प्राप्त करना जो हमारे अभिमत का आधार प्रदान करने में पर्याप्त और उचित हो। त्रुटि की तुलना में किसी धोखाधड़ी की वजह से उत्पन्न हुई गलत सामग्री की पहचान ना करने का जोखिम कहीं अधिक होता है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी, या आंतरिक नियंत्रण को समाप्त करना आदि शामिल होते हैं।

- उपयोग किए गए लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और लेखांकन आंकलनों और प्रबंधन द्वारा किए गए संबंधित प्रकटीकरण की तर्कसंगतता का मूल्यांकन करना।
- प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा के साक्ष्य के आधार पर लेखांकन के संबंध में प्रबंधन द्वारा उपयोग किए गए के आधार की उपयुक्तता पर निष्कर्ष देना कि क्या किसी ऐसी घटना या परिस्थिति से संबंधित किसी गलत सामग्री के होने की अनिश्चितता बनी हुई है जिससे निरंतरता बनाए रखने पर बैंक की क्षमता पर संदेह उत्पन्न हो सकता है। यदि हम यह निष्कर्ष देते हैं कि एक सामग्री की अनिश्चितता मौजूद है, या यदि ऐसा प्रकटीकरण हमारे अभिमत में संशोधन करने में अपर्याप्त है तो, हमें वित्तीय विवरणियों में प्रकटीकरण से संबंधित हमारे लेखापरीक्षा की रिपोर्ट में ध्यान देने की आवश्यकता होती है। हमारा निष्कर्ष हमारे लेखापरीक्षा की रिपोर्ट 'की अद्यतन तारीख तक' प्राप्त किए गए लेखापरीक्षा के साक्ष्य पर आधारित होता है। हालांकि, भविष्य की घटनाएं या परिस्थितियां बैंक को बंद करने का कारण हो सकती हैं।
- प्रकटीकरण सहित वित्तीय विवरणियों का समग्र प्रस्तुतिकरण, संरचना और सामग्री समेत इस बात का भी मूल्यांकन करना कि क्या वित्तीय विवरणियां दिए गए लेनदेनों एवं घटनाओं को इस प्रकार प्रस्तुत करती हैं जो एक निष्पक्ष प्रस्तुतिकरण हो।

भौतिकता वित्तीय विवरणियों में व्यक्तिगत रूप से या समग्र रुप से गलत बयानों का परिणाम है, जिससे यह संभावना बनती है कि वित्तीय विवरणों के एक यथोचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम (i) हमारे लेखापरीक्षा कार्य के दायरे की योजना बनाना और हमारे काम के परिणामों का मूल्यांकन करना; तथा (ii) वित्तीय विवरणियों में किसी भी पहचान की गलत स्थिति के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम उनके साथ बातचीत करते हैं जो दूसरे अन्य मामलों, बनाई गई योजना की संभावना और लेखापरीक्षा के समय और महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों समेत आंतरिक नियंत्रण में किसी महत्वपूर्ण कमियां के लिए उत्तरदायी हैं, जिसकी पहचान हमने हमारी लेखापरीक्षा के दौरान की थी।

हमने विवरणी के साथ अभिशासन प्रभारितों को भी उपलब्ध कराया है जिसमें स्वतंत्रता के संबंध में अद्यतन नैतिक दायित्वों का पालन किया है और उन्हें सभी संबंधों और अन्य मामलों को सूचित किया है जिससे, जहां लागू हो संबंधित हितों की सुरक्षा के संबंध में स्वतंत्रता को उचित ढंग से समझा जा सके।

अभिशासन के साथ आरोपित उन मामलों में से, हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा में सबसे अधिक महत्व रखते थे और इसलिए वे प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम अपने लेखापरीक्षा की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन तब तक करते हैं कि जब तक कानून या विनियमन इस मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण नहीं करता है या जब अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में किसी मामले का संप्रेषण नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणामों के लिए यथोचित उम्मीद की जाएगी क्योंकि इससे लोक हित का नुकसान हो सकता है।

अन्य मामला

8. हमने बैंक की वित्तीय विवरणियों में शामिल 942 शाखाओं /कार्यालयों की वित्तीय विवरणियों/ सूचनाओं की लेखा परीक्षा नहीं की है जिनकी वित्तीय विवरणियां/ वित्तीय सूचनाएं उस तारीख को समाप्त वर्ष के 31 मार्च 2019 तक ₹23,975.18 करोड़ की कुल आस्तियों (सकल) एवं ₹1,365.57 करोड़ के कुल राजस्व को प्रदर्शित कर रही हैं, जैसा कि वित्तीय विवरणियों में दर्शाया गया है। इन शाखाओं की वित्तीय विवरणियां/ सूचनाओं की लेखापरीक्षा शाखा के लेखापरीक्षक द्वारा की गई है जिसकी रिपोर्ट हमें प्रस्तुत की गई और हमारे अब तक के अभिमत में इन शाखाओं के संबंध में शामिल राशि एवं प्रकटीकरण का आधार एकमात्र ऐसी शाखा के लेखापरीक्षकों के रिपोर्ट पर आधारित है।

 हमारा अभिमत इस मामले में संशोधित नहीं किया गया है।

9. तुलन पत्र एवं लाभ और हानि लेखा को बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के खंड 29 के अनुरुप तैयार किया गया है;

10. ऊपर 5 से 7 अनुच्छेदों में दर्शाए गए लेखापरीक्षा की सीमाओं के संदर्भ में और जैसा कि बैंकिंग कंपनियों (उपक्रमों का अधिग्रहण और अंतरण) अधिनियम, 1970/1980 में अपेक्षित है, और इसमें आवश्यक प्रकटीकरण की सीमाओं के संदर्भ में भी, हम यह रिपोर्ट करते हैं कि:

 क. हमने ऐसी सभी सूचनाओं एवं स्पष्टीकरण को प्राप्त कर लिया है, जो हमारी पूरी जानकारी और विश्वास के अनुरूप है और जो हमारे लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक था और हमने उन्हें संतोषजनक पाया;

 ख. बैंक के लेनदेन, जो हमारी नजर में आए, वो बैंक की क्षमता में थे; और

 ग. बैंक के कार्यालयों एवं शाखाओं से प्राप्त विवरण लेखापरीक्षा के उद्देश्य से पर्याप्त पाए गए।

11. हम आगे रिपोर्ट करते हैं कि:

 क. हमारे अभिमत में, बैंक में अबतक विधि द्वारा यथापेक्षित तरीके से लेखा बहियों का रखरखाव किया गया है, जैसा कि उन बहियों और उचित विवरणों पर की गई हमारी जांच से पता चलता है, जो हमारे लेखापरीक्षा के उद्देश्यों के लिए हमारे द्वारा दौरा नहीं की गई शाखाओं से प्राप्त किया गया है;

 ख. इस रिपोर्ट से संबंधित तुलन पत्र, लाभ और हानि लेखा और नकदी प्रवाह विवरण का हमारे द्वारा दौरा नहीं की गई शाखाओं से प्राप्त विवरणों तथा लेखा बहियों के साथ समानता है;

ग. बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के खंड 29 के तहत बैंक के शाखा लेखापरीक्षकों द्वारा लेखापरीक्षा की गई शाखा कार्यालयों की लेखा पर रिपोर्ट हमें भेजी गई थी और इस रिपोर्ट को तैयार करते समय उनका उचित तरीके से समायोजन किया गया था; और

घ. हमारे अभिमत में, तुलन पत्र, लाभ और हानि खाता और नकदी प्रवाह विवरण को लेखांकन मानकों के अनुरूप तैयार किया गया है और किसी भी प्रकार से वे आरबीआई द्वारा निर्धारित लेखांकन नीतियों से असंगत नहीं हैं।

अरुण के अग्रवाल एंड एसोसिएट्स	**मुखर्जी बिस्वास और पाठक**	**दिनेश जैन एंड एसोसिएट्स**	**एस बी ए एसोसिएट्स**
सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार
एफआरएनः 003917एन	एफआरएनः 301138ई	एफआरएनः 004885एन	एफआरएनः 308136ई
ह/-	ह/-	ह/-	ह/-
सीए अरुण कुमार अग्रवाल	**सीए शंकर प्रसन्न मुखर्जी**	**सीए नेहा जैन**	**सीए नीलांजना सेन**
भागीदार	भागीदार	भागीदार	भागीदार
सदस्य. सं: 082899	सदस्य. सं: 010807	सदस्य. सं: 514725	सदस्य. सं: 061768

दिनांकः 13 मई, 2019
स्थानः कोलकाता

31 मार्च, 2019 का तुलन–पत्र

एवं

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष का लाभ–हानि लेखा

31 मार्च, 2019 का लेखा परीक्षित तुलन–पत्र

पूंजी एवं देयताएं

(₹ हज़ार में)

पूंजी एवं देयताएं	अनुसूची	31.03.2019 तक (लेखा परीक्षित)	31.03.2018 तक (लेखा परीक्षित)
पूंजी	1	7427 ,91 ,97	3000,00,00
शेयर एप्लीकेशन राशि लंबित आवंटन	1ए	-	13,64,25
प्रारक्षित एवं अधिशेष	2	4070 ,95 ,80	5661,59,34
जमाराशियां	3	134983 ,31 ,51	129326,37,80
उधार राशियां	4	2203 ,71 ,75	3306,05,75
अन्य देयताएं और प्रावधान	5	2844 ,01 ,75	3440,98,44
कुल :		**151529 ,92 ,78**	**144748,65,58**

आस्तियां

	अनुसूची	31.03.2019 तक	31.03.2018 तक
भारतीय रिजर्व बैंक में नकदी एवं जमा राशियां	6	6168 ,88 ,37	6212,13,98
बैंकों में जमा राशियाँ और मांग तथा अल्प सूचना पर प्रतिदेय	7	3494 ,61 ,02	14022,18,39
निवेश	8	60976 ,03 ,43	50401,80,41
अग्रिम	9	66955 ,09 ,74	62490,19,98
अचल आस्तियाँ	10	1240 ,05 ,50	1293,08,85
अन्य आस्तियाँ	11	12695 ,24 ,72	10329,23,97
कुल :		**151529 ,92 ,78**	**144748,65,58**
		-	-
आकस्मिक देयताएं	12	8091 ,52 ,54	7845,02,68
उगाही हेतु बिल		2592 ,13 ,10	3691,03,79

31.03.2019 तक के तुलन पत्र का एक भाग

अशोक कुमार प्रधान
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

संजय कुमार
कार्यपालक निदेशक

अजीत कुमार दास
कार्यपालक निदेशक

समीर कुमार खरे निदेशक | **दिनेश सिंह** निदेशक | **सिद्धार्थ प्रधान** निदेशक | **एस. सूर्यनारायण** निदेशक | **साधना वर्मा** निदेशक

अश्विनी कुमार झा
महाप्रबंधक एवं सीएफओ

परिशिष्ट में दी गई समसंख्यक तारीख की हमारी अलग रिपोर्ट के अनुसार

कृते अरुण के. अग्रवाल एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
(एफआरएन 003917 एन)
ह/-
सीए अरुण कुमार अग्रवाल
(भागीदार)
एम.सं.: 082899

कृते मुखर्जी बिश्वास एंड पाठक
सनदी लेखाकार
(एफआरएन 301138ई)
ह/-
सीए शंकर प्रसन्न मुखर्जी
(भागीदार)
एम.सं.: 010807

कृते दिनेश जैन एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
(एफआरएन 004885एन)
ह/-
सीए नेहा जैन
(भागीदार)
एम.सं.: 514725

कृते एसबीए एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
(एफआरएन 308136ई)
ह/-
सीए नीलंजना सेन
(भागीदार)
एम.सं.: 061768

दिनांक : 13 मई, 2019
स्थान : कोलकाता

अनुसूची 1 - पूंजी

(₹ हज़ार में)

		31.03.2019 तक (लेखा परीक्षित)		31.03.2018 तक (लेखा परीक्षित)
प्राधिकृत पूंजी		8500,00,00		3000,00,00
इक्विटी शेयर पूंजी	-		-	
बेमीयादी असंचयी अधिमानी शेयर (पी एन सी पी एस)	-		-	
निर्गत, अभिदत्त और चुकता पूंजी				
7427919684 (पूर्ववर्ती वर्ष 2999999999) ईक्विटी शेयर प्रत्येक				
₹10/- का [(सहित 7192725543 पूर्ववर्ती वर्ष में 2794008447 भारत सरकार के पास)]		7427,91,97		3000,00,00
कुल :		**7427,91,97**		**3000,00,00**

अनुसूची 1ए–शेयर एप्लीकेशन राशि लंबित आबंटन

		31.03.2019 तक (लेखा परीक्षित)		31.03.2018 तक (लेखा परीक्षित)
शेयर एप्लीकेशन राशि लंबित आबंटन**	-	-	-	13,64,25
कुल :		-		**13,64,25**

अनुसूची 2 - प्रारक्षित निधि एवं अधिशेष

(₹ हज़ार में)

		31.03.2019 तक (लेखा परीक्षित)	31.03.2018 तक (लेखा परीक्षित)
I.	सांविधिक प्रारक्षित		
	आरंभिक शेष	832 ,38 ,77	832,38,77
	जोड़ : लाभ हानि लेखा से अंतरण	-	-
	उप योग :	**832 ,38 ,77**	**832,38,77**
II.	पूंजी प्रारक्षित		
	क) पुनर्मूल्यन प्रारक्षित		
	आरंभिक शेष	946 ,84 ,20	901,03,36
	जोड़: अवधि/वर्ष के दौरान	-	68,86,24
	जोड़:/(घटाव): अवधि/वर्ष के दौरान समायोजन	-	-
	घटाव: लाभ एवं हानि लेखा में अंतरण	(23 ,06 ,07)	(23,05,40)
		923 ,78 ,13	**946,84,20**
	ख) अन्य		
	आरंभिक शेष	1657 ,99 ,11	1626,85,69
	जोड़: लाभ एवं हानि लेखा से अंतरण		99,91,36
	जोड़:/(घटाव): वर्ष/अवधि के दौरान समायोजन		(68,77,94)
		1657 ,99 ,11	1657,99,11
	उप योग [(क)+ (ख)]	**2581 ,77 ,24**	**2604,83,31**
III.	शेयर प्रीमियम		
	आरंभिक शेष	4170 ,06 ,73	2737,35,42
	अवधि/वर्ष के दौरान योग	616 ,10 ,85	1432,71,31
	उप योग	**4786 ,17 ,58**	**4170,06,73**
IV.	राजस्व एवं अन्य प्रारक्षित		
	क) विशेष प्रारक्षित आईटी		
	आरंभिक शेष	220 ,00 ,00	220,00,00
	घटाव: आहरण द्वारा कमी	-	-
	जोड़: लाभ एवं हानि लेखा से अंतरण	-	-
	उप योग (क)	**220 ,00 ,00**	**220,00,00**
	ख) राजस्व प्रारक्षित		
	आरंभिक शेष	-2165 ,69 ,47	-386,17,67
	जोड़: पुनर्मूल्यांकन प्रारक्षित से अंतरण	23 ,06 ,07	23,05,40
	जोड़/घटाव: परिसंपतियों के लिए समायोजन हेतु आहरण द्वारा कमी	109 ,18 ,14	-248,21,22
	जोड़: लाभ एवं हानि लेखा से अंतरण	-2315 ,92 ,53	-1554,35,98
	उप योग (ख)	**-4349 ,37 ,79**	**-2165,69,47**
	उप योग [(क) + (ख)]	**-4129 ,37 ,79**	**-1945,69,47**
V.	लाभ एवं हानि लेखा में शेष		–
	कुल (I + II + III+IV+V)	**4070 ,95 ,80**	**5661,59,34**

अनुसूची 3 - जमा राशियां

(₹ हज़ार में)

				31.03.2019 तक (लेखा परीक्षित)	31.03.2018 तक (लेखा परीक्षित)
क	**I.**	**माँग जमा**			
		i) बैंकों से		1400 ,28 ,10	1330,27,30
		ii) अन्य से		9776 ,09 ,56	8573,15,71
	II.	**बचत बैंक जमा**		58271 ,83 ,61	**52744,30,40**
	III.	**मीयादी जमा**			
		i) बैंकों से		147 ,73 ,28	474,57,62
		ii) अन्य से		65387 ,36 ,96	66204,06,77
			कुल :	**134983 ,31 ,51**	**129326,37,80**
ख		i) भारत की शाखाओं में जमा		134983 ,31 ,51	129326,37,80
		ii) भारत के बाहर की शाखाओं में जमा		-	–
			कुल :	**134983 ,31 ,51**	**129326,37,80**

अनुसूची 4 - उधार

(₹ हज़ार में)

			31.03.2019 तक (लेखा परीक्षित)	31.03.2018 तक (लेखा परीक्षित)
I.	**भारत में उधार**			
	i) भारतीय रिजर्व बैंक		20,00,000	–
	ii) अन्य बैंक		1,18 ,84	1,59,54
	iii) अन्य संस्थाएं एवं एजेंसियाँ #		2002,52 ,91	3304,46,21
II.	**भारत के बाहर उधार राशियाँ**		-	–
		कुल:	**2203 ,71 ,75**	**3306,05,75**
	उपर्युक्त I और II में सम्मिलित जमानती उधार		-	–
	# टियर II पूँजी हेतु अधीनस्थ ऋण सहित		1690 ,00 ,00	1940,00,00
	# टियर I पूँजी हेतु आईपीडीआई सहित		300 ,00 ,00	1240,00,00

अनुसूची 5 - अन्य देयताएं एवं प्रावधान

(₹ हज़ार में)

			31.03.2019 तक (लेखा परीक्षित)	31.03.2018 तक (लेखा परीक्षित)
I.	देय बिल		349 ,68 ,93	343,07,13
II.	अंतर कार्यालय समायोजन (शुद्ध)		155 ,03 ,30	201,53,59
III.	उपचित ब्याज		502 ,49 ,37	521,18,40
IV.	मानक आस्तियों हेतु आकस्मिक प्रावधान		347 ,27 ,00	238,47,00
V.	आस्थगित कर देयता (शुद्ध)		-	–
VI.	प्रस्तावित लाभांश (लाभांश कर सहित)		-	–
VII.	अन्य (प्रावधानों सहित)		1489 ,53 ,15	2136,72,32
		कुल :	**2844 ,01 ,75**	**3440,98,44**

अनुसूची 6 - भारतीय रिज़र्व बैंक में नकदी एवं जमाराशियाँ

(₹ हज़ार में)

			31.03.2019 तक (लेखा परीक्षित)	31.03.2018 तक (लेखा परीक्षित)
I.	हाथ में नकदी (विदेशी मुद्रा नोटों सहित)		669 ,27 ,98	608,03,30
II.	भारतीय रिज़र्व बैंक में जमा राशियाँ			
	i) चालू खाते में		5499 ,60 ,39	5604,10,68
	ii) अन्य खातों में			-
		कुल :	**6168 ,88 ,37**	**6212,13,98**

अनुसूची 7 - बैंकों में शेष तथा माँग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि

(₹ हज़ार में)

			31.03.2019 तक (लेखा परीक्षित)	31.03.2018 तक (लेखा परीक्षित)
I.	**भारत में –**			
	i) बैंकों में शेष राशि			
	क) चालू खातों में		19 ,74 ,27	40,13,10
	ख) अन्य जमा खातों में		-	-
	ii) मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि			
	क) बैंकों में		1430 ,00 ,00	13879,82,37
	ख) अन्य संस्थानों में		-	-
		उप – योग :	**1449 ,74 ,27**	**13919,95,47**
II.	भारत के बाहर–			
	i) बैंकों में शेष राशि			
	क) चालू खातों में		938 ,38 ,75	102,22,92
	ख) अन्य जमा खातों में		1106 ,48 ,00	-
	ii) माँग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि		-	-
		उप – योग :	**2044 ,86 ,75**	**102,22,92**
		कुल :	**3494 ,61 ,02**	**14022,18,39**

अनुसूची 8 - निवेश

(₹ हज़ार में)

			31.03.2019 तक (लेखा परीक्षित)	31.03.2018 तक (लेखा परीक्षित)
I.	**भारत में निवेश (सकल)**		**62263 ,02 ,37**	**51200,67,40**
	घटाव : एनपीआई, मूल्य ह्रास/परिशोधन हेतु प्रावधान		(1286 ,98 ,94)	(798,86,99)
	शुद्ध		**60976 ,03 ,43**	**50401,80,41**
	विश्लेषण			
	i) सरकारी प्रतिभूतियाँ		38429 ,63 ,02	36645,92,90
	ii) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ		-	-
	iii) शेयर		638 ,49 ,42	925,53,22
	iv) डिबेंचर एवं बांड्स		7494 ,04 ,22	6067,55,47
	v) सहायक एवं/या संयुक्त उद्यम		-	-
	vi) अन्य (म्यूचुअल फंड, सीपी, सीडी आदि)		14413 ,86 ,77	6762,78,82
		उप-योग :	**60976 ,03 ,43**	**50401,80,41**
II.	**भारत के बाहर निवेश (सकल)**		-	
	घटाव : मूल्य ह्रास हेतु प्रावधान		-	-
	शुद्ध		-	-
	विश्लेषण		-	-
	i) सरकारी प्रतिभूतियाँ (स्थानीय प्राधिकरण सहित)		-	-
	ii) विदेशों में सहायक एवं/या संयुक्त उद्यम		-	-
	iii) अन्य निवेश		-	-
		उप-योग :	-	-
		कुल (I और II) :	**60976 ,03 ,43**	50401,80,41

आरबीआई के दिनांक 16 जुलाई, 2015 के परिपत्र सं. डीबीआर.बीपी.बीसी सं. 31/21.04.018/2015-16 के अनुसार प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण में कमी को पूरा करने के लिए नाबार्ड/सिडबी/एनएचबीं में जमा राशियों को तुलनपत्र की अनुसूची 11 के अंतर्गत 'अन्य आस्तियों' के उपशीर्ष 'अन्य' में शामिल किया जाए।

अनुसूची 9 - अग्रिम

(₹ हज़ार में)

			31.03.2019 तक (लेखा परीक्षित)	31.03.2018 तक (लेखा परीक्षित)
क.	i) खरीदे एवं भुनाए गए बिल		262 ,03 ,00	382,93,11
	ii) नकदी ऋण, ओवर ड्राफ्ट एवं माँग पर चुकौती योग्य ऋण		22949 ,84 ,10	21478,60,00
	iii) मीयादी ऋण		43743 ,22 ,64	40628,66,87
		कुल :	**66955 ,09 ,74**	**62490,19,98**
ख.	i) मूर्त आस्तियों द्वारा रक्षित (बही-ऋण के एवज में दिए गए अग्रिम सहित)		61088 ,44 ,56	56855,99,98
	ii) बैंक/सरकारी गारंटियों द्वारा सुरक्षित		1732 ,58 ,96	1715,31,00
	iii) बेजमानती		4134 ,06 ,22	3918,89,00
		कुल :	**66955 ,09 ,74**	**62490,19,98**
ग.	**I. भारत में अग्रिम**			
	i) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र		29823 ,22 ,23	28542,11,48
	ii) सार्वजनिक क्षेत्र		7148 ,39 ,39	3521,27,50
	iii) बैंक		8 ,93 ,00	43,24,00
	iv) अन्य		29974 ,55 ,12	30383,57,00
		उप-योग :	**66955 ,09 ,74**	**62490,19,98**
	II. भारत के बाहर अग्रिम			
	i) बैंकों से प्राप्य		-	-
	ii) अन्य से प्राप्य		-	-
	क) खरीदे एवं भुनाए गए बिल		-	-
	ख) समूहित ऋण		-	-
	ग) अन्य		-	-
		उप-योग :	-	-
		कुल (I और II) :	**66955 ,09 ,74**	**62490,19,98**

अनुसूची 10 - अचल आस्तियाँ

(₹ हज़ार में)

			31.03.2019 तक (लेखा परीक्षित)	31.03.2018 तक (लेखा परीक्षित)
I.	परिसर (पट्टे पर सहित)			
	पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की लागत पर / पुनर्मूल्यांकित		1308 ,45 ,25	1223,09,83
	अवधि / वर्ष के दौरान पुनर्मूल्यांकन		-	84,72,14
	अवधि / वर्ष के दौरान योग		1 ,13 ,48	63,28
			1309 ,58 ,73	**1308,45,25**
	घटाव: अवधि / वर्ष के दौरान कटौती		(,98)	-
	तिथि तक मूल्य ह्रास		(291 ,18 ,93)	(263,40,02)
		उप-योग :	**1018 ,38 ,82**	**1045,05,23**
II.	पूंजीगत कार्य प्रगति पर		**5 ,98 ,80**	**6,59,01**
III.	अन्य अचल आस्तियाँ (फर्नीचर और फिक्सचर सहित)			
	पूर्ववर्ती वर्ष के 31 मार्च की लागत पर		1039 ,26 ,76	944,88,75
	अवधि/वर्ष के दौरान योग		58 ,58 ,27	146,42,65
			1097 ,85 ,03	1091,31,40
	घटाव : अवधि/वर्ष के दौरान कटौतियाँ		(31 ,73 ,58)	(52,04,64)
	तिथि तक मूल्य ह्रास		(869 ,20 ,57)	(806,28,20)
		उप-योग :	**196 ,90 ,88**	**232,98,56**
IV.	**अमूर्त आस्तियां**			
	सॉफ्टवेयर			
	पूर्ववर्ती वर्ष के 31मार्च की लागत पर		110 ,77 ,22	104,88,30
	अवधि/वर्ष के दौरान योग		16 ,61 ,72	5,88,92
			127 ,38 ,94	110,77,22
	घटाव: अवधि/वर्ष के दौरान कटौतियाँ/समायोजन		-	-
	तिथि तक ऋण परिशोधन		(108 ,61 ,94)	(102,31,17)
		उप-योग :	**18 ,77 ,00**	**8,46,05**
		कुल (I+II+III+IV)	**1240 ,05 ,50**	**1293,08,85**

अनुसूची 11 - अन्य आस्तियाँ

(₹ हज़ार में)

			31.03.2019 तक (लेखा परीक्षित)	31.03.2018 तक (लेखा परीक्षित)
I.	अंतर-कार्यालय समायोजन (शुद्ध)		-	-
II.	उपचित ब्याज		1170 ,45 ,98	1086,71,04
III.	अग्रिम रूप में प्रदत्त कर/स्रोत पर काटा गया कर (शुद्ध)		921 ,14 ,82	791,48,96
IV.	लेखन सामग्री एवं स्टाम्प		6 ,89 ,17	5,71,61
V.	दावों की संतुष्टि में अर्जित गैर बैंकिंग आस्तियाँ		-	-
VI.	आस्थगित कर आस्तियाँ (शुद्ध)		5479 ,97 ,00	3246,27,00
VII.	अन्य##		5116 ,77 ,75	5199,05,36
		कुल :	**12695 ,24 ,72**	**10329,23,97**

आरबीआई के दिनांक 16 जुलाई, 2015 के परिपत्र सं. डीबीआर.बीपी.बीसी सं. 31/21.04.018/2015-16 के अनुसार प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र ऋण में कमी को पूरा करने के लिए नाबार्ड/सिडबी/एनएचबीं में जमा राशियों को तुलनपत्र की अनुसूची 11 के अंतर्गत 'अन्य आस्तियों' के उपशीर्ष 'अन्य' में शामिल किया जाए।

अनुसूची 12 - आकस्मिक देयताएं

(₹ हज़ार में)

			31.03.2019 तक (लेखा परीक्षित)	31.03.2018 तक (लेखा परीक्षित)
I.	बैंक पर दावे, जिन्हें कर्ज नहीं माना जाता		8 ,21 ,38	12,66,75
II.	आंशिक भुगतान किए गए निवेशों हेतु देयता		3 ,22 ,01	4,92,36
III.	वायदा विनिमय करारों के कारण देयता		3079 ,20 ,07	1769,65,73
IV.	घटकों की ओर से दी गई गारंटियाँ (नकदी मार्जिन का शुद्ध) :			
	क) भारत में		3208 ,28 ,62	3523,31,91
	ख) भारत के बाहर		110 ,62 ,53	525,02,83
	ग) बैंक गारंटी लागू किन्तु अप्रदत्त (भारत में)		14 ,84 ,48	14,63,83
V.	स्वीकृतियाँ, परांकन एवं अन्य दायित्व (नकदी मार्जिन का शुद्ध)		880 ,36 ,13	1205,93,64
VI.	अन्य मदें, जिनके लिए बैंक आकस्मिक रूप से जिम्मेदार है		786 ,77 ,32	788,85,63
		कुल :	**8091 ,52 ,54**	**7845,02,68**

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष का लाभ–हानि लेखा

(₹ हज़ार में)

		अनुसूची	31.03.2019 को समाप्त वर्ष	31.03.2018 को समाप्त वर्ष
I.	आय			
	अर्जित ब्याज	13	8559 ,87 ,64	8341,62,93
	अन्य आय	14	2384 ,58 ,40	2214,56,69
	कुल :		**10944 ,46 ,04**	**10556,19,62**
II.	व्यय			
	व्यय ब्याज	15	6585 ,27 ,10	6848,75,79
	परिचालनगत व्यय	16	2947 ,60 ,08	2683,37,82
	प्रावधान एवं आकस्मिकताएं		3727 ,51 ,39	2478,50,63
	कुल :		**13260 ,38 ,57**	**12010,64,24**
III.	लाभ			
	वर्ष / अवधि के शुद्ध लाभ		-2315 ,92 ,53	-1454,44,62
	कुल :		**-2315 ,92 ,53**	**-1454,44,62**
IV.	विनियोजन :			
	सांविधिक प्रारक्षित में अंतरण		-	-
	प्रारक्षित पूंजी मे अंतरण		-	99,91,36
	प्रस्तावित लाभांश :			-
	इक्विटी		-	-
	पी एन सी पी एस		-	-
	लाभांश पर कर		-	-
	राजस्व प्रारक्षित निधि में अंतरण		-2315 ,92 ,53	-1554,35,98
	तुलन–पत्र में अग्रेषित शेष राशि		-	-
		कुल :	**-2315 ,92 ,53**	**-1454,44,62**
	प्रति शेयर मूल एवं मिश्रित आय (रू.)		-7.04	-9.65

31.03.2019 तक के लाभ–हानि का एक भाग

अशोक कुमार प्रधान
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

संजय कुमार
कार्यपालक निदेशक

अजीत कुमार दास
कार्यपालक निदेशक

समीर कुमार खरे
निदेशक

दिनेश सिंह
निदेशक

सिद्धार्थ प्रधान
निदेशक

एस. सूर्यनारायण
निदेशक

साधना वर्मा
निदेशक

अश्विनी कुमार झा
महाप्रबंधक एवं सीएफओ

परिशिष्ट में दी गई समसंख्यक तारीख की हमारी अलग रिपोर्ट के अनुसार

कृते अरुण के. अग्रवाल एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
(एफआरएन 003917 एन)
ह/-
सीए अरुण कुमार अग्रवाल
(भागीदार)
एम.सं.: 082899

कृते मुखर्जी बिश्वास एंड पाठक
सनदी लेखाकार
(एफआरएन 301138ई)
ह/-
सीए शंकर प्रसन्न मुखर्जी
(भागीदार)
एम.सं.: 010807

कृते दिनेश जैन एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
(एफआरएन 004885एन)
ह/-
सीए नेहा जैन
(भागीदार)
एम.सं.: 514725

कृते एसबीए एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
(एफआरएन 308136ई)
ह/-
सीए नीलंजना सेन
(भागीदार)
एम.सं.: 061768

दिनांक : 13 मई, 2019
स्थान : कोलकाता

अनुसूची 13 - अर्जित ब्याज

(₹ हज़ार में)

			31.03.2019 को समाप्त वर्ष	31.03.2018 को समाप्त वर्ष
I.	अग्रिमों/बिलों पर ब्याज/बट्टा		5060 ,57 ,16	5060,19,13
II.	निवेश पर आय		3076 ,90 ,56	2639,39,16
III.	भारतीय रिज़र्व बैंक में जमा राशि पर तथा अन्य अंतर बैंक निधियों पर ब्याज		245 ,93 ,90	304,09,39
IV.	अन्य		176 ,46 ,02	337,95,25
		कुल :	**8559 ,87 ,64**	**8341,62,93**

अनुसूची 14 - अन्य आय

(₹ हज़ार में)

			31.03.2019 को समाप्त वर्ष	31.03.2018 को समाप्त वर्ष
I.	कमीशन, विनिमय और दलाली		193 ,99 ,78	179,37,84
II.	निवेशों के विक्रय पर लाभ		1301 ,61 ,24	1522,30,11
	घटाव : निवेशों के विक्रय पर हानि		(28 33 ,65)	(78,17,06)
III.	निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर लाभ		-	-
	घटाव: निवेशों के पुनर्मूल्यांकन पर हानि		-	-
IV.	जमीन, भवन और अन्य आस्तियों के विक्रय से लाभ		59 ,44	3,09,83
	घटाव : जमीन, भवन और अन्य आस्तियों के विक्रय से हानि		(6 ,05)	(23)
V.	विनिमय लेन-देन पर लाभ		146 ,94 ,42	135,58,27
	घटाव : विनिमय लेन-देन पर हानि		-	-
VI.	भारत में/भारत के बाहर अनुषंगी कंपनियों और/या संयुक्त उद्यमों से लाभांश आदि द्वारा अर्जित आय		-	-
VII.	विविध आय		769 ,83 ,22	452,37,93
		कुल :	**2384 ,58 ,40**	**2214,56,69**

अनुसूची 15 - व्यय किए गए ब्याज

(₹ हज़ार में)

			31.03.2019 को समाप्त वर्ष	31.03.2018 को समाप्त वर्ष
I.	जमाराशियों पर ब्याज		6324,60 ,35	6593,91,58
II.	भारतीय रिजर्व बैंक/अंतर बैंक उधार पर ब्याज		49,36 ,33	61,12,50
III.	अन्य		211,30 ,42	193,71,71
		कुल :	**6585,27 ,10**	**6848,75,79**

अनुसूची 16 - परिचालनगत व्यय

(₹ हज़ार में)

			31.03.2019 को समाप्त वर्ष	31.03.2018 को समाप्त वर्ष
I.	कर्मचारियों को भुगतान और उनके लिए प्रावधान		1954 ,49 ,38	1712,59,20
II.	किराया, कर एवं बिजली		159 ,80 ,55	160,52,63
III.	मुद्रण एवं लेखन सामग्री		21 ,35 ,82	22,81,60
IV.	विज्ञापन एवं प्रचार		2 ,41 ,12	4,32,52
V.	बैंक की संपत्ति पर मूल्य-ह्रास		125 ,73 ,00	120,14,16
	घटाव : पुनर्मूल्यांकन आरक्षित से अंतरण		-	-
			125 ,73 ,00	**120,14,16**
VI.	निदेशकों की फीस, भत्ते एवं व्यय		1 ,25 ,36	87,50
VII.	लेखा परीक्षकों की फीस एवं व्यय		21 ,02 ,49	15,17,68
	(शाखा के लेखा परीक्षकों की फीस एवं व्यय सहित)			
VIII.	विधि प्रभार		9 ,93 ,50	10,41,95
IX.	डाक-व्यय, तार टेलीफोन आदि		38 ,04 ,75	33,60,15
X.	मरम्मत और रख-रखाव		20 ,37 ,40	28,07,31
XI.	बीमा		157 ,31 ,60	159,03,82
XII.	अन्य व्यय		435 ,85 ,11	415,79,30
		कुल :	**2947 ,60 ,08**	**2683,37,82**

अनुसूची 17

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष की मुख्य लेखा नीतियाँ

1. वित्तीय विवरण तैयार करने का आधार

संलग्न वित्तीय विवरणियां परम्परागत लागत के आधार पर तैयार की गई हैं और अन्यथा उल्लेख किए हुए को छोड़कर, लाभकारी कारोबार वाले संस्थान की अवधारणा के अनुरूप और भारत में सामान्यतः स्वीकृत लेखा परिपाटी (जी ए ए पी) लागू सांविधिक प्रावधानों, भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित नियामक मानदंडों, भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान (आई सी ए आई) द्वारा जारी प्रयोज्य अधिदेशात्मक लेखा मानकों (ए.एस)/मार्गदर्शी नोटों/उदघोषणाओं और भारतीय बैंकिंग उद्योग में विद्यमान चलन के अनुरूप है ।

2. प्राक्कलन का उपयोग

वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए वित्तीय विवरणों की तिथि तक रिपोर्ट की गई आस्ति एवं देयताओं तथा रिपोर्टिंग अवधि के आय व्यय पर विचार करने के उद्देश्य से प्रबंधन को प्राक्कलन एवं अनुमान करना होता है। प्रबंधन यह समझता है कि वित्तीय विवरण तैयार करने में प्रयुक्त प्राक्कलन विवेकपूर्ण एवं तर्क सम्मत है।

3. आय और व्यय निर्धारण

3.1 यदि अन्यथा उल्लेख न किया गया हो तो राजस्व और व्यय का हिसाब उपचय के आधार पर किया गया है।

3.2 अनर्जक आस्तियों पर आय का हिसाब उपचय के आधार पर किया गया है और अनर्जक आस्तियों (एनपीए) पर वसूली के आधार पर किया गया है। इस वर्ष के दौरान वसूली की गई राशि प्रथमतः अवमानक आस्तियों पर आय के रूप में विनियोजित की गई है। संदिग्ध, हानि आस्तियों और दायर मुकदमा के अधीन तथा डिक्री हो चुके खातों से हुई वसूली/प्राप्त राशि को प्रथमतः बकाया शेष स्वरूप विनियोजित किया गया।

3.3 जिन अग्रिमों पर आय वसूली नहीं हो सकी और जिन्हें अनर्जक आस्ति के रूप में वर्गीकृत किया गया है उनको प्रत्यावर्तित कर दिया गया है।

3.4 कमीशन (सरकारी लेन देन एवं बैंक एश्योरेंस को छोड़कर) विनिमय, दलाली, दावा, लॉकर किराया और शेयरों पर लाभांश से प्राप्त आय का हिसाब नकद के आधार पर किया गया।

3.5 पूर्णकालिक निदेशकों के कार्यनिष्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन राशि को भी नकद के आधार पर हिसाब में लिया गया है।

4. विदेशी मुद्रा लेन-देन

4.1. बकाया वायदा विनिमय संविदाओं को छोड़कर प्रत्येक मुद्रा में मौद्रिक आस्तियों और देयताओं का पुनर्मूल्यांकन, तुलन पत्र की तारीख को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ (एफईडीएआई) द्वारा घोषित स्पॉट दर पर किया गया है। बकाया वायदा विनिमय का पुनर्मूल्यांकन भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ द्वारा घोषित फॉरवार्ड दर पर किया जाता है। पुनर्मूल्यांकित राशि और संविदागत राशि के अंतर को यथास्थिति लाभ या हानि के रूप में चिह्नित किया गया है।

4.2. आय एवं व्यय की मदों के लेनदेन की तिथि को प्रचलित विनिमय दर के अनुसार लिया गया है।

4.3. गारंटी के साथ साथ स्वीकृतियों, पृष्ठांकनों और अन्य बाध्यताओं को भारतीय विदेशी मुद्रा व्यापारी संघ द्वारा घोषित क्लोजिंग स्पॉट दर पर निभाया गया है।

4.4. "विदेशी विनिमय दर पर परिवर्तनों के प्रभाव पर" ए एस 11 के अनुसार बैंक के प्रतिनिधि कार्यालय का वर्गीकरण 'अभिन्न वैदेशिक परिचालन' स्वरूप किया गया है।

4.5. आरंभिक निर्धारण हो जाने पर अभिन्न विदेशी परिचालन से संबंधित विदेशी मुद्रा लेनदेन को रिपोर्टिंग मुद्रा में दर्ज किया गया है और लेनदेन की तारीख को विदेशी मुद्रा राशि में रिपोर्टिंग मुद्रा और विदेशी मुद्रा विनिमय दर के बीच लागू करते हुए किया गया है।

4.6. परम्परागत लागत पर चलाई जाने वाली विदेशी मुद्रा गैर - मौद्रिक मदों की रिपोर्टिंग लेनदेन की तारीख को विनिमय दर का उपयोग करते हुए की गई है।

5. निवेश

5.1 वित्तीय विवरणों में प्रकटीकरण के उद्देश्य से निवेशों को निम्नांकित छह श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है जैसा कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की तीसरी अनुसूची के फार्म-ए में निर्धारित है :-

क) सरकारी प्रतिभूतियाँ
ख) अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियाँ
ग) शेयर
घ) डिबेंचर एवं बॉन्ड
ङ) सहायक/संयुक्त उद्यम
च) अन्य

5.2 भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित मार्गदशी सिद्धांतों के अनुसार बैंक के निवेश पोर्टफोलियों की निम्नांकित श्रेणियाँ बनाई गई है :-

क) "परिपक्वता तक धारित"- इसमें परिपक्वता तक धारण के उद्देश्य से प्राप्त निवेश शामिल है।

ख) "व्यापार हेतु धारित" – इसमें व्यापार के उद्देश्य से प्राप्त निवेश शामिल है।

ग) "बिक्री के लिए उपलब्ध"– इसमें उक्त (क) एवं (ख) से इतर निवेश शामिल है।

अभिग्रहण के समय निवेश का वर्गीकरण किया जाता है :

5.3 निवेश अभिग्रहण की लागत का निर्धारण :–

क) प्रतिभूतियों के अभिदान हेतु प्राप्त ब्रोकरेज, कमीशन एवं प्रोत्साहनों को प्रतिभूति की लागत से काटा जाता है।

ख) प्रतिभूतियों की प्राप्ति हेतु प्रदत्त ब्रोकरेज, कमीशन इत्यादि को राजस्व व्यय माना जाता है।

ग) अधिग्रहण / प्रतिभूतियों की बिक्री की तिथि तक उपचित ब्याज, अर्थात खंड अवधि के ब्याज को लाभ और हानि लेखा में जमा / प्रभारित किया जाता है ।

5.4. बैंक निवेश लेनदेन के लेखा के लिए निपटान तारीख का अनुसरण कर्ता है। निवेशों का मूल्यांकन भारतीय रिज़र्व बैंक निर्धारित आय मुद्रा बाजार तथा डेरिवेटिव्स एशोसिएसन (एफ आई एम ए डी ए) के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार निम्नलिखित आधार पर किया जाता है :

क) "परिपक्वता तक धारित" (एचटीएम)

i) परिपक्वता तक धारित "एचटीएम" वर्ग के अंतर्गत निवेश अभिग्रहण लागत पर किया गया है।जब बही मूल्य अंकित मूल्य / प्रतिदेय मूल्य से अधिक होता है तो प्रीमियम को परिपक्वता की शेष अवधि पर परिशोधित कर दिया जाता है।

ii) ग्रामीण आधारभूत विकास निधि, अल्पकालीन सहकारी ग्रामीण ऋण पुनर्वित्त निधि, मध्यम लघु माइक्रो उद्म पुनर्वित्त निधि– भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक लि., ग्रामीण आवास विकास निधि– राष्ट्रीय आवास बैंक लि. माइक्रो फाइनेन्स विकास एवं इक्विटी फंड, नाबार्ड में (शेयर के रूप में वर्गीकृत) में किए गए निवेशों का मूल्यांकन वहन लागत के आधार पर किया जाता है।

iii) प्रायोजित क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों में किए गए निवेश का मूल्यांकन वहन लागत के आधार पर किया जाता है।

iv) उद्यम पूंजी में निवेश का मूल्यांकन वहन लागत के आधार पर किया जाता है।

ख) "व्यापार के लिए धारित" एवं "बिक्री के लिए उपलब्ध"

क	सरकारी प्रतिभूतियों **1.** केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियाँ **2.** राज्य सरकार की प्रतिभूतियाँ	एफ आई एम एम डी ए द्वारा प्रकाशित कीमत पर। एफ आई एम एम डीए/भा. रि. बैंक के दिशानिर्देश के अनुसार आधार प्रतिफल वक्र पर उपयुक्त कीमत लागत अंतर को जोड़ते हुए परिपक्वता प्रतिफल के आधार पर।
ख	बट्टाकृत लिखत (ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर एवं जमा प्रमाण पत्र)	रखाव लागत पर
ग	बॉन्ड एवं डिबेंचर	एफ आई एम एम डी ए/आर बी आई के दिशा निर्देशों के अनुसार आधारभूत प्रतिफल वक्र पर उपयुक्त ऋण विस्तृति को जोड़ते हुए परिपक्वता तक प्रतिफल (वाई टी एम) होने के आधार पर।
घ	इक्विटी	
	i) कोट की गई	बाजार मूल्य पर
	ii) कोट नहीं की गई	विगत तुलन पत्र (एक वर्ष से अधिक पूराना नहीं) के अनुसार विश्लेषित मूल्य पर, अन्यथा प्रति कंपनी 1 रूपए पर।
ङ	अधिमानी शेयर	एफ आई एम एम डी ए/भा.रि. बैंक के दिशानिर्देशानुसार अर्जन वक्र आधार पर बाजार मूल्य पर अथवा उपयुक्त कीमत लागत अंतर (मार्क अप) को जोड़ते हुए बाजार मूल्य पर यदि कोट किया गया है तो, अन्यथा वाई टी एम (परिपक्वता प्रतिफल) के आधार पर
च	प्रतिभूति प्राप्ति/उद्यम पूंजी निधि	एफ आई एम डी ए/भा.रि.बैंक के दिशानिर्देशानुसार शुद्ध आस्ति मूल्य (एन ए वी) पर
छ	म्यूचुअल फंड	यदि कोट किया हुआ है तो बाजार मूल्य पर तथा कोट नहीं किया गया है तो पुनर्खरीद मूल्य/शुद्ध आस्ति मूल्य (एन ए वी) पर

5.5 "एच एफ टी" श्रेणी से प्रतिभूतियों का स्थानांतरण भा.रि. बैंक के दिशा निर्देशानुसार निदेशक मंडल के अनुमोदन से किया जाता है ।

5.6. "एच एफ टी" एवं "ए एफ एस" श्रेणी में प्रत्येक स्क्रिप मासिक आधार पर अथवा यथा आवश्यकता इससे भी कम अंतराल पर बाजार के लिए चिन्हित की जाती है। प्रत्येक श्रेणी के तहत शुद्ध मूल्य ह्रास यदि है तो इसका प्रावधान किया जाता है एवं शुद्ध मूल्य वृद्धि ,यदि कोई है तो इसे अनदेखा किया जाता है ।

5.7. लागत एवं अंकित मूल्य में अंतर होने के कारण शून्य कूपन बॉन्ड से प्राप्त आय का निर्धारण समय के अनुपात के आधार पर किया जाता है।

5.8. किसी भी श्रेणी में निवेश की बिक्री पर हुए लाभ अथवा हानि को लाभ और हानि खाते में शामिल किया जाता है । किन्तु "एच टी एम " श्रेणी में निवेश की बिक्री पर हुए लाभ की स्थिति में वर्ष के अंत में लाभ के बराबर राशि का विनियोजन प्रारिक्षत पूँजी खाता में किया जाता है। प्रतिभूतियों की बिक्री पर अधिशेष/घाटे का हिसाब करने के लिए भारित औसत (वेटेड एवरेज) पद्धित अपनाई जाती है।

5.9. "बिक्रय हेतु धारित" श्रेणी में धारण अवधि का हिसाब करने के लिए पहले आओ पहले जाओ (एफ आई एफ ओ) पद्धित लागू की गई है ।

5.10. निवेश उपयुक्त प्रावधानीकरण/आय के अवनिर्धारण (डिरिकॉगनिशन) के अध्यधीन है। यह "गैर निष्पादित निवेश" (एनपीआई) वर्गीकरण हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक के

विवेकपूर्ण मानकों के अनुरूप है। भा.रि. बैंक के दिशा निर्देशानुसार अनर्जक प्रतिभूतियों के संबंध में मूल्यह्रास/प्रावधान को अन्य अर्जक प्रतिभूतियों से संबंधित अधिमूल्यन के बदले समंजित नहीं किया गया है।

5.11. व्यापार अथवा वायदा व्यापार के व्युत्पन्न लेनदेन किया जाता है और भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा निर्देश के अनुसरण में मूल्यांकन किया जाता है ।

5.12. बैंक ने रेपो और रिवर्स रेपो लेनदेन के हिसाब के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा विहित मानक पद्धित का अनुपालन किया है ।

6. आस्ति पुनर्निर्धारण कंपनी (एआरसी)/ प्रतिभूतिकरण कंपनी (एससी) को बेची गई वित्तीय आस्तियां

6.1 यदि वित्तीय आस्तियां ए आर सी/ए सी को शुद्ध बही मूल्य से ऊंची कीमत पर बेची गई है तो अतिरिक्त प्रावधान का प्रत्यावर्तन नहीं किया गया है बल्कि उसे ए आर सी/ए सी को बेची गई अन्य वित्तीय आस्तियों से हुई कमी को पूरा करने के लिए उपयोग में लाया गया है। यदि बिक्री शुद्ध बही मूल्य से कम कीमत पर हुई है तो उपलब्ध अधिशेष (यदि हो) को समायोजित करने के बाद उस कमी को लाभ और हानि खाते के नामे लिखा गया है।

6.2 आस्ति पुनर्निमाण कंपनी प्रतिभूतिकरण कंपनी को बेची गई वित्तीय आस्तियों का निर्धारण बैंक खाते में ऐसे विक्रय के लिए उस आस्ति पुनर्निमाण कंपनी/प्रतिभूतिकरण कंपनी द्वारा सृजित न्यास द्वारा जारी प्रतिभूति रसीद के मोचन मूल्य से कम कीमत पर उस ऐसी वित्तीय आस्तियों के शुद्ध मूल्य की कीमत पर किया गया है।

6.3 बैंक बही में प्रतिभूति प्राप्तियों को गैर एस एल आर में निवेश के रूप में वर्गीकृत किया गया है और तदनुरूप गैर एस एल आर के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित मूल्यांकन, वर्गीकरण और अन्य मानदंड लागू किए गए हैं।

6.4 एआरसी/एस सी को बेची गई बट्टा कृत आस्तियों के मामले में प्राप्त नकदी को आय माना गया है ।

7. अग्रिम

7.1. अग्रिमों का वर्गीकरण अर्जक और अनर्जक आस्तियों के आधार पर किया गया है तथा उन पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित विवेकपूर्ण मानदंडों के अनुरूप प्रावधान किया गया है ।

7.2. अनर्जक आस्ति का उल्लेख प्रावधानों और ऋण गारंटी संस्थाओं से प्राप्त दावे के रूप में किया गया है ।

7.3 अर्जक आस्तियों के लिए किया गया प्रावधान अन्य देयता एवं प्रावधान शीर्ष के तहत प्रदर्शित है ।

7.4. अग्रिमों को पुनर्गठन एवं तत्संबंधी प्रावधान भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देश के अनुरूप किया गया है ।

8. अचल आस्तियां और मूल्यह्रास

8.1. परिसर (पट्टे पर लिया गया परिसर समेत) और अन्य अचल आस्तियां तथा चल रहे पूंजीगत कार्य को परंपरागत लागत पर लिया गया है । पुनर्मूल्यांकित की स्थिति में यह पुनर्मूल्यांकित राशि के रूप में उल्लिखित है और बढ़ी हुई कीमत को "पुनर्मूल्यांकित प्रारक्षित" में जमा किया गया है ।

8.2 पट्टे पर ली गई आस्तियों को पट्टे की अवधि के लिए परिशोधन किया गया है ।

8.3. कंप्यूटर और स्वचालित टेलर मशीन (ए टी एम) के अतिरिक्त अन्य आस्तियों पर मूल्यह्रास का प्रावधान कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची के अंतर्गत, 5% अवशिष्ट मूल्य रखने के बाद किया गया है । हालांकि 01.04.2014 को पहले से उपयोग की जाने वाली संपत्तियों के लिए, बैंक 5% अवशिष्ट मूल्य को बनाए रखने के बाद मूल्यह्रास प्रभारित करने के लिए सीधी रेखा पद्धति का उपयोग करता है।

प्रत्येक वर्ष पुनर्मूल्यांकित प्रारक्षित से सामान्य प्रारक्षित को आस्ति के पुनर्मूल्यांकित भाग पर मूल्य ह्रास राशि के बराबर राशि अंतरित की गई है ।

8.4. कंप्यूटरों, स्वचालित टेलर मशीन (ए टी एम) एवं सॉफ्टवेयरों पर मूल्यह्रास का हिसाब उसकी अभिग्रहण तिथि से आनुपातिक आधार पर सीधी रेखा पद्धति से 33.33 प्रतिशत की दर से भा.रि.बैंक के दिशानिर्देश के अनुसार किया गया ।

8.5. अचल आस्तियों (पुनर्मूल्यांकित आस्तियों सहित) पर यदि कोई अनर्जक हानि हुई है, तो उसे अनर्जक आस्तियों पर लेखांकन मानक ए.एस 28 के अनुरूप चिह्नित किया गया है ।

9. सरकारी अनुदान के लिए लेखांकन

ए.एस-12 के अनुसार प्राप्त सरकारी अनुदान/ सहायकी को बही मूल्य तक पहुंचाने के संबंध में आस्तियों के सकल मूल्य में कटौती के रूप में किए गए अनुदान/दिखाकर तुलन पत्र प्रस्तुत किया गया है । लाभ एवं हानि खाते में अनुदान/सहायकी को मूल्यह्रास अस्तियों के उपयोगी जीवन काल पर मूल्यह्रास प्रभार में कटौती के द्वारा किया गया है ।

राजस्व प्रकृति से प्राप्त किए सरकारी अनुदान सहायकियों को लाभ एवं हानि खाते में उसी वित्तीय वर्ष के दौरान प्राप्त संबंधित लागत, यदि कोई हो, तो उसमें कटौती करते हुए स्वीकृत किया गया है, अन्यथा उपयुक्त को संबंधित वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् यदि प्राप्त हो, अन्य आय के अंतर्गत दर्शाया गया है ।

10. कर्मचारियों की सुविधाएं

10.1 "कर्मचारियों के लाभों" की पहचान कर्मचारी लाभ के अंतर्गत ए.एस-15 के अनुसार की गई है ।

10.2 कर्मचारियों को दी जाने वाली अल्पावधिक सुविधाओं अर्थात अवकाश किराया रियायत एवं चिकित्सा सहायता की माप लागत पर की गई है ।

10.3 कर्मचारियों को दी जाने वाली दीर्घावधिक सुविधाएं तथा सेवानिवृत्ति के बाद की सुविधाएं जैसे आनुतोषिक, पेंशन और छुट्टी नकदीकरण की माप वार्षिक तृतीय पक्ष बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर पूर्वानुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति द्वारा बट्टा आधार पर की गई है ।

10.4 जिन कर्मचारियों ने भविष्य निधि योजना का विकल्प दिया है उनका निर्धारित अंशदान एक मान्यता प्राप्त न्यास में डाल दिया जाता है । जिन्होंने पेंशन का विकल्प दिया है, उनकी पेंशन निधि का अंशदान बीमांकिक मूल्यांकन पर आधारित होता है ।

10.5 तुलन पत्र में दीर्घावधि कर्मचारी सुविधाएं वर्तमान दायित्वों को दर्शाती हैं जिन्हें अतीत के गैर मान्यता प्राप्त सेवा लागत के लिए समायोजित (यदि कुछ है तो) किया हुआ है और जैसे कि योजना आस्ति के उचित मूल्य से कम करके (जहां भी लागू होना योग्य है) लाभ हानि लेखा में मान्यता प्राप्त स्तर तक बीमांकिक लाभ हानि के रूप में दर्शाया गया है ।

10.6 पेंशन सुविधा सहित दीर्घावधि कर्मचारी सुविधाओं से संबंधित संक्रमणकालीन देयता को पांच वर्ष में सीधी रेखा आधार पर एक व्यय के रूप में दर्शाया गया है ।

10.7 भारतीय रिजर्व बैंक के परिपत्र के अनुरूप सार्वजनिक बैंकों के कर्मचारियों के लिए पेंशन विकल्प की सुविधा दुबारा देने और उपादान सीमा बढ़ोत्तरी विवेकपूर्ण नियामक आचरण संबंधी व्यय में पांच वर्ष के लिए परिशोधन किया जा रहा है ।

11. कराधान

"कर के हिसाब के अंतर्गत आय" पर कर का प्रावधान ए एस 22 के अनुसार चालू एवं आस्थगित करों - दोनों के लिए किया गया है ।

12. प्रावधान, आकस्मिक देयता और आकस्मिक आस्तियां

"प्रावधान, आकस्मिक देयता और आकस्मिक आस्तियों" पर ए एस 29 के अनुसार बैंक निम्नांकित को मान्यता देता है :

(क) प्रावधानों को तभी चिह्नित किया जाता है तब पूर्ववर्ती घटना के परिणाम स्वरूप कोई वर्तमान दायित्व रहता है और यह संभव है कि आर्थिक सुविधाओं से युक्त संसाधनों का कोई प्रवाह किसी दायित्व के लिए जरूरी हो और जब दायित्व की मात्रा के लिए एक विश्वसनीय आकलन किया जा सके।

(ख) आकस्मिक देयताओं की पहचान या उनका प्रकटीकरण तब होता है जब कोई संभावित दायित्व अतीत की ऐसी किसी घटना के कारण आ पड़ता है जिसके अस्तित्व की पुष्टि एक या एक से अधिक किसी ऐसी अनिश्चित भावी घटना होने / न होने से होती है जिस पर बैंक का पूर्ण नियंत्रण नहीं होता। आकस्मिक देयता की पहचान /प्रकटीकरण विगत घटनाओं से वर्तमान दायित्व आने पर भी होता है किन्तु उसकी पहचान दायित्व के निपटान के लिए आर्थिक लाभों सहित संसाधनों के प्रवाह की दूर संभावना अथवा दायित्व के स्वरूप का विश्वसनीय आकलन नहीं किए जाने के कारण नहीं होती है ।

(ग) आकस्मिक आस्तियां वित्तीय विवरण में मान्यता प्राप्त नहीं है ।

13. शुद्ध लाभ

निम्नलिखित के लेखांकन के बाद ही शुद्ध लाभ किया गया है :

(क) कराधान का प्रावधान

(ख) मानक आस्तियों पर प्रावधान करना

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक विवेकपूर्ण मानकों के अनुसार अनर्जक आस्तियों एवं मूल्यह्रास पर प्रावधान

(घ) अन्य सामान्य तथा आवश्यक प्रावधान करना ।

दिनांक 31.03.2019 तक यह अनुसूची 17 का एक भाग है।

अशोक कुमार प्रधान
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

संजय कुमार
कार्यपालक निदेशक

अजीत कुमार दास
कार्यपालक निदेशक

समीर कुमार खरे
निदेशक

दिनेश सिंह
निदेशक

सिद्धार्थ प्रधान
निदेशक

एस. सूर्यनारायण
निदेशक

साधना वर्मा
निदेशक

अश्विनी कुमार झा
महाप्रबंधक एवं सीएफओ

संलग्नक समान तारीख की हमारी अलग रिपोर्ट के अनुसार

कृते अरुण के. अग्रवाल एंड एसोसिएट्स	कृते मुखर्जी बिश्वास एंड पाठक	कृते दिनेश जैन एंड एसोसिएट्स	कृते एसबीए एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार	सनदी लेखाकार
(एफआरएनः 003917एन)	(एफआरएनः 301138ई)	(एफआरएनः 004885एन)	(एफआरएनः 308136ई)
ह/-	ह/-	ह/-	ह/-
सीए अरुण कुमार अग्रवाल	**सीए शंकर प्रसन्न मुखर्जी**	**सीए नेहा जैन**	**सीए नीलंजना सेन**
(भागीदार)	(भागीदार)	(भागीदार)	(भागीदार)
एम.सं.: 082899	एम.सं.:010807	एम.सं.: 514725	एम.सं.: 061768

दिनांक : 13 मई, 2019
स्थान : कोलकाता

अनुसूची 18

31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरण का अंश है

1. विदेशी शाखाओं, भारतीय स्टेट बैंक और अन्य बैंकों के शेष की पुष्टि/समाधान, नास्ट्रो खातों, देय ड्राफ्ट, समाशोधन अंतर, अंतर कार्यालय समायोजन आदि का कार्य निरंतर प्रगति पर है। प्रबंधन की राय में, वित्तीय विवरणों पर उपर्युक्त का लंबित क्लियरेंस/समायोजन, समग्र प्रभाव, यदि कोई हो, तो इसका महत्वपूर्ण प्रभाव होने की संभावना नहीं है।

2.1 **पूंजी** (₹ करोड़ में)

क्रम.	विवरण	बासेल-III समाप्त वर्ष	
		31.03.2019	31.03.2018
1	आम इक्विटी टीयर 1 अनुपात (%)	10.14	8.39
2	टीयर 1 पूंजी अनुपात (%)	10.14	9.87
3	टीयर 2 पूंजी अनुपात (%)	2.86	2.75
4	कुल पूंजी अनुपात (सीआरएआर) (%)	13.00	12.62
5	बैंक की इक्विटी पूंजी में भारत सरकार की हिस्सेदारी का प्रतिशत	96.83%	93.13%
6	जुटाई गई इक्विटी पूंजी की राशि (₹ करोड़ में)	5028.81	2620.36
7	जुटाई गई अतिरिक्त टीयर 1 पूंजी की राशि; जिनमें से	शून्य	590
7.1	पीएनसीपीएस	शून्य	शून्य
7.2	पीडीआई	शून्य	590
8	जुटाई गई टीयर 2 पूंजी की राशि; जिसमें से:	शून्य	990
8.1	ऋण पूंजी लिखत	शून्य	990
8.2	अधिमान शेयर पूंजी लिखत	शून्य	शून्य

पूंजी योजना उपाय के रूप में वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान बैंक ने निम्नलिखित पूंजी जुटाई है:

क) चालू वित्तीय वर्ष की दूसरी तिमाही के दौरान, बैंक ने युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया कर्मचारी शेयर खरीद योजना, 2018 के तहत बैंक के पात्र कर्मचारियों के लिए प्रति शेयर ₹10.55/- के जारी मूल्य पर ₹10/ के अंकित मूल्य का 2,92,02,589 नया इक्विटी शेयर जारी और आवंटित करके ₹1.61 करोड़ के शेयर प्रीमियम समेत ₹30.81 करोड़ की इक्विटी पूंजी जुटाई।

ख) वित्तीय वर्ष 2019 की तीसरी और चौथी तिमाही के दौरान बैंक को सरकार की ओर से दो चरणों में ₹4998 करोड़ की पूंजी प्राप्त हुई थी।

अ. बैंक को सरकार के निवेश के रुप में बैंक की इक्विटी शेयरों के अधिमानी आवंटन में केन्द्र सरकार की ओर से 31.12.2018 को ₹2159 करोड़ की राशि प्राप्त हुई थी। 11.02.2019 को बैंक ने ₹341.66 करोड़ के शेयर प्रीमियम समेत केन्द्र सरकार के एवज में भारत के राष्ट्रपति को प्रति शेयर ₹11.88/ की दर पर प्रत्येक ₹10/ के अंकित मूल्य का 1,81,73,40,067 इक्विटी शेयर आवंटित किया था ।

आ. बैंक को भारत सरकार के अधिमानी आवंटन के माध्यम से इक्विटी शेयरों को जारी करने के लिए 26.02.2019 को ₹2839 करोड़ की राशि प्राप्त हुई। 29.03.2019 को बैंक ने ₹265.11 करोड़ के शेयर प्रीमियम समेत केन्द्र सरकार की एवज में भारत के राष्ट्रपति को प्रति शेयर ₹11.03/- की दर से प्रत्येक ₹10/ के अंकित मूल्य पर 2,57,38,89,392 इक्विटी शेयरों का आवंटन किया था।

2.2 **निवेश** (₹ करोड़ में)

विवरण		समाप्त वर्ष	
		31.03.2019	31.03.2018
1	निवेश का मूल्य		
(i)	निवेश का सकल मूल्य	62263.02	51200.67
	(क) भारत में	62263.02	51200.67
	(ख) भारत से बाहर	0.00	0.00
(ii)	मूल्यह्रास का प्रावधान	1286.99	798.87
	(क) भारत में	1286.99	798.87
	(ख) भारत से बाहर	0.00	0.00
(iii)	निवेश का शुद्ध मूल्य	60976.03	50401.80
	(क) भारत में	60976.03	50401.80
	(ख) भारत से बाहर	0.00	0.00

विवरण	समाप्त वर्ष	
	31.03.2019	31.03.2018
2 एमटीएम हानि एवं एनपीआई निवेश में किए गए प्रावधान का उतार-चढ़ाव		
(i) प्रारंभिक शेष	798.87	319.88
(ii) जोड़: वर्ष के दौरान किए गए प्रावधान	496.81	480.46
(iii) घटाव: वर्ष के दौरान किए गए अतिरिक्त प्रावधान का बट्टे खाते करण/प्रतिलेखन	8.69	1.47
(iv) अंतिम शेष	1286.99	798.87

आरबीआई ने अपने परिपत्र सं. DBR.No.BP.BC.102/21.04.048/2017-18 दिनांक अप्रैल 2, 2018 और DBR.No. BP.BC.113/21.04.048/2017-18 दिनांक जून 15, 2018 के माध्यम से 31 दिसम्बर, 2017, 31 मार्च, 2018 और 30 जून, 2018 को समाप्त तिमाही के लिए एएफएस और एचएफटी में धारित निवेश पर हुई मार्क-टू मार्केट (एमटीएम) हानि के लिए प्रावधानीकरण को बढ़ाने के लिए बैंकों को अनुमति प्रदान की। इस हानि का विस्तार इसके घटित होने की तिमाही से प्रारम्भ होकर चार तिमाहियों तक किया जा सकता है। 30 सितम्बर, 2018 को किए गए ₹159.67 करोड़ के प्रावधान को (31 दिसम्बर, 2018 और 31 मार्च, 2019 तिमाही के लिए क्रमशः ₹90.59 करोड़ और ₹69.08 करोड़) 31 दिसम्बर, 2018 को समाप्त तिमाही के दौरान पूरी तरह से उपलब्ध कराया गया है और अब कोई अन्य प्रावधान नहीं है।

2.2.1 रेपो लेनदेन (अंकित मूल्य के रुप में)

(₹ करोड़ में)

विवरण	वर्ष के दौरान न्यूनतम बकाया	वर्ष के दौरान अधिकतम बकाया	वर्ष के दौरान औसत दैनिक बकाया	31.03.2019 को बकाया
रेपो के तहत बेची गई प्रतिभूतियां				
i) सरकारी प्रतिभूतियां	0.00 (300.00)	0.00 (300.00)	0.00 (2.47)	0.00 (0.00)
ii) कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)
प्रत्यावर्तित रेपो के तहत खरीदी गई प्रतिभूतियां				
i) सरकारी प्रतिभूतियां	25.95 (20.33)	4112.73 (1021.73)	350.74 (72.91)	0.00 (71.41)
ii) कॉर्पोरेट ऋण प्रतिभूतियां	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)

कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के आंकड़े हैं।

2.2.2 गैर एसएलआर निवेश पोर्टफोलियो

(i) गैर एसएलआर निवेशकों के जारीकर्ता की संरचना

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	जारीकर्ता	राशि	निजी नियोजन की सीमा	निम्न श्रेणी की प्रतिभूतियों में निवेश की सीमा	गैर निर्धारित प्रतिभूतियों की सीमा	असूचीगत प्रतिभूतियों की सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	पीएसयू	4792.42 (3104.92)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	1.82 (2.82)
2	वित्तीय संस्थाएं	2315.87 (1382.98)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	9.60 (9.60)
3	बैंक	11676.90 (5762.89)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	51.12 (51.12)	368.52 (368.52)
4	निजी कॉरपोरेट	4351.22 (3312.92)	718.95 (905.33)	0.00 (0.00)	248.46 (251.11)	490.74 (494.90)
5	अनुषंगी/ संयुक्त उपक्रम	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)	0.00 (0.00)

क्रम सं.	जारीकर्ता	राशि	निजी नियोजन की सीमा	निम्न श्रेणी की प्रतिभूतियों में निवेश की सीमा	गैर निर्धारित प्रतिभूतियों की सीमा	असूचीगत प्रतिभूतियों की सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6	अन्य (एमएफ/सी.पी./सीडी)	8557.30	0.00	0.00	0.00	0.00
		(3742.66)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
7	मूल्यह्रास/एनपीआई हेतु प्रावधान	1286.99	0.00	0.00	0.00	0.00
		(657.16)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
	कुल (1 से 6) - (7)	**30406.72**	**718.95**	**0.00**	**299.58**	**870.68**
		(16649.11)	**(905.33)**	**(0.00)**	**(302.23)**	**(875.84)**

कोष्ठक में दिए गए आंकड़े पिछले वर्ष के आंकड़े हैं।

(ii) गैर निष्पादित गैर एसएलआर निवेश

(₹ करोड़ में)

विवरण	समाप्त वर्ष	
	31.03.2019	**31.03.2018**
प्रारंभिक शेष	830.48	166.08
वर्ष के दौरान वृद्धि	97.91	665.87
वर्ष के दौरान कमी	12.41	1.47
अंतिम शेष	915.98	830.48
किए गए कुल प्रावधान	**856.93**	**505.44**

2.2.3 **परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) श्रेणी की बिक्री एवं अंतरण**

1. वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान एचटीएम श्रेणी से केन्द्र सरकार की प्रतिभूति और राज्य विकास ऋण की बिक्री शून्य रही ।
2. ₹1299.14 करोड़ (₹1316.23 करोड़ का बही मूल्य) के अंकित मूल्य के केन्द्र सरकार की प्रतिभूतियों का अंतरण 06.04.2018 को एएफएस से एचटीएम में किया गया।
3. ₹3458.65 करोड़ (₹3492.92 करोड़ का बही मूल्य) के अंकित मूल्य वाले राज्य विकास ऋण प्रतिभूतियों का एएफएस से एचटीएम में अंतरण किया गया और ₹4966.30 करोड़ (4993.26 करोड़ का बही मूल्य) के अंकित मूल्य वाले राज्य विकास ऋण का 06.04.2018 को एचटीएम से एएफसी श्रेणी में अंतरण किया गया।
4. ₹0.03 करोड़ (₹5.23 करोड़) के अंकित मूल्य वाले वेंचर पूंजी प्रतिभूतियों का एचटीएम से एएफसी श्रेणी में अंतरण किया गया।

2.2.4 **विदेशी मुद्रा से संबंधित लेनदेन**

बांग्लादेश (बीडीटी 23,00,131.26 जो भारतीय ₹18.40 लाख के बराबर है) की मुद्रा को छोड़कर मौद्रिक संपत्ति और देयताएं, जिसे स्पॉट दरों की अनुपलब्धता के कारण राष्ट्रीय मूल्य पर मूल्यांकित किया जाता है, उसका पुनर्मूल्यांकन विदेशी मुद्रा डीलर एसोसिएशन (एफईडीएआई) द्वारा तुलन पत्र की तिथि को घोषित क्लोजिंग स्पोट दर के अनुसार किया जाता है।

2.3 **व्युत्पन्न (डेरिवेटिव्स)**

2.3.1 **वायदा दर करार / ब्याज दर स्वैप**

(₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	विवरण	समाप्त वर्ष	
		31.03.2019	**31.03.2018**
i)	स्वैप करारों के अनुमानिक मूलधन	शून्य	शून्य
ii)	प्रतिपक्षियों (काउंटर पार्टियों) द्वारा करार के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल रहने पर हुई हानि	शून्य	शून्य
iii)	स्वैप में प्रवेश करने पर बैंक द्वारा अपेक्षित संपार्श्विक	शून्य	शून्य
iv)	स्वैप से संबन्धित ऋण जोखिम का संकेंद्रण	शून्य	शून्य
v)	स्वैप बही का उचित मूल्य	शून्य	शून्य

2.3.2 **एक्सचेंज ट्रेडेड ब्याज दर डेरिवेटिव**

(₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	विवरण	समाप्त वर्ष	
		31.03.2019	31.03.2018
i)	वर्ष के दौरान बकाया विनिमय व्यापार संबंधी ब्याज दर व्युत्पन्नों का आनुमानिक मूलधन (लिखत वार)	शून्य	शून्य
ii)	31 मार्च, बकाया विनिमय व्यापारकृत ब्याज दर व्युत्पन्नों का आनुमानिक मूलधन (लिखत वार)	शून्य	शून्य
iii)	बकाया अल्प प्रभावी विनिमय व्यापारकृत ब्याज दर व्युत्पन्नों का आनुमानिक मूलधन (लिखत वार)	शून्य	शून्य
iv)	बकाया एवं अल्प प्रभावी विनिमय व्यापारकृत ब्याज दर व्युत्पन्नों का चिह्नित बाज़ार मूल्य (लिखत वार)	शून्य	शून्य

2.3.3 **व्युत्पन्न में जोखिम निवेश पर प्रकटीकरण**

क. गुणात्मक प्रकटीकरण

क) बैंक ने व्यापार (अंतरपणन) और बचाव के उद्देश्य से मुद्रा वायदे में व्युत्पन्न का लेनदेन नहीं किया है ।

ख) व्युत्पन्न लेनदेन के जोखिम प्रबंधन संगठन के तीन कार्य क्षेत्र है, अर्थात्

क) लेनदेन करने के लिए फ्रंट ऑफिस;

ख) जोखिम प्रबंधन और रिपोर्टिंग के लिए मिड ऑफिस; और

ग) निपटान, सुलह और लेखांकन के लिए बैक ऑफिस;

ग) मिड ऑफिस द्वारा जोखिम उपाए,रिपोर्टिंग और निगरानी कार्य किए जाते है। निदेशक मंडल बोर्ड की जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसीबीओडी) के माध्यम से व्युत्पन्न लेनदेन सहित बैंक समग्र जोखिम उपाय, निगरानी और रिपोर्टिंग कार्य के पर्यवेक्षण के लिए सर्वोच्च इकाई है। बैंक की आंतरिक जोखिम प्रबंधन समिति (एलको), परिचालन जोखिम प्रबंधन समिति (ओआरएमसी) तथा निवेश विषयक आंतरिक समिति (आईसीआई) के माध्यम से जोखिम प्रबंधन की आंतरिक रूप से निगरानी करता है।

घ) बोर्ड द्वारा अनुमोदित एकीकृत ट्रेजरी नीति जिसमें ऋण जोखिम, परिचालनात्मक जोखिम एवं व्युत्पन्न लेनदेन संबंधी विपणन जोखिम से बचाव करने /उसे कम करने हेतु अंतर्निहित बचाव उपायों की पहचान की गई है। ग्राहकों से संबंधित व्युत्पन्न लेनदेन काउंटर पार्टी बैंकों से समान रकम एवं अवधि के लिए पृष्ठांकित आधार पर होता है तथा ऐसे लेनदेन के लिए बैंक को कोई बाजार जोखिम नहीं होता है।

ड.) यह नीति बचाव एवं गैरबचाव लेनदेनों, आय पहचान के लिए लेखांकन तथा विशिष्ट संविदाओं के लिए मूल्यांकन प्रविधि निर्धारित करती है। आय निर्धारण विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन के प्रभाव के अनुसार ए एस-11 तथा समयसमय पर आर.बी.आई/एफ डी ए आई द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार किया जाता है। एकीकृत ट्रेजरी नीति भी ऋण जोखिम कम करने के लिए विभिन्न सीमाएं निर्धारित करती है, जैसे ग्राहक स्तर की सीमाएं, व्यापार सदस्य स्तर की सीमाएं, शुद्ध मुक्त स्थिति सीमाएं।

ख) परिमाणात्मक प्रकटीकरण

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	31.03.2019 को समाप्त वर्ष		31.03.2018 को समाप्त वर्ष	
		मुद्रा व्युतपन्नी	ब्याज दर व्युतपन्नी	मुद्रा व्युतपन्नी	ब्याज दर व्युतपन्नी
(i)	व्युत्पन्न (आनुमानिक मूलधन की राशि)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क) हेजिंग के लिए	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	ख) व्यापार के लिए	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	बाजार की स्थिति को चिह्नित (1)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क) आस्ति (+)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	ख) देयता (-)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iii)	ऋण जोखिम (2)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(iv)	ब्याज दर में एक प्रतिशत परिवर्तन की संभावित प्रभाव (100* पीवी 01)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क) बचाव व्युत्पनों पर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	ख) व्यापार व्युत्पनों पर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(v)	वर्ष के दौरान पाई गई 100* पीवी 01 का अधिकतम और न्यूनतम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	क) हेजिंग पर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	ख) व्यापार पर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

2.4 आस्ति गुणवत्ता

2.4.1 गैर निष्पादित आस्तियां

(₹ करोड़ में)

क्रम. सं.	विवरण	समाप्त वर्ष	
		31.03.2019	31.03.2018
i)	शुद्ध अग्रिमों का शुद्ध एनपीए (%)	8.67	16.49
ii)	एनपीए (सकल) में उतार चाढ़ाव		
	क) प्रारंभिक शेष	16552.11	10951.99
	ख) वर्ष के दौरान वृद्धि	2870.52	8606.26
	ग) वर्ष के दौरान कमी	7369.25	3006.14
	घ) अंतिम शेष	**12053.38**	**16552.11**
iii)	एनपीए (शुद्ध) में उतार चाढ़ाव		
	क) प्रारंभिक शेष	10316.30	6591.85
	ख) वर्ष के दौरान वृद्धि	-2942.19	4422.85
	ग) वर्ष के दौरान कमी	1588.50	698.40
	घ) अंतिम शेष	**5785.61**	**10316.30**
iv)	एनपीए के प्रावधान में उतार चढ़ाव (मानक परिसंपत्तियों के प्रावधानों को छोड़कर)		
	क) प्रारंभिक शेष	6201.57	4321.40
	ख) वर्ष के दौरान वृद्धि	5523.30	3945.97
	ग) वर्ष के दौरान कमी	5556.56	2065.80
	घ) अंतिम शेष	**6168.31**	**6201.57**

2.4.2 वर्ष 2017-18 के लिए आरबीआई के जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट (आरएआर) के अनुपालन में आस्ति वर्गीकरण और एनपीए के लिए प्रावधान में विचलन निम्नलिखित है:

(संदर्भ. आरबीआई का परिपत्र सं. DBR.BP.BC.No.63/21.04.018/2016-17 दिनांक अप्रैल 18, 2017 और DBR.BP.BC.No.32 /21.04.018/2018-19 दिनांक अप्रैल 1, 2019)

(₹ हजार में)

क्रम. सं.	विवरण	राशि
1.	बैंक द्वारा की गई रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च 2018 को सकल एनपीए	**165521100**
2.	आरबीआई द्वारा किया गया मूल्यांकन के अनुसार 31 मार्च, 2018 को सकल एनपीए	165791100
3.	सकल एनपीए में विचलन (2-1)	270000
4.	बैंक द्वारा की गई रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च 2018 को निवल एनपीए	**103163000**
5.	आरबीआई द्वारा किया गया मूल्यांकन के अनुसार 31 मार्च, 2018 को निवल एनपीए	97133000
6.	निवल एनपीए में विचलन (5-4)	(6030000)
7.	बैंक द्वारा की गई रिपोर्ट के अनुसार 31 मार्च 2018 को एनपीए हेतु प्रावधान	**62015700**
8.	आरबीआई द्वारा किया गया मूल्यांकन के अनुसार 31 मार्च, 2018 को एनपीए हेतु प्रावधान	68315700
9.	प्रावधान में विचलन (8-7)	6300000
10.	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए कर के पश्चात (पीएटी) रिपोर्ट की गई निवल लाभ	(14544400)
11.	प्रावधान में विचलन को ध्यान में रखते हुए, 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए कर के पश्चात (पीएटी) समायोजित (काल्पनिक) निवल लाभ इत्यादि	(21255400*)

* एनपीआई में ₹399 एमएन के प्रावधान में विचलन सहित

2.4.3 पुनर्गठित खातों का विवरण

पुनर्गठित खातों का प्रकटीकरण (31.03.2019 के अनुसार)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	पुनर्गठन के प्रकार ->		सीडीआर तंत्र के तहत					एसएमई ऋण पुनर्गठन तंत्र के तहत					अन्य					कुल				
	आस्ति वर्गीकरण ->		मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल
	ब्योरा																					
1	वित्तीय वर्ष अप्रैल तक पुनर्गठित खाता (प्रारम्भिक शेष)	ऋण लेने वालों की संख्या	12	5	27	-4	40	277	137	1467	-3	1878	1412	467	4431	-809	5501	1701	609	5925	-816	7419
		बकाया राशि	727.1	731.25	3138.02	-105.61	4490.76	57.91	30.15	150.81	-4.33	234.54	1724.15	1326.98	1755.75	-2447.38	2359.5	2509.15	2088.39	5044.58	-2557.32	7084.80
		उस पर प्रावधान	7.73	0	0.43	0	8.16	1.41	0.07	2.84	0	4.32	15.53	0.1	6.63	0.01	22.27	24.67	0.17	9.9	0.01	34.75
2	वर्ष के दौरान नये पुनर्गठित	ऋण लेने वालों की संख्या	0	0	0	0	0	2185	308	347	0	2840	12	132	1	0	145	2197	440	348	0	2985
		बकाया राशि	0	0	0.00	0.00	0.00	129.09	7.07	4.93	0.00	141.09	164.17	2.82	0.00	0.00	166.99	293.26	9.89	4.93	0.00	308.08
		उस पर प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.23	1.50	0.25	0.00	21.98	81.51	0.14	0.00	0.00	81.65	101.74	1.64	0.25	0.00	103.63
3	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्गठित मानक श्रेणी में	ऋण लेने वालों की संख्या	4	-4	0	0	0	24	-12	-12	0	0	57	-25	-32	0	0	85	-41	-44	0	0
		बकाया राशि	47.55	-51.74	0.00	0.00	-4.19	2.59	-2.58	-0.09	0.00	0.00	3.80	-2.26	-1.77	0.00	-0.23	53.94	-56.58	-1.86	0.00	-4.50
		उस पर प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	वित्तीय वर्ष के अन्त में पुनर्गठित अग्रिम जिसमें उच्च प्रावधान रुक गया है और अथवा अतिरिक्त जोखिम भारित किया गया है उसे अगले वित्त वर्ष के आरम्भ पुनर्गठित मानक अग्रिम के रुप में प्रदर्शित करने आवश्यकता न हो	ऋण लेने वालों की संख्या	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		बकाया राशि	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		उस पर प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्गठित खातों की निम्नकरण	ऋण लेने वालों की संख्या	-2	6	-4	0	0	-22	-312	334	0	0	-34	-434	468	0	0	-58	-740	798	0	0
		बकाया राशि	-5.89	54.38	-48.44	0.00	0.05	-2.97	-27.36	29.91	0.00	-0.42	-90.84	-808.91	900.22	0.00	0.47	-99.70	-781.89	881.69	0.00	0.10
		उस पर प्रावधान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

पुनर्गठित खातों का प्रकटीकरण (31.03.2019 के अनुसार)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	पुनर्गठन के प्रकार ->		सीडीआर तंत्र के तहत					एसएमई ऋण पुनर्गठन तंत्र के तहत					अन्य					कुल				
	आस्ति वर्गीकरण ->		मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल	मानक	अवमानक	संदिग्ध	हानि	कुल
	ब्योरा																					
6	वित्तीय वर्ष के दौरान पुनर्गठित खातों को बट्टे खाता में डालना	ऋण लेने वालों की संख्या	1	3	88	1	93	49	46	395	0	490	211	92	934	0	1237	261	141	1417	1	1820
		बकाया राशि	0	252.37	1589.72	49.08	1891.17	3.70	1.47	78.64	0.00	83.81	97.81	311.93	1121.68	0.00	1531.42	101.51	565.77	2790.04	49.08	3506.40
		उस पर प्रावधान	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	31 मार्च को समाप्त वित्तीय वर्ष का पुनर्गठित खाता (समापन आंकड़े)	ऋण लेने वालों की संख्या	13	4	-65	-5	-53	2415	75	1741	-3	4228	1236	48	3934	-809	4409	3664	127	5610	-817	8584
		बकाया राशि	768.76	481.52	1499.86	-154.69	2595.45	182.92	5.81	106.92	-4.33	291.32	1703.47	206.70	1532.52	-2447.38	995.31	2676.24	694.03	3139.30	-3893.38	2616.19
		उस पर प्रावधान	7.73	0	0.43	0.00	8.16	21.64	1.57	3.09	0.00	26.30	97.04	0.24	6.63	0.01	103.92	126.41	1.81	10.15	0.01	138.38

*मानक पुनर्गठित अग्रिम के आकड़े को छोड़कर उच्च प्रावधानीकरण या जोखिम भार को आकृष्ट नहीं करता है (यदि लागू हो तो)

1. छूट सहित उपर्युक्त प्रकटीकरण बैंक प्रबंधन द्वारा समेकित और सत्यपित हैं।
2. 31.03.2019 तक रू 1 करोड़ एवं अधिक के मानक एवं एनपीए आस्ति के लिए वर्ष के दौरान पुनर्गठित आस्ति पर आर्थिक त्याग की मात्रा का गणना एन पी वी पद्धति द्वारा किया गया । शेष आस्तियों के लिए आर्थिक त्याग बकाया शेष पर 5 प्रतिशत की दर से किया गया ।
3. 31.03.2019 को पुनर्गठित खातों में बकाया वृद्धि को उपर के क्रम में शामिल किया गया है और 31.03.2019 तक पुनर्गठित खातों के बकाया में कमी नीचे के क्रम में शामिल किया गया है।

2.4.4 **आस्ति पुनर्निमाण के लिए प्रतिभूतिकर्ता/पुनर्गठन कंपनी को बेची गई आस्तियों/वित्तीय आस्तियों का विवरण** (₹ करोड़ में)

क्रम सं	विवरण	समाप्त वर्ष	
		31.03.2019	31.03.2018
i)	खातों की संख्या	7	30
ii)	एससी/आरसी को बेचे गए खातों का कुल मूल्य (कुल प्रावधान)	217.11	240.36
iii)	कुल प्रतिफल	308.49	365.59
iv)	विगत वर्ष में अंतरित खातों के संबंध में वसूली किए गए अतिरिक्त प्रतिफल	143.66	0.00
v)	शुद्ध बही मूल्य पर कुल लाभ (हानि)	(+) 235.04	(+) 125.23

2.4.5 (₹ करोड़ में)

विवरण	अंतर्निहित रूप में बैंक द्वारा बेचा एनपीए के समर्थन से		अन्य बैंकों / वित्तीय संस्थाओं / अंतर्निहित रूप में गैरबैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा बेचा एनपीए के समर्थन से		कुल	
	31.03.2019	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2018
सुरक्षा निवेश प्राप्तियों का बही मूल्य	21.28	314.24	शून्य	शून्य	21.28	314.24

2.4.6 **31/03/2019 तक एसआर में निवेश का प्रकटीकरण** (₹ करोड़ में)

	विवरण	पिछले 5 वर्षों के भीतर जारी एसआरएस	5 वर्ष से पूर्व लेकिन पिछले 8 वर्षों के भीतर जारी किया गया एसआरएस	8 वर्ष से पूर्व जारी किया गया एसआरएस
(i)	अंतर्निहित रूप में बैंक द्वारा बेचे गए एनपीए के समर्थन से एसआरएस का अंकित मूल्य	649.17	1.17	12.65
	(i) के एवज में प्रावधान	**192.43**	**0.14**	**12.65**
(ii)	अंतर्निहित रूप से अन्य बैंकों/वित्तीय संस्थाओं/गैरबैंकिंग वित्तीय कंपनियों द्वारा बेचा गए एनपीए के समर्थन से एसआरएस का अंकित मूल्य	शून्य	शून्य	शून्य
	(ii) के एवज में प्रावधान	शून्य	शून्य	शून्य
कुल (i) + (ii)		649.17	1.17	12.65

2.4.7 **खरीदी/बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का ब्यौरा:**

क) खरीदी गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का ब्यौरा (₹ करोड़ में)

क्रम सं	विवरण	समाप्त वर्ष	
		31.03.2019	31.03.2018
1.	क) वर्ष के दौरान खरीदे खातों की सं.	शून्य	शून्य
	ख) कुल बकाया	शून्य	शून्य
2.	क) वर्ष के दौरान इन खातों की पुनर्संरचना	शून्य	शून्य
	ख) कुल बकाया	शून्य	शून्य

ख) बेची गई अनर्जक वित्तीय आस्तियों का ब्यौरा (₹ करोड़ में)

क्रम सं	विवरण	समाप्त वर्ष	
		31.03.2019	31.03.2018
1.	बेचे गई खातों की संख्या	7	30
2.	कुल बकाया	696.76	641.18
3.	प्राप्त कुल सिफारिश	308.49	365.59

2.4.8 **मानक आस्तियों पर प्रावधान** (₹ करोड़ में)

विवरण	समाप्त वर्ष	
	31.03.2019	31.03.2018
मानक आस्तियों पर प्रावधान	347.27	238.47

2.4.9 परिसंपत्तियां गुणवत्ता की समीक्षा (एक्यूआर) पर भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों के अनुपालन करते हुए 31 मार्च, 2017 को समाप्त छः तिमाहियों में वर्गीकरण करके, बैंक ने 31.03.2017 तक भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देशों और आईआरएसी मानदंडों के अनुसार अग्रिमों के वर्गीकरण और प्रावधानीकरण किया है। एक्यूआर प्रभावी 31.03.2017 तक पूरी तरह से उपलब्ध कराया गया है।

2.4.10 बैंक ने पंजाब राज्य सरकार द्वारा उपयोग किए गए खाद्य ऋण के निवेश के संबंध में ₹16.03 करोड़ के प्रावधान का रखरखाव किया है जिसकी बकाया राशि 31.03.2019 तक ₹320.50 करोड़ अर्थात 31.03.2019 के बकाया शेष पर 5% थी ।

2.5 व्यवसाय अनुपात

क्रम सं	विवरण	समाप्त वर्ष	
		31.03.2019	31.03.2018
i)	कार्यशील निधियों के सापेक्ष ब्याज-आय का प्रतिशत	5.91%	5.95%
ii)	कार्यशील निधियों के सापेक्ष गैर -ब्याज आय का प्रतिशत	1.65%	1.58%
iii)	कार्यशील निधियों के सापेक्ष परिचालनगत लाभ का प्रतिशत	0.97%	0.73%
iv)	आस्तियों पर प्रतिलाभ	-1.60%	-1.04%
v)	कर्मचारी व्यवसाय (जमा + अग्रिम) (₹ करोड में)	14.96	13.22
vi)	प्रति कर्मचारी लाभ / (हानि) (₹ लाख में)	10.23	6.91

2.6 आस्ति देयता प्रबंधन

आस्तियो एवं देयताओ की कुछ मदों की परिपक्वता ढांचा* (₹ करोड़ में)

आस्तियां / देयताएं	1 दिन	2 से 7 दिन	8 से 14 दिन	15 से 28 दिन	29 दिन से 3 महीने तक	3 महीना से और 6 महीने तक	6 महीने से अधिक व 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक व 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक व 5 वर्ष तक	5 वर्षों से अधिक	कुल
जमा	2071.83	5070.71	4660.71	4594.74	12038.46	7211.54	19416.15	28024.99	13555.38	38338.81	**134983.32**
	(2160.79)	*(5042.71)*	*(4844.72)*	*(2331.22)*	*(6500.91)*	*(4471.53)*	*(16685.07)*	*(23507.30)*	*(10970.08)*	*(52812.05)*	***(129326.38)***
अग्रिम	184.54	367.84	737.17	3806.84	7470.38	4782.31	8048.55	9718.89	8204.60	23633.99	**66955.10**
	(184.96)	*(335.85)*	*(392.20)*	*(636.46)*	*(1180.88)*	*(1577.09)*	*(3829.43)*	*(12103.00)*	*(8249.89)*	*(34000.44)*	***(62490.20)***
निवेश	5114.46	1936.93	725.12	1521.30	8116.42	1918.85	2341.30	3305.02	4053.52	31943.10	**60976.03**
	(9087.04)	*(1022.18)*	*(919.58)*	*(865.91)*	*(3028.58)*	*(1993.69)*	*(1530.46)*	*(2841.68)*	*(2825.56)*	*(26287.12)*	***(50401.80)***
उधार	1.19	200.00	0.00	0.00	0.00	4.27	3.42	204.84	1790.00	0.00	**2203.72**
	(1.60)	*(0.00)*	*(0.00)*	*(0.00)*	*(0.00)*	*(55.97)*	*(305.97)*	*(162.52)*	*(2280.00)*	*(500.00)*	***(3306.06)***
विदेशी मुद्रा आस्तियां	964.09	913.97	27.04	79.67	708.20	803.80	1814.28	0.00	237.62	0.35	**5549.02**
	(294.19)	*(403.06)*	*(19.26)*	*(162.36)*	*(476.90)*	*(283.05)*	*(489.82)*	*(0.00)*	*(18.38)*	*(0.33)*	***(2147.35)***
विदेशी मुद्रा देयताएं	267.13	1751.75	5.89	3.98	830.22	700.27	1966.86	20.30	2.17	0.00	**5548.57**
	(367.23)	*(410.93)*	*(53.80)*	*(334.95)*	*(339.07)*	*(196.10)*	*(412.11)*	*(29.54)*	*(4.16)*	*(0.00)*	***(2147.91)***

**उपर्युक्त प्रकटीकरण बैंक प्रबंधन द्वारा समेकित एवं प्रमाणित किए गए हैं।*
कोष्ठक में दिए गए आंकडे विगत वर्ष की स्थिति दर्शाते हैं।

2.7 निवेश

2.7.1 स्थावर संपदा क्षेत्र में निवेश*

(₹ करोड़ में)

श्रेणी			समाप्त वर्ष	
			31.03.2019	31.03.2018
क)	**प्रत्यक्ष निवेश**			
	i)	**आवासीय बंधक –**		
		आवासीय संपत्ति जो बंधक द्वारा पूर्ण रूप से जमानती उधार है, और उधारकर्ता द्वारा दखल में है या किया जाएगा अथवा किराया पर है;	11670.00	10918.00
		-जिसमें से, व्यक्तिगत आवास ऋण जो प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के अग्रिमों में शामिल होने योग्य है।	6699.00	6190.00
	ii)	**वाणिज्यिक स्थावर संपदा –**		
		वाणिज्यिक स्थावर संपदाओं (कार्यालय भवन, खुदरा स्थल, बहु उद्देशीय वाणिज्यिक परिसरों, बहु किराएदारी वाणिज्यिक परिसरों, औद्योगिक अथवा मालगोदाम स्थल, होटल, जमीन अधिग्रहण, विकास एवं निर्माण इत्यादि सहित गैरनिधि आधारित (एनएफबी सीमाएं) पर बंधक द्वारा जमानती ऋण।	108.80	180.16
	iii)	बंधक आधारित जमानती निवेश (एमबीएस) तथा अन्य जमानती आधारित निवेश –		
		क. आवासीय,	शून्य	शून्य
		ख. वाणिज्यिक स्थावर संपदा.	शून्य	शून्य
ख)	**अप्रत्यक्ष निवेश**			
	राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी) और हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज (एचएफसी) पर निधि आधारित एवं गैर निधि आधारित निवेश		3814.06	2398.31
	स्थावार संपदा क्षेत्र में कुल निवेश		**15592.86**	**13496.47**

**(उपर्युक्त प्रकटीकरण बैंक प्रबंधन द्वारा समेकित एवं प्रमाणित है)*

2.7.2 पूंजी बाजार में निवेश*

(₹ करोड़ में)

विवरण		समाप्त वर्ष	
		31.03.2019	31.03.2018
(i)	इक्विटी शेयरों, परिवर्तनीय बॉन्ड, परिवर्तनीय डिबेंचर एवं इक्विटी म्यूचुअल फंड जिनकी कॉरपस निधि केवल कारपोरेट ऋणों में निवेशित नहीं है, में किए गए प्रत्यक्ष निवेश	101.66	102.06
(ii)	शेयरों/ बॉन्ड /डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों या व्यक्तियों के शेयरों (आईपीओ/ईएसओपी सहित) परिवर्तनीय बॉन्डों, परिवर्तनीय डिबेंचरों एवं इक्विटीमूलक म्यूचुअल फंड की इकाइयों के एवज में अग्रिम	शून्य	शून्य
(iii)	किसी अन्य उद्देश्य के लिए अग्रिम जहां शेयर या परिवर्तनीय डिबेंचर या इक्विटीमूलक म्यूचुअल फंड की इकाइयाँ प्राथमिक प्रतिभूतियों के रूप में ली जाती हैं।	43.20	34.85
(iv)	शेयरों की संपार्श्विक प्रतिभूति या परिवर्तनीय बॉन्ड या परिवर्तनीय डिबेंचर या इक्विटीमूलक म्यूचुअल फंड की इकाइयों द्वारा प्रतिशत सीमा तक अन्य उद्देश्यों के लिए अग्रिम अर्थात् जहां शेयरों/परिवर्तनीय बॉन्डों/परिवर्तनीय डिबेंचरों इक्विटीमूलक म्यूचुअल फंड की इकाइयों द्वारा अग्रिम पूर्ण प्रारक्षित नहीं है।	शून्य	शून्य
(v)	स्टॉक ब्रोकरों को जमानती एवं गैर जमानती अग्रिम तथा स्टॉक ब्रोकरों एवं बाजार निर्माताओं की ओर से जारी गारंटियां।	शून्य	शून्य
(vi)	शेयरों/बॉन्डों/डिबेंचरों या अन्य प्रतिभूतियों या संसाधानों के एवज में नई कंपनियों की इक्विटि के पक्ष के प्रोमोटरों के योगदान की पूर्ति हेतु बेजमानती आधार पर कंपनियों को संस्वीकृत ऋण।	शून्य	शून्य
(vii)	अपेक्षित इक्विटी प्रवाह/निर्गम के पक्ष में कंपनियों को पूरक ऋण।	शून्य	शून्य
(viii)	शेयरों या परिवर्तनीय बॉन्डों या परिवर्तनीय डिबेंचरों या इक्विटीमूलक म्यूचुअल फंड के प्राथमिक निर्गम के संबंध में बैंकों द्वारा लिखित वचनबद्धताएं।	शून्य	शून्य
(ix)	मार्जिन व्यापार हेतु स्टाक ब्रोकरों को वित्तपोषण।	शून्य	शून्य
(x)	उद्यम पूंजी निधियों (पंजीकृत एवं अपंजीकृत-दोनों) हेतु सभी निवेश	37.13	45.94
	पूंजी बाजार में कुल ऋण जोखिम	**181.99**	**182.85**

**(उपर्युक्त प्रकटीकरण बैंक प्रबंधन द्वारा समेकित एवं प्रमाणित है)*

2.7.3 जोखिम श्रेणीवार देशी निवेश

बैंक ने 31 मार्च 2019 को विभिन्न देशों के अपने ऋण जोखिम का विश्लेषण किया है तथा वैसा ऋण जोखिम बैंक की कुल आस्तियों के 1% की थ्रेशहोल्ड सीमा से कम होता है। भारतीय रिजर्व बैंक के मार्ग निर्देशों के अनुसार इस निवेश के लिए कोई प्रावधान की आवश्यकता नहीं है ।

जोखिम श्रेणी के हिसाब से देशी ऋण जोखिम की स्थिति निम्नांकित है: (₹ करोड़ में)

जोखिम श्रेणी	31.03.2019 को ऋण जोखिम (शुद्ध)	31.03.2019 को किए गए प्रावधान	31.03.2018 को ऋण जोखिम (शुद्ध)	31.03.2018 को किए गए प्रावधान
नगण्य	1076.51	0.00	259.34	0.00
कम	79.17	0.00	84.03	0.00
सामान्य	1.40	0.00	21.04	0.00
उच्च	0.00	0.00	0.00	0.00
बहुत अधिक	0.00	0.00	0.00	0.00
नियंत्रित	0.00	0.00	0.00	0.00
ऋण बाह्य	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल	**1157.08**	**0.00**	**364.41**	**0.00**

2.7.4 बैंक द्वारा बढ़ाया गया एकल उधारकर्ता सीमा (एस बी एल)/समूह उधारकर्ता सीमा (जी बीएल) ब्योरा (₹ करोड़ में)

क्रम सं.	उधारकर्ता का नाम	ऋण जोखिम की सीमा		स्वीकृत सीमा		तक बकाया	
		31.03.2019	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2018
क.	**एकल उधारकर्ता**	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ख.	**समूह उधारकता**	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

2.7.5 गैर-जमानती अग्रिम: (₹ करोड़ में)

विवरण	2018-19	2017-18
अमूर्त प्रतिभूतियों जैसे अधिकारों, अनुज्ञापत्रों, प्राधिकारी आदि पर किए गए प्रभार की एवज में अग्रिम बकाया की कुल राशि	293.77	340.74
ऐसे अमूर्त समपार्श्विक प्रतिभूतियों का अनुमानित मूल्य	347.30	126.69

2.7.6 मौजूदा ऋण के लचीला संरचना का प्रकटीकरण (₹ करोड़ में)

अवधि	लचीला संरचना हेतु ली गई उधारकर्ताओं का संख्या	लचीला संरचना हेतु ली गई ऋण राशि		लचीला संरचना हेतु लिए गए ऋण की निवेश भारित औसत अवधि	
		मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत	लचीला संरचना लागू करने से पूर्व	लचीला संरचना लागू करने के बाद
2017-18 (विगत वित्तीय वर्ष)	संख्या 3	658.18	0.00	42 तिमाही	85 तिमाही
वर्तमान वित्तीय वर्ष (अप्रैल 18 से मार्च 19)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

2.7.7 **रणनीतिक ऋण पुनर्गठन योजना का प्रकटीकरण (वर्तमान में गतिशून्य अवधि के तहत खाते)** (₹ करोड़ में)

खातों की संख्या जहां एसडीआर लागू किया गया है	रिपोर्टिंग तिथि तक बकाया राशि		खातों के संबंध में रिपोर्टिंग की तिथि तक बकाया राशि, जहां ऋण से इक्विटी में रूपांतरण लंबित है		खातों के संबंध में रिपोर्टिंग की तिथि तक बकाया राशि, जहां ऋण का इक्विटी शेयरों में रूपांतरण किया गया है।	
	मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत	मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत	मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

2.7.8 **एसडीआर योजना के बाहर स्वामित्व में परिवर्तन पर प्रकटीकरण (वर्तमान में गतिशून्य अवधि के तहत खाते)** (₹ करोड़ में)

खातों की संख्या जहां बैंक ने स्वामित्व में परिवर्तन को लागू करने का निर्णय लिया है	रिपोर्टिंग तिथि तक बकाया राशि		खातों के संबंध में रिपोर्टिंग की तिथि तक बकाया राशि, जहां ऋण को इक्विटी/इक्विटी शेयरों की गिरवी में रूपांतरण लंबित है		खातों के संबंध में रिपोर्टिंग की तिथि तक बकाया राशि,जहां ऋण का इक्विटी शेयरों की गिरवी में रूपांतरण किया गया है		खातों के संबंध में रिपोर्टिंग की तिथि तक बकाया राशि, जहां नए शेयर जारी या प्रमोटर को इक्विटी की बिक्री कर स्वामित्व में परिवर्तन को परिकल्पित करना	
	मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत	मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत	मानक के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत	मानक के रूप में वर्गीकृत	मानक के रूप में वर्गीकृत
-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.7.9 **कार्यान्वयन के तहत परियोजनाओं के स्वामित्व में परिवर्तन पर प्रकटीकरण (वर्तमान में यथावत स्थिति अवधि के तहत खाते)**

(₹ करोड़ में)

परियोजना ऋण खातों की संख्या जहां बैंक ने स्वामित्व में परिवर्तन करने का निर्णय लिया है	रिपोर्टिंग की तारीख तक बकाया राशि		
	मानक के रूप में वर्गीकृत	मानक पुनर्संरचना के रूप में वर्गीकृत	एनपीए के रूप में वर्गीकृत
-	-		

2.7.10 **31.03.2019 तक, तनावग्रस्त परिसंपत्तियों (एस 4 ए), के धारणीय संरचना की योजना का प्रकटीकरण**

(₹ करोड़ में)

खातों की संख्या जहां एस 4 ए लागू किया गया है	कुल बकाया राशि	राशि बकाया		किए गए प्रावधान
		भाग क में	भाग ख में	
मानक के रूप में वर्गीकृत				
2	254.47	102.67	151.80	107.07
एनपीए के रूप में वर्गीकृत				
1	109.60	62.27	46.93	103.25

2.8 **भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा लगाया गया दण्ड**

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 46 (4) के तहत युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा ₹3.00 करोड़ का जुर्माना लगाया गया है।

3. **भारतीय रिजर्व बैंक के मार्गनिर्देशों के संदर्भ में लेखांकन मानकों (ए एस) के अनुसार प्रकटीकरण**

3.1 **ए एस-5 इस अवधि में शुद्ध लाभ अथवा हानि, पूर्ववर्ती अवधि की मदें तथा लेखांकन नीतियों में परिवर्तन**

वर्ष के दौरान लेखांकन नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है। प्रबंधन की राय में पूर्व अवधि के मदों का प्रभाव महत्वहीन है।

3.2 **ए एस-9 राजस्व मान्यता**

राजस्व का निर्धारण अनुसूची 17 में प्रकटीकरण लेखांकन नीति के अनुसार किया गया है।

3.3 **ए एस-10 अचल आस्तियां के लिए लेखांकन**

3.3.1 अचल आस्तियां प्रकटीकरण लेखा अनुसूची 17 में लेखांकन नीतियों के अनुसार किया गया है

3.4 **ए एस-12 सरकारी अनुदान**

वर्ष के दौरान भारतीय रिजर्व बैंक और राज्य सरकार से रू शून्य करोड़ का निम्नांकित सब्सिडी / अनुदान / प्रोत्साहन प्राप्त हुआः

(₹ करोड़ में)

क्रमांक	विवरण	2018-19		2017-18	
		राजस्व	पूंजी	राजस्व	पूंजी
1.	सरकारी अनुदान / सब्सिडी	0.00	0.00	0.00	0.00

3.5 **ए एस-15 कर्मचारी लाभ**

कर्मचारी लाभ का लेखा संबंधी प्रकटीकरण [ए एस 15 के अनुसार (संशोधित)]

(₹ करोड़ में)

		पेंशन	उपदान	अन्य लाभ*
क)	**बाध्यताओं के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन**			
	वर्ष के प्रारंभ तक बाध्यताओं का वर्तमान मूल्य	5391.78	561.28	94.10
	ब्याज लागत	376.27	38.07	5.75
	विगत सेवा लागत	0.00	0.00	0.00
	चालू सेवा लागत	245.29	23.70	12.80
	प्रदत्त लाभ	558.71	127.33	38.02
	बाध्यताओं पर बीमांकित हानि/लाभ	367.69	28.28	52.77
	वर्ष के अंत तक बाध्यताओं का वर्तमान मूल्य	5822.32	524.00	127.40
ख)	**योजना आस्ति के उचित मूल्य में परिवर्तन**			
	वर्ष के आरंभ में योजना आस्ति का उचित मूल्य	5233.89	412.77	132.13
	योजना आस्ति पर अपेक्षित प्रतिलाभ	433.37	34.18	10.94
	नियोजक का अंशदान	650.35	217.55	22.98
	प्रदत्त लाभ	558.71	127.33	38.02
	बाध्यताओं पर बीमांकित हानि/लाभ	14.44	5.83	-1.74
	वर्ष के अंत तक बाध्यताओं का उचित मूल्य	5773.34	543.00	126.29
ग)	**पूर्ववर्ती वर्ष के अंत तक बाध्यताओं का वर्तमान आंकलित मूल्य**			
	वर्ष के अंत तक योजना आस्ति का उचित मूल्य	5773.34	543.00	126.29
	तुलन पत्र में मान्यता प्राप्त निधि रहित शुद्ध देयता	-48.99	19.00	-1.11
घ)	**लाभ एवं हानि में मान्यता प्राप्त व्यय**			
	चालू सेवा लागत	245.29	23.70	12.80
	विगत सेवा लागत	0.00	0.00	0.00
	ब्याज लागत	376.28	38.07	5.75
	योजना आस्ति पर अपेक्षित प्रतिफल	433.37	34.18	10.94
	वर्ष में मान्यता प्राप्त शुद्ध बीमांकित लाभ/ हानि	353.24	22.45	54.51
	लाभ और हानि लेखा में निर्धारित कुल व्यय	541.44	50.04	62.12
ङ)	**तुलन पत्र की तिथि को मुख्य वास्तविक अनुमान (भारित औसत के रूप में अभिव्यक्त)**			
	बट्टादर	7.36%	7.65%	7.65%
	योजना आस्तियों पर प्रतिफल की प्रत्याशित दर	7.36%	7.65%	7.65%
	प्रयुक्त पद्धित	**परियोजित यूनिट क्रेडिट पद्धति**		

**अन्य लाभों में अर्जित छुट्टी, आकस्मिक छुट्टी, अस्वस्थता छुट्टी एवं एल एफ सी शामिल है।*

नोटः उपर्युक्त विवरण बीमा आकलनकर्ता (एकचुअरी) की रिपोर्ट पर आधारित है।

3.6 **ए एस-17 खंड रिपोर्टिंग**

बैंक के परिचालनों को दो प्रमुख व्यावसायिक खंडों में विभाजित किया गया है ट्रेजरी परिचालन और बैंकिंग परिचालन। प्रासंगिक सूचना विहित प्रपत्र में नीचे दी गई है।

भाग क: व्यवसाय खंड (₹ करोड़ में)

व्यवसाय खंड	ट्रेजरी परिचालन		बैंकिंग परिचालन						कुल	
			कार्पोरेट/थोक बैंकिंग		खुदरा बैंकिंग		अन्य बैंकिंग परिचालन			
विवरण	31.03.2019 को समाप्त वर्ष	31.03.2018 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष	31.03.2018 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष	31.03.2018 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष	31.03.2018 को समाप्त वर्ष	31.03.2019 को समाप्त वर्ष	31.03.2018 को समाप्त वर्ष
राजस्व	4743	4523	2579	2858	3412	2806	210	369	10944	10556
परिणाम	1922	1402	271	519	1623	1009	(2405)	(1906)	1411	1024
अनाबंटित व्यय									(5992)	(3971)
परिचालन लाभ									(4581)	(2946)
आयकर									(2265)	(1492)
असाधारण लाभ/हानि									0	0
शुद्ध लाभ/(हानि)									**(2316)**	**(1454)**
अन्य सूचना									-	-
खंड आस्तियाँ	62406	64282	37730	35353	29225	27137	0	0	129361	126772
अनाबंटित आस्तियाँ									22169	17977
कुल आस्तियाँ									**151530**	**144749**
खंड देयताएं	59835	61818	36170	33991	28020	26099	0	0	124025	121908
अनाबंटित देयताएं									16006	14165
प्रयुक्त पूंजी									**11499**	**8676**
कुल देयताएं									**151530**	**144749**

भाग ख: भौगोलिक खंड - चूँकि बैंक की विदेश में कोई शाखा नहीं है, इसलिए भौगोलिक खंड में रिपोर्ट अप्रयोज्य है।

3.7 **संबंधित पार्टी प्रकटीकरण (ए एस-18) (प्रबंधन द्वारा संकलित)**

3.7.1 **संबंधित पार्टियों के नाम एवं बैंक के साथ उनका संबंध सहायक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक)**

सहयोगी

क्रमांक	नाम	
1.	असम ग्रामीण बैंक	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
2.	बंगीय ग्रामीण विकास बैंक	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
3.	मणिपुर ग्रामीण बैंक	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
4.	त्रिपुरा ग्रामीण बैंक	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

प्रमुख प्रबंधन कार्मिक:

क्रमांक	नाम	पदनाम
1	श्री अशोक कुमार प्रधान	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (01.10.2018 से प्रभावी), 30.09.2018 तक भूतपूर्व कार्यपालक निदेशक
2	श्री पवन कुमार बजाज	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (30.09.2018 तक)
3	श्री संजय कुमार	कार्यपालक निदेशक (20.09.2018 से प्रभावी)
4	श्री अजीत कुमार दास	कार्यपालक निदेशक (01.10.2018 से प्रभावी)
5	श्री समीर कुमार खरे	निदेशक
6	श्री दिनेश सिंह	निदेशक
7	श्री सिद्धार्थ प्रधान	निदेशक
8	श्री सूर्य नारायण	निदेशक

प्रमुख प्रबंधन कार्मिक के रिश्तेदार:

क्रमांक	नाम	के रिश्तेदार:
1	श्रीमती संगीता कुमार (पत्नी)	संजय कुमार
2	स्निग्धा (बेटी)	संजय कुमार
3	अशोक कुमार सिन्हा (भाई)	संजय कुमार
4	हिमांशु गुप्ता (दामाद)	संजय कुमार

3.7.2 **संबंधित पार्टी प्रकटीकरण** (₹ करोड़ में)

मदें/संबंधित पार्टी	एसोसिएटस		प्रमुख प्रबंधन कार्मिक		प्रमुख प्रबंधन कार्मिक के रिश्तेदार		कुल	
	31.03.2019	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2018
उधार	1309.00	4670.00	0.00	0.00	0.00	शून्य	1309.00	4670.00
जमा	1664.28	473.82	0.32	0.04	0.19	शून्य	1664.79	473.86
जमा राशि का नियोजन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
अग्रिम	1059.00	3297.00	0.07	शून्य	0.40	शून्य	1059.47	3297.00
निवेश: इक्विटी शेयर	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
आरआरबी का शेयर	368.53	368.53	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	368.53	368.53
आरआरबी बॉन्डस	51.12	51.12	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	51.12	51.12
गैरवित्त पोषित प्रतिबद्धता	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
उठाए गए लीजिंग/एचपी व्यवस्था	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
प्रदान की गई लीजिंग/एचपी व्यवस्था	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
अचल संपत्तियों की खरीद	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
अचल संपत्तियों की बिक्री	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
ब्याज का भुगतान	164.52	193.80	0.01	0.012	0.01	शून्य	164.54	193.81
प्राप्त ब्याज	95.96	137.50	0.01	0.015	0.04	शून्य	96.01	137.51
प्रदान की जानेवाली सेवाएँ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
प्राप्त होनेवाली सेवाएँ: - पारिश्रमिक# - बैठक शुल्क	शून्य शून्य	शून्य शून्य	1.09 0.15	0.69 0.07	शून्य शून्य	शून्य शून्य	1.09 0.15	0.69 0.07
प्रबंधन संविदा	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

प्रमुख प्रबंधन कार्मिक को प्रदत्त पारिश्रमिक: (₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	नाम	पदनाम	मद #	समाप्त वर्ष	
				31.03.2019	31.03.2018
1.	श्री अशोक कुमार प्रधान	प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (01.10.2018 से प्रभावी), 30.09.2018 तक भूतपूर्व कार्यपालक निदेशक	वेतन और भत्ते	0.26	0.23
2.	श्री पवन बजाज	भूतपूर्व प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी (30.09.2018 तक)	वेतन और भत्ते	0.58	0.27
3.	श्री संजय कुमार	कार्यपालक निदेशक (20.09.2018 से प्रभावी)	वेतन और भत्ते	0.13	0.00
4.	श्री अजीत कुमार दास	कार्यपालक निदेशक (01.10.2018 से प्रभावी)	वेतन और भत्ते	0.12	0.00
5.	श्री के.वी राममूर्ती	भूतपूर्व कार्यपालक निदेशक (30.08.2017 तक)	वेतन और भत्ते	0.00	0.19

नकदी आधार पर कार्यनिष्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन राशि सहित।

नोट: (क) संबंधित पार्टियों की/से किसी बकाया राशि का बट्टाखाता/प्रतिलेखन नहीं किया गया।
(ख) संबंधित पार्टियों के बकाया के संबंध प्रावधान अपेक्षित नहीं है।

3.8 पट्टा (एएस 19) (प्रबंधन द्वारा संकलित)

क) पट्टा किराए का निर्धारण, संबंधित वर्ष में लाभ और हानि खाते के व्यय के रूप में की जाती है।
ख) परिचालित पट्टे के लिए भविष्य में भुगतान योग्य पट्टा किराया (प्रबंधन द्वारा यथा संकलित एवं प्रमाणित)

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	31.03.2019 तक	31.03.2018 तक
क.	1 वर्ष से अधिक नहीं	76.57	70.88
ख.	1 वर्ष से अधिक किंतु 5 वर्ष से अधिक नहीं	252.48	237.04
ग.	5 वर्ष से अधिक	172.55	182.60
	कुल	**501.60**	**490.52**
लाभ एवं हानि खाते में प्रभारित राशि		98.47	86.61

i) भावी पट्टा किराया एवं किराए में वृद्धि का निर्धारण सहमत शर्तो पर होता है ।
ii) शर्त की समाप्ति पर सामान्यतया बैंक को पूर्व निर्धारित आगामी अवधि के लिए पट्टे को बढाने का विकल्प रहता है ।

3.9 एस-20 प्रति शेयर आय

विवरण	समाप्त वर्ष	
	31.03.2019	31.03.2018
इक्विटी शेयर धारकों के लिए कराधान के बाद उपलब्ध शुद्ध लाभ / (हानि) (₹ करोड़ में)	(2315.93)	(1454.45)
इक्विटी शेयरों की भारित औसत संख्या	328,77,13,370.88	150,79,52,887.22
प्रति शेयर (रूपये) मूल और हल्की आय	(7.04)	(9.65)
प्रति शेयर (रूपये) सामान्य मूल्य	10.00	10.00

3.10 ए एस-21 समेकित वित्तीय विवरण /ए एस-23 समेकित वित्तीय विवरणों में सहयोगी संस्थाओं में निवेश का लेखा

बैंक की कोई सहायक संस्था नहीं है और इसलिए ए एस-21 और ए एस-23 लागू नहीं होता।

3.11 **ए एस-22 आय पर करों का लेखा**

(क) वर्ष के दौरान आयकर के प्रावधान नीचे दी गई है:

(₹ करोड़ में)

ब्योरे	समाप्त वर्ष	
	31.03.2019	31.03.2018
कर हेतु प्रावधान	शून्य	शून्य

(ख) आस्थगित कर आस्तियों/देयताओं के मुख्य संघटक निम्नानुसार हैं:

(₹ करोड़ में)

विवरण	समाप्त वर्ष	
	31.03.2019	31.03.2018
आस्थगित कर परिसंपत्तियां	**5556.85**	**3322.41**
पूर्ववर्ती हानि को आगे दर्शाना	3388.32	1419.81
तनावग्रस्त आस्ति का प्रावधानीकरण	53.36	48.42
कर्मचारी लाभ	0.00	0.00
अन्य मदें	76.60	194.30
स्थायी आस्तियों पर मूल्यह्रास	0.00	36.34
एनपीए पर प्रावधान	2038.57	1623.54
आस्थगित कर देयताएँ	**76.88**	**76.14**
अचल संपत्तियों पर मूल्यह्रास	शून्य	शून्य
आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 36 (1)(viii) के तहत विशेष आरक्षित	76.88	76.14
एआरसी को बेची गई आस्ति से हुई हानि	शून्य	शून्य

(ग) बैंक ने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान एवं भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी दिशानिदेशों के अनुसार 'आय पर कर' के लिए लेखांकन मानक-22 समय-सारणी अंतराल के आधार पर वर्ष 2018-19 के दौरान ₹2233.70 करोड़ की निवल आस्थगित कर आस्तियों की पहचान की है ।

3.12 **ए एस-28 आस्तियों की हानि**

स्थायी आस्तियों की कोई उल्लेखनीय हानि नहीं हुई है। अतः प्रावधान करने की आवश्यकता नहीं है।

3.13 **ए एस-29 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक आस्तियां**

लेखा के अंश वाले नोट के उपर्युक्त स्थानों पर महत्वपूर्ण प्रावधानों में परिवर्तन का उल्लेख किया गया है ।

3.14 **आईएनडी एएस के कार्यान्वयन और इसकी प्रगति के लिए रणनीति**

बैंक द्वारा आईएनडी एएस के कार्यान्वयन और इसकी प्रगति के लिए अपनाई गई रणनीति नीचे दी गई है:

आरबीआई के निदेशानुसार, बैंक भारतीय लेखा मानक (इंडेक्स एएस) को लागू करने की प्रक्रिया में है। सुचारू अभिसरण के लिए लगातार आवश्यक कदम उठाने के लिए एक संचालन समिति का गठन किया गया है। भारतीय लेखा मानक के सुचारू कार्यान्वयन में बैंक की सहायता के लिए परामर्शदाता के रूप में मेसर्स डेलोइट हास्किन एंड सेल्स, एलएलपी नियुक्त किया है। 31.12.2018 को समाप्त तिमाही के लिए प्रोफॉर्मा वित्तीय विवरण आरबीआई द्वारा निर्धारित देय तिथि के भीतर जमा कर दिया गया है। आईएनडी एएस एप्लीकेशन के सुचारू अवस्थातर की सुविधा के लिए, बैंक आईटी प्रणाली में आवश्यक परिवर्तनों और आईएनडी एएस के अनुपालन के लिए अन्य नीतियों की पहचान करने की प्रक्रिया में है। बैंक आईएनडी एएस 109 की आवश्यकताओं के अनुरूप अपेक्षित क्रेडिट हानि (ईसीएल) मॉडल विकसित करने की प्रक्रिया में भी है।

4. अतिरिक्त प्रकटीकरण

4.1 **प्रावधान और आकस्मिक व्यय**

लाभ और हानि लेखा में व्यय शीर्ष के तहत दिखाए गए प्रावधानों और आकस्मिकताओं का विश्लेषण इस प्रकार है:

(₹ करोड़ में)

विवरण	समाप्त वर्ष	
	31.03.2019	**31.03.2018**
निवेश पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधान	339.91	194.50
एनपीए (ऋण और अग्रिम) हेतु प्रावधान	5523.30	3906.16
पुनर्गठित मानक सहित मानक आस्तियों का प्रावधान	108.80	(550.70)
आयकर (आस्थगित कर सहित) हेतु किए गए प्रावधान	(2264.98)	(1492.24)
अन्य प्रावधानों और आकस्मिकताएँ - गैरनिष्पादित निवेश के लिए प्रावधान - अस्थिर (फ्लोटिंग) प्रावधान - दूसरों के लिए प्रावधान	 350.86 0.00 (330.38)	 370.89 0.00 49.90
कुल	**3727.51**	**2478.51**

4.2 **अस्थायी प्रावधान (काउंटर साइक्लिकल प्रावधानीकरण बफर)**

(₹ करोड़ में)

विवरण	समाप्त वर्ष	
	31.03.2019	**31.03.2018**
क) अस्थायी प्रावधानों के खाते में शेष राशि	0.00	0.00
ख) वर्ष के दौरान किए गए अस्थायी प्रावधानों की मात्रा	0.00	0.00
ग) लेखांकन के लिए वर्ष के दौरान किए गए ड्रा डाउन	0.00	0.00
घ) अस्थायी प्रावधान खाते में अंतिम शेष	0.00	0.00

4.3 **शिकायतों का प्रकटीकरण**

क) ग्राहक शिकायत सहित निवेशक शिकायत

क्रम सं.	विवरण	संख्या
(क)	वर्ष के प्रारंभ तक लंबित शिकायतों की संख्या	721
(ख)	वर्ष के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या	169711
(ग)	वर्ष के दौरान निवारित शिकायतों की संख्या	169158
(घ)	वर्ष के अंत तक लंबित शिकायतों की संख्या	1274

ख) बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णय

क्रम सं.	विवरण	संख्या
(क)	वर्ष के प्रारंभ तक अकार्यान्वित अधिनिर्णय	शून्य
(ख)	वर्ष के दौरान बैंकिंग लोकपाल द्वारा पारित अधिनिर्णय	1
(ग)	वर्ष के दौरान कार्यान्वित अधिनिर्णय	0
(घ)	वर्ष के अंत तक अकार्यान्वित अधिनिर्णय	1

4.4 **बैंक द्वारा जारी चुकौती आश्वासनपत्र (एलओसी) का प्रकटीकरण**

क) चालू वित्त वर्ष 31.03.2019 की समाप्ति पर क्रेताओं को ऋण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए बैंक ने शून्य (पिछले वर्ष 451) सुविधा पत्र/आश्वासन पत्र जारी किया है जिसमें शून्य (विगत वर्ष के ₹1540.86 करोड़) राशि शामिल है ।

ख) 31.03.2019 तक ₹75.25 करोड़ (पिछले वर्ष ₹487.37 करोड़) की कुल राशि के 09 (पिछले वर्ष 186) बकाया सुविधा पत्र थे ।

4.5. **प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर)**

31 मार्च, 2019 तक बैंक का प्रावधान कवरेज अनुपात (पीसीआर) 72.94% है।

4.6 **बैंक एश्योरेंश व्यवसाय** (₹ करोड़ में)

विवरण	समाप्त वर्ष	
	31.03.2019	**31.03.2018**
जीवन बीमा व्यवसाय	6.94	4.61
गैर-जीवन बीमा व्यवसाय	8.34	6.35
म्युचुअल फंड	0.02	0.02
अन्य	0.01	0.03

4.7. **जमा, अग्रिम, निवेश और एनपीए का सकेंन्द्रीकरण**

4.7.1 **जमा का सकेंन्द्रीकरण** (₹ करोड़ में)

विवरण	समाप्त वर्ष	
	31.03.2019	**31.03.2018**
बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं की कुल जमा राशि	6110.98	5543.45
बैंक की कुल जमा के सापेक्ष बीस सबसे बड़े जमाकर्ताओं के जमा का प्रतिशत	4.53%	4.28%

4.7.2 **अग्रिमों का सकेंन्द्रीकरण** (₹ करोड़ में)

विवरण	समाप्त वर्ष	
	31.03.2019	**31.03.2018**
बीस सबसे बड़े उधारकर्ताओं का कुल अग्रिम	13039.21	12359.12
बैंक के कुल अग्रिम के सापेक्ष बीस बड़े उधारकर्ताओं के अग्रिम का प्रतिशत	17.83%	17.99%

4.7.3 **निवेशों का सकेंन्द्रीकरण** (₹ करोड़ में)

विवरण	समाप्त वर्ष	
	31.03.2019	**31.03.2018**
बीस सबसे बड़े ऋणकर्ताओं/ग्राहको का कुल निवेश	14343.52	10724.76
ऋणकर्ताओं/ग्राहकों पर बैंक के कुल निवेश की तुलना में बीस सबसे बड़े ऋणकर्ताओं/ग्राहकों के निवेश का प्रतिशत	16.76%	10.09%

4.7.4 **एनपीए का सकेंन्द्रीकरण** (₹ करोड़ में)

विवरण	समाप्त वर्ष	
	31.03.2019	**31.03.2018**
शीर्ष चार एनपीए खातों का कुल निवेश	1980.60	2853.79

4.8 **क्षेत्रवार एनपीए**

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	क्षेत्र	31.03.2019			31.03.2018		
		कुल बकाया अग्रिमों	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिम करने के लिए सकल एनपीए का प्रतिशत	कुल बकाया अग्रिमों	सकल एनपीए	उस क्षेत्र में कुल अग्रिम करने के लिए सकल एनपीए का प्रतिशत
क. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र							
1.	कृषि और संबद्ध गतिविधियां	10651.66	840.58	7.89	10324.25	978.13	9.47
2.	प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के ऋण के पात्र उद्योग क्षेत्र को अग्रिम	3923.87	597.66	15.23	4076.91	639.01	15.67
3.	सेवाएं	8079.00	813.03	10.06	7004.73	1169.15	16.69
	- खुदरा व्यापार	3695.10	389.22	10.53	2654.28	379.77	18.08
	- अन्य	4383.90	423.81	9.67	5350.45	789.38	14.75
4.	व्यक्तिगत ऋण	7755.15	192.12	2.48	7930.50	208.03	2.73
	उप कुल (क)	***30409.68***	***2443.39***	***8.03***	***29336.39***	***2994.32***	***10.21***
ख. गैर प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र							
1.	कृषि और संबद्ध गतिविधियों	274.70	76.14	27.72	246.17	20.21	8.21
2.	उद्योग	20204.16	8241.04	40.79	22136.06	12312.82	55.62
	- लौह एवं इस्पात	2051.88	401.09	19.55	4056.63	3362.90	82.90
	- पावर	9277.42	4281.02	46.14	8542.07	3982.81	46.63
	- अन्य	8874.86	3558.93	40.10	9537.36	4967.11	52.08
3.	सेवाएं	15698.86	1231.57	7.84	8838.10	1006.08	11.38
	- एनबीएफसी	8065.02	100.09	1.24	4931.62	–	–
	- अन्य की तुलना एनबीएफसी वित्त और बैंकिंग	3822.99	–	–	2441.55	–	–
	- अन्य	3810.85	1131.48	2.97	1464.93	1006.08	68.68
4.	व्यक्तिगत ऋण	4962.00	61.24	1.23	7553.67	218.68	2.78
	उप कुल (ख)	***41139.72***	***9609.99***	***23.36***	***38774.00***	***13557.79***	***34.97***
ग. खाद्य ऋण (एफसीआई)		1574.01	--	--	581.38	--	--
	उपकुल (ग)	***1574.01***	**--**	**--**	***581.38***	**--**	**--**
कुल (क + ख + ग)		**73123.41**	**12053.38**	**16.48**	**68691.77**	**16552.11**	**24.10**

4.9 **एनपीए का संचरण** (₹ करोड़ में)

विवरण	समाप्त वर्ष	
	31.03.2019	**31.03.2018**
1 अप्रैल, 2018/2017 की स्थिति के अनुसार सकल एनपीए	16552.11	10951.99
वर्ष के दौरान योग (नये एनपीए)	2870.52	8606.26
उप योग (क)	19422.63	19558.25
घटाव:		
(i) उन्नयन	323.70	197.05
(ii) वसूलियां (उन्नयित खातो से की गई वसूलियों के अतिरिक्त)	1264.80	501.35
(iii) तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टे खाते	4726.41	1760.14
(iv) ऊपर के (iii) के अतिरिक्त बट्टे खाते	638.88	106.77
(v) 31 मार्च, 2019/2018 तक आस्तियों की बिक्री	415.46	440.83
उप योग (ख)	7369.25	3006.14
31 मार्च, 2019/2018 को सकल एनपीए (क-ख)	**12053.38**	**16552.11**

4.10 **तकनीकी बट्टेखाते डालने का स्टॉक एवं तत्पश्चात वसूली** (₹ करोड़ में)

विवरण	समाप्त वर्ष	
	31.03.2019	**31.03.2018**
1 अप्रैल, 2018/17 को प्रारम्भिक खाते का तकनीकी एवं बट्टे खाते	5645.54	4203.17
जोड़: वर्ष के दौरान तकनीकी/विवेकपूर्ण बट्टेखाते	4726.41	1760.14
उप योग (क)	10371.95	5963.31
घटाव: वर्ष के दौरान पिछले तकनीकी एवं विवेकपूर्ण बट्टेखाते में वसूली (ख)	629.03	317.77
31 मार्च, 2019/2018 शेष राशि	**9742.92**	**5645.54**

4.11 **विदेशी आस्तियां, एनपीए और राजस्व** (₹ करोड़ में)

विवरण	समाप्त वर्ष	
	31.03.2019	**31.03.2018**
कुल आस्तियां (नोस्ट्रो रकम)	963.68	136.85
कुल एनपीए	शून्य	शून्य
कुल राजस्व	75.61	39.89

4.12 **ऑफ बैलेंस शीट एसपीवी प्रायोजित (लेखांकन मानकों के अनुसार समेकित किया जाना आवश्यक है)**

31.03.2019 को समाप्त वर्ष		**31.03.2018 को समाप्त वर्ष**	
प्रायोजित एसपीवी का नाम		**प्रायोजित एसपीवी का नाम**	
घरेलू	**विदेशी**	**घरेलू**	**विदेशी**
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य

4.13 **अपरिशोधित पेंशन और उपदान देयताएं**

उपदान भुगतान अधिनियम, 1972 के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने पत्र DBR No. BP.BC.9730/21.04.018/2017-18 दिनांक 27.04.2018 के माध्यम से 31.03.2018 से प्रारम्भ चार तिमाहियों की समाप्ति पर 29.03.2018 से उपदान सीमा को रुपये 10 लाख से 20 लाख तक बढ़ाते हुए अतिरिक्त देयता विस्तारित करने का विकल्प दिया है। बैंक ने विकल्प का उपयोग करते हुए दिनांक 31 दिसम्बर, 2018 तक ₹140.36 करोड़ की पूरी राशि प्रदान की है।

बैंक के पास कोई अमूर्त पेंशन और उपदान देयताएं नहीं हैं। (पिछले वर्ष की अमूर्त उपदान देयता ₹105.25 करोड़ थी।)

4.14 **प्रतिभूतिकरण**

क्रम सं.	विवरण	31.03.2019	31.03.2018
1	प्रतिभूतिकरण के लेनदेन के लिए बैंक द्वारा प्रायोजित एसपीवी की संख्या	शून्य	शून्य
2	बैंक द्वारा प्रायोजित एसपीवी के बही के अनुसार प्रतिभूतिकृत आस्ति की कुल संख्या		
3	**तुलन पत्र की तिथि तक बैंक द्वारा एमआरआर के अनुपालन हेतु बरकरार रखे गए निवेश की राशि**		
	क) **तुलन पत्र के बाहर निवेश**		
	प्रथम हानि		
	अन्य		
	ख) **तुलन पत्र में निवेश**		
	प्रथम हानि		
	अन्य		
4	**एमआरआर के अलावा प्रतिभूतिकरण के लेनदेन के लिये निवेश**		
	क) **तुलन पत्र से बाहर निवेश**		
	i) अपने प्रतिभूतिकरण के लिए निवेश		
	प्रथम हानि		
	अन्य		
	ii) तृतीय पक्ष निवेश का प्रतिभूतिकरण		
	प्रथम हानि		
	अन्य		
	ख) **तुलन पत्र पर निवेश**		
	i) अपने प्रतिभूतिकरण के लिए निवेश		
	प्रथम हानि		
	अन्य		
	ii) तृतीय पक्ष निवेश का प्रतिभूतिकरण		
	प्रथम हानि		
	अन्य		

4.15 **क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप**

वर्ष 2017-18 और 2018-19 में बैंक ने किसी भी क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप को आरंभ नहीं किया है।

4.16 **अंत: समूह निवेश**

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	अंत: समूह ऋण जोखिम का विवरण	31.03.2019 तक	31.03.2018 तक
1	अंत: समूह ऋण जोखिम की कुल राशि	शून्य	शून्य
2	शीर्ष 20 अंत: समूह ऋण जोखिम की कुल राशि	शून्य	शून्य
3	उधारकर्ताओं/ग्राहकों पर बैंक के कुल जोखिम से अंत: समूह ऋण जोखिम का प्रतिशत ।	शून्य	शून्य
4	यदि कोई है तो उस पर नियामक कार्रवाई और अंत: समूह ऋण जोखिम की सीमा के उल्लंघन का विवरण।	शून्य	शून्य

4.17 **शिक्षा और जागरूकता कोष (डीइएएफ) के जमाकर्ता के हस्तांतरण**

(₹ करोड़ में)

विवरण	31.03.2019 तक	31.03.2018 तक
डीइएएफ को अंतरित आरंभिक शेष राशि	256.16	85.61
जोड़: वर्ष के दौरान डीइएएफ को अंतरित राशि	262.46	170.55
घटाव: दावों की ओर डीइएएफ द्वारा प्रतिपूर्ति राशि	-	-
डीइएएफ को अंतरित अंतिम शेष राशि	518.62	256.16

4.18 **अनहेज्ड विदेशी मुद्रा निवेश**

भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार होनेवाली हानि एवं ईबीआईडी पर विचार करते हुए वृद्धिशील प्रावधान/अपेक्षित पूंजी का हिसाब किया गया है। बैंक द्वारा 31 मार्च, 2019 तक अनहेज्ड विदेशी मुद्रा निवेश, वृद्धिशील प्रावधान एवं पूंजी अपेक्षा निम्नप्रकार उपलब्ध कराया गया है:

(₹ करोड़ में)

वृद्धिशील प्रावधान (मौजूदा आस्ति प्रावधान मानक के उपर)	उधारकर्ताओं के अनहेज्ड विदेशी मुद्रा निवेश वृद्धिशील अपेक्षित पूंजी
शून्य	शून्य

4.19 **चलनिधि कवरेज अनुपात***

4.19.1 **प्रकटीकरण**

(₹ करोड़ में)

		31.03.2019		31.03.2018	
		कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)	कुल अभारित मूल्य (औसत)	कुल भारित मूल्य (औसत)
उच्च गुणवत्ता तरल संपत्ति					
1.	**कुल उच्च गुणवत्ता तरल संपत्ति (एचक्यूएलए)**		28355.23		29383.35
नकदी बाह्य प्रवाह					
2.	**छोटे व्यवसाय के ग्राहकों, जिनमें से खुदरा जमा और जमा:**	102828.49	6655.70	99637.77	5473.91
	(i) स्थिर जमा	72542.85	3627.14	89797.35	4489.87
	(ii) घटाव स्थिर जमा	30285.64	3028.56	9840.42	984.04
3.	**असुरक्षित थोक निधीकरण, जिनमें से:**	14970.02	6103.67	14774.65	5877.58
	(i) परिचालन जमा (सभी प्रतिपक्षों)	274.74	68.68	215.19	53.80
	(ii) गैर परिचालन जमा (सभी प्रतिपक्षों)	14433.82	5773.53	14559.46	5823.78
	(iii) असुरक्षित ऋण	261.46	261.46	0.00	0.00
4.	**सुरक्षित थोक निधीकरण**	353.30	0.00	87.48	0.00
5.	**अतिरिक्त आवश्यकताओं, जिनमें से**	15868.03	8488.03	22533.75	10014.77
	(i) व्युत्पन्न जोखिम और अन्य जमानत के आवश्यकताओं से संबंधित बाह्य प्रवाह	0.00	0.00	0.00	0.00
	(ii) ऋण उत्पादों पर धन की हानि से संबंधित बाह्य प्रवाह	0.00	0.00	0.00	0.00
	(iii) क्रेडिट और तरलता की सुविधायें	4683.02	1915.81	10050.40	3464.33
6.	अन्य संविदात्मक दायित्वों के निधीकरण	4755.46	142.66	6116.40	183.49
7.	अन्य दल के निधीकरण के दायित्वों	6429.55	6429.55	6366.95	6366.95
8.	**कुल नकदी बाह्य प्रवाह**		21247.41		**21366.27**
नकदी अंतर्वाह प्रवाह					
9.	सुरक्षित ऋण (जैसे रेपो रिवर्स)	263.83	0.00	4055.89	0.00
10.	पूरी तरह से प्रदर्शन कर जोखिम से अंतर्वाह प्रवाह	7437.21	6788.88	5164.13	4927.75
11.	अन्य नकदी अंतर्वाह प्रवाह	2540.54	2540.54	2144.93	2144.93
12.	**कुल नकदी अंतर्वाह प्रवाह**		**9329.42**		**7072.68**
13.	**कुल एचक्यूएलए**		**28355.23**		**29383.35**
14.	**कुल शुद्ध नकदी बाह्य प्रवाह**		**11917.99**		**14293.59**
15.	**चलनिधि कवरेज अनुपात (%)**		**237.92**		**205.57**

वित्त वर्ष 2018-19 की चार तिमाहियों तक एलसीआर	
समाप्त तिमाही	**एलसीआर (%)**
जून, 2018	216.86
सितंबर, 2018	262.75
दिसंबर, 2018	272.81
मार्च, 2019	237.92

** उपर्युक्त प्रकटीकरण बैंक प्रबंधन द्वारा अनुपालित एवं प्रमाणित किया गया है ।*

4.19.2 **एलसीएआर का गुणात्मक प्रकटीकरण**

भार रहित उच्च गुणवत्ता चलनिधि आस्ति (एचक्यूएलएएस) का प्रर्याप्त स्तर बनाए रखना सुनिश्रचित करना चलनिधि कवरेज अनुपात (एलसीआर) मानक का उद्देश्य है। इसे पर्यवेक्षक द्वारा विहित अत्यंत महत्वपूर्ण चलनिधि संकट परिदृश्य में 30 दिनों के केलेंडर दिवस के बीच चलनिधि अपेक्षा को पूरा करने के लिए परिवर्तित किया जा सकता है। बैंक ने उसे कार्यान्वित किया है और 1 जनवरी, 2015 से उसे हिसाब कर रहा है।

संकट कालीन परिदृश्य में 30 कैलेंडर दिवस में एचक्यूएलए के अनुपात के रूप में शुद्ध नकदी बाहरी प्रवाह में एलसीआर की गणना की जाती है।

भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक को 31.03.2019 तक एलसीआर का न्यूनतम 100% निर्वाह करना है।

31.03.2019 को समाप्त तिमाही में बैंक का एलसीआर 237.92% में मूल्यांकित किया गया, जोकि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित न्यूनतम अपेक्षा से अधिक है।

4.20 क) एक संपत्ति के मामले में पंजीकरण औपचारिकता के लिए ₹1.65 करोड़, 31.03.2019 को डब्ल्यूडीवी के लिए ₹0.96 करोड़ (पिछले वर्ष ₹1.39 करोड़) लंबित है,

ख) 31.03.2019 तक परिसर में पट्टे संपत्ति में ₹136.10 करोड़ (शुद्ध परिशोधन) (विगत वर्ष ₹167.71 करोड़) शामिल है।

5. बैंक के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर, कुछ आपूर्तिकर्ताओं/सेवाओं जो सूक्ष्म और लघु के संबंध में सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यम विकास अधिनियम 2006 (एमएसएमईडी अधिनियम, 2006) के तहत जिनका पंजीकरण हुआ है, एमएसएमईडी द्वारा अपेक्षित सूक्ष्म, लघु या मध्यम उद्यम के संबंध में जानकारी।

क्र.सं.	विवरण	चालू वर्ष 31.03.2019	विगत वर्ष 31.03.2018
1	प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में किसी भी आपूर्तिकर्ता को अप्रदत मूल राशि और उस पर ब्याज मूल राशिः ब्याजः	 शून्य शून्य	 शून्य शून्य
2	एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 16 के अनुसार प्रत्येक लेखा वर्ष के दौरान नियुक्त दिन से परे के लिए खरीदार द्वारा भुगतान की गई ब्याज की राशि के साथ आपूर्तिकर्ता को भुगतान की गई राशि	शून्य	शून्य
3	भुगतान करने में हुए विलंब की वजह से उक्त अवधि के लिए देय ब्याज की राशि देय ब्याज राशि (जो वर्ष के दौरान भुगतान कर दिया है लेकिन नियत दिन से परे) लेकिन एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज जोड़ने के बगैर ।	शून्य	शून्य
4	प्रत्येक लेखा वर्ष के अंत में अर्जित की गई ब्याज की राशि और बकाया शेष।	शून्य	शून्य
5	देय शेष ब्याज की राशि और अगले वर्षों में देय, उक्त तारीख तक, एमएसएमईडी अधिनियम 2006 की धारा 23 के तहत प्रतिबंध के उद्देश्य से कटौती किए जाने वाले व्यय के रूप में छोटे उद्यमों को देय ब्याज और किए गए वास्तविक भुगतान ।	शून्य	शून्य

6. वेतन संशोधन पर द्विपक्षीय करार का लंबित निपटान (नवम्बर, 2017 से देय), ₹153 करोड़ के वेतन संशोधन के लिए 31 मार्च, 2019 तक किए गए वेतन संशोधन एवं संचयी प्रावधान के संबंध में ₹52 करोड़ की एक तदर्थ राशि चालू तिमाही के दौरान प्रदान की गई ।

7. वर्ष के दौरान बैंक ने 81 धोखाधड़ी के मामलों की रिपोर्ट की है, जिसमें कुल ₹427.95 करोड़ शामिल हैं जिसके लिए बैंक के पास कुछ मौजूदा प्रावधान है। इसके अलावा वर्ष के दौरान ₹253.50 करोड़ का प्रावधान किया गया है, जिनमें से ₹1.90 करोड़ गैर अग्रिम धोखाधड़ी से संबंधित है और ₹251.60 करोड़ अग्रिम से संबंधित धोखाधड़ी के लिए हैं। गैर परिशोधित प्रावधान के एवज में कोई राशि की आवश्यकता नहीं है।

इसके अलावा, फ्रोस्ट इंटरनेशनल लि. खाता के संबंध में कुछ बैंकों द्वारा धोखाधड़ी की रिपोर्ट को देखते हुए, बैंक ने इस खाता को धोखाधड़ी के रूप में घोषित किया है जिसमें कुल ₹185.06 करोड़ का वित्त पोषित निवेश शामिल है, जिनमें से 31.03.2019 तक ₹46.26 करोड़ 25% के वित्त पोषित निवेश के रूप में उपलब्ध कराए गए। 75% वित्त पोषित निवेश होने से ₹138.80 करोड़ के गैर परिशोधित प्रावधान की मात्रा राजस्व और अन्य रिजर्व से डेबिट कर दी गई है और अगले तीन तिमाहियों में प्रदान की जाएगी।

8. आरबीआई के संप्रेषण DBR NO. BP. BC. 1924/21.04.048/2017-18 दिनांक अगस्त 28, 2017 के अनुसार 31 मार्च, 2019 तक पात्र एनसीएलटी (सूची 1 एवं सूची 2) खातों के संबंध में ₹423.90 करोड़ की राशि अतिरिक्त रूप से प्रदान की गई। आईआरएसी मानदंडों के अनुसार ₹2781.50 करोड़ की बजाय 31.03.2019 तक एनसीएलटी (सूची 1 एवं सूची 2) खातों के लिए ₹3205.40 करोड़ का कुल वास्तविक प्रावधान किया गया।

9. आरबीआई ने अपने परिपत्र सं. DBR.No.BP.BC.108/21.04/018/2017-18 दिनांक जून 6, 2018 के माध्यम से बैंकों को यह अनुमति प्रदान की है कि वे मानक आस्तियों के रुप में वर्गीकृत किए जानेवाले एमएसएमई उधारकर्ताओं को जहां 1 सितम्बर, 2017 और 31 दिसम्बर, 2018 के दौरान देय का भुगतान उनकी मूल देय तिथि से 180 दिनों के भीतर कर दिया गया है, उनमें निवेश जारी रख सकते हैं। तदनुसार, बैंक ने 31.03.2019 तक मानक आस्तियों के रूप में ₹195.11 करोड़ के एमएसएमई निवेश को जारी रखा है। परिपत्र के प्रावधानों के अनुसार, बैंक ने ₹2.49 करोड़ के ब्याज आय को स्वीकार नहीं किया है और ऐसे उधारकर्ताओं के संबंध में 31.03.2019 तक ₹9.76 करोड़ के मानक आस्ति प्रावधान का रखरखाव किया है। उपर्युक्त के अतिरिक्त, आरबीआई के अनुवर्ती परिपत्र सं. DBR No. BP. BC. 18/21.04.048/2018-19 दिनांक जनवरी 01, 2019 के अनुसार बैंक ने दिए गए दिशानिर्देशों के अनुसार निम्नलिखित खातों की डाउनग्रेडिंग किए बगैर उनका पुनर्गठन किया है:

खातों की संख्या	31.03.2019 तक बकाया (₹ एमएन में)
2184	1374.10

10. बैंक ने 11.04.2018 तक अतिरिक्त टीयर-1 बांड पर कॉल विकल्प का उपयोग किया है और तदनुसार अतिरिक्त टीयर-1 बांड ₹940 करोड़ की सीमा तक रिडीम किया है।

11. उपलब्ध वित्तीय विवरणियों एवं उधारकर्ताओं से प्राप्त उद्घोषणा के आधार पर, बैंक ने आरबीआई के परिपत्र सं. DBOD No.BP.BC.85/21.06.200/2013-14 दिनांक जनवरी 15, 2014 के अनुसार अपने कंसीटूएंट्स के लिए अनहेड्ज विदेशी मुद्रा निवेश की दिशा में देयताओं का आंकलन किया है और 31.03.2019 तक ₹0.05 करोड़ का प्रावधान किया है ।

12. वर्ष के दौरान, बैंक ने ₹216.00 करोड़ की कुल राशि का प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र उधार प्रमाण पत्र (पीएसएलसी) खरीदा। श्रेणीवार खरीद की गई पीएसएलसी निम्नलिखित है:

श्रेणी	राशि (करोड़ में)
पीएसएलसीए-पीएसएलसी कृषि	116.00
पीएसएलसीएएम-पीएसएलसी लघु एवं सीमांत कृषक	100.00
कुल	216.00

13. चालू वर्ष के साथ तुलना योग्य बनाने के लिए जहां कहीं भी आवश्यक समझा गया वहां पिछले वर्ष के आंकड़ों का पुर्नसमूह/ पुर्नव्यवस्थित किया गया है।

31.03.2019 तक के यह अनुसूची-18 का एक भाग है।

अशोक कुमार प्रधान
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

संजय कुमार
कार्यपालक निदेशक

अजीत कुमार दास
कार्यपालक निदेशक

समीर कुमार खरे
निदेशक

दिनेश सिंह
निदेशक

सिद्धार्थ प्रधान
निदेशक

एस. सूर्यनारायण
निदेशक

साधना वर्मा
निदेशक

अश्विनी कुमार झा
महाप्रबंधक एवं सीएफओ

कृते अरुण के. अग्रवाल एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन 003917 एन
ह/-
सीए अरुण कुमार अग्रवाल
भागीदार
एम.सं.: 082899

कृते मुखर्जी बिश्वास एंड पाठक
सनदी लेखाकार
एफआरएन 301138ई
ह/-
सीए शंकर प्रसन्न मुखर्जी
भागीदार
एम.सं.: 010807

कृते दिनेश जैन एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन 004885एन
ह/-
सीए नेहा जैन
भागीदार
एम.सं.: 514725

कृते एसबीए एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
एफआरएन 308136ई
ह/-
सीए नीलंजना सेन
भागीदार
एम.सं.: 061768

दिनांक : 13 मई, 2019
स्थान : कोलकाता

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष का नकदी प्रवाह विवरण				(₹ '000 में)
	समाप्त वर्ष			
	31 मार्च 2019		31 मार्च 2018	
क परिचालनगत क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह				
कर के पश्चात शुद्ध लाभ	(23,159,253)		(14,544,462)	
योग : आयकर	-		-	
घटाव : वसूली योग्य एमएटी	-		-	
जोड़ : आस्थगित कर आस्तियां	(22,337,000)		(14,922,400)	
कर पूर्व लाभ	(45,496,253)		(29,466,862)	
समायोजन के लिए				
स्थायी आस्तियों पर मूल्यह्रास	1,257,300		1,201,416	
घटाव : पुनर्मूल्यन अरिक्षिति से निकाली गयी राशि	(230,607)		(230,540)	
स्थायी आस्तियों की बिक्री पर लाभ/हानि (शुद्ध)	5,339		30,960	
निवेश हेतु मूल्यह्रास/प्रावधान (शुद्ध)	6,907,642		1,945,048	
मानक आस्तियों के लिए प्रावधान	1,088,000		(5,507,000)	
एन. पी. ए अग्रिमों के लिए प्रावधान	55,233,000		39,061,600	
अन्य प्रावधान (शुद्ध)	(25,953,503)		(10,714,585)	
अधीनस्थ बॉन्डों पर ब्याज	2,042,841		1,548,315	
परिचालनगत आस्तियों एवं देयताओं में परिवर्तनों के पहले परिचालनगत लाभ	**(5,146,241)**		**(2,131,648)**	
परिचालनगत आस्तियों एवं देयताओं में शुद्ध परिवर्तन हेतु समायोजन				
निवेश में ह्रास/(वृद्धि)	(112,649,944)		24,391,817	
अग्रिमों में ह्रास/(वृद्धि)	(99,881,976)		(2,570,647)	
जमाओं में वृद्धि/(ह्रास)	56,569,371		23,871,270	
उधार में वृद्धि/(ह्रास)	(8,523,400)		4,393,035	
अन्य आस्तियों में ह्रास/(वृद्धि)	(1,723,075)		(12,152,336)	
अन्य देयताओं एवं प्रावधानों में वृद्धि/(ह्रास)	18,895,834		12,448,468	
राजस्व प्रारक्षित में वृद्धि/(ह्रास)	1,322,421		(2,251,582)	
अन्य प्रारक्षित एवं पुनर्मूल्यांकन में वृद्धि/(ह्रास)	-		830	
	(151,137,010)		**45,999,207**	
परिचालनगत क्रियाकलापों से एकत्रित नकदी				
कर (चुकाया गया)/वापसी	400,000		588,500	
परिचालनगत क्रियाकलापों (क) से शुद्ध नकदी		(150,737,010)		46,587,707
ख **निवेश क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह**				
अचल आस्तियाँ (शुद्ध)	(732,304)		(2,346,627)	
निवेश क्रियाकलापों (ख) से शुद्ध नकदी		(732,304)		(2,346,627)
ग **वित्तपोषण क्रियाकलापों से नकदी प्रवाह**				
शेयर पूंजी जारी करके	44,142,772		12,012,869	
शेयर प्रिमीयम	6,161,085		14,327,131	
अधीनस्थ बॉन्ड जारी करके	(2,500,000)		3,150,000	
बॉन्डों पर ब्याज	(2,042,841)		(1,548,315)	
उनपर प्रदत्त लाभांश एवं कर	-		-	
वित्तीय क्रियाकलापों (ग) से शुद्ध नकदी		**45,761,016**		**27,941,685**
घ **नकदी और नकदी तुल्य में शुद्ध वृद्धि (क+ख+ग)**		(105,708,298)		72,182,765
वर्ष के आरंभ में नकदी एवं नकदी तुल्य				
हाथ में नकदी	6,080.330		4,898,814	
भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष राशि	56,041,068		61,445,777	
बैंको में शेष राशि एवं मांग तथा अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	140,221,839	202,343,237	63,815,881	130,160,472
वर्ष के अन्त में नकदी एवं नकदी तुल्य				
हाथ में नकदी	6,692,798		6,080,330	
भारतीय रिजर्व बैंक के पास शेष राशि	54,996,039		56,041,068	
बैंको में शेष राशि एवं मांग तथा अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	34,946,102	96,634,939	140,221,839	202,343,237
टिप्पणी : नकदी प्रवाह अप्रत्यक्ष पद्धति के आधार पर तैयार किया गया है।				

यह 31.03.2019 को नकदी प्रवाह विवरणी का एक भाग है

अशोक कुमार प्रधान
प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी

संजय कुमार
कार्यपालक निदेशक

अजीत कुमार दास
कार्यपालक निदेशक

समीर कुमार खरे
निदेशक

दिनेश सिंह
निदेशक

सिद्धार्थ प्रधान
निदेशक

एस. सूर्यनारायण
निदेशक

साधना वर्मा
निदेशक

अश्विनी कुमार झा
महाप्रबंधक एवं सीएफओ

संलग्नक समान तारीख की हमारी अलग रिपोर्ट अनुसार

कृते अरुण के. अग्रवाल एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
(एफआरएन 003917 एन)
ह/-
सीए अरुण कुमार अग्रवाल
(भागीदार)
एम.सं.: 082899

कृते मुखर्जी बिश्वास एंड पाठक
सनदी लेखाकार
(एफआरएन 301138ई)
ह/-
सीए शंकर प्रसन्न मुखर्जी
(भागीदार)
एम.सं.: 010807

कृते दिनेश जैन एंड एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
(एफआरएन 004885एन)
ह/-
सीए नेहा जैन
(भागीदार)
एम.सं.: 514725

कृते एसबीए एसोसिएट्स
सनदी लेखाकार
(एफआरएन 308136ई)
ह/-
सीए नीलंजना सेन
(भागीदार)
एम.सं.: 061768

दिनांक : 13 मई, 2019
स्थान : कोलकाता

31.03.2019 को बेसल मानदंडों के तहत पिलर-3 का प्रकटीकरण

सारणी डीएफ-1: आवेदन की संभावना

बैंकिंग समूह के प्रमुख का नाम जिनके लिए यह रूपरेखा लागू होती है : युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया

(i) गुणात्मक प्रकटीकरण:

क. समेकन पर विचार करने के लिए समूह संस्थाओं की सूची।

निगमन संस्था / देश का नाम	क्या उक्त संस्था लेखा समेकन संभावना के अंतर्गत समाहित है। (हां/नहीं)	समेकन की विधि के बारे में बताएं	क्या उक्त संस्था नियामक समेकन संभावना के अंतर्गत समाहित है। (हां/नहीं)	समेकन की विधि के बारे में बताएं	समेकन की विधि में अंतर के लिए कारणों की व्याख्या करें	समेकन यदि एक ही संभावना के अंतर्गत किया गया है तो तत्संबंधी कारण की व्याख्या करें*
शून्य						

*बैंक का कोई समनुषंगी नहीं है इसलिए समेकन की आवश्यकता नहीं है।

ख. समूह संस्थाओं की सूची लेखांकन और समेकन दोनों के नियामक दायरे के तहत समेकन के लिए नहीं विचार किया जाता है।

निगमन संस्था / देश का नाम	संस्था की प्रमुख गतिविधि	कुल तुलन पत्र इक्विटी (जैसा कि कानूनी इकाई के लेखांकन तुलन पत्र में कहा गया है)	कुल इक्विटी में बैंक के हिस्सेदारी का प्रतिशत	संस्था के पूंजी लिखतों में बैंक के निवेश का विनियामक उपचार	कुल तुलन पत्र परिसंपत्तियां (जैसा कि कानूनी इकाई के लेखांकन तुलन पत्र में कहा गया है)
शून्य					

लेखांकन की संभावना का समेकन और नियामक की संभावना का समेकन के तहत समेकन के लिए किसी प्रकार की समूह संस्थाओं पर विचार नहीं किया गया बैंक के चार (4) क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक हैं जो पूंजी पर्याप्तता अनुपात की गणना तहत सहयोगियों के रूप में माने जाते हैं।

(ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण:

ग. समेकन पर विचार करने के लिए समूह संस्थाओं की सूची:

निगमन संस्था / देश का नाम (जैसा कि (i) क. में उल्लेख किया गया है)	इकाई की प्रमुख गतिविधि	कुल तुलन पत्र इक्विटी (जैसा कि कानूनी इकाई के लेखांकन तुलन पत्र में कहा गया है)	कुल तुलन पत्र परिसंपत्ति (जैसा कि कानूनी इकाई के लेखांकन तुलन पत्र में कहा गया है)
शून्य			

घ. सभी समनुषंगी कंपनियों में कुल कमी पूंजी की राशि जिसे नियामक संभावना के समेकन में शामिल नहीं किया गया है अर्थात उसमें कटौती की गई है:

निगमन के लिए समनुषंगी कंपनियों / देश का नाम	इकाई की प्रमुख गतिविधि	कुल तुलन पत्र इक्विटी (जैसा कि कानूनी इकाई का लेखांकन तुलन पत्र में कहा गया है)	कुल इक्विटी में बैंक की हिस्सेदारी का प्रतिशत	पूंजी की कमी
शून्य				

ङ. बीमा संस्थाओं में बैंक के हितों की कुल राशि (अर्थात मौजूदा बही मूल्य) जो जोखिम भारित है:

निगमन के लिए बीमा संस्थाओं / देश का नाम	इकाई की प्रमुख गतिविधि	तुलन पत्र शीट इक्विटी (जैसा कि कानूनी इकाई के लेखांकन तुलन पत्र में कहा गया है)	मताधिकार का अनुपात /कुल इक्विटी के अनुपात में बैंक के हिस्सेदारी का प्रतिशत	जोखिम भारित विधि बनाम पूर्ण कटौती विधि का उपयोग कर पूंजी नियामक पर मात्रात्मक प्रभाव
अप्रयोज्य				

च. बैंकिंग समूह के भीतर धन अंतरण या नियामक पूंजी पर कोई प्रतिबंध या बाधा:

यह अप्रयोज्य है क्योंकि बैंक का कोई समनुषंगी नहीं है।

सारणी: डीएफ-2: पूंजी पर्याप्तता

(i) गुणात्मक प्रकटीकरण:

वर्तमान और भविष्य के कार्यकलापों के समर्थन करने में बैंक द्वारा पूंजी पर्याप्तता का आकलन।

- भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्धारित नियामक मानदंडों को पूरा करने के लिए बैंक के जोखिम प्रोफाइल पर विचार करते हुए पूंजी अपेक्षा को प्रभावी ढंग से व्यवस्था करने के संबंध में और समग्र पूंजी पर्याप्तता के मूल्यांकन हेतु बैंक ने पूंजी अनुकूलन पर ध्यान देते हुए अपने व्यवसाय में एक पूर्ण परिभाषित उत्कृष्ट जोखिम प्रबंधन संरचना की है।
- भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा निर्देशों के तहत 31.03.2019 तक बैंक को सीईटी 1 अनुपात 5.5%, सीईटी 1 पूंजी के रूप में पूंजी संरक्षण बफर (सीसीबी) 1.875%, टियर 1 अनुपात में 7.00% और सीसीबी 1.875% समेत जोखिम भारित आस्तियां (सीआरएआर) के लिए कुल ऋण में 10.875% का निर्वाह करना जरूरी है।
- बैंक ने बेसल-III पूंजी विनियमन के अंतर्गत निर्धारित सभी विनियमनों सीमा एवं मिनिमाओं का अनुपालन करता है। स्टेंडअलोन आधार पर बैंक की पूंजी पर्याप्तता अनुपात 31.03.2019 को 13.00% था जिसमें सीईटी 1 अनुपात में 10.14%, टीयर 1 अनुपात 10.14%, टीयर 2 अनुपात 2.86% है।
- बैंक जमाकर्ताओं एवं सामान्य लेनदारों को वित्तीय और आर्थिक, व्यापारिक क्षति से उत्पन्न होने वाले व्यवसाय आदि के मूल्य में नुकसान की सुरक्षा के लिए पर्याप्त पूंजी निर्वाह करता है।
- बासेल-III मानदंडों के तहत बैंक द्वारा सीआरएआर की गणना के लिए निम्नलिखित विधियों को अपनाया गया है:
 - ऋण जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण।
 - परिचालनगत जोखिम के लिए मूलसंकेतक दृष्टिकोण।
 - बाजार जोखिम के लिए मानकीकृत अवधि विधि।
- बैंक के पास आंतरिक पूंजी पर्याप्तता आंकलन प्रक्रिया (आईसीएएपी) नीति है जो सभी प्रकार के जोखिम दस्तावेजों की व्यापक समीक्षा, पुष्टि करने के लिए पर्याप्त पूंजी विनियोजन करता है। सभी प्रकार के और उचित पूंजी आवंटन को पुष्ट करने के लिए एक अच्छी तरह से पारिभाषित इसकी प्रगामी प्रक्रिया जहां बैंक विपरीत परिस्थितियों में पूंजी आवश्यकताओं की गणना करता है। यह एक सकारात्मक प्रक्रिया है जहां बैंक प्रतिकूल परिस्थियों की अवधि के दौरान परिचालन जारी रखने के क्रम में अपनी पूंजी जरूरतों और उसके महत्व और संसाधनो को पूरा करने का प्रयत्न करता है। पूंजी स्तर की अपेक्षा के निर्धारण के लिए संस्थान की जोखिम प्रोफाइल के अनुरूप भौतिक जोखिमों की पहचान की जाती है और उसे तय करके अंतिम रूप दिया जाता है।
- बासेल-III में अवस्थांतर को सहज और सुचारू रूप से होना सुनिश्चित करने के लिए उचित संक्रमणकालीन व्यवस्था पूंजी आदि के घटकों को न्यूनतम बासेल-III पूंजी अनुपात, पूर्ण नियामक समायोजन पूरा करने के लिए प्रदान किया गया है।
- बैंक की पूंजीगत रणनीति की प्रक्रिया, बैक का वास्तविक पूंजीगत स्थिति का निर्धारण और भविष्य जोखिम लेने की क्षमता और व्यवसाय अनुमान के आधार पर पूंजीकोष जुटाने के लिए उपलब्ध विकल्प के साथ हेडरूम व्यवस्था।
- व्यापार प्रक्षेपण के आधार पर बैंक के निदेशक मंडल के अनुमोदन से बैंक पूंजी जुटाता है।

पूंजीगत रणनीति:

बैंक ने वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान पूंजीगत रणनीति मानदडं के अनुसार निम्नलिखित पूंजी बढ़ाया है:

क) वर्तमान वित्तीय वर्ष की द्वितीय तिमाही के दौरान बैंक ने युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया - कर्मचारी शेयर खरीद योजना, 2018 के तहत बैंक के पात्र कर्मचारियों को प्रति शेयर ₹10.55 की इश्यू मूल्य पर प्रति ₹10 की अंकित मूल्य की 2,92,02,589 नये इक्विटी शेयर जारी और आवंटित किया, जिससे ₹30.81 करोड़ की इक्विटी पूंजी जुटाई गई।

ख) वर्तमान वित्तीय वर्ष की तीसरी तिमाही और चौथी तिमाही के दौरान बैंक ने पूंजी लगाने हेतु भारत सरकार से दो चरणों में ₹4998 करोड़ प्राप्त किया।

1. तीसरी तिमाही के दौरान बैंक ने सरकारी निवेश के रूप में बैंक के इक्विटी शेयरों के तरजीही आवंटन में केंद्र सरकार का अंशदान के रूप में ₹2159 करोड़ प्राप्त किया।

 दिनांक 11.02.2019 तक बैंक ने भारत के राष्ट्रपति, कृते केंद्र सरकार को ₹11.88/ प्रति शेयर के मूल्य पर प्रति ₹10/ के 1,81,73,40,067 इक्विटी शेयर आवंटित किया।

2. चौथी तिमाही के दौरान बैंक ने भारत सरकार को इक्विटी शेयरों के तरजीही आवंटन के माध्यम से चूकता पूंजी को बढ़ाने के लिए ₹2839 करोड़ प्राप्त किया।

 दिनांक 29.03.2019 तक बैंक ने भारत के राष्ट्रपति, कृते केंद्र सरकार को ₹11.03/ प्रति शेयर के मूल्य पर प्रति ₹10/ के 2,57,38,89,392 इक्विटी शेयर आवंटित किया।

(ii) मात्रात्मक प्रकटीकरण: **(₹/करोड़)**

क) आरडब्ल्यूए के 10.875 की दर से ऋण जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकताएं:	
● मानक दृष्टिकोण के अधीन संविभाग:	4933.17
● प्रतिभूतिकरण निवेश:	0.00
ख) बाजार जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकताएं	
● मानकीकृत अवधि दृष्टिकोण	
- ब्याज दर जोखिम:	440.01
- विदेशी मुद्रा जोखिम (स्वर्ण सहित):	2.25
- इक्विटी जोखिम:	115.77
ग) परिचालनात्मक जोखिम के लिए पूंजी आवश्यकता:	
● आधार संकेतक दृष्टिकोण:	567.48
घ) आम इक्विटी टियर 1 अनुपात (सीईटी) (%)	10.14
टियर 1 पूंजी अनुपात (%):	10.14
कुल पूंजी अनुपात (%):	13.00

टेबल डीएफ 3
ऋण जोखिम: सामान्य प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

(क) अपने तुलनपत्र में वास्तविक वित्तीय स्थिति के प्रदर्शन के लिए बैंक ने अपने अग्रिम संविभाग के लिए विवेकाधिकार मानदंड के लिए आय की पहचान, आस्ति वर्गीकरण और प्रावधानीकरण के साथ विगत अतिदेय और अनर्जक (लेखांकन के उद्देश्य से) के तहत परिभाषा को अपनाया है।

अनर्जक आस्ति

भारतीय रिजर्व बैंक के मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसरण में बैंक ने अपने अग्रिम को अर्जक और अनर्जक ऋण (एनपीए) में वर्गीकृत किया है। एक ऋण या अग्रिम को निम्न प्रकार की स्थिति में एनपीए माना जाएगा:

1. यदि किसी मीयादी ऋण पर मिलने वाला ब्याज और/या मूल ऋण की किस्तें 90 दिनों से अधिक की अवधि बीत जाने के बावजूद मिलनी बंद हो जाए।
2. यदि कोई ओवरड्राफ्ट/कैश क्रेडिट (ओडी/सीसी) खाता 90 दिनों से अधिक की अवधि के लिए अनियमित (आउट ऑफ़ ऑर्डर) हो जाए।
3. बिल खरीद और बिल बट्टा के मामले में यदि कोई बिल 90 दिनों से अधिक अवधि तक अतिदेय हो जाए।
4. अल्पावधि फसलों के मामले में यदि मूल ऋण की किस्त या उस पर ब्याज, फसल के दो मौसम से अधिक अवधि तक अतिदेय हो जाए।
5. दीर्घावधि फसलों के मामले में यदि मूल ऋण या उसका ब्याज, फसल के एक मौसम से अधिक अवधि के लिए अतिदेय हो जाए।

खाता को अक्षम तभी माना जाएगा जब बकाया शेष स्वीकृत सीमा/आहरण शक्ति से अधिक होकर 90 दिनों से अधिक के लिए रहती हो। जब मूल परिचालन खाते में बकाया शेष स्वीकृत सीमा/आहरण शक्ति से कम है, लेकिन क्रमशः 90 दिनों के लिए ऋण खाते में तुलनपत्र की तारीख तक राशि जमा नहीं की जाती है अथवा उक्त अवधि के दौरान ब्याज प्रभार करने के लिए पर्याप्त धन राशि नहीं है उक्त खाते को अक्षम माना जाएगा।

बैंक द्वारा तय की गई नियत तिथि पर ऋण सुविधा के तहत बैंक को देय राशि से संबंधित अतिदेय राशि का भुगतान नहीं किया जाता है।

पुनः भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्धारित शर्तों के तहत अनर्जक आस्ति को अवमानक, संदिग्ध और हानि आस्ति में वर्गीकृत किया गया है।

- एक अवमानक परिसंपत्ति वह है जो 12 महीनों के बराबर अथवा उससे कम अवधि के लिए एनपीए के रूप में बनी रहती है।
- एक संदिग्ध परिसंपत्ति वह है जो 12 महीनों से अधिक अवधि के लिए एनपीए के रूप में बनी रहती है।
- हानि आस्ति वह होता है जिसे बैंक या उनके आंतरिक या बाह्य लेखा परीक्षकों द्वारा या भारतीय रिजर्व बैंक के निरीक्षण के दौरान हानि की पहचान की गई है, लेकिन राशि पूरी तरह से बट्टे खाते में नहीं डाला गया।

गैर-निष्पादित निवेश (एनपीआई)

प्रतिभूतियों के संबंध में जिसमें ब्याज/मूलधन बकाया है और बैंक को प्रतिभूतियों से आय नहीं प्राप्त होती है और निवेश के मूल्य पर ह्रास के लिए उपयुक्त प्रावधान किया गया है।

गैर-निष्पादित अग्रिम (एनपीए) की तरह गैर-निष्पादित निवेश (एनपीआई) एक ऐसा निवेश है जिसमें

1. ब्याज/किस्त (परिपक्वता आय सहित) बकाया है और 90 दिनों से अधिक तक चुकाया नहीं गया हो।
2. यथोचित परिवर्तन सहित यही बात तरजीही शेयरों पर भी लागू होती है, जहां निश्चित लाभांश का भुगतान नहीं किया जाता है।
3. इक्विटी शेयरों के मामले में, यदि किसी भी कंपनी के शेयरों में निवेश किया गया है और उस कम्पनी का अद्यतन तुलन पत्र उपलब्ध नहीं होने पर भारतीय रिजर्व बैंक के निर्देश के अनुसार उसका मूल्य प्रति कम्पनी ₹1/माना जाता है और उन इक्विटी शेयरों को गैर-निष्पादित निवेश समझा जायेगा।
4. जारीकर्ता द्वारा लिया गया ऋण यदि बैंक के खाते में एनपीए हो जाता है तो जारीकर्ता द्वारा जारी प्रतिभूति को गैर-निष्पादित निवेश समझा जाता है और ऐसे निवेश को गैर-निष्पादित आस्ति समझा जाता है।
5. अग्रिम प्रकृति के डिबेंचरों/बॉडों में निवेश, निवेश पर लागू होने योग्य गैर-निष्पादित निवेश (एनपीआई) के मानदंडों के अधीन हैं।

नीति और प्रक्रिया

अपनी ऋण नीति के रूप में बैंक ने ऋण जोखिम प्रबंधन पद्धति का सुदृढ़ ढांचा बना रखा है और विभिन्न जोखिम प्रबंधन नीतियों जैसे - ऋण नीति, ऋण जोखिम न्यूनीकरण एवं संपार्श्विक प्रबंधन नीति और ऋण लेखा परीक्षा नीति आदि विकसित की है। नीतियों का मुख्य उद्देश्य प्रबंधन की उम्मीद के अनुसार परिचालन को सुनिश्चित करना है और शीर्ष प्रबंधन की रणनीति को परिचालन स्तर पर सार्थक दिशाओं में ले जाना है।

नीतियाँ बड़े ऋण जोखिम पर विवेकपूर्ण सीमा, ऋण संपार्श्विक, पोर्टफोलियो प्रबंधन, ऋण समीक्षा तंत्र, जोखिम निगरानी और मूल्यांकन के प्रावधान व विनियामक/कानूनी अनुपालन के मानकों को निर्धारित करने के लिए है।

बैंक सकेंद्रित जोखिम का अध्ययन निम्नप्रकार से करता है - (क) एकल और समूह उधारकर्ताओं के जोखिम ऋण सीमा को तय करके (ख) ग्रेड सीमा निर्धारण करके (ग) उद्योगवार जोखिम सीमा तय करके और (घ) अंचल में ऋण के भौगोलिक वितरण का विश्लेषण करके। सभी अंचल को चार खंडों अर्थात् उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। बैंक ने सभी शाखाओं/आंचालिक कार्यालयों में उधार खाते की रेटिंग को समझने के लिए रेटिंग/स्कोरिंग मॉडल संचालित किया है जो ऋण लेने और तदनुसार कार्यान्वित सॉफ्टवेयर के साथ जुड़े ऋण जोखिम को मापने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण के रूप में कार्य करता है।

ऋण जोखिम प्रबंधन में ऋण जोखिम की पहचान, मूल्यांकन, माप, निगरानी और नियंत्रण शामिल हैं।

ऋण जोखिम की पहचान और समीक्षा की प्रक्रिया में, बैंक ने ऋण जोखिम के वर्गीकरण मानकों को विकसित करने और उसे परिष्कृत करने पर अधिक बल दिया है ताकि काउंटर पार्टी जोखिम की समीक्षा की जा सके और विभिन्न वर्गों में वर्गीकृत जोखिम जैसे - वित्तीय, व्यापार, उद्योग, परियोजना एवं प्रबंधन जोखिम आदि को ध्यान में रखकर किया गया है, जिनमें प्रत्येक के लिए अलग से अंक बनाए गए है।

ऋण जोखिम की माप की तहत ऋण जोखिम की सीमा निश्चित की जाती है ताकि पोर्टफोलियो को बेहतरीन ढंग से स्थापित करने का लक्ष्य प्राप्त हो सके जैसे कंपनियों, कंपनी समूहों, उद्योगों, जमानती के प्रकार और भूगोल विविध आयामों के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। बेहतर जोखिम प्रबंधन और ऋण जोखिम की एकाग्रता से बचाने के लिए बैंक में व्यक्तिगत और समूह उधारकर्ता, उद्योग ऋण जोखिम सीमा और पूंजी बाजार, अचल संपत्ति जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में विवेकपूर्ण निवेश से संबंधित मानक आंतरिक मार्गदर्शन निर्धारित किए गए हैं। बैंक ऋण सुविधा की मंजूरी के लिए अच्छी तरह से परिभाषित बहुस्तरीय विवेकाधिकार संरचना का पालन करता है।

बैंक का ऋण जोखिम प्रबंधन के विभिन्न पहलू जैसे मूल्यांकन, कीमत निर्धारण, ऋण अनुमोदन प्राधिकारी, प्रलेखीकरण, रिपोर्टिंग और निगरानी, ऋण समीक्षा, ऋण सुविधाओं का नवीकरण, ऋण के संबंध में विभिन्न समस्याओं का निराकरण, ऋण समीक्षा तंत्र आदि के संबंध में प्रक्रिया और नियंत्रण करता है।

नियमित अंतराल पर बड़े-बड़े उद्योगों के पोर्टफोलियो का विश्लेषण किया जाता है ताकि बैंक के ऋण पोर्टफोलियो पर उद्योग विशेष या क्षेत्र विशेष के प्रभाव का अध्ययन किया जा सके और तत्कालीन बाजार की स्थिति का भी अध्ययन किया जा सके। पोर्टफोलियो के विश्लेषण के अंतर्गत विभिन्न पहलू शामिल हैं जैसे आस्ति की गुणवत्ता; निवेश के मानदंड का अनुपालन, जोखिम का स्तर जैसे अल्प, अधिक और तदनुरूपी प्रतिफल और एनपीए स्तर आदि।

बैंक ने अपनी बोर्ड अनुमोदित तनाव परीक्षण नीति बनाई है, जिसमें तर्कसंगत दबावपूर्ण व्यापार स्थिति के संबंध में संभाव्य अतिसंवेदनशीलता के मूल्यांकन के लिए विभिन्न तकनीक का प्रयोग शामिल है। उक्त नीति के अनुरूप बैंकिंग बही में नकदी जोखिम, ब्याज दर जोखिम, विदेशी विनिमय जोखिम, ऋण जोखिम, पूंजी पर्याप्तता पर प्रभाव और बैंक की लाभप्रदता पर प्रभाव से संबंधित यह परीक्षण छमाही आधार पर किया जाता है। बैंक की यह पूंजी समय-समय पर विश्लेषित ऐसी तनाव स्थितियों में पर्याप्त पाई गई।

बड़े उधारकर्ता खातों के लिए बैंक जोखिम वर्गीकरण बदलाव (रिस्क रेटिंग माइग्रेशन) पर विश्लेषण करता है। यह भारतीय रिज़र्व बैंक/बैंक के बोर्ड द्वारा निर्धारित ऋण जोखिम के मानदंड की छमाही समीक्षा भी करता है। बैंक ने उधारकर्ता खातों की रेटिंग के लिए सॉफ्टवेयर आधारित ऋण जोखिम रेटिंग मॉडल भी तैयार किया गया है।

इसके अतिरिक्त बैंक ने बोर्ड के अनुमोदन से ऋण जोखिम कम करने की तकनीक एवं संपार्श्विक प्रबंधन की नीति भी लागू की है जिसके अंतर्गत बैंक के हित के संरक्षण के लिए प्रतिभूतियों का पूरा ब्यौरा और इन प्रतिभूतियों के प्रशासन से संबंधित ब्यौरे का उल्लेख किया गया है। ये प्रतिभूतियाँ ऋण जोखिम कम करने के उपाय पर काम करती है।

मात्रात्मक प्रकटीकरण: **(₹ /करोड़)**

	निधि आधारित	गैर-निधि आधारित	कुल
(ख) कुल सकल क्रेडिट निवेश	73123.41	4665.14	77788.55
(ग) निवेश का भौगोलिक वितरण			
प्रवासी	शून्य	शून्य	शून्य
घरेलू	73123.41	4665.14	77788.55

(घ) निवेश का उद्योगवार वितरण **(₹ /करोड़)**

कोड	उद्योग के नाम	निधि आधारित बकाया	गैर-निधि आधारित बकाया
1	कोयला	0.00	0.00
2	कोयला सहित खनन	264.10	0.00
3	मूल धातु और धातु उत्पाद	2287.03	141.92
3.1	लौह एवं इस्पात	2051.88	141.79
3.2	अन्य धातु और धातु उत्पाद	235.15	0.13
4	सभी इंजीनियरिंग	1385.20	153.05
4.1	इसमें से इलेक्ट्रॉनिक्स	36.20	11.30
4.2	इसमें से अन्य	1348.99	141.75
5	बिजली	0.00	0.00
6	कपड़ा	1719.54	80.11
6.1	इसमें से सूती कपड़ा	1014.20	74.88
6.2	इसमें से जूट कपड़ा	37.13	0.26
6.3	इसमें से अन्य कपड़ा	668.20	4.99
7	खाद्य प्रसंस्करण	2201.31	106.87
7.1	इसमें से चीनी	12.97	0.00
7.2	इसमें से चाय	646.56	7.59
7.3	इसमें से वनस्पति तेल और वनस्पति	59.26	1.78
7.4	इसमें से अन्य	1482.52	97.50
8	तंबाकू और तंबाकू उत्पाद	134.93	0.45
9	कागज और कागज उत्पाद	125.67	23.89
10	रबड़ और रबड़ उत्पाद	233.47	8.25
11	मूलभूत सुविधाएं	11799.21	1624.62
11.1	इसमें से बिजली	9277.42	497.46
11.2	इसमें से दूरसंचार	39.24	40.54
11.3	इसमें से सड़कों और बंदरगाहों	2036.41	1035.87
11.4	इसमें से अन्य मूलभूत सुविधाएं	446.14	50.75
12	सीमेंट	545.10	54.19
13	चमड़ा और चमड़ा उत्पाद	171.94	1.17
14	रत्न और आभूषण	165.62	2.32

कोड	उद्योग के नाम	निधि आधारित बकाया	गैर-निधि आधारित बकाया
15	निर्माण	826.23	90.9 4
16	पेट्रोलियम	62.39	5.19
17	ट्रकों सहित ऑटोमोबाइल	498.28	27.79
18	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	9.30	0.19
19	रसायन, रंजक, पेंट्स आदि	958.49	214.79
19.1	इसमें से उर्वरक	357.42	0.00
19.2	इसमें से पेट्रो रसायन	529.26	209.94
19.3	इसमें से ड्रग्स एवं फार्मास्यूटिकल्स	71.81	4.84
20	एनबीएफसी	8065.02	0.03
21	अन्य उद्योग	749.54	86.52
22	अवशिष्ट अन्य अग्रिम (सकल अग्रिमों का बकाया)	40921.04	2043.74
23	**कुल**	**73123.41**	**4665.14**

निम्नलिखित उद्योगों में 31.03.2019 को निधि आधारित और गैर-निधि आधारित निवेशों पर कुल निधि आधारित एवं गैर-निधि आधारित निवेश का 5% से अधिक था।

क्रम	निधि आधारित (एफबी) निवेश		क्रम	गैर-निधि आधारित (एनएफबी) निवेश	
	उद्योग के नाम	कुल एफबी का %		उद्योग के नाम	कुल एनएफबी का %
1	बिजली	12.69	1	सड़क और पोर्ट	22.20
2	एनबीएफसी	11.03	2	बिजली	10.66

(ङ) आस्तियों का अवशिष्ट सांविदिक परिपक्वता का अलग-अलग विवरण **(₹/करोड़)**

	1 दिन	2 से 7 दिन	8 से 14 दिन	15 से 28 दिन	29 दिन से 3 महीने तक	3 महीनों से अधिक और 6 महीने तक	6 महीने से अधिक और 1 वर्ष तक	1 वर्ष से अधिक और 3 वर्ष तक	3 वर्ष से अधिक और 5 वर्ष तक	5 वर्ष से अधिक	कुल
अग्रिम	185	368	737	3807	7470	4782	8049	9719	8204	23634	66955
निवेश	5114	1937	725	1521	8117	1919	2341	3305	4054	31943	60976
विदेशी मुद्रा आस्तियां	964	914	27	80	708	804	1814	0.00	238	0.35	5549

(च) एनपीए (सकल) की राशि **(₹ /करोड़)**

श्रेणी	राशि
अवमानक	1786.88
संदिग्ध 1	3461.51
संदिग्ध 2	4702.39
संदिग्ध 3	2012.58
हानि	90.02
कुल	12053.38

(छ) शुद्ध एनपीए 5785.61

(ज) एनपीए अनुपात **(% में)**

(क) सकल अग्रिमों के लिए सकल एनपीए	16.48
(ख) शुद्ध अग्रिमों के लिए शुद्ध एनपीए	8.67

(झ) सकल एनपीए का उतार-चढ़ाव **(₹/करोड़)**

क) 1 अप्रैल 2018 को शुरूआत में प्रारंभिक शेष	16552.11
ख) 31 मार्च, 2019 तक योग	2870.52
ग) 31 मार्च, 2019 तक कमी	7369.25
घ) 31 मार्च, 2019 को समाप्त शेष (क+ख-ग)	12053.38

(ञ) विशिष्ट एवं सामान्य प्रावधानों में उतार-चढ़ाव **(₹/करोड़)**

प्रावधानों में उतार-चढ़ाव	विशिष्ट प्रावधान	सामान्य प्रावधान
क) 1 अप्रैल 2018 को शुरूआत में प्रारंभिक शेष	6201.57	238.47
ख) 31 मार्च, 2019 तक किया गया प्रावधान	5523.30	108.80
ग) बट्टेखाते /अतिरिक्त प्रावधानों को वापस डालना	5365.29	-
घ) अन्य समायोजन	191.27	-
ङ) 31 मार्च, 2019 को समाप्ति तक इति शेष (क+ख-ग-घ)	6168.31	347.27

(₹/करोड़)

(ट) आय विवरण में प्रत्यक्ष रूप से उल्लेख की गई अपलिखित एवं वसूली की राशि	342.27

(₹/करोड़)

(ठ) गैर-निष्पादित निवेश की राशि	915.98

(₹/करोड़)

(ड) गैर-निष्पादित निवेश के लिए रखे गए प्रावधान की राशि	856.93

(₹/करोड़)

(ढ) निवेश पर मूल्यह्रास के लिए प्रावधानों में उतार-चढ़ाव	
i) 1 अप्रैल 2018 को शुरूआत में प्रारंभिक शेष	293.43
ii) 31 मार्च, 2019 तक किया गया प्रावधान	136.63
iii) बट्टेखाते/अतिरिक्त प्रावधानों को वापस डालना	0.00
iv) 31 मार्च, 2019 को तिमाही की समाप्ति पर इति शेष (i+ii-iii)	430.06

(ण) सामान्य और विशिष्ट प्रावधानों के उद्योग प्रकार वितरण **(₹ /करोड़)**

क्रम सं.	उद्योग का नाम	31 मार्च, 2019 को			31 मार्च, 2019 को समाप्त तिमाही के लिए	
		सकल एनपीए	विशिष्ट प्रावधान	सामान्य प्रावधान	बट्टे खाते	विशिष्ट प्रावधान
1	कोयला	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	कोयला सहित खनन	16.06	7.02	0.99	0.00	0.01
3	मूल धातु और धातु उत्पाद	466.43	249.71	5.45	975.79	0.00
3.1	लौह एवं स्टील	401.09	192.92	4.80	975.79	0.00
3.2	अन्य धातु और धातु उत्पाद	65.34	56.79	0.65	0.00	21.38
4	सभी इंजीनियरिंग	549.31	288.65	3.16	0.00	152.64
4.1	इसमें से इलेक्ट्रॉनिक्स	3.14	1.12	0.16	0.00	0.00
4.2	इसमें से अन्य	546.18	287.53	3.00	0.00	153.19
5	बिजली	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	कपड़ा	831.63	344.06	2.76	0.00	103.83
6.1	इसमें से सूती कपड़ा	721.68	288.41	1.14	0.00	255.73
6.2	इसमें से जूट कपड़ा	6.24	2.63	0.14	0.00	0.00
6.3	इसमें से अन्य कपड़ा	103.71	53.02	1.48	0.00	0.00
7	खाद्य प्रसंस्करण	269.82	112.41	7.27	0.00	2.22
7.1	इसमें से चीनी	0.10	0.02	0.05	0.00	0.00
7.2	इसमें से चाय	10.07	6.01	2.56	0.00	0.04
7.3	इसमें से वनस्पति तेल और वनस्पति	16.47	14.10	0.18	0.00	5.70
7.4	इसमें से अन्य	243.17	92.28	4.48	0.00	0.00
8	तंबाकू और तंबाकू उत्पाद	62.51	17.79	0.29	131.58	0.00
9	कागज और कागज उत्पाद	8.05	3.53	0.45	0.00	0.07
10	रबड़ और रबड़ उत्पाद	47.60	20.20	0.78	0.00	3.66
11	मूलभूत सुविधाएं	5012.01	2002.39	27.18	622.17	274.53
11.1	इसमें से बिजली	4281.02	1844.24	20.80	12.12	601.28
11.2	इसमें से दूरसंचार	0.36	0.17	0.14	0.00	0.00
11.3	इसमें से सड़कों और बंदरगाहों	714.08	144.15	4.22	354.93	0.00
11.4	इसमें से अन्य मूलभूत सुविधाएं	16.56	13.84	2.02	255.12	0.00
12	सीमेंट	189.34	15.77	1.27	50.18	0.00
13	चमड़ा और चमड़ा उत्पाद	24.73	12.16	0.56	0.00	1.78
14	रत्न और आभूषण	11.65	6.71	1.27	310.90	0.00
15	निर्माण	395.68	104.88	1.65	61.83	0.00
16	पेट्रोलियम	17.08	16.72	0.16	0.00	1.68
17	ट्रकों सहित ऑटोमोबाइल	412.43	323.90	0.30	143.44	100.93
18	कंप्यूटर सॉफ्टवेयर	4.13	3.49	0.01	0.00	0.00
19	रसायन, रंजक, पेंट्स आदि	398.34	125.26	2.18	0.00	22.45
19.1	इसमें से उर्वरक	347.92	90.63	0.05	0.00	38.19
19.2	इसमें से पेट्रो रसायन	46.03	31.53	1.90	0.00	0.00
19.3	इसमें से ड्रग्स एवं फार्मास्यूटिकल्स	4.39	3.10	0.23	0.00	0.14
20	एनबीएफसी	100.09	15.01	35.71	0.00	0.00
21	अन्य उद्योग	126.02	44.36	3.98	0.00	2.85
22	अवशिष्ट अन्य अग्रिम (सकल अग्रिमों का बकाया)	3110.47	2454.28	251.87	333.35	
23	कुल	12053.38	6168.31	347.27	2629.24	

(त) सकल एनपीए, विशिष्ट प्रावधान और सामान्य प्रावधान का भौगोलिकवार वितरण **(₹/करोड़)**

ब्यौरा	प्रवासी	घरेलू	कुल
सकल एनपीए	-	12053.38	12053.38
विशिष्ट प्रावधान	-	6168.31	6168.31
सामान्य प्रावधान	-	347.27	347.27

सारणी डीएफ 4

ऋण जोखिम: मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन पोर्टफोलियो का प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत पोर्टफोलियों के लिए

बेसल मानदंडों पर भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार बैंक सीआरएआर के गणना के उद्देश्य से आरबीआई द्वारा मान्यता प्राप्त निम्न घरेलू बाह्य क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों (ईसीआरए) के बाहरी रेटिंग का उपयोग कर रहा है:

1. केयर 2. क्रिसिल 3. ईक्रा 4. भारतीय रेटिंग (पहले फिच इंडिया के नाम से प्रसिद्ध) 5. ब्रिकवर्क 6. स्मेरा/अक्विट और 7 इनफॉर्मेरिक्स।

ईक्रा द्वारा समनुदेशित रेटिंग का उपयोग निम्न निवेश के लिए किया जाता है:

- अल्पावधि ऋण (एसटीएल) अर्थात एक वर्ष से कम के संविदात्मक परिपक्वता निवेश (नकदी ऋण, ओवर ड्राफ्ट एवं परिक्रामी (रिवॉल्विंग) ऋण को छोड़कर) हेतु समनुदेशित अल्पावधि पर विचार किया गया है।
- दीर्घावधि ऋण (एलटीएल) अर्थात एक वर्ष से अधिक के संविदात्मक परिपक्वता और घरेलू नकद ऋण, ओवर ड्राफ्ट और परिक्रामी ऋण के लिए दीर्घावधि रेटिंग पर विचार किया गया है।

सार्वजनिक क्षेत्र में उपलब्ध रेटिंग को इस विषय पर भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों द्वारा परिकल्पित मैपिंग प्रक्रिया के अनुसार ही चिह्नित किया जाता है।

भारतीय रिजर्व बैंक मानदंड के अनुसार जोखिम भारित गणना के उद्देश्य से बैंक बाह्य रेटिंग का उपयोग कर रहा है। बैंक एक आंतरिक रेटिंग मॉडल का उपयोग करते हुए आंतरिक रूप से अपने ग्राहकों की भी रेटिंग करता है।

मात्रात्मक प्रकटीकरण:

नीचे दी गई सारणी, तीन प्रमुख जोखिम खण्डों में विशिष्ट प्रावधान के निवल ऋण निवेशों (निधि एवं गैर-निधि दोनों) के लिए बैंक के सकल बकाया राशि को स्पष्ट कर रहा है:

(₹/करोड़)

मानकीकृत दृष्टिकोण के अधीन जोखिम कम करने के बाद निवेश राशि के लिए निम्नांकित तीन मुख्य जोखिम खंडों तथा जिनकी कटौती होनी है उसका बैंक बकाया (श्रेणीकृत एवं गैर श्रेणीकृत)	• 100% जोखिम भार से कम:	50188.47
	• 100% जोखिम भार:	10209.92
	• 100% जोखिम भार से अधिक:	4998.41

सारणी डीएफ 5

ऋण जोखिम न्यूनीकरण : मानकीकृत दृष्टिकोण का प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

(क) ऋण जोखिम कम करने के संबंध में सामान्य गुणात्मक प्रकटीकरण अपेक्षा में निम्नांकित मदें शामिल हैं:

- वे नीतियाँ और पद्धति और इसका एक संकेत, कि वह कहाँ तक इनकी उपयोग तुलन-पत्र तैयार करते समय करता है।
- संपार्श्विक मूल्यांकन एवं प्रबंधन के लिए नीतियाँ एवं प्रक्रियाएँ

नियामक अपेक्षाओं के अनुरूप बैंक ने निम्नांकित प्राथमिक उद्देश्य से ऋण जोखिम कम करने की तकनीक एवं संपार्श्विक प्रबंधन पर नीति बनाई है। (क) बेसेल-II एवं बेसेल-III के मानदंडों/भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए ऋण जोखिम को कम करना तथा उपयुक्त संपार्श्विकों के निर्धारण के प्रति जागरूकता बढ़ाना, (ख) बेसेल-II एवं बेसेल-III के मानदंडों/भारतीय रिज़र्व बैंक के मार्ग निर्देशों के दृष्टिकोण के अनुरूप पूंजी प्रभार की गणना में ऋण जोखिम को कम करने के लाभ को अनुकूलतम बनाना। इस नीति में संपार्श्विकों का मूल्यांकन भी किया गया है। इस नीति में व्यापक दृष्टिकोण अपनाया गया है जिससे जोखिमों के विरूद्ध संपार्श्विकों के पूर्ण समंजन (उपयुक्त काट-छाँट के बाद) की अनुमति मिलती है और यह संपार्श्विक मूल्य को आरोपित करते हुए जोखिम राशि को प्रभावी ढंग से कम करते हुए मिलती है।

- बैंक द्वारा लिये गए संपार्श्विक के मुख्य प्रकारों का वर्णन:

मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत बैंक द्वारा ऋण जोखिम न्यूनीकरण के रूप में निर्धारित संपार्श्विकों के सामान्य प्रकार हैं : (i) बैंक जमा (ii) एनएससी/केवीपी (iii) जीवन बीमा पॉलिसी।

- गारंटीकर्ता काउंटरपार्टी के मुख्य प्रकार तथा उनकी साख योग्यता:

सीआरएआर की संगणना हेतु बैंक द्वारा न्यूनीकरण के लिए मान्य गारंटियां निम्नांकित है:

- केंद्र और राज्य सरकार के गारंटी
- सीजीटीएमएसई
- ईसीजीसी

- अपनाये गए न्यूनीकरण के अंतर्गत जोखिम सकेंद्रण विषयक सूचना (बाजार अथवा साख):

बैंक द्वारा न्यूनीकरण (मिटिगेशन) के लिए प्रयुक्त संपार्श्विक आसानी से वसूली योग्य वित्तीय प्रतिभूतियाँ हैं और बाजार की अस्थिरता का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। बैंक द्वारा ऋण जोखिम न्यूनीकरण के संदर्भ में संकेंद्रण जोखिम के लिए फिलहाल कोई सीमा निर्धारित नहीं है।

मात्रात्मक प्रकटीकरण:

(₹ करोड़)

(क) अलग-अलग प्रकटीकृत ऋण जोखिम पोर्टफोलियो हेतु कुल निवेश (बाद में जहाँ लागू होने योग्य, ऑन एंड ऑफ बैलेंस शीट नेटिंग) जो काट छाँट के बाद पात्र वित्तीय संपार्श्विक समर्थित हैं	65396.80
(ख) अलग-अलग प्रकटीकृत प्रत्येक पोर्टफोलियो हेतु कुल निवेश (बाद में जहाँ लागू होने योग्य है, ऑन ऐंड ऑफ बैलेंस शीट नेटिंग) जो गारंटी द्वारा/ऋण व्युत्पन्नों द्वारा समर्थित है (भा.रि.बैंक द्वारा विशेष रूप से जब भी अनुमति दी गई है)	5171.15

सारणी डीएफ 6
निवेशों का प्रतिभूतिकरण: मानकीकृत दृष्टिकोण का प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण:

बैंक ने किसी भी प्रतिभूतिकरण गतिविधि की शुरूआत नहीं की है।

मात्रात्मक प्रकटीकरण: शून्य

सारणी डीएफ 7
व्यापार बही में बाजार जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण

(क) बाजार जोखिम को संभाव्य हानि के रूप में परिभाषित किया जाता है जिससे बैंक को बाजार को प्रभावित करने वाली वस्तुओं में परिवर्तन/गतिमयता जैसे ब्याज दर, विदेशी मुद्रा विनिमय दर, ईक्विटी मूल्यों तथा वस्तु मूल्य में उतार चढ़ाव से हानि हो सकती है। बैंक के निवेश से व्यापार बही (एएफएस तथा एचएफटी दोनों श्रेणियों) में निवेश (ब्याज संबंधित लिखतों एवं शेयरों) तथा विदेशी मुद्रा से जोखिम उत्पन्न हो सकता है। बाजार जोखिम प्रबंधन का उद्देश्य है उपार्जन एवं ईक्विटी पर होने वाली हानि के प्रभाव को कम करना।

बैंक में बाजार जोखिम के प्रभावी प्रबंधन हेतु बैंक ने बोर्ड द्वारा अनुमोदित आस्ति देयता प्रबंधन नीति को लागू किया है। उद्योग की उत्तम परंपरा के अनुरूप जोखिम प्रबंधन एवं इसकी रिपोर्टिंग मानदंडों पर आधारित होती है जैसे कि आशोधित अवधि, अधिकतम अनुमत निवेश, शुद्ध खुली स्थिति सीमा, अंतर सीमा, जोखिम पर मूल्य (वीएआर) इत्यादि।

मात्रात्मक प्रकटीकरण **(₹ करोड़)**

(ख) निम्नलिखित के लिए पूंजी आवश्यकता	
• ब्याज दर जोखिम	440.01
• ईक्विटी स्थिति जोखिम	115.77
• विदेशी मुद्रा विनिमय जोखिम	2.25

सारणी डीएफ 8
परिचालन जोखिम

गुणात्मक प्रकटीकरण

आंतरिक प्रक्रिया अपर्याप्त होने अथवा आंतरिक प्रक्रिया में व्यक्तियों तथा प्रणाली या बाहरी घटनाओं से हुई चूक से उत्पन्न हानि संबंधी जोखिम परिचालन जोखिम है। परिचालन जोखिम में विधिक जोखिम शामिल होता है किंतु रणनीतिक जोखिम एवं साख जोखिम शामिल नहीं है।

बैंक ने बोर्ड द्वारा विधिवत् अनुमोदित परिचालन जोखिम प्रबंधन नीति का निर्माण किया है। बोर्ड द्वारा अपनाई गई समर्थित नीतियों के परिचालन जोखिम से संबंधित ये बातें

हैं: (क) सूचना प्रणाली सुरक्षा, (ख) अपने ग्राहकों को जाने (केवाईसी), (ग) काले धन को वैध बनाने के विरूद्ध (एएमएल) तथा (घ) आईटी व्यवसाय निरंतरता तथा आपदा वसूली नीति आदि।

बैंक द्वारा अपनाए गए परिचालन जोखिम प्रबंधन में संगठनात्मक ढाँचा एवं परिचालन जोखिम प्रबंधन से संगठनात्मक ढाँचा एवं परिचालन जोखिम प्रबंधन के लिए विस्तृत प्रक्रिया अपनाई गई है। इस नीति का मुख्य उद्देश्य है दैनिंदन जोखिम प्रबंधन की प्रक्रिया में परिचालनगत जोखिम प्रबंधन पद्धति को मजबूती से एकाकार करना। यह काम जोखिम की प्रभावी पहचान करके, समीक्षा करके, उसकी मॉनिटरिंग करते हुए और नियंत्रण कायम करके/परिचालनगत जोखिम को कम करके और परिचालनगत जोखिम निवेश तथा तथ्यात्मक परिचालनगत जोखिम की सूचना समय रहते देकर किया गया है। बैंक में परिचालन जोखिम को व्यापक एवं सुव्यवस्थित आंतरिक नियंत्रण ढाँचा के माध्यम से व्यवस्थित किया जाता है।

पूंजी प्रभार की गणना

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी दिशा निर्देश के अनुरूप बैंक ने परिचालन जोखिम हेतु पूंजी निर्धारण के लिए आधारभूत संकेतक दृष्टिकोण अपनाया है। इस दृष्टिकोण के अन्तर्गत जोखिम भारित आस्तियों तक पहुंचने के लिए औसतन 3 वर्षों की सकल आय लिए जाने का विचार किया गया है।

परिचालनगत जोखिम पूंजी प्रभार **(₹ /करोड़)**

31.03.2019 को परिचालनगत जोखिम के लिए अपेक्षित पूंजी	567.48

सारणी डीएफ 9
बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम (आई.आर.आर.बी.बी)

गुणात्मक प्रकटीकरण

(क) ब्याज दर जोखिम का तात्पर्य है, आंतरिक और बाहरी कारणों से बैंक की शुद्ध ब्याज आय तथा आस्ति एवं देयता के मूल्य में उतार चढ़ाव। आंतरिक कारकों में बैंक की आस्ति एवं देयता की संरचना, गुणवत्ता, परिपक्वता, ब्याज दर तथा जमा राशियों की पुनर्मूल्यन अवधि, उधार राशि, ऋण की राशि एवं निवेश शामिल होता है। बाहरी कारकों में शामिल हैं सामान्य आर्थिक स्थितियाँ। ब्याज की बढ़ती या घटती दर बैंक के तुलनपत्र पर अपना असर डालती हैं। ब्याज दर में जोखिम बैंक के तुलन पत्र में आस्ति और देयता दोनों के लिए प्रचलित है।

आस्ति देयता प्रबंधन समिति (ए.एल.सी.ओ) आवधिक रूप से जोखिम और प्रतिफल, निधियन और अभिनियोजन, बैंक की उधार एवं जमा दर का निर्धारण तथा बैंक के निवेश क्रिया कलापों की निगरानी एवं नियंत्रण का काम करती है। बैंक, जोखिम दृष्टिकोण पर उपार्जन एवं अवधि अंतराल की विधि के जरिए बदलती ब्याज दर से जुड़े जोखिम की पहचान करता है।

मात्रात्मक प्रकटीकरण

(ख) प्रबंधन पद्धति के अनुसार आई.आर.आर.बी.बी की माप के लिए बढ़ती घटती दर जोखिम पर अर्जन और आर्थिक मूल्य (या प्रबंधन द्वारा उपयोग किया गया संबधित माप) में अर्जन वृद्धि (कमी) का आधार निम्नलिखित है:

बैंकिंग बही में ब्याज दर जोखिम: **(₹ /करोड़)**

विवरण	स्थिति	कुल
1. जोखिम पर उपार्जन (ईएआर)	250 बीपीएस की वृद्धि	-604
	250 बीपीएस की कमी	604
2. जोखिम पर इक्विटी का आर्थिक मूल्य	200 बीपीएस की वृद्धि	-862
	200 बीपीएस की कमी	862

टेबल डीएफ 10
काउंटरपार्टी क्रेडिट जोखिम से संबंधित निवेश के लिए सामान्य प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण

काउंटरपार्टी क्रेडिट जोखिम को ऐसे जोखिम के रूप में परिभाषित किया है कि लेनदेन के लिए काउंटरपार्टी लेनदेन के नकद प्रवाह के अंतिम निपटारे से पहले डिफ़ॉल्ट हो सकता है और डेरिवेटिव्स एवं प्रतिभूतियों के वित्तपोषण लेनदेन के लिए जोखिम का प्राथमिक स्रोत है।

किसी ऋण के माध्यम से क्रेडिट जोखिम के बैंक का निवेश जहाँ क्रेडिट जोखिम एकपक्षीय है और केवल उधारकर्ता बैंक के जोखिम के हानि का नुकसान होता है, काउंटरपार्टी क्रेडिट जोखिम प्रकृति में द्विपक्षीय है अर्थात इस लेनदेन का बाजार मूल्य सकारात्मक या नकारात्मक या लेनदेन के काउंटरपार्टी और समय विभन्नता के साथ अंतर्निहित बाजार कारकों का संचलन हो सकता है।

काउंटरपार्टी क्रेडिट जोखिम का बैंक निवेश, इसके काउंटरपार्टी क्रेडिट जोखिम नीति के अंतर्गत शामिल है। बैंक यह सुनिश्चित करता है कि सभी समुचित सावधानी का अनुसरण किया जाना है यथा पार्टी के ऋण साख के निर्धारण में केवाईसी मानदंडों का संतोषजनक निष्पादन, पार्टी के किसी व्युत्पन्न उत्पादों की सुविधा देने के पूर्व एवं इस लेनदेन में तदनुसार आवश्यक क्रेडिट जोखिम शमन के स्तर को निर्धारित करता है।

गुणात्मक प्रकटीकरण **(₹ /करोड़)**

विवरण	अनुमानित राशि	मौजूदा ऋण निवेश
व्यापारी प्रेषित संविदाएं	440.92	2.54
अंतर बैंक संविदाएं	2638.28	120.11
कुल	3079.20	122.65

टेबल डीएफ 11
31.03.2019 को पूंजी संरचना

(₹ /करोड़)

बेसल-III सामान्य प्रकटीकरण टेम्पलेट		राशि	संदर्भ सं.
सामान्य इक्विटी टियर 1 : लिखत एवं आरक्षित			
1	सीधे जारी विशेषक सामान्य शेयर पूंजी एवं संबंधित अधिक स्टॉक (शेयर प्रिमियम)	12214.10	ए1+ए4+बी1
2	आमदनी प्रतिधारित	0.00	
3	अन्य संचित व्यापक आय (एवं अन्य प्रारक्षित)	(1223.30)	बी2+बी3+बी5
4	सीईटी 1 के चरणबद्ध तरीके से हटकर जारी पूंजी (यह केवल गैर संयुक्त स्टॉक कम्पनियों पर लागू)	0.00	
	सार्वजनिक क्षेत्र 1 जनवरी 2018 तक पूंजी प्रदत्त करेगी	0.00	
5	अनुषंगी एवं तृतीय पक्ष द्वारा जारी आम शेयर पूंजी (राशि सीईटी 1 समूह में अनुमत)		
6	विनियामक समायोजक पूर्व सीईटी 1 पूंजी :	**10990.80**	
सामान्य इक्विटी टियर 1 पूंजी : विनियामक समायोजक			
7	विवेकपूर्ण मूल्यनिर्धारण समायोजन	0.00	
8	सुनाम (कुल कर देयताएं से संबंधित)	0.00	
9	बंधक सेवाएं अधिकार के अलावा अमूर्त (कुल कर देयताएं से संबंधित)	18.77	एल2
10	आस्थगित कर आस्तियां	4708.59	एम3
11	नकद प्रवाह बचाव आरक्षित	0.00	
12	प्रत्याशित हानि के लिए प्रावधानो में कमी	0.00	
13	प्रतिभूति बिक्री पर लाभ	0.00	
14	ऋण जोखिम में परिवर्तन के कारण उचित मुल्य देयताएं में लाभ हानि	0.00	
15	वर्णित लाभ पेंशन निधि कुल देयताएं	0.00	
16.	अपने शेयरों में निवेश (यदि पहले से ही गोल बंद नहीं करता है, तो प्रदत्त पूंजी सूचना बैलेंस शीट पर)	0.00	
17.	आम इक्विटी में पारस्परिक प्रतिधारिता	0.00	
18	बैंकिंग की पूंजी में निवेश, वित्तीय और बीमा संस्थाओं विनियामक समेकन दायरे से बाहर हैं, जहां बैंक जारी शेयर पूंजी का 10% से अधिक का मालिक नहीं है जहां, पात्रता कुल शॉर्ट पोजिशन की (प्रारंभिक राशि 10% सीमा से ऊपर)	0.00	
19	बैंकिंग के सामान्य शेयर में महत्वपूर्ण निवेश, विनियामक समेकन के दायरे से बाहर हैं कि वित्तीय और बीमा संस्थाओं, पात्रता कुल शॉर्ट पोजीशन की (प्रारंभिक राशि 10% सीमा से ऊपर)	0.00	
20	बंधक सेवाएं अधिकार (प्रारंभिक राशि 10% सीमा से ऊपर)	0.00	
21	अस्थायी मतभेद से उत्पन्न होने वाली आस्थगित कर आस्तियां (प्रारंभिक राशि 10% से ऊपर सीमा, संबंधित कर देयताएं का कुल)	0.00	

22	प्रारंभिक राशि 15% सीमा से अधिक	0.00	
23	जिसमें से: वित्तीय संस्थाओं के आम स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश	0.00	
24	जिनमें से: बंधक सेवाएं अधिकार	0.00	
25	जिसमें से: अस्थायी मतभेद से उत्पन्न होने वाली आस्थगित कर संपत्ति	0.00	
26	राष्ट्रीय विशिष्ट विनियामक समायोजन (26ए + 26बी + 26सी + 26डी + 26ई)	235.60	
26.ए	जिसमें से : असमेकित गैर वित्तीय सहायक कंपनियों की इक्विटी पूंजी में निवेश	0.00	
26.बी	जिसमें से : अधिकांश स्वामित्व वाली वित्तीय संस्थाओं की इक्विटी पूंजी में कमी जिसे बैंक के साथ समेकित नहीं किया गया है	0.00	
26.सी	जिसमें से : असमेकित बीमा सहायक की इक्विटी पूंजी में निवेश	0.00	
26.डी	जिसमें से : अपरिशोधित पेंशन फंड व्यय आम	0.00	
	इक्विटी टियर 1 में लागू विनियामक समायोजन के पूर्व बासेल-III उपचार के अधीन राशियों के संबंध में जिसमें से: वर्तमान अवधि में परिचालन हानि	0.00	
	जिसमें से वर्तमान अवधि में परिचालन हानि	0.00	
26.ई	डीटीए स्वीकरण और सीईटी 1 में महत्वपूर्ण निवेश के कारण नियामक समाशोधन	235.60	
27	आम इक्विटी टियर 1 में विनियामक समायोजन अपर्याप्त अपर टियर 1 और टियर 2 के कटौती को कवर करने के कारण लागू	0.00	
28	सीईटी 1 में कुल विनियामक समायोजन	4962.96	
29	आम इक्विटी टियर 1 पूंजी (सीईटी 1) (6 - 28)	6027.84	
अतिरिक्त टियर 1 पूंजी : लिखत			
30	सीधे जारी योग्यता अतिरिक्त टियर 1 लिखत के साथ-साथ संबंधित स्टॉक अधिशेष (31 + 32)	0.00	डी4
31	जिनमें से : लेखा मानक में लागू वर्गीकृत इक्विटी (बेमीयादी संचयी अधिमान शेयर)	0.00	
32	जिनमें से :लेखा मानक में लागू वर्गीकृत देयताएं (बेमीयादी ऋण लिखत)	0.00	डी4
33	अतिरिक्त टियर 1 से अलग-अलग खेपो में सीधे जारी पूंजी लिखत	0.00	
34	अतिरिक्त टियर 1 लिखत सहायको द्वारा जारी और तृतीय पक्ष द्वारा धारित (एवं सीईटी 1 लिखत जो पॉचवें पंक्ति में नहीं जोड़ा गया) (अनुमति राशि समूह एटी 1)	0.00	
35	जिसमें से : सहायको द्वारा खेप में जारी लिखत	0.00	
36	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी विनियामक समायोजन से पूर्व	0.00	
अतिरिक्त टियर 1 पूंजी: नियामक समायोजन:			
37	अपने अतिरिक्त टियर 1 लिखत में निवेश	0.00	
38	अतिरिक्त टियर 1 लिखत में पारस्परिक प्रतिधारिता	0.00	जे1
39	बैंकिंग की पूंजी में निवेश, वित्तीय और बीमा संस्थाओं विनियामक समेकन दायरे से बाहर हैं जहां बैंक जारी शेयर पूंजी का 10% से अधिक का मालिक नहीं है जहां, पात्रता कुल शॉर्ट पोजिशन के (प्रारंभिक राशि 10% सीमा से ऊपर)	0.00	
40	बैंकिंग, वित्तीय और बीमा संस्थाओं की पूंजी में महत्वपूर्ण निवेश जो, विनियामक समेकन के दायरे (पात्रता कुल शॉर्ट पोजिशन) से बाहर हैं	0.00	
41	राष्ट्रीय उल्लेखित विनियामक समायोजन (41ए + 41बी)	0.00	
41ए	असमेकित बीमा सहायक कंपनियों द्वारा अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में निवेश	0.00	
41बी	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में कमी मुख्यत: स्वामित्व वाली वित्तीय संस्थाओं जो बैंक के साथ समेकित नहीं किया गया है	0.00	
	अतिरिक्त टियर 1 के लिए लागू विनियामक समायोजन पूर्व बासेल-III उपचार के अधीन राशियों के संबंध में	0.00	
	जिसमें से: अमूर्त बंधक सेवाएं अधिकार के अलावा (कुल कर देयता संबंधित)	0.00	एल3
	जिसमें से: आस्थगित कर आस्तियॉ	0.00	

	जिसमें से: पेंशन फंड व्यय के लिए अपरिशोधित खर्च	0.00	
	जिसमें से: वर्तमान अवधि में परिचालित हानि	0.00	
	जिसमें से: पीएनसीपीएस की चरणबद्ध	0.00	
	जिसमें से: एसोसिएट्स (आरआरबी) के गैर आम इक्विटी पूंजी साधन में निवेश	0.00	
42	अतिरिक्त टियर 1 के कारण अपर्याप्त टियर 2 के लिए कटौती को कवर करने के लिए लागू विनियामक समायोजन	0.00	
43	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी के लिए कुल विनियामक समायोजन	0.00	
44	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी (एटी1)	0.00	
44ए	पूंजी पर्याप्तता के लिए गणना अतिरिक्त टियर 1 पूंजी	0.00	
45	टियर 1 पूंजी (टी 1 = सीईटी 1 + एटी 1) (पंक्ति 29 + पंक्ति 44क)	6027.84	
टियर 2 पूंजी: लिखत और प्रावधान			
46	सीधे योग्यता टियर 2 लिखत के साथ साथ संबंधित स्टॉक अधिशेष जारी	1490.00	डी5
47	टियर 2 से सीधे बाहर सीधे जारी पूंजी लिखत	80.00	डी5.1
48	सहायक कंपनियों द्वारा जारी टियर 2 लिखत (सीईटी 1 और एटी 1 लिखत जो पंक्ति 5 या 34 में समाहित नहीं है) और तीसरी पार्टियों द्वारा धारित है (समूह टियर 2 राशि की अनुमति)	0.00	
49	जिनमें से : सहायक कंपनियों द्वारा जारी उपकरण समापन का विषय है	0.00	
50	प्रावधान और पुनर्मूल्यन आरक्षित	300.82	टेम्पलेट संदर्भ सं-50
51	नियामक समायोजन से पूर्व टियर 2 पूंजी	1870.82	
टियर 2 पूंजी: विनियामक समायोजन			
52	टियर 2 लिखतों में स्वयं के निवेश	0.00	
53	टियर 2 लिखतों में पारस्परिक प्रतिधारिता	0.00	जे2
54	बैंकिंग पूंजी, वित्तीय एवं बीमा संस्थाओं में निवेश जिसमें बाहरी विनियामक समेकन, कुल पात्र खरीद से अधिक बिक्री की गुंजाइश है, जहां संस्था की सामान्य शेयर पूंजी (10% सीमा से अधिक राशि) में बैंक का अपना 10% से अधिक जारी नहीं किया गया हो।	0.00	
55	बैंकिंग पूंजी, वित्तीय एवं बीमा संस्थाओं में महत्वपूर्ण निवेश जो बाहरी विनियामक समेकन से बाहर है (अल्पकालिन स्थिति का पात्र कुल)	0.00	
56	राष्ट्रीय विशिष्ट नियामक समायोजन (56ए+56बी)	171.12	
56ए	जिनमें से : सहायक कंपनियों के टियर 2 पूंजी में निवेश	51.12	जे3
56बी	जिनमें से: बहुमत स्वामित्व वाली वित्तीय संस्थाओं की टियर 2 पूंजी में कमी, जिनकों बैंक द्वारा समेकित नहीं किया गया।	0.00	
	पूर्व बासेल-III उपचार बशर्ते कि टियर 2 पर विनियामक समायोजन लागू होगा।	120.00	
	जिनमें से: टियर 2 बॉड चरणबद्ध तरीके से बाहर करना	120.00	
57	टियर 2 पूंजी के लिए कुल नियामक समायोजन	171.12	
58	टियर 2 पूंजी (टी 2)	1699.70	
58ए	पूंजी पर्याप्तता के लिए टियर 2 पूंजी की गणना	1699.70	
58बी	अतिरिक्त टियर 1 पूंजी जिसे टियर 2 पूंजी के रूप में गणना की गई	0.00	
58सी	पूंजी पर्याप्तता पंक्ति के लिए स्वीकार्य कुल टियर 2 पूंजी (58ए + पंक्ति 58बी)	1699.70	
59	कुल पूंजी (टीसी = टी1 + टी2) (पंक्ति 45 + पंक्ति 58सी)	7727.54	
60	कुल जोखिम भारित परिसंपत्तियों (60ए + 60बी + 60सी)	59431.55	
60ए	जिनमें से: कुल ऋण जोखिम भारित परिसंपत्तियों	45362.50	

60बी	जिनमें से: कुल बाजार जोखिम भारित परिसंपत्तियों	6975.44	
60सी	जिनमें से: कुल परिचालन जोखिम भारित परिसंपत्तियों	7093.61	
पूंजी अनुपात			
61	आम इक्विटी टियर 1 (जोखिम भारित परिसंपत्तियों का प्रतिशत के रुप में)	10.14	
62	टियर 1 (जोखिम भारित परिसंपत्तियों का प्रतिशत के रूप में)	10.14	
63	कुल पूंजी (जोखिम भारित परिसंपत्तियों का प्रतिशत के रूप में)	13.00	
64	संस्थाओं के विशिष्ट बफर आवश्यकता (न्यूनतम सीईटी 1 आवश्यकता सहित पूंजी परिवर्तन और काउंटर आवर्ती बफर आवश्यकता, जो जोखिम परिसंपत्तियों की प्रतिशत के रूप में व्यक्त किया गया है)।	7.375	
65	जिनमें से: पूंजी संरक्षण बफ़र आवश्यकता	1.875	
66	जिनमें से: बैंक का विशिष्ट रूप से काउंटर चक्रीय बफर की आवश्यकता	0.00	
67	जिनमें से: जीएसआईबी बफ़र आवश्यकता	0.00	
68	बफ़र को पूरा करने के लिए आम इक्विटी टियर 1 उपलब्ध (जोखिम भारित परिसंपत्तियों का प्रतिशत के रूप में)	2759.10	
राष्ट्रीय न्यूनतम (अगर बासेल-III से अलग है) सीसीबी अपेक्षा समेत			
69	सीसीबी सहित राष्ट्रीय आम इक्विटी टियर 1 का न्यूनतम अनुपात (अगर बासेल-III के न्यूनतम से अलग हो)	7.375	
70	राष्ट्रीय टियर 1 का न्यूनतम अनुपात (अगर बासेल-III के न्यूनतम से अलग)	7.00	
71	सीसीबी सहित राष्ट्रीय कुल पूंजी का न्यूनतम अनुपात (अगर बासेल-III के न्यूनतम से अलग हो)	10.875	
कटौती के लिए प्रारंभिक से कम की राशि (जोखिम भार से पूर्व)			
72	अन्य वित्तीय संस्थाओं की पूंजी में गैर महत्वपूर्ण निवेश।	0.00	
73	वित्तीय संस्थाओं के आम स्टॉक में महत्वपूर्ण निवेश	0.00	
74	बंधक सर्विसिंग अधिकार (संबंधित कर देयता का शुद्ध)	0.00	
75	अस्थायी अंतर से उत्पन्न होने वाली आस्थगित कर संपत्ति (संबंधित कर देयता का कुल)	0.00	
टियर 2 में प्रावधान शामिल किए जाने पर लागू उच्चतम सीमा			
76	मानकीकृत दृष्टिकोण (पिछले कैप के आवेदन करने हेतु) से निवेश जोखिम के संबंध में टियर 2 में शामिल के लिए पात्र प्रावधान	300.82	टेम्पलेट संदर्भ सं-50
77	मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत टियर 2 में प्रावधानों को शामिल किए जाने पर उच्चतम सीमा	567.03	
78	आंतरिक मूल्यांकन आधारित दृष्टिकोण (पिछले उच्चतम सीमा के आवेदन करने से पहले) से निवेश जोखिम के संबंध में टियर 2 में शामिल किए जाने वाले पात्र प्रावधान।	0.00	
79	आंतरिक मूल्यांकन आधारित दृष्टिकोण के अंतर्गत टियर 2 में उच्चतम सीमा शामिल करने हेतु प्रावधान	0.00	
80	चरणबद्ध तरीके से हटाने की व्यवस्था के अंतर्गत सीईटी 1 लिखतो पर वर्तमान उच्चतम सीमा	अप्रयोज्य	
व्यवस्था के अंतर्गत पूंजी लिखतों को चरणबद्ध तरीके से हटाना (केवल 1 अप्रैल, 2018 से 31 मार्च, 2022 तक लागू)			
81	उच्चतम सीमा के कारण सीईटी 1 से हटाई गई राशि (मोचन और परिपक्वता के बाद उच्चतम सीमा पर अतिरिक्त)	अप्रयोज्य	
82	चरणबद्ध तरीके से हटाने की व्यवस्था के अंतर्गत एटीआई 1 लिखतो पर वर्तमान उच्चतम सीमा	अप्रयोज्य	
83	उच्चतम सीमा के कारण एटी 1 से हटाई गई राशि (मोचन और परिपक्वता के बाद उच्चतम सीमा पर अतिरिक्त)	अप्रयोज्य	
84	चरणबद्ध तरीके से हटाने की व्यवस्था के अंतर्गत टी 2 लिखतो पर वर्तमान उच्चतम सीमा	अप्रयोज्य	
85	उच्चतम सीमा के कारण टी 2 से हटाई गई राशि (मोचन और परिपक्वता के बाद उच्चतम सीमा पर अतिरिक्त)	अप्रयोज्य	

टेम्पलेट के लिए नोट:

टेम्पलेट की पंक्ति संख्या	विवरण	₹/करोड़
10	कुल आस्थगित कर देयता से संबंधित संचित हानि के साथ जुड़े आस्थगित कर	**3341.44**
	कुल आस्थगित कर देयता से संबंधित आस्थगित कर आस्तियाँ (संचित हानि के साथ जुड़े को छोड़कर) आस्थगित कर दायित्व का शुद्ध	**1367.15**
	पंक्ति 10 में उल्लेखित कुल	**4708.59**
19	यदि बीमा सहायक कंपनियों में निवेश को पूंजी से पूरी तरह नहीं घटाया गया है और इसके बजाय, कटौती को 10% सीमा के अंतर्गत विचाराधीन रखने पर बैंक की पूंजी के परिणाम में वृद्धि।	**0.00**
	जिसमें से : आम इक्विटी टियर 1 पूंजी में वृद्धि	**0.00**
	जिसमें से : अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में वृद्धि	**0.00**
	जिसमें से : टियर 2 पूंजी में वृद्धि	**0.00**
26बी	यदि असमेकित गैर वित्तीय सहायक संस्थाओं के शेयर पूंजी में से निवेश की कटौती नहीं की गई है तो इसका जोखिम भारित :	**0.00**
	(i) आम इक्विटी टियर 1 पूंजी में वृद्धि	**0.00**
	(ii) जोखिम भारित परिसंपत्तियों में वृद्धि	**0.00**
44ए	पूंजी पर्याप्तता हेतु गणना नहीं की गई अत्यधिक अतिरिक्त टियर 1 पूंजी (अतिरिक्त टियर 1 पूंजी में अंतर जैसा कि पंक्ति 44 रिपोर्ट की गई है और स्वीकार्य अतिरिक्त टियर 1 पूंजी , जिसे 44ए में उल्लिखित है)	**0.00**
	जिनमें से: अतिरिक्त टियर 1 पूंजी जिसे पंक्ति 58बी के तहत टियर 2 पूंजी के रूप में माना गया है	**0.00**
50	टियर 2 पूंजी में शामिल योग्य प्रावधान	**300.82**
	टियर 2 पूंजी में शामिल योग्य पुनर्मूल्यन रिजर्व	**0.00**
	पंक्ति 50 की कुल	**300.82**
58ए	पूंजी पर्याप्तता हेतु गणना नहीं की गई अत्यधिक अतिरिक्त टियर 2 पूंजी (टियर 2 पूंजी में अंतर जैसा कि पंक्ति 58 में उल्लिखित और 58ए में उल्लिखित टी 2)	**0.00**

टेबल डीएफ 12

पूंजी की संरचना - समाधान अपेक्षा (चरण - 1)

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	वित्तीय विवरणों में तुलन पत्र 31.03.2019 को	नियामक दायरे के समेकन के तहत तुलन पत्र 31.03.2019 को
नियामक समेकन और लेखांकन के बीच कोई अंतर नहीं है			
क	**पूंजी और देयताएं**		
i.	चुकता पूंजी	7427.92	7427.92
	आवंटन हेतु बाकी शेयर आवेदक राशि	-	-
	आरक्षित और अधिशेष	4070.96	4070.96
	अल्पसंख्यक हित	-	-
	कुल पूंजी	**11498.88**	**11498.88**
ii.	**जमा**	**134983.31**	**134983.31**
	जिसमें से		
	बैंकों से जमा	1548.02	1548.02
	ग्राहकों की जमा राशि	133435.29	133435.29
	अन्य जमा	0.00	0.00
iii.	**उधार राशियां**	**2203.71**	**2203.71**
	जिनमें से		
	भारतीय रिजर्व बैंक से	200.00	200.00
	बैंकों से	1.18	1.18
	अन्य संस्थाओं और एजेंसियों से	2002.53	2002.53
	अन्य		
	पूंजी लिखत		
iv.	अन्य देनदारियों और प्रावधान	2844.01	2844.01
	कुल	**151529.91**	**151529.91**

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	वित्तीय विवरणों में तुलन पत्र 31.03.2019 को	नियामक दायरे के समेकन के तहत तुलन पत्र 31.03.2019 को
ख	**आस्तियां**		
i.	भारतीय रिजर्व बैंक के पास नकदी और जमा शेष	**6168.87**	**6168.87**
	बैंक के बैलेंस एवं मांग और अल्प सूचना पर प्रतिदेय राशि	3494.60	3494.60
ii.	निवेश:	**60976.03**	**60976.03**
	जिसमें से		
	सरकारी प्रतिभूतियाँ	38429.63	38429.63
	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों	-	-
	शेयर	638.49	638.49
	डिबेंचर और बांड	7494.04	7494.04
	सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यम/एसोसिएट्स	-	-
	अन्य (वाणिज्यिक पत्रों, म्युचुअल फंड आदि)	14413.87	14413.87
iii.	ऋण और उधार	**66955.10**	**66955.10**
	जिनमें से		
	बैंकों को ऋण एवं अग्रिम	262.03	262.03
	ग्राहकों के लिए ऋण एवं अग्रिम	66693.07	66693.07
iv.	स्थायी संपत्तियाँ	**1240.06**	**1240.06**
v.	अन्य संपत्तियाँ	**12695.25**	**12695.25**
	जिनमें से		
	सद्भावना और अमूर्त आस्तियों		
	आस्थगित कर संपत्ति (कुल)	5479.97	5479.97
vi.	समेकन पर सद्भावना		
vii.	लाभ और हानि खाते में डेबिट शेष		
	कुल परिसंपत्तियां	**151529.91**	**151529.91**

टेबल डीएफ 12

पूंजी की संरचना - समाधान की आवश्यकताएं - चरण - 2

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विवरण	वित्तीय विवरणों में तुलन पत्र 31.03.2019 को	नियामक दायरे के समेकन के तहत तुलन पत्र 31.03.2019 को	संदर्भ सं.
क	**पूंजी और देयताएं**			
i.	चुकता इक्विटी पूंजी	7427.92	7427.92	ए
	क) जिनमें से सीईटी-1 के लिए पात्र राशि	7427.92	7427.92	ए1
	ख) जिनमें से एटी-1 के लिए पात्र राशि			ए2
	जिनमें से एटी1 से कटौती की गई राशि			ए3
	शेयर एप्लीकेसन मुद्रा			
	क) जिनमें से सीईटी-1 के लिए पात्र राशि			ए4
	आरक्षित और अधिशेष	4070.96	4070.96	बी
	क) जिनमें से सीईटी-1 के लिए पात्र राशि : शेयर प्रीमियम	4786.18	4786.18	बी1
	ख) जिनमें से सीईटी-1 के लिए पात्र राशि: सांविधिक आरक्षित राजस्व आरक्षित और पूंजी आरक्षित	(1639.00)	(1639.00)	बी2
	ग) जिनमें से टियर-2 के लिए पात्र राशि: पुनर्मूल्यन आरक्षित 55% की दर से बट्टाकृत	415.70	415.70	बी3
	घ) जिनमें से पूंजी जो योग्य नहीं है	508.08	508.08	बी4
	ङ) लाभ और हानि खाते में शेष	-	-	-
	जिनमें से : सीईटी-1 से कटौती	-	-	बी5
	जिनमें से : एटी-1 से कटौती	-	-	-
	कुल पूंजी और आरक्षित	**11498.87**	**11498.87**	
ii.	**जमाराशियां**	**134983.31**	**134983.31**	
	जिनमें से			
	बैंकों से जमा	1548.02	1548.02	
	ग्राहकों की जमा राशि	133435.29	133435.29	
	अन्य जमा	0.00	0.00	
iii.	**उधार :**	**2203.71**	**2203.71**	डी
	जिनमें से			
	भारतीय रिजर्व बैंक से	200.00	200.00	डी1
	बैंकों से	1.18	1.18	
	अन्य एजेंसियों और संस्थानों से	2002.53	2002.53	डी2
	जिनमें से पूंजी लिखत (बी-III के तहत)	1990.00	1990.00	डी3
	एटी 1 के लिए पात्र राशि	0.00	0.00	डी4
	टियर 2 (बेसल-III) के लिए पात्र राशि	1490.00	1490.00	डी5
	बासेल-III ट्रीटमेंट के अनुसार पात्र टियर 2 की चरणबद्ध राशि	80.00	80.00	डी5.1
	बासेल-III के अनुसार विनियामक पूंजी जो कि पूंजी के रूप में योग्य नहीं है	240.00	240.00	डी6
	जिनमें से अन्य	0.00	0.00	डी7
	अन्य उधार	0.00	0.00	डी8
iv.	अन्य देयताएं और प्रावधान	**2844.01**	**2844.01**	ई
	जिनमें से	-	-	
	सद्भावना से संबंधित डीटीएलएस	-	-	
	अमूर्त संपत्ति से संबंधित डीटीएलएस	-	-	
	कुल पूंजी और देयताएं	**151529.91**	**151529.91**	

क्रम सं.	विवरण	वित्तीय विवरणों में तुलन पत्र 31.03.2019 को	नियामक दायरे के समेकन के तहत तुलन पत्र 31.03.2019 को	संदर्भ सं.
ख	**आस्तियां**			
i.	आरबीआई के पास नकद और जमा शेष	**6168.87**	**6168.87**	
	बैंकों के पास जमा शेष और अल्प सूचना पर राशि	**3494.60**	**3494.60**	
	कुल	**9663.47**	**9663.47**	
ii.	**निवेश**	**60976.03**	**60976.03**	एफ
	जिनमें से			
	सरकारी प्रतिभूतियाँ	38429.63	38429.63	जी
	अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों	-		एच
	शेयर	638.49	638.49	आई
	डिबेंचर और बांड	7494.04	7494.04	जे
	जिनमें से : एटी 1 की पारस्परिक प्रतिधारिता	0.00	0.00	जे1
	जिनमें से: टियर-2 की पारस्परिक प्रतिधारिता	0.00	0.00	जे2
	जिनमें से: अन्य बैंकों की गैर आम इक्विटी पूंजी लिखतों में निवेश	51.12	51.12	जे3
	सहायक कंपनियों/संयुक्त उद्यम/एसोसिएट्स	368.52	368.52	
	अन्य (वाणिज्यिक पत्रों, म्युचुअल फंड आदि)	14413.87	14413.87	के
iii.	ऋण और अग्रिम	**66955.10**	**66955.10**	
	जिनमें से			
	बैंकों को ऋण और अग्रिम	262.03	262.03	
	ग्राहकों कि दिए गए ऋण और अग्रिम	66693.07	66693.07	
iv.	स्थायी आस्तियां	**1240.06**	**1240.06**	एल
	जिनमें से अमूर्त आस्तियां	**18.77**	**18.77**	एल1
	जिनमें से सीईटी-1 से कटौती	**18.77**	**18.77**	एल2
	जिनमें से एटी 1 से कटौती	0.00	0.00	एल3
v.	अन्य आस्तियां	**12695.25**	**12695.25**	एम
	जिनमें से			
	क. सद्भावना और अमूर्त आस्तियां	0	0	एम1
	ख. आस्थगित कर आस्तियां (डी टी एल का निवल)	5479.97	5479.97	एम2
	जिनमें से सीईटी 1 से कटौती	4708.59	4708.59	एम3
	जिनमें से एटी 1 से कटौती			एम4
vi.	समेकन पर सद्भावना			एम5
	कुल आस्तियां	**151529.91**	**151529.91**	

बासेल-III आम प्रकटीकरण सांचा का सारांश (योग किए गए कॉलम के साथ)

पूंजी संरचना सारणी - डीएफ 11

आम इक्विटी टियर-1 पूंजी : लिखत और आरक्षित			
क्रम सं.	विवरण	बैंक द्वारा रिपोर्ट की गई नियामक पूंजी के घटक	चरण 2 से समेकन की नियामक संभावना के तहत संदर्भ सं./ तुलन पत्र के पत्रों पर आधारित स्रोत
1	सीधे जारी योग्यताप्राप्त आम शेयर (और गैरसंयुक्त शेयर कंपनियों के लिए समतुल्य) पूंजी के साथ संबंधित स्टॉक अधिशेष	12214.10	ए1+ए4+बी1
2	बरकरार कमाई	0.00	
3	संचित अन्य व्यापक आय (और अन्य आरक्षित)	(1223.30)	बी2+बी3+बी5
4	सीईटी 1 से अलग होने की शर्त पर प्रत्यक्ष रूप से जारी पूंजी (केवल गैर संयुक्त स्टॉक कंपनियों के लिए लागू)	0.00	
5	सहायक कंपनियों द्वारा जारी तथा तीसरे पक्षों द्वारा धारित आम शेयर पूंजी (सीईटी 1 समूह में अनुमति दी गई राशि)	0.00	
6	नियामक समायोजन से पहले आम इक्विटी टियर 1 पूंजी	10990.80	
7	विवेकाधिकार मूल्यांकन समायोजन	0.00	
8	सद्भावना (संबंधित कर देयता का शुद्ध)	0.00	

सारणी डीएफ 13: नियामक पूंजी के लिए सांचे की प्रमुख विशेषताएं

सीरीज 1: आईपीडीआई (बेसेल-II) ₹ 300 करोड़

1	जारीकर्ता	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
2	यूनिक पहचानकर्ता (जैसे सीयूएसआईपी, आईएसआईएन अथवा प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	INE695A09095
3	लिखत के अधिशासी कानून	भारतीय कानून
	विनियामक उपचार	पूंजी लिखत
4	संक्रमणकालीन बासेल-III के नियम	अयोग्य
5	संक्रमणकाल के बाद बासेल-III के नियम	अयोग्य
6	एकल/समूह/समूह और एकल के योग्य	एकल (सोलो)
7	लिखत का प्रकार	टियर 1 पूंजी लिखत
8	नियामक पूंजी में मान्यता प्राप्त राशि (₹ करोड़ में, 31.03.2019 तक)	0.00
9	लिखत का अधिमूल्य	प्रति बॉण्ड ₹10.00 लाख
10	लेखा वर्गीकरण	उधार
11	जारी करने की मूल तारीख	05.12.2012
12	बेमीयादी या दिनांकित	बेमीयादी
13	मूल परिपक्वता की तारीख	भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन से 05.12.2022
14	पर्यवेक्षणपूर्व अनुमोदन के शर्ताधीन जारीकर्ता की मांग	हाँ
15	वैकल्पिक मांग दिनांक, आकस्मिक मांग दिनांक और मोचन राशि	भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन से 05.12.2022
16	परवर्ती मांग दिनांक, यदि लागू हो	अप्रयोज्य
	कूपन/लाभांश	कूपन
17	स्थिर या अस्थिर लाभांश/कूपन	स्थिर
18	कूपन दर और कोई भी संबंधित सूचकांक	9.27% (वार्षिक)
19	लाभांश स्टॉपर का अस्तित्व	अप्रयोज्य
20	पूरी तरह से विवेकाधीन, आंशिक रूप से विवेकाधीन या अनिवार्य	अनिवार्य
21	उठाए गए चरण का अस्तित्व या मोचन हेतु अन्य प्रोत्साहन	हाँ
22	असंचयी या संचयी	असंचयी
23	परिवर्तनीय या गैर परिवर्तनीय	गैर परिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय है तो रूपांतरण उत्प्रेरक	अप्रयोज्य
25	यदि परिवर्तनीय है तो, पूर्णतः या आंशिक रूप से	अप्रयोज्य
26	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तनीयता की दर	अप्रयोज्य
27	यदि परिवर्तनीयता है तो, अनिवार्य या वैकल्पिक	अप्रयोज्य
28	यदि परिवर्तनीय हैं तो परिवर्तनीय लिखत के प्रकार बताएं	अप्रयोज्य
29	यदि परिवर्तनीय हैं तो परिवर्तित लिखत के जारीकर्ता का उल्लेख करें	अप्रयोज्य
30	अवलिखित की विशेषता	नहीं
31	यदि अवलेखन है तो अवलेखन उत्प्रेरक	अप्रयोज्य
32	यदि अवलेखन है तो पूर्णतः या आंशिक रूप से	अप्रयोज्य
33	यदि अवलेखन है तो स्थायी या अस्थायी	अप्रयोज्य
34	यदि अस्थायी अवलेखन है तो अवलेखन तंत्र का ब्यौरा दें	अप्रयोज्य
35	परिसमापन में अधीनस्थ पदानुक्रम की स्थिति (लिखत से वरिष्ठ लिखत का प्रकार निर्दिष्ट करें)	अन्य उधारकर्ता, जमाकर्ता और बैंक के अधीनस्थ ऋण के दावे के अधीन
36	गैर अनुपालित संक्रमण विशेषताएं	हाँ
37	यदि हाँ, गैर अनुपालित विशेषता को उल्लेखित करें	पूर्णतः अवमान्यताकृत, हानि अवशोषी विशेषता हानि नहीं है।

₹200 करोड़ की लॉवर टियर 2 अधीनस्थ ऋण

1	जारीकर्ता	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
2	यूनिक पहचानकर्ता (जैसे प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	INE695A09087
3	लिखत के अधिशासी कानून	भारतीय कानून
	विनियामक उपचार	पूंजी लिखत
4	परिवर्ती बासेल-III के नियम	टियर 2
5	परिवर्ती के बाद बासेल-III के नियम	योग्य
6	एकल/समूह/समूह और एकल में पात्रतायुक्त	एकल (सोलो)
7	लिखत के प्रकार	टियर 2 पूंजी लिखत
8	नियामक पूंजी में मान्यता प्राप्त राशि (₹ करोड़ में, 31.03.2019 को)	60.00
9	लिखत का सममूल्य	₹10.00 लाख प्रति बांड
10	लेखा वर्गीकरण	उधार
11	जारी करने की मूल तारीख	28.12.2011
12	असंचयी या दिनांकित	दिनांकित
13	मूल परिपक्वता की तारीख	28.12.2021
14	पूर्व पर्यवेक्षण अनुमोदन के शर्ताधीन जारीकर्ता की कॉल	नहीं
15	वैकल्पिक कॉल तारीख, आकस्मिक कॉल तारीख और मोचन राशि	नहीं
16	अनुवर्ती कॉल की तारीख, यदि लागू हो	अप्रयोज्य
	कूपन/लाभांश	कूपन
17	मीयादी या फ्लोटिंग लाभांश/कूपन	मीयादी
18	कूपन दर और कोई संबंधित सूचकांक	9.20% (वार्षिक)
19	लाभांश स्टॉपर का अस्तित्व	अप्रयोज्य
20	पूरी तरह से विवेकाधीन, आंशिक रूप से विवेकाधीन या अनिवार्य	अनिवार्य
21	वृद्धि का अस्तित्व या मोचन हेतु अन्य प्रोत्साहन	नहीं
22	असंचयी या संचयी	असंचयी
23	परिवर्तनीय या गैर परिवर्तनीय	गैर परिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तन उत्प्रेरक (ट्रिगर)	अप्रयोज्य
25	यदि परिवर्तनीय है तो पूरी तरह या आंशिक	अप्रयोज्य
26	यदि परिवर्तनीय है तो रूपांतरण की दर	अप्रयोज्य
27	यदि परिवर्तनीय है तो अनिवार्य या वैकल्पिक रूपांतरण	अप्रयोज्य
28	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तनीय लिखत के प्रकार का उल्लेख करें	अप्रयोज्य
29	यदि परिवर्तनीय है, तो परिवर्तन करनेवाले लिखत के जारीकर्ता का उल्लेख करें	अप्रयोज्य
30	अवलेखन की विशेषताएं	नहीं
31	यदि अवलेखन है तो अवलेखन उत्प्रेरक	अप्रयोज्य
32	यदि अवलेखन है तो पूर्णतः या आंशिक रूप से	अप्रयोज्य
33	यदि अवलेखन है तो, स्थायी या अस्थायी	अप्रयोज्य
34	यदि अस्थायी अवलेखन है तो अवलेखन तंत्र का ब्योरा दें	अप्रयोज्य
35	परिसमापन में अधीनस्थ पदानुक्रम की स्थिति (लिखत से तुरंत पहले के लिखत के प्रकार का उल्लेख करें)	बैंक के अन्य उधारकर्ताओं और जमाकर्ताओं के दावों के अधीनस्थ
36	गैर अनुपालित संक्रमण विशेषताएं	हाँ
37	यदि हाँ, गैर अनुपालित विशेषताओं का उल्लेख करें	कोई हानि अवशोषण विशेषताएं नहीं

सीरीज VIII: ₹500 करोड़ की लॉवर टियर 2 अधीनस्थ ऋण (बेसल-III)

1	जारीकर्ता	युनाइटेड बैंक ऑफ़ इंडिया
2	यूनिक पहचानकर्ता (जैसे प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	INE695A09103
3	लिखत के अधिशासी कानून	भारतीय कानून
	विनियामक उपचार	पूंजी लिखत
4	परिवर्ती बासेल III नियम	टियर 2
5	परिवर्ती के बाद बासेल III नियम	पात्र
6	एकल/समूह/समूह एवं एकल में पात्रता	एकल (सोलो)
7	लिखत प्रकार	टियर 2 पूंजी लिखत
8	नियामक पूंजी में स्वीकृत राशि (₹ करोड़ में, 31.03.2019 तक)	400.00
9	लिखत का सममूल्य	₹10.00 लाख प्रति बॉन्ड
10	लेखा वर्गीकरण	उधार
11	जारी होने की मूल तारीख	25.06.2013
12	बेमीयादी अथवा दिनांकित	दिनांकित
13	मूल परिपक्व तारीख	25.06.2023
14	पूर्व परीवेक्षण अनुमोदन के शर्ताधीन जारीकर्ता कॉल	अप्रयोज्य
15	वैकल्पिक कॉल तारीख, आकस्मिक कॉल तारीख और मोचन राशि	अप्रयोज्य
16	अनुवर्ती कॉल की तारीख, यदि लागू हो	अप्रयोज्य
	कूपन/लाभांश	कूपन
17	मीयादी या फ्लोटिंग लाभांश/कूपन	मीयादी
18	कूपन दर और कोई संबंधित सूचकांक	8.75% (वार्षिक)
19	लाभांश स्टॉपर का अस्तित्व	अप्रयोज्य
20	पूरी तरह से विवेकाधीन, आंशिक रूप से विवेकाधीन या अनिवार्य	अनिवार्य
21	वृद्धि का अस्तित्व या मोचन हेतु अन्य प्रोत्साहन	नहीं
22	असंचयी या संचयी	असंचयी
23	परिवर्तनीय या गैर परिवर्तनीय	गैर परिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तन उत्प्रेरक (ट्रिगर)	अप्रयोज्य
25	यदि परिवर्तनीय है तो पूरी तरह या आंशिक	अप्रयोज्य
26	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तन की दर	अप्रयोज्य
27	यदि परिवर्तनीय है तो अनिवार्य या वैकल्पिक रूपांतरण	अप्रयोज्य
28	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तनीय लिखत के प्रकार का उल्लेख करें	अप्रयोज्य
29	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तन करनेवाले लिखत के जारीकर्ता का उल्लेख करें	अप्रयोज्य
30	अवलेखन की विशेषताएं	हाँ
31	यदि अवलेखन है तो अवलेखन उत्प्रेरक	आरबीआई द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार पीओएनभी ट्रिगर की घटना
32	यदि अवलेखन है तो पूर्णतः या आंशिक रूप से	आरबीआई द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार पीओएनभी ट्रिगर की घटना पूर्णतः या आंशिक
33	यदि अवलेखन है तो स्थायी या अस्थायी	आरबीआई द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार पीओएनभी ट्रिगर की घटना स्थायी/अस्थायी
34	यदि अस्थायी अवलेखन है तो अवलेखन तंत्र का ब्यौरा दें	आरबीआई के मंजूरी के साथ पीओएनभी पर निम्नलिखित कार्रवाई की जा सकती है- क) अस्थायी/स्थायी बट्टे खाते जहाँ पूंजी की अंतःक्षेपण सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं है। ख) अस्थायी/स्थायी बट्टे खाते जहाँ पूंजी की अंतःक्षेपण सार्वजनिक क्षेत्र में है।
35	परिसमापन में अधीनस्थ पदानुक्रम की स्थिति (लिखत से तुरंत पहले के लिखत के प्रकार का उल्लेख करें)	बैंक के अन्य उधारकर्ताओं और जमाकर्ताओं के दावों के अधीनस्थ
36	गैर अनुपालित संक्रमण विशेषताएं	नहीं
37	यदि हाँ, गैर अनुपालित विशेषताओं का उल्लेख करें	अप्रयोज्य

सीरीज IX: ₹500 करोड़ की लॉवर टियर 2 अधीनस्थ ऋण (बेसल-III)

1	जारीकर्ता	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
2	यूनिक पहचानकर्ता (जैसे प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	INE695A08030
3	लिखत के अधिशासी कानून	भारतीय कानून
	विनियामक उपचार	पूंजी लिखत
4	परिवर्ती बासेल III नियम	टियर 2
5	परिवर्ती के बाद बासेल III नियम	पात्र
6	एकल/समूह/समूह एवं एकल में पात्रता	एकल (सोलो)
7	लिखत प्रकार	टियर 2 पूंजी लिखत
8	नियामक पूंजी में स्वीकृत राशि (₹ करोड़ में, 31.03.2019 तक)	500.00
9	लिखत का सममूल्य	₹10.00 लाख प्रति बांड
10	लेखा वर्गीकरण	उधार
11	जारी करने की मूल तारीख	23.08.2017
12	असंचयी या दिनांकित	दिनांकित
13	मूल परिपक्वता की तारीख	23.08.2027
14	पर्यवेक्षण पूर्व अनुमोदन के शर्ताधीन जारीकर्ता की कॉल	अप्रयोज्य
15	वैकल्पिक कॉल तारीख, आकस्मिक कॉल तारीख और मोचन राशि	अप्रयोज्य
16	अनुवर्ती कॉल की तारीख, यदि लागू हो	अप्रयोज्य
	कूपन/लाभांश	कूपन
17	मीयादी या फ्लोटिंग लाभांश/कूपन	मीयादी
18	कूपन दर और कोई संबंधित सूचकांक	9.00% (वार्षिक)
19	लाभांश स्टॉपर का अस्तित्व	अप्रयोज्य
20	पूरी तरह से विवेकाधीन, आंशिक रूप से विवेकाधीन या अनिवार्य	अनिवार्य
21	वृद्धि का अस्तित्व या मोचन हेतु अन्य प्रोत्साहन	अप्रयोज्य
22	असंचयी या संचयी	असंचयी
23	परिवर्तनीय या गैर परिवर्तनीय	गैर परिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तन उत्प्रेरक (ट्रिगर)	अप्रयोज्य
25	यदि परिवर्तनीय है तो पूरी तरह या आंशिक	अप्रयोज्य
26	यदि परिवर्तनीय है तो रूपांतरण की दर	अप्रयोज्य
27	यदि परिवर्तनीय है तो अनिवार्य या वैकल्पिक रूपांतरण	अप्रयोज्य
28	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तनीय लिखत के प्रकार का उल्लेख करें	अप्रयोज्य
29	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तन करनेवाले लिखत के जारीकर्ता का उल्लेख करें	अप्रयोज्य
30	अवलेखन की विशेषताएं	हाँ
31	यदि अवलेखन है तो अवलेखन उत्प्रेरक	आरबीआई द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार पीओएनभी ट्रिगर की घटना
32	यदि अवलेखन है तो पूर्णतः या आंशिक रूप से	आरबीआई द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार पीओएनभी ट्रिगर की घटना पूर्णतः या आंशिक
33	यदि अवलेखन है तो स्थायी या अस्थायी	आरबीआई द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार पीओएनभी ट्रिगर की घटना स्थायी /अस्थायी
34	यदि अस्थायी अवलेखन है तो अवलेखन तंत्र का ब्यौरा दें	आरबीआई के मंजूरी के साथ पीओएनभी पर निम्नलिखित कार्रवाई की जा सकती है- क) अस्थायी/स्थायी बट्टे खाते जहाँ पूंजी की अंतःक्षेपण सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं है। ख) अस्थायी/स्थायी बट्टे खाते जहाँ पूंजी की अंतःक्षेपण सार्वजनिक क्षेत्र में है।
35	परिसमापन में अधीनस्थ पदानुक्रम की स्थिति (लिखत से तुरंत पहले के लिखत के प्रकार का उल्लेख करें)	बैंक के अन्य उधारकर्ताओं और जमाकर्ताओं के दावों के अधीनस्थ
36	गैर अनुपालित संक्रमण विशेषताएं	नहीं
37	यदि हाँ, गैर अनुपालित विशेषताओं का उल्लेख करें	अप्रयोज्य

सीरीज X: ₹150 करोड़ की लॉवर टियर 2 अधीनस्थ ऋण (बेसल-III)

1	जारीकर्ता	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
2	यूनिक पहचानकर्ता (जैसे प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	INE695A08048
3	लिखत के अधिशासी कानून	भारतीय कानून
	विनियामक उपचार	पूंजी लिखत
4	परिवर्ती बासेल III नियम	टियर 2
5	परिवर्ती के बाद बासेल III नियम	पात्र
6	एकल/समूह/समूह एवं एकल में पात्रता	एकल (सोलो)
7	लिखत प्रकार	टियर 2 पूंजी लिखत
8	नियामक पूंजी में स्वीकृत राशि (₹ करोड़ में, 31.03.2019 तक)	150.00
9	लिखत का सममूल्य	₹10.00 लाख प्रति बॉण्ड
10	लेखा वर्गीकरण	उधार
11	जारी करने की मूल तारीख	27.09.2017
12	असंचयी या दिनांकित	दिनांकित
13	मूल परिपक्वता की तारीख	27.09.2027
14	पर्यवेक्षण पूर्व अनुमोदन के शर्ताधीन जारीकर्ता की कॉल	अप्रयोज्य
15	वैकल्पिक कॉल दिनांक, आकस्मिक कॉल दिनांक और मोचन राशि	अप्रयोज्य
16	अनुवर्ती कॉल दिनांक, यदि लागू हो	अप्रयोज्य
	कूपन/लाभांश	कूपन
17	मीयादी या फ्लोटिंग लाभांश/कूपन	मीयादी
18	कूपन दर और कोई संबंधित सूचकांक	10.50% (वार्षिक)
19	लाभांश स्टॉपर का अस्तित्व	अप्रयोज्य
20	पूरी तरह से विवेकाधीन, आंशिक रूप से विवेकाधीन या अनिवार्य	अनिवार्य
21	वृद्धि का अस्तित्व या मोचन हेतु अन्य प्रोत्साहन	नहीं
22	असंचयी या संचयी	असंचयी
23	परिवर्तनीय या गैर परिवर्तनीय	गैर परिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तन उत्प्रेरक (ट्रिगर)	अप्रयोज्य
25	यदि परिवर्तनीय है तो पूरी तरह या आंशिक	अप्रयोज्य
26	यदि परिवर्तनीय है तो रूपांतरण की दर	अप्रयोज्य
27	यदि परिवर्तनीय है तो अनिवार्य या वैकल्पिक रूपांतरण	अप्रयोज्य
28	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तनीय लिखत के प्रकार का उल्लेख करें	अप्रयोज्य
29	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तन करनेवाले लिखत के जारीकर्ता का उल्लेख करें	अप्रयोज्य
30	अवलेखन की विशेषताएं	हाँ
31	यदि अवलेखन है तो अवलेखन उत्प्रेरक	आरबीआई द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार पीओएनभी ट्रिगर की घटना
32	यदि अवलेखन है तो पूर्णतः या आंशिक रूप से	आरबीआई द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार पीओएनभी ट्रिगर की घटना पूर्णतः या आंशिक
33	यदि अवलेखन है तो स्थायी या अस्थायी	आरबीआई द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार पीओएनभी ट्रिगर की घटना स्थायी/अस्थायी
34	यदि अस्थायी अवलेखन है तो अवलेखन तंत्र का ब्यौरा दें	आरबीआई के मंजूरी के साथ पीओएनभी पर निम्नलिखित कार्रवाई की जा सकती है- क) अस्थायी/स्थायी बट्टे खाते जहाँ पूंजी की अंतःक्षेपण सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं है। ख) अस्थायी/स्थायी बट्टे खाते जहाँ पूंजी की अंतःक्षेपण सार्वजनिक क्षेत्र में है।
35	परिसमापन में अधीनस्थ पदानुक्रम की स्थिति (लिखत से तुरंत पहले के लिखत के प्रकार का उल्लेख करें)	बैंक के अन्य उधारकर्ताओं और जमाकर्ताओं के दावों के अधीनस्थ
36	गैर अनुपालित संक्रमण विशेषताएं	नहीं
37	यदि हाँ, गैर अनुपालित विशेषताओं का उल्लेख करें	अप्रयोज्य

सीरीज XI: ₹340 करोड़ की लॉवर टियर 2 अधीनस्थ ऋण (बेसल-III)

1	जारीकर्ता	युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
2	यूनिक पहचानकर्ता (जैसे प्राइवेट प्लेसमेंट के लिए सीयूएसआईपी, आईएसआईएन या ब्लूमबर्ग पहचानकर्ता)	INE695A08063
3	लिखत के अधिशासी कानून	भारतीय कानून
	विनियामक उपचार	पूंजी लिखत
4	परिवर्ती बासेल III नियम	टियर 2
5	परिवर्ती के बाद बासेल III नियम	पात्र
6	एकल/समूह/समूह एवं एकल में पात्रता	एकल (सोलो)
7	लिखत प्रकार	टियर 2 पूंजी लिखत
8	नियामक पूंजी में स्वीकृत राशि (₹ करोड़ में, 31.03.2019 तक)	₹340.00
9	लिखत का सममूल्य	₹10.00 लाख प्रति बॉण्ड
10	लेखा वर्गीकरण	उधार
11	जारी करने की मूल तारीख	10.11.2017
12	असंचयी या दिनांकित	दिनांकित
13	मूल परिपक्वता की तारीख	10.11.2027
14	पर्यवेक्षण पूर्व अनुमोदन के शर्ताधीन जारीकर्ता की कॉल	अप्रयोज्य
15	वैकल्पिक कॉल दिनांक, आकस्मिक कॉल दिनांक और मोचन राशि	अप्रयोज्य
16	अनुवर्ती कॉल दिनांक, यदि लागू हो	अप्रयोज्य
	कूपन/लाभांश	कूपन
17	मीयादी या फ्लोटिंग लाभांश/कूपन	मीयादी
18	कूपन दर और कोई संबंधित सूचकांक	9.05% (वार्षिक)
19	लाभांश स्टॉपर का अस्तित्व	अप्रयोज्य
20	पूरी तरह से विवेकाधीन, आंशिक रूप से विवेकाधीन या अनिवार्य	अनिवार्य
21	वृद्धि का अस्तित्व या मोचन हेतु अन्य प्रोत्साहन	नहीं
22	असंचयी या संचयी	असंचयी
23	परिवर्तनीय या गैर परिवर्तनीय	गैर परिवर्तनीय
24	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तन उत्प्रेरक (ट्रिगर)	अप्रयोज्य
25	यदि परिवर्तनीय है तो पूरी तरह या आंशिक	अप्रयोज्य
26	यदि परिवर्तनीय है तो रूपांतरण की दर	अप्रयोज्य
27	यदि परिवर्तनीय है तो अनिवार्य या वैकल्पिक रूपांतरण	अप्रयोज्य
28	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तनीय लिखत के प्रकार का उल्लेख करें	अप्रयोज्य
29	यदि परिवर्तनीय है तो परिवर्तन करनेवाले लिखत के जारीकर्ता का उल्लेख करें	अप्रयोज्य
30	अवलेखन की विशेषताएं	हाँ
31	यदि अवलेखन है तो अवलेखन उत्प्रेरक	आरबीआई द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार पीओएनभी ट्रिगर की घटना
32	यदि अवलेखन है तो पूर्णतः या आंशिक रूप से	आरबीआई द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार पीओएनभी ट्रिगर की घटना पूर्णतः या आंशिक
33	यदि अवलेखन है तो स्थायी या अस्थायी	आरबीआई द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार पीओएनभी ट्रिगर की घटना स्थायी /अस्थायी
34	यदि अस्थायी अवलेखन है तो अवलेखन तंत्र का ब्यौरा दें	आरबीआई के मंजूरी के साथ पीओएनभी पर निम्नलिखित कार्रवाई की जा सकती है- क) अस्थायी/स्थायी बट्टे खाते जहाँ पूंजी की अंतःक्षेपण सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं है। ख) अस्थायी/स्थायी बट्टे खाते जहाँ पूंजी की अंतःक्षेपण सार्वजनिक क्षेत्र में है।
35	परिसमापन में अधीनस्थ पदानुक्रम की स्थिति (लिखत से तुरंत पहले के लिखत के प्रकार का उल्लेख करें)	बैंक के अन्य उधारकर्ताओं और जमाकर्ताओं के दावों के अधीनस्थ
36	गैर अनुपालित संक्रमण विशेषताएं	नहीं
37	यदि हाँ, गैर अनुपालित विशेषताओं का उल्लेख करें	अप्रयोज्य

सारणी डीएफ 14
विनियामक पूंजी लिखत की पूर्ण नियम एवं शर्तें

लिखत	पूर्ण नियम एवं शर्तें	
बासेल-II शर्त के तहत अभिनव बेमीयादी ऋण लिखत (आईपीडीआई) सीरीज-I गैर-जमानती, गैर-परिवर्तनीय, अधीनस्थ बेमीयादी ऋण लिखत - टियर 1 बांड	आवंटन की तारीख	05.12.2012
	मोचन की तिथि	05.12.2022 भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के साथ
	कार्यकाल (महीनों)	बेमीयादी
	निर्गमित का आकार (₹ करोड़ में)	300.00
	कूपन दर (वार्षिक)	9.27%
	रेटिंग	केयर द्वारा ए- और क्रिसिल द्वारा ए-
	प्रमुख विशेषताएं: पूट और स्टेप-अप अप विकल्प नहीं. भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व अनुमोदन के बाद बैंक द्वारा 10 वर्षों के बाद	
लॉवर टियर-2 बॉण्ड सीरीज-VII मोचन योग्य गैर-जमानती, गैर-परिवर्तनीय अधीनस्थ लॉवर टियर-2 बांड	आवंटन की तारीख	28.12.2011
	मोचन की तिथि	28.12.2021
	कार्यकाल (महीनों)	120
	निर्गमित का आकार (₹ करोड़ में)	200.00
	कूपन दर (वार्षिक)	9.20%
	रेटिंग	केयर द्वारा ए+ और क्रिसिल द्वारा ए+
	विशेष विशेषताएं: 1. सामान्य वनीला बांड बिना किसी प्रमुख विशेषता के अर्थात क्रय या विक्रय विकल्प आदि । 2. भारतीय रिजर्व बैंक की सहमति के बिना प्रतिदेय नहीं।	
लॉवर टियर-2 बॉण्ड सीरीज-VIII मोचन योग्य गैर-जमानती, गैर-परिवर्तनीय अधीनस्थ लॉवर टियर-2 बांड	आवंटन की तारीख	25.06.2013
	मोचन की तिथि	25.06.2023
	कार्यकाल (महीनों)	120
	निर्गमित का आकार (₹ करोड़ में)	500.00
	कूपन दर (वार्षिक)	8.75%
	रेटिंग	ब्रिकवर्क द्वारा ए+ तथा क्रिसिल द्वारा ए+
	विशेष विशेषताएं: 1. लिखत गैरइक्विटी पूंजी लिखत के हानि अवशोषकता की विशेषताओं के अधीन है। 2. लिखत प्वॉइंट ऑफ़ नॉन विजिबिलिटी (पीओएनवी) नामक ट्रिगर ईवेंट की घटना पर आरबीआई के विकल्प स्थायी रूप से बट्टे खाते या अस्थायी रूप से बट्टे खाते पर हो सकता है। 3. इस लिखत में निवेशकों के दावे बैंकों के सभी जमाकर्याओं और सामान्य लेनदारों के दावों के लिए टीयर-1 पूंजी अधीनस्थ में शामिल होने के लिए पात्र लिखितों में निवेशकों के दावे श्रेष्ठ होंगे।	
लॉवर टियर-2 बॉण्ड सीरीज-IX गैर-जमानती, गैर-परिवर्तनीय, मोचन योग्य, ऋण लिखत टियर-2 बांड	आवंटन की तारीख	23.08.2017
	मोचन की तिथि	23.08.2027
	कार्यकाल (महीनों)	120
	निर्गमित का आकार (₹ करोड़ में)	500.00
	कूपन दर (वार्षिक)	9.00%
	रेटिंग	ब्रिकवर्क द्वारा ए+ तथा क्रिसिल द्वारा ए+
	विशेष विशेषताएं: 1. लिखत गैर-इक्विटी पूंजी लिखत के हानि अवशोषकता की विशेषताओं के अधीन है। 2. लिखत प्वॉइंट ऑफ़ नॉन विजिबिलिटी (पीओएनवी) नामक ट्रिगर ईवेंट की घटना पर आरबीआई के विकल्प स्थायी रूप से बट्टे खाते या अस्थायी रूप से बट्टे खाते पर हो सकता है। 3. इस लिखत में निवेशकों के दावे बैंकों के सभी जमाकर्याओं और सामान्य लेनदारों के दावों के लिए टीयर-1 पूंजी अधीनस्थ में शामिल होने के लिए पात्र लिखितों में निवेशकों के दावे श्रेष्ठ होंगे।	

लिखत	पूर्ण नियम एवं शर्तें	
लॉवर टियर-2 बॉण्ड सीरीज-X गैर-जमानती, गैर-परिवर्तनीय, मोचन योग्य, ऋण लिखत टियर-2 बांड	आवंटन की तारीख	27.12.2017
	मोचन की तिथि	27.09.2027
	कार्यकाल (महीनों)	120
	निर्गमित का आकार (₹ करोड़ में)	150.00
	कूपन दर (वार्षिक)	10.50%
	रेटिंग	क्रिसिल द्वारा ए+
	विशेष विशेषताएं: 1. लिखत गैरइक्विटी पूंजी लिखत के हानि अवशोषकता की विशेषताओं के अधीन है। 2. लिखत प्वॉइंट ऑफ़ नॉन विजिबिलिटी (पीओएनवी) नामक ट्रिगर ईवेंट की घटना पर आरबीआई के विकल्प स्थायी रूप से बट्टे खाते या अस्थायी रूप से बट्टे खाते पर हो सकता है। 3. इस लिखत में निवेशकों के दावे बैंकों के सभी जमाकर्याओं और सामान्य लेनदारों के दावों के लिए टीयर-1 पूंजी अधीनस्थ में शामिल होने के लिए पात्र लिखितों में निवेशकों के दावे श्रेष्ठ होंगे।	
लॉवर टियर-2 बॉण्ड सीरीज-XI गैर-जमानती, गैर-परिवर्तनीय, मोचन योग्य, ऋण लिखत टियर-2 बांड	आवंटन की तारीख	10.11.2017
	मोचन की तिथि	10.11.2027
	कार्यकाल (महीनों)	120
	निर्गमित का आकार (₹ करोड़ में)	340.00
	कूपन दर (वार्षिक)	9.05%
	रेटिंग	क्रिसिल द्वारा ए+
	विशेष विशेषताएं: 1. लिखत गैरइक्विटी पूंजी लिखत के हानि अवशोषकता की विशेषताओं के अधीन है। 2. लिखत प्वॉइंट ऑफ़ नॉन विजिबिलिटी (पीओएनवी) नामक ट्रिगर ईवेंट की घटना पर आरबीआई के विकल्प स्थायी रूप से बट्टे खाते या अस्थायी रूप से बट्टे खाते पर हो सकता है। 3. इस लिखत में निवेशकों के दावे बैंकों के सभी जमाकर्याओं और सामान्य लेनदारों के दावों के लिए टीयर-1 पूंजी अधीनस्थ में शामिल होने के लिए पात्र लिखितों में निवेशकों के दावे श्रेष्ठ होंगे।	

सारणी डीएफ 15
पारिश्रमिक हेतु प्रकटीकरण अपेक्षा

गुणात्मक एवं मात्रात्मक प्रकटीकरण : अप्रयोज्य

सारणी डीएफ 16
इक्विटी - बैंकिंग बुक पोजिशन हेतु प्रकटीकरण

गुणात्मक प्रकटीकरण : इक्विटी जोखिम के संबंध में सामान्य मात्रात्मक प्रकटीकरण

- निवेश वर्गीकरण और मूल्यांकन के संबंध में आरबीआई के दिशानिर्देश के अनुसरण में, निवेश को खरीद की तारीख पर व्यापार के लिए धारित (एचटीएफ), बिक्री के लिए उपलब्ध (एएफएस), परिपक्वता तक धारित (एचटीएम) वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। जिन निवेशों को परिपक्वता तक बैंक धारित करना चाहता है, उन्हें एचटीएम प्रतिभूतियों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। आरबीआई के दिशानिर्देश के अनुसरण में एचटीएम वर्ग के तहत इक्विटी निवेश को पूंजी पर्याप्तता के उद्देश्य से बैंकिंग बुक के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
- आरबीआई के दिशानिर्देश के अनुसार अनुषंगियों की इक्विटी और संयुक्त उद्यम में निवेश को एचटीएम वर्ग के तहत वर्गीकृत करने की जरूरत है। इन्हें नीतिगत उद्देश्य से नीतिगत संपर्क अथवा नीतिगत व्यवसाय बनाए रखने के लिए धारित किया जाता है।
- एचटीएम वर्ग के तहत वर्गीकृत निवेश को उनकी अधिग्रहण लागत में लिया जाता है और मार्केट तक मार्क नहीं किया गया है। उपलब्ध इक्विटी निवेश के मूल्य में अस्थायी के अलावा किसी भी अवनति को उपलब्ध कराया गया है। आरबीआई के दिशानिर्देश के अनुसार एचटीएम वर्ग के तहत निवेश की बिक्री पर किसी तरह की हानि को लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत किया गया है, शुद्ध कर और सांविधिक प्रारक्षित को पूंजी प्रारक्षित में विनियोजित किया गया है।

गुणात्मक प्रकटीकरण:

क्र.सं.	विवरण	₹/करोड़
1	बैंकिंग बुक में इक्विटी निवेश	
	क) तुलन पत्र में निवेश के संबंध में प्रकट मूल्य	368.52
	ख) निवेशों का उचित मूल्य	368.52
	आरबीआई के दिशानिर्देश के अनुसार एक सुसंगत आधार पर आरआरबी में निवेश को कैरिंग लागत में मूल्यांकित किया जाए (अर्थात बही मूल्य)	
2	राशि समेत निवेश का प्रकार और प्रकृति, जिसे निम्नप्रकार वर्गीकृत किया जाए:	
	क) सार्वजनिक रूप से किया गया व्यापार	शून्य
	ख) व्यक्तिगत रूप से धारित (गैर सूचीबद्ध)	368.52
3	संचयी वसूल लाभ (बिक्री से हुई हानि और रिपोर्टिंग अवधि में परिसमापन)	शून्य
4	कुल गैर वसूली लाभ (हानि)*	शून्य
5	कुल अव्यक्त पुनर्मूल्यांकित लाभ (हानि)**	शून्य
6	उपर्युक्त टियर और टियर-II पूंजी में शामिल राशि	शून्य
7	समुचित इक्विटी समूह द्वारा अलग हुई पूंजी अपेक्षा, बैंक की संगत प्रणाली के साथ सकल राशि और इक्विटी निवेश के प्रकार, वशर्ते कि किसी पर्यवेक्षी संक्रमण अथवा नियामक पूंजी अपेक्षा के लिए प्रावधान किया गया हो।	अनुषंगियों में निवेश बासेल-III शर्तों के अन्तर्गत 250% की दर में जोखिम धारित

* गैर वसूली लाभ (हानि) को तुलन पत्र में स्वीकृत किया गया है, इसे लाभ एवं हानि खाते में दिखाया नहीं गया।
** गैर वसूली लाभ (हानि) को तुलन पत्र में स्वीकृत नहीं किया गया है और इसे लाभ एवं हानि खाते में भी दिखाया नहीं गया।

सारणी डीएफ 17

लेखा आस्तियों बनाम लिवरेज अनुपात एक्स्पोजर उपाय का तुलनात्मक सारांश

क्र.सं	विवरण	(रु /करोड़)
1	प्रकाशित वित्तीय विवरणियां के अनुसार कुल समेकित आस्तियां	151529
2	बैंकिंग वित्तीय बीमा अथवा वाणिज्यिक संस्थाओं में निवेश के लिए समायोजन जिसे लेखा उद्देश्य हेतु समेकित किया गया है लेकिन नियामक समेकन की संभावनाओं से बाहर है।	अप्रयोज्य
3	परिचालन लेखा ढांचा के अनुसार तुलन पत्र में स्वीकृत प्रत्ययी आस्ति हेतु समायोजन, लेकिन जिसे लिवरेज अनुपात निवेश उपाय से बहिर्भुत है।	0
4	व्युत्पन्न वित्तीय लिखत हेतु समायोजन	294
5	प्रतिभूति वित्तपोषण लेनदेन के लिए समायोजन (अर्थात रेपो और उसी प्रकार की जमानती उधार)	0
6	तुलन पत्र में बाहर निवेश ऋण के बराबर राशि	4458
7	अन्य समायोजन	(4963)
8	लिवरेज अनुपात निवेश	151318

सारणी डीएफ 18

लिवरेज अनुपात सामान्य प्रकटीकरण टेम्पलेट

क्र.	विषय	(रु /करोड़)
	तुलन पत्र में निवेश	
1	तुलन पत्र में निवेश मदें (डेरिवेटिव्स और एसएफटी को छोड़कर, लेकिन संपार्श्विक को मिलाकर)	150100
2	(बासेल-III टियर-1 पूंजी के निर्धारण में घटाई गई आस्ति की राशि)	(4963)
3	**कुल तुलन पत्र में निवेश** (डेरिवेटिव्स और एसएफटी को छोड़कर) (लाइन 1 और 2 का जोड़)	**145137**
	डेरिवेटिव्स निवेश	
4	सभी डेरिवेटिव्स लेनदेन के साथ शामिल प्रतिस्थापन लागत (अर्थात योग्य नकद परिवर्तन मार्जिन)	170
5	सभी डेरिवेटिव्स लेनदेन के साथ शामिल पीएफई के लिए एड ऑन राशि	123
6	उपलब्ध कराए गए डेरिवेटिव्स संपार्श्विक हेतु सकल, जहां परिचालन लेखा ढांचा के अनुसरण में तुलन पत्र की आस्ति से घटाया गया	0
7	(डेरिवेटिव्स लेनदेन में उपलब्ध कराए गए नकद परिवर्तन मार्जिन हेतु प्राप्य आस्तियों को घटाना)	0
8	(सीसीपी लेग ऑफ क्लाइंट - क्लियर्ड व्यापार निवेश की छूट)	0
9	लिखित क्रेडिट डेरिवेटिव्स की अनुमानित राशि के लिए प्रभावित समायोजन	0
10	(लिखित क्रेडिट डेरिवेटिव्स के लिए प्रभावी अनुमानित ऑफ्सेट्स और एड ऑन कटौती का समायोजन)	0
11	**कुल डेरिवेटिव्स निवेश** (लाइन 4 से 10 का जोड़)	**293**
	प्रतिभूतियां वित्तपोषण लेनदेन निवेश	
12	बिक्री लेखा लेनदेन के लिए समायोजन के बाद सकल एसएफटी आस्तियां (नेटिंग की स्वीकृति के बगैर)	1430
13	(सकल एसएफटी आस्तियों का कुल देय नकद और प्राप्य नकद राशि)	0
14	एसएफटी आस्तियों के लिए सीसीआर निवेश	0
15	एजेंट लेनदेन निवेश	0
16	कुल प्रतिभूति वित्तपोषण लेनदेन निवेश (लाइन 12 से 15 का जोड़)	**1430**
	तुलन पत्र में बाह्य अन्य मदों में निवेश	
17	तुलन पत्र में बाह्य मदों में निवेश का सकल अनुमानित राशि	11999
18	(क्रेडिट के बराबर राशि में परिवर्तन के लिए समायोजन)	(7541)
19	तुलन पत्र में बाह्य मदें (लाइन 17 एवं 18 का जोड़)	**4458**
	पूंजी और कुल निवेश	
20	**टियर-1 पूंजी**	**6028**
21	**कुल निवेश** (लाइन 3, 11, 16 और 19 का जोड़)	**151318**
	लिवरेज अनुपात	
22	**बासेल-III लिवरेज अनुपात % [20/21]**	**3.98**

नोट्स / **Notes**

नोट्स / Notes

Annual Report
2018-19

Company Secretary, Compliance Office & Secretary to the Board of Directors

Bikramjit Shom

Registrar & Share Transfer Agent:

Link Intime India Pvt. Ltd.
C-101, 247 Park
L B S Marg, Vikhroli (West)
Mumbai – 400083

Statutory Central Auditors:

M/s. Arun K. Agarwal & Associates
M/s. Mookherjee Biswas & Pathak
M/s. Dinesh Jain & Associates
M/s. SBA Associates

Registered Office Address:

United Bank of India
United Tower
11 Hemanta Basu Sarani
Kolkata - 700001

Website
www.unitedbankofindia.com
E-mail
investors@unitedbank.co.in

BRIEF HISTORY OF THE BANK

United Bank of India has a chequered history. A small bank, Comilla Banking Corporation Ltd (Estd. in 1914) was amalgamated with three other banks viz. Comilla Union Bank Ltd. (Estd. in 1922), Hooghly Bank Ltd. (Estd. in1932) and Bengal Central Bank Ltd. (Estd. in 1918) to become United Bank of India on 18 December 1950.The Bank was headquartered at 4, Clive Ghat Street (now N.C. Dutta Sarani), Kolkata-700001 which later shifted to its present location at 11, Hemanta Basu Sarani, Kolkata-700001. The Bank was nationalized along with 13 other Banks on July 19, 1969. Subsequently, Cuttack Bank Ltd.,Tezpur Industrial Bank Ltd., Hindustan Mercantile Bank Ltd. and Narang Bank of India Ltd. were merged with the Bank.

United Bank of India has grown from strength to strength. Starting from a network of 174 branches and a business of ₹ 259 crore in 1969 at the time of nationalization, the Bank, at present, has 2055 branches/offices with a total business of over ₹ 2.08 lac crore. As the branches operating in the then east Pakistan were closed in the aftermath of 1971 war with Pakistan, the Bank spread its international presence by establishing representative office in Dhaka, Bangladesh in 2010 and later at Yangoan, Myanmar. The Bank's international operations are supported by wide network of Correspondent relationships opened with overseas Banks.

United Vision

To emerge as a dynamic, techno savvy, customer- centric, progressive and financially sound premier bank of our country with pan India presence, sharply focused on business growth and profitability, with due emphasis on risk management in an environment of professionalism, trust and transparency, observing highest standards of corporate governance and corporate social responsibilities, meeting the expectations of all its stakeholders as well as the aspirations of its employees.

Essentially, Pursuit of Excellence is going to be core philosophy and driving force for the bank.

PERFORMANCE HIGHLIGHTS

- Total Business of the Bank increased to ₹ 208106 Crore as on 31st March 2019.
- Total Deposit increased by ₹ 5657 Crore to ₹ 134983 Crore as on 31st March 2019.
- CASA share improved to 51.45% as on 31st March 2019, registering a growth 10.86 % over 31st March 2018.
- Retail portfolio has grown by 12.08 % (YoY) in which Housing loan portfolio increased by 11.87 % and Car loan increased by 14.94%.
- MSME advances recorded a growth of 5.65 %.
- Net Interest Income (NII) increased to ₹1975 Crore in FY 2019 against ₹ 1493 Crore in FY 2018 registered a growth of 32.28 % on YoY basis and non- interest income by encouraging 7.67% largely driven by recovery from shadow a/cs & Bancassurance business.
- Bank registered a quarterly Net Profit of ₹ 95.18 Crore for March 2019 after seven quarters of consecutive loss.
- NIM showed an improvement from 1.66% in March 2018 to 2.10% in March 2019.
- Bank maintained its capital adequacy ratios above the regulatory requirements under Basel-III norms. CRAR maintained at 13.00% with Tier-1 at 10.14 % and CET 1 ratio at 10.14 % as on 31st March 2019.
- Stressed Assets Position improved substantially. Both GNPA & NNPA showed improvement over last 4 quarters.
- GNPA & NNPA stand at 16.48% & 8.67% respectively as on 31, Mar 2019 vis-a vis 24.10% & 16.49% respectively as on 31,Mar 2018.
- Cost to Income ratio reached to 67.62% as on March 31, 2019 from 72.38% as on March 31,2018.
- Provision Coverage Ratio improved to 72.94% as on March 31, 2019 against 53.48% as on March 31,2018.

PERFORMANCE AT A GLANCE

Amount in ₹ Crore

Parameters	**2015-16**	**2016-17**	**2017-18**	**2018-19**
No of Branches	2011	2053	2057	2055
Total Business	187813	197442	198018	208106
% Growth	5.58	5.13	0.29	5.09
Total Deposits	116401	126939	129326	134983
% Growth	6.97	9.05	1.88	4.37
Gross Advances	71412	70503	68692	73123
% Growth	3.39	(1.27)	(2.57)	6.45
CD Ratio	61.35	55.54	53.12	54.17
Investments	44934	53355	51201	62263
Total Assets	129432	141053	144749	151530
Operating Profit	1812	1553	1024	1412
Net Profit	(282)	220	(1454)	(2316)
Capital	1320	1812	3014	7428
Of				
Equity Share Capital	840	1394	3000	7428
Share Application Money(pending allotment)	480	418	13.64	-
Reserve & Surplus	5000	5931	5662	4071
Capital Adequacy Ratios				
CRAR %	10.08	11.14	12.62	13.00
Tier 1 %	7.93	8.94	9.87	10.14
CET1 %	7.74	8.46	8.39	10.14
Total Staff	14981	14962	14814	13804
Business per Employee	12.37	13.04	13.22	14.96

MESSAGE TO SHAREHOLDERS



Dear Shareholders,

It gives me immense pleasure to welcome you all to the 10th Annual General Meeting of the Bank.

It has been indeed an eventful year and I would like to thank all the stakeholders for the steadfast support and unwavering confidence reposed in the Bank through the thick and thin.

India has proved its ability to break through global economy, which has witnessed sluggish growth. The International Monetary Fund (IMF) estimates global economic growth at 3.3% in 2019. That's down from 4% in 2017 & 3.6% in 2018. Global economy at present is facing major issues of US-Sino trade war, US sanctions on Iran, Brexit. India is a shining example of growth. Its economy is growing by approximately 7% making it the fastest growing economy in the world. Accommodative monetary policy, additional fiscal support, new income support measures for rural farmers are expected to spur economic growth, despite subdued global demand.

A quick recap on Structural Changes:

The Bank is extremely conscious about the critical role played by the Public Sector Banks (PSBs) in India's economic and social development and it fully subscribes to the regulatory ideas for holistic and wide ranging reforms of the banking sector.

Based on the recommendations made at the "Manthan" in November, 2017, the Reforms Agenda for Responsive and Responsible PSBs aimed at "EASE – Enhanced Access & Service Excellence" with six agenda points, viz. (i) Customer Responsiveness, (ii) Responsible Banking, (iii) Credit Off-take, (iv) PSBs as Udyami Mitra (aimed at MSME), (v) Deepening Financial Inclusion & Digitalization and (vi) Ensuring Outcome (HR) by developing personnel for Brand PSB.

The project aims at highlighting Bank's performance on key Action Points with metrics depicting Bank's performance/ scope of improvisation on an absolute or relative basis.

The pace of recovery under the Insolvency and Bankruptcy Code (IBC) has been well below expectations. The stress in Non-Banking Financial Company (NBFC) space is emerging as a threat. Unless handled adequately, it may lead to a systemic risk.

Infusion of capital to the tune of Rs. 1,95,000cr. into the Banks by GOI in FY-19 has not only smoothened the effect of banking crisis but also helped PSBs to conform to regulatory requirements under BASEL-III with ease, although growth capital remains a challenge.

Highlights of Bank's Performance:

Under these difficult conditions, I would like to draw your attention to the performance highlights of your Bank, which are as under –

- Crossed Total Business of Rs. 2 Lac crore with closing figure at Rs. 2,08,106 crore as on 31.03.2019;
- Registered a Net Profit of Rs. 95.18 crore in Q4/FY-19 after losses for seven consecutive quarters;
- Reported Total Operating Profit of Rs. 1412 crore in FY-19 against Rs. 1024 crore in FY-18, a significant growth of 38% (Y-o-Y);
- CASA deposit at 51.44% as at the end of March'19 vis-a-vis 48.44% (in March'18) continued to provide comfort by way of reduced cost of funds;
- Cost of Deposit (CoD) remained low at 4.96% (in March'19), down from 5.30% in (March'18);
- Stressed Assets position improved substantially;
- GNPA and NNPA stood at 16.48% and 8.67% as on 31st March'19 as against 24.10% and 16.49% respectively as on 31st March'18.
- Provision Coverage Ratio (PCR) improved significantly to 72.94% as on March 31, 2019 against 53.48% as on March 31, 2018;
- CRAR stood at 13% as on March 31, 2019 with Tier I Capital at 10.14% and Tier II Capital at 2.86%;
- Net Interest Income (NII) increased to Rs.1975 crore in FY-19 against Rs.1493 crore in FY-18, registering a growth of more than 32% on Y-o-Y basis;
- The Retail Segment grew by 12.82%, with Housing Loan portfolio growing by 11.87% and Auto Sector by 14.94% in FY-19.

Awards & Achievements:

During FY 2018-19, your Bank received various prestigious awards:

- Won **"Excellence in IT Infrastructure"** Award (Network Security Project). The Bank deployed various technologies to enhance Cyber Security posture of the Bank. Along with internal control system, United Perimeter Shield was deployed to prevent various Internet based attacks. The award was conferred by the International Council of Electronic Commerce Consultants (EC-Council) India.
- **Leadership Capital Award -** The efforts of the Bank in promoting APY (Atal Pension Yojana) Scheme by significant enrolments since inception of the Scheme, aimed to strengthen the foundation for building a "pensioned society" as envisioned by the Government of India, was recognized by way of an award at an event organized by the Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA).

Looking Ahead:

Your Bank's long standing commitment for financial soundness, long term customer relationship & proactive approach are as important today as ever before. Going forward, your Bank would continue with its thrust on **"Growth with Profit"**. The Bank would make sincere efforts to protect and further improve the NIM (Net Interest Margin), EPS (Earning per Share) and Assets Quality through dedicated & focussed approach, efficient pricing of loan products and effective credit monitoring.

Your Bank proposes to initiate a number of initiatives such as (i) upgradation of Core Banking Solution to version .10.x, (ii) creation of a State of the Art Call Centers to herald customer delight during the upcoming years. I am confident that your Bank will prevail over the challenges and attain new heights in times to come.

In the landmark 69th year of Bank's epoch making odyssey that actually began in 1914 at Comilla (now in Bangladesh) with formation of the oldest constituent of the Bank, Comilla Banking Corporation Ltd., I solicit your continued trust and support so that we can together propel the Bank to a new height and maximize value for all the stakeholders.

Acknowledgements:

I acknowledge with all humility, the support and guidance extended by the different Ministries of the Government of India at different points of time on different issues, the Reserve Bank of India, the Government of West Bengal and the local administration.

My sincere gratitude to the SEBI (Securities and Exchange Board of India), the Stock Exchanges and Insurance Regulatory & Development Authority of India for their support and timely advices.

My heartfelt thanks to each and every customer and shareholder for continuing their faith on us and encouraging the workforce to fight out the odds to take the Bank on a forward-looking path of progress and growth.

Thank you Ladies & Gentlemen for your time and attention.

Yours truly,

Sd/-
Ashok Kumar Pradhan
Managing Director & CEO
DIN: 07748272

May 13, 2019, Kolkata

DIRECTORS' REPORT

The Board of Directors have pleasure in presenting the 69thAnnual Report of the Bank along with the Audited Balance Sheet, Profit and Loss Account and the report on Business and Operations for the year ended March 31, 2019 (FY2018-19).

MANAGEMENT DISCUSSION AND ANALYSIS:

The Board of Directors have pleasure in presenting the 69thAnnual Report of the Bank along with the Audited Balance Sheet, Profit and Loss Account and the report on Business and Operations for the year ended March 31, 2019 (FY2018-19).

Global Economic Outlook:

The Global Economy had a strong growth in 2017 and early 2018. However, global economic activity slowed significantly in the second half of 2018, reflecting a various factors affecting major economies. Global growth is now projected to slow from 3.6 % in 2018 to 3.3 % in 2019.

As Global growth is expected to hover around 3.0 % in 2019 and 2020, it masks an increase in downside risks that could potentially threaten development challenges in many parts of the world. The global economy is facing a confluence of risks, which could severely disrupt economic activity and inflict significant damage on longer-term development prospects. These risks include an escalation of trade disputes, an abrupt tightening of global financial conditions, and intensifying climate risks. In many developed countries, growth rates have risen close to their potential, while unemployment rates have dropped to historical lows. Among the developing economies, the East and South Asia regions remain on a relatively strong growth trajectory, amid robust domestic demand conditions. While economic activity in the commodity-exporting countries, notably fuel exporters, is gradually recovering, growth remains susceptible to volatile commodity prices. For these economies, the sharp drop in global commodity prices has continued to weigh on fiscal and external balances, while leaving a legacy of higher levels of debt.

The global growth outlook for 2019 remains steady although the underlying downside risks have risen. The gradual monetary policy normalisation in advanced economies (AEs) as also the uncertainty in global trade regime may adversely affect capital flows to emerging markets (EMs) and exert upward pressure on EM interest rates and corporate spreads. In the meanwhile, commodity prices, particularly oil, have softened mostly driven by excess supply of US shale oil, uncertainty about Chinese demand and on supply concerns from Iran turning out softer than anticipated.

In India, growth of gross domestic product (GDP) showed slight moderation while inflation remains contained. Fiscal consolidation remains important for financial stability as global financial conditions turn adverse. The impact of oil prices feeding into input costs remains uncertain with potential implications for India's terms of trade. In the domestic financial markets, structural shifts in credit intermediation and the evolving interconnectivity between banks and the non-banks call for greater vigilance

The performance of PSBs in the MSME segment trails that of other intermediaries viz., private sector banks and nonbanking financial companies (NBFC). This is both in terms of inherent as well as realised credit risk underscoring the need to improve credit appraisal skills.

The global financial crisis (GFC), bank capital regime appears to have increased systemic resilience. In the global financial market, transition to a post-LIBOR world remains a work in progress. On the domestic front, the Reserve Bank initiated several policy measures to deepen the government securities (G-Sec) and Repo markets. In the capital market, investment through Systematic Investment plans (SIPs) in mutual funds remains a bright spot.

Bad Debts in Banks:

The gross NPA ratio might decline from 10.8% in September 2018 to 10.3% in March 2019 and 10.20 % in September 2019. Bad loans of public sector banks (PSBs) declining by over ₹ 23000 Crore from a peak of ₹ 9.62 Lakh crore in March 2018.

The Government of India has promulgated an ordinance, which amends section 35A of the Banking Regulation Act, 1949 and inserts section 35AA and section 35AB in the Banking Regulation Act. The ordinance authorises the "Reserve Bank of India to issue directions to any banking company or banking companies to initiate insolvency resolution process in respect of a default under the provisions of the Insolvency and Bankruptcy Code (IBC), 2016".

It also empowers RBI to set up sector related oversight panels that will shield bankers from later action by probe agencies looking into loan recasts. The government had earlier enacted the IBC to consolidate and amend the laws relating to reorganization and insolvency resolution of corporate persons, partnership firms and individuals in a time bound manner. It was aimed at maximizing the value of assets to promote entrepreneurship, availability of credit and balance the interest of all stakeholders.

Government has recently announced PSBs reforms agenda for responsive and responsible banking, which encapsulates a synergistic approach for ensuring prudential and clean lending, better customer service, enhanced credit availability, focus on micro, small and medium enterprises. The performance of the reforms agenda is being monitoring and supervision by BCG through a project by the name "Digital Interface for Performance Assessment of Key Action Points" i.e. "DIPAK".

These are steps in the right direction to reduce NPA of banks in general and our Bank in particular.

Agriculture:

Gross Value Added (GVA) at basic prices in agriculture and allied activities decelerated in H2: 2018-19 on account of a number of factors operating in conjunction, viz., the poor performance of the southwest and northeast monsoons, lower water reservoir levels in the eastern and western regions.

Factor like the poor performance of the southwest and northeast monsoons, lower water reservoir levels in the eastern and western regions; unremunerative prices for farm produce and the lack of traction in food management policies to deal with large excess supplies, led to a shortfall of (-) 3.8% in total rabi sowing from the previous year's acreage.

Consequent upon the release of the SAE of crop production for 2018-19, which indicated a minor upward revision in the production of kharif food grains but a lower-than targeted rabi harvest, agricultural GVA growth for the year was revised downwards to 2.7% from 3.8% in the CSO's first advance estimates

Horticultural crop production was at a record level of 315 million tonnes during 2018-19, driven mainly by spices, aromatics and medicinal, flowers and vegetables. In the recent period, allied activities, which include livestock, forestry and fishing, have contributed around three-fourth of overall GVA growth of the sector

Industry:

The Index of Industrial production (IIP) cumulative growth slow April 2018 to March 2019 at 3.6% over corresponding the year-ago period. The growth for Index of Manufacturing, Mining and Electricity was (-) 0.4%, 0.8% & 2.2% respectively during Mar'2019. Slower growth is mainly seen in the manufacturing sector, where sub-sectors such as refinery products, basic metals, chemical and leather products, saw weakness.

The use-based classification, the Index for Primary goods, Infrastructure/ construction goods & Consumer non-durables registered positive growth of 2.5%,6.4% & 0.3% respectively while the index for Capital goods, Intermediate goods & Consumer durables registered negative growth of (-)8.7%,(-)2.5%& 5.1% respectively Mar'2019.

Inflation:

The all India Consumer Price Index-Combined (CPI-C) inflation declined to 2.86% in March 2019 from 4.28% in March 2018. Food inflation based on Consumer Food Price Index (CFPI) decreased to 0.30% in March 2019 from 2.81% in March 2018.

India's Wholesale Price Index (WPI):

Wholesale price-based inflation stood at 3.18% for the month of March, 2019 against 2.74% in March 2018. The Wholesale Price Index (WPI) based inflation was 2.93% in February, 2018. The spike in WPI inflation comes on the back of costlier food and fuel products. Vegetables inflation came at 28.13% in March 2019, increased from 6.82 % in the month of February. The inflation in fuel and power category rose to 5.41% in March 2019 from 2.23 % in February.

Capital Market:

India's current account deficit (CAD) stood at $16.9 billion (or 2.6% of GDP) in the third quarter of fiscal 2019 (Q3 FY19), lower than $19.1 billion (2.9% of GDP) in the previous quarter, but higher than $13.7 billion (2.1% of GDP) in the same quarter last year.CAD moderated as total trade deficit reduced $1.6 billion on-quarter to $28.1 billion in Q3 FY19. The rise in services trade surplus was the main contributor to this decline. Goods trade deficit also reduced, but to a lesser extent.

Money and Credit

Based on trend estimates, banknotes in circulation could potentially reach around ₹ 20.9 trillion by FY19 (or 11.1% of GDP); it was ₹ 20.4 trillion at end-January 2019.

Growth of Aggregate Deposits of Scheduled Commercial Banks (SCBs)

Banking credit continued to post double-digit growth, registering 14.1% increase on-year as of March 15, 2019. However, growth was still not broad-based as industrial credit growth continued to remain anaemic. As of February 2018, industrial credit (which accounts for ~33% of gross bank credit) grew at ~5.6% on-year, while the services sector (which accounts for ~27% of gross bank credit) and retail segment (which accounts for ~26% of gross credit) registered strong growth of ~23% and ~17%, on-year, respectively, driven by strong consumption demand and higher credit requirement by non-banks. Deposit growth, too, improved, up ~9.5% on-year as of March 15, 2019.

Foreign Trade

India's overall exports (Merchandise and Services combined) in April-March 2018-19 are estimated to be USD 535.45 Billion, exhibiting a positive growth of 7.97% over the same period last year. Overall imports in April-March 2018-19 are estimated to be USD 631.29 Billion, exhibiting a positive growth of 8.48% over the same period last year.

Cumulative value of exports for the period April-March 2018-19 was USD 331 Billion (₹ 2314429 Cr) as against USD304 Billion (₹ 1956515 Cr) during the period April-March 2017-18, registering a positive growth of 9.06% in Dollar terms (18.29% in Rupee terms).

Cumulative value of imports for the period April-March 2018-19 was USD 507 Billion (₹ 3548004 Cr) as against USD 466 Billion (₹ 3001033 Cr) during the period April-March 2017-18, registering a positive growth of 8.99% in Dollar terms (18.23% in Rupee terms).

Future Prospects

For the fiscal 2020, relatively low oil prices and the slowing pace of policy normalisation in the US will likely check the rupee's depreciation. Therefore, we expect the rupee to weaken modestly and average 72/$ on average by March 2020. Our forecast for March 2019 is average 71/$. However, given India is a current-account-deficit country, the rupee is vulnerable to volatility from oil prices, tariff wars, and monetary policy surprises from advanced countries

FINANCIAL PERFORMANCE

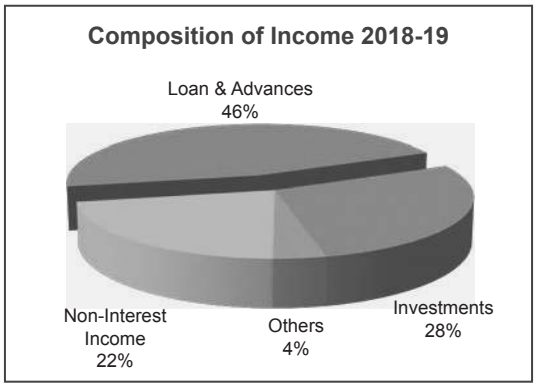
Bank's performance during the year was delimited by setting of priorities for gaining desired results in the fields of asset quality and recovery of bad assets. Due to capital constraint and in compliance with direction of the Govt. of India, as Bank's advance was restricted based on the Risk Weighted Assets of the Bank. The main performance indicators of growth, profitability, efficiency, productivity, and solvency are as under:

Bank has registered an Operating Profit of ₹ 1412 crore during the financial year 2018-19 compared to ₹1024 crore in the financial year 2017-18, registering a growth of ₹ 388 crore (37.89 %). Due to high NPA & higher provisioning of NCLT referred accounts, Bank's bottom line was squeezed and the Bank suffered a net loss of ₹ 2316 crore in FY 2018-19 compared to a Net Loss of ₹ 1454 crore in FY 2017-18. Gross Profit per employee increased from ₹ 6.91 lakh as on Mar'18 to ₹ 10.23 lakh as on Mar'19.

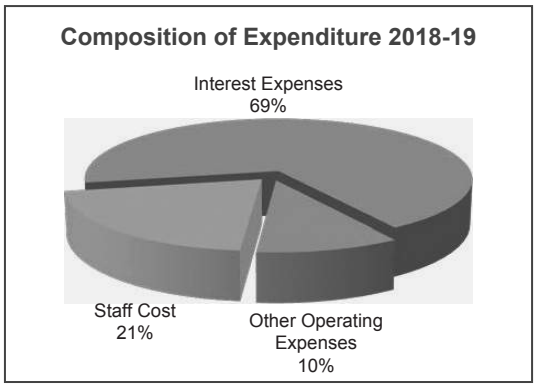
Key Financial Ratios (%)	March 2018	March 2019
Cost of Funds	5.38	5.07
Yield on Funds	9.29	9.10
Cost of Deposits	5.30	4.96
Yield on Advances	7.35	7.49
Yield on Investments	7.62	7.66
Spread as a % of AWF	1.07	1.36
Net Interest Margin (NIM)	1.66	2.10
Operating Expenses to AWF*	1.92	2.03
Return on Avg. Assets (RoAA)	(1.04)	(1.60)
Return on Equity	(33.06)	(49.29)
Business per Employee (₹ In Crore)	13.22	14.96
Profit per Employee (₹ In Lakh)	6.91	10.23
Profit per Branch (₹ In Lakh)	49.78	68.69
Book Value per share	14.64	6.73

*AWF – Average Working Fund

Income and Expenditure Analysis



Interest income of the Bank increased to ₹ 8560 crore in 2018-19 compared to ₹ 8342 crore earned during the year 2017-18. Interest income being a direct function of growth in advances and the rate of interest charged. Bank revised its MCLR four times during the year 2018-19. Non-interest income increased by ₹ 170 crore from ₹ 2215 crore in the financial year 2017-18 to ₹ 2385 crore in the financial year 2018-19. Yield on Advances increased to 7.49 % as at March 2019 compared to 7.35 % as at March 2018.



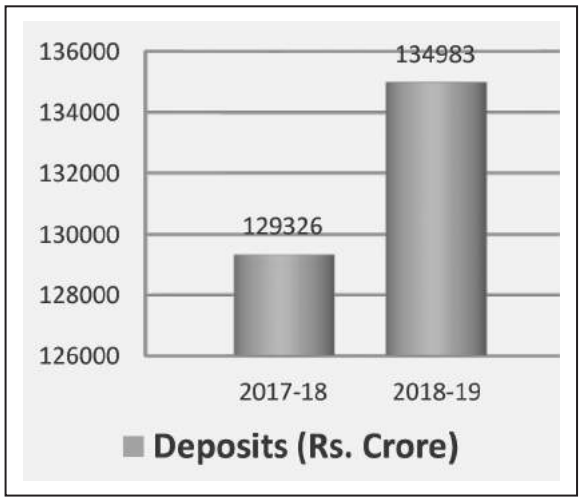
Interest Expenditure declined by ₹ 264 crore to ₹ 6585 crore in 2018-19 compared to ₹ 6849 crore in 2017-18. Lower interest expenditure was ensured by slashing of the rate of interest on retail term deposits in all the brackets. The Cost of Deposit came down from 5.30% in 2017-18 to 4.96% in 2018-19. Operating expenses increased from ₹ 2683 Crore in March 2018 to ₹ 2948 crore in March 2019.

BUSINESS GROWTH:

Deposits:

Deposits of the Bank reached to ₹ 134983 crore as on 31st March, 2019 registering a Y-o-Y growth of 4.37 %. Bank's Savings deposits grew by 10.48 % to reach a level of ₹ 58272 Crore as on March 31, 2019. Share of CASA deposits to total deposits stood at 51.45 % as on March 31, 2019. Bank's retail term deposit stood at ₹ 63681 crore with a declined by ₹ 242 Crore (0.38%) on Y-o-Y. Share of Bulk Deposits further declined to reach at 1.37 % as on March 2019 from 2.13 % as on March 2018.

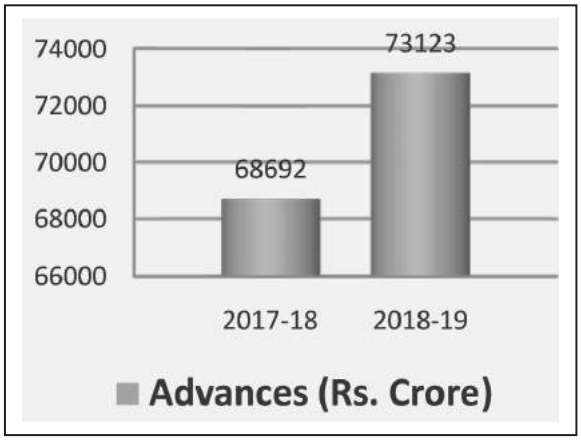
The customer base of the Bank has reached to 3.88 core as on 31March 2019.



Advances:

Gross Advances of the Bank Increased by ₹ 4431 crore (6.45 %) and reached at ₹ 73123 crore as on March 31, 2019. Credit deposit ratio stood at 54.17 % as on March 2019. Bank achieved the PRISEC Advance target of 40 % of ANBC. Intensive marketing of retail credit products brought considerable growth in Retail Advances supported by increase in Housing Loan.

Bank's non-food credit increased from ₹ 68111 crore to ₹ 71549 Crore, and food credit also increased from ₹ 581crore as on March 31, 2018 to 1574 Crore at the end of 31March, 2019.



Total Business:

The total business of the Bank reached to ₹ 208106 crore at the end of the current financial year 2018-19.

Productivity, as measured by business per employee, increased from ₹ 13.22 crore as on 31.03.2018 to ₹ 14.96 crore as on 31.03.2019.



RETAIL LENDING OPERATIONS:

Retail Credit has been one of the major thrust areas of the bank during FY 2018-19. Bank has laid emphasis on sanctioning Retail Loans with focus on Housing Loan & car loan which are major contributors to growth under Retail credit & comprised 82.99 % of total Retail Credit portfolio of the Bank.

Steps taken for growth of business in Retail Loan segment:

- A contest in the name and style "United Retail League- Maha Festive Dhamaka" was launched for the period from 01.10.2018 to 31.03.2019. 4698 number of Housing Loans proposals, amounting to ₹ 778.50 Crore, were sanctioned during the contest.
- Home loan Counselors were engaged for mobilizing housing loan for ticket size of ₹30 lakh & Above.
- Bank has executed MoU with Assam Govt for extending Housing Loan , under the scheme "APON GHAR" , to the employees of Assam Govt.
- Bank has launched a new variant of Housing Loans under "United Home Advantage" scheme.
- The Bank has launched United Combo Loan Scheme (Housing Loan + Car Loan) on 20.10.2018 for eligible Housing Loan Customers (both existing & new) for availing Car Loan with relaxation in Interest Rate, NIL Processing Fee and Reduced Margin for boosting Car Loan Portfolio of the bank.
- A special scheme under "Chief Minister's B.Ed. Anuprerna Yojana for Interest Subsidy on Education Loans availed by meritorious students domiciled in Tripura for Pursuing B. Ed course" has been launched wherein Interest Subsidy will be provided by Govt. of Tripura.
- The Retail Credit has witnessed a growth of ₹ 1443 Crore from ₹11255 Crore as on 31st March, 2018 to ₹12698 Crore as on 31st March, 2019 registering a y-o-y growth of 12.82%.
- The Housing Loan Segment increased by ₹ 1023 Crore from ₹ 8615 Crore as on 31.03.2018 to ₹ 9638 Crore as on 31.03.2019, registering a y-o-y growth of 11.87%.
- Loan under Auto Sector increased by ₹ 117 Crore from ₹ 783 Crore as on 31.03.2018 to ₹ 900 Crore as on 31.03.2019, registering a y-o-y growth of 14.94%.
- Loans under Other Retail Sector has increased by ₹ 350 crore, from ₹ 1440 crore as on 31.03.2018 to ₹ 1790 crore as on 31.03.2019, registering a y-o-y growth of 24.31%. The major contribution of growth has come from personal loan to salaried account holders of our bank.

BANCASSURANCE BUSINESS:

The Bank, for augmenting its non interest income, has been undertaking Bancassurance business since 2004 for both Life and Non Life insurance segment. The Bank has obtained fresh Certificate of Registration (Composite) from IRDAI with effect from 01-04-2019 which is valid upto 31-03-2022.

In this financial year under Corporate Agency Arrangement Bank has further tied with up with HDFC Life Insurance Co.Ltd. in addition to LIC of India as a new insurance partner under Life vertical and two partners Bajaj Allianz General Insurance Co.Ltd. and TATA AIG General Insurance Co.Ltd. under Non Life vertical and Star Health and Allied Insurance Co. Ltd. under Standalone Health vertical.

The Bank has earned the total Commission ₹15.26 Crore from insurance business of which ₹ 6.92 Crore from life insurance business and ₹8.34 Crore from non- life insurance business during the FY 2018-19.

TREASURY AND INTERNATIONAL OPERATIONS:

The investment portfolio of the Bank increased from ₹51200.67 Cr as on 31.03.2018 to ₹62263.02 Cr as on 31.03.2019 registering a increase of 21.61%. The SLR investment portfolio decreased from ₹33899.57 Cr as on 31.03.2018 to ₹30569.31 Cr as on 31.03.2019. Portfolio modified duration has decreased to 4.15 as at March 2019 compared to 4.66 a year ago. The modified duration of the Available for Sale (AFS) portfolio has also decreased to 1.38 as at March 2019 from 2.80 as at March 2018.

The Bank has earned a total Trading profit of ₹1273.28 Cr from domestic segment of Treasury during the financial year 2018-19 as compared to ₹1444.14 Cr. for the financial year 2017-18 registering a decline of 11.83%. The average return on investment during the year 2018-19 was 7.39 % and Yield on Investment during the year 2018-19 was 7.66%.

Foreign exchange Business turnover of the bank aggregated to ₹14147.27 crore comprising of ₹3303.75 Cr under Exports, ₹1805.98 Cr under Imports and ₹ 9037.54 Cr under remittances during the year ended 31.03.2019.

Outstanding export credit of the bank stood at ₹895.15 crore as at 31.03.2019.Bank earned exchange profit of ₹146.47 Cr during the year 2018-19 against ₹136.14 Cr during 2017-18.

The bank's overseas presence covered two countries namely Myanmar and Bangladesh with one Representative Office each at Dhaka, Bangladesh and Yangon, Myanmar respectively. Indo-Bangladesh and India-Myanmar trade based payments, LC business etc are routed through our Bank. Twenty nine (29) banks of Bangladesh maintain forty three (43) Vostro account in USD and EUR and twenty one (21) banks of Myanmar maintain thirty one (31) Vostro accounts in EUR, USD and INR with our Bank. Global IME bank Ltd., Nepal has been maintaining Vostro accounts in INR & USD with our Bank.

The bank's International operations are well supported by a wide network of more than 620 correspondent relationships and 16 Nostro accounts opened with overseas banks in 7 currencies being maintained abroad.

OTHER SERVICES:

Bank has also redeemed AT1 Bonds (Series I to IV) amounting to ₹940.00Cr, by exercising Call Option on 11.04.2018 and redeemed Tier-2 Bond (Series VI) amounting to ₹250.00 Cr on 25.03.2019.

Bank holds certificate of Registration issued by SEBI on Banker to an Issue, Debenture Trustee and Merchant Banker under which it continues to discharge defined duties and responsibilities as per regulatory norms.

GOVERNMENT BUSINESS:

Government Transaction Department undertakes different types of Government Business Activities as following:-

- Collection of Central government revenues viz. Direct and Indirect Taxes (CBDT), Goods and Services Tax (GST), Collection of CBEC (Custom, Central Excise etc.) through all the branches.
- Collection of State Revenues and Taxes of different states.
- Mobilisation of Govt. deposits under small savings like Public Provident Fund (PPF), Senior Citizens' Saving Scheme (SCSS), Sukanya Samridhi Accounts (SSA), different tranches of Sovereign Gold Bonds, Savings Bond etc.
- Handling of Govt.Fund (Departmentalized Ministerial Accounts, State Govt. Treasury Operation in different states.)
- Disbursement of different types of pensions to Central Govt. State govt. pensioners and pensioners of different autonomous organizations like EPFO, Kolkata Port Trust, Damodar Valley Corporation, WBSEDCL etc.
- Undertakes National Pension System (NPS) as an Aggregator of Pension Fund Regulatory and Development Authority (PFRDA).
- Implementation of other govt. sponsored schemes as and when announced by the government.
- Dissemination of information to the Pensioners through 'Pensioners charter' being displayed in the banks 'website and on-line pensioners' Grievance portal and display & downloading of Pensioners' Pay Slip have been customized in the bank's website. Digitization of Life Certificate for pensioners through Jeevan Praman have been in popular use.
- The total turnover in respect of Government Business handled by the bank and the agency commission earned on such business during this financial year **(2018-19)** amounts to -

(₹ in crore)

Business Type	Turnover	Commission Earned
Tax	6615.17	3.35
Pension	5678.58	22.76
Treasury, DMA, Others	8398.38	5.14
PPF, SCSS, SSA, BOND & SDS	1864.96	1.13
Total	22557.09	32.38

ASSET QUALITY AND RISK MANAGEMENT:

ASSET QUALITY:

Bank has taken multiple corrective measures to arrest fresh slippage and boost up recovery. Use of Information Technology in NPA Management & Monitoring adopted for automatic identification & categorization of stress assets to take prompt and proactive steps for arresting Fresh slippages as well as quick upgradation of slipped accounts.

Monitoring and recovery Departments were strengthened by pooling dedicated manpower officers from different Departments /Sections/Branches for streamlining effective monitoring and recovery mechanism of stressed assets in SMA /NPA categories at field level.

The daily status was placed before Top Executives/Controlling General Managers for effective and close follow up stressed assets.

Major Initiatives undertaken to Boost Recovery in 2018-19

- Formed three tire separate vertical "STRESSED ASSET MANAGEMENT VERTICAL (SAMV)" and Opened 9 STRESSED ASSET MANAGEMENT BRANCH (SAMB)
- Launched Special OTS Scheme 2018-19 (for small ticket loan upto ₹ 25 lac) and United Special OTS Scheme 2018-19 (Ticket size above Rest ₹ 25 lac to ₹ 10 cr) launched to boost up recovery through OTS.
- Implemented Online Processing of OTS Proposals on automated online platform.
- Introduction of Rewarding Schemes for motivating our field employees in Recovery.
- Organized Mega e-auctions of charged securities on PAN India Basis.
- Conducted sale of assets to ARC etc in 5 tranches during the year.
- Undertaken Special drive for improvement of Recovery from NPA in doubtful-3 and Shadow accounts .

Each General Manager had monitored NPA management of 2/3 Regions under his / her control.

Regular interaction of Top Management from HO with Field staff and borrowers through Video Conferencing for prop up scouting OTS proposal and spot approval

As a result of these systematic efforts, the fresh slippages in FY 2018-19 had come down to ₹ 2870.52 cr against that of ₹ 8606.26 Cr in previous year and the Gross NPA had declined to ₹ 12053.38 cr. (16.48%) as on 31.03.2019 from ₹16552.11cr (24.10 %) as on 31.03.2018.

The cash recovery from NPAs during the year jumped to ₹ 1264.80 cr against ₹ 501.35 cr in previous year. In FY 2018-19, three big corporate NPA loans with total outstanding balance of ₹ 1223.07 cr had been resolved through NCLT and 7 (seven) corporate loans (total outstanding balance ₹ 696.97 cr) were sold to ARCs.

The Net NPA ratio of the Bank had declined to 8.67 % as on 31.03.2019 against 16.49% as on 31.03.2018. In absolute terms, the Net NPA stood at ₹ 5785.61 cr as on 31.03.2019 which was ₹10316.30 cr as on 31.03.2018. The provision coverage ratio of the Bank was 72.94 % as on 31.03.2019.

During the year 2018-19, the cash recovery in technically written off accounts shoot up to ₹ 342.27 crore against ₹ 99.53 crore in previous year.

In the current financial year 2018-19 a number of cases has been referred to NCLT under IBC-2016 where our exposure is ₹ 4171.09 crore under consortium / multiple banking arrangement and ₹ 657.24 crore in sole banking arrangement. It is expected that our bank will receive a good chunk from the resolution of the cases in the FY 2019-20.

CAPITAL & RESERVES:

Networth of the Bank was assessed at ₹ 4999 crore as on March 31, 2019. Total paid-up capital of the Bank was ₹ 7428 crore. The Government shareholding in the Bank stood at 96.83 % at March 2019.

(₹ in crore)

Particulars	March 2018	March 2019
	Basel-III Norms	Basel-III Norms
Risk Weighted Assets	63543	59432
CET 1 capital	5331	6028
Tier 1 capital	6271	6028
Tier 2 capital	1748	1700
Total Capital	8019	7728
CET1 ratio (%)	8.39	10.14
Tier 1 ratio (%)	9.87	10.14
CRAR (%)	12.62	13.00

Capital Adequacy Ratio under Basel-III norms assessed at 13.00% with Tier-1 Ratio at 10.14% and Tier2 ratio at 2.86% as at March 2019. The Bank has adequate headroom available under both Tier-1 and Tier-2 options to raise capital to support business growth momentum.

Risk Management Structure:

The overall responsibility of setting the Bank's risk appetite and effective risk management rests with the Board of Directors, apex level management of the Bank. Bank has constituted a Board Level Committee named as Risk Management Committee of Board of Directors (RMCBOD) to monitor the implementation of the Risk Management systems of the Bank. There are other internal committees of Top Executives like Credit Risk Management Committee (CRMC), Operational Risk Management Committee (ORMC) and Asset Liability Management Committee (ALCO) to supervise various risk management functions and activities of the Bank.

Bank's Asset Liability Management Committee (ALCO) is a decision making unit responsible for the strategic management of interest rate and liquidity risks. ALCO met 18 times during the year to review various issues namely interest rates scenario, product pricing for both deposits and advances, desired maturity profile of the incremental assets and liabilities, demand for Bank funds, fixation of Bank's MCLR, cash flows of the Bank, profit planning and overall balance sheet management.

The Operational Risk Management Committee (ORMC) has the responsibility of monitoring the operational risk of the Bank and the responsibility of evaluating and taking necessary steps for mitigation of operational risk by designing and maintaining an explicit operational risk management process. It also ensures that the norms, policies and guidelines laid down in Operational Risk Management Policy are strictly adhered to. ORMC met 11 times during the year to discuss various issues from operational risk point of view.

The Credit Risk Management Committee (CRMC) monitors various credit risk aspects relating to credit policy, procedures and to analyse, manage and control credit risk on a bank wide basis The Committee met 12 times during the year to discuss various issues from credit risk point of view.

Risk Management Policies:

To address various risks like credit risk, market risk, operational risk, liquidity risk, forex risk and other Pillar-2 risks, the Bank has formulated various risk management policies to identify, manage and mitigate such risks that the Bank is exposed to. The major policies formulated and approved by the Board of Directors of the Bank to address such risks are Lending Policy, Policy on ICAAP, Operational Risk Management Policy, Business Line Mapping Policy, Asset Liability Management Policy, Market Risk Management Policy, Integrated Treasury Policy, Disclosure Policy, Floating Provision Policy, Credit Audit Policy, Stress Testing Policy, and Policy on Credit Risk Mitigation Technique & Collateral Management etc.

Credit Risk:

To address the Credit risk, Bank has formulated a Lending Policy which lays down policy guidelines for Credit Management covering all areas of operation where credit Risk is involved. The policy enables the Bank to enhance the risk management capabilities by undertaking lending decisions guided by the policy framework for a steady and healthy growth in its loan portfolio.

The Bank has set various prudential limits to individual borrowers, group borrowers, entry level exposure norms, substantial exposure limits, benchmark financial ratios, borrower standards, exposure limits/ceilings to industries, sensitive sectors, rating category etc. in alignment with RBI directives. The Board has reviewed such limits during the year.

During the year, analysis of various exposure norms has been undertaken on half yearly basis to ensure Bank's various exposures are within the exposure limits/ceilings fixed by RBI/ Bank's Board.

Bank has made its loan appraisal function independent of Risk Rating function. Internal risk rating of loan accounts is carried through a software based rating model to assess the credit proposal and rating of a borrower.

During the year, Bank conducted the credit portfolio analysis on quarterly interval, to study the impact of a particular industry / sector on the credit portfolio of the Bank and adopt strategies to improve the quality of credit portfolio and reduce the potential adverse impact of concentration risk.

During the year, Bank has also undertaken the rating migration analysis of its borrowers on half yearly interval to analyze the stability rate, up gradation rate, down gradation rate and default rate for a one year, two years, three years and four years time horizons and appropriate corrective actions are initiated to protect the portfolio quality.

Market Risk:

For management of Market Risk, the Bank has given emphasis on measuring, monitoring and managing liquidity, interest rates, foreign exchange and equity risk of the Bank. The Market Risk in trading book is monitored and managed as per appropriate control mechanism in place. Market position, funding patterns, duration, counterparty limits and various sensitive parameters are also monitored by the Bank on regular basis. The advanced Risk Management tools such as Value at Risk (VaR), Earnings at Risk (EaR), Net Overnight Open Position Limits (NOOPL) and modified duration limits are used in managing Market Risk.

The Bank measures and monitors liquidity risk for all items of balance sheet through structural liquidity statements and stock ratios on regular basis. The Bank also monitors its Interest rate risk through interest rate sensitivity gap reports.

The Bank has formulated and reviewed its Integrated Treasury Policy to set operating guidelines for its treasury functions. The Bank has also put in place an Asset Liability Management Policy and Market Risk Management Policy to address the liquidity risk, interest rate risk and market risk etc. These policies comprise management practices, procedures, prudential risk limits, review mechanisms and reporting systems etc. These policies are reviewed periodically in line with changes in financial and market conditions.

Bank has an "Integrated Treasury Management System (ITMS)" software to monitor its investment and treasury portfolio on an ongoing basis along with automated computation of capital charge for Market Risk as well as strengthening the internal control system of investment portfolio of the Bank.

Operational Risk:

The Bank has framed an Operational Risk Management Policy for managing the Operational Risk in an effective manner. The Bank has also formulated Business Line Mapping Policy for mapping various products, activities, and income into different business lines.

Bank's Operational Risk Management Committee (ORMC) has the responsibility of monitoring the operational risk of the Bank. ORMC also reviews the operational risk loss event data, new products, process and systems adopted by the Bank and provides suggestions for taking corrective/ preventive measures to strengthen the internal systems and procedures.

Basel-III Compliance:

In line with guidelines of the Reserve Bank of India, the Bank has successfully migrated to Basel-II framework w.e.f 31st March 2009 by adopting Standardized Approach (SA) for Credit Risk, Basic Indicator Approach (BIA) for Operational Risk and Standardized Duration Approach (SDA) for Market Risk for computing the capital adequacy ratio.

The Bank has also followed Basel-III capital regulation norms w.e.f 1st April 2013 in line with RBI guidelines. The Bank has been computing the Capital to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) under Basel-III norms at quarterly interval.

To comply with Pillar 2 guidelines of RBI, the Bank has formulated a Policy on Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) for the assessment of all material risks the Bank is exposed to and the risk management processes which are put in place to manage and mitigate those risks and also to evaluate its capital adequacy commensurate with such risks.

In line with the ICAAP policy, the Bank prepares the ICAAP Document on yearly basis and submits to RBI after internal validation and approval by the Board of Directors of the Bank. The ICAAP document of the Bank for 2018-19 has been submitted to RBI.

The Bank has reviewed its capital requirement under Basel-III norms and taken necessary steps for strengthening its capital base. The Bank also reviewed its concentration risk under ICAAP on quarterly basis for monitoring both risks and capital requirement of the Bank.

In line with RBI guidelines and as per the Stress Testing Policy of the Bank, the Bank conducted Stress Testing analysis on quarterly interval on various risks like Liquidity Risk, Interest Rate Risk, Forex Risk, Credit Risk, Market Risk and Operational risk and assessed the impact on capital adequacy & profitability.

For skill development in Risk Management area, the Bank also nominates its officers on regular basis for various trainings/seminars on Risk Management conducted by reputed institutions like CAFRAL, NIBM, IBA, IDRBT, CAB etc.

PRIORITY SECTOR ADVANCES:

Bank's lending to the Priority Sector has reached a level of ₹35406 crore as at 31stMarch 2019 which is 50.20 % of ANBC against the stipulated target of 40%. Bank has given special thrust on financing Small & Marginal Farmers, Micro Enterprise segment under MSME apart from exploring other potential avenues of increasing PRISEC advances like SHG credit linkage, KCC, financing to Small Tea Growers, financing Food & Agro Processing Units, financing large size Dairy & Poultry units, vegetable and flower production under controlled condition (Poly House), Plantation etc.

Agriculture Lending:

Bank has disbursed ₹ 4040 crore during the FY 2018-19 against a target of ₹ 6417 crore recording an achievement of target to the tune of 63%. Lending to Agriculture Sector stands at ₹13258 crore as on 31st March 2019, which is 18.80 % of ANBC against the stipulated target of 18 % of ANBC. Lending to Small & Marginal Farmers stands at ₹ 7108 crore, which is 10.08 % of ANBC against the stipulated target of 8% of ANBC for the year 2018-19.

Lending to Weaker Section:

Lending to weaker section reached to ₹10443 crore as on 31 March 2019 which is 14.81% of ANBC against the stipulated target of 10%.

Lending to Minority Community:

Bank's lending to Minority Communities reached to ₹ 5331 crore as at end of March 2019 which is 15.05 % of PSL conforming to the stipulation.

Kisan Credit Card:

Bank has organized several special camps and one contest in the name of "Kishan Sanjog Aviyan" from 01.12.2018 to 30.03.2019 for issuance of Kisan Credit Cards to bring more number of new farmers under KCC net as per revised scheme. Bank has disbursed 19995 fresh KCCs during 2018-19 with credit limits of ₹150 crore. Total number of outstanding KCCs as on 31st March 2019 stands at 595828 with aggregate outstanding balance of ₹ 3042 crore. In line with the Government guidelines on issuance of Rupay based ATM enabled cards to all the KCC holders, Bank has issued 5.68 lakh ATM cards to the KCC holders (excluding the NPA KCCs) till 31.03.2019 achieving the target of full conversion of entire operative KCCs to RUPAY KCC within the time frame set by the Government.

Self Help Group:

Bank has credit linkages with 121427 SHGs with an outstanding balance of ₹1095 crore as on 31st March 2019. Bank has been implementing NRLM programme for SHGs by providing initial credit limit of ₹1.50 lakh on 1st grading of SHGs as per the decision of SLBC, West Bengal. Bank has started participating in Community Based Recovery Mechanism (CBRM) with the assistance from State Rural Livelihood Mission (SRLM) which has placed Bank Sakhi/ Bank Mitra at the branches. **Bank has been appreciated by MoRD, GOI for outstanding performance by way of exceeding the targets set under the scheme for the FY 2018-19.**

Corporate Social Responsibility:

As part of corporate social responsibility, Bank has undertaken activities under the programme through **United Bank Socio-Economic Development Foundation (UBSEDF)** as mentioned here under.

United Bank Rural Self-Employment Training Institute (UBRSETI):

Bank has so far set up 16 RSETIs in the states of West Bengal (6), Assam (8) and Tripura (2) to impart training to the potential entrepreneurs from the financially weak sections of the society. RSETIs have been actively engaged themselves in number of special training programmes such as VCI under SHG mode, Agriculture and Allied Activities, other employment generation programmes and Govt. programmes like PMEGP, Skill Development etc.

During the FY 2018-19, these institutes have imparted training to 9853 rural youths/women, mostly from weaker sections, against the target of 9450 candidates, of which 42% trainees have been settled by establishing own economic venture. These institutes are providing post training hand holding support to the trainees including arrangement of loan from our bank branches to enable them to set up their own ventures.

FLCC:

Bank has also set up 38 Financial Literacy Centre (FLCs) in the states of West Bengal, Assam, Tripura and Manipur to extend financial literacy and credit counseling services to the poorer section of the society. In the Financial Year 2018-19, these FLCs have conducted regular outreach programmes which include Outdoor Activities for imparting financial literacy.

United Bank Socio-Economic Development Foundation (UBSEDF):

United Bank Socio Economic Development Foundation (UBSEDF) was established on 30th March 2007 with the objective of promoting and carrying out social and economic developmental activities and rendering assistance to weaker and under privileged section of the society in terms of decision taken by the Board of Directors of the Bank. Bank has extended financial assistance in 93 various welfare activities involving a total sum of ₹ 327.43 Lakh towards its CSR activities till 31.03.2019. During the financial year 2018-19, focus was on extending assistance to the proposals under Health care (specially for senior citizens and girl students), Library room construction, distribution of e-slates, blankets and vehicle for social activities and other social activities concerning general public. In the current year, Bank has disbursed ₹ 30.28 Lakh for 5 projects for implementation by the respective organizations towards cause of the society.

Policy Matters:

The Dept. initiates and implements all policies relating to Priority sector, rural and agricultural credit portfolio and issues circulars thereof. It also administers the funds invested/ extended in RIDF and IBPC route and implements interest and incentive subvention schemes for different categories of borrowers under production credit. Besides, the dept. has the responsibilities of implementation of PMFBY and other security schemes concerning the agriculturists linked to the Bank through credit.

MSME:

During FY 2018-19 MSME advances of the Bank increased to ₹ 12522 Crore as on 31-03-2019 from Rs. ₹ 11852 Crore as on 31-03-2018. Considering the overall credit scenario prevailing in 2018-19, Y-o-Y growth in MSME portfolio of the Bank of 5.65% may be termed as reasonable.

MSME being one of the thrust areas of lending of the Bank, following initiatives have been undertaken to give a boost to MSME portfolio of the Bank:-

- Bank registered itself with TReDS (Trade Receivables electronic Discount System) platform and started the Business Operation by factoring of Invoices.
- Several MSME customer meets have been held in different parts of the country in presence of top executives to promote MSME business of the Bank during MSME outreach programme.
- Branch Managers have been provided training on lending to MSME to maintain the quality of MSME portfolio.
- Bank has also encouraged collateral free loans to MSE sector up to ₹ 10.00 lac under MUDRA category and above ₹10.00 lac up to ₹ 200 lac under CGTMSE guarantee coverage.
- The Bank has implemented “Stand up India” Scheme by providing credit to target group SC/ST and women entrepreneurs in true spirit.
- The Bank started 10 MSME verticals to cater to the need of the MSMEs and boost the credit flow to this sector to speed up sanction of loans to MSME. 15 new MSME verticals started functioning w.e.f. 07.05.2019 at other business centers. With this the total number of MSME verticals stand at 25.
- Bank has started Co-origination of loans with SREI equipment finance Limited for lending to priority sector as per RBI guidelines.

LEAD BANK DIVISION AND STATE LEVEL BANKERS' COMMITTEE:

The Lead Bank Scheme was introduced by Reserve Bank of India in December 1969. The Lead Bank Scheme envisages assignment of lead bank responsibilities to individual banks (both in public sector and private sector) for the districts allotted to the respective banks. The lead banks will strive to promote inclusive credit growth in consonance with national goals through concerted effort of member banks .

The Bank is the Convener of State Level Bankers Committee (SLBC) in the State of West Bengal and Tripura. It has assumed Lead Bank responsibility in 43 districts spread over 4 states comprising of 11 Districts in West Bengal, 16 Districts in Assam, 8 Districts in Manipur and 8 Districts in Tripura.

As Lead Bank in the States of West Bengal & Tripura, the bank has been actively involved in formulation and finalization of Annual Credit Plans (ACP) for both the States and has been taking up suitable action plans for implementation of different socio economic activities, Government Schemes etc. apart from maintaining close liaison with Govt of India, Reserve Bank of India, NABARD and State Government Authorities. SLBC was also actively involved with the major GOI initiatives, namely, Gram Swaraj Abhiyan and MSME Support & Outreach programme in both the States during the year. The Lead District Managers are similarly involved in preparation of District Credit Plans and implementation of the same at Block level.

SLBC meetings for performance review of the branches are regularly held on quarterly basis. The 144th SLBC meeting for West Bengal was held on 12-03-2019 while the 128th SLBC meeting for Tripura was held on 15-03-2019. The SLBC meeting for the West Bengal was held under the Co-Chairmanship of MD & CEO of Bank along with Addn Chief Secretary ,Finance while MD & CEO along with Chief Secretary Co-Chaired the meeting for Tripura. The Hon'ble Finance Minister of GoWB and Hon'ble Chief Manager of Tripura also attended respective SLBC meetings twice during the financial year.

As SLBC Convener for the States of West Bengal and Tripura, United Bank of India is responsible for monitoring successful implementation of Annual credit Plan, different Government Sponsored Schemes viz DAY-NRLM, DAY-NULM, Pradhan Manti Mudra Yojona, Stand Up India, Social Security Schemes such as Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojona, Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojona and Atal Pension Yojona. Performance of the Bank in SHG Bank linkage was noted at different fora. Besides, the Bank was instrumental in setting up of Aadhar Enrolment Centers at different Bank Branches in both the States and also helped in spreading digital banking through various Financial Literacy Programmes.

SLBC desk has been instrumental in opening of Banking Outlets in Unbanked Rural Centers (URC) in line with the guidelines of RBI as well as DFS. In 2018-19, Banks have opened Banking Outlets in 47 out of 72 URCs in West Bengal as identified through a process of survey by the Lead District Managers. Similar efforts have also been undertaken for the State of Tripura by SLBC.

The latest landmark decision taken by the SLBC, West Bengal was formulating a modality and allowing procurement of potatoes by the State Govt. at a pre-determined price from the farmers who were forced to sell the potatoes at distressed price due to bumper production in the season 2018-19. The potatoes so procured were stored into the Cold Stores by earmarking 15% of the space of all cold stores of the State for this purpose. The action so taken led to automatic adjustment of the price of the potatoes to the cheer of the producer farmers.

FINANCIAL INCLUSION:

With the evolution of digital payment and mobile technology there are means now to deliver advanced products to the hitherto unbanked population. Fintech is changing the face of financial inclusion at an unprecedented pace. This in conjunction with large network of 4252 Bank Mitras established across 13381 un-banked villages equipped with the latest and best of technology has enabled the Bank to deliver various banking services to the excluded population right at their door step.

The highlights of achievements for implementation of Financial Inclusion and Pradhan Mantri Jan DhanYojana (PMJDY) during the F.Y. ended 2018-19 are enumerated hereunder:

- The Bank Mitra mobilized SB deposits grew from ₹ 1365.66 Crore to ₹ 1856.41 Crore during the FY 2018-19, thereby registering a growth of over ₹ 490.75 Crore during the period (35.94% growth Y-o-Y). The number of SBFIS accounts grew from 103.37 Lakh to 113.1 Lakh in the same period thereby registering a growth of 9.45% Y-o-Y.
- FI Recurring Deposit (RDFIS) scheme registered a growth of 233.95% in terms of numbers (106485 accounts as on 31.03.2019) and 154.78% in terms of amount (₹ 1416.39 Lakh as on 31.03.2019).
- The total sanctions under United JLG Micro Finance increased to ₹ 434.84 Crore as on 31.03.2019 (a growth of 53.61% Y-o-Y) with negligible NPAs.
- Bank focused on the newly launched "United Samriddhi" scheme under which small loans were given to 8002 individuals and the portfolio increased from ₹ 45.69 Crore as on 31.03.2018 to ₹ 86.33 Crore as on 31.03.2019. Bank has also launched new variants of "United Samriddhi" scheme in new geographical areas with focus on specific MSME clusters.
- Bank made steady progress under the flagship PMJDY scheme wherein the number of accounts increased to 1.30 Crore as on 31.03.2019
- Net registrations under Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY) increased to 4.48. Lakh as on 31.03.2019 where as registrations under Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY) rose to 26.29 Lakh as on 31.03.2019.

 Out of the 2273 claims lodged by the Bank with LIC under PMJJBY, 2063 were settled as on 31.03.2019 and in case of PMSBY, 116 out of 314 claims were settled by NIC.
- Under Atal Pension Yojna (APY), the net registrations stood at 212304 as on 31.03.2019.

- Aadhaar has been seeded in 136.14 Lakh operative CASA accounts as on 31.03.2019 (up from 132.95 Lakh as on 31.03.2018). Further, the number of Aadhaar authenticated through UIDAI's CIDR stood at 117.84 Lakh as on 31.03.2019, which is one of the highest in the industry.
- Bank also launched BHIM Aadhaar Pay merchant POS during the financial year and had installed 2056 terminals as on 31.03.2019.
- Bank entered into the field of Aadhaar Enrolment and Update as Registrar to UIDAI and implemented Aadhaar Enrollment Centers at 297 branches of Bank and RRBs as on 31.03.2019. Bank has trained and completed certification of over 515 individuals for acting as Aadhaar Enrolment Operators and Supervisors.

ORGANIZATION & SUPPORT SERVICES:

Branch Network:

During the year 2018-19, the Bank has opened a Retail Hub at Vesu (Surat) on 23.10.2018 and five SAMB (Stressed Asset Management Branch) were opened and Penlong Branch was opened on 25.06.2018.

Branches & Offices Opened during the period 01.04.2018 to 31.03.2019

Sl. No	Name of Branch / Office	Region	State	Date of Opening	Type of Branch/Office
1	Penlong	North Bengal	West Bengal	25.06.2018	General Branch
2	SAMB Guwahati	Guwahati	Assam	25.07.2018	SAMB
3	SAMB Siliguri	North bengal	West Bengal	27.07.2018	SAMB
4	SAMB Ranchi	Jharkhand	Jharkhand	27.07.2018	SAMB
5	SAMB Cuttak	Bhubaneswar	Odisha	30.07.2018	SAMB
6	SAMB Chennai	Southern	Tamilnadu	19.09.2018	SAMB
7	Retail Hub VESU (Surat)	Ahmedabad	Gujrat	23.10.2018	Retail Hub

Bank has sought RBI's prior permission for opening 250 General Branches and 39 branches in Unbanked Villages during 2018-19. However, RBI has yet to accord permission for opening new branches on account of PCA.

Out of total 2055 branches as on 31.03.2019, 902 (43.89 %) are located in 85 Minority Concentration Districts (MCDs) throughout the country.

In order to streamline business activity and to curtail cost, the Bank had undertaken the process of rationalization / consolidation of branch network during the year 2018-19 and the bank has merged 9 branches during the year.

Branches & Offices Merged/ Closed during the period 01.04.2018 to 31.03.2019

Sl. No	Branch Merged	Sol ID	Merged with	Region	Sol ID	Date of Merger
01	Sashibhusan Dey Street	0479	Koley Market	KolkataSouth	0075	14.04.2018
02	Lohapatty	0110	Posta	Kolkata South	0556	15.04.2018
03	Survey Park	1562	Santoshpur	Behala	0146	22.04.2018
04	Syed Amir Ali Avenue	0674	Park Circus	Kolkata South	0066	28.04.2018
05	J. N Road	0668	New Market	Kolkata South	0107	29.04.2018
06	Muktaram Babu Street (Kol North)	0672	Jorasanko	KolkataSouth	0080	06.05.2018
07	Shyampukur	0871	Bagbazar	Kolkata North	0090	12.05.2018.
08	Sukanta More	2105	Netaji Market	Malda	0678	13.05.2018
09	Hiland Park (Behala R.O)	2211	Peerless Hospital	Kolkata South	1513	29.05.2018

As on 31.03.2019 the total number of branches/ offices of the Bank stands at 2055.Besides the Bank has 36 Regional Offices, 3 Staff Training Centres, 5 Extension Counters, 3 Link offices and 2 Overseas Representative Offices at Dhaka in Bangladesh and Yangon in Myanmar.

Population group-wise Composition of total Branch/office Network:

Location	Number of Branches (% of total)	
	31.03.2018	31.03.2019
Metropolitan	375 (18.23%)	372 (18.10%)
Urban	481 (23.38 %)	481 (23.41%)
Semi-Urban	424 (20.62%)	424 (20.63%)
Rural	777 (37.77%)	778 (37.86%)
Total	**2057**	**2055**

Geographical location-wise Branch Network:

Location	Number of Branches (% of total)	
	31.03.2018	31.03.2019
Eastern Region	1182 (57.46%)	1176 (57.23%)
North Eastern Region	364 (17.70%)	365 (17.76%)
Western Region	88 (4.28%)	90 (4.38%)
Northern Region	126 (6.13%)	126 (6.13%)
Southern Region	139 (6.76%)	140 (6.82%)
Central Region	158 (7.67%)	158 (7.69%)
Total	**2057**	**2055**

The Bank has 246 specialized branches, catering to the specific clientele segment.

Categories of Specialised Branches	31.03.2019
1. MSME	180
2. Asset Recovery Management	9
3. Retail Hub	26
4. Corporate Finance Branch	4
5. Service Branch	19
6. Women Branch	4
7. Treasury Branch	1
8. Central Pension Processing Centre	1
9. Cash Management Service Hub	1
10. Inward cheques Processing centre	1
Total	**246**

Information Technology:

All the branches of the Bank are covered under Core Banking System and various other surround applications such as Human Resources Management System, Government Business Module, Asset Liability Management, Anti Money Laundering and Lending Automation Processing System etc have also been implemented to facilitate better customer service and effective management. The facility of interbank remittance through RTGS and NEFT is available at all the branches of the Bank. This facility is also available through our internet banking and mobile banking platform. The Bank also offers cross border remittance through SWIFT network at 1 'A' Category AD Branch and 41 'B' Category AD Branches. The Core Banking System has also been integrated with SFMS platform to offer inland Letter of Credit (LC) and inland Bank Guarantee operation using Straight Thorough Processing (STP). To prevent incidences of fraud, Biometric Authentication System has been implemented across all its branches for accessing Core Banking System.

The Bank has revamped its corporate network architecture to next generation MPLS technology and also upgraded network bandwidth, for high availability & better performance. Bank has deployed VSATs with dedicated bandwidth and High Speed Data Connectivity using 3G as back up connectivity at Branches to provide network connectivity in the event of cable cut. Bank is also in the process of implementing secondary MPLS connectivity in order to provide seamless customer services in the event of outage of primary link and vice versa.

The Bank conducts Information Security (IS) audit for its Core Banking application, surround applications and other infrastructure at the Data

Centre. The IS audit also includes VAPT (Vulnerability Assessment & Penetration Testing) for public facing applications at certain intervals. Periodic DR (Disaster Recovery) drill is also conducted as part of Business Continuity Plan (BCP).

As part of our other technology initiatives, the following systems have been put in place.

Centralized Payment Hub solution has been implemented to process all transactions initiated through NACH and APBS platform with host to host connectivity of NPCI. Mandate Management Services are also enabled in this platform. In future, all corporate Collection and Payment services and IMPS gateway will be integrated to this centralized hub.

The Bank has boarded Public Fund Management Services (PFMS) platform and disbursing DBT payments for various sponsored schemes of Central and State Governments. Additionally, Departmental Ministerial Accounts for two ministries are also being handled in this platform.

As a part of Green initiative, Bank has implemented Board Information System (BIS) for conducting Board level meetings in paperless mode. All agenda and minutes of various Board level committees are uploaded in this portal.

The MIS solution has been revamped with a new solution and architecture for easy and quick availability of requisite information. Regulatory reports are also being automated through this system.

The Bank has an intranet portal which is used extensively for information sharing, knowledge management and online examinations.

Self Service Kiosks to offer services like Passbook printing, Cash deposit and Cheque deposit have been installed at selected branches. Bank has also introduced electronic Passbook (United e-Passbook) facility for the customers as a mobile application to view account transactions.

Bank has deployed some of the next generation tools to prevent various kinds of cyber attacks and engaged professional agencies to provide Anti-Phishing, Anti-Pharming, Anti-Trojan and Anti-Malware Managed Services.

Bank has implemented state of the art Security Operations Centre (SOC) which provides centralized view of Information Security status and command centre for IS Security operations.

Bank is continuously upgrading its technology and information security products with the aim to provide better, seamless and safe banking experience to its esteemed customers.

Information security:

Bank is continuously upgrading its technology and information security products with the aim to provide better, seamless and safe banking experience to its esteemed customers.

Bank has implemented state of the art Security Operations Centre (SOC) which provides centralized view of Information Security status and command centre for IS Security operations.

In this financial year, Bank have deployed/refreshed various technologies to enhance Cyber Security posture of the Bank. Along with internal control system, United Perimeter Shield has been deployed to further strengthen to defence to prevent various Internet based attacks.

Based on above work, Bank had participated in an award program conducted by The International Council of Electronic Commerce Consultants (EC-Council) India. Bank's project was shortlisted and awarded on Excellence in IT Infrastructure (Network Security Project). Award was received by the Bank during a ceremony on March 26, 2019, in Mumbai.

United Bank of India always pledges to cater secured banking services to its customers.

Centralized Payment HUB:

The Bank has set up a Centralised Payment Hub (CPH) at Head Office to handle the enormous volume of e-transactions in a secured and reliable manner. The Centralised Payment HUB has started its operation w.e.f. 3.11.2014.

NACH SERVICES:

The department is catering the following services:-

a) NACH Debit
b) NACH Credit
c) APBS (Aadhar Payment Bridge System)
d) Mandate Management System of NPCI as Destination Bank
e) Mandate Management System of NPCI as Sponsor Bank
f) DBTL (Direct Benefit Transfer to LPG Customers) & DBT(Direct Benefit Transfer)
g) ECS Debit as Destination Bank
h) Digidhan Payment
i) Reconciliation of all Settlement Accounts, RBI Accounts, 4 RRB Accounts, Service Branch Accounts, Payment Gateway System Pool Accounts, etc. related to NACH inward & outward transactions.

j) BHIM Incentive Payment
k) Affecting Income & Expenditure to P/L Accounts after accounting for GST.
l) Generation & presentation of Invoice related to all products of NACH to different Banks.

CMS SERVICES:

i) CMS Payment Services
 a) Corporate Bulk Payment.
ii) CMS Collection Services
 a) Corporate Mandate Based Direct Debit Service
 b) Corporate cash Collection Service.
iii) ASBA (Application Supported By Blocked Amount)
 a) Core ASBA
 b) Syndicate ASBA
 c) e-ASBA (through e-banking / Net banking platform)
iv) Indo Nepal Remittance Service

HR Details:

The total staff strength comprises 52% officers, 28% clerks and 20% Sub-Staff. Women employees numbering 3283 constitute 23% of the Bank's total staff strength.

To meet the emerging challenges in the banking sector, the importance of skill up gradation of all categories of employees was keenly felt and as a sequel to this, Bank initiated the following steps in arranging various training programs during the year 2018-19.

i) **In-House Training:** The training courses organized by the Staff Training College, Kolkata and other four Training centers in which 4317 employees were given in house training.
ii) **External Training:** During the period under review bank has roped in professional training institutes for imparting various training programmers & workshop in which 422 employees have been trained externally.

Customer Orientation:

The bank has taken several initiatives to remain customer friendly by providing prompt service, bringing in diversified technology supported products/ services, quickly responding to customer queries/ suggestions and redressal of customer complaints. The"code of commitment to customers" issued by BCSBI has been made available at the Bank's website and also sent to all the Branches and Regional Offices across the country. For improving the quality of the customer service, atoll free contact facility at customer services Department is provided to facilitate the customers to represent their grievance/ suggestions.The toll free facility is available from 8am to 10 pm. For ATM related issues, a separate toll free contact facility at head office has been provided and is available 24*7.The bank has put in place online grievances redressal system through the banks website, where the customers can lodge and track the status of their complaints/suggestions.

In order to ensure quicker and non-discriminatory redressal of grievances, Bank has introduced a portal named Comprehensive Complaint Management System (CCMS) by leveraging technology. Under this system the complaint received by branches, Regional offices and departments at Head office, are acknowledged on real time basis and status of redressal / settlement is also uploaded on the portal till final redressal. Customer can also lodge complaint on the CCMS Portal directly which is automatically added to the outstanding database of CCMS by the system.

The Comprehensive Complaint Management System helps us to track the status of each complaint and to take a comprehensive look with regard to the total complaints received by the Bank during the period and status thereof. The necessary follow-up measures are immediately taken up for expeditious disposal of the complaints and grievances with concerned Branches/RO/Department at Head Office. The system enables the officials of the Customer Service Department to classify the nature of complaints with respect to the products and services to which the complaints are related. The analysis of data aims to help the Bank management to take appropriate action to improve service in the areas which are found deficient.

The complaints from various sources like those received through mails and by post etc. are also entered in the CCMS portal. The consolidation of complaints from all sources on the CCMS portal helps the management to identify the nature of complaints, areas from which maximum complaints are received and also to take account of the time taken for the redressal. Such analysis is aimed at improving the standard of customer service and identifying the areas where staff members are to be trained, modification of products and services are required and remedial actions are to be taken for strengthening of system.

As per recommendation of the Damodaran Committee setup by Reserve Bank of India, our Bank has appointed Internal Ombudsman with effect from 07/12/15 to enhance the customer confidence level.

To have direct feel of the quality of the customer service in the Kolkata based branches, incognito visits by the officials of Head Office are conducted which additionally cover several areas such as ambience, discipline, punctuality and matters related preventive vigilance to safeguard the interest of Bank and customers.

Besides to educate the young officers of the Bank about its products and service and to help them render quick and improved customer services

online application titled "Quest" was started in June 2015.Quest is an application accessible to all members of award staff and officers of the Bank for clearing doubts related to banking operations, The queries are replied by the selected HO officials within a deadline of 24 hours. The process of questioning and answering has been going on since inception on regular basis and the response of the officials to quest is overwhelming and strongly positive.

In financial year 2018-19, customer complaints redressal percentage is 99% 1274 numbers of complaints remained outstanding at the end of year, out of which 10 numbers of complaints were outstanding for more than one month.

The ADC related complaints are resolved within the stipulated period. Out of 1058 Nos of complaints lodged in Government of India Portal (CPGRAM) for the financial year ending Mar'2019,1034 Nos complaints got resolved and 24 Nos complaints remain pending for redressal as on 31/03/2019.

Internal Control:

Internal Audit of all the operational units of Bank is a continuous process to ensure effectiveness of internal control mechanism and to provide high quality counsel to management on the effectiveness of risk management and internal controls including regulatory compliance by the Bank. The bank undertakes Risk Based Internal Audit (RBIA). The scope of RBIA shall encompass the examination and evaluation of the adequacy and effectiveness of the Bank's system of internal control.

Organization structure of Audit & Inspection department comprises Audit Committee of the Board (ACB), Audit of Committee of Executives (ACE), Audit & Inspection Department (along with seven Regional Inspection Units (RIUs) reporting to Audit & Inspection Department, HO) and Regional Audit Committee of Executives. The team of internal Inspectors/External Auditors (CA Firms) at field level is continuously engaged in inspection of Branches /Offices of the Bank as per Board approved Audit & Inspection Policy, for evaluating the level of implementation and adherence to the prescribed procedures and norms, and for identification, measurement and mitigation of risk involved in different functional areas. In order to align with changing scenario of the Banking System and dynamic global economic environment, inspection process is updated and necessary changes are incorporated in Audit & Inspection policy of the Bank from time to time. To achieve these objectives, various types of Audits like Risk Based Internal Audit, Concurrent Audit, Credit Audit, Information System Audit, Snap Audit, Revenue Audit, Inspection of H.O. departments and Management Audit of Regional offices are conducted.

Risk Based Internal Audit (RBIA) of branches have been carried out to focus on effective Risk Management and internal controls in respect of areas of potential risk and for protecting the Bank from various risks. System based online RBIA has already been started since 1st November, 2016. During the year 2018-19 Risk Based Internal Audit of 1662 branches have been conducted against the target of 1645 branches.

Concurrent audit is conceived as systematic examination of all financial transaction at a branch on a continuous basis to ensure accuracy, authenticity and due compliance with the internal systems, procedures and guidelines of the Bank. During the year 2018-19, Concurrent Audit of 548 branches have been completed covering total deposit of 50.09 %, total advance of 79.72 % of the Bank and the overall Bank's business coverage of 60.36 % as on 31.03.2019.

Credit Audit has been undertaken as an effective monitoring tool by identifying the gaps in the credit delivery process at branches and suggesting ways to bridge the gaps and also monitoring the compliances. During the year 2018-19, Credit Audit has covered 60 % of the total credit portfolio as on 31st March, 2019 of the Bank.

Technology has augmented the scope, reach and coverage of banking through significant networking and availability of a wide variety of new delivery channels. With the increased technology adoption by Banks, the complexities within the IT environment have given rise to considerable technology related risks. The information System Audit of Bank's IT infrastructure is being conducted to mitigate and effectively manage these technological risks.

Anti Money Laundering (AML) / Know Your Customer (KYC):

The Bank continues to take appropriate measures for strict adherence to KYC norms in case of all the customers and monitor transactions closely for implementation of AML (Anti Money Laundering) and KYC Standards.

Steps taken to ensure compliance of KYC/AML guidelines are as follows:

- The Bank has put in place an effective AML programme by establishing appropriate procedures and ensures its strict implementation.
- Cash Transaction Reports (CTRs), Suspicious Transaction Reports (STRs), Non-Profit Organization Transaction Reports(NTRs), Cross Border Wire Transfer Report (CWTRs) and Counterfeit Currency Note Reports (CCRs) are filed with FIU-IND in prescribed formats within the time limits.
- The generation of daily alerts for offsite surveillance through our internal web-based application has been started and monitored by our AML Cell. At present, daily alerts are generated on 13 types of alert parameters.
- Numerous STRs on continuous basis and various reports as and when required by FIU-IND, Ministry of Finance was totally taken care by the AML Cell during the period of demonetization.
- Officially Valid Documents (OVDs) are being obtained from all the customers towards identity and address proof. These documents are being captured in CBS system.
- Risk categorization of all the customers and their profile updation is being done through the system.

- The Bank has completed the process of allotment of Unique Customer Identification Code (UCIC) to all individual customers on the basis of PAN, Passport and Aadhar number.
- Overall KYC compliance of our bank is more than 99%.
- Upload of KYC data in CKYCR portal has been started.

Security Arrangements:

The Bank has taken necessary steps to strengthen the security arrangement in branches by installing security gadgets from time to time in conformity to the guidelines issued by the Reserve Bank of India. With passage of time security arrangements at branches require review & further strengthening through additional coverage with modern electronic gadgets. Therefore, considering need of the time, additional security gadgets / services provided at our Bank's branches are as follows:-

(a) **Installation of CCTV -** Security of Branches is being strengthened by installing CCTV surveillance system in phased manner. All the currency chest branches have already been equipped with CCTV system. Since 2009 to 2012 total 835 Branches, including Currency Chests, were equipped with CCTV surveillance system. Process of installation of CCTV system at 1143 Non-CC branches is in progress. On completion of project altogether 1978 CC & Non-CC Branches would be equipped with CCTV for round the clock surveillance.

(i) Head Office premise at United Tower is a high rise building consisting of Ground + 16 floors & Basement. Sensitive nature of offices of all Top Executives e.g. offices MD & CEO, ED's and GM's including Bank data Center, are situated in this building. In addition, approx.650 numbers of employees of different scales & categories are posted in Head Office. Therefore, considering the sensitive nature of offices, Data Center, high number of employees & hundreds of visitor's effective security arrangements of Head Office building became of prime importance. Hence, in order to ensure proper control & surveillance all floors including ground floor is recently covered with CCTV system with installation of 113 numbers of Cameras.

(ii) Remaining branches & offices would also be equipped with CCTV surveillance system in due course of time in phased manner.

(iii) As an additional safety measure all the Currency Chest branches within the jurisdiction of Kolkata Police have been brought under the Integrated Security Solution (ISS) which has a control monitor at Lalbazar Police Control Room (Kolkata) for live viewing of the activities inside the currency chests round the clock.

(b) **Implementation of Clean Note Policy -** In order to implement the Reserve Bank of India Clean note policy Non-CC branches are being equipped with (1+1) pocket Desk Top Authenticator cum Note Sorter to help the branch to identify the Forged Indian Currency Notes (FICN) at the counter itself. This will also enable the branches to sort the currency notes into issuable, non-issuable currency notes for redistribution of issuable notes amongst the customers and members of public at the counter itself & also through ATMs.

Our 1153 numbers of Non- CC branches are already equipped with(1+1) pocket Desk Top Authenticator cum Sorter. Remaining 839 Non-CC branches would also be provided with (1+1) pocket Desk Top Authenticator cum Sorter in phased manner in due course of time.

(i) All 79 Currency Chests are already equipped with Heavy Duty Note Sorting Machines.

(ii) An in house software,SDMS (Security Data Management System), has been developed for real time reporting of the FICN Detection, Adjudication of soiled/ mutilated notes, distribution of coins & fresh currency notes related activities of the branches in compliance with the Reserve Bank of India guidelines.

(c) **Cash Management of Branches -** In house software is developed for close monitoring of day to day cash holding of the branches with regular MIS related to the excess cash management. Each day the excess cash holding of branches is auto generated through the system and an e-mail is triggered to each Regional Head with details of the excess cash holding branches and the amount of excess cash held, to facilitate the regional office to closely monitor the Excess cash position of each branch.

(d) In order to lift excess cash from the branches and also to feed cash to needy branches, remittance teams of private security agency (PSA) consisting of 01 cash van with driver, 02 armed guards and 01 custodian of cash has been hired for currency chest branches. Approval for deployment of remittance teams of PSA at 27 CC branches was obtained. By now 25 Cash remittance teams of (PSA) are deployed at 24 CC branches. Deployment of remaining PSA remittance teams at CC branches considering their requirement & financial viability is in process.

(e) In order to regulate and monitor visitors to the Bank's Head Office a Computerized Visitors' Management System has been installed at the Main Entrance gate of the Head Office.

Premises:

- Acquisition of premises for Bank's use on lease/rental basis, by outright purchase and by new construction, usually on leasehold land.
- Construction on Bank's freehold / long-term Lease hold premises.
- Refurbishment of Bank's Lease hold / Rented premises.
- Construction/installation of Currency Chest and periodic issuance of fitness certificate thereof.
- Overhauling, general maintenance and annual maintenance of pumps, water purifiers, Water Treatment Plants, air-conditioners, generators, transformers, Central Air-conditioning Plants, lifts, solar plants etc.
- Shifting / Reconstruction of office furniture, partitions, LAN connections, Telephone Connections, Electrical connections etc.at Head Office.

- Shifting, acquisition of additional space, surrender, renewal of lease, revision of rent etc. in respect of Bank's hired premises. Maintaining inventory of Bank's hired premises, issuance of notices to landlords for renewal of lease, at the appropriate time and follow-up with regard to realization of rent from defaulting branches.
- Procurement of furniture & fixtures, etc. in H.O. and Bank's own premises under the direct control of H.O.
- Matters relating to maintenance and disposal of non-banking assets.
- Annual Budgetary Planning of Capital and Revenue Expenditure related to premises.
- Co-ordinate and Convene the Expenditure Committee – I & II meetings for recommendation of Capital & Revenue Expenditure under the Financial Discretionary Power of MD & CEO and ED respectively.
- Empanelment of Architects/ Consultants/ Contractors/ Vendors/ Suppliers.
- Revaluation of Bank's own / freehold / Long term leasehold property (Land & Building) for Recapitalization.
- Payments of rates / taxes for Bank's own / freehold / long term leasehold premises at Kolkata.
- Settlement of insurance claims in respect of Bank's own / freehold / leasehold premises, installations, equipment, furniture and all other fixed assets dealt with by the department with the assistance of Corporate Accounts Department.
- Scrutiny and Noting of Discretionary Power exercised by Chief Regional Managers of the preceding month for Capital / Revenue Expenditure related to Premises.
- Maintenance of Inventory Register and charging of depreciation in respect of Bank's own buildings, furniture, Office equipment, Electrical installations, Air Conditioners etc.of Bank's own / long term lease hold premises.
- Functioning & Maintenance of Terrace Gardens at H.O. and Lawn Garden at UBI House.
- Preparation and Review of Premises Policy for Acquisition of Accommodation on Lease / Rental basis from time to time.
- Preparation and Review of Manual on Policy and Procedures for procurement of Goods and Services for Bank from time to time.
- Construction of Strong Rooms for Safe Deposit Lockers at branches.
- Carrying out and Implementation of energy and electrical audit recommendation in a phased manner.
- Matters relating to installation of EPABX, shifting of telephone lines, co-ordination and billing of corporate mobile connections and landline telephones, follow up for fault rectification for Telephones and other communication system and AMC issue(s), purchase, maintenance and servicing of Photocopier machinesat Head Office.
- Engagement/Renewal/Review of rent in respect of Residential Accommodations sought by Officers posted at Head Office.

Implementation of Official Language:

- With a view to implement the Official Language Policy of the Government, 74 Officers were trained in regular Hindi courses of Praveen & Pragya at Head Office/Regions. Hindi workshops and Unicode based computer training in Hindi were organized for the officers & employees of the Bank in each quarter at the Staff Training College, Kolkata. The quarterly meetings of Official Language Implementation Committee of Head Office were held under the chairmanship of the Managing Director & CEO and Executive Directors. The different issues of in-house Hindi magazine of the Bank "United Darpan" were released during the year. Inspection of all the Regional Offices and departments of Head Office were carried out with regard to implementation of Official Language.
- Our Bank convened the regular meetings of TOLICs namely, Krishnagar, Purulia, Katihar and Hoogly as assigned to us by Department of Official Language, Ministry of Home Affairs, Govt. of India.
- Hindi Day was observed on 14th Sept, 2018 by Head Office, Regional Offices and Branches of the bank. Our Head Office observed Hindi Week from 14th Sept, 2018 to 20th Sept, 2018 and during the week various Hindi competitions and seminar were organized.
- The third sub-committee of parliamentary committee on Official language visited our Indore Branch under Raipur Region and Margaon Branch under Mumbai Region in the month of August, 2018 and March, 2019 respectively. The bank received appreciations by the committee for our better performance.
- Inspection of our New Delhi Region and Gurgaon Mehrauli Road Branch under New Delhi Region were carried out by Department of financial Services, Govt. of India.
- Our Head Office received third prize from the Town Official Language Implementation Committee (Bank), Kolkata for better performance in implementation of official language policy. Besides, different Regional offices like Meerut & New Delhi, and branches like, Kanpur, Faizabad, Haridwar, Deharadun, Agra and Bareily also bagged prizes from their respective TOLICs for their excellent implementation of Official Language policy.
- First time our Bank received a prize from Reserve Bank of India for publication of in-house Hindi magazine "United Darpan".

Regional Rural Banks (RRB):

- We have 4 sponsored Regional Rural Banks in 4 states-Bangiya Gramin Vikash Bank (BGVB) in West Bengal, Assam Gramin Vikash Bank (AGVB) in Assam, Tripura Gramin Bank (TGB) in Tripura and Manipur Rural Bank(MRB) in Manipur. The total network of branches of the four RRBs as on 31.03.2019 was 1174.
- Combined Total Business of the four RRBs as on 31.03.2019 was ₹ 44405.90 core with Total Deposit of ₹ 31725.91 crore & Total Advance of ₹ 12679.99 crore. Combined Gross NPA was 26.30 % and combined Net Profit for the last FY was ₹ 82.46 crore. BGVB & TGB registered

Net Profit of ₹ 9.10 crore & ₹125.05 crore respectively and AGVB & MRB registered Net Loss of ₹ 49.85 crore & ₹ 1.84 crore respectively during the FY 2018-19. (The above position is based on unaudited figures).

- All the four RRBs are working on CBS platform and are NEFT, RTGS, PFMS, AEPS enabled. The RRBs are also offering various technology driven product & services like Rupay Card/ ATM / POS machines, CTS based clearing etc.
- It may be mentioned here that Langpi Dehangi Rural Bank (LDRB), an RRB sponsored by State Bank of India, was to be amalgamated with the Assam Gramin Vikash Bank (AGVB) under the sponsorship of our Bank w.e.f. the 1st of April 2019 as per Gazette Notification of the Govt of India dated 22nd February 2019 and the amalgamation has taken place accordingly on the 1st April 2019.

The LDRB was having a network of 59 branches and the business position of the LDRB as on 31.03.2019, based on unaudited figures was, Total Business ₹ 1378.95 crore, Total Deposit ₹ 889.76 crore, Total Advance ₹ 489.19 crore, Gross NPA 2.28 % and Net Profit during the FY 2018-19 was ₹ 15.31 crore.

United Demat:

The depository services to the Bank's customers are provided on the CDSL and NSDL platform under the umbrella of "United Demat", which aims at providing hassle-free, fast and accurate transactions under depository environment. The benefits are:

- Easy and convenient way of holding securities
- Immediate transfer of securities without any stamp duty on transfer
- Safer than paper-shares (no chances of bad delivery, fake securities, delays, thefts etc. are eliminated)
- Reduced paperwork on transfer of securities
- Auto-credit into Demat account
- Expeditious credit of securities and fund resulting from corporate actions and distribution of corporate benefits;
- Online access through easiest and speedy
- Periodic statement of holding and transaction
- Convenience of changing client account details including nomination as and when required hassle-free transmission.
- Direct credit of shares allotted in IPO in Demat Account and credit of Dividend in linked bank account.
- A single Demat account can hold investments in both Equity and Debt instruments. Even Mutual Fund Units, Sovereign Gold Bonds, Insurance Policies etc can be held in Demat form in the same Demat Account.

Demat Services are made available touching all aspects of share trading. The Services offered are:

- Opening of Demat account
- Purchase and Sale of Securities
- Dematerialization & Rematerialization
- Destatementization & Restatementization / Redemption of Mutual Fund Unit
- Pledge / Unpledge / Hypothecation /Confiscation
- Freeze & Unfreeze
- Transfer, Transmission & Transposition

U-Connect - Bank's Share Trading Services

United Bank of India facilitates share trading for its customers through product "U-Connect Trio" –in association with Kotak Securities Limited. In this product, the client opens its Bank and Demat account with United Bank of India whereas the trading account is opened with Kotak Securities. The products are feature-rich with facilities of investment, trading, exposure, margin trading, funding, IPO applications through ASBA, systematic investment, placing aftermarket orders and future orders, all being made available at an extremely competitive pricing. The investors have flexibility of putting their trades online, offline, mobile app and through dealer. Apart from equities, investors can also trade in bonds, ETFs and MF through trading platform. The investors will also have access to the research reports and trading tips from the award winning research team.

DIGITAL BANKING:

Mobile Banking New Services:

To improve service offering and enhance customer experience, mobile banking application has been revamped/ upgraded. The upgraded mobile banking app have the self on-boarding facility which attracts more customers and help in the growth of the channel. Apart from regular services like funds transfer, bill payment, IMPS, mobile recharge, cheque book request etc, following additional features have been added:

(a) **Self On-boarding:** Self on-boarding process require authentication through debit card and PIN or e-banking user-id and Password. In case the customer is not registered on debit card platform core-Banking system, then customer may get registered manually at branch.

(b) **Biometric Application login:** User will have the option to log-in into the application through either application PIN or registered finger biometric.

(c) **Bharat QR:** Customer can pay any on-line/offline merchant displaying Bharat QR by debiting to his/her account through linked debit card.

(d) **Card Services:** Allows customer to set daily withdrawal limits, enable/disable international transaction and temporary/permanent blocking of debit cards.

(e) **Account Statement:** Customer can view / generate statement for a date range (maximum six months), pre-defined period or desired number of last transactions. The same can also be fetched in customers registered e-mail ID.

(f) **Bharat Bill Pay:** Customer can pay bills to all merchants available on Bharat Bill pay system.

(g) **Credit Card Payment:** This service will enable the customer to pay Credit Card bills of various banks.

(h) **Debit card Pin generation:** Customer can set / reset debit card PIN which is further authenticated by OTP.

(i) **Availability of Locker:** Customer can check the availability of lockers in any branch using mobile baking and apply for the same.

(j) **Introduction of new Regional Language:** With introduction of Odia & Malayalam language, mobile Banking is now available in 6 languages i.e English, Hindi, Bangla, Odia, Tamil & Malayalam.

(k) **United Voice Assist (UVA):** UVA is one of the innovative features in mobile banking where customer may avail banking services using voice based commands only. Presently Balance inquiry, Mini Statement , Last Transaction detail & cheque book request are available and more services are in the offing.

The UVA service is initially rolled out to android devices only.

(m) **Facility of Mutual Funds:** Customer may visit various mutual funds site from the app and purchase Mutual funds.

(n) **Request of Demat Account:** Customer can place a request for demat account opening.

New Debit cards Launched

Bank has launched additional variant of debit cards under Master & VISA network. These cards are NFC (Near Field communication), which will enable customers to purchase by just placing the card near the swipe machine at merchant outlets.

Online Application of Debit Cards

Customers are now able to apply for any variant of debit cards online at no extra cost

Introduction of Cash @ POS at our Merchant Outlets

Bank has entered into Merchant Acquiring Business and has deployed around 5400 Point of Sale (PoS) terminals as on date. As part of our endeavour to improve digital transaction growth and provide value added services, Bank has introducing Cash @ POS services. Under this facility, Merchants having PoS terminals of our Bank may offer additional service of providing cash to cardholders by swiping the cards issued by any Bank under Rupay ,Visa and Master Card Network.

Introduction of Bharat QR at our Merchant Outlets

To acquire different segments/class of merchants specially the lower segment merchants who cannot afford to pay high monthly rentals for POS, Bank has introduced Quick Response (QR) based soft terminals namely Bharat QR and BHIM QR. This will enable the customers to make payments by scanning the static QR code. Bharat QR has the option to debit any variant of Credit/Debit Card or a VPA (UPI) linked to the account of thecustomer whereas BHIM QR will enable the customers to make payment only through linked VPA (UPI) account.

Introduction of United Gift Card (RuPay)

The Bank has introduced United Gift Card under RuPay network for the purpose of gifting on any occasion like birthdays, weddings, festivals, anniversaries, farewell etc. It was issued to limited branches on a pilot basis and will be rolled out gradually at all branches. The Gift card holders can spend the amount loaded on the card for purchases at retail stores and online shopping. The Gift cardholders also have the advantage of availing self-service at portal.

Replacement of Magnetic Stripe Card by Chip Based Cards

To ensure more secured card based transactions and also to comply with RBI directives, Bank had replaced all its active 35 lac magstripe based cards with EMV cards.

New Initiatives/services in Internet Banking

1. Online seeding of nomination details – Internet Banking Users can now add / modify nominee details for accounts having mode of operations as self.
2. Implementation of online Locker Request- Internet Banking Users now search availability of lockers in their preferred branch and submit the request for locker online. Subsequently, Branch will get the lead and contact the customer for completing the necessary documentation and formalities.

 Bank is presently having a total ATM network of 2017 & 5400 POS outlets. All the digital Banking channels viz: ATMS, debit cards, Internet / Mobiile banking, UPI etc are well accepted by all segment of our customers and as on date 71 % of the total banking transactions are through digital channels.

Compliance:

The Bank has set up a Compliance Department for identification of compliance issues, assessment and mitigation of Compliance Risks to ensure adherence of Risk Mitigation Plan prescribed by Reserve Bank of India in its Risk Based Supervisory Process.

Board of Directors of the Bank have approved Compliance Policy for the Bank. The policy covers compliance issues of areas like deposit & services, advances, KYC-AML, BCSBI Codes, Data Information Security compliance issues as identified and remedial measures taken thereof. Roles & Responsibilities as regards to compliance functions is defined for every department in the Bank. The following mechanism has been introduced to ensure compliance of Regulatory & Statutory issues .

- Self certification
- Random compliance testing of branches by Officials from Compliance Department, H.O.
- Compliance Testing of Branches by Designated Compliance Officers (DCO) at Regional Offices.
- Compliance of the direction issued by GoI /RBI / IBA from the functional departments of Head Office.
- Quarterly reporting through on line compliance system by Branches and Regional Offices with details of compliance rules covering the important areas.

 Under Corporate Governance, compliance status of the directions issued by GoI /RBI / IBA and other applicable provisions of law, rules & guidelines are reviewed periodically by Board Level Committees.

Awards/Accolades:

Reserve Bank of India has recognized the Hindi Griha Patrika of United Bank of India, "United Darpan" for its excellence:

Reserve Bank of India has recognized the Hindi Griha Patrika of United Bank of India, "United Darpan" for its excellence for the Financial Year 2016-17 with a trophy and certificate of appreciation. The award was given on 26.06.2018 at the Head Office of Reserve Bank of India.

United Bank of India wins Excellence in IT Infrastructure Award (Network Security Project):

United Bank of India won Excellence in IT Infrastructure Award (Network Security Project). The Bank has deployed various technologies to enhance Cyber Security posture of the Bank. Along with internal control system, United Perimeter Shield has been deployed to prevent various Internet based attacks.

Based on above work, Bank had participated in an award program conducted by the International Council of Electronic Commerce Consultants (EC-Council) India. Bank's project was shortlisted and awarded on Excellence in IT Infrastructure (Network Security Project). The award was received on on March 26, 2019.

Details of fraud committed:

During the financial year 2018-19, fraud committed by officers/ employees of the Bank amounts to ₹ 19.09 lakh which has been duly reported to the concerned regulatory authority.

Corporate Social Responsibility:

The Bank undertakes activities under CSR through trust viz. United Bank Socio-Economic Development Foundation (UBSEDF). UBSEDF was established on March 30, 2007 with the objective of promoting and carrying out social and economic development activities and rendering assistance to weaker and under privileged sections of the society in terms of decision taken by the Board of Trustees.

The Board of Trustees of UBSEDF comprises of the following members as on March 31, 2019 -

1. Shri Ashok Kumar Pradhan, Managing Director & Chief Executive Officer
2. Shri Sanjay Kumar, Executive Director
3. Sri Ajit Kumar Das, Executive Director
4. Sri Vinay Gandotra, General Manager (HR & FI)
5. Sri Mukti Ranjan Ray, General Manager (Priority Sector & LBD)

Till March 31, 2019, the Bank has extended financial assistance to 93 various welfare activities involving a total sum of ₹ 327.43 lakhs. The focus has been on extending assistance to the activities under Health care, Education, Go-Green project, Soil Conservation, Social Welfare activities. In the year under review, the Bank has disbursed ₹ 30.28 Lakh for implementation of 5 projects by the respective organizations towards cause of the society.

Dividend:

In view of the loss incurred, the Board of Directors has not recommended any dividend for financial year 2018-19.

Dividend Distribution Policy:

In terms of Regulation 43A of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements), 2015, the Bank has formulated a Dividend Distribution Policy governing criteria, quantum and circumstances governing distribution of dividend to its shareholders. The Policy is attached as Annexure I and forms part of this Report and is also available on the Bank's website at http://www.unitedbankofindia.com/uploads/Dividend_Distribution_Policy.pdf

Directors Responsibility Statement:

In terms of Section 134(3)(c) of the Companies Act, 2013 (to the extent applicable), your Directors confirm that –

(a) in the preparation of the Annual Accounts for the financial year ended March 31, 2019, the applicable accounting standards have been followed and there are no material departures;

(b) the Directors have selected such accounting policies and applied them consistently and made judgments and estimates that are reasonable and prudent so as to give a true and fair view of the state of affairs of the Bank as at March 31, 2019 and the profit of the Bank for the year ended on that date;

(c) the Directors have taken proper and sufficient care in maintaining adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding the assets of the Bank and for preventing and detecting fraud and irregularities;

(d) the Annual Accounts have been prepared on a 'going concern' basis;

(e) the Directors have laid down internal financial controls to be followed by the Bank and we consider such internal financial controls to be adequate and effectively operational; and

(f) the Directors have devised proper systems to ensure compliance with the provisions of all applicable laws and we consider such systems to be adequate and effectively operational.

Compliance of Secretarial Standards:

The Bank, a Body Corporate in terms of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 read with Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, has complied with the Secretarial Standards issued by the Institute of Company Secretaries of India as applicable.

Secretarial Audit:

Pursuant to Regulation 24A of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (including any amendment thereto or modification thereof), the Bank has appointed M/s. T. Chatterjee & Associates, Practicing Company Secretaries to undertake the Secretarial Audit of the Bank for the financial year 2018-19. The Secretarial Audit Report for the financial year 2018-19 is attached as Annexure II and forms a part of this Report. The Secretarial Audit Report does not contain any qualification, reservation, adverse remark or disclaimer.

Employee Share Purchase Scheme:

With a view to motivate the potential and dynamic employees and reward and recognize the experienced hands as well as augment Bank's equity capital, the Bank with the approval of the shareholders at the Extra-ordinary General Meeting held on February 27, 2018 has formulated a Scheme viz. United Bank of India – Employee Share Purchase Scheme, 2018 (UBI-ESPS 2018/ Scheme) in accordance with the SEBI (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014 including any amendment thereto or modification thereof (SEBI SBEB Regulations). UBI-ESPS 2018 enabled the Bank to grant up to a maximum of 5,00,00,000 equity shares in one or more tranches, to the 'Eligible Employees' of the Bank. The Bank with the approval of the competent authority revised the lock-in requirements of the shares allotted under the Scheme in line with Regulation 22(2) of SEBI SBEB Regulations.

The Issue was open for subscription by the 'Eligible Employees' on and from July 30, 2018 till August 31, 2018. The price of shares under the Scheme was determined at a discount of 5% on the average of the weekly high and low of the closing prices of equity shares of the Bank as quoted on the Stock Exchanges recording higher volume of trading in Bank's shares during the two weeks preceding the date of offer, i.e. July 30, 2018 rounded off to the nearest multiple of 5 paisa. The Bank on September 13, 2018 issued and allotted 2,92,02,589 equity shares of Face Value of ₹10/- each at an Issue Price of ₹10.55/- per equity share to the Eligible Employees of the Bank under the said Scheme.

The applicable disclosures as stipulated under the SEBI SBEB Regulations read with relevant SEBI Circular dated June 16, 2015 pertaining to the said Issue is provided as Annexure III to this Report. Post allotment, and listing of the 2,92,02,589 Equity Shares issued under the UBI-ESPS 2018, the balance equity shares (i.e. 2,07,97,411 Equity Shares) not offered/ subscribed under the Scheme stand cancelled and UBI-ESPS 2018 stands terminated.

Pursuant to Regulation 13 of SEBI SBEB Regulations, Mookherjee Biswas & Pathak, Arun K. Agarwal & Associates, SBA Associates and Dinesh Jain & Associated, Chartered Accountants, Statutory Central Auditors of the Bank have certified that the UBI-ESPS 2018 have been implemented in accordance with the SEBI SBEB Regulations and the resolution passed by the Shareholders in this regard (Certificate annexed as Annexure IV to this Report).

Corporate Governance:

The report on Corporate Governance is covered in a separate section (Page 46) of this Annual Report.

Annexures forming part of this Report:

The Annexures referred to in this Report and other information which are required to be disclosed are annexed herewith and form part of this Report:

Annexure	Particulars
I	Dividend Distribution Policy
II	Secretarial Audit Report
III	Details of UBI-ESPS 2018
IV	Auditors Certificate on UBI-ESPS 2018

ANNEXURE I

DIVIDEND DISTRIBUTION POLICY

1. PREAMBLE

The Dividend Distribution Policy of the United Bank of India (hereinafter referred to as 'the Bank') is being framed as per Securities and Exchange Board of India's Notification No. SEBI/LAD-NRO/GN/2016-17/008 dated July 8, 2016. The Bank being among the top 500 listed entities based on market capitalization is required to formulate the policy.

2. NAME

The Policy may be named as the United Bank of India Dividend Distribution Policy and shall come into effect from the date of adoption of the same by the Board of Directors of the Bank.

3. OBJECTIVE

The Bank, through this Policy would endeavor to maintain a consistent approach to dividend pay-out plans and to strike the right balance between the quantum of dividend paid and amount of profits retained in the business.

4. BASE DOCUMENTS

(a) The Banking Regulation Act 1949

(b) The Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act 1970

(c) RBI Circular RBI/2004-05/451 DBOD.NO.BP.BC. 88 / 21.02.067 / 2004-05 dated 04.05.2005

(d) RBI Master Circular dated July 1, 2015

(e) Ministry of Finance Letter F.No.10/3/2010-BOA dated April 13, 2010

(f) Ministry of Finance Letter F.No.10/3/2010-BOA dated January 18, 2013

(g) SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations 2015

(h) United Bank of India (Shares & Meetings) Regulation 2010

(i) Secretarial Standard - 3 issued by the Institute of Company Secretaries of India on Dividend

5. BACKGROUND

(a) Dividends are the pay-outs that organisations make to their shareholders as a return on their investments. It is one of the simplest ways for companies to communicate financial well-being and shareholder value. Dividends send a clear and powerful message about future prospects and performance of an organisation.

(b) According to the generally accepted definition, "dividend" means the profit of an organisation, which is not retained in the business and is distributed among its shareholders in proportion to the amount paid-up on the shares held by them. Dividend also includes any interim dividend.

6. GENERAL POLICY OF THE BANK AS REGARDS DIVIDEND

(a) Dividends are declared by the Bank as per the guidelines issued from time to time by Reserve Bank of India (RBI) and Government of India (GoI). The Board of Directors (hereinafter referred to as 'the Board') at its discretion, while approving the annual accounts in each financial year, may also recommend the dividend for approval of the shareholders after taking into account the free cash flow position, the profit earned during that year, the Capex requirements and applicable taxes.

(b) Dividend, other than dividend on cumulative preference shares issued by the Bank if any, not declared in any financial year shall not accrue for payment in subsequent financial year.

(c) The Board shall have the absolute discretion, subject to the Reserve Bank of India (RBI) guidelines and Ministry of Finance (MoF) Notification/Direction, if any, to declare interim dividend in between the Annual General Meetings.

7. ELIGIBILITY CRITERIA FOR DECLARATION OF DIVIDEND

(a) As per the RBI Circular RBI/2004-05/451 DBOD.NO.BP.BC. 88 / 21.02.067 / 2004-05 dated 04.05.2005 read with RBI Master Circular dated July 1, 2015, the Bank shall comply with the following minimum prudential requirements to be eligible to declare dividends:-

(b) CET – 1 Ratio shall not be less than 6.125%.

(c) The Bank should have Capital to Risk weighted Assets Ratio (CRAR) of at least 10% for preceding two completed years and at least 10.25% for the accounting year for which it proposes to declare dividend

(d) The Bank shall be in compliance with the provisions of Section 15 (Restrictions as to payment of dividend) and Section 17 (transfer sum not less than 20% of profit to reserve fund) of the Banking Regulation Act, 1949, prior to distribution of dividend.

(e) The Bank shall be in compliance with the prevailing regulations/guidelines issued by RBI, including creating adequate provisions for impairment of assets and staff retirement benefits, transfer of profits to Statutory Reserves, etc.

(f) The proposed dividend shall be payable out of the Current year's profit.

(g) There shall not be explicit restrictions imposed by RBI on the Bank for declaration of dividends.

8. QUANTUM OF DIVIDEND PAYABLE

(a) If the eligibility criteria are fulfilled, the Bank may declare and pay dividend, subject to the following ceilings –

CET-1 ratio after including current yr's retained earnings	Minimum Capital Conservation Ratios	Payment by way of dividend/bonus
5.5% - 6.125%	100%	Nil
6.125% - 6.75%	80%	20%
6.75% - 7.375%	60%	40%
7.375% - 8.0%	40%	60%
>8.0%	0%	100%

(b) In case the profit for the relevant period includes any extra-ordinary profits/income, the pay-out ratio shall be computed after excluding such extra-ordinary items for reckoning compliance with the prudential pay-out ratio.

(c) The financial statements pertaining to the financial year for which the bank is declaring dividend should be free of any qualifications from the Statutory Auditors, which have an adverse bearing on the profit during that year. In case of any qualification to that effect, the net profit should be suitably adjusted while computing the dividend payout ratio.

(d) As per MoF Notification F. No. 10/3/2010 – BOA, Bank shall pay a minimum dividend of 20% of paid-up capital or 20% of post-tax profits, whichever is higher for a financial year. In case the Bank is not able to pay the minimum dividend, as stated above, the Bank shall seek special permission from the Central Government for not paying dividend or paying dividend at a rate lesser than the minimum rate prescribed.

9. FACTORS DETERMINING DECLARATION OF DIVIDEND

The decision regarding dividend pay-out is an important decision as it determines the amount to be distributed among the shareholders and the amount of profit to be retained in business. The interest of the Organisation and all its stakeholders shall be taken into account, on the backdrop of following internal and external factors, while deliberating and deciding on the proposal on declaring dividends:-

(a) EXTERNAL FACTORS

i. STATE OF ECONOMY – in case of uncertain or recessionary economic and business conditions, Board will endeavor to retain larger portion of profits to build up reserves to absorb future shocks.

ii. CAPITAL MARKETS – when the markets are favourable, dividend pay-out can be liberal. However, in case of unfavourable market conditions, Board may resort to a conservative dividend pay-out approach in order to conserve cash flows.

iii. STATUTORY RESTRICTIONS – The decision on pay-out of dividend shall be in accordance with regulatory restrictions imposed, if any.

(b) INTERNAL FACTORS

i. Profits earned during the year

ii. Interim dividend paid, if any

iii. the Annual Financial Inspection findings by the Reserve Bank of India with regard to divergence in asset quality or provisioning etc.

iv. the auditors' qualifications pertaining to the statement of accounts

v. the Basel III capital requirements

vi. Business growth plans of the Bank for 5 years

vii. Replacement requirements of capital assets

viii. Fresh Investments or Additional investments in subsidiaries/associates of the Bank

ix. Any other factor as may be deemed fit by the Board.

10. PARAMETERS FOR VARIOUS CLASSES OF SHARES

(a) The factors and parameters for declaration of dividend to different classes of shares shall be same as mentioned in Clause 9 above. The payment of dividend shall be based on the respective rights attached to each class of shares as per their terms of issue and guidelines as applicable.

(b) Dividend on Equity shares shall be paid out of current year's profit only. Dividends are paid only after all legal and contractual obligations have been met and payments on senior capital instruments have been made. This means that there are no preferential distributions, including in respect of other elements classified as the highest quality issued capital.

11. DIVIDEND DISCRETION

(a) Dividend once declared becomes a debt to the Bank.

(b) The Bank shall have full discretion at all times to cancel distributions/payments.

(c) Cancellation of discretionary payments must not be an event of default.

(d) The Bank shall have full access to cancelled payments to meet obligations as they fall due.

(e) Cancellation of distribution/payments shall not impose restriction on the bank except in relation to distribution to shareholders.

(f) The instrument cannot have any credit sensitive coupon feature i.e. a dividend that is reset periodically based in whole or in part on the Bank's credit standing.

12. MANNER OF PAYMENT OF DIVIDEND

(a) Dividends shall be declared on a par share basis as a percentage of the face value of the shares.

(b) Stock Exchanges shall be notified at least 2 working days prior to the date of the meeting of the Board of Directors at which the recommendation of final dividend is to be considered, and shall be intimated within 30 minutes of the conclusion of the Board Meeting about the recommendation of dividend.

(c) The Board of Directors at its meeting shall recommend dividend, finalize the book closure/ record date, authorize opening of bank accounts, designate signatories for operating accounts/ issuing dividend warrants and engage such intermediaries as may be required in connection with the declaration and payment of Dividend.

(d) The dates of closure of the register of members and the share transfer register or the Record Date as the case shall be intimated to the Stock Exchanges at least 7 working days prior to the closure of register of members and share transfer book and published in an English newspaper having nationwide circulation and one Bengali newspaper.

(e) All share transfer requests received before the closure of the register of members/ Record Date shall be processed by the Registrar & Share Transfer Agent and approved by the Board/ Committee of the Board.

(f) The declaration of dividend shall be placed at the Annual General Meetings as an ordinary business agenda and approved by simple majority (ordinary resolution).

(g) The shareholders cannot declare the final dividend at a rate higher than the one recommended by the Board, however, they may declare the final dividend at a rate lower than the rate recommended by the Board.

(h) Once the Dividend is declared at the Annual General Meeting in respect of a financial year, the Bank shall not declare further dividend at an Extraordinary General Meeting in relation to the same financial year.

(i) The dividend declared for each financial year shall be transferred to separate bank accounts and the Bank shall ensure that the entire amount of dividend payable after payment of Dividend Distribution Tax is transferred to the designated account within five days after the declaration of dividend.

(j) The Bank shall make the necessary arrangements for transfer of the dividend amount to the shareholder by electronic modes and ensure dispatch of the dividend warrants within 30 days of declaration of dividend.

(k) The amount remaining unpaid or unclaimed shall be transferred to the Unpaid Dividend Account for the particular financial year within 7 days of expiry of the 30 days' period.

(l) The Bank shall prepare a shareholder wise statement of unpaid dividend and upload the same on Bank's website within 90 days of transferring to the Unpaid Dividend Account.

13. ADDITIONAL REQUIREMENTS FOR PAYMENT OF INTERIM DIVIDEND

(a) The Board at its meeting for declaring interim dividend must satisfy itself that the Bank's financial position justifies such payment. The Interim Dividend shall be paid out of the surplus in the Profit & Loss Account and profit for the financial year in which the interim dividend is proposed to be declared. Interim Dividend shall not be paid out of the reserve fund of the Bank.

(b) The interim dividend shall not be declared in case the Bank has incurred net loss during the current financial year up to the end of the quarter immediately preceding the date of declaration of interim dividend.

(c) The interim dividend shall not be declared at a rate higher than the average rate of dividend declared by the Bank during immediately 3 preceding years.

(d) The Board of Directors at its meeting shall declare interim dividend, finalize the book closure/ record date, authorize opening of bank accounts, designate signatories for operating accounts/ issuing dividend warrants and engaging such intermediaries as may be required for declaration and payment of Dividend. The Bank shall deposit the amount of Interim Dividend within five days of declaration.

(e) The interim dividend declared shall be confirmed at the next Annual General Meeting.

14. PREFERENCE DIVIDEND

(a) If preference shares have not been redeemed, then no Dividend should be declared until dividend on such preference shares is paid or the preference shares are redeemed.

(b) Preference shareholders should be paid dividend before dividend is paid to equity shareholders of the Bank.

(c) Dividend payable on Perpetual Non-cumulative Preference Shares (PNCPS) shall be paid out of the current years' profit.

(d) In the case of Interim Dividend, while preference shareholders need not necessarily be paid dividend before interim dividend is paid to equity shareholders, the Board shall set aside such sum as would be necessary to pay dividend to preference shareholders at the contracted rate.

(e) Arrears of dividend on cumulative preference shares issued should be paid before paying any dividend.

15. TRANSFER OF UNPAID DIVIDEND TO INVESTORS EDUCATION & PROTECTION FUND

(a) Amount of dividend remaining unpaid or unclaimed for a period of 7 years from the date of transfer of such dividend to Unpaid Dividend Account shall be transferred along with interest, if any, by the Bank to the Investors' Education & Protection Fund (IEPF) established by the Central Government.

(b) The Bank shall file with the Ministry of Corporate Affairs (MCA) the details of unclaimed/unpaid dividend each year and the amount of unpaid/unclaimed dividends transferred to IEPF each year and shall maintain the details thereof.

16. CLAIMING FROM UNPAID DIVIDEND ACCOUNT

(a) The application for payment of dividend out of the Unpaid Dividend Account shall be accompanied by indemnity bond in prescribed amount where the amount of dividend is more than Rs.10,000/-, proof of identity, proof of residence, dividend warrant/letter, succession certificate/probate/letter of administration (in case of deceased person), provided that, the requirement of indemnity bond shall be dispensed with in case of state/central government, government company, public sector undertaking, or a public financial institution.

(b) Unclaimed dividend transferred to IEPF shall be claimed by making an application to IEPF Authority.

17. REPORTING SYSTEM

(a) All dividends paid by the Bank on its equity shares and preference shares shall be reported in the Directors' Report to the shareholders.

(b) Details of dividend declared during the accounting year shall be reported to RBI as per the proforma furnished in Annex 2 to the RBI Circular RBI/2004-05/451 DBOD.NO.BP.BC.88/ 21.02.067/2004-05 dated 04.05.2005. The report shall be furnished within a fortnight after declaration of dividends.

(c) All instances of non-payment of dividends shall be notified by the issuing banks to the Chief General Managers-in-Charge of Department of Banking Regulation and Department of Banking Supervision of RBI, Mumbai.

18. MANNER OF UTILIZATION OF RETAINED EARNINGS

The Board shall have the authority to retain the Bank's earnings as may be in the opinion of the Board required for business expansion, improvement of capital adequacy, diversification or such other purposes as may be deemed fit by the Board for ensuring optimum utilization of available resources and enhancement of the shareholder value.

19. AUTHORITY TO ALLOW DEVIATIONS

(a) In case where any specific provision of this policy is in conflict with any direction, notification, guidelines of the Central Government and RBI, the said direction, notification, guidelines would prevail.

(b) The Board of Directors of the Bank shall be the competent authority to allow any deviation from this policy in the matter related to dividend.

20. IMPLEMENTATION

This Policy shall become effective from the date of its adoption by the Board and shall remain in force till the time it is not amended or revoked by the Board, or amendments in the relevant provisions of RBI, GOI, SEBI and other regulators, if any.

21. DISCLOSURE

This policy shall be uploaded on the website of the Bank, www.unitedbankofindia.com and a web link shall be provided in the Annual Report. The Bank shall update the Policy on its website as and when any change is made in the Policy.

ANNEXURE II

SECRETARIAL AUDIT REPORT
FOR THE FINANCIAL YEAR ENDED 31ST MARCH, 2019

[Pursuant to Circular CIR/CFD/CMD1/27/2019, dated 08-02-2019 issued by the Securities and Exchange Board of India read with Regulation 24A of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) (Amendment) Regulations, 2018]

To
The Members
United Bank of India
"United Tower"
11 Hemanta Basu Sarani
Kolkata 700001

We have conducted the Secretarial Audit of the compliance of applicable statutory provisions and the adherence to corporate practices by United Bank of India (hereinafter called the 'Bank') for the audit period from April 1, 2018 to March 31, 2019. Secretarial Audit was conducted in a manner that provided us a reasonable basis for evaluating the corporate conducts / statutory compliances and expressing our opinion thereon.

Based on our verification of the books, papers, minute books, forms and reports, statements, documents filed with the recognized stock exchange(s) on the electronic platform and other records maintained by the Bank and also the information provided by the Bank, its officers, Registrar and Share Transfer Agent of the Bank during the conduct of Secretarial Audit, we hereby report that in our opinion, the Bank has during the audit period from 1st April, 2018 to 31st March, 2019 (the 'audit period'), complied with the statutory provisions listed hereunder and also that the Bank has proper Board processes and compliance mechanism in place to the extent, in the manner and subject to the reporting made hereinafter:

We have examined the books, papers, minute books, forms and reports, statements, documents filed with the recognized stock exchange(s) on the electronic platform and other records maintained by the Bank for the audit period according to the provisions of:

(i) The Banking Regulations Act, 1949, specifically applicable to the Bank;
(ii) Compliance of Notifications, Circulars issued by the Reserve Bank of India;
(iii) The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970
(iv) The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970
(v) United Bank of India (Shares & Meetings) Regulations, 2010;
(vi) The Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ('SCRA') and the rules made thereunder;
(vii) The Depositories Act, 1996 and the Regulations and Bye-laws framed thereunder;
(viii) The following Regulations and Guidelines prescribed under the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ('SEBI Act') to the extent applicable to the Bank: -

a. The Securities and Exchange Board of India (Substantial Acquisition of Shares and Takeovers) Regulations, 2011;
b. The Securities and Exchange Board of India (Prohibition of Insider Trading) Regulations, 1992;
c. The Securities and Exchange Board of India (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009;
d. The Securities and Exchange Board of India (Registrars to an Issue and Share Transfer Agents) Regulations, 1993.
e. The Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits) Regulation, 2014.
f. The Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015;

We have also examined compliance with the applicable clauses of the Listing Agreements entered by the Bank with Stock Exchanges. We report that the Bank has complied the applicable clauses of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 with respect to corporate governance provisions as specified in Regulations 17, 17A, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24A, 25, 26, 27 and clauses (b) to (i) of sub-regulation (2) of Regulation 46 and para C , D and E of Schedule V to the extent that does not violate the provisions of the Banking Regulations Act, 1949, The Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970, The Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970, United Bank of India (Shares & Meetings) Regulations, 2010 and the Notifications, Circulars issued by the Reserve Bank of India.

During the audit period, the Bank has complied with the provisions of the Act, Rules, Regulations, Guidelines, Standards, Listing

Agreements etc. mentioned above, except non-compliance with various directions of Reserve Bank of India on time-bound implementation and strengthening of SWIFT operations for which Reserve Bank of India has imposed penalty of Rupees Three Crores.

We further report that:

The Board of Directors of the Bank is duly constituted with proper balance of Executive Directors, Non-Executive Directors and Independent Directors. The changes in the composition of the Board of Directors that took place during the audit period were carried out in compliance with the provisions of the Banking Regulations Act, 1949, the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 and or Notification/ Circular issued by Government of India and the Reserve Bank of India.

Adequate notice is given to all directors to schedule the Board Meetings, agenda and detailed notes on agenda were sent at least seven days in advance, and a system exists for seeking and obtaining further information and clarifications on the agenda items before the meeting and for meaningful participation at the meeting.

Majority decision is carried through while the dissenting members' views are captured and recorded as part of the minutes.

We further report that there are adequate systems and processes in the Bank commensurate with the size and operations of the Bank to monitor and ensure compliance with the applicable laws, rules, regulations and guidelines.

We further report that during the audit period, the Bank has following specific events:

(i) Increase of Authorized Share Capital from Rs.3000 Crore to Rs.5000 Crore by the Central Government vide Gazette Notification No. S.O 585, dated 16-04-2018 and from Rs.5000 to 8500 vide Gazette Notification No.S.O53 , dated 07-01-2019.

(ii) The listed entity has issued 29202589 Equity shares to the Employees (including Directors) under Employees Share Purchase Scheme.

(iii) The listed entity has issued 1817340067 and 2573889392 shares to the President of India on preferential allotment basis on two occassions in terms of the order of the Central Government.

(iv) In terms of the provisions of Section 10B of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (Inserted on 16-10-2006) and in terms of directives issued by Government of India, Ministry of Finance vide their letter No.F.No.7/93/2013-BOA dated 21-05-2014, the unpaid and unclaimed dividends amounting to Rs.621278 of the listed entity for the Financial year 2010-11 have been transferred to Investors Education & Protection Fund (IEPF) established by the Central Government. However, in absence of any specific direction from the Central Government, the shares in respect of such unpaid/unclaimed dividend were not transferred to IEPF.

We also Certify that:

(i) There was no prosecution initiated and no fines or penalties were imposed during the audit period by under SEBI Act, SCRA, Depositories Act, Listing Agreement, Rules, Regulations and Guidelines framed under these Acts against/ on the Bank and its Directors and Officers.

(ii) The Directors have complied with the disclosure requirements in respect of their eligibility of appointment, their being independent and compliance with the Code of Business Conduct & Ethics for Directors and Management Personnel;

(iii) None of the Director is disqualified to be a Director under the Banking Regulations Act, 1949, and or under the Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 and or Notification/ Circular issued by Government of India and the Reserve Bank of India.

We further report that based on the information received and records maintained there are adequate systems and processes in the Bank commensurate with the size and operations of the Bank to monitor and ensure compliance with applicable laws, rules, regulations and guidelines.

For T. Chatterjee & Associates
FRN No. - P2007WB067100

Sd/-
Binita Pandey
Partner
Membership No: 41594
COP No. : 19730

Dated May 13, 2019, Kolkata

This report is to be read with our letter of even date which is annexed as Annexure A and forms an integral part of this report.

ANNEXURE A TO THE SECRETARIAL AUDIT REPORT

To,
The Members
United Bank of India
"United Tower"
11 Hemanta Basu Sarani
Kolkata 700001

Our report of even date is to be read along with this letter.

1. Maintenance of secretarial record is the responsibility of the management of the Bank. Our responsibility is to express an opinion on these secretarial records based on our audit.

2. We have followed the audit practices and processes as were appropriate to obtain reasonable assurance about the correctness of the contents of the Secretarial records. The verification was done on test basis to ensure that correct facts are reflected in secretarial records. We believe that the processes and practices, we followed provide a reasonable basis for our opinion.

3. Where ever required, we have obtained the Management representation about the compliance of laws, rules and regulations and happening of events etc.

4. The compliance of the provisions of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 ("SEBI Act") and the Regulations, circulars, guidelines issued thereunder; and the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 ("SCRA"), rules made thereunder and the Regulations, circulars, guidelines issued thereunder by the Securities and Exchange Board of India ("SEBI"); is the responsibility of management. Our examination was limited to the verification of procedures on test basis.

5. The Secretarial Audit is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor of the efficacy or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

For T. Chatterjee & Associates
FRN No. - P2007WB067100

Sd/-
Binita Pandey
Partner
Membership No: 41594
COP No. : 19730

Dated May 13, 2019, Kolkata

ANNEXURE III

DETAILS PERTAINING TO UNITED BANK OF INDIA – EMPLOYEE SHARE PURCHASE SCHEME, 2018

A. Relevant disclosures in terms of the 'Guidance note on accounting for employee share-based payments' issued by ICAI or any other relevant accounting standards as prescribed from time to time -

i. In terms of the United Bank of India – Employee Share Purchase Scheme, 2018 (UBI-ESPS 2018) and approval granted by the shareholders of the Bank on February 27, 2018, the Issue Price of ₹10.55/- under the Scheme was determined at a discount of 5% on the average of the weekly high and low of the closing prices of equity shares of the Bank as quoted on the Stock Exchange recording higher volume of trading in Bank's shares during the two weeks preceding the date of offer (date from which the issue was open for subscription by the 'Eligible Employees') rounded off to the nearest multiple of 5 paisa.

ii. The Bank has allotted 2,92,02,589 Equity Shares of face value of ₹10/- each at a price of ₹10.55/- per share including premium under UBI-ESPS 2018. The equity shares under the Issue were issued at a discount of 5% i.e. ₹ 0.54/- per share base on the average of the weekly high and low of the closing prices of equity shares of the Bank as quoted on the Stock Exchange recording higher volume of trading in Bank's shares during the two weeks preceding the date of offer i.e. July 30, 2018, rounded off to the nearest multiple of 5 paisa.

iii. The Profit & Loss Account of the Bank has been debited to the tune of ₹1,57,69,398.06/- on account of the concession granted to employees by way of discount (₹ 0.54/- per equity share) for equity shares allotted under UBI-ESPS 2018.

B. Diluted EPS on issue of shares pursuant to all the schemes covered under the regulations shall be disclosed in accordance with 'Accounting Standard 20 - Earnings Per Share' issued by ICAI or any other relevant accounting standards as prescribed from time to time -

The figures pertaining to diluted EPS forms part of the Audited Financial Statements for the financial year ended March 31, 2019.

C. Details related to ESPS

(i) Details on each ESPS under which allotments were made during the year 2018-2019 –

Sl. No.	Particulars	Details
(a)	Date of Shareholders' Approval	February 27, 2018
(b)	Number of Shares Issued	2,92,02,589 Equity Shares of ₹10/- each
(c)	The price at which such shares are issued	₹ 10.55/- per Equity Share
(d)	Lock-in period	Minimum period of one year from the date of allotment (13.09.2018). Equity Shares allotted under the UBI-ESPS 2018 are locked-in upto September 12, 2019.

(ii) Details regarding allotment made under each ESPS, as at the end of the year:

Sl. No.	Particulars	Details
(a)	Details of the number of shares issued under ESPS	2,92,02,589 Equity Shares of ₹10/- each*
(b)	The price at which such shares are issued	₹10.55/- per Equity Share
(c)	Employee-wise details of the shares issued to – (i) senior managerial personnel; (ii) any other employee who is issued shares in any one year amounting to 5% or more shares issued during that year; (iii) identified employees who were issued shares during any one year equal to or exceeding 1% of the issued capital of the Bank at the time of issuance;	 List of Senior Management Personnel to whom shares have been issued under the Scheme is attached hereunder; Nil Nil
(d)	Consideration received against the issuance of shares, if Scheme is implemented directly by the Bank	₹30,80,87,313.95/- (₹29,20,25,890.00/- credited to Share Capital Account and ₹1,60,61,423.95/- to the Share Premium Account)
(e)	Loan repaid by the Trust during the year from exercise price received	Not Applicable

*Post allotment, and listing of the 2,92,02,589 Equity Shares issued under the UBI-ESPS 2018, the balance equity shares (i.e. 2,07,97,411 Equity Shares) not offered/ subscribed under the Scheme has been stand cancelled and the UBI-ESPS 2018 stands terminated.

Employee-wise details of the shares issued to Senior Managerial Personnel under UBI-ESPS 2018:

Name	Designation	No. of Sharesallotted
Shri Naresh Kumar Kapoor ***	General Manager	10,000
Shri Sanjay Kumar**	General Manager	10,000
Shri Manash Dhar ***	General Manager	10,000
Mohammed Abdul Wahid ***	General Manager	10,000
Shri Umesh Kumar Roy	General Manager	10,000
Smt. Sunanda Basu ***	General Manager	10,000
Shri Bala Raju Kuntilla ***	General Manager	10,000
Shri Vinay Gondotra	General Manager	10,000
Shri Gauri Prosad Sarma	General Manager	10,000
Shri Subhasis Biswas ***	General Manager	10,000
Shri V Sundareshan^	General Manager	10,000
Shri Dilip Kumar Durlabhram Nayak	Dy. General Manager	10,000
Shri Manish Agrawal	Dy. General Manager	10,000
Shri Bikramjit Shom	Dy. General Manager	10,000

** Appointed as Executive Director of the Bank w.e.f. September 20, 2019.
*** Includes list of General Manager(s) who have retired on or before 31.03.2019.
^On deputation as Chief Vigilance Officer in United India Insurance Company Ltd.

Notes:

1. 'Senior Management' include Top Executives in TEG-Scale VII and Scale VI having independent charge and Company Secretary in line with Bank's Code of Conduct for Directors and Top Executives;
2. Necessary disclosures have also been uploaded on Bank's website at the following web-link: www.unitedbankofindia.com.
3. Other disclosures which are not applicable to the Bank have not been separately commented upon;

ANNEXURE IV

AUDITORS' CERTIFICATE FOR UNITED BANK OF INDIA EMPLOYEE SHARE PURCHASE SCHEME, 2018

To
The Members of United Bank of India

This certificate is issued in accordance with Regulation 13 of Securities and Exchange Board of India (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014 (including any amendment thereto or modification thereto) read with SEBI Circular No. CIR/CFD/POLICY CELL/2/2015 dated June 16, 2015.

We, Mookherjee Biswas & Pathak, Arun K. Agarwal & Associates, SBA Associates and Dinesh Jain & Associates, Central Statutory Central Auditors of the United Bank of India ("the Bank"), have examined the compliance of SEBI (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014 by the Bank for the financial year ended March 31, 2019.

Our examination was limited to the implementation of the United Bank of India – Employee Share Purchase Scheme, 2018 (hereinafter referred to as "UBI ESPS 2018") by the Bank for ensuring compliance of the said Regulations.

In our opinion and to the best of the information and according to the explanations given to us, we certify that the UBI ESPS 2018 has been implemented in accordance with the SEBI (Share Based Employee Benefits) Regulations, 2014 and in accordance with the resolution passed by the shareholders of the Bank at the Extra-ordinary General Meeting held on February 27, 2018.

For Arun K. Agarwal & Associates	**For Mookherjee Biswas & Pathak**	**For Dinesh Jain & Associates**	**For SBA Associates**
Chartered Accountants	Chartered Accountants	Chartered Accountants	Chartered Accountants
(FRN: 003917N)	(FRN: 301138E)	(FRN: 004885N)	(FRN: 308136E)
Sd/-	Sd/-	Sd/-	Sd/-
CA Arun Kumar Agarwal	**CA Sankar Prasanna Mukherjee**	**CA Neha Jain**	**CA Nilanjana Sen**
(Partner)	(Partner)	(Partner)	(Partner)
M. No: 082899	M. No: 010807	M. No : 514725	M. No : 061768

Date : 13th May 2019
Place : Kolkata

BUSINESS RESPONSIBILITY REPORT 2018-19

Pursuant to Regulation 34(2)(f) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, the Directors of the Bank present the Business Responsibility Report (BRR) for the financial year 2018-19.

SECTION A: GENERAL INFORMATION ABOUT THE BANK

United Bank of India (UBI) is a public sector commercial Bank offering a wide range of Banking and financial products and services to both large and mid-corporate,micro, small and medium enterprises ("MSME"), agricultural and retail customers. The Bank provides a wide range of products and services aimed at different kind of consumers and companies across a wide range of sectors of the economy. The Bank's business is principally divided into Retail Banking, Agricultural Banking, Corporate Banking, International Banking, MSME Banking, Priority sector lending, Treasury operations and other financial services such as demat /trading services and merchant Banking services, debenture trustees, distribution of third party products such as insurance, mutual fund products, money transfer services, merchant acquiring services, pension and tax collection services.

UBI is one of the 14 major Banks which were nationalized on July 19, 1969. Its predecessor the United Bank of India Ltd., was formed in 1950 with the amalgamation of four Banks viz. Comilla Banking Corporation Ltd. (1914), Bengal Central Bank Ltd. (1918), Comilla Union Bank Ltd. (1922) and Hooghly Bank Ltd. (1932) (which were established in the years indicated in brackets after the names). The origin of the Bank thus goes as far back as to 1914.

After nationalization, the Bank expanded its branch network in a big way and actively participated in the developmental activities, particularly in the rural and semi-urban areas in conformity with the objectives of nationalization. In recognition of the role played by the Bank, it was designated as Lead Bank in several districts and at present it is the Lead Bank in 43districts in the States of West Bengal, Assam, Manipur and Tripura. The Bank is also the Convener of the State Level Bankers' Committees (SLBC) for the States of West Bengal and Tripura.

UBI plays a significant role in the spread of Banking services in different parts of the country, more particularly in Eastern and North-Eastern India and has till date sponsored 4 Regional Rural Banks (RRB) one each in West Bengal, Assam, Manipur and Tripura. These four RRBs together have 1174 branches. UBI is also known as the 'Tea Bank' because of its age-old association with the financing of tea gardens. It has been the largest lender to the tea industry.

The Bank aims to emerge as a dynamic, techno savvy, customer-centric, progressive and financially sound premier Bank of the country with pan-India presence and sharply focuses on business growth and profitability with due emphasis on risk management in an environment of professionalism, Trust and transparency.

Other details about the Bank:

Corporate Identity No.	**UTBI**
Name of the Organisation	**United Bank of India**
Registered address :	**United Tower** 11, HemantaBasuSarani, Kolkata – 700001
Website :	www.unitedbankofindia.com
E-mail id :	co.sec@unitedbank.co.in
Financial Year reported :	1st April, 2018 to 31st March, 2019
Sector(s) that the Bank is engaged in (industrial activity code-wise) :	Section : K - Financial and Insurance Activities of National Industrial Classification (All Economic Activities) – 2008. Group : 641 Class : 6419 Description : Monetary Intermediation Other Monetary Intermediation
List three key products / services that the Bank manufactures / provides (as in balance sheet) :	1. Wholesale banking 2. Retail banking 3. Treasury Operations
Total number of locations where business activity is undertaken by the Bank:	
Number of International Locations:	Two (2) – Bangladesh and Myanmar
Number of National Locations:	2055 Branches
Markets served by the Bank:	Domestic : 2055 Branches Pan India International : Representative Offices in Bangladesh and Myanmar

SECTION B: FINANCIAL DETAILS OF THE BANK

1.	Paid up Capital:	₹7427.92 Crore
2.	Total Income:	₹10944.46 Crore
3.	Total profit after taxes:	(₹2315.93 Crore)
4.	Total Spending on Corporate Social Responsibility (CSR) as percentage of profit after tax (%):	NA (Bank incurred loss during FY 2018-19)
5.	List of activities in which CSR expenditures have been incurred:	The Bank has contributed in 5 (five) Social Welfare Projects through United Bank Socio Economic Development Foundation (UBSEDF) amounting to ₹30.28 lac.

Activities under CSR Initiatives:

CSR Project or activity Identified	Sector in which the project is covered	Amount spent on the projects or programs	Amount spent: Direct or through implementing agency
Promoting gender equality, empowering women & measures for reducing inequalities faced by socially & economically backward group.	Women Empowerment & Social upliftment	₹3.41 lac	Through UBSEDF
Promoting education, research & studies including special education & employment, enhancing vocation skills especially among children, women, elderly & the differently abled.	Education, Social Support & Development	₹19.87 lac	
Other initiatives such as promoting preventive health care, sanitation, making available safe drinking water, infrastructure development, rural development, providing good hospital facilities, etc.	Health & Sanitation, Drinking Water, etc.	₹7.00 lac	
Total Amount Spent		₹30.28 lac	

SECTION C: OTHER DETAILS

The Bank does not have any subsidiary. The Bank sponsors four Regional Rural Banks ("RRBs") in collaboration with the Central Government and the State Governments of West Bengal, Assam, Manipur and Tripura which participate in the Business Responsibility initiatives of the Bank. Total business of the four Banks was ₹44405.90 crore as on 31st March 2019. The Bank also encourages its suppliers, distributors, service providers and other stakeholders to conduct business in a responsible manner.

SECTION D: BUSINESS RESPONSIBILITY (BR) INFORMATION

1. Details of Director responsible for BR:

(a)	Details of the Director responsible for implementation of the BR policy / policies: DIN Number: 07748272 Name: Ashok Kumar Pradhan Designation: Managing Director & CEO
(b)	Details of the BR head: Name: Rakesh Chandra Narayan Designation: General Manager , Planning& Development Telephone Number: 033-22624014 E-mail id: gmpd@unitedbank.co.in

2. Principle-wise (as per NVGs) BR Policy / Policies

The National Voluntary Guidelines (NVGs) on Social, Environmental and Economic Responsibilities of Business released by the Ministry of Corporate Affairs has adopted nine areas of Business Responsibility. These briefly are as under:

P1	Businesses should conduct and govern themselves with Ethics, Transparency and Accountability.
P2	Businesses should provide goods and services that are safe and contribute to sustainability throughout their life cycle.
P3	Businesses should promote the wellbeing of all employees.
P4	Businesses should respect the interests of and be responsive towards all stakeholders, especially those who are disadvantaged, vulnerable and marginalized.
P5	Businesses should respect and promote human rights.
P6	Businesses should respect, protect and make efforts to restore the environment.
P7	Businesses, when engaged in influencing public and regulatory policy, should do so in a responsible manner.
P8	Businesses should support inclusive growth and equitable development.
P9	Businesses should engage with and provide value to their customers and consumers in a responsible manner.

(a) Details of compliance (Reply in Y/N)

No.	Questions	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	P 8	P 9
1$$	Do you have a policy/ policies for (each principle as stated in NVG)	Y*	Y^	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y
2	Has the policy being formulated in consultation with the relevant stakeholders?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y
3	Does the policy conform to any national / international standards? If yes, specify? (50 words)	Yes for all except P7.All policies followed by the bank are in conformity with the guidelines issued by various Regulators and other Statutory bodies such as the Reserve bank of India, Ministry of Finance, SEBI, the Constitution of India and other applicable legal or statutory requirements. Hence, these conform to the National Standards.								
4	Has the policy being approved by the Board? Is yes, has it been signed by MD/ owner/ CEO/ appropriate Board Director?	Yes for all except P1 & P7. Policies are being signed by the competent authority.								
5	Does the Bank have a specified committee of the Board/ Director/ Official to oversee the implementation of the policy?	Yes for all except P7 (the same is reviewed periodically as specified under the different policies)								
6	Indicate the link for the policy to be viewed online?	Link: http://www.unitedbankofindia.com**								
7	Has the policy been formally communicated to all relevant internal and external stakeholders?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y
8	Does the Bank have in-house structure to implement the policy/ policies.	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	Y
9	Does the Bank have a grievance redressal mechanism related to the policy/ policies to address stakeholders' grievances related to the policy/ policies?	Yes for all except P7								
10	Has the Bank carried out independent audit / evaluation of the working of this policy by an internal or external agency?	Y	Y	Y	Y	Y	Y	N	Y	N

$$.There are several policies formally put in place by the Bank that governs various functions of the Bank and directly and indirectly support & promote ethics & transparency in conduct of business, preserve human rights of employees and other stakeholders at work place, ensures employee welfare, take cares of disadvantageous, vulnerable & marginalized, support inclusive growth with concern for the society and provide value to the customers in a responsible manner.

*Under Principle 1, the Bank follows primarily the CVC guidelines as contained in the Vigilance Manual issued by the Central Vigilance Commission. (Link: http://cvc.nic.in/ man04.pdf)

^ Various activities under Principle 2 are governed by the Bank's Domestic Loan Policy which is meant for internal use only and, therefore, cannot be viewed online.

**Various activities under Principle 3 (Staff welfare) are covered by Internal Policies and therefore cannot be viewed online.

Reason for not having policy for P7

While there is no written policy for Principle 7, the Bank being one of the largest banks in the country is associated with policymakers and regulators for the advancement of public good, especially in the areas of governance and administration, economic, especially banking sector reforms, inclusive development policies etc.

(b) If answer to the question at serial number 1 against any principle, is 'No', please explain why:
(Tick up to 2 options)

No.	Questions	P 1	P 2	P 3	P 4	P 5	P 6	P 7	P 8	P 9
1	The Bank has not understood the Principles	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
2	The Bank is not at a stage where it finds itself in a position to formulate and implement the policies on specified principles	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
3	The Bank does not have financial or manpower resources available for the task	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
4	It is planned to be done within next 6 months	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
5	It is planned to be done within the next 1 year	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
6	Any other reason (please specify)	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

3. Governance related to BR

a.	Indicate the frequency with which the Board of Directors, Committee of the Board or CEO to assess the BR performance of the Bank.	Annually
b.	Does the Bank publish a BR or a Sustainability Report? What is the hyperlink for viewing this report? How frequently it is published?	BR report is published annually and uploaded on the Bank's website through the weblink: https://www.unitedbankofindia.com/english/Annual-Report.aspx

SECTION E: PRINCIPLE-WISE PERFORMANCE

Principle 1: Ethics, Transparency and Accountability

1. Does the policy relating to ethics, bribery and corruption cover only the Bank? Yes/ No. Does it extend to the Group/Joint Ventures/ Suppliers/ Contractors/NGOs /Others?

 Yes, it covers bank only.

 The bank has mechanism in place to check corruption, malpractices, embezzlements & misappropriation of fund.

2. How many stakeholder complaints have been received in the past financial year and what percentage was satisfactorily resolved by the management? If so, provide details thereof, in about 50 words or so.

	Particulars	Nos
	Customers	
(a)	Complaints pending at the beginning of the Year	721
(b)	Complaints received during the Year	169711
(c)	Complaints redressed during the Year	169158
(d)	Complaints pending at the end of the Year	1274
SI.No.	Particulars	Nos
	Shareholders	
(a)	Complaints pending at the beginning of the Year	NIL
(b)	Complaints received during the Year	27
(c)	Complaints redressed during the Year	27
(d)	Complaints pending at the end of the Year	NIL

Principle 2: Sustainability of Products & Services

1. List up to 3 of your products or services whose design has incorporated social or environmental concerns, risks and/or opportunities.

a) Self Help Group (SHGs)

Bank has used SHG as an effective way to reach out to the poor and empower them by inculcating saving habits amongst them as well as encouraging them to undertake income generating activities through bank credit. Bank has been implementing NRLM programme for SHGs by providing initial credit limit of ₹1.50 lakh on 1stgrading of SHGs as per the decision of SLBC, West Bengal.

b) UBRSETI (United Bank Rural Self Employment Training Institute)

Bank has so far set up 16 RSETIs in the states of West Bengal, Assam and Tripura to impart training to the prospective entrepreneurs from the downtrodden community of the society.

c) FLCs (Financial Literacy Centre)

Bank has set up FLCs 38 in the states of West Bengal, Assam, Tripura and Manipur to extend financial literacy and credit counselling services to the poorer section of the society.

2. For each such product, provide the following details in respect of resource use (energy, water, raw material etc.) per unit of product (optional):

 (a) Reduction during sourcing/production/ distribution achieved since the previous year throughout the value chain?

 Not Applicable

 (b) Reduction during usage by consumers (energy, water) has been achieved since the previous year?

 Not Applicable

3. Does the Bank have procedures in place for sustainable sourcing (including transportation)?

 (a) If yes, what percentage of your inputs was sourced sustainably? Also, provide details thereof, in about 50 words or so.

 Not Applicable

4. Has the Bank taken any steps to procure goods and services from local & small producers, including communities surrounding their place of work?

 (a) If yes, what steps have been taken to improve their capacity and capability of local and small vendors?

5. Does the Bank have a mechanism to recycle products and waste? If yes what is the percentage of recycling of products and waste (separately as <5%, 5-10%, >10%). Also, provide details thereof, in about 50 words or so.

 Not Applicable

Principle 3: Employees' Well-being

1. Please indicate the Total number of employees. 14296 as on 31.03.19
2. Please indicate the Total number of employees hired on temporary/contractual/casual basis.Nil
3. Please indicate the Number of permanent women employees. 3283
4. Please indicate the Number of permanent employees with disabilities 230
5. Do you have an employee association that is recognized by management.Yes
6. What percentage of your permanent employees is member of this recognized employee association? 96.74%
7. Please indicate the Number of complaints relating to child labour, forced labour, involuntary labour, sexual harassment in the last financial year and pending, as on the end of the financial year.

No.	Category	No of complaints filed during the financial year	No of complaints pending as on end of the financial year
1	Child labour/forced labour/involuntary labour	NA	NA
2	Sexual harassment	2	1
3	Discriminatory employment	Nil	Nil

8. What percentage of your under mentioned employees were given safety & skill up-gradation training in the last year?
 (a) Permanent Employees: 5.03%
 (b) Permanent Women Employees: 5.02% (out of permanent women employees)
 (c) Casual/Temporary/Contractual Employees: NA
 (d) Employees with Disabilities: 5.34% (out of employees with disability)

Principle 4: Stakeholder Engagement

1. Has the Bank mapped its internal and external stakeholders? Yes
2. Out of the above, has the Bank identified the disadvantaged, vulnerable & marginalized stakeholders. YES
3. Are there any special initiatives taken by the Bank to engage with the disadvantaged, vulnerable and marginalized stakeholders. If so, provide details thereof, in about 50 words or so.

 The Bank practices Policy of equal treatment of all employees without any discrimination and bias of caste, creed and religion. The bank has taken various initiatives to engage and extend benefits to the internal disadvantaged, vulnerable and marginalized stakeholders like no-frill accounts, Kisan Credit Cards, Loans to Self Help Groups, Direct Benefit Transfers, Social Security pension, Loans to women entrepreneurs etc.

I. Employee Grievance Redressal Mechanism

A two tier Grievance Redressal Committee for staff members to look into the grievance of the employees has been functioning.

II. Welfare of SC/ST employee:

The Bank has been meticulously following the Government guidelines for reservation in employment/zone of consideration in promotion in respect of specific reserved categories.

Principle 5: Respecting Human Rights

1. Does the policy of the Bank on human rights cover only the Bank or extend to the Group/Joint Ventures/Suppliers/Contractors/NGOs/Others?

 The Bank's various Policies protecting the Human Rights directly or indirectly covers only the operations of the Bank and do not extend to its external parties.

 The Bank is well conscious of the fact that all human beings are free and equal and that the basic human rights of individuals must be respected

 The Bank understands well the human rights of employees at the work place.The Bank respects the freedom of associations and the right to collective bargaining.

Prevention of Sexual Harassment

The Bank prohibits sexual harassment at the work place in the service condition there are clauses exclusively for prevention of sexual harassment at work place. Accordingly, for addressing issue related specifically to women employees at work places, the Bank has adequate mechanism in place. The Bank has in place the "Internal Complaint Committee" to look after these issues.

Dissemination of Information to Public through the Bank's website

The Bank places up-to-date information about its product /services /facilities available to public /any other information which can be disclosed in public domain. Being a listed Company, the Bank disseminates its financial results in the public domain for information to public.

United Bank of India is a Public Authority in the right to information Act 2005, and thus under obligation to provide information to members of public.

Redressal of Complaints

In order to facilitate quicker and fair non-discriminatory redressal of grievance, bank has introduced "Comprehensive Complaint Management System"(CCMS) by leveraging technology. Under this system the complaints received by Branches, Regional Offices and Departments at Head Office have to be uploaded/ entered by the concerned Branch/Regional Office/Head office Department in the "On Line Grievance Redressal" portal, available at Intranet link and the status of redressal/settlement is also to be uploaded on Real Time Basis. The complaint lodged by the customer online will be added by the system in the outstanding data base of CCMS.

The Comprehensive Complaint Management System helps us to track the status of each complaint and to take a comprehensive look with regard to the total complaints received by the bank during the period and status thereof. The necessary follow-up measures would be taken immediately for expeditious disposal of the complaints and grievances. The system enables to classify the nature of complaints along with the products and services to which the complaints are related. The analysis of data will help the bank management to take appropriate action to improve front line service directly which includes updating customer service standard, improving communication, providing additional training to staff on product and services, taking remedial action for systemic issues etc.

2. How many stakeholder complaints have been received in the past financial year and what percent was satisfactorily resolved by the management?

 During the year bank received 169711 customers' complaints and 721 complaints were pending at the beginning of the year. Out of the total no. of 169158 compliant, 99.25% were satisfactorily redressed by the Bank satisfactorily during the year.

During the year bank received 27 complaints from Shareholders and no complaint was pending at the beginning of the year. Out of the total no. of 27 complaints, 100% were satisfactorily redressed by the Bank satisfactorily during the year.

Principle 6: Caring for Environment

1. Does the policy related to Principle 6 cover only the Bank or extends to the Group/Joint Ventures/Suppliers/Contractors/NGOs/others.

 The policy covers the Bank only.

2. Does the Bank have strategies/ initiatives to address global environmental issues such as climate change, global warming, etc? Y/N. If yes, please give hyperlink for webpage etc.

 Yes

a) As per Bank's Lending Policy, the Bank is not extending any finance to environmentally hazardous industries likeozone depleting substances CFC.

b) In case of manufacturing units emitting toxic pollutant, Bank ensures that borrower has necessary NOC from Pollution Control Board.

3. Does the Bank identify and assess potential environmental risks?

 Yes, in TEV (Techno Economic viability) study, potential Environmental hazards & it's mitigation part for the project appraisal.

4. Does the Bank have any project related to Clean Development Mechanism? If so, provide details thereof, in about 50 words or so. Also, if Yes, whether any environmental compliance report is filed?

 The bank has adopted various technology to promote paperless banking like Internet Banking, Mobile Banking, Core Banking Solutions, emails for internal & external communication which enable minimal use of paper & also significantly reduces travelling their by saving petrol/ diesel etc. thereby reducing carbon footprint.

5. Has the Bank undertaken any other initiatives on – clean technology, energy efficiency, renewable energy, etc. Y/N. If yes, please give hyperlink for web page etc.

 Bank has taken a green initiative by consolidating few physical servers into virtual environment for non-critical applications. By enabling virtual services, Bank has reduced the power consumption, carbon footprint and thereby enabling better server management in the Data Centre.

6. Are the Emissions/Waste generated by the Bank within the permissible limits given by CPCB/SPCB for the financial year being reported?

 Not Applicable

7. Number of show cause/ legal notices received from CPCB/SPCB which are pending (i.e. not resolved to satisfaction) as on end of Financial Year.

 Not Applicable

Principle 7: Responsible Advocacy

1. Is your Bank a member of any trade and chamber or association? If Yes, Name only those major ones that your business deals with: Yes.

- Indian Bank's Association(IBA)
- Federation of Indian Chamber of Commerce & Industry (FICCI)
- Bharat Chamber of Commerce (BCC)
- Bengal National Chamber of Commerce & Industry (BNCCI)
- Institute of Banking Personnel Selection
- The Clearing Corporation of India Limited(CCIL)
- National Payment Corporation of India(NPCI)
- Indian Institute of Banking and Finance
- National Institute of Bank Management

2. Have you advocated/lobbied through above associations for the advancement or improvement of public good? Yes/No; if yes specify the broad areas (drop box: Governance and Administration, Economic Reforms, Inclusive Development Policies, Energy security, Water, Food Security, Sustainable Business Principles, Others)

 Yes, In IBA Bank Continuously advocate for general improvement in conduct of Business

Principle 8: Enabling Inclusive Growth and Equitable Development

1. Does the Bank have specified programmes/initiatives/projects in pursuit of the policy related to Principle 8? If yes details thereof.

 The Bank has undertaken several initiatives / programs / projects in pursuit of inclusive growth and equitable development of the society.

 Financial Inclusion:

 The Bank has implemented Financial Inclusion Project to provide the Banking service in unbanked rural areas with affordable cost to the rural masses and covered them in main economical stream for inclusive growth. The Bank has covered 13381 un-banked villages through 4252 Bank Mitras to deliver basic banking services to the excluded population.

2. Are the programmes/projects undertaken through in-house team/own foundation/external NGO/government structures/any other organization?

 The financial inclusion project has been undertaken by the in-house team.The Bank has setup a separate department headed by General Manager for this purpose.

3. Have you done any impact assessment of your initiative?

 Yes

4. What is your Bank's direct contribution to community development projects- Amount in INR and the details of the projects undertaken.

 Bank has extended financial assistance in 93 various welfare activities involving a total sum of ₹30.28 Lakh towards its CSR activities till 31.03.2019. During the financial year 2018-19, focus was on extending assistance to the proposals under Health care, Library room construction, distribution of e-slates, blankets and vehicle for social activities. In the year, Bank has disbursed ₹30.28 Lakh for 5 projects for implementation by the respective organizations towards cause of the society.

5. Have you taken steps to ensure that this community development initiative is successfully adopted by the community? Please explain in 50 words, or so.

 Bank has initiated Community Development programme like 16 UBRSETI (United Bank Rural Self Employment Training Institute) and 38 FLC(Financial Literacy Centre). Activities of these institute/centres are monitored from the Head Office. Under UBRESTI scheme, training was imparted to rural youths/women. Total 75% of trainees have been settled by establishing own economic venture. Similarly, FLCs are promoting financial literacy and credit counselling services to the poorer section of the society in the State of West Bengal, Assam, Tripura and Manipur.

Principle 9: Providing Consumers' Value

1. What percentage of customer complaints/consumer cases are pending as on the end of financial year?

 During the year bank received 169711 Customers' complaints and 1274 complaint were pending at the beginning of the year. Out of the total no. of 169198 compliant, 99.25 % were satisfactorily redressed by the Bank during the year.

 During the year bank received 27 complaints from Shareholders and no complaint was pending at the beginning of the year. Out of the total no. of 27 complaints, 100% were satisfactorily redressed by the Bank during the year.

2. Does the Bank display product information on the product label, over and above what is mandated as per local laws? Yes/No/N.A. / Remarks(additional information)

 NA

3. Is there any case filed by any stakeholder against the Bank regarding unfair trade practices, irresponsible advertising and/or anti-competitive behaviour during the last five years and pending as on end of financial year. If so, provide details thereof, in about 50 words or so.

 NIL

4. Did your Bank carry out any consumer survey/ consumer satisfaction trends?

 No.

Sd/-
Ashok Kumar Pradhan
Managing Director & CEO
DIN: 07748272

REPORT OF THE BOARD OF DIRECTORS OF UNITED BANK OF INDIA ON CORPORATE GOVERNANCE: 2018 – 2019

1. Introduction

The Bank endeavours to attain highest standard of Corporate Governance and remain committed to its responsibilities towards all its stakeholders including customers, shareholders, employees, general public, society, patrons, Governments and Regulators. The Bank has adopted the best practices in terms of disclosure, transparency, business ethics that is aimed at adding to the intrinsic value of the stakeholders of the Institution.

2. Bank's philosophy on Code of Governance

In United Bank of India, the fundamental philosophy of Corporate Governance, is guided by the Bank's conscious efforts to honour its responsibilities towards value creation through effective management and control. The Bank's policies and practices are not only consistent with statutory requirements, but also all-encompassing to honour its commitments to take the organization to the next level. Better governance principles and practices have enabled the Bank to introduce more effective internal controls suitable to the changing nature of business operations, improve performance and increase transparency in its dealings, activities and policies.

The Bank defines Corporate Governance as a systematic process by which an organization is directed and controlled maintaining a set of well defined ethical standards and at the same time enhancing its wealth generating capacity. The Board is collectively responsible for ensuring that Corporate Governance process is structured to direct Bank's actions, assets and resources to achieve this purpose while upholding Governance norms. The Bank, on one hand, is extremely mindful about Shareholders' values, while, on the other, responsibly upholds the needs of the economy, national priorities and corporate growth. It recognizes high standards of ethical values, financial discipline and integrity in achieving excellence in all fields of activities. The Bank seeks to proclaim corporate excellence by -

- Upholding Shareholders' values within the established principles and legal framework of the Nation;
- Defining clear statement of Board Processes and Board's relationship with the Executive Management;
- Framing transparent corporate strategies, effective policies, efficient procedures, rigid ethical standards, strict legal responsibilities and fostering overall professional approach;
- Extending best of facilities and services to the customers;
- Proclaiming congenial environment for employees, customers and the society at large;
- Ensuring pro-active management, free from any bias.

Bank considers itself as a Trustee to its Stakeholders and acknowledges the fiduciary responsibility towards them by creating and safeguarding their wealth. The fundamental drivers of sustainable performance are safety, security, respect, excellence and teamwork.

3. Board of Directors

The Board of Directors of the Bank is constituted in accordance with the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 (hereinafter referred to as "Act") read with Nationalised Banks (Management and Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970 (hereinafter referred to as "Scheme"). The Board is entrusted with the ultimate responsibility of management, direction and performance of the Bank and has been vested with the requisite powers, authorities and duties.

3.1. Composition of Board of Directors as on March 31, 2019

As on March 31, 2019, the Board of Directors of the Bank was constituted with 3 Executive and 4 Non-Executive Directors. Under the Act, Executive Directors are appointed for a period not exceeding 5 years or up to the date of their superannuation, whichever is earlier. Non-Executive Directors other than Central Government and RBI nominees are appointed for 3 years. Nominees of Central Government and RBI hold office at the pleasure of the Government of India/ RBI. All directors other than Shareholder Directors are appointed by the Central Government. Shareholder Directors are elected by majority of shareholders other than the Central Government based on percentage public shareholding in the paid up share capital of the Bank. The composition of the Board may be altered by the Central Government as and when it deems fit.

Name	Category	DIN	Board Meetings		Attendance at last AGM	Other Directorship including this Bank	Committee Membership including this Bank	Committee Chairmanship including this Bank
			Held during the tenure	Attended				
Sri. Ashok Kumar Pradhan	Managing Director & CEO	07748272	5	5	NA	1	0	0
Sri. Sanjay Kumar	Executive Director	06741352	5	5	NA	1	1	0
Sri. Ajit Kumar Das	Executive Director	NA*	5	5	NA	1	1	0
Sri. Sameer K. Khare	Govt. Nominee Director	07103204	10	10	No	2	1	0
Sri. Denesh Singh	Non- Official Director (CA Category)	08038875	10	10	Yes	1	2	1
Sri. Sidhartha Pradhan	Non- Official Director	06938830	10	10	Yes	3	1	0
Sri. S. Suryanarayana**	Shareholder Director	00739992	9	9	NA	1	1	1

*Note: Bank is a body corporate constituted under the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970. In view of the recent changes by the Ministry of Corporate Affairs in the Form DIR-3, DIN could not be allotted to our Executive Director.

** Sri. S. Suryanarayana, Director completed his term of appointment as Shareholder Director on June 10, 2018 and was re-elected as Shareholder Director w.e.f. August 3, 2018. The details pertaining to Board Meetings includes number of meetings held and attended during both the terms of his appointment.

- The Directorships/ Committee Memberships are based on the latest disclosure received by the Bank. 'Other Directorship' includes directorship in all public limited companies, whether listed or not, and excludes all other companies viz. private limited companies, foreign companies and companies under Section 8 of the Companies Act, 2013. 'Committee Membership' includes membership in Audit Committee and Stakeholders' Relationship Committee only in public limited companies.
- Among the Directors, Sri. Sidhartha Pradhan, Non-Official Director is an Independent Director in Petronet LNG Limited, a listed entity other than the Bank.
- None of the Board Members is a member in more than 10 Committees or chairman of more than 5 Committees reckoned in terms of Regulation 26 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended) (hereinafter referred to as "Listing Regulations").
- None of the Directors is related to each other.
- Among the Non-Executive Directors, Sri. S. Suryanarayana holds 200 equity shares of the Bank. Bank has not issued any convertible instruments to its Non-Executive Directors during the financial year under review.
- During the financial year 2018-19, 10 (ten) Board Meetings were held on 11.05.2018, 28.05.2018, 25.07.2018, 09.08.2018, 17.09.2018, 31.10.2018, 13.11.2018, 14.12.2018, 15.01.2019 and 05.02.2019.
- Weblink for Directors' Familiarization – http://www.unitedbankofindia.com/uploads/BOD_new.pdf
- Based on the criteria of independence, only the Shareholder Director shall be considered as Independent Director on the Board of the Bank. In line with the declaration submitted by Sri. S. Suryanarayana, Shareholder Director, the Board of Directors have confirmed that the Shareholder Director fulfills the conditions of independence specified in Listing Regulations (to the extent applicable) and is independent of the management of the Bank;
- Matrix setting out the skills/ expertise/ competence of the Board of Directors identified by and available with the Board as required in the context of the banking business and industry as a whole –

Sl. No.	Competence Area (Skills/ Competence/ Expertise)
1.	**Personal** (includes attributes like honesty, integrity and sound value system)
2.	**Board Experience** (includes prior experience at board level, understanding of corporate governance, dealing with issues relating to conflict of interest)
3.	**Finance & Banking** (includes understanding of finance in all its facets, banking operations, experience in making prudent financial decisions, accounting practices)
4.	**Management** (includes ability and experience in devising corporate strategy processes, analytics, stakeholder management, sophisticated risk management models and methods, human resource management and talent development, analytical capability to guide decision-making, leadership abilities and ability to give support and constructive criticism to management)

5.	**Funding and Capital Structure** (includes knowledge on capital planning, capital raising through a mix of debt and equity capital, regulatory framework, knowledge of relevant legislative issues)
6.	**Professional and Industry** (includes knowledge relevant to banking products and technology, knowledge about banking industry and the various markets in which the Bank operates)
7.	**Information Technology** (includes knowledge of application of IT systems and business processes in banking sector, understanding the "new digital" world commonly referred to as digital banking)

3.2. Particulars of Change in Directorship during the year (Chronologically):

Change	Name of Director	Designation	Date of Assumption / Vacation of Office	Board Meetings	
				Held during the tenure	Attended
Joined	Sri. S. Suryanarayana	Shareholder Director	03.08.2018	7	7
	Sri. Sanjay Kumar	Executive Director	20.09.2018	5	5
	Sri. Ashok Kumar Pradhan	Managing Director & CEO	01.10.2018	5	5
	Sri. Ajit Kumar Das	Executive Director	01.10.2018	5	5
Vacated	Sri. S. Suryanarayana	Shareholder Director	10.06.2018	2	2
	Sri. Arnab Roy	RBI Nominee Director	30.06.2018	2	1
	Sri. Pawan Kumar Bajaj	Managing Director & CEO	30.09.2018	5	5
	Sri. Ashok Kumar Pradhan	Executive Director	30.09.2018	5	5

3.3. Profile(s) of the Directors appointed/ re-appointed during the FY 2018-19

The profiles of the directors who were appointed/ re-appointed/ nominated on the Board of the Bank and assumed office during the financial year 2018-19 are furnished hereunder:

- **Sri. Ashok Kumar Pradhan, Managing Director & CEO**

 Sri. Ashok Kumar Pradhan took over the charge of the Bank as its Managing Director & CEO on 1st October 2018. Before joining the Bank he was Executive Director of United Bank of India since 18th February 2017. Sri. Pradhan, M.Com. and CAIIB, joined State Bank of Bikaner & Jaipur as a Probationary Officer in July 1985. In a career spanning over 32 years, he has functioned in almost all areas of banking especially Credit and Branch Banking across 4 SBI associate banks namely State Bank of Bikaner & Jaipur, State Bank of Hyderabad, State Bank of Mysore and State Bank of Travancore. Before joining this Bank as Executive Director, he was Chief General Manager of State Bank of Travancore. Sri. Pradhan holds 20,000 equity shares in the Bank allotted under the United Bank of India - Employee Share Purchase Scheme, 2018.

- **Sri. Sanjay Kumar, Executive Director**

 Sri. Sanjay Kumar assumed the charge as Executive Director of the Bank on September 20, 2018. Sri. Kumar, M.Sc. and CAIIB, joined United Bank of India in 1985. In a career spanning over 32 years, he has functioned in almost all areas of banking especially Treasury, Corporate Accounts, Credit, Recovery & Credit Monitoring and Branch Banking. As the General Manager in-charge of Corporate Accounts, he was designated Chief Financial Officer of the Bank. Before taking up this assignment, he was General Manager of the Bank in-charge of Recovery & Credit Monitoring. Sri. Kumar holds 10,300 equity shares in the Bank of which 10000 equity shares has been allotted under the United Bank of India - Employee Share Purchase Scheme, 2018.

- **Sri. Ajit Kumar Das, Executive Director**

 Sri. Ajit Kumar Das, B.Lib.Sc., B. Sc. and CAIIB, has been a career banker and had joined Canara Bank as a Probationary Officer in November, 1986. In a career spanning over 31 years, he has functioned in almost all areas of banking especially Credit and Financial Inclusion. Before joining this Bank as Executive Director, he was General Manager of Canara Bank. Sri. Das does not hold any equity share in the Bank.

- **Sri. S. Suryanarayana, Shareholder Director**

 Sri. S Suryanarayana has been a career banker and has worked in various capacities between 1976 and 2012 in Andhra Bank from where he retired as Chief General Manager. His exposure encompasses all facets of banking covering areas like Credit, Risk Management, IT, Branch Banking, HR, Internal Audit, Investor Relations etc. He has attended various training programmes in India and overseas – notable few being training in Kellogg's Business School, USA and Banking Summer School, Luxembourge. Post retirement he has completed

an assignment of 1 year on ERP, HR as a consultant for a large infrastructure company. He has also chaired the interview panels of IBPS in 2014 and 2015. Sri. S. Suryanarayana has been elected as Shareholder Director on Bank's Board for the second term of 3 years w.e.f. August 3, 2018. Prior to this, Sri Suryanarayana was on the Board of the Bank from 11.06.2015 to 10.06.2018 as Shareholder Director. Sri. Suryanarayana holds 200 equity shares in the Bank.

3.4. Board Meeting Process:

The Notice of the Board Meeting is given well in advance. Usually the Meetings of the Board are held at the Head Office in Kolkata. The agenda and related papers are circulated well in advance to facilitate effective discussion and decision making. Considerable time is devoted by the Directors to the deliberation and decision making at the Board Meetings.

Company Secretary / Executive Secretary to Managing Director & CEO acts as the Secretary to the Board and is responsible for convening the board and committee meetings, collation of reports, preparation and distribution of agenda. The Company Secretary remains present at all Board and Board Committee Meetings and supports in Compliance, Corporate Governance and ensures proper recording of Minutes.

Apart from the formal Board Meetings, interactions outside the Board Meetings also take place between the Managing Director & CEO and other Non-Executive Directors.

3.5. Director Induction Process:

The directors are provided with the requisite brochures, documents, reports, internal policies, other reading materials to enable them to acclimatize with the Bank's working environment and operational procedures and practices. Periodic presentations are made to the Board to enable them to be updated on the Bank's performance in various operational areas. Directors are also nominated to the training programmes conducted by organizations like CAFRAL, NIBM etc.

At various Board Meetings during the year, presentations are made to the Board on Bank's operational and functional areas, policies, changes in regulatory environment applicable to the Bank and other related issues.

3.6. Board Evaluation Process:

Considering only one Independent Director on the Board of the Bank, the requirement of holding one separate meeting of Independent Directors becomes non-implementable for the Bank. However, with an objective to continuously improve the standards of governance, the Board of Directors in FY-19 has approved implementation and adoption of the process of Board Evaluation (including Committees and Individual Directors) by way of internal assessment. Pursuant to the provisions of the Listing Regulations, the Board has carried out the performance evaluation of its own performance and that of its Committees as well as evaluation of performance of the Directors individually. The evaluation for the financial year 2018-19 was carried out through structured questionnaires covering all aspects – knowledge, experience, functioning, composition, composition of its committees, meetings, culture, governance, execution, performance, discharge of statutory duties and obligations and potential. Each Director was provided with detailed questionnaire(s) including the range of topics to evaluate performance of the Board. The parameters of evaluation and overall evaluation process were aligned to the provisions of Listing Regulations and SEBI Guidance Note on Board Evaluation dated January 5, 2017. The questionnaire was completed by all the Directors. The responses received from the Directors were compiled and a report was submitted to the Board for deliberations. The Board discussed the Report and agreed on a set of actions to drive further improvement in Board effectiveness.

4. Committees of the Board under Listing Regulations

The Board Committees under various statutory and regulatory guidelines are formed by the Board to carry out defined roles as mentioned thereunder and delegated by the Board as a part of good governance practice. Minutes of the proceedings of these Committee Meetings are circulated among the Board members and placed at the Board Meetings for noting.

4.1. Audit Committee of the Board:

The Audit Committee of the Board of Directors of the Bank is constituted in terms of the RBI guidelines to perform the roles and responsibilities as prescribed by the RBI. The Bank originally formed its Audit Committee on June 26, 1995 which has been reconstituted from time to time

As prescribed by the RBI, the meetings of the Audit Committee should ordinarily be held at least once a quarter and not less than six times a year. The composition of the Committee and attendance of the Members of the Audit Committee in the meetings held during the financial year 2018-19 are as under –

Name	Designation	Member from / upto	Meetings held	Meetings Attended
Sri. Denesh Singh	Non-official Director (Chairman of the Committee)	Whole year	7	7
Sri. Ashok Kumar Pradhan	Executive Director	Up to 30.09.2018	4	4
Sri. Ajit Kumar Das	Executive Director	From 04.10.2018	3	3
Sri. Arnab Roy	RBI Nominee Director	Up to 30.06.2018	1	1
Sri. Sameer K. Khare	Govt. Nominee Director	Whole year	7	7

- During the financial year 2018-19, 7 (seven) Meetings of the Audit Committee were held on 28.05.2018, 25.07.2018, 09.08.2018, 17.09.2018, 13.11.2018, 05.02.2019 and 01.03.2019.
- Sri. Sanjay Kumar, Executive Director remained present at the Audit Committee meetings as Invitee w.e.f. 04.10.2018.
- Chief Financial Officer, Chief Compliance Officer, Head of the Audit & Inspection Department and the Company Secretary remained present in the Audit Committee meetings.
- The Chairman of the Audit Committee was present at the last Annual General Meeting of the Bank to address to the shareholders' queries.

4.1.1. The functions of Audit Committee include the following:

- Overseeing the financial reporting process, disclosure of financial results; and ensuring correct, adequate and credible dissemination of financial information;
- Reviewing with the Management, periodic Financial Statements and Auditor's Report thereon before submission to the Board for approval;
- Reviewing efficacy of internal control system and internal audit and inspection functions;
- Reviewing the findings of audit and inspection by the concurrent auditors, revenue auditors, internal inspectors in matters where fraud is suspected or irregularity or failure of internal control systems is observed and suggesting ways and means to strengthen control mechanisms;
- Interaction and analysis of Bank's financials with the Statutory Central Auditors before the finalization of the periodic accounts and reports, focusing on the changes in accounting policies and practices, discussion on Audit Report and audit qualifications if any, LFAR etc;
- Monitoring Auditors' independence and performance;
- Detailed analysis on the findings in Risk Based Supervision (RBS) conducted by RBI, Special Audit, if any, conducted by the RBI or any other agency assigned by RBI;
- Review of various audit & inspection reports;
- Looking into the reasons for substantial defaults in the payments to the depositors, shareholders, stakeholders, debenture holders and creditors, if any;
- Reviewing with the Management, the performance of statutory, concurrent and revenue auditors and adequacy of internal control system, discussing with the auditors on significant findings and follow up thereon;
- Giving special focus on the follow up on:
 a) Inter Branch Adjustment Accounts
 b) Un-reconciled long standing entries in Inter Branch Accounts & NOSTRO Accounts.
 c) Arrears in balancing of books at various branches.
 d) Frauds and
 e) Major areas of housekeeping.

4.2. Nomination Committee:

4.2.1. The Nomination Committee of the Bank is formed solely for the purpose of determining 'fit and proper' status of candidates filing nominations for contesting election for directorship u/s 9(3)(i) of the Act, in terms of the criteria laid down by RBI. During the financial year 2018-19, 1 (one) meeting of the Committee was held on 02.08.2018 to examine 'fit and proper' status of Sri. S Suryanarayana, the only candidate contesting election for the only position of Shareholder Director on the Board. The composition of the Committee and attendance of the Members of the Nomination Committee in the meeting held during the financial year 2018-19 are as under –

Name	Designation	Member from / upto	Meetings held	Meetings Attended
Sri. Sameer K. Khare	Govt. Nominee Director (Chairman of the Committee)	Whole year	1	1
Sri. Denesh Singh	Non-official Director	Whole year	1	1
Sri. Sidhartha Pradhan	Non-official Director	Whole year	1	1

4.3. Remuneration Committee:

4.3.1. The Remuneration Committee of the Bank has been formed in terms of Ministry of Finance Notification F.No. 20/1/2005 – BO-I dated March 9, 2007 to deliberate on the Performance Linked Incentives of the whole-time directors of Public Sector Banks, subject to achievement of the broad quantitative parameters fixed under performance evaluation matrix based on the key performance indicators and qualitative parameters and benchmarks based on various compliance reports during the previous year. The functions of the Remuneration Committee include evaluating performance of the whole time directors of the Bank in respect of broad quantitative and qualitative parameters for determining eligibility of the whole-time directors to performance linked incentive in respect of the previous year. The Committee was also entrusted with the responsibilities of administration and superintendence of the United Bank of India Employee Share Purchase Scheme, 2018. During the financial year 2018-19, 1 (one) meeting of the Committee was held on 11.05.2018.

4.3.2. The composition of the Committee and attendance of the Members of the Remuneration Committee in the meeting held during the financial year 2018-19 are as under –

Name	Designation	Member from / upto	Meetings held	Meetings Attended
Sri. Sameer K. Khare	Govt. Nominee Director (Chairman of the Committee)	Whole year	1	1
Sri. Arnab Roy	RBI Nominee Director	Up to 30.06.2018	1	0
Sri. Sidhartha Pradhan	Non-official Director	Whole year	1	1
Sri. S. Suryanarayana	Shareholder Director	Up to 10.06.2018	1	1

4.3.3. No Performance Linked Incentive was paid to any Whole-time director during the financial year 2018-19.

4.4. Remuneration of Directors:

4.4.1. The Bank has no pecuniary relationship or transaction with its Non-Executive Directors other than payment of Sitting Fees and reimbursement of expenses incurred in connection with attending Board and Board Committee meetings. Non-Executive Directors are entitled to Sitting Fees at rates prescribed by the Central Government. Presently, the Sitting Fees are @ Rs.40,000/- per Board Meeting attended and Rs.20,000/- per Board Committee Meeting attended. An additional amount of Rs.10,000/- and Rs.5,000/- per meeting is paid for chairing Board and Board Committee Meeting respectively.

4.4.2. The Whole-time Directors are paid salary and perquisites in terms of the Government of India pay-scales and extant rules and regulations of the Central Government and the Bank.

4.4.3. Details of remuneration/ sitting fees paid/ payable to the Directors for the year ended March 31, 2019 and their shareholding as on that date are as under:

Name of Director	Salary (Rs.)	Perquisites (Rs.)	Superannuation benefits (Rs.)	PLI (Rs.)	Sitting Fees (Rs.)	Total (Rs.)	Shareholding (Equity) (Nos.)
Sri. Pawan Kumar Bajaj (up to 30.09.18)	1404465	17883	4375110	--	--	5797458	20,000
Sri. A. K. Pradhan (upto 30.09.18 as Executive Director and w.e.f. 01.10.18 as MD & CEO)	2552736	35129	--	--	--	2587865	20,000
Sri. Sanjay Kumar (w.e.f. 20.09.18)	1242845	16290	--	--	--	1259135	10,300
Sri. Ajit Kumar Das (w.e.f. 01.10.18)	1172184	13889	--	--	--	1186073	Nil
Sri. Denesh Singh	--	--	--	--	452700	452700	Nil
Sri. Sidhartha Pradhan	--	--	--	--	530400	530400	Nil
Sri. S. Suryanarayana (up to 10.06.18 and w.e.f. 03.08.18)	--	--	--	--	520400	520400	200

Notes:

I. PLI means Performance Linked Incentive.

II. The service contract, notice period and severance fee are governed by the relevant provisions in the Act/ Nationalised Banks (Management & Miscellaneous Provisions) Scheme, 1970.

III. Among the non-executive directors, the office bearers i.e. Govt. & RBI nominees on the Board are not entitled to Sitting Fees.

IV. The equity shares under United Bank of India – Employee Share Purchase Scheme, 2018 were allotted to the Eligible Employees and Whole-time Directors of the Bank as on December 31, 2017 at an effective discount of Re. 0.54/- per equity share.

4.5. Stakeholders' Relationship Committee:

4.5.1. The Stakeholders' Relationship Committee was formed, as prescribed under Regulation 20 of the Listing Regulations, with a view to upholding the principles of corporate governance and to safeguard the various aspects interest of all the security holders of the Bank. The functions of the Stakeholders Relationship Committee includes speedy disposal of transfer, sub-division, rematerialisation and consolidation of shares and revalidation of warrants, monitoring investor grievance mechanism and ensuring redressal thereof in a time-bound manner etc.

4.5.2. The 5 (five) meetings of the Committee during the financial year 2018-19 were held on 11.05.2018, 25.07.2018, 27.09.2018, 31.10.2018 and 05.02.2019. The composition of the Committee and attendance of the Members of the Stakeholders' Relationship Committee in the meeting held during the financial year 2018-19 are as under –

Name	Designation	Member from / upto	Meetings held	Meetings Attended
Sri. S. Suryanarayana	Shareholder Director (Chairman of the Committee)	Up to 10.06.2018 & From 03.08.2018	4	4
Sri. A K. Pradhan	Executive Director	Up to 30.09.2018	3	3
Sri. Sanjay Kumar	Executive Director	From 04.10.2018	2	2
Sri. Denesh Singh*	Non-official Director	From 13.09.2018	4	4
Sri. Sidhartha Pradhan^	Non-official Director	Up to 12.09.2018	2	2

*Sri. Denesh Singh, Non-official Director was appointed as a Member of the Committee w.e.f. 28.05.2018 up to 03.08.2018 and thereafter re-appointed as Member w.e.f. 13.09.2018.

^Sri. Sidhartha Pradhan acted as the Chairperson of the Committee for the meeting held on 25.07.2018.

4.5.3. Sri. Bikramjit Shom, Company Secretary & Compliance Officer acted as the Secretary to the Stakeholders' Relationship Committee of the Board of Directors upto April 26, 2019. Sri. Debapriyo Roy has taken over the role of Secretary to the Board w.e.f. April 29, 2019.

4.5.4. During the FY 2018-19, the Bank and/ or its Registrar and Share Transfer Agent received 27 grievances from the shareholders/investors and the same were resolved to the satisfaction of the shareholders. The investor complaints are also processed on a centralised web-based complaints redress system called SEBI Complaints Redress System (SCORES). There was no investor grievance lying unresolved as on March 31, 2019.

4.6. Risk Management Committee:

4.6.1. The Risk Management Committee was formed pursuant to RBI directives with the objective of devising sound Risk Management Policies, a robust risk management system and gradually advancing to the integrated risk management environment.

4.6.2. The 3 (three) meetings of the Committee during the year 2018-19 were held on 25.07.2018, 31.10.2018 and 15.01.2019. The composition of the Committee and attendance of the Members of the Risk Management Committee in the meeting held during the financial year 2018-19 are as under –

Name	Designation	Member from / upto	Meetings held	Meetings Attended
Sri. Pawan Kumar Bajaj	Managing Director & CEO (Chairman of the Committee)	Up to 30.09.2018	1	1
Sri. Ashok Kumar Pradhan	Managing Director & CEO (Chairman of the Committee)	From 01.10.2018	2	2
Sri. Ashok Kumar Pradhan	Executive Director	Up to 30.09.2018	1	1
Sri. Sanjay Kumar	Executive Director	From 04.10.2018	2	2
Sri. Ajit Kumar Das	Executive Director	From 04.10.2018	2	2
Sri. Sameer K. Khare	Government Nominee	Whole year	3	3
Sri. Sidhartha Pradhan	Non-official Director	Up to 03.08.2018	1	1
Sri. S. Suryanarayana	Shareholder Director	From 03.08.2018	2	2

5. Code of Conduct

5.1.1. All Board members are governed by the Code of Conduct prescribed by the Reserve Bank of India and by the Bank under the Listing Regulations. All the officers in the rank of Scale VII, Scale VI officers having independent charge and the Company Secretary of the Bank are also governed by the Bank's Code of Conduct framed under the Listing Regulations. The Code of Conduct is available on the website of the Bank – www.unitedbankofindia.com.

5.1.2. All the Directors and officers in the rank of Scale VII, Scale VI officers having independent charge and the Company Secretary of the Bank have affirmed their compliance to the Code of Conduct for the FY 2018-19. A declaration to this effect signed by the Managing Director & CEO is annexed to this Report.

5.2. Affirmation & Disclosures:

5.2.1. Other than those in the normal course of banking business, the Bank has not entered into any materially significant financial or commercial transaction with its promoters, directors or the management etc. that may have potential conflict with the interest of the Bank at large.

5.2.2. All details relating to financial and commercial transactions where any Board member may have a pecuniary interest, if any, are placed to the Board and the concerned director does not participate in the deliberation or the decision making process.

6. General Body Meetings

6.1. Details of last three Annual General Meetings (AGMs) and special resolution passed at AGMs:

FY	Location	Date & Time	Special Resolution(s)
2017-18	Bhasha Bhavan Auditorium, National Library, Belvedere Road, Alipore, Kolkata 700027	06.07.2018 10:00 AM IST	1. Raising of capital up to Rs. 1500 crore in one or more tranches by way of QIP or by way of Public Issue, Rights Issue or such other form of capital issue under SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (SEBI ICDR Regulations). **Voting pattern:** Votes for: 2896375992 Votes against: 5079 2. Utilization of a part of balance in Share Premium Account for writing off the negative balance in the Revenue Reserves Account (post audit) as on March, 2018. **Voting pattern:** Votes for: 2896375411 Votes against: 5660
2016-17	Bhasha Bhavan Auditorium, National Library, Belvedere Road, Alipore, Kolkata 700027	29.06.2017 10:00 AM IST	Raising of capital up to Rs. 1000 crore in one or more tranches by way of QIP or by way of Public Issue, Rights Issue or such other form of capital issue under SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (SEBI ICDR Regulations). **Voting pattern:** Votes for: 1290165823 Votes against: 76959
2015-16	Bhasha Bhavan Auditorium, National Library, Belvedere Road, Alipore, Kolkata 700027	28.06.2016 10:00 AM IST	Raising of capital up to Rs. 1000 crore in one or more tranches by way of QIP or by way of Public Issue, Rights Issue or such other form of capital issue under SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2009 (SEBI ICDR Regulations). **Voting pattern:** Votes for: 1022701933 Votes against: 5877

6.2. Details of special resolution passed last year through postal ballot:

FY	Date of Notice & Addendum to Notice	Voting period for Postal Ballot/ E-voting	Special Resolution(s)
2018-19	Postal Ballot Notice dated 27.12.2018 Addendum to the Notice dated 04.01.2019	On and from 10:00 hrs. (IST) on 07.01.2019 up to 17:00 hrs. (IST) on 05.02.2019	Creation, offering, issuance and allotment of such number of equity shares of Rs.10/- each, as may be required, at such price as may be determined in accordance with Regulation 164 under Chapter V of the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 ('SEBI ICDR Regulations'), to the President of India acting on behalf of the Government of India on preferential basis, in accordance with Chapter V of the SEBI ICDR Regulations against capital contribution aggregating to Rs. 2159/- crore for cash. In terms of the Addendum to the Notice of Postal Ballot, 1,81,73,40,067 number of equity shares were proposed to be allotted at an issue price of Rs. 11.88/- per equity share (including premium of Rs. 1.88/- per share).

Details of Voting Pattern:

Particulars	Number of Valid			Number of Valid Votes contained in			Percentage (%)
	e-voters	Postal Ballot Forms	Total	e-votes	Postal Ballot Forms	Total	
Assent	158	263	421	7,70,27,760	280,16,08,921	287,86,36,681	99.99
Dissent	25	20	45	16,489	3,260	19,749	0.01
Total	**183**	**283**	**466**	**7,70,44,249**	**280,16,12,181**	**287,86,56,430**	**100.00**

The aforesaid resolution was passed with requisite majority.

2018-19	Postal Ballot Notice dated 25.02.2019 Addendum to the Notice dated 26.02.2019	On and from 10:00 hrs. (IST) on 27.02.2019 up to 17:00 hrs, (IST) on 28.03.2019	Creation, offering, issuance and allotment of such number of equity shares of Rs.10/- each, as may be required, at such price as may be determined in accordance with Regulation 164 under Chapter V of the SEBI (Issue of Capital and Disclosure Requirements) Regulations, 2018 ('SEBI ICDR Regulations'), to the President of India acting on behalf of the Government of India on preferential basis, in accordance with Chapter V of the SEBI ICDR Regulations against capital contribution aggregating to Rs. 2839/- crore for cash. In terms of the Addendum to the Notice of Postal Ballot, 2,57,38,89,392 number of equity shares were proposed to be allotted at an issue price of Rs. 11.03/- per equity share (including premium of Rs. 1.03/- per share).

Details of Voting Pattern:

Particulars	Number of Valid			Number of Valid Votes contained in			Percentage (%)
	e-voters	Postal Ballot Forms	Total	e-votes	Postal Ballot Forms	Total	
Assent	170	200	370	9,50,14,817	461,89,30,579	471,39,45,396	99.99
Dissent	13	14	27	5,873	4,309	10,182	0.01
Total	**183**	**214**	**397**	**9,50,20,690**	**461,89,34,888**	**471,39,55,578**	**100.00**

The aforesaid resolution was passed with requisite majority.

6.3. In the General Meetings, voting were scrutinized by M/s. S. N. Ananthasubramanian & Co., Practicing Company Secretaries. To oversee the processes of voting at the venue of the meetings, one representative of the shareholders was also present as scrutinizer.

6.4. M/s. S. N. Ananthasubramanian & Co., Practicing Company Secretaries, was appointed as Scrutinizers on both occasions of Postal Ballot to conduct the process in a fair and transparent manner. Bank in each case had engaged Central Depository Services (India) Ltd. (CDSL) as the agency to provide remote e-voting facility to its Shareholders.

6.5. There is no immediate proposal for passing any resolution through postal ballot. In view of the e-voting facilities provided by the Bank, none of the businesses proposed to be transacted at the ensuing AGM require passing a resolution through postal ballot.

6.6. The Bank conducted postal ballot in accordance with the provisions of the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended from time to time (to the extent applicable). Notice(s) for Postal Ballot dated December 27, 2018 and February 25, 2019 respectively along with Postal Ballot Form(s) were dispatched by email to the Shareholders whose email addresses were registered with the Bank/ RTA/ Depositories and by courier in physical form together with a self-addressed Business Reply Envelope to all other shareholders at their registered postal addresses, for seeking consent to the respective Special Business(s) by voting through postal ballot/ e-voting. Only those shareholders whose names appeared in the Register of Members/ Beneficial Owners as on the Cut-off Date(s) i.e. December 28, 2018 and February 22, 2019 respectively were entitled to vote through postal ballot/ e-voting. The Bank also published notice(s) in the newspaper(s) declaring completion of dispatch and other required details as mandated under the governing Rules along with an Addendum to the Notice of Postal Ballot in each case containing the quantity of shares and price per share offered under the Issue. In compliance with Regulation 44 of the Listing Regulations, the Bank had offered e-voting facility to its Members to enable them to cast their votes electronically. The voting for postal ballot was kept open on and from 10:00 hrs. (IST) on 07.01.2019 up to 17:00 hrs. (IST) on 05.02.2019 and on and from 10:00 hrs. (IST) on 27.02.2019 up to 17:00 hrs. (IST) on 28.03.2019 respectively. Upon completion of scrutiny of the postal ballot forms and votes cast through e-voting in a fair and transparent manner, the Scrutinizer in each case submitted his/her report to the Bank and the results of the postal ballot were announced by the Bank on February 6, 2019 and March 29, 2019 respectively. The voting result(s) were sent to the Stock Exchanges and also displayed on the Bank's website www.unitedbankofindia.com and on the website of CDSL www.evotingindia.com.

7. Means of Communication

7.1. The Bank had published the extracts of the quarterly and annual results in Newspapers - one English, one Bengali and one Hindi and the full format of the results were filed with the Stock Exchanges through their respective electronic filing portals and were available on the Stock Exchange websites and on the website of the Bank.

7.2. During the year under review, the financial results of the Bank were published in the following newspapers:-

Particulars	English	Bengali	Hindi	Date of publication
Quarter/ Financial Year ended March, 2018	Financial Express	Ei Samay	Jansatta	29.05.2018
Quarter ended June, 2018				10.08.2018
Quarter/ Half-year ended September, 2018	Business Standard (E)	Aajkaal	Business Standard (H)	14.11.2018
Quarter ended December, 2018	Financial Express		Jansatta	06.02.2019

- The audited financial results for the quarter/year ended March 31, 2019 will be published in accordance with the Listing Regulations.
- To support the "Green Initiative", the Bank will be sending the Annual Report for the financial year 2018-19 by email to those shareholders whose email addresses are registered with the Depository Participants (DPs) or with the Bank's Registrar and Share Transfer Agent, unless they have opted for a physical copy. Physical copies will be sent to the other shareholders.

7.3. Results were uploaded on the following websites:

www.unitedbankofindia.com	www.nseindia.com	www.bseindia.com

7.4. Presentations on the financial results were also uploaded on the Bank's website for the analysts, institutional investors, fund managers among others from time to time.

8. General Shareholder Information

8.1. Forthcoming Annual General Meeting:

Thursday, June 27, 2019	10:00 A.M. IST	Bhasha Bhavan Auditorium, National Library, Belvedere Road, Alipore, Kolkata – 700027

Book closure: Friday, June 21, 2019 to Thursday, June 27, 2019 (both days inclusive)

8.2. The Financial Year: From April 1st to March 31st of the following year.

Tentative financial calendar for the FY 2019-20:

Quarter 1	August, 2019	Quarter 2	November, 2019	Quarter 3	February, 2020	Quarter 4	May, 2020

8.3. Dividend: In terms of the Dividend Distribution Policy of the Bank and in line with the relevant regulatory guidelines and circulars, the Board of Directors of the Bank has not recommended any dividend for the Financial Year 2018-19.

8.4. Listing Details and Stock Codes:

National Stock Exchange of India Ltd. (NSE) Exchange Plaza, Plot – C/1, Block –G Bandra Kurla Complex, Bandra (E) Mumbai – 400051	**BSE Ltd. (BSE)** Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street, Fort, Mumbai – 400001
Stock Code: UNITEDBNK	**Stock Code: 533171**
ISIN: INE695A01019 (Equity Shares)	
The debt instruments of the Bank are listed on the Debt Segment of BSE Limited (BSE) and/ or National Stock Exchange of India Limited (NSE).	

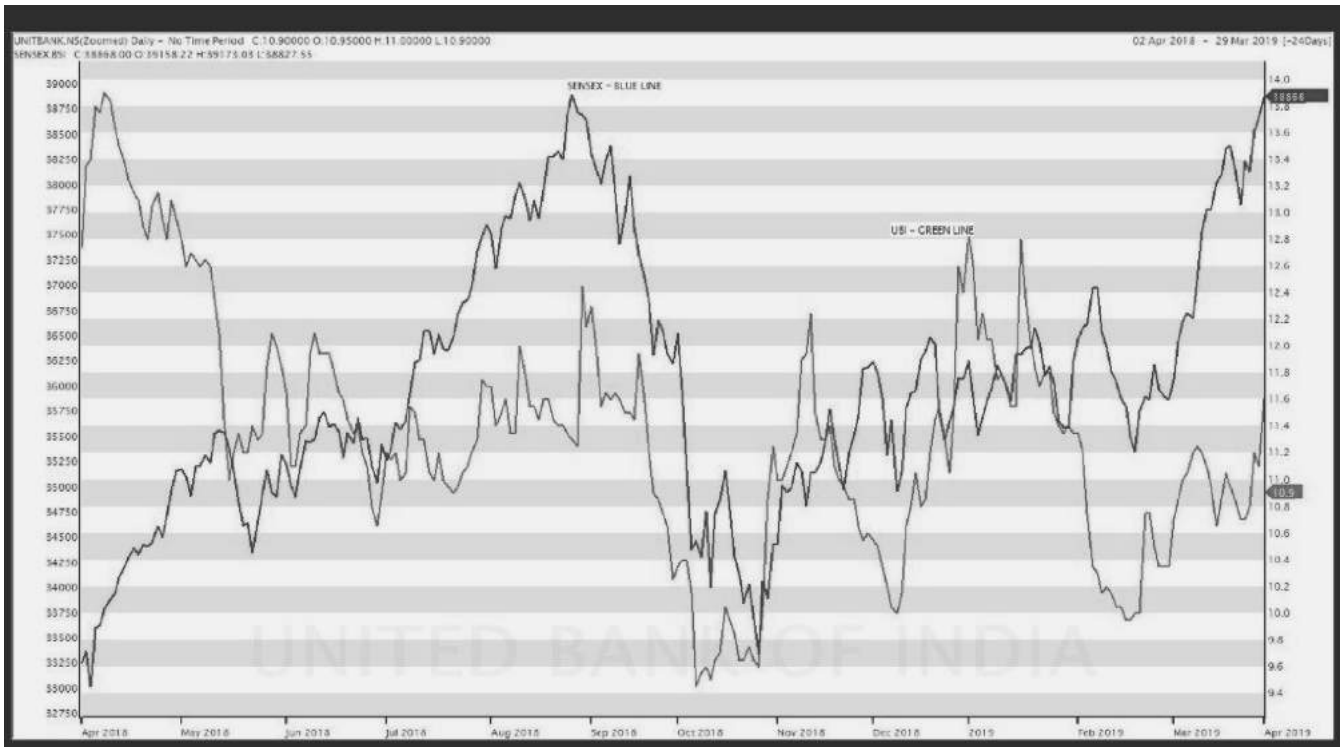
Annual Listing Fees for financial year 2019-20 pertaining to securities of the Bank has been paid to both BSE and NSE within the due date.

8.5. Market Price Data:

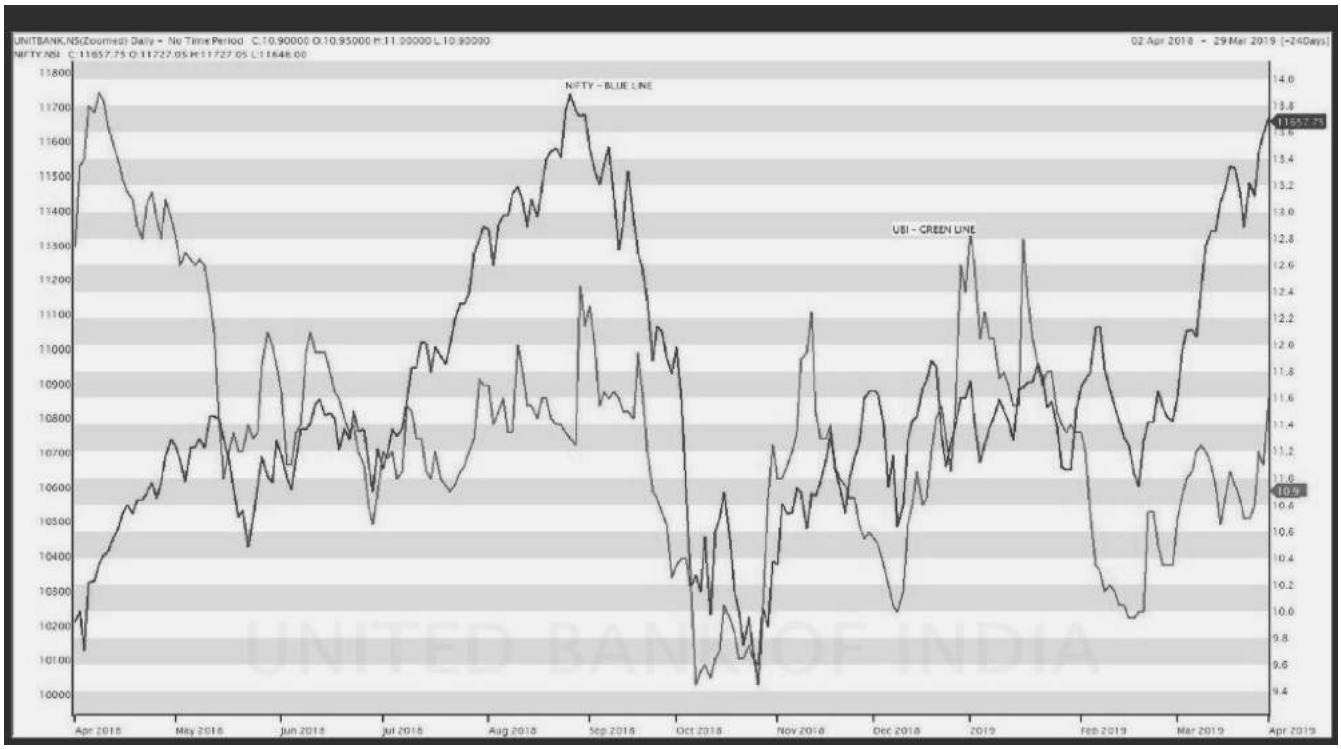
Monthly high and low market prices of Bank's equity shares on BSE and NSE during FY 2018-19 –

Sl. No.	BSE				NSE			
	High		Low		High		Low	
1.	6-Apr-18	14.80	23-Apr-18	12.55	10-Apr-18	14.05	23-Apr-18	12.40
2.	2-May-18	13.45	16-May-18	10.50	2-May-18	13.15	16-May-18 17-May-18	10.85
3.	13-Jun-18	12.30	27-Jun-18	10.59	13-Jun-18	12.40	27-Jun-18 28-Jun-18	10.65
4.	9-Jul-18	12.00	23-Jul-18	10.80	9-Jul-18	11.95	5-Jul-18	10.50
5.	30-Aug-18	12.79	2-Aug-18 29-Aug-18	11.25	30-Aug-18	12.80	2-Aug-18	11.00
6.	18-Sep-18	12.83	28-Sep-18	10.21	18-Sep-18	12.90	28-Sep-18	10.10
7.	31-Oct-18	11.50	8-Oct-18	09.05	31-Oct-18	11.70	8-Oct-18	08.90
8.	13-Nov-18	12.80	30-Nov-18	10.44	13-Nov-18	13.30	29-Nov-18 30-Nov-18	10.45
9.	28-Dec-18	12.85	11-Dec-18	09.72	28-Dec-18	13.20	10-Dec-18	09.55
10.	1-Jan-19	13.25	28-Jan-19	11.00	16-Jan-19	13.20	29-Jan-19	11.20
11.	1-Feb-19	11.74	18-Feb-19	09.81	1-Feb-19	11.75	18-Feb-19	09.80
12.	12-Mar-19	11.49	1-Mar-19	10.35	12-Mar-19	11.50	1-Mar-19	10.30

8.6. Stock performance compared to BSE Sensex and NSE Nifty:



With Sensex



With NIFTY

8.7. Registrar & Share Transfer Agent:

M/s. Link Intime India (P) Ltd.	
Corporate Office: C-101, 247 Park, LBS Marg, Vikhroli West, Mumbai 400 083 Tel: (022) 4918 6000 Fax: (022) 4918 6060 Email: mumbai@linkintime.co.in	**Local Office:** 59C, Chowringhee Road, 3rd floor Kolkata 700020 Tel: (033) 2289 0540 Fax: (033) 2289 0539 Email: kolkata@linkintime.co.in

8.8. Share Transfer System:

All valid requests for share transfer, transmission, dematerialization and rematerialisation were processed by the Bank and its Registrar and Share Transfer Agent in terms of the delegated authority within the regulatory timeline of 15 days. All such transfers, transmissions, dematerializations and rematerialisations were approved/ ratified by the Board/ Stakeholders' Relationship Committee.

8.9. Distribution of Shareholding as on March 31, 2019:

Shareholding of Shares		No. of Shareholders	% of total shareholders	Shares	% of total share capital
From	To				
1	500	73827	71.3553	11673035	0.1572
501	1000	10737	10.3775	9276242	0.1249
1001	2000	6560	6.3404	10580123	0.1424
2001	3000	2402	2.3216	6223853	0.0838
3001	4000	3513	3.3954	13644708	0.1837
4001	5000	2860	2.7642	13959264	0.1879
5001	10000	2372	2.2926	17164024	0.2311
10001	And above	1193	1.1530	7345398435	98.8890
	TOTAL	**103464**	**100.0000**	**7427919684**	**100.0000**

8.9.1. Distribution of ownership:

	Category	No. of shares held	Percentage of shareholding
A.	**Promoters' Holding**		
	Promoters (Govt. of India)	7,19,27,25,543	96.83
	Sub -Total	**7,19,27,25,543**	**96.83**
B.	**Non - Promoters' Holding**		
	Institutional Investors		
	a) Mutual Funds & UTI	118	0.00
	b) Venture Capital Funds	1,07,66,581	0.15
	c) Banks/Financial Institutions	74,49,217	0.10
	d) Insurance Companies	9,47,78,585	1.28
	Sub-Total	**11,29,94,501**	**1.53**
C.	**Others**		
	a) NBFCs registered with RBI	51,811	0.00
	b) Indian Public/ HUF	7,96,17,498	1.07
	c) Bodies Corporate	77,13,230	0.10
	d) Clearing Members	19,17,881	0.03
	e) NRIs	32,19,119	0.04
	f) Trusts	47,161	0.00
	g) Employees	2,96,32,940	0.40
	Sub-Total	**12,21,99,640**	**1.64**
	Grand Total (A)+(B)+(C)	**7,42,79,19,684**	**100.00**

8.9.2. Changes in Capital Structure during the financial year 2018-19:

- On May 15, 2018, the Bank allotted remaining 74,87,637 equity shares out of total 1,44,56,64,105 equity shares proposed to be allotted to the President of India acting on behalf of Government of India pursuant to infusion of Rs. 2634 crore equity capital by the Central Government in the financial year 2017-18, which could not be allotted due to inadequacy of headroom in the Authorised Capital. The Authorised Capital of the Bank was increased from Rs.3000 crore to Rs.5000 crore by notification in the Official Gazette during financial year 2018-19;
- On September 13, 2018, Bank allotted 2,92,02,589 equity shares to the Eligible Employees of the Bank under United Bank of India – Employee Share Purchase Scheme, 2018 ("UBI-ESPS 2018");
- On February 11, 2019, Bank allotted 1,81,73,40,067 equity shares to the President of India acting on behalf of Government of India pursuant to infusion of Rs. 2159 crore equity capital by the Central Government.
- On March 29, 2019, Bank allotted 2,57,38,89,392 equity shares to the President of India acting on behalf of Government of India pursuant to infusion of Rs. 2839 crore equity capital by the Central Government pending credit of the shares to the demat account of the President of India as on March 31, 2019.

 Pursuant to the Bank's application(s) under Section 3(2A) of the Act, the Authorised Capital of the Bank was increased from Rs. 3000 crore to Rs. 5000 crore and subsequently from Rs. 5000 crore to Rs. 8500 crore respectively by notification in the Official Gazette.

8.10. Dematerialization of shares and liquidity:

The equity shares of the Bank are permitted to be traded only in dematerialised form and are available for demat under both the Depositories in India - National Securities Depository Limited (NSDL) and Central Depository Services (India) Limited (CDSL). Entire Promoter's shareholding of the Bank is in dematerialised form. The equity shares issued under the UBI-ESPS 2018 were allotted only in dematerialized form.

As on March 31, 2019, a total of 7,42,78,96,238 Equity Shares of the Bank representing approximately 99.99% of the total equity share capital were held in dematerialized form. Particulars of share in physical form & demat held by Shareholders as on 31st March, 2019 are as follows:

Particulars	No. of Shares	% Shareholding
CDSL*	7255064461	97.67
NSDL	172831777	2.33
Physical	23446	0.00
Total	**7427919684**	**100.00**

*2,57,38,89,392 equity shares allotted to the President of India on March 29, 2019 in dematerialised mode was pending credit to the demat account of the allottee as on March 31, 2019.

8.11. Outstanding GDR/ADR/Warrants/convertible instruments, conversion date and likely impact:

The Bank has not issued any GDR/ADR/Warrants or any convertible instruments during the year under review.

8.12. The Bank does not deal with commodity and hence disclosure related to commodity price risk and commodity hedging activities are not required. The foreign exchange exposures in the ordinary course of business are adequately hedged by the Bank. Incremental provision has been made and capital provided for the unhedged foreign exchange exposure as on 31.03.2019.

8.13. Plant location:

The Bank is not a manufacturing concern, hence does not operate any plant.

8.14. Address for correspondence with the Bank:

Company Secretary & Compliance Officer
United Bank of India
United Tower, 11 Hemanta Basu Sarani,
Kolkata – 700001
Email: investors@unitedbank.co.in

8.15. List of credit ratings obtained by the Bank including revisions thereto:

Sl. No.	Particulars of the Bond	Amount Issued (Rs/Cr.)	Rating as on 01.04.2018	Changes in Credit Rating, if any, during the FY 2018-19	Rating as on 31.03.2019	Remarks
1.	9.30% Lower Tier-II (Series-VI) Basel I	250.00	A+ by CARE & A+ by ICRA	--	N.A.	Matured on 25.03.2019
2.	9.20% Lower Tier-II (Series-VII) Basel II	200.00	A+ by CARE & AA- by CRISIL	Downgrade the rating from CRISIL AA- to CRISIL A+/Stable, dated 26.02.2019	A+ by CARE & A+ by CRISIL	--
3.	9.27% IPDI-Tier I (Series-I) Basel II	300.00	A- by CARE & A by CRISIL	Downgrade the rating from CRISIL A to CRISIL A-/Stable, dated 26.02.2019	A- by CARE & A- by CRISIL	--
4.	8.75% Lower Tier-II (Series-VIII) Basel III	500.00	A+ by Brickwork & AA- by CRISIL	Downgrade the rating from CRISIL AA- to CRISIL A+/Stable, dated 26.02.2019	A+ by Brickwork & A+ by CRISIL	--
5.	11.95% AT-1 (Series-I) Basel III	150.00	BBB by India Rating	--	N.A.	Call on 11.04.2018
6.	12.00% AT-1 (Series-II) Basel III	200.00	A- by Brickwork	--	N.A.	Call on 11.04.2018
7.	9.00% Lower Tier-II (Series-IX) Basel III	500.00	A+ by Brickwork & AA- by CRISIL	Downgrade the rating from CRISIL AA- to CRISIL A+/Stable, dated 26.02.2019	A+ by Brickwork & A+ by CRISIL	--
8.	10.50% Lower Tier-II (Series-X) Basel III	150.00	AA- by CRISIL	Downgrade the rating from CRISIL AA- to CRISIL A+/Stable, dated 26.02.2019	A+ by CRISIL	--
9.	9.05% Lower Tier-II (Series-XI) Basel III	340.00	AA- by CRISIL	Downgrade the rating from CRISIL AA- to CRISIL A+/Stable, dated 26.02.2019	A+ by CRISIL	--
10.	10.95% AT-1 (Series-III) Basel III	490.00	BBB+ by CRISIL	--	N.A.	Call on 11.04.2018
11.	11.00% AT-1 (Series-IV) Basel III	100.00	BBB+ by CRISIL	--	N.A.	Call on 11.04.2018
12.	Long Term Issuer Rating	--	AA- by India Ratings & Research	AA- by India Ratings & Research dated 07.12.2018	AA- by India Ratings & Research	--

9. Other Disclosures:

9.1. Disclosure of materially significant related party transactions having potential conflict:

There was no materially significant related party transaction having potential conflict. The related party transactions in the Bank are governed by the extant RBI guidelines in this regard. In accordance with the Listing Regulations, the Bank has also framed the Policy on Related Party Transactions which intends to ensure proper reporting, approval and disclosure of such transactions.

9.2. Disclosure of pending cases/ instances of non-compliance:

In exercise of the powers conferred under section 47(A)(1)(c) read with section 46(4)(i) of the Banking Regulation Act, 1949, Reserve Bank of India has imposed an aggregate penalty of Rs.30 million on the Bank for non-compliance with, and contraventions of, directions contained in the RBI Circular dated February 20, 2018 on time-bound implementation and strengthening of SWIFT-related operational controls.

Other than the above, no penalties or strictures were imposed on the Bank by any of the Stock Exchanges or SEBI or any statutory or regulatory authority on any matter relating to capital markets, during the last three (3) years.

9.3. Details of Vigil Mechanism/ Whistle Blower Policy:

Bank has a robust Whistle Blower Policy in place and employees are encouraged to raise their concerns by whistle blowing. The employees of the Bank have reasonable access to the Chairman of the Audit Committee.

9.4. Compliance to Mandatory/ Non-Mandatory (Discretionary) Requirements:

The Bank has complied with all the applicable mandatory requirements as provided in the Listing Regulations. The extent of implementation of discretionary requirements is furnished under Clause 11 of this Report.

9.5. Web Links:

9.5.1. The Bank does not have any material subsidiary and hence has not framed any policy in this regard.

9.5.2. The weblink for Policy on Related Party Transaction is –

http://www.unitedbankofindia.com/uploads/Related_Party_Transactions_Policy.pdf

9.6. Details of utilization of funds raised during the year under review:

During the financial year 2018-19, the Bank has raised equity capital to the tune of Rs. 5028.81 crore i.e. Rs. 30.81 crore by Employee Share Purchase Scheme, Rs. 2159 crore and Rs. 2839 crore by way of preferential allotment. The funds were raised to augment Bank's capital position under BASEL III regime and for its business expansion in line with its long term business plans. The same were utilized for the purpose for which they were raised.

9.7. During the year under review, there has been no such instance reported where the Board has not accepted any recommendation of any of the Board Committee(s) placed for approval of the Board.

9.8. M/s. T Chatterjee & Associates, Practising Company Secretaries has confirmed that none of the Directors on the Board of the Bank have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as directors of Bank by the Board/ Ministry of Corporate Affairs or any such statutory authority.

9.9. The total fees paid/ payable to the statutory auditors (including statutory branch auditors) for all the services provided during the financial year 2018-19 shall be upto an amount of Rs. 12.31 crore.

9.10. The Bank through Internal Complaints Committee has put in place an appropriate mechanism for prevention as well as redressal of complaints against sexual harassment. The Bank has complied with provisions relating to the constitution of Internal Complaints Committee under the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013. Such Committee has been overseeing the implementation of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 at all Regional Offices and Head Office of the Bank. The status of complaints received by such Committee during the financial year 2018-19 is reported as under:

Sl. No.	Particulars	Status
(a)	Number of complaints filed during the FY 2018-19	2
(b)	Number of complaints disposed of during the FY 2018-19	1
(c)	Number of complaints pending as on the end of the FY 2018-19*	1

*One complaint pending as on the end of the FY 2018-19 was under process as on March 31, 2019.

9.11. There is no non-compliance of any requirement for Corporate Governance Report from sub para (2) to (10) of Part C of Schedule V of the Listing Regulations.

9.12. The Bank being a body corporate has complied with corporate governance requirements specified in Regulations 17 to 27 subject to Regulation 15(2)(b), and clauses (b) to (i) of sub-regulation (2) of Regulation 46 of the Listing Regulations.

10. Shares held in Demat Suspense Account/ Unclaimed Suspense Account

No. of shareholders at the beginning of the year	No. of shares at the beginning of the year	No. of shareholders who approached for transfer of shares	No. of shareholders to whom shares were transferred	No. of shareholders at the end of the year	No. of shares at the end of the year
39	4762	0	0	39	4762

10.1. The voting rights in respect of shares in the Suspense Account have been frozen.

11. Non-mandatory Requirements:

11.1. The Board:

Appointment of Non-Executive Chairman by the Government is yet to take place. The meetings of the Board are chaired by the Managing Director & CEO at present.

11.2. Shareholders' Right:

The quarterly and half yearly results had been published in the newspapers, uploaded on the Bank's website and on the websites of the stock exchanges.

11.3. Modified opinion(s) in Audit Report:

There are no modified opinion(s) contained in the Audit Report for FY 2018-19.

11.4. Reporting of Internal Auditor:

The Bank has an Independent Audit & Inspection Department to carry out, oversee and supervise Internal Audit function. The Bank undertakes internal audit through its internal inspectors, concurrent and revenue auditors during the year. All major findings of the internal audit and inspection are reported to the Audit Committee of the Board.

For & on behalf of the Board of Directors

Sd/-
Ashok Kumar Pradhan
Managing Director & CEO
DIN: 07748272

Dated May 13, 2019, Kolkata

UNITED BANK OF INDIA
Head Office
11, Hemanta Basu Sarani
Kolkata - 700 001

CODE OF CONDUCT DECLARATION

This is to confirm that the Bank has adopted the Code of Conduct for its Board Members and Senior Management Personnel in the ranks of Scale VII, Scale VI having independent charge and the Company Secretary and the same is available on the Bank's website.

The Board of Directors and the Officers in the aforementioned ranks have affirmed their compliances to the said Codes. It is hereby declared that the Bank has obtained from all the Board Members and the Senior Management Personnel affirmation that they have complied with the said Code for the financial year 2018-19.

Sd/-
Ashok Kumar Pradhan
Managing Director & CEO
DIN: 07748272

Dated May 13, 2019, Kolkata

CERTIFICATE OF NON-DISQUALIFICATION OF DIRECTORS

[Pursuant to Regulation 34(3) and Schedule V Para C Clause (10)(i) of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015]

To
The Members of United Bank of India,

We have examined the relevant minutes, registers, records, declaration and disclosure given by the Directors of United Bank of India having head office at **"United Towers" 11 Hemanta Basu Sarani, Kolkata 700001 listed on BSE Ltd., Scrip Code: 533171 and National Stock Exchange of India Ltd., Scrip Code: UNITEDBNK** (hereinafter referred as "the Bank"), produced before us by the Bank for the purpose of issuing this Certificate, in accordance with Regulation 34(3) read with Schedule V Para-C Sub clause 10(i) of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (as amended from time to time).

In our opinion and to the best of our belief, information and according to the verifications [including Directors Identification Number (DIN) status of the respective directors at the portal www.mca.gov.in] as considered necessary, written disclosure and declaration made by the respective directors, we hereby certify that none of the Directors on the Board of the Bank for the Financial Year ending on **31st March, 2019** have been debarred or disqualified from being appointed or continuing as Directors of the Bank by the Securities and Exchange Board of India, Ministry of Corporate Affairs, or any such other Statutory Authority.

Ensuring the eligibility for the appointment/ continuity as Director on the Board is the responsibility of the management of the Bank. Our responsibility is to express an opinion based on our verification and disclosure made by the respective Directors.

For T. Chatterjee & Associates
FRN No. - P2007WB067100

Sd/-
Binita Pandey
Partner
Membership No: 41594
COP No. : 19730

Dated May 13, 2019, Kolkata

The Board of Directors
United Bank of India
Head Office
11 Hemanta Basu Sarani
Kolkata – 700001

CEO-CFO Certificate

We hereby certify that –

A. We have reviewed the financial statements and the cash flow statement for the year and to the best of our knowledge and belief:

1. these statements do not contain any materially untrue statement or omit any material fact or contain statements that might be misleading;
2. these statements together present a true and fair view of the Bank's affairs and are in compliance with existing accounting standards, applicable laws and regulations.

B. There is, to the best of our knowledge and belief, no transaction entered into by the Bank during the year which is fraudulent, illegal or violative of the Bank's Code of Conduct.

C. We are responsible for establishing and maintaining internal controls and for evaluating the effectiveness of the same over the financial reporting of the Bank and have disclosed to the Auditors and the Audit Committee, deficiencies in the design or operations of internal controls, if any, of which we are aware and the steps we have taken or propose to take to rectify these deficiencies.

D. We confirm, based on our most recent evaluation, wherever applicable that:

1. there has not been any significant change in internal controls over financial reporting during the year;

2. there has not been any significant change in accounting policies during the year;

E. We further confirm that we have brought to the notice of the Auditors and Audit Committee, instances of significant fraud brought to our notice. During the year there was no case of fraud involving the management or an employee having a significant role in the Bank's internal control system over financial reporting.

Sd/-

Ashwini Kumar Jha
Chief Financial Officer

Sd/-

Ashok Kumar Pradhan
Managing Director & CEO
DIN: 07748272

Dated May 13, 2019, Kolkata

AUDITORS' CERTIFICATE ON CORPORATE GOVERNANCE

To
The Members of United Bank of India

We have examined the compliance of conditions of Corporate Governance by UNITED BANK OF INDIA for the year ended March 31, 2019, as stipulated in Regulations 17 to 27, clauses (b) to (i) of Regulation 46(2) and paragraphs C, D and E of Schedule V of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, to the extent that it does not violate the Banking Regulation Act, Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and the guidelines/directives issued by Reserve Bank of India.

The compliance of condition of Corporate Governance is the responsibility of the Management. Our examination was limited to review the procedures and implementation thereof, adopted by the Bank for ensuring Compliance of the condition of corporate Governance as stipulated in said regulation and guidelines. It is neither an audit nor an expression of an opinion on the financial statements of the Bank.

We conducted our examination of the relevant records of the Bank in accordance with the guidance note on Reports or Certificates. In our opinion and to the best of our information and according to the explanation given to us, we certify that the Bank has complied with the conditions of Corporate Governance as stipulated in SEBI Listing Regulations to the extent that it does not violate the Banking Regulation Act, 1949, Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970 and the guidelines/ directives issued by Reserve Bank of India.

We further state that such compliance is neither an assurance as to the future viability of the Bank nor the efficiency or effectiveness with which the management has conducted the affairs of the Bank.

For T. Chatterjee & Associates
FRN No. - P2007WB067100

Sd/-
Binita Pandey
Partner
Membership No: 41594
COP No. : 19730

Dated May 13, 2019, Kolkata

INDEPENDENT AUDITORS' REPORT

To

The President of India / Members of United Bank of India

Report on Audit of the Financial Statements

Opinion

1. We have audited the financial statements of United Bank of India ('the Bank'), which comprise the Balance Sheet as at 31stMarch 2019, the Statement of Profit and Loss and the Statement of Cash Flows for the year then ended, and notes to financial statements including a summary of significant accounting policies and other explanatory information in which are included returns for the year ended on that date of 20 branches and treasury operation audited by us and 942 branches/ retail hubs which includes 1 Central Payment Hub, 1 Central Pension Processing Centre and 1 Inward Clearing Processing Centre audited by statutory branch auditors. The branches audited by us and those audited by other auditors have been selected by the Bank in accordance with the guidelines issued to the Bank by the Reserve Bank of India. Also included in the Balance Sheet, the Statement of Profit and Loss and Statement of Cash Flows are the returns from 36 Regional Offices, 1087 branches, 3 Staff Training Colleges, 1 CMS and 1 Data Centre at Head Office which have not been subjected to audit. These unaudited branches account for 9.97% of gross advances, 29.81% of deposits, 5.69% of interest income and 30.26% of interest expenses.

2. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the aforesaid financial statements give the information required by the Banking Regulation Act, 1949 in the manner so required for bank and are in conformity with accounting principles generally accepted in India and give:

 a. true and fair view in case of the Balance sheet, of the state of affairs of the Bank as at 31st March, 2019;

 b. true balance of loss in case of Profit and Loss account for the year ended on that date; and

 c. true and fair view in case of statement of cash flows for the year ended on that date.

Basis for Opinion

3. We conducted our audit in accordance with the Standards on Auditing (SAs) issued by ICAI. Our responsibilities under those Standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the Bank in accordance with the code of ethics issued by the Institute of Chartered Accountants of India together with ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements and the code of ethics. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Key Audit Matters

4. Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters. We have determined the matters described below to be the key audit matters to be communicated in our report.

Key Audit Matters	Auditors Response
Assets Classification and Provisioning in respect of Advances	
Advances comprise, a substantial portion of the Bank's assets and since the management exercises significant judgement in the asset classification and provision, this has been considered by us as a key audit matter	In order to ensure the effectiveness of the operation of the key controls and compliance to the directions of the RBI in this regards, we have verified whether both CBS system and the management have,
Banks are governed by the prudential norms issued by the Reserve Bank of India on Income recognition, Asset Classification and provisioning pertaining to Advances.	(a) timely recognised the depletion in the value of both primary and collateral security; (b) made adequate provisioning based on such time to time monitoring and identification of asset classification.
Identification of such non-performing advances is carried out in the Bank based on system identification, by the Core Banking Solution (CBS) software in operation i.e. Finacle based on the various controls and logic embedded therein. The management also exercises significant judgement in adherence to the IRAC norms and adequate provisioning in required cases.	We have also placed reliance on and performed the following procedures: (a) reviewed and placed reliance upon the Independent Auditors Report of the Statutory Branch Auditors as well as all MOC passed by us both at branches as well as H.O. (b) ensured that changes suggested by the Statutory Branch Auditors with respect to income recognition, asset classification and provisioning have been appropriately dealt.

Information Other than the Financial Statements and Auditors' Report Thereon

5. The Banks Board of Directors is responsible for the other information. The other information comprises the information included in the annual report, but does not include the financial statements and our auditor's report thereon. The annual report is expected to be made available to us after the date of this auditor's report.

 Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we will not express any form of assurance conclusion thereon.

 In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information identified above when it becomes available and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

 When we read the annual report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and report it to Reserve Bank of India and Securities and Exchange Board of India (SEBI).

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

6. The Bank's Board of Directors is responsible with respect to the preparation of these financial statements that give a true and fair view of the financial position, financial performance and cash flows of the Bank in accordance with the accounting principles generally accepted in India, including the Accounting Standards issued by ICAI, and provisions of Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 and circulars and guidelines issued by the Reserve Bank of India ('RBI') from time to time. This responsibility also includes maintenance of adequate accounting records in accordance with the provisions of the Act for safeguarding of the assets of the Bank and for preventing and detecting frauds and other irregularities; selection and application of appropriate accounting policies; making judgments and estimates that are reasonable and prudent; and design, implementation and maintenance of adequate internal financial controls, that were operating effectively for ensuring the accuracy and completeness of the accounting records, relevant to the preparation and presentation of the financial statements that give a true and fair view and are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

 In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Bank's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Bank or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

7. Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with SAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

 As part of an audit in accordance with SAs, we exercise professional judgment and maintain professional scepticism throughout the audit. We also:

 - Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.
 - Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.
 - Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the bank's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the bank to cease to continue as a going concern.
 - Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.

 Materiality is the magnitude of misstatements in the financial statements that, individually or in aggregate, makes it probable that the economic decisions of a reasonably knowledgeable user of the financial statements may be influenced. We consider quantitative materiality and qualitative factors in (i) planning the scope of our audit work and in evaluating the results of our work; and (ii) to evaluate the effect of any identified misstatements in the financial statements.

 We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit. We also provide those charged

with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Other Matter

8. We did not audit the financial statements/ information of 942 branches/ offices included in the financial statements of the Bank whose financial statements/ financial information reflect total assets (gross) of Rs.23,975.18 Crores as at 31st March 2019 and total revenue of Rs.1,365.57 Crores for the year ended on that date, as considered in the financial statements. The financial statements/ information of these branches have been audited by the branch auditors whose reports have been furnished to us. And in our opinion in so far as it relates to the amounts and disclosures included in respect of branches, is based solely on the report of such branch auditors.

 Our opinion is not modified in respect of this matter.

9. The Balance Sheet and the Profit and Loss Account have been drawn up in accordance with Section 29 of the Banking Regulation Act, 1949;

10. Subject to the limitations of the audit indicated in paragraphs 5 to 7 above and as required by the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1970/1980, and subject also to the limitations of disclosure required therein, we report that:

 a) We have obtained all the information and explanations which, to the best of our knowledge and belief, were necessary for the purposes of our audit and have found them to be satisfactory;

 b) The transactions of the Bank, which have come to our notice, have been within the powers of the Bank; and

 c) The returns received from the offices and branches of the Bank have been found adequate for the purposes of our audit.

11. We further report that:

 a) in our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the Bank so far as it appears from our examination of those books and proper returns adequate for the purposes of our audit have been received from branches not visited by us;

 b) the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Statement of Cash Flows dealt with by this report are in agreement with the books of account and with the returns received from the branches not visited by us;

 c) the reports on the accounts of the branch offices audited by branch auditors of the Bank under section 29 of the Banking Regulation Act, 1949 have been sent to us and have been properly dealt with by us in preparing this report; and

 d) in our opinion, the Balance Sheet, the Profit and Loss Account and the Statement of Cash Flows comply with the applicable accounting standards, to the extent they are not inconsistent with the accounting policies prescribed by RBI.

For Arun K. Agarwal & Associates Chartered Accountants (FRN: 003917N)	**For Mookherjee Biswas & Pathak** Chartered Accountants (FRN: 301138E)	**For Dinesh Jain & Associates** Chartered Accountants (FRN: 004885N)	**For SBA Associates** Chartered Accountants (FRN: 308136E)
Sd/- **CA Arun Kumar Agarwal** (Partner) M. No: 082899	Sd/- **CA Sankar Prasanna Mukherjee** (Partner) M. No: 010807	Sd/- **CA Neha Jain** (Partner) M. No : 514725	Sd/- **CA Nilanjana Sen** (Partner) M. No : 061768

Date : 13th May 2019
Place : Kolkata

Balance Sheet as on 31st March, 2019

and

Profit and Loss Account for the year ended

31st March, 2019

AUDITED BALANCE SHEET AS ON 31ST MARCH, 2019

CAPITAL & LIABILITIES

(₹ in thousand)

Capital & Liabilities	Schedule	As on 31.03.2019 (Audited)	As on 31.03.2018 (Audited)
Capital	1	7427 ,91 ,97	3000,00,00
Share Application Money Pending Allotment	1A	-	13,64,25
Reserves & Surplus	2	4070 ,95 ,80	5661,59,34
Deposits	3	134983 ,31 ,51	129326,37,80
Borrowings	4	2203 ,71 ,75	3306,05,75
Other Liabilities and Provisions	5	2844 ,01 ,75	3440,98,44
TOTAL :		**151529 ,92 ,78**	**144748,65,58**

ASSETS

Assets	Schedule	As on 31.03.2019	As on 31.03.2018
Cash and balances with Reserve Bank of India	6	6168 ,88 ,37	6212,13,98
Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	7	3494 ,61 ,02	14022,18,39
Investments	8	60976 ,03 ,43	50401,80,41
Advances	9	66955 ,09 ,74	62490,19,98
Fixed Assets	10	1240 ,05 ,50	1293,08,85
Other Assets	11	12695 ,24 ,72	10329,23,97
TOTAL :		**151529 ,92 ,78**	**144748,65,58**
		-	-
Contingent Liabilities	12	8091 ,52 ,54	7845,02,68
Bills for collection		2592 ,13 ,10	3691,03,79

This is the part of Balance Sheet as on 31.03.2019

Ashok Kumar Pradhan
Managing Director & Chief Executive Officer

Sanjay Kumar
Executive Director

Ajit Kumar Das
Executive Director

Sameer Kumar Khare
Director

Denesh Singh
Director

Sidhartha Pradhan
Director

S. Suryanarayana
Director

Sadhana Varma
Director

Ashwini Kumar Jha
General Manager & CFO

As per our separate report of even date attached

For Arun K. Agarwal & Associates	**For Mookherjee Biswas & Pathak**	**For Dinesh Jain & Associates**	**For SBA Associates**
Chartered Accountants	Chartered Accountants	Chartered Accountants	Chartered Accountants
(FRN: 003917N)	(FRN: 301138E)	(FRN: 004885N)	(FRN: 308136E)
Sd/-	Sd/-	Sd/-	Sd/-
CA Arun Kumar Agarwal	**CA Sankar Prasanna Mukherjee**	**CA Neha Jain**	**CA Nilanjana Sen**
(Partner)	(Partner)	(Partner)	(Partner)
M. No: 082899	M. No: 010807	M. No : 514725	M. No : 061768

Date : 13th May 2019
Place : Kolkata

SCHEDULE 1 - CAPITAL

(₹ in thousand)

		As on 31.03.2019 (Audited)		As on 31.03.2018 (Audited)
AUTHORISED CAPITAL		8500,00,00		3000,00,00
Equity Share Capital	-		-	
Perpetual Non Cummulative Preference Shares(PNCPS)	-		-	
ISSUED, SUBSCRIBED AND PAID- UP CAPITAL 7427919684(Previous Year 2999999999) Equity Shares of Rs. 10/- each [(including 7192725543 (Previous Year 2794008447) held by GOI]		7427,91,97		3000,00,00
TOTAL :		**7427,91,97**		**3000,00,00**

SCHEDULE 1A - SHARE APPLICATION MONEY PENDING ALLOTMENT

		As on 31.03.2019 (Audited)		As on 31.03.2018 (Audited)
SHARE APPLICATION MONEY PENDING ALLOTMENT	-	-	-	13,64,25
TOTAL :		**-**		**13,64,25**

SCHEDULE 2 - RESERVES & SURPLUS

(₹ in thousand)

		As on 31.03.2019 (Audited)	As on 31.03.2018 (Audited)
I.	**Statutory Reserves**		
	Opening Balance	832 ,38 ,77	832,38,77
	Add: Transfer from Profit & Loss Account	-	-
	SUB-TOTAL :	**832 ,38 ,77**	**832,38,77**
II.	**Capital Reserves**		
	a) Revaluation Reserve		
	Opening Balance	946 ,84 ,20	901,03,36
	Addition during the period/year	-	68,86,24
	Add/(Less) : Adjustment during the period/year	-	-
	Less : Transfer to Profit & Loss Account	(23 ,06 ,07)	(23,05,40)
		923 ,78 ,13	**946,84,20**
	b) Others		
	Opening Balance	1657 ,99 ,11	1626,85,69
	Add: Transfer from Profit & Loss Account		99,91,36
	Add/(Less) : Adjustment during the period/year		(68,77,94)
		1657 ,99 ,11	1657,99,11
	SUB-TOTAL [(a) + (b)]	**2581 ,77 ,24**	**2604,83,31**
III.	**Share Premium**		
	Opening Balance	4170 ,06 ,73	2737,35,42
	Addition during the period/year	616 ,10 ,85	1432,71,31
	SUB TOTAL	**4786 ,17 ,58**	**4170,06,73**
IV.	**Revenue and Other Reserves**		
	a) Special Reserve I.T.		
	Opening Balance	220 ,00 ,00	220,00,00
	Less: Draw down	-	-
	Add:Transfer from Profit & Loss Account.	-	-
	SUB-TOTAL (a)	**220 ,00 ,00**	**220,00,00**
	b) Revenue Reserve		
	Opening Balance	-2165 ,69 ,47	-386,17,67
	Add: Transfer from revaluation reserve	23 ,06 ,07	23,05,40
	Add/Less: Draw down for adjustment for Assets	109 ,18 ,14	-248,21,22
	Add: Transfer from Profit & Loss Account	-2315 ,92 ,53	-1554,35,98
	SUB-TOTAL (b)	**-4349 ,37 ,79**	**-2165,69,47**
	SUB-TOTAL [(a) + (b)]	**-4129 ,37 ,79**	**-1945,69,47**
V.	**Balance in Profit & Loss Account**		-
	TOTAL (I + II + III+IV+V)	**4070 ,95 ,80**	**5661,59,34**

SCHEDULE 3 - DEPOSITS

(₹ in thousand)

				As on 31.03.2019 Audited	As on 31.03.2018 Audited
A	**I.**	**Demand Deposits**			
		i) From Banks		1400 ,28 ,10	1330,27,30
		ii) From Others		9776 ,09 ,56	8573,15,71
	II.	**Savings Bank Deposits**		58271 ,83 ,61	52744,30,40
	III.	**Term Deposits**			
		i) From Banks		147 ,73 ,28	474,57,62
		ii) From Others		65387 ,36 ,96	66204,06,77
			TOTAL :	**134983 ,31 ,51**	**129326,37,80**
B		i) Deposits of branches in India		134983 ,31 ,51	129326,37,80
		ii) Deposits of branches outside India		-	-
			TOTAL :	**134983 ,31 ,51**	**129326,37,80**

SCHEDULE 4 - BORROWINGS

(₹ in thousand)

			As on 31.03.2019 Audited	As on 31.03.2018 Audited
I.	**Borrowings in India**			
	i) Reserve Bank of India		20,00,000	-
	ii) Other Banks		1,18 ,84	1,59,54
	iii) Other Institutions & Agencies #		2002,52 ,91	3304,46,21
II.	**Borrowings outside India**		-	-
		TOTAL :	**2203 ,71 ,75**	**3306,05,75**
	Secured borrowings included in I&II above		-	-
	# Including Subordinated Debts for Tier II Capital		1690 ,00 ,00	1940,00,00
	# Including IPDI for Tier 1 Capital		300 ,00 ,00	1240,00,00

SCHEDULE 5 - OTHER LIABILITIES AND PROVISIONS

(₹ in thousand)

			As on 31.03.2019 Audited	As on 31.03.2018 Audited
I.	Bills Payable		349 ,68 ,93	343,07,13
II.	Inter-Office Adjustments (net)		155 ,03 ,30	201,53,59
III.	Interest accrued		502 ,49 ,37	521,18,40
IV.	Contingent Provisions against Standard Assets		347 ,27 ,00	238,47,00
V.	Deferred Tax Liability (net)		-	-
VI.	Proposed Dividend (including Dividend Tax)		-	-
VII.	Others (including provisions)		1489 ,53 ,15	2136,72,32
		TOTAL :	**2844 ,01 ,75**	**3440,98,44**

SCHEDULE 6 - CASH & BALANCES WITH RESERVE BANK OF INDIA

(₹ in thousand)

			As on 31.03.2019 Audited	As on 31.03.2018 Audited
I.	Cash in hand (including foreign currency notes)		669 ,27 ,98	608,03,30
II.	Balances with Reserve Bank of India			
	i) In Current Account		5499 ,60 ,39	5604,10,68
	ii) In Other Accounts			-
		TOTAL :	**6168 ,88 ,37**	**6212,13,98**

SCHEDULE 7 - BALANCES WITH BANKS AND MONEY AT CALL AND SHORT NOTICE

(₹ in thousand)

			As on 31.03.2019 Audited	As on 31.03.2018 Audited
I.	**In India -**			
	i) Balances with Banks			
	a) In Current Accounts		19 ,74 ,27	40,13,10
	b) In Other Deposit Accounts		-	-
	ii) Money at Call and Short Notice			
	a) With Banks		1430 ,00 ,00	13879,82,37
	b) With other Institutions		-	-
		SUB-TOTAL :	**1449 ,74 ,27**	**13919,95,47**
II.	**Outside India -**			
	i) Balances with Banks			
	a) in Current Accounts		938 ,38 ,75	102,22,92
	b) in Other Deposit Accounts		1106 ,48 ,00	-
	ii) Money at Call and Short Notice		-	-
		SUB-TOTAL :	**2044 ,86 ,75**	**102,22,92**
		TOTAL :	**3494 ,61 ,02**	**14022,18,39**

SCHEDULE 8 - INVESTMENTS

(₹ in thousand)

			As on 31.03.2019 Audited	As on 31.03.2018 Audited
I.	**Investments in India (Gross)**		**62263 ,02 ,37**	**51200,67,40**
	Less : Provision for NPI, depreciation / amortisation		(1286 ,98 ,94)	(798,86,99)
	NET		**60976 ,03 ,43**	**50401,80,41**
	Break-up			
	i) Government Securities		38429 ,63 ,02	36645,92,90
	ii) Other Approved Securities		-	-
	iii) Shares		638 ,49 ,42	925,53,22
	iv) Debentures and Bonds		7494 ,04 ,22	6067,55,47
	v) Subsidiaries and/or Joint Ventures		-	-
	vi) Others (Mutual Fund, CP, CD, etc.)##		14413 ,86 ,77	6762,78,82
		SUB-TOTAL :	**60976 ,03 ,43**	**50401,80,41**
II.	**Investments outside India (Gross)**		-	-
	Less : Provision for depreciation		-	-
	NET		-	-
	Break-up		-	-
	i) Government Securities (including local authorities)		-	-
	ii) Subsidiaries and/or Joint Ventures abroad		-	-
	iii) Other investments		-	-
		SUB-TOTAL :	-	-
		TOTAL (I & II) :	**60976 ,03 ,43**	**50401,80,41**

As per RBI circular no.DBR.BP.BC.No.31/21.04.018/2015-16 dated July 16,2015, deposits placed with NABARD/SIDBI/NHB for meeting shortfall in Priority sector Lending should be included under Schedule 11-"Other Assets" under the sub head 'others' of the Balance sheet.

SCHEDULE 9 - ADVANCES

(₹ in thousand)

			As on 31.03.2019 Audited	As on 31.03.2018 Audited
A.	i) Bills Purchased and Discounted		262 ,03 ,00	382,93,11
	ii) Cash Credits, Overdrafts and Loans repayable on demand		22949 ,84 ,10	21478,60,00
	iii) Term Loans		43743 ,22 ,64	40628,66,87
		TOTAL :	**66955 ,09 ,74**	**62490,19,98**
B.	i) Secured by tangible assets (includes advances against Book Debt)		61088 ,44 ,56	56855,99,98
	ii) Covered by Bank / Government Guarantees		1732 ,58 ,96	1715,31,00
	iii) Unsecured		4134 ,06 ,22	3918,89,00
		TOTAL :	**66955 ,09 ,74**	**62490,19,98**
C.	**I. Advances in India**			
	i) Priority Sector		29823 ,22 ,23	28542,11,48
	ii) Public Sector		7148 ,39 ,39	3521,27,50
	iii) Banks		8 ,93 ,00	43,24,00
	iv) Others		29974 ,55 ,12	30383,57,00
		SUB-TOTAL :	**66955 ,09 ,74**	**62490,19,98**
	II. Advances outside India			
	i) Due from Banks		-	-
	ii) Due from Others		-	-
	a) Bills Purchased and Discounted		-	-
	b) Syndicated Loans		-	-
	c) Others		-	-
		SUB-TOTAL :	-	-
		TOTAL (I & II)	**66955 ,09 ,74**	**62490,19,98**

SCHEDULE 10 - FIXED ASSETS

(₹ in thousand)

			As on 31.03.2019 Audited	As on 31.03.2018 Audited
I.	Premises (Including Leasehold)			
	At cost/revalued as on 31st March of preceding year		1308 ,45 ,25	1223,09,83
	Revaluation during the period/year		-	84,72,14
	Additions during the period/year		1 ,13 ,48	63,28
			1309 ,58 ,73	**1308,45,25**
	Less: Deductions during period/year		(,98)	-
	Depreciation to date		(291 ,18 ,93)	(263,40,02)
		SUB-TOTAL :	**1018 ,38 ,82**	**1045,05,23**
II.	**Capital Work-in-Progress**		**5 ,98 ,80**	**6,59,01**
III.	**Other Fixed Assets (including Furniture & Fixture)**			
	At cost as on 31st March of preceding year		1039 ,26 ,76	944,88,75
	Additions during the period/year		58 ,58 ,27	146,42,65
			1097 ,85 ,03	**1091,31,40**
	Less:Deductions during the period/year		(31 ,73 ,58)	(52,04,64)
	Depreciation to date		(869 ,20 ,57)	(806,28,20)
		SUB-TOTAL :	**196 ,90 ,88**	**232,98,56**
IV.	**Intangible Assets**			
	Software			
	At cost as on 31st March of preceding year		110 ,77 ,22	104,88,30
	Additions during the period/year		16 ,61 ,72	5,88,92
			127 ,38 ,94	**110,77,22**
	Less: Deductions /Adjustment during the period/year		-	-
	Amortisation to date		(108 ,61 ,94)	(102,31,17)
		SUB-TOTAL :	**18 ,77 ,00**	**8,46,05**
		TOTAL (I+II+III+IV)	**1240 ,05 ,50**	**1293,08,85**

SCHEDULE 11 - OTHER ASSETS

(₹ in thousand)

			As on 31.03.2019 Audited	As on 31.03.2018 Audited
I.	Inter-Office Adjustments (net)		-	-
II.	Interest accrued		1170 ,45 ,98	1086,71,04
III.	Tax Paid in advance/Tax deducted at source		921 ,14 ,82	791,48,96
IV.	Stationery and Stamps		6 ,89 ,17	5,71,61
V.	Non-banking assets acquired in satisfaction of claims		-	-
VI.	Deferred Tax Assets (Net)		5479 ,97 ,00	3246,27,00
VII.	Others##		5116 ,77 ,75	5199,05,36
		TOTAL :	**12695 ,24 ,72**	**10329,23,97**

As per RBI circular no.DBR.BP.BC.No.31/21.04.018/2015-16 dated July 16,2015, deposits placed with NABARD/SIDBI/NHB for meeting shortfall in Priority sector Lending should be included under Schedule 11- "Other Assets" under the sub head 'others' of the Balance sheet.

SCHEDULE 12 - CONTINGENT LIABILITIES

(₹ in thousand)

			As on 31.03.2019 Audited	As on 31.03.2018 Audited
I.	Claims against the bank not acknowledged as debts		8 ,21 ,38	12,66,75
II.	Liability for partly paid investments		3 ,22 ,01	4,92,36
III.	Liability on account of outstanding forward exchange contracts		3079 ,20 ,07	1769,65,73
IV.	Guarantees given on behalf of constituents (net of cash margin) :			
	a) In India		3208 ,28 ,62	3523,31,91
	b) Outside India		110 ,62 ,53	525,02,83
	c) BG invoked but not paid (in India)		14 ,84 ,48	14,63,83
V.	Acceptances, endorsements and other obligations (net of cash margin)		880 ,36 ,13	1205,93,64
VI.	Other items for which the Bank is contingently liable		786 ,77 ,32	788,85,63
		TOTAL :	**8091 ,52 ,54**	**7845,02,68**

PROFIT & LOSS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2019

(₹ in thousand)

		Schedule	Year Ended 31.03.2019	Year Ended 31.03.2018
I.	INCOME			
	Interest Earned	13	8559 ,87 ,64	8341,62,93
	Other Income	14	2384 ,58 ,40	2214,56,69
	TOTAL :		**10944 ,46 ,04**	**10556,19,62**
II.	EXPENDITURE			
	Interest Expended	15	6585 ,27 ,10	6848,75,79
	Operating Expenses	16	2947 ,60 ,08	2683,37,82
	Provisions and Contingencies		3727 ,51 ,39	2478,50,63
	TOTAL :		**13260 ,38 ,57**	**12010,64,24**
III.	PROFIT			
	Net Profit for the year/period		-2315 ,92 ,53	-1454,44,62
	TOTAL :		**-2315 ,92 ,53**	**-1454,44,62**
IV.	APPROPRIATIONS :			
	Transfer to Statutory Reserve		-	-
	Transfer to Capital Reserve		-	99,91,36
	Proposed Dividend :			
	Equity		-	-
	PNCPS		-	-
	Tax on Dividend		-	-
	Transfer to Revenue Reserve		-2315 ,92 ,53	-1554,35,98
	Balance carried forward to Balance Sheet		-	, ,0
		TOTAL :	**-2315 ,92 ,53**	**-1454,44,62**
	Basic & Diluted Earning per Share (Rs.)		-7.04	-9.65

This is the part of Profit & Loss Account as on 31.03.2019

Ashok Kumar Pradhan
Managing Director & Chief Executive Officer

Sanjay Kumar
Executive Director

Ajit Kumar Das
Executive Director

Sameer Kumar Khare
Director

Denesh Singh
Director

Sidhartha Pradhan
Director

S. Suryanarayana
Director

Sadhana Varma
Director

Ashwini Kumar Jha
General Manager & CFO

As per our separate report of even date attached

For Arun K. Agarwal & Associates	**For Mookherjee Biswas & Pathak**	**For Dinesh Jain & Associates**	**For SBA Associates**
Chartered Accountants	Chartered Accountants	Chartered Accountants	Chartered Accountants
(FRN: 003917N)	(FRN: 301138E)	(FRN: 004885N)	(FRN: 308136E)
Sd/-	Sd/-	Sd/-	Sd/-
CA Arun Kumar Agarwal	**CA Sankar Prasanna Mukherjee**	**CA Neha Jain**	**CA Nilanjana Sen**
(Partner)	(Partner)	(Partner)	(Partner)
M. No: 082899	M. No: 010807	M. No : 514725	M. No : 061768

Date : 13th May 2019
Place : Kolkata

SCHEDULE 13 - INTEREST EARNED

(₹ in thousand)

			Year Ended 31.03.2019	Year Ended 31.03.2018
I.	Interest / Discount on Advances/Bills		5060 ,57 ,16	5060,19,13
II.	Income on Investments		3076 ,90 ,56	2639,39,16
III.	Interest on balances with Reserve Bank of India and other Inter-Bank Funds		245 ,93 ,90	304,09,39
IV.	Others		176 ,46 ,02	337,95,25
		TOTAL :	**8559 ,87 ,64**	**8341,62,93**

SCHEDULE 14 - OTHER INCOME

(₹ in thousand)

			Year Ended 31.03.2019	Year Ended 31.03.2018
I.	Commission, Exchange and Brokerage		193 ,99 ,78	179,37,84
II.	Profit on sale of Investments		1301 ,61 ,24	1522,30,11
	Less : Loss on sale of Investments		(28 33 ,65)	(78,17,06)
III.	Profit on revaluation of Investments		-	-
	Less : Loss on revaluation of Investments		-	-
IV.	Profit on sale of land, buildings and other assets		,59 ,44	3,09,83
	Less : Loss on sale of land, buildings and other assets		(6 ,05)	(23)
V.	Profit on exchange transactions		146 ,94 ,42	135,58,27
	Less : Loss on exchange transactions		-	-
VI.	Income earned by way of dividend etc., from subsidiaries, companies and/or joint ventures abroad/in India		-	-
VII.	Miscellaneous Income		769 ,83 ,22	452,37,93
		TOTAL :	**2384 ,58 ,40**	**2214,56,69**

SCHEDULE 15 - INTEREST EXPENDED

(₹ in thousand)

			Year Ended 31.03.2019	Year Ended 31.03.2018
I.	Interest on Deposits		6324,60 ,35	6593,91,58
II.	Interest on Reserve Bank of India/inter-Bank borrowings		49,36 ,33	61,12,50
III.	Others		211,30 ,42	193,71,71
		TOTAL :	**6585,27 ,10**	**6848,75,79**

SCHEDULE 16 - OPERATING EXPENSES

(₹ in thousand)

			Year Ended 31.03.2019	Year Ended 31.03.2018
I.	Payments to and Provisions for Employees		1954 ,49 ,38	1712,59,20
II.	Rent, Taxes and Lighting		159 ,80 ,55	160,52,63
III.	Printing and Stationery		21 ,35 ,82	22,81,60
IV.	Advertisement and Publicity		2 ,41 ,12	4,32,52
V.	Depreciation on Bank's property		125 ,73 ,00	120,14,16
	Less : Transfer from Revaluation Reserve		-	-
			125 ,73 ,00	**120,14,16**
VI.	Directors' fees, allowances and expenses		1 ,25 ,36	87,50
VII.	Auditors' fees and expenses		21 ,02 ,49	15,17,68
	(including branch auditors' fees and expenses)			
VIII.	Law Charges		9 ,93 ,50	10,41,95
IX.	Postage, Telegrams, Telephones etc.		38 ,04 ,75	33,60,15
X.	Repairs and Maintenance		20 ,37 ,40	28,07,31
XI.	Insurance		157 ,31 ,60	159,03,82
XII.	Other Expenditure		435 ,85 ,11	415,79,30
		TOTAL :	**2947 ,60 ,08**	**2683,37,82**

SCHEDULE 17

SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES FOR THE YEAR ENDED 31st MARCH, 2019

1. BASIS OF PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENTS

The accompanying financial statements are prepared on historical cost basis, except as otherwise stated, following the "Going Concern" concept and are in conformity to the Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) in India, applicable statutory provisions, regulatory norms prescribed by the Reserve Bank of India (RBI), applicable mandatory Accounting Standards (AS)/ Guidance Notes/ pronouncements issued by the Institute of Chartered Accountants of India (ICAI) and practices prevailing in the banking industry in India.

2. USE OF ESTIMATES

The preparation of financial statements requires the management to make estimates and assumptions for considering the reported assets and liabilities (including contingent liabilities) as on the date of financial statements and the income and expenses for the reporting period. Management believes that the estimates used in the preparation of the financial statements are prudent and reasonable.

3. RECOGNITION OF INCOME AND EXPENDITURE

3.1 The Revenues and Expenses are accounted for on accrual basis unless otherwise stated.

3.2 Income from Performing Assets is recognized on accrual basis and income from Non-Performing Assets (NPAs) is recognized on realisation. The amount realised/recovered during the year is appropriated first to income on Sub-standard Assets. Amounts realized/ recovered in Doubtful and Loss Assets and Suit Filed and Decreed Accounts are first appropriated against outstanding balances.

3.3 Unrealized income on advances, classified as NPA, is reversed.

3.4 Income from Commission (except on Government Transactions and Bancassurance), exchange, brokerage, claims, locker rent and dividend on shares are accounted for on cash basis.

3.5 Performance linked incentive to whole time directors is accounted for on cash basis.

4. TRANSACTIONS INVOLVING FOREIGN EXCHANGE

4.1. Monetary Assets and Liabilities, excluding outstanding Forward Exchange Contracts in each currency, are revalued at the Balance Sheet date at closing spot rates announced by the Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI). Outstanding forward exchange contracts are revalued at the forward rates announced by FEDAI. The difference between the revalued amount and the contracted amount is recognized as profit or loss, as the case may be.

4.2. Income and expenditure items are recorded at the exchange rates prevailing on the date of transaction.

4.3. Acceptances, endorsements and other obligations including guarantees are carried at the closing spot rates announced by FEDAI.

4.4. Representative Office of the Bank has been classified as 'Integral Foreign Operation' in accordance with AS-11 on "The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates".

4.5. Foreign currency transactions relating to 'Integral Foreign Operation' are recorded on initial recognition in the reporting currency by applying to the foreign currency amount, the exchange rate between the reporting currency and the foreign currency on the date of transaction.

4.6. Foreign currency non-monetary items that are carried in terms of historical costs are reported using the exchange rates on the dates of transactions.

5. INVESTMENTS

5.1 For the purpose of disclosure in the Financial Statements, the investments are classified into six categories as stipulated in Form A of the third schedule to the Banking Regulation Act, 1949 as under:

a) Government Securities

b) Other approved securities

c) Shares

d) Debentures and Bonds

e) Subsidiaries/Joint Ventures

f) Others

5.2 The Investment portfolio of the Bank is categorized, in accordance with the RBI guidelines, into:

a) "Held to Maturity" comprising Investments acquired with an intention to hold till maturity;

b) "Held for Trading" comprising Investments acquired with an intention to trade;

c) "Available for Sale" comprising Investments not covered by (a) and (b) above.

Classification of an investment is done at the time of acquisition.

5.3 In determining acquisition cost of an investment:

a) Brokerage, Commission and Incentives received on subscription to securities, are deducted from the cost of securities;

b) Brokerage, Commission etc. paid in connection with acquisition of securities are treated as revenue expenses;

c) Interest accrued upto the date of acquisition/ sale of securities i.e., broken period interest is credited/ charged to Profit and Loss Account.

5.4. The Bank follows "Settlement Date" for accounting of investment transactions. Investments are valued as per RBI/ Fixed Income Money Market & Derivatives Association (FIMMDA) guidelines, on the following basis:

a) "Held to Maturity" (HTM)

i) Investments under "HTM" category are carried at acquisition cost. Wherever the book value is higher than the face value/ redemption value, the premium is amortized over the remaining period to maturity.

ii) Investments in Rural Infrastructure Development Fund, Short Term Co-operative Rural Credit Refinance Fund, Medium Small Micro Enterprise Refinance Fund – Small Industries Development Bank of India Limited, Medium Small Micro Enterprise Risk Capital Fund – Small Industries Development Bank of India Limited, Rural Housing Development Fund-National Housing Bank Limited, Micro Finance Development and Equity Fund - National Agricultural and Rural Development Bank Limited (classified as shares) are valued at carrying cost.

iii) Investments in sponsored Regional Rural Banks are valued at carrying cost.

iv) Investment in venture capital is valued at carrying cost.

b) "Held for Trading" and "Available for Sale"

a)	Govt. Securities	
	1. Central Govt. Securities	At prices published by FIMMDA
	2. State Govt. Securities	On Yield to Maturity (YTM) basis by adding appropriate mark-up on the Base Yield Curve as per FIMMDA/RBI guidelines.
b)	Discounted Instruments (Treasury Bills, Commercial Paper and Certificate of Deposits)	At carrying cost
c)	Bonds and Debentures	On YTM basis by adding appropriate Credit Spread on the Base Yield curve as per FIMMDA/RBI guidelines.
d)	Equity	
	i) Quoted	At market price
	ii) Un-quoted	At break-up value as per latest Balance Sheet (not more than one year old), otherwise at Re 1/- per company.
e)	Preference Shares	At market price, if quoted or YTM basis by adding appropriate mark-up on the base yield curve as per FIMMDA/ RBI guidelines.
f)	Security Receipt/Venture Capital Fund	At Net Asset Value (NAV) as per FIMMDA/ RBI guidelines.
g)	Mutual Funds	At Market Price, if quoted and at re-purchase price/ NAV if unquoted.

5.5. Shifting of securities from and to "HFT" category is done in accordance with RBI guidelines with the approval of Board of Directors.

5.6. The individual scrip in the "HFT" and "AFS" category are marked to market at monthly or at more frequent intervals, if required. Under each category, net depreciation, if any, is provided for while net appreciation, if any, is ignored.

5.7. Income from Zero Coupon Bonds, being the difference between cost and face value, is recognized on a time proportion basis.

5.8. Profit or Loss on sale of investments in any category is taken to Profit and Loss Account. In case of profit on sale of Investments in "HTM" category, an equivalent amount is appropriated to "Capital Reserve Account" at the end of the year. For calculating the surplus/ deficit on sale of securities, weighted average method is adopted.

5.9. For the purpose of calculating holding period in case of "HFT" category, First in First out (FIFO) method is applied.

5.10. Investments are subject to appropriate provisioning/ de-recognition of income, in line with the prudential norms of RBI for "Non Performing Investment" (NPI) Classification. The depreciation/ provision in respect of non-performing securities is not set off against the appreciation in respect of the other performing securities in accordance with RBI guidelines.

5.11. The derivatives transactions are undertaken for trading or hedging purposes and valuation has been done in accordance with RBI guidelines.

5.12. The Bank has adopted the Accounting Procedure prescribed by the RBI for accounting of Repo and Reverse Repo transactions.

6. FINANCIAL ASSETS SOLD TO ASSETS RECONSTRUCTION COMPANY (ARC)/ SECURITIZATION COMPANY (SC)

6.1 In the case of financial assets sold to ARC/ SC, if the sale is for a value higher than the Net Book Value (NBV), the excess provision is not reversed but utilized for meeting any shortfall on account of sale of other financial assets to ARC/ SC. If the sale is at a price below the NBV the shortfall after adjusting the available surplus if any, is debited to the Profit and Loss Account.

6.2 The sale of financial assets to ARC/ SC is recognized in the books of the Bank at lower of either redemption value of the Security Receipts issued by the Trust created by the ARC/ SC for such sale or the net book value of such financial assets.

6.3 The Security Receipts are classified as Non-SLR Investment in the books of the Bank and accordingly the valuation, classification and other norms prescribed by RBI in respect of Non-SLR Securities are applicable.

6.4 In case of written off Assets sold to ARC/ SC, the cash proceeds are recognized as income.

7. ADVANCES

7.1. Advances are classified as Performing/ Non-Performing Assets and provisions thereon are made in conformity with the prudential norms prescribed by RBI.

7.2. Non-performing assets are stated net of provisions and claims received from credit guarantee institutions.

7.3 Provision held for performing assets is shown under the head "Other Liabilities and Provisions".

7.4. Restructuring of Advances and provisioning thereof have been made as per RBI guidelines.

8. FIXED ASSETS AND DEPRECIATION

8.1. Premises (including leasehold), other fixed assets and Capital work in progress are stated at historical cost or amount substituted for historical cost. In case of revaluation, the same are stated at the revalued amount and the appreciation is credited to "Revaluation Reserve".

8.2 Leasehold assets are amortized over the period of lease.

8.3. Depreciation on assets other than Computers and Automated Teller Machines (ATMs) is provided for under written down value method, in the manner and as per the rates prescribed under Schedule II to the Companies Act, 2013 after retaining 5% residual value. However for the assets already in use as on 01.04.2014, Bank use straight-line method for charging depreciation after retaining 5% residual value.

Equivalent amount of depreciation on the revalued portion of the asset is transferred to General Reserves from Revaluation Reserve each year.

8.4. Depreciation on computers, ATMs and amortization of software are accounted for on straight-line method @33.33% on pro rata basis from the date of acquisition as per RBI guidelines.

8.5. Impairment Losses, if any, on Fixed Assets (including revalued assets) are recognized in accordance with AS-28 on "Impairment of Assets".

9. ACCOUNTING FOR GOVERNMENT GRANTS

In accordance with AS-12 Government Grants/ subsidies received is presented in the Balance Sheet by showing the Grant/ Subsidy as a deduction from the Gross Value of the assets concerned in arriving at the book value. The grant/ subsidy is recognized in the Profit & Loss Account over the useful life of the depreciable assets by way of reduced depreciation charged.

Government Grant/ subsidies received, of revenue nature, is recognized in the Profit & Loss Account by reducing the related cost if received during the same financial year otherwise, the same is shown under "Other Income" if received after the close of the relevant financial year.

10. EMPLOYEE BENEFITS

10.1 Employee Benefits are recognized in accordance with AS-15 on "Employee Benefits".

10.2 Short term employee benefits namely Leave Fare Concession and Medical Aid are measured at cost.

10.3 Long term employee benefits and post-retirement benefits namely gratuity, pension and leave encashment are measured on a discounted basis under the Projected Unit Credit Method on the basis of annual third party actuarial valuations.

10.4 In respect of employees who have opted for Provident Fund Scheme, matching contribution is made to a recognized Trust. For others who have opted for Pension Scheme, contribution to Pension Fund is based on actuarial valuation.

10.5 Long Term employee benefits recognized in the Balance Sheet represent the present value of the obligation as adjusted for unrecognized past service cost, if any, and as reduced by the fair value of plan assets, wherever applicable and actuarial gain/ loss to the extent recognized in Profit and Loss Account.

10.6 The transitional liability in respect of long term employee benefits, including pension benefits, is recognized as an expense on straight line basis over a period of five years.

10.7 In terms of RBI circular, expenditure on "Re-opening of Pension option to employees of Public Sector Banks and enhancement of Gratuity limits-Prudential Regulatory Treatment" is being amortized over a period of five years.

11. TAXATION

Provision for tax is made for both current and deferred taxes in accordance with AS-22 on "Accounting for Taxes on Income".

12. PROVISIONS, CONTINGENT LIABILITIES AND CONTINGENT ASSETS

In accordance with AS-29 on "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets," the Bank recognizes:

a) Provisions only when it has a present obligation as a result of a past event and it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and when a reliable estimate of the amount of the obligation can be made.

b) Contingent Liability is recognized/ disclosed when a possible obligation from a past event, the existence of which is confirmed by the occurrence/ non-occurrence of one or more uncertain future events not wholly within the control of Bank. Contingent Liability is also recognized/ disclosed when there is a present obligation from past events but is not recognized because of a remote possibility of outflow of resources embodying the economic benefits to settle the obligation or a reliable estimate of the amount of the obligation cannot be made.

c) Contingent Assets are not recognized in the Financial Statements.

13. NET PROFIT

The Net Profit is arrived at after accounting for the following:

a) Provision for Taxation

b) Provision on Standard Assets

c) Provision for NPAs and Depreciation on investments as per prudential norms of RBI

d) Other usual and necessary provisions.

This is the part of Schedule-17 as on 31.03.2019

Ashok Kumar Pradhan
Managing Director & Chief Executive Officer

Sanjay Kumar
Executive Director

Ajit Kumar Das
Executive Director

Sameer Kumar Khare
Director

Denesh Singh
Director

Sidhartha Pradhan
Director

S. Suryanarayana
Director

Sadhana Varma
Director

Ashwini Kumar Jha
General Manager & CFO

As per our separate report of even date attached

For Arun K. Agarwal & Associates	**For Mookherjee Biswas & Pathak**	**For Dinesh Jain & Associates**	**For SBA Associates**
Chartered Accountants	Chartered Accountants	Chartered Accountants	Chartered Accountants
(FRN: 003917N)	(FRN: 301138E)	(FRN: 004885N)	(FRN: 308136E)
Sd/-	Sd/-	Sd/-	Sd/-
CA Arun Kumar Agarwal	**CA Sankar Prasanna Mukherjee**	**CA Neha Jain**	**CA Nilanjana Sen**
(Partner)	(Partner)	(Partner)	(Partner)
M. No: 082899	M. No: 010807	M. No : 514725	M. No : 061768

Date : 13th May 2019
Place : Kolkata

SCHEDULE 18

NOTES FORMING PART OF THE FINANCIAL STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH 2019

1. Confirmation/ reconciliation of balances with foreign branches, SBI and other Banks, NOSTRO Accounts, Drafts Payable, Clearing Difference, Inter office adjustments, etc. are in progress on an on-going basis. Pending final clearance/ adjustment of the above, the overall impact, if any, on the Financial Statements, in the opinion of the management, is not likely to be significant.

2.1 **Capital** (₹ in crores)

Sl	Particulars	Basel-III Year ended	
		31.03.2019	31.03.2018
1	Common Equity Tier1 Ratio (%)	10.14	8.39
2	Tier 1 Capital Ratio (%)	10.14	9.87
3	Tier 2 Capital Ratio (%)	2.86	2.75
4	Total Capital Ratio (CRAR) (%)	13.00	12.62
5	Percentage of the shareholding of the Government of India in the Bank's equity capital	96.83%	93.13%
6	Amount of equity capital raised	5028.81	2620.36
7	Amount of Additional Tier 1 Capital raised; of which	NIL	590
7.1	PNCPS	NIL	NIL
7.2	PDI	NIL	590
8	Amount of Tier 2 capital raised; of which:	NIL	990
8.1	Debt capital instrument	NIL	990
8.2	Preference Share Capital Instruments	NIL	NIL

As a Capital planning measure, during FY 2018-19, the Bank has raised the following Capital:

a) During Q2 of the current FY, Bank had issued and allotted 2,92,02,589 new Equity Shares of Face Value of Rs.10/- each at an issue price of Rs.10.55/- per share to the eligible employees of the Bank under United Bank of India - Employee Share Purchase Scheme, 2018, thereby raising Equity Capital of Rs.30.81 crore including share premium of Rs.1.61 crores.

b) During Q3 and Q4 of the FY 2019, Bank had received an amount of Rs.4998 crore from Government of India in two tranches towards capital infusion.
 a. Bank had received Rs.2159 crore on 31.12.2018 towards contribution of the Central Government in the preferential allotment of equity shares of the Bank, as Government's investment. On 11.02.2019, Bank had allotted 1,81,73,40,067 equity shares of Rs.10/- each at a price of Rs.11.88/- per share to the President of India on behalf of Central Government including share premium of Rs.341.66 crores.
 b. Bank had received Rs.2839 crore on 26.02.2019 to issue equity shares by way of preferential allotment to Government of India. On 29.03.2019, Bank had allotted 2,57,38,89,392 equity shares of Rs.10/- each at a price of Rs.11.03/- per share to the President of India acting on behalf of Central Government including share premium of Rs.265.11 crores.

2.2 **Investments** (₹ in crores)

Particulars	Year ended	
	31.03.2019	31.03.2018
1 Value of Investments		
(i) Gross Value of Investments	62263.02	51200.67
(a) In India	62263.02	51200.67
(b) Outside India	0.00	0.00
(ii) Provision for MTM Loss & NPI	1286.99	798.87
(a) In India	1286.99	798.87
(b) Outside India	0.00	0.00
(iii) Net Value of Investments	60976.03	50401.80
(a) In India	60976.03	50401.80
(b) Outside India	0.00	0.00

Particulars	Year ended	
	31.03.2019	31.03.2018
2 Movement of provision held towards MTM Loss & NPI in investments		
(i) Opening balance	798.87	319.88
(ii) Add: Provisions made during the Year	496.81	480.46
(iii) Less: Write- off/ Write –back of excess provision during the Year	8.69	1.47
(iv) Closing balance	1286.99	798.87

RBI vide its circular DBR.No.BP.BC.102/21.04.048/2017-18 dated April 2, 2018 and DBR.No. BP.BC.113/21.04.048/2017-18 dated June 15, 2018 has permitted Banks to spread provisioning for Mark to Market (MTM) losses on investment held in AFS & HFT for the quarter ended December 31, 2017, March 31, 2018 and June 30, 2018. The loss can be spread over four quarters commencing from the quarter in which loss has been incurred. The staggered provision as on September 30, 2018 amounting to Rs.159.67 crores (Rs.90.59 crores & Rs.69.08 crores for the quarter ending December 31, 2018 & March 31, 2019 respectively) has been fully provided during the quarter ended 31st December, 2018 and there is no further staggered provision.

2.2.1 Repo transactions (in face value terms) (₹ in crores)

Particulars	Minimum outstanding during the Year	Maximum outstanding during the Year	Daily Average outstanding during the Year	Outstanding as on 31.03.2019
Securities sold under Repo				
i) Government securities	0.00	0.00	0.00	0.00
	(300.00)	(300.00)	(2.47)	(0.00)
ii) Corporate Debt Securities	0.00	0.00	0.00	0.00
	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
Securities purchased under Reverse Repo				
i) Government securities	25.95	4112.73	350.74	0.00
	(20.33)	(1021.73)	(72.91)	(71.41)
ii) Corporate Debt Securities	0.00	0.00	0.00	0.00
	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)

Figures in brackets represent Previous Year's figures.

2.2.2 Non-SLR Investment Portfolio

(i) Issuer composition of Non-SLR Investments (₹ in crores)

Sl. No.	Issuer	Amount	Extent of 'Private Placement'	Extent of 'Below Investment Grade' Securities	Extent of 'Unrated' Securities	Extent of 'Unlisted' Securities
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	PSUs	4792.42	0.00	0.00	0.00	1.82
		(3104.92)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(2.82)
2	FIs	2315.87	0.00	0.00	0.00	9.60
		(1382.98)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(9.60)
3	Banks	11676.90	0.00	0.00	51.12	368.52
		(5762.89)	(0.00)	(0.00)	(51.12)	(368.52)
4	Private Corporate	4351.22	718.95	0.00	248.46	490.74
		(3312.92)	(905.33)	(0.00)	(251.11)	(494.90)
5	Subsidiaries / Joint Ventures	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)

Sl. No.	Issuer	Amount	Extent of 'Private Placement'	Extent of 'Below Investment Grade' Securities	Extent of 'Unrated' Securities	Extent of 'Unlisted' Securities
(1)	**(2)**	**(3)**	**(4)**	**(5)**	**(6)**	**(7)**
		(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
6	Others (MF/CP/CD)	8557.30	0.00	0.00	0.00	0.00
		(3742.66)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
7	Provision held towards Depreciation / NPI	1286.99	0.00	0.00	0.00	0.00
		(657.16)	(0.00)	(0.00)	(0.00)	(0.00)
	Total (1 to 6) - (7)	**30406.72**	**718.95**	**0.00**	**299.58**	**870.68**
		(16649.11)	**(905.33)**	**(0.00)**	**(302.23)**	**(875.84)**

Figures in brackets represent Previous Year's figures.

(ii) Non-performing Non-SLR Investments (₹ in crores)

Particulars	Year ended	
	31.03.2019	**31.03.2018**
Opening balance	830.48	166.08
Addition during the Year	97.91	665.87
Reduction during the Year	12.41	1.47
Closing balance	915.98	830.48
Total provision held	**856.93**	**505.44**

2.2.3 **Sale and Transfers to/from Held to Maturity (HTM) Category**

1. Sale of Central Government Security & State Development Loan from HTM category during the FY 2018-19 was NIL.
2. Central Government Securities having face value of Rs.1299.14 crores (Book value Rs.1316.23 crores) was transferred from AFS to HTM on 06.04.2018.
3. State Development Loan Securities having Face Value of Rs.3458.65 crores (Book Value Rs.3492.92 crores) was transferred from AFS to HTM Category and State Development Loan having Face Value of Rs.4966.30 crores (Book Value Rs.4993.26 crores) was transferred from HTM to AFS category on 06.04.2018.
4. Venture Capital Securities having Face Value of Rs.0.03 crores (Book Value Rs.5.23 crores) were transferred from HTM to AFS Category.

2.2.4 **Transactions involving Foreign Exchange**

Monetary Assets and liabilities, excluding outstanding Forward Exchange Contracts in each currency, except currency of Bangladesh (BDT 23,00,131.26 equivalent INR 18.40 lacs) which is valued at notional value due to non availability of spot rates, are revalued at the balance Sheet date at closing spot rates announced by the Foreign Exchange Dealers Association of India (FEDAI).

2.3 **Derivatives**

2.3.1 **Forward Rate Agreement/Interest Rate Swap** (₹ in crores)

SI. No.	Particulars	Year ended	
		31.03.2019	**31.03.2018**
i)	The notional principal of swap agreements	NIL	NIL
ii)	Losses which would be incurred if counterparties failed to fulfill their obligations under the agreements	NIL	NIL
iii)	Collateral required by the Bank upon entering into swaps	NIL	NIL
iv)	Concentration of credit risk arising from the swaps	NIL	NIL
v)	The fair value of the swap book	NIL	NIL

2.3.2 **Exchange Traded Interest Rate Derivatives** (₹ in crores)

SI. No.	Particulars	Year ended	
		31.03.2019	31.03.2018
i)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives undertaken during the Year (instrument-wise)	NIL	NIL
ii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding as at 31st March (instrument-wise)	NIL	NIL
iii)	Notional principal amount of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	NIL	NIL
iv)	Mark-to-market value of exchange traded interest rate derivatives outstanding and not "highly effective" (instrument-wise)	NIL	NIL

2.3.3 **Disclosures on risk exposure in derivatives**

A) Qualitative Disclosures

a) The Bank has not undertaken derivative transactions in currency futures for trading (arbitrage) & hedging purposes.

b) Risk management of derivative transactions has been segregated into three functional areas namely,

i) Front-Office for undertaking transaction;

ii) Mid-Office for risk management and reporting; and

iii) Back-Office for settlement, reconciliation and accounting.

c) The risk measurement, reporting and monitoring function is undertaken by the mid-office. The Board of Directors is the apex body to oversee the overall risk measurement, monitoring and reporting functions of the Bank including derivative transactions through Risk Management Committee of the Board (RMCBOD). The bank also internally monitors risk management through in-house Risk Management Committee, Asset Liability Committee (ALCO), Operational Risk Management Committee (ORMC) and Internal Committee on Investment (ICI).

d) Identification of underlying hedge items for hedging / mitigating credit risk, operational risk and market risk arising out of derivative transactions is done in accordance with the Board approved Integrated Treasury Policy. The customer related derivative transactions are covered with counter party banks, on back to back basis for identical amounts and tenure and the bank does not carry market risk for such transactions.

e) The Integrated Treasury Policy prescribes accounting for hedge and non-hedge transactions, income recognition and valuation procedure for outstanding contracts. The income recognition is done as per AS-11 on "The Effects of changes in Foreign exchange Rates" and the guidelines issued by RBI / FEDAI from time to time. The integrated Treasury Policy also prescribes various limits such as Client Level Limits, Trading Member Level Limits, Net Open Position Limits for credit risk mitigation.

B) Quantitative Disclosures (₹ in crores)

Sl. No.	Particulars	Year ended 31.03.2019		Year ended 31.03.2018	
		Currency Derivatives	Interest rate derivatives	Currency Derivatives	Interest rate derivatives
(i)	Derivatives (Notional Principal Amount)	NIL	NIL	NIL	NIL
	a) For hedging	NIL	NIL	NIL	NIL
	b) For trading	NIL	NIL	NIL	NIL
(ii)	Marked to Market Positions (1)	NIL	NIL	NIL	NIL
	a) Asset (+)	NIL	NIL	NIL	NIL
	b) Liability (-)	NIL	NIL	NIL	NIL
(iii)	Credit Exposure (2)	NIL	NIL	NIL	NIL
(iv)	Likely impact of one percentage change in interest rate (100*PV01)	NIL	NIL	NIL	NIL
	a) on hedging derivatives	NIL	NIL	NIL	NIL
	b) on trading derivatives	NIL	NIL	NIL	NIL
(v)	Maximum and Minimum of 100*PV01 observed during the Year	NIL	NIL	NIL	NIL
	a) on hedging	NIL	NIL	NIL	NIL
	b) on trading	NIL	NIL	NIL	NIL

2.4 Asset Quality

2.4.1 Non-Performing Assets (₹ in crores)

Sl. No.	Particulars	Year ended	
		31.03.2019	31.03.2018
i)	Net NPAs to Net Advances (%)	8.67	16.49
ii)	Movement of NPAs (Gross)		
	a) Opening Balance	16552.11	10951.99
	b) Addition during the Year	2870.52	8606.26
	c) Reduction during the Year	7369.25	3006.14
	d) Closing Balance	**12053.38**	**16552.11**
iii)	Movement of Net NPAs		
	a) Opening Balance	10316.30	6591.85
	b) Addition during the Year	-2942.19	4422.85
	c) Reduction during the Year	1588.50	698.40
	d) Closing Balance	**5785.61**	**10316.30**
iv)	Movement of Provisions for NPAs (excluding provisions on standard assets)		
	a) Opening Balance	6201.57	4321.40
	b) Addition during the Year	5523.30	3945.97
	c) Reduction during the Year	5556.56	2065.80
	d) Closing Balance	**6168.31**	**6201.57**

2.4.2 Divergence in Asset Classification and Provisioning for NPAs in compliance to Risk assessment Report (RAR) of RBI for the year 2017-18 are reported as under:

(ref. RBI Circulars DBR.BP.BC.No.63/21.04.018/2016-17 dated April 18, 2017 & DBR.BP.BC.No.32 /21.04.018/2018-19 dated April 1, 2019)

(₹ in thousands)

Sl. No.	Particulars	Amount
1.	Gross NPAs as on March 31, 2018 as reported by the bank	**165521100**
2.	Gross NPAs as on March 31, 2018 as assessed by RBI	165791100
3.	Divergence in Gross NPAs (2-1)	270000
4.	Net NPAs as on March 31, 2018 as reported by the bank	**103163000**
5.	Net NPAs as on March 31, 2018 as assessed by RBI	97133000
6.	Divergence in Net NPAs (5-4)	(6030000)
7.	Provisions for NPAs as on March 31, 2018 as reported by the bank	**62015700**
8.	Provisions for NPAs as on March 31, 2018 as assessed by RBI	68315700
9.	Divergence in provisioning (8-7)	6300000
10.	Reported Net Profit after Tax (PAT) for the year ended March 31, 2018	(14544400)
11.	Adjusted (notional) Net Profit after Tax (PAT) for the year ended March 31, 2018 after taking into account the divergence in provisioning etc.	(21255400*)

* including divergence in provision of Rs.399 mn in NPI.

2.4.3 Particulars of Accounts Restructured

Disclosure of Restructured Accounts (As on 31.03.2019)																						
(₹ in crore)																						
Sl No	Type of Restructuring ->		Under CDR Mechanism					Under SME Debt Restructuring Mechanism					Others					Total				
	Asset Classification ->		Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total
	Details																					
1	Restructured Accounts as on April of the FY (Opening figures)*	No. of borrowers	12	5	27	-4	40	277	137	1467	-3	1878	1412	467	4431	-809	5501	1701	609	5925	-816	7419
		Amount outstanding	727.1	731.25	3138.02	-105.61	4490.76	57.91	30.15	150.81	-4.33	234.54	1724.15	1326.98	1755.75	-2447.38	2359.5	2509.15	2088.39	5044.58	-2557.32	7084.80
		Provision thereon	7.73	0	0.43	0	8.16	1.41	0.07	2.84	0	4.32	15.53	0.1	6.63	0.01	22.27	24.67	0.17	9.9	0.01	34.75
2	Fresh restructuring during the year	No. of borrowers	0	0	0	0	0	2185	308	347	0	2840	12	132	1	0	145	2197	440	348	0	2985
		Amount outstanding	0	0	0.00	0.00	0.00	129.09	7.07	4.93	0.00	141.09	164.17	2.82	0.00	0.00	166.99	293.26	9.89	4.93	0.00	308.08
		Provision thereon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.23	1.50	0.25	0.00	21.98	81.51	0.14	0.00	0.00	81.65	101.74	1.64	0.25	0.00	103.63
3	Upgradations to restructured standard category during the FY	No. of borrowers	4	-4	0	0	0	24	-12	-12	0	0	57	-25	-32	0	0	85	-41	-44	0	0
		Amount outstanding	47.55	-51.74	0.00	0.00	-4.19	2.59	-2.58	-0.09	0.00	0.00	3.80	-2.26	-1.77	0.00	-0.23	53.94	-56.58	-1.86	0.00	-4.50
		Provision thereon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Restructured standard advances which cease to attract higher provisioning and / or additional risk weight at the end of the FY and hence need not be shown restructured standard advances at the beginning of the next FY	No. of borrowers	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Amount outstanding	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Provision thereon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Downgradations of restructured accounts during the FY	No. of borrowers	-2	6	-4	0	0	-22	-312	334	0	0	-34	-434	468	0	0	-58	-740	798	0	0
		Amount outstanding	-5.89	54.38	-48.44	0.00	0.05	-2.97	-27.36	29.91	0.00	-0.42	-90.84	-808.91	900.22	0.00	0.47	-99.70	-781.89	881.69	0.00	0.10
		Provision thereon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Write-offs of restructured accounts during the FY	No. of borrowers	1	3	88	1	93	49	46	395	0	490	211	92	934	0	1237	261	141	1417	1	1820
		Amount outstanding	0	252.37	1589.72	49.08	1891.17	3.70	1.47	78.64	0.00	83.81	97.81	311.93	1121.68	0.00	1531.42	101.51	565.77	2790.04	49.08	3506.40
		Provision thereon	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Disclosure of Restructured Accounts (As on 31.03.2019)

(₹ in crore)

Sl No	Type of Restructuring ->		Under CDR Mechanism					Under SME Debt Restructuring Mechanism					Others					Total				
	Asset Classification ->		Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total	Standard	Sub-Standard	Doubtful	Loss	Total
	Details																					
7	Restructured Accounts as on March 31 of the FY (closing figures)*	No. of borrowers	13	4	-65	-5	-53	2415	75	1741	-3	4228	1236	48	3934	-809	4409	3664	127	5610	-817	8584
		Amount outstanding	768.76	481.52	1499.86	-154.69	2595.45	182.92	5.81	106.92	-4.33	291.32	1703.47	206.70	1532.52	-2447.38	995.31	2676.24	694.03	3139.30	-3893.38	2616.19
		Provision thereon	7.73	0	0.43	0.00	8.16	21.64	1.57	3.09	0.00	26.30	97.04	0.24	6.63	0.01	103.92	126.41	1.81	10.15	0.01	138.38

*Excluding the figures of standard restructured advances which do not attract higher provisioning or risk weight (if applicable).

1. The above disclosures, including sacrifice are as compiled and certified by the Bank's Management.
2. The quantum of economic sacrifice during the year on the restructured assets has been calculated by the NPV method as on 31.03.2019 for standard and NPA assets of Rs.1 crore and above. For the remaining assets, economic sacrifice has been provided @ 5% of outstanding balance.
3. The increase in balance of restructured accounts as on 31.03.2019 has been included under up gradation and the decrease in balance of restructured accounts as on 31.03.2019 has been included under down gradation.

2.4.4 **Details of financial assets sold to Securitization / Reconstruction Company for Asset Reconstruction** (₹ in crores)

Sl. No.	Particulars	Year ended	
		31.03.2019	31.03.2018
i)	No. of accounts	7	30
ii)	Aggregate value (net of provisions) of accounts sold to SC/RC	217.11	240.36
iii)	Aggregate consideration	308.49	365.59
iv)	Additional consideration realized in respect of accounts transferred in earlier years	143.66	0.00
v)	Aggregate gain/(loss) over net book value	(+) 235.04	(+) 125.23

2.4.5 **Details of Book Value of Investments in Security Receipts** (₹ in crores)

Particulars	Backed by NPAs sold by the bank as underlying		Backed by NPAs sold by other banks/ financial institutions/ non-banking financial companies as underlying		Total	
	31.03.2019	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2018
Book value of investments in security receipts	21.28	314.24	Nil	Nil	21.28	314.24

2.4.6 **Disclosure of investment in SRs as on 31/03/2019** (₹ in crores)

	Particulars	SRs issued within past 5 years	SRs issued more than 5 years ago but within past 8 years	SRs issued more than 8 years ago
(i)	Book value of SRs backed by NPAs sold by the bank as underlying.	649.17	1.17	12.65
	Provision held against (i)	**192.43**	**0.14**	**12.65**
(ii)	Book value of SRs backed by NPAs sold by other banks/ financial institutions / non- banking financial companies a as underlying.	Nil	Nil	Nil
	Provision held against (ii)	Nil	Nil	Nil
Total (i) + (ii)		649.17	1.17	12.65

2.4.7 **Details of Non-performing financial assets purchased/sold**

A) Details of Non-performing financial assets purchased (₹ in crores)

Sl. No.	Particulars	Year ended	
		31.03.2019	31.03.2018
1.	(a) No. of accounts purchased during the Year	NIL	NIL
	(b) Aggregate Outstanding	NIL	NIL
2.	(a) Of these, number of accounts restructured during the Year	NIL	NIL
	(b) Aggregate Outstanding	NIL	NIL

B) Details of Non-performing financial assets sold (₹ in crores)

Sl. No.	Particulars	Year ended	
		31.03.2019	31.03.2018
1.	No. of accounts sold	7	30
2.	Aggregate Outstanding	696.76	641.18
3.	Aggregate consideration received	308.49	365.59

2.4.8 **Provision on Standard Assets** (₹ in crores)

Particulars	Year ended	
	31.03.2019	31.03.2018
Provision towards Standard Assets	347.27	238.47

2.4.9 In compliance with RBI directives on the Assets Quality Review (AQR) for their classification over the six quarters ending March 31, 2017, the Bank had made the classification of Advances and provisioning as per directives of RBI and IRAC norms as on 31.03.2017. The effect of AQR has fully provided till 31.03.2017.

2.4.10 Bank has maintained a provision of Rs.16.03 crores towards exposure on Food Credit availed by State Government of Punjab having outstanding amount of Rs.320.50 crores as on 31.03.2019 i.e. 5% on outstanding balance as on 31.03.2019.

2.5 Business Ratios

Sl. No.	Particulars	Year ended	
		31.03.2019	31.03.2018
i)	Interest Income as a percentage to Working Funds	5.91%	5.95%
ii)	Non-interest income as a percentage to Working Funds	1.65%	1.58%
iii)	Operating Profit as a percentage to Working Funds	0.97%	0.73%
iv)	Return on Assets	-1.60%	-1.04%
v)	Business (Deposits plus advances) per employee (₹ in Crores)	14.96	13.22
vi)	Gross Profit/(Loss) per employee (₹ in Lacs)	10.23	6.91

2.6 Asset Liability Management

Maturity pattern of certain items of Assets and Liabilities* (₹ in crores)

Assets/ Liabilities	Day 1	2 to 7 days	8 to 14 days	15 to 28 days	29 days to 3 months	Over 3 months and up to 6 months	Over 6 months and up to 1 Year	Over 1 Year and up to 3 Years	Over 3 Years and up to 5 Years	Over 5 Years	Total
Deposits	2071.83	5070.71	4660.71	4594.74	12038.46	7211.54	19416.15	28024.99	13555.38	38338.81	**134983.32**
	(2160.79)	*(5042.71)*	*(4844.72)*	*(2331.22)*	*(6500.91)*	*(4471.53)*	*(16685.07)*	*(23507.30)*	*(10970.08)*	*(52812.05)*	***(129326.38)***
Advances	184.54	367.84	737.17	3806.84	7470.38	4782.31	8048.55	9718.89	8204.60	23633.99	**66955.10**
	(184.96)	*(335.85)*	*(392.20)*	*(636.46)*	*(1180.88)*	*(1577.09)*	*(3829.43)*	*(12103.00)*	*(8249.89)*	*(34000.44)*	***(62490.20)***
Investments	5114.46	1936.93	725.12	1521.30	8116.42	1918.85	2341.30	3305.02	4053.52	31943.10	**60976.03**
	(9087.04)	*(1022.18)*	*(919.58)*	*(865.91)*	*(3028.58)*	*(1993.69)*	*(1530.46)*	*(2841.68)*	*(2825.56)*	*(26287.12)*	***(50401.80)***
Borrowings	1.19	200.00	0.00	0.00	0.00	4.27	3.42	204.84	1790.00	0.00	**2203.72**
	(1.60)	*(0.00)*	*(0.00)*	*(0.00)*	*(0.00)*	*(55.97)*	*(305.97)*	*(162.52)*	*(2280.00)*	*(500.00)*	***(3306.06)***
Foreign Currency Assets	964.09	913.97	27.04	79.67	708.20	803.80	1814.28	0.00	237.62	0.35	**5549.02**
	(294.19)	*(403.06)*	*(19.26)*	*(162.36)*	*(476.90)*	*(283.05)*	*(489.82)*	*(0.00)*	*(18.38)*	*(0.33)*	***(2147.35)***
Foreign Currency Liabilities	267.13	1751.75	5.89	3.98	830.22	700.27	1966.86	20.30	2.17	0.00	**5548.57**
	(367.23)	*(410.93)*	*(53.80)*	*(334.95)*	*(339.07)*	*(196.10)*	*(412.11)*	*(29.54)*	*(4.16)*	*(0.00)*	***(2147.91)***

**The above disclosures are as compiled and certified by the Bank's Management.*

Figures in bracket represent Previous Year's figures.

2.7 Exposures

2.7.1 Exposure to Real Estate Sector* (₹ in crores)

Category			Year ended	
			31.03.2019	31.03.2018
a)	**Direct Exposure**			
	i)	**Residential Mortgages –**		
		Lending fully secured by mortgages on residential property that is or will be occupied by the borrower or that is rented;	11670.00	10918.00
		-of which, individual housing loans eligible for inclusion in priority sector advances	6699.00	6190.00
	ii)	**Commercial Real Estate –**		
		Lending secured by mortgages on commercial real estates (office buildings, retail space, multi-purpose commercial premises, multi-family residential buildings, multi-tenanted commercial premises, industrial or warehouse space, hotels, land acquisition, development and construction, etc., including non-fund based (NFB) limits)	108.80	180.16
	iii)	Investments in Mortgage Backed Securities (MBS) and other securitized exposures –		
		a. Residential	Nil	Nil
		b. Commercial Real Estate.	Nil	Nil
b)	**Indirect Exposure**			
	Fund based and non-fund based exposures on National Housing Bank (NHB) and Housing Finance Companies (HFCs)		3814.06	2398.31
	Total Exposure to Real Estate Sector		**15592.86**	**13496.47**

*(*The above disclosures are as compiled and certified by the Bank's Management.)*

2.7.2 Exposure to Capital Market* (₹ in crores)

Particulars		Year ended	
		31.03.2019	31.03.2018
(i)	Direct Investments in equity shares, convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds the corpus of which is not exclusively invested in corporate debts	101.66	102.06
(ii)	Advances against shares / bonds / debentures or other securities or on clean basis to individuals for investments in shares (including IPOs /ESOPs), convertible bonds, convertible debentures and units of equity-oriented mutual funds	Nil	Nil
(iii)	Advances for any other purposes where shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds are taken as primary security	43.20	34.85
(iv)	Advances for any other purposes to the extent secured by the collateral security of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity-oriented mutual funds i.e. where the primary security other than shares/ convertible bonds/ convertible debentures/units of equity-oriented mutual funds does not fully cover the advances	Nil	Nil
(v)	Secured and unsecured advances to stock brokers and guarantees issued on behalf of stock brokers and market makers	Nil	Nil
(vi)	Loans sanctioned to corporate against the security of shares/bonds/ debentures or other securities or on clean basis for meeting promoters' contribution to the equity of new companies in anticipation of raising resources	Nil	Nil
(vii)	Bridge loans to companies against expected equity flows / issues	Nil	Nil
(viii)	Underwriting commitments taken up by the Bank in respect of primary issue of shares or convertible bonds or convertible debentures or units of equity oriented mutual funds	Nil	Nil
(ix)	Financing to stock brokers for margin trading	Nil	Nil
(x)	All exposures to venture capital funds (both registered and un registered)	37.13	45.94
	Total Exposure to Capital Market	**181.99**	**182.85**

*(*The above disclosures are as compiled and certified by the Bank's Management.)*

2.7.3 Risk Category-wise Country Exposure

The Bank has analyzed its risk exposure to various countries as on 31st March, 2019 and such exposure is less than the threshold limit of 1% of the total assets of the Bank. In terms of RBI guidelines, no provision is required for this exposure.

The position of risk category-wise country exposure is given below: (₹ in crores)

Risk Category	Exposure (net) as at 31.03.2019	Provision held as at 31.03.2019	Exposure (net) as at 31.03.2018	Provision held as at 31.03.2018
Insignificant	1076.51	0.00	259.34	0.00
Low	79.17	0.00	84.03	0.00
Moderate	1.40	0.00	21.04	0.00
High	0.00	0.00	0.00	0.00
Very High	0.00	0.00	0.00	0.00
Restricted	0.00	0.00	0.00	0.00
Off Credit	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	**1157.08**	**0.00**	**364.41**	**0.00**

2.7.4 **Details of Single Borrower Limit (SBL)/ Group Borrower Limits (GBL) exceeded by the Bank** (₹ in crores)

Sl. No	Name of the Borrower	Exposure Ceiling		Limit Sanctioned		Outstanding as on	
		31.03.2019	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2018
A.	**Single Borrower**	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
B.	**Group Borrower**	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil

2.7.5 **Unsecured Advances** (₹ in crores)

Particulars	2018-19	2017-18
Total amount of advances outstanding against charge over intangible securities such as the rights, licenses, authority, etc.	293.77	340.74
Estimated value of such intangible collateral securities	347.30	126.69

2.7.6 **Disclosures on Flexible Structuring of Existing Loans** (₹ in crores)

Period	No. of borrowers taken up for flexibly structuring	Amount of loans taken up for flexible structuring		Exposure weighted average duration of loans taken up for flexible structuring	
		Classified as Standard	Classified as NPA	Before applying flexible structuring	After applying flexible structuring
2017-18 (Previous Financial Year)	3 Nos	658.18	0.00	42 Qtr	85 Qtr
Current Financial Year (From April'18 to March'19)	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil

2.7.7 **Disclosures on Strategic Debt Restructuring Scheme (accounts which are currently under the stand-still period)**

(₹ in crores)

No. of accounts where SDR has been invoked	Amount outstanding as on the reporting date		Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity is pending		Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity has taken place	
	Classified as Standard	Classified as NPA	Classified as Standard	Classified as NPA	Classified as Standard	Classified as NPA
Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil

2.7.8 **Disclosures on Change in Ownership outside SDR Scheme (accounts which are currently under the stand-still period)**

(₹ in crores)

No. of accounts where banks have decided to effect change in ownership	Amount outstanding as on the reporting date		Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity/invocation of pledge of equity shares is pending		Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where conversion of debt to equity/invocation of pledge of equity shares has taken place		Amount outstanding as on the reporting date with respect to accounts where change in ownership is envisaged by issuance of fresh shares or sale of promoters equity	
	Classified as Standard	Classified as NPA	Classified as Standard	Classified as NPA	Classified as Standard	Classified as NPA	Classified as Standard	Classified as NPA
-	-	-	-	-	-	-	-	-

2.7.9 **Disclosures on Change in Ownership of Projects Under Implementation (accounts which are currently under the stand-still period)**

(₹ in crores)

No. of project loan accounts where banks have decided to effect change in ownership	Amount outstanding as on the reporting date		
	Classified as standard	Classified as standard restructured	Classified as NPA
-	-		

2.7.10 **Disclosures on the Scheme for Sustainable Structuring of Stressed Assets (S4A), as on 31.03.2019**

(₹ in crores)

No. of accounts where S4A has been applied	Aggregate amount outstanding	Amount outstanding		Provision Held
		In Part A	In Part B	
Classified as Standard				
2	254.47	102.67	151.80	107.07
Classified as NPA				
1	109.60	62.27	46.93	103.25

2.8 **Penalty Imposed by RBI**

During the financial year 2018-19, RBI imposed penalty of Rs.3.00 crores on United Bank of India under Section 46(4) of Banking Regulation Act 1949.

3. **Disclosures as per Accounting Standards (AS) in terms of RBI guidelines:**

3.1 **AS-5 Net Profit or Loss for the period, prior period items and changes in the Accounting Policies**
There is no change in accounting policy during the year. The impact of prior period items is immaterial in the opinion of the management.

3.2 **AS-9 Revenue Recognition**
Revenue is recognized as per the Accounting Policies disclosed in Schedule 17.

3.3 **AS-10 Accounting for Fixed Assets**
3.3.1 Accounting for Fixed Assets is done as per the Accounting Policies disclosed in Schedule 17.

3.4 **AS-12 Government Grants**
During the year Rs.NIL crores has been received in the form of subsidies/grants/incentives from RBI and State Government as below:

(₹ in crores)

Sl. No.	Particulars	2018-19		2017-18	
		Revenue	Capital	Revenue	Capital
1.	Government Grants/Subsidy	0.00	0.00	0.00	0.00

3.5 **AS-15 Employee Benefits**
Disclosure on accounting of employee benefits [as per AS-15 (revised)]

(₹ in crores)

a)	Change in the present value of the obligations	Pension	Gratuity	Other Benefits *
	Present value of obligation as at the beginning of the Year	5391.78	561.28	94.10
	Interest cost	376.27	38.07	5.75
	Past Service cost	0.00	0.00	0.00
	Current Service cost	245.29	23.70	12.80
	Benefits Paid	558.71	127.33	38.02
	Actuarial Gain/Loss on Obligation	367.69	28.28	52.77
	Present value of Obligations at the end of the Year	5822.32	524.00	127.40
b)	Change in Fair Value of Plan Asset			
	Fair Value of Plan assets at the beginning of the Year	5233.89	412.77	132.13
	Expected Return on Plan Asset	433.37	34.18	10.94
	Employer's contribution	650.35	217.55	22.98
	Benefits Paid	558.71	127.33	38.02
	Actuarial Gain/Loss on Plan Asset	14.44	5.83	-1.74
	Fair Value of Plan asset at the end of the Year	5773.34	543.00	126.29
c)	Estimated Present value of Obligations as at the end of the Previous Year			
	Fair Value of Plan Assets at the end of the Year	5773.34	543.00	126.29
	Unfunded Net Liability recognized in Balance Sheet	-48.99	19.00	-1.11
d)	Expenses Recognized in Profit and Loss			
	Current Service Cost	245.29	23.70	12.80
	Past Service Cost	0.00	0.00	0.00
	Interest Cost	376.28	38.07	5.75
	Expected return on Plan Asset	433.37	34.18	10.94
	Net Actuarial Gain/Loss recognized in the Year	353.24	22.45	54.51
	Total Expenses recognized in Profit and Loss Account	541.44	50.04	62.12
e)	Principal actuarial assumptions at the Balance Sheet Date (expressed as weighted average)			
	Discount Rate	7.36%	7.65%	7.65%
	Expected rate of return on Plan Assets	7.36%	7.65%	7.65%
	Method Used	**Projected Unit Credit Method**		

**Other Benefits include Privilege Leave, Casual leave, Sick Leave and LFC/LTC.*
Note: The above statement is based on the report of the Actuary.

3.6 **AS-17 Segment Reporting**

The Banks operations are classified into two primary business segments viz. "Treasury Operations" and "Banking Operations". The relevant information is given hereunder in the prescribed format:

Part A: Business Segments (₹ in crores)

Business Segments	Treasury Operations		Banking Operations						Total	
			Corporate/ Wholesale Banking		Retail Banking		Other Banking Operations			
Particulars	**Year ended 31.03.19**	**Year ended 31.03.18**	**Year ended 31.03.19**	**Year ended 31.03.18**	**Year ended 31.03.19**	**Year ended 31.03.18**	**Year ended 31.03.19**	**Year ended 31.03.18**	**Year ended 31.03.19**	**Year ended 31.03.18**
Revenue	4743	4523	2579	2858	3412	2806	210	369	10944	10556
Result	1922	1402	271	519	1623	1009	(2405)	(1906)	1411	1024
Unallocated expenses									(5992)	(3971)
Operating Profit									(4581)	(2946)
Income Taxes									(2265)	(1492)
Extraordinary profit/ loss									0	0
Net Profit/(Loss)									**(2316)**	**(1454)**
Other Information									-	-
Segment Assets	62406	64282	37730	35353	29225	27137	0	0	129361	126772
Unallocated Assets									22169	17977
Total Assets									**151530**	**144749**
Segment Liabilities	59835	61818	36170	33991	28020	26099	0	0	124025	121908
Unallocated Liabilities									16006	14165
Capital Employed									**11499**	**8676**
Total Liabilities									**151530**	**144749**

Part B: Geographical Segment – Since the Bank does not have any overseas branch, reporting under geographical segment is not applicable.

3.7 **Related Party Disclosures (AS-18) (As Compiled by the management)**

3.7.1 **Names of the related parties and their relationship with the Bank:**

Associates:

Sl. No	Name	
1.	Assam Gramin Vikash Bank	Regional Rural Bank
2.	Bangiya Gramin Vikash Bank	Regional Rural Bank
3.	Manipur Rural Bank	Regional Rural Bank
4.	Tripura Gramin Bank	Regional Rural Bank

Key Management Personnel:

Sl. No	Name	Designation
1	Mr. Ashok Kumar Pradhan	Managing Director & Chief Executive Officer (w.e.f. 01.10.2018), Ex. Executive Director upto 30.09.2018.
2	Mr. Pawan Kumar Bajaj	Managing Director & Chief Executive Officer (upto 30.09.2018)
3	Mr. Sanjay Kumar	Executive Director (w.e.f. 20.09.2018)
4	Mr. Ajit Kumar Das	Executive Director (w.e.f. 01.10.2018)
5	Mr. Sameer Kumar Khare	Director
6	Mr. Denesh Singh	Director
7	Mr. Sidhartha Pradhan	Director
8	Mr. S. Suryanarayana	Director

Relatives of Key Management Personnel:

Sl. No	Name	Relative of:
1	Smt. Sangeeta Kumar (Wife)	Sanjay Kumar
2	Snigdha (Daughter)	Sanjay Kumar
3	Ashok Kumar Sinha (Brother)	Sanjay Kumar
4	Himansu Gupta (Son-in-law)	Sanjay Kumar

3.7.2 **Related Party Disclosures**

(₹ in crores)

Items/ Related Party	Associates		Key Management Personnel		Relatives of Key Management Personnel		Total	
	31.03.2019	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2018	31.03.2019	31.03.2018
Borrowings	1309.00	4670.00	0.00	0.00	0.00	NIL	1309.00	4670.00
Deposit	1664.28	473.82	0.32	0.04	0.19	NIL	1664.79	473.86
Placement of deposits	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Advances	1059.00	3297.00	0.07	NIL	0.40	NIL	1059.47	3297.00
Investments : Equity Shares	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Shares of RRB	368.53	368.53	NIL	NIL	NIL	NIL	368.53	368.53
RRB Bonds	51.12	51.12	NIL	NIL	NIL	NIL	51.12	51.12
Non-funded commitments	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Leasing/HP arrangements availed	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Leasing/HP arrangements provided	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Purchase of fixed assets	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Sale of fixed assets	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Interest paid	164.52	193.80	0.01	0.012	0.01	NIL	164.54	193.81
Interest received	95.96	137.50	0.01	0.015	0.04	NIL	96.01	137.51
Rendering of services	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
Receiving of services : - Remuneration# - Sitting Fees	 NIL NIL	 NIL NIL	 1.09 0.15	 0.69 0.07	 NIL NIL	 NIL NIL	 1.09 0.15	 0.69 0.07
Management contracts	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

#Remuneration Paid to Key Management Personnel: (₹ in crores)

Sl. No	Name	Designation	Item #	Year ended	
				31.03.2019	31.03.2018
1.	Mr. Ashok Kumar Pradhan	Managing Director & Chief Executive Officer (w.e.f. 01.10.2018), Ex. Executive Director upto 30.09.2018	Salary and emoluments	0.26	0.23
2.	Mr. Pawan Bajaj	Ex. Managing Director & Chief Executive Officer (upto 30.09.2018)	Salary and emoluments	0.58	0.27
3.	Mr. Sanjay Kumar	Executive Director (w.e.f. 20.09.2018)	Salary and emoluments	0.13	0.00
4.	Mr. Ajit Kumar Das	Executive Director (w.e.f. 01.10.2018)	Salary and emoluments	0.12	0.00
5.	Mr. K. V. Ramamoorthy	Ex. Executive Director (upto 30.08.2017)	Salary and emoluments	0.00	0.19

Including performance linked incentive on cash basis.

Note: (a) No amount has been written off/written back in respect of dues from/to related parties.
(b) No provision is required in respect of dues to related parties.

3.8 Leases (AS-19) (As compiled by the Management)

a) Lease rent paid for operating leases are recognized as an expense in the Profit & Loss Account in the year to which it relates.
b) Future Lease Rent Payable for operating lease: (As compiled and certified by Management)

(₹ in crores)

Sl. No.	Particulars	As At	
		31.03.2019	31.03.2018
a.	Not later than 1 year	76.57	70.88
b.	Later than 1 year but not later than 5 years	252.48	237.04
c.	Later than 5 years	172.55	182.60
	Total	**501.60**	**490.52**
Amount charged to Profit & Loss Account		98.47	86.61

i) Future lease rents and escalation in the rent are determined on the basis of agreed terms.
ii) At the expiry of the initial lease term, generally the bank has an option to extend the lease for a further pre-determined period.

3.9 AS-20 Earnings per Share

Particulars	Year ended	
	31.03.2019	31.03.2018
Net Profit/(Loss) after tax available for Equity Share Holders (Rs. in Crores)	(2315.93)	(1454.45)
Weighted Average number of Equity Shares	328,77,13,370.88	150,79,52,887.22
Basic and Diluted Earnings per Share (Rs)	(7.04)	(9.65)
Nominal Value per Share (Rs)	10.00	10.00

3.10 AS-21 Consolidated Financial Statements/AS-23-Accounting for Investments in Associates in Consolidated Financial Statements

The Bank does not have any subsidiary and as such, AS-21 and AS-23 are not applicable.

3.11 **AS-22 Accounting for Taxes on Income**

(a) Provision for Tax during the year is given below: (₹ in crores)

Particulars	Year Ended	
	31.03.2019	31.03.2018
Provision for Tax	NIL	NIL

(b) The major components of Deferred Tax Assets/Liabilities are as follows: (₹ in crores)

Particulars	Year Ended	
	31.03.2019	31.03.2018
Deferred Tax Assets	**5556.85**	**3322.41**
Carry Forward Loss	3388.32	1419.81
Provisions for Stressed assets	53.36	48.42
Employees benefits	0.00	0.00
Other items	76.60	194.30
Depreciation on Fixed Assets	0.00	36.34
Provision on NPA	2038.57	1623.54
Deferred Tax Liabilities	**76.88**	**76.14**
Depreciation on fixed assets	Nil	Nil
Special Reserve u/s.36(1)(viii) of the Income Tax Act, 1961	76.88	76.14
Loss on Sale of Assets to ARC	Nil	Nil

(c) The Bank has recognised net Deferred Tax Assets of Rs.2233.70 crores during the year 2018-19 on account of timing differences in accordance with Accounting Standard- 22 on "Taxes on Income" issued by the Institute of Chartered Accountants of India and the guidelines issued by the Reserve Bank of India.

3.12 **AS-28 Impairment of Assets**

In the opinion of the Bank, there is no indication of any material impairment of fixed assets and consequently no provision is required.

3.13 **AS 29 - Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets**

Movements in significant Provisions and Contingent Liabilities have been disclosed at the appropriate places in the Notes forming part of the accounts.

3.14 **Strategy for Ind AS implementation and its progress**

The strategy adopted by Bank for Ind AS implementation vis-a-vis the progress made by the Bank is given below:

As per the RBI guideline, the Bank is in the process of implementing the Indian Accounting Standards (Ind AS). A Steering Committee has been formed to take the required steps on a continuous basis for smooth convergence. The Bank has appointed M/s. Deloitte Haskins & Sells, LLP as the consultant for assisting the bank in smooth implementation of Indian Accounting Standards. The pro-forma financial statement for the quarter ended 31.12.2018 has been submitted to RBI within the prescribed due date. In order to facilitate smooth transition to Ind AS, after receipt of final guidelines from RBI, Bank shall identify the changes required to be made in the IT system and other policies to comply with Ind AS. Bank is also in the process of developing Expected Credit Loss (ECL) Model in line with the requirements of IND AS 109.

4. Additional Disclosures

4.1 **Provisions and Contingencies**

The break-up of 'Provisions and Contingencies' shown under the head "Expenditures in Profit and Loss Account is as under:

(₹ in crores)

Particulars	Year ended	
	31.03.2019	31.03.2018
Provisions for depreciation on Investment	339.91	194.50
Provision towards NPA (Loans and Advances)	5523.30	3906.16
Provision towards Standard Assets including Restructured Standard Asset	108.80	(550.70)
Provision made towards Income Tax (Including Deferred Tax)	(2264.98)	(1492.24)
Other Provisions and Contingencies		
- Provision for Non-Performing Investments	350.86	370.89
- Floating Provision	0.00	0.00
- Provision for Others	(330.38)	49.90
Total	**3727.51**	**2478.51**

4.2 **Floating Provisions (Countercyclical provisioning buffer)**

(₹ in crores)

Particulars	Year ended	
	31.03.2019	31.03.2018
a) Opening Balance in the floating provisions account	0.00	0.00
b) The quantum of floating provisions made during year	0.00	0.00
c) Accounting for draw down made during the year	0.00	0.00
d) Closing balance in the floating provisions account	0.00	0.00

4.3 **Disclosure of complaints**

a) Customer Complaints including Investors Complaints

Sl. No.	Particulars	Nos
(a)	Complaints pending at the beginning of the Year	721
(b)	Complaints received during the Year	169711
(c)	Complaints redressed during the Year	169158
(d)	Complaints pending at the end of the Year	1274

b) Awards passed by the Banking Ombudsman

Sl. No.	Particulars	Nos
(a)	Unimplemented Awards at the beginning of the Year	Nil
(b)	Awards passed by the Banking Ombudsman during the Year	1
(c)	Awards implemented during the Year	0
(d)	Unimplemented Awards at the end of the Year	1

4.4 **Disclosure of Letter of Comforts (LoCs) issued by the Bank**

a) During the current financial year ended 31.03.2019, the Bank has issued NIL (previous year 451) Letter of Comforts/Letter of Undertakings amounting to Rs.NIL (previous year Rs.1540.86 crores).

b) There are 9 nos (previous year 186) of outstanding Letter of Comforts as on 31.03.2019 amounting to Rs.75.25 crores (previous year Rs.487.37 crores).

4.5. **Provision Coverage Ratio (PCR)**

The provision coverage ratio (PCR) for the Bank as on 31st March 2019 is 72.94%.

4.6 **Bancassurance Business** (₹ in crores)

Particulars	Year ended	
	31.03.2019	31.03.2018
Life Insurance Business	6.94	4.61
Non-Life Insurance Business	8.34	6.35
Mutual Funds	0.02	0.02
Others	0.01	0.03

4.7. **Concentration of deposits, Advances, Exposures and NPAs**

4.7.1 **Concentration of Deposits** (₹ in crores)

Particulars	Year ended	
	31.03.2019	31.03.2018
Total Deposits of twenty largest depositors	6110.98	5543.45
Percentage of Deposits of twenty largest depositors to Total Deposits of the Bank	4.53%	4.28%

4.7.2 **Concentration of Advances** (₹ in crores)

Particulars	Year ended	
	31.03.2019	31.03.2018
Total Advances to twenty largest borrowers	13039.21	12359.12
Percentage of Advances to twenty largest borrowers to Total Advances of the Bank	17.83%	17.99%

4.7.3 **Concentration of Exposures** (₹ in crores)

Particulars	Year ended	
	31.03.2019	31.03.2018
Total Exposure to twenty largest borrowers/ Customers	14343.52	10724.76
Percentage of Exposure to twenty largest borrowers/ customers to Total Exposure of the Bank on borrowers/ customers	16.76%	10.09%

4.7.4 **Concentration of NPAs** (₹ in crores)

Particulars	Year ended	
	31.03.2019	31.03.2018
Total Exposure to top four NPA accounts	1980.60	2853.79

4.8 **Sector - wise NPAs** (₹ in crores)

Sl. No.	Sector	31.03.2019			31.03.2018		
		Outstanding Total Advances	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to Total Advance in that sector	Outstanding Total Advances	Gross NPAs	Percentage of Gross NPAs to Total Advance in that sector
A. Priority Sector							
1.	Agriculture and Allied activities	10651.66	840.58	7.89	10324.25	978.13	9.47
2.	Advances to industries sector eligible as priority sector lending	3923.87	597.66	15.23	4076.91	639.01	15.67
3.	Services	8079.00	813.03	10.06	7004.73	1169.15	16.69
	- Retail Trade	3695.10	389.22	10.53	2654.28	379.77	18.08
	- Others	4383.90	423.81	9.67	5350.45	789.38	14.75
4.	Personal Loans	7755.15	192.12	2.48	7930.50	208.03	2.73
	Sub-Total(A)	***30409.68***	***2443.39***	***8.03***	***29336.39***	***2994.32***	***10.21***
B. Non-Priority Sector							
1.	Agriculture and Allied activities	274.70	76.14	27.72	246.17	20.21	8.21
2.	Industry	20204.16	8241.04	40.79	22136.06	12312.82	55.62
	- Iron & Steel	2051.88	401.09	19.55	4056.63	3362.90	82.90
	- Power	9277.42	4281.02	46.14	8542.07	3982.81	46.63
	- Others	8874.86	3558.93	40.10	9537.36	4967.11	52.08
3.	Services	15698.86	1231.57	7.84	8838.10	1006.08	11.38
	- NBFC	8065.02	100.09	1.24	4931.62	–	–
	- Banking & Finance Other than NBFC	3822.99	–	–	2441.55	–	–
	- Others	3810.85	1131.48	2.97	1464.93	1006.08	68.68
4.	Personal Loans	4962.00	61.24	1.23	7553.67	218.68	2.78
	Sub-Total(B)	***41139.72***	***9609.99***	***23.36***	***38774.00***	***13557.79***	***34.97***
C. Food Credit (FCI)		1574.01	--	--	581.38	--	--
	Sub-Total(C)	***1574.01***	***--***	***--***	***581.38***	***--***	***--***
Total (A+B+C)		**73123.41**	**12053.38**	**16.48**	**68691.77**	**16552.11**	**24.10**

4.9 **Movement of NPAs** (₹ in crores)

Particulars	Year ended	
	31.03.2019	31.03.2018
Gross NPAs as on 1st April, 2018/2017	16552.11	10951.99
Additions (Fresh NPAs) during the Year	2870.52	8606.26
Sub-total (A)	19422.63	19558.25
Less:		
(i) Up gradations	323.70	197.05
(ii) Recoveries (excluding recoveries made from upgraded a/cs)	1264.80	501.35
(iii) Technical/Prudential Write-offs	4726.41	1760.14
(iv)Write-offs other than those under (iii) above	638.88	106.77
(v) Sale of Assets upto 31st March 2019/2018	415.46	440.83
Sub-total (B)	7369.25	3006.14
Gross NPAs as on 31st March, 2019/2018 (A-B)	**12053.38**	**16552.11**

4.10 **Stock of technical write-offs and recoveries made thereon** (₹ in crores)

Particulars	Year ended	
	31.03.2019	31.03.2018
Opening balance of Technical/Prudential written-off accounts as at April 1, 2018/2017	5645.54	4203.17
Add: Technical/Prudential write-offs during the year	4726.41	1760.14
Sub-total (A)	10371.95	5963.31
Less: Recoveries made from previously technical/prudential written-off accounts during the year (B)	629.03	317.77
Closing balance as at March 31, 2019/2018	**9742.92**	**5645.54**

4.11 **Overseas Assets, NPAs and Revenue** (₹ in crores)

Particulars	Year ended	
	31.03.2019	31.03.2018
Total Assets (Nostro balance)	963.68	136.85
Total NPAs	NIL	NIL
Total Revenue	75.61	39.89

4.12 **Off-Balance Sheet SPVs sponsored (which are required to be consolidated as per accounting norms)**

Year Ended 31.03.2019		Year Ended 31.03.2018	
Name of the SPV sponsored		Name of the SPV sponsored	
Domestic	Overseas	Domestic	Overseas
NIL	NIL	NIL	NIL

4.13 **Unamortized Pension and Gratuity Liabilities**

RBI vide its communication DBR No. BP.BC.9730/21.04.018/2017-18 dated April 27, 2018 has given the option to Banks to spread additional liability on account of the enhancement in gratuity limits from Rs.10 lakhs to Rs.20 lakhs from March 29, 2018 under Payment of Gratuity Act, 1972, over four quarters beginning with the quarter ended March 31, 2018. The Bank has exercised the option and has fully provided Rs.140.36 crores by 31st December, 2018.

The bank does not have any Unamortized Pension and Gratuity Liabilities (Previous year unamortized Gratuity liability was Rs.105.25 crores).

4.14 **Securitization**

Sl. No.	Particulars	31.03.2019	31.03.2018
1	No of SPVs sponsored by the bank for securitization transactions	NIL	NIL
2	Total amount of securitized assets as per books of the SPVs sponsored by the bank		
3	**Total amount of exposures retained by the bank to comply with MRR as on the date of balance sheet**		
	a) **Off balance sheet exposures**		
	First loss		
	Others		
	b) **On-balance sheet exposures**		
	First loss		
	Others		
4	**Amount of exposures to securitization transactions other than MRR**		
	a) **Off Balance Sheet Exposures**		
	i) Exposure to own securitizations		
	First loss		
	Loss		
	ii) Exposure to third party securitizations		
	First loss		
	Others		
	b) **On Balance Sheet Exposures**		
	i) Exposure to own securitizations		
	First loss		
	Others		
	ii) Exposure to third party securitizations		
	First Loss		
	Others		

4.15 **Credit Default Swaps**

The Bank has not undertaken any Credit Default Swaps in the year 2018-19 as well as in the year 2017-18.

4.16 **Intra-Group Exposures** (₹ in crores)

Sl. No.	Particulars of Intra Group Exposures	As on	
		31.03.2019	31.03.2018
1	Total amount of intra-group exposures	Nil	Nil
2	Total amount of top-20 intra-group exposures	Nil	Nil
3	Percentage of intra-group exposures to total exposure of the bank on borrowers / customers	Nil	Nil
4	Details of breach of limits on intra-group exposures and regulatory action thereon, if any	Nil	Nil

4.17 **Transfer of Depositor Education and Awareness Fund (DEAF)** (₹ in crores)

Particulars	As on	
	31.03.2019	31.03.2018
Opening balance of amounts transferred to DEAF	256.16	85.61
Add : Amounts transferred to DEAF during the year	262.46	170.55
Less : Amounts reimbursed by DEAF towards claims	-	-
Closing balance of amounts transferred to DEAF	518.62	256.16

4.18 **Unhedged Foreign Currency Exposure**

The incremental provision/Capital requirement is arrived by considering likely loss & EBID of the borrowers as per RBI guidelines. The unhedged Foreign Currency Exposures, Incremental provisions and capital requirements that are provided by the bank as on 31st March 2019 are given below:

(₹ in crores)

Incremental Provisioning (over and above extant standard asset provisioning)	Incremental Capital requirement for Unhedged foreign currency exposures of borrowers
NIL	NIL

4.19 **Liquidity Coverage Ratio***

4.19.1 **Disclosure**

(₹ in crores)

		31.03.2019		31.03.2018	
		Total Unweighted Value (average)	Total Weighted Value (average)	Total Unweighted Value (average)	Total Weighted Value (average)
High Quality Liquid Assets					
1.	**Total High Quality Liquid Assets (HQLA)**		28355.23		29383.35
Cash Outflows					
2.	**Retail deposits and deposits from small business customers, of which:**	102828.49	6655.70	99637.77	5473.91
(i)	Stable deposits	72542.85	3627.14	89797.35	4489.87
(ii)	Less stable deposits	30285.64	3028.56	9840.42	984.04
3.	**Unsecured wholesale funding, of which:**	14970.02	6103.67	14774.65	5877.58
(i)	Operational deposits (all counterparties)	274.74	68.68	215.19	53.80
(ii)	Non-operational deposits (all counterparties)	14433.82	5773.53	14559.46	5823.78
(iii)	Unsecured debt	261.46	261.46	0.00	0.00
4.	**Secured wholesale funding**	353.30	0.00	87.48	0.00
5.	**Additional requirements, of which**	15868.03	8488.03	22533.75	10014.77
(i)	Outflows related to derivative exposures and other collateral requirements	0.00	0.00	0.00	0.00
(ii)	Outflows related to loss of funding on debt products	0.00	0.00	0.00	0.00
(iii)	Undrawn Credit and liquidity facilities	4683.02	1915.81	10050.40	3464.33
6.	Other contractual funding obligations	4755.46	142.66	6116.40	183.49
7.	Any other outflow	6429.55	6429.55	6366.95	6366.95
8.	**Total Cash Outflows**		21247.41		**21366.27**
Cash Inflows					
9.	Secured lending (e.g. reverse repos)	263.83	0.00	4055.89	0.00
10.	Inflows from fully performing exposures	7437.21	6788.88	5164.13	4927.75
11.	Other cash inflows	2540.54	2540.54	2144.93	2144.93
12.	**Total Cash Inflows**		**9329.42**		**7072.68**
13.	**TOTAL HQLA**		**28355.23**		**29383.35**
14.	**Total Net Cash Outflows**		**11917.99**		**14293.59**
15.	**Liquidity Coverage Ratio (%)**		**237.92**		**205.57**

LCR as on last four quarters of the FY: 2018-19	
Quarter Ended on	**LCR (%)**
June, 2018	216.86
September, 2018	262.75
December, 2018	272.81
March, 2019	237.92

** The above disclosures are as compiled and certified by the Bank's Management.*

4.19.2 **Qualitative Disclosure around LCR**

The Liquidity Coverage Ratio (LCR) standard aims to ensure that a Bank maintains an adequate level of unencumbered High Quality Liquid Assets (HQLAs) that can be converted into cash to meet its liquidity needs for a 30 calendar day time horizon under a significantly severe liquidity stress scenario specified by supervisor. Bank has implemented and is computing LCR since 1st January, 2015.

LCR is calculated as a ratio of HQLA to net cash outflow under stress scenario over the next 30 calendar days.

As per RBI guideline, Bank is required to maintain minimum 100% LCR as on 31.03.2019.

LCR of the Bank is assessed at 237.92 % for the quarter ended on 31.03.2019 which is well above the minimum requirement as prescribed by Reserve Bank of India.

4.20 a) Registration formalities are pending in case of one property consisting of Rs.1.65 Crores, WDV as on 31.03.2019: Rs.0.96 Crores (Previous Year Rs.1.39 Crores).

b) Premises include leased properties amounting to Rs.136.10 Crores (net of amortization) as at 31st March 2019 (Previous Year Rs.167.71 Crores).

5. Based on information available with the bank, there are few suppliers/services who are registered as Micro Small or Medium Enterprise under the Micro Small and Medium Enterprise development act 2006 (MSMED ACT, 2006) information in respect of micro and small enterprises as required by MSMED.

Sl. No.	Particulars	Current Year 31.03.2019	Previous Year 31.03.2018
1	Principal amount and interest due thereon remaining unpaid to any supplier as at the end of each accounting year: Principal : Interest :	 NIL NIL	 NIL NIL
2	The amount of interest paid by the buyer in terms of section 16 of MSMED Act, 2006 along with the amount of the payment made to the supplier beyond the appointed day during each accounting year.	NIL	NIL
3	The amount of interest due and payable for the period of delay in making payment (which have been paid but beyond the appointed day during the year) but without adding the interest specified under MSMED Act, 2006.	NIL	NIL
4	The amount of interest accrued and remaining unpaid at the end of each accounting year.	NIL	NIL
5	The amount of further interest remaining due and payable even in the succeeding years, until such date, when the interest dues as above are actually paid to the small enterprise for the purpose of disallowance as deductible expenditure under section 23 of the MSMED Act 2006.	NIL	NIL

6. Pending settlement of the Bipartite agreement on wage revision (due from November, 2017), an adhoc amount of Rs.52 crores has been provided during the current quarter towards wage revision and cumulative provision held as on March 31, 2019 for wage revision is Rs.153 crores.

7. During the year Bank has reported 81 numbers of fraud cases involving total amount of Rs.427.95 crores against which Bank has some existing provision. A further provision of Rs.253.50 crores has been made during the year, out of which Rs.1.90 crores is for non advance related frauds and Rs.251.60 crores is for advance related frauds. No amount is required against unamortised provision except under noted account.

 Further, in view of fraud reported by certain banks in respect of Frost International Limited, the Bank has declared the account as fraud involving a total funded exposure of Rs.185.06 crores, out of which Rs.46.26 crore has been provided on 31.03.2019 being 25% of funded exposure. The quantum of unamortised provision of Rs.138.80 crores being 75% of the funded exposure has been debited from Revenue & Other Reserve and will be provided in next three quarters.

8. In terms of RBI communication DBR NO. BP. BC. 1924/21.04.048/2017-18 dated August 28, 2017, Rs.423.90 crores has been additionally provided in respect of eligible NCLT (List 1 & List 2) accounts as on 31st March, 2019. Total actual provision made as on 31st March 2019 for NCLT (List 1 & List 2) accounts is Rs.3205.40 crores instead of Rs.2781.50 crores as per IRAC norms.

9. RBI vide circular no. DBR.No.BP.BC.108/21.04/018/2017-18 dated June 6, 2018 permitted Banks to continue the exposures to MSME borrowers to be classified as standard assets where the dues between September 1, 2017 and December 31, 2018 are paid not later than 180 days from their respective original due dates. Accordingly, the Bank has retained MSME exposure of Rs.195.11 crores as standard asset as on March 31, 2019. In accordance with the provisions of the circular, the Bank has not recognised interest income of Rs.2.49 crores and is maintaining a standard asset provision of Rs.9.76 crores as on March 31, 2019 in respect of such borrowers. In addition to above, subsequent to RBI Circular DBR No. BP. BC. 18/21.04.048/2018-19 dated January 01, 2019, the Bank has restructured without downgrading the following accounts as per extant instruction:

No. of accounts	Outstanding as on 31.03.2019 (Rs. in mn)
2184	1374.10

10. The Bank has exercised call option on Additional Tier-1 Bonds on 11.04.2018 and accordingly redeemed Additional Tier-1 Bonds at par aggregating Rs.940 crores.

11. Based on the available financial statements and the declaration from borrowers, the Bank has estimated the liability towards Unhedged Foreign Currency Exposure to their constituents in terms of RBI Circular DBOD No.BP.BC.85/21.06.200/2013-14 dated January 15, 2014 and holds a provision of Rs.0.05 crores as on 31st March, 2019.

12. During the year, Bank had purchased Priority Sector Lending Certificates (PSLC) amounting to Rs.216.00 crores. The category wise PSLC purchased are as under:

Category	Amount (in crores)
PSLCA- PSLC Agriculture	116.00
PSLCSM- PSLC Small & Marginal Farmers	100.00
Total	216.00

13. Previous Year's figures have been regrouped/rearranged wherever considered necessary to make them comparable with those of the current year.

This is the part of Schedule-18 as on 31.03.2019

Ashok Kumar Pradhan
Managing Director & Chief Executive Officer

Sanjay Kumar
Executive Director

Ajit Kumar Das
Executive Director

Sameer Kumar Khare
Director

Denesh Singh
Director

Sidhartha Pradhan
Director

S. Suryanarayana
Director

Sadhana Varma
Director

Ashwini Kumar Jha
General Manager & CFO

As per our separate report of even date attached

For Arun K. Agarwal & Associates	**For Mookherjee Biswas & Pathak**	**For Dinesh Jain & Associates**	**For SBA Associates**
Chartered Accountants	Chartered Accountants	Chartered Accountants	Chartered Accountants
(FRN: 003917N)	(FRN: 301138E)	(FRN: 004885N)	(FRN: 308136E)
Sd/-	Sd/-	Sd/-	Sd/-
CA Arun Kumar Agarwal	**CA Sankar Prasanna Mukherjee**	**CA Neha Jain**	**CA Nilanjana Sen**
(Partner)	(Partner)	(Partner)	(Partner)
M. No: 082899	M. No: 010807	M. No : 514725	M. No : 061768

Date : 13th May 2019
Place : Kolkata

CASH FLOW STATEMENT FOR THE YEAR ENDED 31ST MARCH, 2019

(₹ in '000)

		For the year ended			
		31st March 2019		31st March 2018	
A	**CASH FLOW FROM OPERATING ACTIVITIES**				
	Net Profit after Tax	(23,159,253)		(14,544,462)	
	Add: Income Tax	-		-	
	Less: MAT Recoverable	-		-	
	Add: Deferred Tax Assets	(22,337,000)		(14,922,400)	
	Profit before Tax	(45,496,253)		(29,466,862)	
	Adjustment for				
	Depreciation on Fixed Assets	1,257,300		1,201,416	
	Less: Amount drawn from Revaluation Reserve	(230,607)		(230,540)	
	Profit/Loss on Sale of Fixed Assets (Net)	5,339		30,960	
	Depreciation/Provision for Investments (Net)	6,907,642		1,945,048	
	Provision for Standard Assets	1,088,000		(5,507,000)	
	Provision for NPA Advances	55,233,000		39,061,600	
	Other Provisions (Net)	(25,953,503)		(10,714,585)	
	Interest on Bonds	2,042,841		1,548,315	
	Operating Profit before changes in Operating Assets and Liabilities	(5,146,241)		(2,131,648)	
	Adjustment for net change in Operating Assets and Liabilities				
	Decrease/(Increase) in Investment	(112,649,944)		24,391,817	
	Decrease/(Increase) in Advances	(99,881,976)		(2,570,647)	
	Increase/(Decrease) in Deposits	56,569,371		23,871,270	
	Increase/(Decrease) in Borrowings	(8,523,400)		4,393,035	
	Decrease/(Increase) in Other Assets	(1,723,075)		(12,152,336)	
	Increase/(Decrease) in Other Liabilities & Provisions	18,895,834		12,448,468	
	Increase/(Decrease) in Revenue Reserve	1,322,421		(2,251,582)	
	Increase/(Decrease) in Revaluation & Other Reserve	-		830	
		(151,137,010)		45,999,207	
	Cash Generated from Operating Activities				
	Tax (Paid)/ Refund	400,000		588,500	
	Net Cash from Operating Activities (A)		(150,737,010)		46,587,707
B	**CASH FLOW FROM INVESTING ACTIVITIES**				
	Fixed Assets (Net)	(732,304)		(2,346,627)	
	Net Cash from Investing Activities (B)		(732,304)		(2,346,627)
C	**CASH FLOW FROM FINANCING ACTIVITIES**				
	Issue of Share Capital	44,142,772		12,012,869	
	Share Premium	6,161,085		14,327,131	
	Subordinated Bonds Issued	(2,500,000)		3,150,000	
	Interest on Bonds	(2,042,841)		(1,548,315)	
	Dividend and tax thereon paid				
	Net Cash from Financing Activities (C)		45,761,016		27,941,685
D	**Net increase in Cash and Cash equivalents (A+B+C)**		(105,708,298)		72,182,765
	Cash and Cash equivalents at the beginning of the year				
	Cash in hand	6,080,330		4,898,814	
	Balances with Reserve Bank of India	56,041,068		61,445,777	
	Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	140,221,839	202,343,237	63,815,881	130,160,472
	Cash and Cash equivalents at the end of the year				
	Cash in hand	6,692,798		6,080,330	
	Balances with Reserve Bank of India	54,996,039		56,041,068	
	Balances with Banks and Money at Call and Short Notice	34,946,102	96,634,939	140,221,839	202,343,237

Note : The above cash flow statement has been prepared on the basis of indirect method.

This is the part of Cash Flow Statement as on 31.03.2019

Ashok Kumar Pradhan
Managing Director & Chief Executive Officer

Sanjay Kumar
Executive Director

Ajit Kumar Das
Executive Director

Sameer Kumar Khare
Director

Denesh Singh
Director

Sidhartha Pradhan
Director

S. Suryanarayana
Director

Sadhana Varma
Director

Ashwini Kumar Jha
General Manager & CFO

As per our separate report of even date attached

For Arun K. Agarwal & Associates	**For Mookherjee Biswas & Pathak**	**For Dinesh Jain & Associates**	**For SBA Associates**
Chartered Accountants	Chartered Accountants	Chartered Accountants	Chartered Accountants
(FRN: 003917N)	(FRN: 301138E)	(FRN: 004885N)	(FRN: 308136E)
Sd/-	Sd/-	Sd/-	Sd/-
CA Arun Kumar Agarwal	**CA Sankar Prasanna Mukherjee**	**CA Neha Jain**	**CA Nilanjana Sen**
(Partner)	(Partner)	(Partner)	(Partner)
M. No: 082899	M. No: 010807	M. No : 514725	M. No : 061768

Date : 13th May 2019
Place : Kolkata

Pillar-3 Disclosure under Basel-III Norms as on 31.03.2019

Table DF-1: SCOPE OF APPLICATION

Name of the head of the Banking group to which the framework applies: United Bank of India

(i) Qualitative Disclosures:

a. List of group entities considered for consolidation.

Name of the entity/ Country of incorporation	Whether the entity is included under accounting scope of consolidation (yes/no)	Explain the method of consolidation	Whether the entity is included under Regulatory scope of consolidation (yes/no)	Explain the method of consolidation	Explain the reasons for difference in the method of consolidation	Explain the reason if consolidated under only one of the scopes of consolidation*
NIL						

* The Bank does not have any subsidiary and as such no consolidation is required.

b. List of group entities not considered for consolidation both under the accounting and regulatory scope of consolidation.

Name of the entity/ Country of incorporation	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	% of Bank's holding in the total equity	Regulatory treatment of Bank's investments in the Capital instruments of the entity	Total balance sheet assets(as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)
NIL					

There are no group entities that are considered for consolidation under both the accounting scope of consolidation and regulatory scope of consolidation. The Bank has Four (4) Regional Rural Banks which are treated as associates under computation of capital adequacy ratio.

(ii) Quantitative Disclosures:

c. List of group entities considered for consolidation:

Name of the entity/country of incorporation (as indicated in (i)a. above)	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	Total balance sheet assets (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)
NIL			

d. The aggregate amount of Capital deficiencies in all subsidiaries which are not included in the regulatory scope of consolidation i.e. that are deducted:

Name of the subsidiaries/country of incorporation	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	% of Bank's holding in the total equity	Capital deficiencies
NIL				

e. The aggregate amounts (e.g. current book value) of the bank's total interests in insurance entities, which are risk- weighted:

Name of the insurance entities /country of incorporation	Principle activity of the entity	Total balance sheet equity (as stated in the accounting balance sheet of the legal entity)	% of Bank's holding in the total equity/ proportion of voting power	Quantitative impact on regulatory capital of using risk weighting method versus using the full deduction method.
Not Applicable				

f. Any restrictions or impediments on transfer of funds or regulatory capital within the banking group:

Not Applicable as Bank does not have any subsidiary.

Table: DF-2:
Capital Adequacy

(i) Qualitative Disclosures:

Bank's approach to assess the adequacy of its capital to support its current and future activities.

- With a view to assess its overall capital adequacy in relation to the Bank's risk profile, to effectively manage its capital requirements and to meet the regulatory norms stipulated by RBI, the Bank has put in place a robust and well defined Risk Management Structure with due focus on capital optimization and the risk profile of its businesses.

- In line with RBI guidelines, as on 31.03.2019, Bank is required to maintain CET1 ratio at 5.5%, Capital conservation buffer (CCB) at 1.875% in the form of CET1 capital, Tier 1 ratio at 7.0% and total Credit to Risk Weighted Assets Ratio (CRAR) at 10.875% including CCB of 1.875%.

- Bank has complied with all the regulatory limits and minima as prescribed under Basel-III Capital regulations. Bank's Capital Adequacy Ratio on standalone basis was computed at 13.00% as on 31.03.2019 with CET1 ratio of 10.14%, Tier-1 ratio of 10.14%, Tier -2 ratio of 2.86%.

- Bank maintains adequate capital to absorb the risk arising from financial and economic stress and also cushion the risk of loss in value of exposure, businesses etc. so as to protect the depositors and general creditors against losses.

- Under Basel-III norms, Bank has adopted the following methods for computing its CRAR :

 - Standardized Approach for Credit Risk.
 - Basic Indicator Approach for Operational Risk.
 - Standardized Duration Method for Market Risk.

- Bank has a well defined Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP) to comprehensively evaluate and document all types of risks and substantiate appropriate capital allocation. It's a forward looking process wherein the Bank calculates and calibrates its capital needs and resources in order to continue operations throughout a period of severely adverse conditions. The material risks are identified, measured and quantified so as to assess the level of capital required, commensurate with the institutions risk profile.

- To ensure smooth transition to Basel-III, appropriate transitional arrangements have been provided for meeting the minimum Basel-III capital ratios, full regulatory adjustments/deductions to the components of capital etc.

- Bank in its capital planning process, assesses the actual capital position of the Bank and the future required capital in terms of Business planning and risk appetite and also the options available for raising capital along with the availability of headroom.
- On the basis of the business projection, Bank raises capital with the approval of the Board of Directors of the Bank.

Capital Planning :

As a Capital Planning measure, during FY 2018-19, the Bank has raised the following Capital:

a) During Q2 of the current FY, Bank had issued and allotted 2,92,02,589 new Equity Shares of Face Value of Rs. 10/- each at an issue price of Rs.10.55/- per share to the eligible employees of the Bank under United Bank of India - Employee Share Purchase Scheme,2018. Thereby raising Equity Capital of Rs.30.81 crore.

b) During Q3 and Q4 of the current FY, Bank had received an amount of Rs.4998 crore from Government of India in two tranches towards capital infusion.

1. During Q3, Bank has received Rs.2159 crore towards contribution of the Central Government in the preferential allotment of equity shares of the Bank, as Government's investment.

 As on 11.02.2019, Bank had allotted 1,81,73,40,067 equity shares of Rs.10/- each at a price of Rs.11.88/- per share to the President of India on behalf of Central Government.

2. During Q4, Bank has received Rs.2839 crore to increase paid up Capital by way of preferential allotment of equity shares to Government of India.

 As on 29.03.2019, Bank had allotted 2,57,38,89,392 equity shares of Rs.10/- each at a price of Rs.11.03/- per share to the President of India acting on behalf of Central Government.

(ii) Quantitative Disclosures :

(₹ crore)

a) Capital requirements for Credit Risk @ 10.875% of RWA:	
• Portfolios subject to Standardised Approach:	4933.17
• Securitisation Exposures:	0.00
b) Capital requirements for Market risk:	
• Standardised Duration Approach;	
- Interest Rate Risk:	440.01
- Foreign Exchange Risk (including gold):	2.25
- Equity Risk:	115.77
c) Capital requirements for Operational Risk:	
• Basic indicator approach:	567.48
d) Common Equity Tier-1 Ratio (CET) (%)	10.14
Tier 1 Capital Ratio (%):	10.14
Total Capital Ratio (%):	13.00

Table DF-3
Credit Risk: General Disclosures

Qualitative Disclosures

(a) In order to reflect the actual financial health in its balance sheet, Bank has adopted definitions of past due and impaired (for accounting purpose) in line with the prudential norms for income recognition, asset classification and provisioning for the advance portfolio of the banks.

Non-Performing Assets (NPAs)

The Bank classifies its advances into performing and non-performing Assets (NPA) in accordance with the extant RBI guidelines. NPA is defined as a loan or an advance where:

1. Interest and / or installment of principal remain overdue for a period of more than 90 days in respect of a term loan,
2. The account remains 'out of order' for a period of more than 90 days, in respect of an Overdraft/ Cash Credit (OD/CC),
3. The bill remains overdue for a period of more than 90 days in the case of bills purchased and discounted,
4. The installment of principal or interest thereon remains overdue for two crop seasons for short duration crops,
5. The installment of principal or interest thereon remains overdue for one crop season for long duration crops.

An account is treated as **'out of order'** if the outstanding balance remains continuously in excess of the sanctioned limit/drawing power for more than 90 days. In cases where the outstanding balance in the principal operating account is less than the sanctioned limit/drawing power, but there are no credits continuously for 90 days as on the date of Balance Sheet or credits are not enough to cover the interest debited during the same period, these accounts are treated as **'out of order'**.

Any amount due to the bank under any credit facility is 'overdue' if it is not paid on the due date fixed by the bank.

Further, NPAs are classified into Sub-Standard, Doubtful and Loss assets based on the criteria stipulated by RBI.

- A Sub-Standard asset is one, which has remained NPA for a period less than or equal to 12 months.
- An asset is classified as Doubtful if it has remained in the NPA category for more than 12 months.
- A Loss asset is one where loss has been identified by the Bank or its internal or external auditors or during RBI inspection but the amount has not been written off fully.

Non-Performing Investments (NPIs)

In respect of securities, where interest/principal is in arrears, the Bank does not reckon income on the securities and makes appropriate provisions for the depreciation in the value of the investment.

A non-performing investment (NPI), similar to a non-performing advance (NPA), is one where

1. Interest/installment (including maturity proceeds) is due and remains unpaid for more than 90 days.
2. This applies mutates-mutandis to preference shares where the fixed dividend is not paid.
3. In the case of equity shares, in the event the investment in the shares of any company is valued at ₹1 per company on account of the non-availability of the latest balance sheet in accordance with the Reserve Bank of India instructions, those equity shares are also reckoned as NPI.
4. If any credit facility availed by the issuer is NPA in the books of the bank, investment in any of the securities issued by the same issuer is treated as NPI and vice versa.
5. The investments in debentures/bonds, which are deemed to be in the nature of advance, are subjected to NPI norms as applicable to investments.

- **Policy and Procedures**

The Bank has put in place well-structured Credit Risk Management system and developed various risk management policies like Lending Policy, Credit Risk Mitigation Technique & Collateral Management Policy and Stress Testing Policy etc to address the credit risk of the Bank. The main objectives of the policies are to ensure that the operations are in line with the expectation of the management and the strategies of the top management are translated into meaningful directions to the operational level.

The Policies stipulate prudential limits on large credit exposures, standards for loan collateral, portfolio management, loan review mechanism, risk concentrations, risk monitoring and evaluation, provisioning and regulatory / legal compliance.

The Bank assesses the concentration risk by (a) fixing sectoral and prudential exposure limits for single and group borrowers (b) rating grade limits (c) industry wise exposure limits and (d) analyzing the geographical distribution of credit across the Zones. All the Zones are categorized under four segments namely North, South, East and West. Bank considers rating of a borrowal account as an important tool to measure the credit risk associated with any borrower and accordingly implemented software driven rating/scoring models across all Branches.

Credit Risk Management encompasses identification, assessment, measurement, monitoring and control of the credit exposures.

In the processes of identification and assessment of Credit Risk, the Bank has given utmost emphasis in developing and refining the Credit Risk Rating Models to assess the Counterparty Risk, by taking into account the various risks categorized broadly into Financial, Business, Industry, Project and Management Risks, each of which is scored separately.

The measurement of Credit Risk includes setting up exposure limits to achieve a well-diversified portfolio across dimensions such as companies, group companies, industries, collateral type and geography. For better risk management and avoidance of concentration of Credit Risks, internal guidelines on prudential exposure norms in respect of individual and group borrower, industry-wise exposure limit, sensitive sectors such as capital market, real estate etc., are in place. For measuring and controling the Large Credit Exposure, Bank reviews its position w.r.t Large Exposure Framework on quarterly interval. To address the concentration on total Bank borrowing by a Corporate entity/group, Bank also monitors/reviews the position of Credit Supply for Large Borrowers through Market Mechanism on quarterly interval. The Bank follows a well defined multi layered discretionary power structure for sanction of credit facilities.

The Bank has processes and controls in place in regard to various aspects of Credit Risk Management such as appraisal, pricing, credit approval authority, documentation, reporting and monitoring, review and renewal of credit facilities, managing of problem loans, credit monitoring, loan review mechanism etc.

Portfolio analysis of major industries/sectors at regular intervals is being undertaken to study the impact of that particular industry/sector on the credit portfolio of the Bank and on the prevalent market scenario. The portfolio analysis covers various aspects including quality of assets; compliance of exposure norms; levels of risk i.e. low, medium, high with corresponding yield and NPA level etc.

The Bank has put in place a Board approved Stress Testing Policy which involves the usance of various techniques to assess the Bank's potential vulnerability to extreme but tenable stressed business conditions. As per the policy, Stress Testing on Liquidity Risk, Interest Rate Risk in the Banking Book, Foreign Exchange Risk, Credit Risk, Market Risk - impact on capital adequacy and profitability of the Bank is being conducted on Quarterly basis. The Capital maintained by the Bank is found to be adequate under such Stressed conditions as analyzed from time to time.

The Bank is conducting analysis on risk rating migration for large borrowal accounts. The Bank is reviewing various exposure norms fixed by RBI/Bank's Board on half-yearly basis. The Bank has developed a software based credit risk rating model for rating of its borrowal accounts.

Besides, the Bank has also put in place a policy on Credit Risk Mitigation Technique & Collateral Management with the approval of the Board which lays down the details of securities and administration of such securities to protect the interest of the Bank. These securities act as mitigants for the credit risk to which the Bank is exposed.

Quantitative Disclosures:

(₹ crore)

	Fund Based	Non Fund Based	Total
(b) Total gross credit exposures	73123.41	4665.14	77788.55
(c) Geographic distribution of exposure			
Overseas	Nil	Nil	Nil
Domestic	73123.41	4665.14	77788.55

(d) Industry Type Distribution of Exposures

(₹ crore)

Code	Name of the Industry	Fund Based Outstanding	Non- Fund Based Outstanding
1	Coal	**0.00**	**0.00**
2	Mining including coal	**264.10**	**0.00**
3	Basic Metal & Metal Products	**2287.03**	**141.92**
3.1	Iron & Steel	**2051.88**	**141.79**
3.2	Other Metal & Metal Products	**235.15**	**0.13**
4	All Engineering	**1385.20**	**153.05**
4.1	Of which Electronics	36.20	11.30
4.2	Of which Others	1348.99	141.75
5	Electricity	0.00	0.00
6	Textile	**1719.54**	**80.11**
6.1	Of which Cotton Textiles	1014.20	74.88
6.2	Of which Jute Textiles	37.13	0.26
6.3	Of which Other Textiles	668.20	4.99
7	Food Processing	**2201.31**	**106.87**
7.1	Of which Sugar	12.97	0.00
7.2	Of Which Tea	646.56	7.59
7.3	Of which Vegetable Oil & Vanaspati	59.26	1.78
7.4	Of which others	1482.52	97.50
8	Tobacco & Tobacco Products	**134.93**	**0.45**

Code	Name of the Industry	Fund Based Outstanding	Non- Fund Based Outstanding
9	Paper & Paper Products	**125.67**	**23.89**
10	Rubber & Rubber Products	**233.47**	**8.25**
11	Infrastructure	**11799.21**	**1624.62**
11.1	Of which Power	9277.42	497.46
11.2	Of which Telecommunications	39.24	40.54
11.3	Of which Roads & Ports	2036.41	1035.87
11.4	Of which other Infra	446.14	50.75
12	Cement	**545.10**	**54.19**
13	Leather & Leather Products	**171.94**	**1.17**
14	Gems & Jewellery	**165.62**	**2.32**
15	Construction	**826.23**	**90.94**
16	Petroleum	**62.39**	**5.19**
17	Automobiles including Trucks	**498.28**	**27.79**
18	Computer Software	**9.30**	**0.19**
19	Chemical, Dyes, Paints etc.	**958.49**	**214.79**
19.1	Of which Fertilizers	357.42	0.00
19.2	Of which Petro-chemicals	529.26	209.94
19.3	Of which Drugs & pharmaceuticals	71.81	4.84
20	NBFC	**8065.02**	**0.03**
21	Other Industries	**749.54**	**86.52**
22	Residuary Other Advances (to balance with Gross Advances)	**40921.04**	**2043.74**
23	**Total**	**73123.41**	**4665.14**

Fund-based and non-fund based exposure to the following industries exceeded 5% of total fund-based and total non-fund based exposure of the Bank respectively as on 31.03.2019.

	Fund Based (FB) Exposure			Non-Fund Based (NFB) Exposure	
Sl	**Industry Name**	**% of total FB**	**Sl**	**Industry Name**	**% of total NFB**
1	Power	12.69	1	Roads & Port	22.20
2	NBFC	11.03	2	Power	10.66

(e) Residual contractual maturity break down of assets

(₹ crore)

	Day1	2 to 7 days	8 to 14 days	15 to 28 days	29 days to 3 months	Over 3 months & upto 6 months	Over 6 months & upto 1 year	Over 1 year & up to 3 years	Over 3 years & up to 5 years	Over 5 years	Total
Advances	185	368	737	3807	7470	4782	8049	9719	8204	23634	66955
Investments	5114	1937	725	1521	8117	1919	2341	3305	4054	31943	60976
Foreign Currency Assets	964	914	27	80	708	804	1814	0.00	238	0.35	5549

f) Amount of NPAs (Gross)

(₹ crore)

Category	Amount
Sub-Standard	1786.88
Doubtful – 1	3461.51
Doubtful – 2	4702.39
Doubtful – 3	2012.58
Loss	90.02
TOTAL	**12053.38**

(g) Net NPAs	**5785.61**
(h) NPA Ratios	(In %)
(a) Gross NPAs to Gross Advances	16.48
(b) Net NPAs to Net Advances	8.67
(i) Movement of Gross NPA	(₹ crore)
a) Opening balance as on 1st April, 2018	16552.11
b) Additions upto 31st Mar, 2019	2870.52
c) Reductions upto 31st Mar, 2019	7369.25
d) Closing balance at the end of 31st Mar, 2019 (a+b-c)	12053.38

(j) Movement of Specific & General Provisions (₹ crore)

Movement of Provision	Specific Provisions	General Provisions
a) Opening balance as on 1st April, 2018	6201.57	238.47
b) Provisions made upto 31st Mar, 2019	5523.30	108.80
c) Write-off/ Write-back of excess provisions	5365.29	-
d) Other Adjustments	191.27	-
e) Closing balance at the end of 31st Mar, 2019 (a+b-c-d)	6168.31	347.27

(₹ crore)

(k) Amount of write-offs and recoveries that have been booked directly to the income statement	**342.27**

(₹ crore)

(l) Amount of Non-Performing Investments	**915.98**

(₹ crore)

(m) Amount of provision held for Non-Performing Investment	**856.93**
(n) Movement of provisions for depreciation on investments	(₹ crore)
i) Opening balance as on 1st April, 2018	293.43
ii) Provisions made upto 31st Mar, 2019	136.63
iii) Write-off/ write-back of excess provisions	0.00
iv) Closing balance at the end of 31st Mar, 2019 (i+ii-iii)	430.06

(o) Industry Type Distribution of Specific & General Provisions

(₹ crore)

Sl.No	Name of the Industry	As on 31st March , 2019			For quarter ended 31st March , 2019	
		Gross NPA	Specific Provision	General Provision	Write Off	Specific Provision
1	Coal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Mining including Coal	16.06	7.02	0.99	0.00	0.01
3	Basic Metal & metal Products	466.43	249.71	5.45	975.79	0.00
3.1	Iron & Steel	401.09	192.92	4.80	975.79	0.00
3.2	Other Metal & Metal Products	65.34	56.79	0.65	0.00	21.38
4	All Engineering	549.31	288.65	3.16	0.00	152.64
4.1	of which Electronics	3.14	1.12	0.16	0.00	0.00
4.2	of which Others	546.18	287.53	3.00	0.00	153.19
5	Electricity	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Textile	831.63	344.06	2.76	0.00	103.83
6.1	of which Cotton Textiles	721.68	288.41	1.14	0.00	255.73
6.2	of which Jute Textiles	6.24	2.63	0.14	0.00	0.00
6.3	of which Other Textiles	103.71	53.02	1.48	0.00	0.00
7	Food Processing	269.82	112.41	7.27	0.00	2.22
7.1	of which Sugar	0.10	0.02	0.05	0.00	0.00
7.2	of Which Tea	10.07	6.01	2.56	0.00	0.04
7.3	of which Vegetable Oil & Vanaspati	16.47	14.10	0.18	0.00	5.70
7.4	of Which Others	243.17	92.28	4.48	0.00	0.00
8	Tobacco & Tobacco Products (incl Beverage)	62.51	17.79	0.29	131.58	0.00
9	Paper & Paper Products	8.05	3.53	0.45	0.00	0.07
10	Rubber & Rubber Products	47.60	20.20	0.78	0.00	3.66
11	Infrastructure	5012.01	2002.39	27.18	622.17	274.53
11.1	of which Power	4281.02	1844.24	20.80	12.12	601.28
11.2	of which Telecommunications	0.36	0.17	0.14	0.00	0.00
11.3	Of which Roads & Ports	714.08	144.15	4.22	354.93	0.00
11.4	Of which other Infra	16.56	13.84	2.02	255.12	0.00
12	Cement	189.34	15.77	1.27	50.18	0.00
13	Leather/Leather Products	24.73	12.16	0.56	0.00	1.78
14	Gems & Jewellery	11.65	6.71	1.27	310.90	0.00
15	Construction	395.68	104.88	1.65	61.83	0.00
16	Petroleum	17.08	16.72	0.16	0.00	1.68
17	Automobiles incl.Trucks	412.43	323.90	0.30	143.44	100.93
18	Computer Software	4.13	3.49	0.01	0.00	0.00
19	Chemical, Dyes, Paints etc	398.34	125.26	2.18	0.00	22.45
19.1	of which Fertilizers	347.92	90.63	0.05	0.00	38.19
19.2	of which Petro-chemicals	46.03	31.53	1.90	0.00	0.00
19.3	of which Drugs & Pharmaceuticals	4.39	3.10	0.23	0.00	0.14

S.No	Name of the Industry		As on 31st March , 2018		For quarter ended 31st March , 2018	
		Gross NPA	Specific Provision	General Provision	Write Off	Gross NPA
20	NBFC	100.09	15.01	35.71	0.00	0.00
21	Other Industries	126.02	44.36	3.98	0.00	2.85
22	Residuary Other Advances (to balance with Gross NPA)	3110.47	2454.28	251.87	333.35	
23	**Total**	**12053.38**	**6168.31**	**347.27**	**2629.24**	

(p) Geographic wise distribution of Gross NPA, Specific Provision & General Provision **(₹ crore)**

Particulars	Overseas	Domestic	Total
Gross NPA	-	12053.38	12053.38
Specific Provision	-	6168.31	6168.31
General Provision	-	347.27	347.27

Table DF-4

Credit risk: Disclosures for portfolios subject to the standardized approach

Qualitative Disclosure

For portfolios under the standardized approach

As per RBI guidelines on Basel norms, Bank is using the External Ratings of the following domestic External Credit Rating Agencies (ECRA) accredited by RBI for the purpose of CRAR calculation:

1. CARE 2. CRISIL 3. ICRA 4. INDIA RATINGS (earlier known as FITCH) 5. BRICKWORK 6. SMERA/ACUITE and 7. INFORMERICS

Ratings assigned by ECRA's is used for the following exposures:

- For Short Term Loan (STL), i.e for exposures with contractual maturity of less than one year (except Cash Credit, Overdraft and Revolving Credit) short term rating assigned is considered.
- For Long term Loan (LTL), i.e contractual maturity of more than one year and for domestic Cash Credit, Overdraft and Revolving credits, long term ratings are considered.

The ratings available in public domain are mapped according to mapping process as envisaged in RBI guidelines on the subject.
Bank uses external ratings for the purposes of computing the risk weighted assets as per the RBI norms. Bank also rates its clients internally using an internal rating model.

Quantitative Disclosures:

(₹ crore)

The table below discloses the amount of the Bank's Gross outstanding for credit exposures (both fund and non-fund) net of specific provision in three major risk buckets:

(₹ crore)

For exposure amounts after risk mitigation subject to the standardized approach, amount of a bank's outstanding (rated and unrated) in the following three major risk buckets as well as those that are deducted.	• Below 100 % risk weight: • 100 % risk weight: • More than 100 % risk weight:	50188.47 10209.92 4998.41

Table DF-5
Credit Risk Mitigation: Disclosures for Standardized Approaches

Qualitative Disclosures

(a) The general qualitative disclosure requirement with respect to credit risk mitigation including:

- **Policies and processes for and an indication of the extent to which the bank makes use of, on- and off-balance sheet netting;**
- **Policies and processes for collateral valuation and management:**

In line with the regulatory requirement, the Bank has put in place a policy on Credit Risk Mitigation Techniques & Collateral Management with the primary objective of (a) Mitigation of credit risks & enhancing awareness on identification of appropriate collateral taking into account the spirit of Basel- II & III norms/RBI guidelines and (b) Optimizing the benefit of credit risk mitigation in computation of capital charge as per approaches laid down in Basel- II & III norms /RBI guidelines. Valuation of collaterals is also addressed in the said policy. The Policy adopts the Comprehensive Approach, which allows full offset of collateral (after appropriate haircuts) against exposures, by effectively reducing the exposure amount by the value ascribed to the collateral.

- **Description of the main types of collateral taken by the bank:**

The main types of Collaterals usually recognized as Credit Risk Mitigants by the Bank under the Standardised Approach are (i) Bank Deposits, (ii) NSCs/KVP, (iii) Life Insurance Policies.

- **Main types of guarantor counterparty and their creditworthiness:**

For computation of CRAR, the types of guarantees recognized for taking mitigation by the Bank are as follows:

- Central & State Government Guarantee
- CGTMSE
- ECGC

- **Information about (market or credit) risk concentrations within the mitigation taken:**

The types of collaterals used by the Bank for mitigation purpose are easily realizable financial securities and are not affected by market volatility. As such, presently no limit / ceiling has been prescribed to address the concentration risk in credit risk mitigants recognized by the Bank.

Quantitative Disclosures:

(₹ crore)

(a) For each separately disclosed credit risk portfolio the total exposure (after, where applicable, on- or off-balance sheet netting) that is covered by eligible financial collateral after the application of haircuts.	65396.80
(b) For each separately disclosed portfolio the total exposure (after, where applicable, on- or off-balance sheet netting) that is covered by guarantees / credit derivatives (whenever specifically permitted by RBI)	5171.15

Table DF-6
Securitization Exposures: Disclosure for Standardized Approach

Qualitative Disclosures:

The Bank has not undertaken any securitization activity.

Quantitative Disclosures: NIL

Table DF-7
Market Risk in Trading Book

Qualitative disclosures

(a) Market Risk is defined as the potential loss that the Bank may incur due to changes / movements in the market variables such as interest rates, foreign currency exchange rates, equity prices and commodity prices. Bank's exposure to market risk arises from investments (interest rate related instruments and equity related instruments) in trading book (both AFS and HFT categories) and the Foreign Exchange positions. The objective of the Market Risk management is to minimize the impact of losses on earnings and equity.

The Bank has put in place Board approved Asset Liability Management Policy and Investment Policy for effective management of Market Risk in the Bank. Risk Management and reporting is based on parameters such as a Modified Duration, Maximum permissible Exposures, Net Open Position limits, Gap limits, Value at Risk (VaR) etc, in line with the industry best practices.

Quantitative disclosures

(₹ crore)

(b) The capital requirements for:	
• Interest Rate Risk:	440.01
• Equity Position Risk:	115.77
• Foreign Exchange Risk:	2.25

Table DF-8
Operational Risk

Qualitative disclosures

Operational Risk is the risk of loss resulting from inadequate or failed internal processes, people and systems or from external events. Operational risk includes legal risk but excludes strategic and reputation risks.

The Bank has formulated Operational Risk Management Policy duly approved by the Board. Supporting policies adopted by the Board which deal with management of various areas of operational risk are (a) Information System Security; (b) Know Your Customers (KYC), (c) Anti Money Laundering (AML) and (d) IT Business Continuity and Disaster Recovery Policy etc.

The Operational Risk Management Policy adopted by the Bank outlines organization structure and detailed processes for management of operational risk. The basic objective of the policy is to closely integrate operational risk management system into the day-to-day risk management processes of the Bank by clearly assigning roles for effectively identifying, assessing, monitoring and controlling / mitigating operational risks and by timely reporting of operational risk exposures, including material operational risk losses. Operational risks in the Bank are managed through comprehensive and well articulated internal control frameworks.

Calculation of Capital Charge

In line with RBI Guidelines, the Bank has adopted the Basic Indicator Approach for computing capital charge for Operational Risk. Under this approach average of previous 3 financial years' positive gross income is taken into consideration for arriving at Capital charge for Operational Risk.

Operational Risk Capital Charge

₹ in Crore

Capital requirement for Operational Risk as on 31.03.2019	567.48

Table DF-9
Interest rate risk in the Banking Book (IRRBB)

Qualitative Disclosures:

(a) Interest rate risk refers to fluctuations in Bank's Net Interest Income and the value of its Assets and Liabilities arising from internal and external factors. Internal factors include the composition of the Bank's assets and liabilities, quality, maturity, interest rate and re-pricing period of deposits,

borrowings, loans and investments. External factors cover general economic conditions. Rising or falling interest rates impact the Bank depending on Balance Sheet composition. Interest rate risk is prevalent on both the asset as well as the liability sides of the Bank's Balance Sheet.

The Asset-Liability Management Committee (ALCO) periodically monitors and controls the risks and returns, funding and deployment, setting Bank's lending and deposit rates and directing the investment activities of the Bank. The Bank identifies the risks associated with the changing interest rates through Earnings at Risk approach and Duration Gap approach.

Quantitative Disclosures

(b) The increase (decline) in earnings and economic value (or relevant measure used by management) for upward and downward rate shocks according to management's method for measuring IRRBB, is provided below:

INTEREST RATE RISK IN THE BANKING BOOK:

(₹ cr)

Particulars	Condition	Total
1. Earnings At Risk (EAR)	Increase by 250 bps	-604
	Decrease by 250 bps	604
2. Economic Value of Equity at Risk	Increase by 200 bps	-862
	Decrease by 200 bps	862

Table DF-10
General Disclosure for Exposures Related to Counterparty Credit Risk

- **Qualitative Disclosures**

Counterparty Credit Risk is defined as the risk that the counterparty to a transaction could default before the final settlement of the transaction's cash flows and is the primary source of risk for derivatives and securities financing transactions.

Unlike a Bank's exposure to credit risk through a loan, where the exposure to credit risk is unilateral and only the lending bank faces the risk of loss, the counterparty credit risk is bilateral in nature i.e. the market value of the transaction can be positive or negative to either counterparty to the transaction and varying over time with the movement of underlying market factors.

The Banks exposure to counterparty credit Risk is covered under its Counterparty Credit Risk Policy. Bank ensures all the due diligence are to be adhered to viz. KYC norms, satisfactory dealing, credit worthiness of the party before extending any derivative products to the party and accordingly decides the level of credit risk mitigation required in the transaction.

Quantitative Disclosures

(₹ crore)

Particulars	Notional Amount	Current Credit Exposure
Merchant Forward Contracts	440.92	2.54
Inter Bank Contracts	2638.28	120.11
Total	**3079.20**	**122.65**

Table DF-11

Composition of Capital- As on 31.03.2019

(₹ crore)

	Basel-III common disclosure template	Amount	Ref No
Common Equity Tier 1 capital : Instruments and Reserves			
1	Directly issued qualifying common share capital plus related stock surplus (share premium)	12214.10	A1+ A4+ B1
2	Retained earnings	0.00	
3	Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	(1223.30)	B2+ B3+ B5
4	Directly issued capital subject to phase out from CET1 (only applicable to non-joint stock companies)	0.00	
	Public sector capital injections grandfathered until 1 January 2018	0.00	
5	Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)	-	
6	**Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments**	**10990.80**	
7	Prudential valuation adjustments	0.00	
8	Goodwill (net of related tax liability)	0.00	
9	Intangibles other than mortgage-servicing rights (net of related tax liability)	18.77	L2
10	Deferred tax assets	4708.59	M3
11	Cash-flow hedge reserve	0.00	
12	Shortfall of provisions to expected losses	0.00	
13	Securitization gain on sale	0.00	
14	Gains and losses due to changes in own credit risk on fair valued liabilities	0.00	
15	Defined-benefit pension fund net assets	0.00	
16	Investments in own shares (if not already netted-off paid-in capital on reported balance sheet)	0.00	
17	Reciprocal cross-holdings in common equity	0.00	
18	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued share capital (amount above 10% threshold)	0.00	
19	Significant investments in the common stock of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions (amount above 10% threshold)	0.00	
20	Mortgage servicing rights (amount above 10% threshold)	0.00	
21	Deferred tax assets arising from temporary differences (amount above 10% threshold, net of related tax liability)	0.00	
22	Amount exceeding the 15% threshold	0.00	

Basel-III common disclosure template			Amount	Ref No
23	Of which: significant investments in the common stock of financial entities		0.00	
24	Of which: mortgage servicing rights		0.00	
25	Of which: deferred tax assets arising from temporary differences		0.00	
26	National specific regulatory adjustments (26a+26b+26c+26d+26e)		235.60	
26.a	Of which: Investments in the equity capital of unconsolidated non- financial subsidiaries		0.00	
26.b	Of which: Shortfall in the equity capital of majority owned financial Entities which have not been consolidated with the bank		0.00	
26.c	Of which: Investments in the equity capital of the unconsolidated Insurance Subsidiaries		0.00	
26.d	Of which: Un-amortised pension funds expenditures		0.00	
	Regulatory Adjustments Applied To Common Equity Tier 1 In Respect of amounts subject to Pre-Basel III Treatment		0.00	
	Of Which : Operating loss in the current period		0.00	
26.e	Regulatory Adjustment due to recognition of DTA and significant investments in CET1		235.60	
27	Regulatory adjustments applied to Common Equity Tier 1 due to insufficient Additional Tier 1 and Tier 2 to cover deductions		0.00	
28	**Total regulatory adjustments to CET-1**		**4962.96**	
29	**Common Equity Tier 1 capital (CET1) (6-28)**		**6027.84**	
Additional Tier 1 Capital: Instruments				
30	Directly issued qualifying Additional Tier 1 instruments plus related stock surplus (31+32)		0.00	D4
31	Of which: classified as equity under applicable accounting standards (Perpetual Non-Cumulative Preference Shares)		0.00	
32	Of which: classified as liabilities under applicable accounting standards (Perpetual debt Instruments)		0.00	D4
33	Directly issued capital instruments subject to phase out from Additional Tier 1		0.00	
34	Additional Tier 1 instruments (and CET1 instruments not included in row 5) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group AT 1)		0.00	
35	of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out		0.00	
36	**Additional Tier 1 capital before regulatory adjustments**		**0.00**	
Additional Tier-1 Capital: Regulatory adjustments:				
37	Investments in own Additional Tier 1 instruments		0.00	
38	Reciprocal cross-holdings in Additional Tier 1 instruments		0.00	J1
39	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above 10% threshold)		0.00	
40	Significant investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)		0.00	

Basel-III common disclosure template			Amount	Ref No
41	National specific regulatory adjustments (41a+41b)		0.00	
41a	Investments in the Additional Tier 1 capital of unconsolidated insurance subsidiaries		0.00	
41b	Shortfall in the Additional Tier 1 capital of majorit owned financial entities which have not been consolidated with the bank		0.00	
	Regulatory Adjustments Applied To Additional Tier 1 In Respect of Amounts Subject To Pre-Basel 3 treatment		0.00	
	Of Which: Intangibles other than mortgage-servicing rights (net of related tax liability)		0.00	L 3
	Of Which: Deferred Tax Assets		0.00	
	Of Which: Unamortized Expenses for Pension Fund Expenditure		0.00	
	Of Which: Operating Loss in the current period		0.00	
	Of Which: Phasing out of PNCPS		0.00	
	Of Which: Investment in Non common equity capital instrument of associates (RRBs)		0.00	
42	Regulatory adjustments applied to Additional Tier 1 due to insufficient Tier 2 to cover deductions		0.00	
43	**Total regulatory adjustments to AT1 capital**		**0.00**	
44	**Additional Tier 1 capital (AT1)**		**0.00**	
44a	**Additional Tier 1 capital reckoned for capital adequacy**		**0.00**	
45	**Tier 1 capital (T1 = CET1 + AT1) (row 29 + row 44a)**		6027.84	
Tier 2 capital: instruments and provisions				
46	Directly issued qualifying Tier 2 instruments plus related stock surplus		1490.00	D5
47	Directly issued capital instruments subject to phase out from Tier 2		80.00	D 5.1
48	Tier 2 instruments (and CET1 and AT1 instruments not included in rows 5 or 34) issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group Tier 2)		0.00	
49	of which: instruments issued by subsidiaries subject to phase out		0.00	
50	Provisions		300.82	Template ref. no.-50
51	**Tier 2 capital before regulatory adjustments**		**1870.82**	
Tier-2 Capital: Regulatory Adjustments:				
52	Investments in own Tier 2 instruments		0.00	
53	Reciprocal cross-holdings in Tier 2 instruments		0.00	J 2
54	Investments in the capital of banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation, net of eligible short positions, where the bank does not own more than 10% of the issued common share capital of the entity (amount above the 10% threshold)		0.00	
55	Significant investments in the capital banking, financial and insurance entities that are outside the scope of regulatory consolidation (net of eligible short positions)		0.00	
56	National specific regulatory adjustments (56a+56b)		171.12	
56a	Of Which: Investments in the Tier 2 capital of associates		51.12	J3
56b	Of Which: Shortfall in the Tier 2 capital of majority owned financial entities which have not been consolidated with the bank		0.00	
	Regulatory Adjustments Applied To Tier 2 in Respect of Amounts Subject To Pre-Basel III Treatment.		120.00	
	Of which: Phase out of Tier-2 Bonds		120.00	

Basel-III common disclosure template			Amount	Ref No
57	**Total regulatory adjustments to Tier 2 capital**		**171.12**	
58	**Tier 2 capital (T2)**		**1699.70**	
58a	**Tier 2 capital reckoned for capital adequacy**		**1699.70**	
58b	Excess Additional Tier 1 capital reckoned as Tier 2 capital		0.00	
58c	**Total Tier 2 capital admissible for capital adequacy row(58a+row58b)**		**1699.70**	
59	**Total capital (TC = T1 + T2) (row 45+row 58c)**		**7727.54**	
60	**Total risk weighted assets (60a + 60b +60c)**		**59431.55**	
60a	*of which: total credit risk weighted assets*		45362.50	
60b	*of which: total market risk weighted assets*		6975.44	
60c	*of which: total operational risk weighted assets*		7093.61	
Capital Ratios				
61	Common Equity Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)		10.14	
62	Tier 1 (as a percentage of risk weighted assets)		10.14	
63	Total capital (as a percentage of risk weighted assets)		13.00	
64	Institution specific buffer requirement (minimum CET1 requirement plus capital conservation and countercyclical buffer requirements, expressed as a percentage of risk weighted assets)		7.375	
65	of which: capital conservation buffer requirement		1.875	
66	of which: bank specific counter cyclical buffer requirement		0.00	
67	of which: G-SIB buffer requirement		0.00	
68	Common Equity Tier 1 available to meet buffers (as a percentage of risk weighted assets)		2759.10	
National minima (if different from Basel III) Including CCB requirement				
69	National Common Equity Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum) including CCB		7.375	
70	National Tier 1 minimum ratio (if different from Basel III minimum)		7.00	
71	National total capital minimum ratio including CCB (if different from Basel III minimum)		10.875	
Amounts below the thresholds for deduction (before risk weighting)			0.00	
72	Non-significant investments in the capital of other financial entities		0.00	
73	Significant investments in the common stock of financial entities		0.00	
74	Mortgage servicing rights (net of related tax liability)		0.00	
75	Deferred tax assets arising from temporary differences (net of related tax liability)		0.00	
Applicable caps on the inclusion of provisions in Tier 2				
76	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to standardized approach (prior to application of cap)		300.82	Template ref. no.-50
77	Cap on inclusion of provisions in Tier 2 under standardized approach		567.03	
78	Provisions eligible for inclusion in Tier 2 in respect of exposures subject to internal ratings-based approach (prior to application of cap)		0.00	
79	Cap for inclusion of provisions in Tier 2 under internal ratings-based approach		0.00	
80	Current cap on CET1 instruments subject to phase out arrangements		NA	

Capital Investments subject to phaseout arrangements (only applicable between April 01, 2018 & March 31, 2022)		
81	Amount excluded from CET1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	NA
82	Current cap on AT1 instruments subject to phase out arrangements	NA
83	Amount excluded from AT1 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	NA
84	Current cap on T2 instruments subject to phase out arrangements	NA
85	Amount excluded from T2 due to cap (excess over cap after redemptions and maturities)	NA

Notes to the Template:

Row No of template Particular	Particular	₹ Cr
10	Deferred tax assets associated with accumulated losses net of deferred tax liability	3341.44
	Deferred tax assets (excluding those associated with accumulated losses) net of deferred tax liability	1367.15
	Total as indicated in row 10	**4708.59**
19	If investments in insurance subsidiaries are not deducted fully from capital and instead considered under 10% threshold for deduction, the resultant increase in the capital of bank	0.00
	of which: Increase in Common Equity Tier 1 capital	0.00
	of which: Increase in Additional Tier 1 capital	0.00
	of which: Increase in Tier 2 capital	0.00
26b	If investments in the equity capital of unconsolidated non-financial subsidiaries are not deducted and hence, risk weighted then:	0.00
	(i) Increase in Common Equity Tier 1 capital	0.00
	(ii) Increase in risk weighted assets	0.00
44a	Excess Additional Tier 1 capital not reckoned for capital adequacy (difference between Additional Tier 1 capital as reported in row 44 and admissible Additional Tier 1 capital as reported in 44a) of which: Excess Additional Tier 1 capital which is considered as Tier 2 capital under row 58b	0.00
	Eligible provisions included in Tier 2 capital	300.82
50	Eligible revaluation reserves included in Tier 2 capital	0.00
	Total of row 50	**300.82**
58a	Excess Tier 2 capital not reckoned for capital adequacy (difference between Tier 2 capital as reported in row 58 and T2 as reported in 58a)	0.00

Table - DF 12
Composition of Capital - Reconciliation Requirements (Step-1)

(₹ crore)

Sl. No.	Particulars	Balance sheet as in financial statements As on 31.03.2019	Balance sheet under regulatory scope of consolidation As on 31.03.2019
There is no difference between the regulatory consolidation and accounting			
A	**Capital & Liabilities**		
i	Paid-up Capital	7427.92	7427.92
	Share Application Money Pending Allotment	-	-
	Reserves & Surplus	4070.96	4070.96
	Minority Interest	-	-
	Total Capital	**11498.88**	**11498.88**
ii	**Deposits**	**134983.31**	**134983.31**
	Of which		
	Deposits from Banks	1548.02	1548.02
	Customer Deposits	133435.29	133435.29
	Other Deposits	0.00	0.00
iii	**Borrowings**	**2203.71**	**2203.71**
	Of which		
	From RBI	200.00	200.00
	From Banks	1.18	1.18
	From other institutions & agencies	2002.53	2002.53
	Others	-	-
	Capital instruments	-	-
iv	Other liabilities & Provisions	**2844.01**	**2844.01**
	Total	**151529.91**	**151529.91**

(₹ crore)

Sl. No.	Particulars	Balance sheet as in financial statements As on 31.03.2019	Balance sheet under regulatory scope of consolidation As on 31.03.2019
B	**Assets**		
i)	Cash and balances with RBI	**6168.87**	**6168.87**
	Balance with banks and money at call and short notice	**3494.60**	**3494.60**
ii)	Investments:	**60976.03**	**60976.03**
	Of which		
	Government Securities	38429.63	38429.63
	Other Approved Securities	-	-
	Shares	638.49	638.49
	Debentures & Bonds	7494.04	7494.04
	Subsidiaries / Joint Ventures / Associates	-	-
	Others (Commercial Papers, Mutual Funds etc.)	14413.87	14413.87
iii)	Loans and advances	**66955.10**	**66955.10**
	Of which		
	Loans and advances to Banks	262.03	262.03
	Loans and advances to customers	66693.07	66693.07
iv)	Fixed Assets	**1240.06**	**1240.06**
v)	Other Assets	**12695.25**	**12695.25**
	Of which		
	Goodwill and intangible assets	-	-
	Deferred tax assets	5479.97	5479.97
vi)	Goodwill on consolidation	-	-
vii)	Debit balance in Profit & Loss account	-	-
	Total Assets	**151529.91**	**151529.91**

DF-12: Composition of Capital - Reconciliation Requirements-STEP 2

(₹ crore)

Sl. No.	Particulars	Balance sheet as in financial statements As on 31.03.2019	Balance sheet under regulatory scope of consolidation As on 31.03.2019	Ref No.
A	**Capital & Liabilities**			
I)	Paid-up Equity Capital	**7427.92**	**7427.92**	A
	a) Of which amount eligible for CET1	7427.92	7427.92	A1
	b) of which amount eligible for AT1	-	-	A2
	Of which amount deducted from AT1	-	-	A3
	Share Application Money	-	-	
	a) Of which amount eligible for CET1	-	-	A4
	Reserves and Surplus	**4070.96**	**4070.96**	B
	a) Of which amount eligible for CET1: Share premium	4786.18	4786.18	B1
	b) Of which amount eligible for CET1: Statutory Reserves, Revenue Reserves and Capital Reserves	(1639.00)	(1639.00)	B2
	c) Of which amount eligible for CET 1: Revaluation Reserves discounted @ 55%	415.70	415.70	B3
	d) Of which Capital that is not qualified	508.08	508.08	B4
	e) Balance in Profit & Loss account	-	-	-
	of which : deduction from CET-1	-	-	B5
	of which : deduction from AT1	-	-	-
	Total Capital & Reserves	**11498.87**	**11498.87**	
ii)	**Deposits**	**134983.31**	**134983.31**	
	Of which			
	Deposits from Banks	1548.02	1548.02	
	Customer Deposits	133435.29	133435.29	
	Other Deposits	0.00	0.00	
iii)	**Borrowings:**	**2203.71**	**2203.71**	D
	Of which			
	From RBI	200.00	200.00	D 1
	From Banks	1.18	1.18	
	From other institutions & agencies	2002.53	2002.53	D 2
	Of which Capital instruments (under B-III)	1990.00	1990.00	D 3
	Amount eligible for AT1	0.00	0.00	D4
	Amount eligible for Tier 2 (Basel-III)	1490.00	1490.00	D 5
	Phased out amount of eligible Tier 2 as per pre Basel-III treatment	80.00	80.00	D5.1
	Capital that is not qualified as Regulatory Capital as per Basel-III	240.00	240.00	D6
	Of Which Others	0.00	0.00	D 7
	Other Borrowings	0.00	0.00	D 8
iv)	Other liabilities & provisions	**2844.01**	**2844.01**	E
	Of which	-	-	
	DTLs related to goodwill	-	-	
	DTLs related to intangible assets	-	-	
	Total Capitals & Liabilities	**151529.91**	**151529.91**	

(₹ cr)

Sl. No.	Particulars	Balance sheet as in financial statements As on 31.03.2019	Balance sheet under regulatory scope of consolidation As on 31.03.2019	Ref No.
B	**Assets**			
I)	Cash and balances with RBI	**6168.87**	**6168.87**	
	Balance with banks and money at call and short notice	**3494.60**	**3494.60**	
	Total	**9663.47**	**9663.47**	
ii)	Investments:	**60976.03**	**60976.03**	F
	Of which			
	Government Securities	38429.63	38429.63	G
	Other Approved Securities	-	-	H
	Shares	638.49	638.49	I
	Debentures & Bonds	7494.04	7494.04	J
	Of Which: Reciprocal Cross Holding of AT1	0.00	0.00	J1
	Of Which: Reciprocal Cross Holding of Tier 2	0.00	0.00	J2
	Of Which: Investment in Non Common Equity Capital instruments of other Banks	51.12	51.12	J3
	Subsidiaries / Joint Ventures / Associates	368.52	368.52	
	Others (Commercial Papers, Mutual Funds etc.)	14413.87	14413.87	K
iii)	Loans and advances	**66955.10**	**66955.10**	
	Of which			
	Loans and advances to banks	262.03	262.03	
	Loans and advances to customers	66693.07	66693.07	
iv)	Fixed Assets	**1240.06**	**1240.06**	L
	Of which Intangible assets	18.77	18.77	L 1
	Of Which deduction from CET1	18.77	18.77	L 2
	Of Which deduction from AT1	0.00	0.00	L 3
v)	Other Assets	**12695.25**	**12695.25**	M
	Of which			
	a) Goodwill and intangible assets	0.00	0.00	M 1
	b) Deferred Tax Assets (Net of DTL)	5479.97	5479.97	M 2
	Of Which deduction from CET1	4708.59	4708.59	M 3
	Of Which deduction from AT1	-	-	M 4
vi)	Goodwill on consolidation	-	-	M 5
	Total Assets	**151529.91**	**151529.91**	

Extract of Basel III common disclosure template (with added column) - Table on Composition of Capital - DF 11

Common Equity Tier 1 Capital: Instruments and Reserves			
Sl. No.	**Particulars**	**Component of regulatory capital reported by Bank**	**Source based on reference numbers / letters of the balance sheet under the regulatory scope of consolidation from Step-2**
1	Directly issued qualifying common share (and equivalent for non-joint stock companies) capital plus related stock surplus	12214.10	A1+A4+B1
2	Retained earning	0.00	
3	Accumulated other comprehensive income (and other reserves)	(1223.30)	B2+B3+B5
4	Directly issued capital subject to phase out from CET1(only applicable to non-joint stock companies)	0.00	
5	Common share capital issued by subsidiaries and held by third parties (amount allowed in group CET1)	0.00	
6	Common Equity Tier 1 capital before regulatory adjustments	10990.80	
7	Prudential valuation adjustments	0.00	
8	Goodwill (net of related tax liability)	0.00	

TABLE-DF-13: Main Features Template for Regulatory Capital
Series-I : IPDI (BASEL-II) of Rs. 300 Cr.

1	Issuer	United Bank of India
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg **identifier for private placement)**	INE695A09095
3	Governing law(s) of the instrument	Indian Laws
	Regulatory treatment	Capital Instrument
4	Transitional Basel III rules	Ineligible
5	Post-transitional Basel-III rules	Ineligible
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo
7	Instrument type	Tier 1 Capital Instrument
8	Amount recognized in regulatory capital (₹in Cr as of 31.03.2019)	0.00
9	Par value of instrument	₹10.00 lakh per Bond
10	Accounting classification	Borrowings
11	Original date of issuance	05-12-2012
12	Perpetual or dated	Perpetual
13	Original maturity date	05.12.2022 with prior RBI approval
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Yes
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	05.12.2022 with prior RBI approval
16	Subsequent call dates, if applicable Coupons / dividends	Not Applicable Coupon
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	9.27% (annual)
19	Existence of a dividend stopper	Not Applicable
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem	Yes
22	Noncumulative or cumulative	Non Cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible
24	If convertible, conversion trigger (s)	Not Applicable
25	If convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	No
31	If write-down, write-down trigger(s)	Not Applicable
32	If write-down, fully or partially	Not Applicable
33	If write-down, permanent or temporary	Not Applicable
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Subordinated to the claims of other creditors, depositors and subordinated debts of the Bank
36	Non-compliant transitioned features	Yes
37	If yes, specify non-compliant features	Fully derecognized, Does not have loss absorbency features.

Lower Tier II Subordinated Debts of Rs. 200 Cr.

1	Issuer	United Bank of India
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE695A09087
3	Governing law(s) of the instrument	Indian Laws
	Regulatory treatment	Capital Instrument
4	Transitional Basel III rules	Tier II
5	Post-transitional Basel III rules	Eligible
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo
7	Instrument type	Tier II Capital Instruments
8	Amount recognized in regulatory capital (₹ in Cr, as of 31.03.2019)	60.00
9	Par value of instrument	₹ 10.00 lakh per Bond
10	Accounting classification	Borrowings
11	Original date of issuance	28.12.2011
12	Perpetual or dated	Dated
13	Original maturity date	28.12.2021
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	No
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	No
16	Subsequent call dates, if applicable	Not Applicable
	Coupons / dividends	Coupon
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	9.20% (annual)
19	Existence of a dividend stopper	Not Applicable
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No
22	Non cumulative or cumulative	Non Cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible
24	If convertible, conversion trigger (s)	Not Applicable
25	If convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	No
31	If write-down, write-down trigger(s)	Not Applicable
32	If write-down, fully or partially	Not Applicable
33	If write-down, permanent or temporary	Not Applicable
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Not Applicable
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Subordinated to the claims of other creditors and depositors of the Bank
36	Non-compliant transitioned features	Yes
37	If yes, specify non-compliant features	No loss Absorbency feature

Series-VIII: Lower Tier 2 Subordinated Debts (Basel-III) of Rs. 500 Cr

1	Issuer	United Bank of India
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE695A09103
3	Governing law(s) of the instrument	Indian Laws
	Regulatory treatment	Capital Instrument
4	Transitional Basel III rules	Tier II
5	Post-transitional Basel III rules	Eligible
6	Eligible at solo/group/ group & solo	Solo
7	Instrument type	Tier II Capital Instruments
8	Amount recognized in regulatory capital (₹ in Cr, as of 31.03.2019)	400.00
9	Par value of instrument	₹ 10.00 lakh per Bond
10	Accounting classification	Borrowings
11	Original date of issuance	25.06.2013
12	Perpetual or dated	Dated
13	Original maturity date	25.06.2023
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Not Applicable
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	Not Applicable
16	Subsequent call dates, if applicable	Not Applicable
	Coupons / dividends	Coupon
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	8.75% (annual)
19	Existence of a dividend stopper	Not Applicable
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No
22	Non cumulative or cumulative	Non Cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible
24	If convertible, conversion trigger (s)	Not Applicable
25	If convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	Yes
31	If write-down, write-down trigger(s)	On occurrence of the PONV Trigger as decided by RBI
32	If write-down, fully or partially	Fully or partially on occurrence of the PONV Trigger as decided by RBI
33	If write-down, permanent or temporary	Permanent/Temporary on occurrance of the PONV Trigger as decided by RBI
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Bank may undertake any of the following action at the PONV with the approval of RBI. a. Temporary/permanent write-off in cases where there is no public sector injection of capital b. Permanent write-off in cases where there is public sector injection of capital.
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Subordinated to the claims of other creditors and depositors of the Bank.
36	Non-compliant transitioned features	No
37	If yes, specify non-compliant features	Not Applicable

Series-IX: Lower Tier 2 Subordinated Debts (Basel-III) of Rs 500cr

1	Issuer	United Bank of India
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE695A08030
3	Governing law(s) of the instrument	Indian Laws
	Regulatory treatment	Capital Instrument
4	Transitional Basel III rules	Tier II
5	Post-transitional Basel III rules	Eligible
6	Eligible at solo/group/group & solo	Solo
7	Instrument type	Tier II Capital Instruments
8	Amount recognized in regulatory capital (₹ Cr, as of 31.03.2019)	500.00
9	Par value of instrument	₹ 10.00 lakh per Bond
10	Accounting classification	Borrowings
11	Original date of issuance	23.08.2017
12	Perpetual or dated	Dated
13	Original maturity date	23.08.2027
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Not Applicable
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	Not Applicable
16	Subsequent call dates, if applicable	Not Applicable
	Coupons / dividends	Coupon
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	9.00% (annual)
19	Existence of a dividend stopper	Not Applicable
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No
22	Non cumulative or cumulative	Non Cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible
24	If convertible, conversion trigger (s)	Not Applicable
25	If convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	Yes
31	If write-down, write-down trigger(s)	On occurrence of the PONV Trigger as decided by RBI
32	If write-down, fully or partially	Fully or partially on occurrence of the PONV Trigger as decided by RBI
33	If write-down, permanent or temporary	Permanent/Temporary on occurrence of the PONV Trigger as decided by RBI
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Bank may undertake any of the following action at the PONV with the approval of RBI. a. Temporary/permanent write-off in cases where there is no public sector injection of capital b. Permanent write-off in cases where there is public sector injection of capital.
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Subordinate to the claims of other creditors and depositors of the Bank
36	Non-compliant transitioned features	No
37	If yes, specify non-compliant features	Not applicable

Series-X: Lower Tier 2 Subordinated Debts (Basel-III) of Rs 150 Cr

1	Issuer	United Bank of India
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE695A08048
3	Governing law(s) of the instrument	Indian Laws
	Regulatory treatment	Capital Instrument
4	Transitional Basel III rules	Tier II
5	Post-transitional Basel III rules	Eligible
6	Eligible at solo/group/group & solo	Solo
7	Instrument type	Tier II Capital Instruments
8	Amount recognized in regulatory capital (₹ Cr, as of 31.03.2019)	150.00
9	Par value of instrument	₹ 10.00 lakh per Bond
10	Accounting classification	Borrowings
11	Original date of issuance	27.09.2017
12	Perpetual or dated	Dated
13	Original maturity date	27.09.2027
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Not Applicable
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	Not Applicable
16	Subsequent call dates, if applicable	Not Applicable
	Coupons / dividends	Coupon
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	10.50% (annual)
19	Existence of a dividend stopper	Not Applicable
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No
22	Non cumulative or cumulative	Non Cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible
24	If convertible, conversion trigger (s)	Not Applicable
25	If convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	Yes
31	If write-down, write-down trigger(s)	On occurrence of the PONV Trigger as decided by RBI
32	If write-down, fully or partially	Fully or partially on occurrence of the PONV Trigger as decided by RBI
33	If write-down, permanent or temporary	Permanent/Temporary on occurrence of the PONV Trigger as decided by RBI
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Bank may undertake any of the following action at the PONV with the approval of RBI. a. Temporary/permanent write-off in cases where there is no public sector injection of capital b. Permanent write-off in cases where there is public sector injection of capital.
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Subordinate to the claims of other creditors and depositors of the Bank
36	Non-compliant transitioned features	No
37	If yes, specify non-compliant features	Not applicable

Series-XI: Lower Tier 2 Subordinated Debts (Basel-III) of Rs 340Cr

1	Issuer	United Bank of India
2	Unique identifier (e.g. CUSIP, ISIN or Bloomberg identifier for private placement)	INE695A08063
3	Governing law(s) of the instrument	Indian Laws
	Regulatory treatment	Capital Instrument
4	Transitional Basel III rules	Tier II
5	Post-transitional Basel III rules	Eligible
6	Eligible at solo/group/group & solo	Solo
7	Instrument type	Tier II Capital Instruments
8	Amount recognized in regulatory capital (₹ Cr, as of 31.03.2019)	340.00
9	Par value of instrument	₹ 10.00 lakh per Bond
10	Accounting classification	Borrowings
11	Original date of issuance	10.11.2017
12	Perpetual or dated	Dated
13	Original maturity date	10.11.2027
14	Issuer call subject to prior supervisory approval	Not Applicable
15	Optional call date, contingent call dates and redemption amount	Not Applicable
16	Subsequent call dates, if applicable	Not Applicable
	Coupons / dividends	Coupon
17	Fixed or floating dividend/coupon	Fixed
18	Coupon rate and any related index	9.05% (annual)
19	Existence of a dividend stopper	Not Applicable
20	Fully discretionary, partially discretionary or mandatory	Mandatory
21	Existence of step up or other incentive to redeem	No
22	Non cumulative or cumulative	Non Cumulative
23	Convertible or non-convertible	Non Convertible
24	If convertible, conversion trigger (s)	Not Applicable
25	If convertible, fully or partially	Not Applicable
26	If convertible, conversion rate	Not Applicable
27	If convertible, mandatory or optional conversion	Not Applicable
28	If convertible, specify instrument type convertible into	Not Applicable
29	If convertible, specify issuer of instrument it converts into	Not Applicable
30	Write-down feature	Yes
31	If write-down, write-down trigger(s)	On occurrence of the PONV Trigger as decided by RBI
32	If write-down, fully or partially	Fully or partially on occurrence of the PONV Trigger as decided by RBI
33	If write-down, permanent or temporary	Permanent/Temporary on occurrence of the PONV Trigger as decided by RBI
34	If temporary write-down, description of write-up mechanism	Bank may undertake any of the following action at the PONV with the approval of RBI. a. Temporary/permanent write-off in cases where there is no public sector injection of capital b. Permanent write-off in cases where there is public sector injection of capital.
35	Position in subordination hierarchy in liquidation (specify instrument type immediately senior to instrument)	Subordinate to the claims of other creditors and depositors of the Bank
36	Non-compliant transitioned features	No
37	If yes, specify non-compliant features	Not applicable

Table DF-14

Full Terms and Conditions of Regulatory Capital Instruments

Instruments	Full Terms and Conditions
Innovative Perpetual Debt Instrument (IPDI) Series-I under Basel - II norms Unsecured, Non Convertible, Subordinated perpetual Debt instruments- Tier 1 Bonds	Date of Allotment: 05.12.2012 Date of Redemption: 05.12.2022 with prior approval of RBI Tenure (months): Perpetual Issued Size (₹ in Cr): 300.00 Coupon Rate (Annual): 9.27% Rating: A- by CARE and A- by CRISIL **Special Features:** No Put and Step - up Option. Call Option by the Bank after 10 years with prior approval of RBI.
Lower Tier -2 Bonds Series-VII Unsecured Redeemable Non Convertible Subordinated Lower Tier -2 Bonds	Date of Allotment: 28.12.2011 Date of Redemption: 28.12.2021 Tenure (months): 120 Issued Size (₹ in Cr): 200.00 Coupon Rate (Annual): 9.20% Rating: A+by CARE & A+by CRISIL **Special Features:** 1. Plain vanilla Bonds with no special features like put or call option etc. 2. Not redeemable without the consent of Reserve Bank of India
Lower Tier -2 Bonds Series-VIII Unsecured Redeemable Non Convertible Subordinated Lower Tier -2 Bonds	Date of Allotment: 25.06.2013 Date of Redemption: 25.06.2023 Tenure (months): 120 Issued Size (₹ in Cr): 500.00 Coupon Rate (Annual): 8.75% Rating: A+by Brickwork & A+by CRISIL **Special Features:** 1. Instrument is subjected to Loss Absorbency features applicable for non equity Capital instruments. 2. Instrument may at the option of the RBI either be permanently written off or temporarily written off on the occurrence of the trigger event called Point of Non Viability (PONV). 3. Claims of the investors in this instrument shall be senior to the claims of Investors in Instruments eligible for inclusion in Tier-1 Capital subordinate to the claims of all Depositors and general Creditors of the Banks.

Instruments	Full Terms and Conditions

Lower Tier -2 Bonds Series- IX

Unsecured Non Convertibility Redeemable Debt instrument- Tier 2 Bonds

Date of Allotment	23.08.2017
Date of Redemption	23.08.2027
Tenure (months)	120
Issued Size (₹ in Cr)	500.00
Coupon Rate (Semi-Annual)	9.00%
Rating	A+by Brickwork & A+by CRISIL

Special Features:

1. Instrument is subjected to Loss Absorbency features applicable for non equity Capital instruments.
2. Instrument may at the option of the RBI either be permanently written off or temporarily written off on the occurrence of the trigger event called Point of Non Viability (PONV).
3. Claims of the investors in this instrument shall be senior to the claims of Investors in Instruments eligible for inclusion in Tier-1 Capital subordinate to the claims of all Depositors and general Creditors of the Banks.

Lower Tier -2 Bonds Series- X

Unsecured Non Convertibility Redeemable Debt instrument- Tier 2 Bonds

Date of Allotment	27.09.2017
Date of Redemption	27.09.2027
Tenure (months)	120
Issued Size (₹ in Cr)	150.00
Coupon Rate (Semi-Annual)	10.50%
Rating	A+ by CRISIL

Special Features:

1. Instrument is subjected to Loss Absorbency features applicable for non equity Capital instruments.
2. Instrument may at the option of the RBI either be permanently written off or temporarily written off on the occurrence of the trigger event called Point of Non Viability (PONV).
3. Claims of the investors in this instrument shall be senior to the claims of Investors in Instruments eligible for inclusion in Tier-1 Capital subordinate to the claims of all Depositors and general Creditors of the Banks.

Lower Tier -2 Bonds Series- XI

Unsecured Non Convertibility Redeemable Debt instrument- Tier 2 Bonds

Date of Allotment	10.11.2017
Date of Redemption	10.11.2027
Tenure (months)	120
Issued Size (₹ in Cr)	340.00
Coupon Rate (Annual)	9.05%
Rating	A+ by CRISIL

Special Features:

1. Instrument is subjected to Loss Absorbency features applicable for non equity Capital instruments.
2. Instrument may at the option of the RBI either be permanently written off or temporarily written off on the occurrence of the trigger event called Point of Non Viability (PONV).
3. Claims of the investors in this instrument shall be senior to the claims of Investors in Instruments eligible for inclusion in Tier-1 Capital subordinate to the claims of all Depositors and general Creditors of the Banks.

Table DF-15
Disclosure Requirement for Remuneration

Qualitative & Quantitative Disclosure: Not Applicable

Table DF-16
Equities – Disclosure for Banking Book Positions

Qualitative Disclosure: General qualitative disclosure requirement with respect to Equity Risk.

- In accordance with the RBI guidelines on investment classification and valuation, Investments are classified on the date of purchase into "Held for Trading" (HFT), "Available for Sale" (AFS) and "Held to Maturity" (HTM) categories. Investments which the Bank intends to hold till maturity are classified as HTM securities. In accordance with RBI guidelines, equity investments held under the HTM category are classified as banking book for capital adequacy purpose.

- Investments in equity of subsidiaries and joint ventures are required to classified under HTM category in accordance with the RBI guidelines. These are held with a strategic objective to maintain strategic relationships or for strategic business purposes.

- Investments classified under HTM category are carried at their acquisition cost and not marked to market. Any diminution, other than temporary, in the value of equity investments is provided for. Any loss on sale of investments in HTM category is recognised in the Statement of Profit and Loss. Any gain from sale of investments under HTM category is recognised in the Statement of Profit and Loss and is appropriated, net of taxes and statutory reserve, to "Capital Reserve" in accordance with the RBI Guidelines.

Quantitative Disclosures:

Sl. No.	Particulars	₹cr
1	Equity Investments in Banking Book	
	a) Value disclosed in the balance sheet of investments	368.52
	b) Fair value of the investments	368.52
	As per RBI guidelines investment in RRB is to be valued at carrying cost (i.e. book value) on a consistent basis.	
2	The types and nature of investments including the amount that can be classified as :	
	a) Publicly traded	Nil
	b) Privately held (Unlisted)	368.52
3	The cumulative realized gains (losses arising from sales and liquidations in the reporting period.	Nil
4	Total unrealized gains (losses)*	Nil
5	Total latent revaluation gains (losses)**	Nil
6	Any amounts of the above included in TierI and Tier II capital	Nil
7	Capital requirement broken down by appropriate equity grouping, consistent with the Banks Methodology, as well as the aggregate amounts and the type of equity investments subject to any supervisory transition or grandfathering provisions regarding regulatory capital requirement.	Investment in associates are risk weighted @ 250% under Basel-III norms.

* Unrealized gains (losses) recognized in the balance sheet but not through the profit and loss account.
** Unrealized gains (losses) not recognized either in the balance sheet or through the profit and loss account.

Table DF 17- Summary comparison of Accounting Assets vs. Leverage ratio Exposure Measure

S.N	Particulars	(₹ Cr)
1	Total consolidated assets as per published financial statements.	151529
2	Adjustment for investments in Banking, financial, insurance or commercial entities that are consolidated for accounting purposes but outside the scope of regulatory consolidation.	NA
3	Adjustment for fiduciary assets recognized on the balance sheet pursuant to the operative accounting framework but excluded from the leverage ratio exposure measure.	0
4	Adjustments for derivative financial instruments	294
5	Adjustment for securities financing transactions (i.e repos and similar secured lending).	0
6	Credit equivalent amounts of off balance sheet exposures.	4458
7	Other Adjustments.	(4963)
8	Leverage ratio exposure	**151318**

Table DF 18: Leverage ratio Common Disclosure Template

Sl	Item	(₹ Cr)
	On-Balance sheet Exposure	
1	On-balance sheet items (excluding derivatives and SFTs, but including collateral)	150100
2	(Asset amounts deducted in determining Basel III Tier 1 capital)	(4963)
3	**Total on-balance sheet exposures** (excluding derivatives and SFTs) (sum of lines 1 and 2)	**145137**
	Derivative Exposure	
4	Replacement cost associated with all derivatives transactions (i.e. net of eligible cash variation margin)	170
5	Add -on amounts for PFE associated with all derivatives transactions	123
6	Gross-up for derivatives collateral provided where deducted from the balance sheet assets pursuant to the operative accounting framework	0
7	(Deductions of receivables assets for cash variation margin provided in derivatives transactions)	0
8	(Exempted CCP leg of client-cleared trade exposures)	0
9	Adjusted effective notional amount of written credit derivatives	0
10	(Adjusted effective notional offsets and add-on deductions for written credit derivatives)	0
11	Total derivative exposures (sum of lines 4 to 10)	293
	Securities financing transaction exposures	
12	Gross SFT assets (with no recognition of netting), after adjusting for sale accounting transactions	1430
13	(Netted amounts of cash payables and cash receivables of gross SFT assets)	0
14	CCR exposure for SFT assets	0
15	Agent transaction exposures	0
16	Total securities financing transaction exposures (sum of lines 12 to 15)	**1430**
	Other Off-Balance Sheet Exposures	
17	Off -balance sheet exposure at gross notional amount	11999
18	(Adjustments for conversion to credit equivalent amounts)	(7541)
19	**Off -balance sheet items** (sum of lines 17 and 18)	**4458**
	Capital and Total Exposures	
20	**Tier 1 Capital**	**6028**
21	**Total Exposures** (Sum of lines 3,11,16 and 19)	**151318**
	Leverage Ratio	
22	**Basel III leverage ratio [20/21]**	**3.98**

उप-महाप्रबंधकगण	Dy. General Managers
श्री संजय चौधरी	Shri Sanjay Chaudhary
श्री बिश्वजीत बंद्योपाध्याय	Shri Biswajit Bandyopadhyay
श्री वित्तेश कुमार	Shri Vittesh Kumar
श्री धनंजय प्रताप सिंह	Shri Dhananjay Pratap Singh
श्री रामेन्दु भट्टाचार्जी	Shri Ramendu Bhattacharjee
श्री बिबेकानंद बिश्वास	Shri Bibekananda Biswas
श्री सुधीर कुमार सिन्हा	Shri Sudhir Kumar Sinha
श्री के सुर्धीद्र राज	Shri K Sudhindra Raj
श्री कोविलुर राममूर्ती बास्करन	Shri Kovilur Ramamurthy Baskaran
श्री शिव शंकर सिंह	Shri Shio Shankar Singh
श्री संजय कूलवाल	Shri Sanjay Koolwal
श्री अनुराग श्रीवास्तव	Shri Anurag Srivastava
श्री पार्थ प्रतिम पाल	Shri Partha Pratim Pal
श्री सुशील कुमार शुक्ला	Shri Sushil Kumar Shukla
श्री समीर कुमार राय	Shri Samir Kumar Ray
श्री मनीष अग्रवाल	Shri Manish Agrawal
श्री उपेन्द्र सबर	Shri Upendra Sabar
श्री कोलांदिवेल मीनाक्षीसुंदरम	Shri Kolandaivel Meenakshisundaram
श्री नारायण प्रधान	Shri Narayan Pradhan
श्री उमेश चंद्रा	Shri Umesh Chandra
श्री प्रबीर कुमार ताह	Shri Prabir Kumar Tah
श्री जोसेफ लॉरेंस टोबियस	Shri Joseph Lawrence Tobias
श्री अतीश कुमार राउत	Shri Atish Kumar Rout
श्री बिक्रमजीत सोम	Shri Bikramjit Shom
श्री राज किशोर नायक	Shri Raj Kishore Nayak
श्री साक्षी गोपाल साहा	Shri Sakshi Gopal Saha
श्री नीरज वर्मा	Shri Niraj Verma
श्री कंचन चक्रबर्ती	Shri Kanchan Chakrabarty
श्री मुकुल टंडन	Shri Mukul Tandon
श्री सुशान्त कुमार पाल	Shri Sushanta Kumar Pal
श्री मंजीत सिंह कोचर	Shri Manjit Singh Kochar
श्री बिपिन बिहारी साहू	Shri Bipin Bihari Sahoo
श्री आनंद कुमार	Shri Anand Kumar
श्री अरुण कुमार सिंह	Shri Arun Kumar Singh
श्री आलोक दत्ता	Shri Alok Dutta
श्री प्रदीप कुमार मिश्रा	Shri Pradeep Kumar Mishra
श्री एस राजगुरू	Shri S Rajaguru
श्री कंवल जीत शोरे	Shri Kanwal Jit Shorey
श्री अनिल कुमार माटा	Shri Anil Kumar Matta

सुपुर्द न होने के मामले में कृपया निम्नलिखित पते पर लौटाएँ:

मेसर्स. लिंक इनटाइम इंडिया प्रा. लि.

यूनिट : **युनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया**

59-सी, चौरंगी रोड , कोलकाता-700 020

If undelivered please return to :

M/s. Link Intime India Pvt. Ltd.

Unit : **United Bank of India**

59C, Chowringhee Road, Kolkata-700 020

Design & Printed by : florenceoffset@yahoo.co.in